

पाण्डुलिपि विज्ञान

लेखक

डॉ० सत्येन्द्र



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

शिवोऽग्र्यः अग्र्य-काम्यजन्म सम्पादन, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय
ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत, एलएचएम हिन्दी ग्रन्थ महादमी द्वारा प्रकाशित।

प्रथम-संस्करण : 1978

Pandulipi Vijnana

भारत सरकार द्वारा शिवोऽग्र्यी मूल्य पर
उपलब्ध कराए गए कागज से निर्मित।

मूल्य : 40 00

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी,
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर
जयपुर-302004

मुद्रक

जयपुर मान प्रिन्टर्स,
चौड़ा रास्ता,
जयपुर

श्रीमती विद्याधरी को

कृतज्ञता-ज्ञापन

मैं उन सबके प्रति अपनी हाविक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लेखन में और प्रस्तुतीकरण में किसी-न-किसी रूप में सहायता दी है, या जिनकी कृतियों का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है।

मैं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, केन्द्रीय हिन्दी निवेशालय और शब्दावली आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ का लेखन मुझे सौंपा और प्रकाशन की व्यवस्था की। जिनका सर्वाधिक आभार मुझे इस ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन के सम्बन्ध में मानना चाहिये वे हैं श्री यशदेव शर्मा। उनके स्नेह और तत्पर सहयोग के साथ उनके उच्चित परामर्शों से ही इसका यह रूप बन सका है। वे मेरे इतने अपने हैं कि उनके प्रति शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जा सकती।

मैं इस पुस्तक के मुद्रक के प्रति भी हाविक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्होंने तत्परतापूर्वक इसकी छापाई की, इससे मुझे प्रसन्नता हुई।

सत्येन्द्र

भूमिका

लीजिये यह है पांडुलिपि विज्ञान की पुस्तक। आपने "पांडुलिपि" तो देखी होगी, उसका भी विज्ञान हो सकता है या होता है यह बात भी जानने योग्य है।

इस पुस्तक में कुछ यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि पांडुलिपि विज्ञान क्या है और उसमें किन बातों और विषयों पर विचार किया जाता है? वस्तुतः पांडुलिपि के जितने भी अवयव हैं प्रायः सभी का अलग-अलग एक विज्ञान है और उनमें से कइयों पर अलग-अलग विद्वानों द्वारा लिखा भी गया है, किन्तु पांडुलिपि-विज्ञान उन सबसे जुड़ा होकर भी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, मैंने इसी दृष्टि को आधार बनाकर यह पुस्तक लिखी है। कहीं-कहीं पांडुलिपि के अवयवों में आलंकारिकता और चित्र-सज्जा का उल्लेख पांडुलिपि निर्माण के उपयोगी कला-तत्त्वों के रूप में भी हुआ है।

पर, यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि पांडुलिपि मूलतः कलात्मक भावना में व्याप्त रहती है। पहले तो उपयोगी कलात्मकता का स्पर्श उसमें रहता है। लिप्यासन सुन्दर हो, जिस पर साफ-साफ लिखा जा सके। लेखनी अच्छी हो, स्याही भी मन की भांने वाली हो, और लिखावट ऐसी हो कि आसानी से पढ़ी जा सके। यह भी दृष्टि रहती है कि लिखावट को देखकर उसे पढ़ने का मन करने लगे। कई रंगों की स्याहियों का उपयोग पहले तो अभिप्राय या प्रयोजन भेद के आधार पर किया जाता है, जैसे, पुष्पिका, छद नाम. अंतरंग शीर्षक, आदि मूल पाठ से भिन्न बताने के लिए लाल स्याही से लिखे जाते हैं। किन्तु यह उपयोगी सहज सुन्दरता तो पुस्तक या पांडुलिपि को सामान्य-उसकी ग्राहकता बढ़ाने के लिए ही होती है।

पर, पांडुलिपि पूरी उत्कृष्ट कला की कृति हो सकती है, और यह भी हा. मकता है कि उसमें विविध अवयवों में ही कलात्मकता हो।

सम्पूर्ण कृति की कलात्मकता में उत्कृष्टता के लिए लिप्यासन भी उत्कृष्ट होना चाहिये, यथा बहुत सुन्दर बना हुआ सांचीपात हो सकता है। हाथीदात हो सकता है।¹ उस पर कितने ही रंगों से बना हुआ आकर्षक हाशिया हो सकता है, उम पर बड़िया पक्की स्याही या स्याहियों में, कई पाटों में मोहक लिखावट की गयी हो, प्रत्येक प्रक्षर सुडोल हो। पुष्पिकाएँ भिन्न रंग की स्याही में लिखी गयीं हों। मार्गलिक चिह्न या शब्द भी मोहक हो। ऐसी कृति सर्वांग सुन्दर होती है, ऐसी पुस्तक तैयार करने में बहुत समय और परिश्रम करना पड़ता है।

कृतिकार या लिपिकार की कला का प्रथम उत्कृष्ट प्रयोग हमें लिखावट में मिलता है।

1 अलवर के सप्रहालय में 'हुक्त बन्द काशी' श्री ए० एम० उस्मानी साहब ने बताया है कि "यह किताब भी मादेरात का अक्षीब नमूना है। हाथीदात में बरक तैयार करके उन पर नहुअत रोगन काशी खियाही से उम्दा नसतलिक में लिखा गया है। हुक्फ की नोक पसक बहुत उमदा है।— इस पर सोने का काम सोने में सोहाया है। बहुत बारीक और कबिले दीर गुनगागी है।" ('द रिमचं' पृ० 37)।

लिखावट को तरह-तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विकास में अन्य कारणों के साथ एक कारण उसे सुन्दर बनाने के प्रयत्न से भी सम्बन्धित है। किन्तु लिपि-लेखन अपने आप में एक कला का रूप ले लेता है। फारस में इस कला का विशेष विकास हुआ है। वहाँ से भारत में भी इसका प्रभाव आया और फारसी लिपि में तो इस कला का चरमोत्कर्ष हुआ। भारत में अक्षरों के आलंकारिक रूप में लिखने का चलन कम नहीं रहा। हमने कितने ही अक्षरों के आलंकारिक रूप, आगे पुस्तक में दिये हैं।

लेखन/लिखावट में सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ़ जाता है। लिपि के कलात्मक हो जाने पर समस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 'एनसाइक्लापीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स' का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्टि करता है : "Not only so, but Skilled Scribes have devoted infinite time to Copying in luxurious Style the Compositions of famous persian poets and their manuscripts are in themselves works of art."

अनन्त समय लगाकर धैर्य और लेखन कौशल से लिपि में सौन्दर्य निरूपण करके समस्त कृति/ग्रन्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं।

लिपि में विविध प्रकार की कलात्मकता और आलंकारिकता लाकर ग्रन्थ की सुन्दरता के साथ मूल्य में भी वृद्धि की जाती है। सोने-चाँदी की स्याही में भी ग्रन्थ की सुन्दरता में चार-चाँद लग जाते हैं।

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्याही-आदि अंत उपकरणों के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर्द्धन में सर्वाधिक महत्व चित्रकला के योगदान का होता है।

ग्रन्थों में चित्रांकन का एक प्रकार तो केवल सजावट या हाना है। विविध अर्थमतिक आकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल-फूल और पशु-पक्षी, आदि से पुस्तक को लिपिकार और चित्रकार सजाते हैं।

ग्रन्थ चित्रांकन का दूसरा प्रकार होता है। वस्तु को, विशेषतः कथा-वस्तु को हृदयगम कराने के लिए रेखाओं में बनाये हुए चित्र या रेखा-चित्र।

यह रेखा-चित्र आगे अधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसकी प्रति हम वहाँ मिलती है जहाँ ग्रन्थ चित्राधार बन जाता है और उसका काव्य मात्र आचार बन कर रह जाता है। उत्कृष्ट कलाकार की उत्कृष्ट कलाकृति बन जाता है, यह ग्रन्थ और कवि पीछे छूट जाता है। ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो सकता है। जयपुर में महाराजा के निजी पोथी-खाने में एक 'गीतगोविन्द' की मन्त्रिणी प्रति थी बताया जाता है कि इसके पृष्ठ 10 उच्च लम्बे और 8 इंच चौड़े थे। कुल 210 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एक प्रमरीकी महिला इसे 6 नरोड़ रुपये में खरीदने को तैयार थी। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र थे। ये चित्र विविध रंगों में अत्यन्त कलात्मक थे। इसी के कारण 'गीतगोविन्द' की इस प्रति का मूल्य इतना बढ़ गया था।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पादुलिपि प्रथमतः कलाकृति होती है। कलात्मक काव्य के साथ सुन्दर लिप्यासन, कलात्मक लिपि-लेखन, कलात्मक पृष्ठ मज्जा और कलात्मक चित्र-विधान से इनके अपने मूल्य के साथ पादुलिपि का भी मूल्य घटता-बढ़ता है।

इस कलात्मकता के साथ भी पांडुलिपि का विज्ञान हमने इस पुस्तक में निरूपित किया है ।

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पांडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, इसके द्वारा पांडुलिपि-विज्ञान को नीव रखी जा रही है ।

पांडुलिपि का रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा । पांडुलिपि-विज्ञान की समस्त सम्भावनाओं को दृष्टि में रख कर अपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी । पांडुलिपि मावयव इकाई है और प्रत्येक अवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम में इनमें से प्रत्येक में परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं । विकास-यात्रा में इकाई के किसी भी अवयव में परिवर्तन आन पर पांडुलिपि के रूप में भी परिवर्तन आयेगा तदनुकूल ही उसकी वैज्ञानिक समीक्षा में भी और विज्ञान के द्वारा उन्हें ग्रहण करने में भी ।

पांडुलिपि के प्रत्येक अवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान का अपना-अपना इतिहास है । प्रत्येक के विकास के अपने सिद्धान्त हैं । इन अवयवों की प्रलग सत्ता भी है पर ये पांडुलिपि-निर्माण में जब मयुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं और मयुक्त समुच्चय की दिशि में पांडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पांडुलिपि भी प्रभावित होती है । यह सच-नुष्ठ प्रकृत नियमों से ही होता है । हाँ, उसमें मानव-प्रतिभा का योगदान भी कम नहीं होता । पांडुलिपि-विज्ञान में इन सभी क्रिया-प्रतिक्रियाओं को भी देखना होता है ।

कहने का तारपर्यं यह है कि पांडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत विविधतापूर्ण है और विभिन्न ज्ञान-विज्ञानों पर आश्रित है । भला मुझ जैसा अल्प-ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्या व्याय कर सकता है !

पर पांडुलिपियों की खोज में मुझे कुछ रुचि रही है जो इस बात में विदित होती है कि मरा प्रथम लेख जो कृष्णकवि के "विदुरप्रजागर" 11 र या और "मातुरा" में सम्भवतः 1924 ई० के किसी प्रक में प्रकाशित हुआ था, एक पांडुलिपि के आधार पर लिखा गया था । कि श्री महेन्द्र जी (श्रम स्वर्गीय) ने मुझे सन् 1926 के लगभग से नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का अधिकारी नियुक्त कर दिया । इनसे पांडुलिपियाँ और अनुसंधान में रुचि बढ़नी ही चाहिय थी । इसी सभा के पांडुलिपि-विभाग के प्रबन्धक भी मुझे रहना पड़ा । मथुरा के पं० गोपाल प्रसाद व्यास (प्राज के लक्ष्मणपाठशाला इन्सपेक्टर के महाकवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री तथा पद्मश्री से विभूषित एव हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग के यशस्वी सदस्य) हस्तलेखों की खोज के खोजकर्ता नियुक्त किये गये । वही मथुरा में श्री त्रिवेदी (श्रम स्वर्गीय) काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करने आये । मुझसे उन्हें स्नह था, वे मेरे पास ही ठहरे । इस प्रकार कुछ समय तक प्रायः प्रतिदिन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज पर बातें होती । इन सभी बातों से यह स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रन्थों और उनकी खोज में मेरी रुचि बढ़ती । उबर ब्रज-साहित्य-मण्डल की मथुरा में स्थापना हुई । उसके लिए भी हस्तलेखों में रुचि लेनी पड़ी । जब मैं क० मु० हिन्दी विद्यापीठ में था तो वहाँ भी हस्तलेखों का सग्रहालय स्थापित किया गया । यहाँ अनुसंधान पर होने वाली सगोष्ठी में हस्तलेखों के अनुसंधान पर वैज्ञानिक चर्चाएँ करनी और करानी पड़ी । पं० उदयशंकर शास्त्री ने विद्यापीठ का हस्त-

लेखागार सम्भाला। वे भी इस विषय में निष्णात थे। उनसे भी सहायता मैंने ली है। सूरसागर के संपादन और पाठालोचन के लिए एक बृहद् सेमीनार का आयोजन भी मुझे ब्रह्म-साहित्य-मण्डल के लिए करना पड़ा था। इन सभी के परिणामस्वरूप मेरी एचि पांडुलिपियों में बड़ी और पांडुलिपियों की खोज की दिशा में भी कुछ कार्य किया।

पर इनमें मेरी पांडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक लिखने की योग्यता मिट नहीं जाती। अतः यह मेरी प्रतिकार चब्दा ही मानी जायगी। हाँ, मुझे उद्य कार्य में प्रवृत्त होने का साहस इसी भावना से हुआ कि इससे एक प्रभाव की पूर्ति तो हो ही सकती है। इससे इस बात की सम्भावना भी बढ़ सकेगी कि आगे कोई यथार्थ अधिकारी इस पर और अधिक परिपक्व और प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत कर सकगा।

जो भी हो, आज तो यह पुस्तक आपका समर्पित है और उस मान्यता के साथ सम-पित है कि यह पांडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक है। डॉ० हीरालाल माहेश्वरी एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट० ने मेरे आग्रह पर अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ हस्तलेखों पर तैयार करके दीं। इन्होंने शतश हस्तलेखों का उपयोग अपने अनुसंधान में किया है। कठिन यात्राएँ करके कठिन व्यक्तियों से पांडुलिपियों का प्राप्त किया है और उनका अध्ययन किया है। इसी प्रकार श्री गोपाल नारायण बहुरा जी ने भी कुछ टिप्पणियाँ हमें दीं। ये बहुत वर्षों तक राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान से सम्बन्धित रहे, वहाँ से सेवा-निवृत्त होने पर जयपुर के मिटी-पैलेस के 'पीथीखाने' और संग्रहालय में हस्तलिखित ग्रन्थों के विभाग में सम्बन्धित हो गये, इस समय भी वही है। इनकी हस्तलेखों का दीर्घकालीन अनुभव है। और सोने में सुगंध की बात यह है कि प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान में इन्हें विद्वद्गुरु मुनि जिन विजय जी (अब स्वर्गीय) के साथ भी काम करने का अच्छा अवसर मिला। हमारे आग्रह पर इन्होंने भी हमें इस विषय पर कुछ टिप्पणियाँ लिखकर दीं। इनकी इस सामग्री का यथानुभव हमें पुरा उपाय किया है और उसे इन विद्वानों के नाम से यथास्थान इस पुस्तक में समायोजित किया है। इनके इस सहयोग के लिए मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वहाँ तक मैं समझता हूँ कि "पांडुलिपि-विज्ञान" पर यह पहली ही पुस्तक है। गुजराती की मुनि पुण्यविजय की लिखी पुस्तक "भारतीय जैन श्रमण संस्कृति और लक्षण कला" में पांडुलिपि-विषयक कुछ विषयों पर अच्छी ज्ञानव्य सामग्री बहुत ही श्रेष्ठ, अध्ययनार्थ और सूक्ष्म-बुद्ध के साथ सजोयी गयी है पर इसमें दृष्टि सांस्कृतिक चित्र उल्लेखन करने की रही है। उनकी इस पुस्तक का जैन लेखन-कला और संस्कृत विषय का लघु-अध्याय माना जा सकता है। इससे भी हमें बहुत-सी उपायोगी ज्ञान-सामग्री मिली है। मुनि पुण्यविजय जी का प्रसिद्ध पांडुलिपि शोध कर्ता है और इस विषय के प्रामाणिक विद्वान है। उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करता हूँ।

किन्तु इस क्षेत्र में सबसे पहले जिन महामनीषी का नाम लिया जाना चाहिये वह हैं "भारतीय प्राचीन लिपि माला" के यशस्वी लेखक महा-महोपाध्याय गोरीशंकर हीराचंद श्रोत्रा जी हिन्दी के अनन्य सेवक और हिन्दी व्रती थे। "भारतीय प्राचीन लिपि माला" जैसी अद्वितीय कृति उन्होंने उदात्त और आग्रहों की चिन्तना करने अपने व्रत के अनुसार हिन्दी में ही लिखी, और भारतीय विद्वानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनका यह ग्रन्थ तो पांडुलिपि-विज्ञान का मूलतः आधार ग्रन्थ ही है। मैंने ब्राह्मी लिपि का पहला

पाठ उनकी इसी पुस्तक से सीखा था। मैं तो उनके दिश्य चरणों में श्रद्धा से पूर्णतः समर्पित हूँ। वे और उनके ग्रन्थ तो अब भी प्रेरणा क झलक स्रोत है। उनमें भी बहुत-कुछ इस ग्रन्थ में लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे ही ग्रन्थ ग्रनेक हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं के विद्वानों के ग्रन्थों से लाभ उठाया गया है और यथा-स्थान उनका नामोल्लेख भी किया गया है। इन सबके समक्ष में श्रद्धापूर्वक विनत हूँ। इन सभी विद्वानों के चरणों में मैं एक विद्यार्थी की भाँति नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। उनके ग्रन्थों की सहायता के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी और पाठुलिपि-विज्ञान का बीज बपन नहीं हो सकता था।

इस पुस्तक की तैयारी में सबसे अधिक सहायता मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अनुसंधान अधिकारी प्रवक्ता, डॉ० रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ से मिली है। उनकी सहायता के बिना यह ग्रन्थ लिखा जा सकता था, इसमें मुझे संदेह है। इसका एक-एक पृष्ठ उनका ऋणी है।

इस पुस्तक का एक छोटा-सा इतिहास है। जब केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय और शब्दावली-आयोग ने साहित्य और भाषा विषय की विषय-नामिकाएँ बनाईं तो उनमें मुझे भी एक सदस्य नामांकित किया गया। इन्हीं विषय-नामिकाओं में जब यह निर्धारित किया गया कि किन-किन ग्रन्थों का मौलिक लेखन कराया जाय, तब "पाठुलिपि-विज्ञान" को भी उन्हीं मूकों में सम्मिलित किया गया। इसका लेखन कार्य मुझे सौंपा गया।

जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष होकर आ गया और कुछ वर्ष बाद राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी की स्थापना हुई तो इस प्रकादमी के 'साहित्या-लोचन' और 'भाषा' की विषय-नामिका का एक सदस्य केन्द्र की ओर से मुझे भी बनाया गया। साथ ही उक्त ग्रन्थ भी लिखवान और प्रकाशन के लिए राजस्थान-हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकादमी को दे दिया गया। दिसम्बर, 73 तक इस विषय पर विशेष कार्य नहीं हुआ। 74 के प्रारम्भ से कुछ कार्य प्रारम्भ हुआ। 5 मार्च, 74 को ग्रन्थ प्रकादमी के निदेशक पद से निवृत्त होकर मैं इस ग्रन्थ के लिखने में पूरी तरह प्रवृत्त हो गया। इसी का परिणाम यह ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ की रचना में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। राजस्थान-हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकादमी के पुस्तकालय का भी उपयोग किया गया है।

प० कृपाशंकर तिवारी जी क एक लेख को अपनी तरह से इसमें मैंने सम्मिलित कर लिया है। प० उदयशंकर शास्त्री जी के एक चार्ट को भी ले लिया गया है। इन सबका यथास्थान उल्लेख है।

जिन विषयों की खर्चा की गयी है उनके विशेषज्ञों के ग्रन्थों से तद्विषयक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताने या विश्लेषण-पद्धति समझाने के लिए आवश्यक सामग्री उद्धृत की गयी है और यथास्थान उनका विश्लेषण भी किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक चरण को प्रामाणिक बनाने का यत्न किया गया है। इन सभी विद्वानों के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। यदि ग्रन्थ में कुछ प्रामाणिकता है तो वह उन्हीं के कारण है।

इन प्रयत्नों के किये जान पर भी हो सकता है कि यह भानुमती का कुनबा

होकर रह गया हो, पर मुझे लगता है कि इसमें पांडुलिपि-विज्ञान का सूत्र भी प्रबन्ध है।

पांडुलिपि-विज्ञान का अध्ययन विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी होता है। प्रत्येक शोध-संगोष्ठी में पांडुलिपि विषयक चर्चा किसी न किसी रूप में प्रबन्ध होती है, पर सम्यक वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में सतही ही रह जाती है। इतिहास, साहित्य, समाज-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जिनमें किसी न किसी दृष्टि से पांडुलिपियों का उपयोग करना पड़ जाता है। साहित्य के अनुसंधानकर्त्ता का काम तो पांडुलिपियों के बिना चल ही नहीं सकता। विश्वविद्यालयों में अब पी-एच० डी० से पूर्व एम० फिल० के अध्ययन-प्रध्यापन का और विधान किया गया है। इसमें पी-एच० डी० के लिए परिरक्ष अनुसंधान ही योग्यता प्रदान कराने की व्यवस्था है। इस उपाधि के लिए पांडुलिपि-विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, अन्यथा एम० फिल० की उपाधि में बड़ा लाभ नहीं मिल सकेगा जो अभीष्ट है। अनुसंधान की प्रक्रिया का ऐसे अध्ययन में अपना महत्त्व है पर अनुसंधान-प्रक्रिया के अन्तर्गत विविध विज्ञानों की सहायता अपेक्षित होनी है और यह पांडुलिपि-विज्ञान ऐसा ही एक विज्ञान है। यतः इस पुस्तक की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है।

यो भी यह विषय अपने घाप में रोचक है, अतः मैं आशा करता हूँ कि इसका हिन्दी जगत में स्वागत किया जायगा।

विषय-सूची

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| क—भूमिका | I-VI |
| ख—कृतज्ञता ज्ञापन | VII |
| ग—विषय-सूची | VIII |
| घ—चित्र-सूची | XII |
| 1. पांडुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ | 1-18 |
| <p>नाम की समस्या-1, पांडुलिपि-विज्ञान क्या है-2, पांडुलिपि विषयक विज्ञान की आवश्यकता-8, पांडुलिपि-विज्ञान एवं अन्य सहायक विज्ञान-9, शोध प्रक्रिया विज्ञान-10, लिपि-विज्ञान-11, भाषा-विज्ञान-11, पुरातत्त्व-12, इतिहास-12, ज्योतिष-13, साहित्य-शास्त्र-13, पुस्तकालय विज्ञान-14, डिप्लोमैटिक्स-14, पांडुलिपि-पुस्तकालय-15, आधुनिक पांडुलिपि आगार-17 ।</p> | |
| 2. पांडुलिपि-ग्रन्थ-रचना-प्रक्रिया | 19-65 |
| <p>रचना-प्रक्रिया में लेखक तथा भौतिक सामग्री-19, लेखक-20, लिपिकार-23, पर्यायवाची-24, महत्त्व-25, लिपिकार द्वारा विकृतियाँ-25, उद्देश्य-28, पाठ सम्बन्धी भूलों का पता लगाना-29, लेखन-31, लेखन आनुष्ठानिक टोना-31, ग्रन्थ परम्पराएँ-32, शुभाशुभ-33, सामान्य परम्पराएँ-33, लेखन दिशा-33, पंक्ति-बद्धता-34, मिलित शब्दावली-34, विराम चिह्न-34, पृष्ठ संख्या-35, अक्षराको की सूची-36, संशोधन-38, चिह्न-38, छूटे अक्षर की प्रति के चिह्न-40, ग्रन्थ चिह्न-41, संक्षिप्त-चिह्न-41 अकलेखन-42, शब्दों से अक्षर-42, शब्द और संख्या साहित्य-शास्त्र से-44, विशेष पक्ष : मंगल प्रतीक-45, नमस्कार-46, आशीर्वाचन-47, प्रशस्ति-47, वर्जना-47, उपसहार पुष्पिका-48, शुभाशुभ-48, लेखन-विराम में शुभाशुभ-49, लेखनी शुभाशुभ-49, स्याही-52, प्रकार-54, विधियाँ-56, कुछ सावधानियाँ-57, विधि-निषेध-58, रंगीन स्याही-59, गुनहरी, रूपहरी स्याही-60, चित्र रचना-रंग-60, सचित्र ग्रन्थों का महत्त्व-62, ग्रन्थ रचना के उपकरण 64, रेखापाटी-64, डोरा-डोरी-64, ग्रन्थि-64, हडताल-65, पत्रकार-65 ।</p> | |
| 3. पांडुलिपि-प्राप्ति और तत्पश्चात्तन्निष्ठ प्रयत्न : क्षेत्रीय अनुसन्धान | 66-124 |
| <p>क्षेत्र एवं प्रकार-66, निजी क्षेत्र-66, खोजकर्त्ता-67, व्यवसायी माध्यम 68, साभिप्राय खोज-68, विवरण लेना-70, विवरण का स्वरूप-71, बाह्य-विवरण-71, उदाहरण-71, आंतरिक परिचय-79, अतिरिक्त पक्ष-81, रक्ष-रखाव-81, पुस्तक का स्वरूप-81, पुस्तक</p> | |

का प्रकार-82, लिप्यासन-82, रूप-विधान-84, पंक्ति एवं अक्षर परिमाण-84, पत्रों की संख्या-84, विशेष-85, अलंकरण-85, स्थाही का विवरण-86, अंतरंग-परिचय-86, ग्रन्थकार/रचयिता का नाम-86, रचना-काल-87, रचना का उद्देश्य-87, स्थान, भाषा, भाषा-वैशिष्ट्य, लिपि-लिपिकार, लिपिकार का परिचय, आश्रयदाता, प्रतिलिपि का स्वामित्व-87, अंतरंग परिचय का आन्तरिक पक्ष-88, प्रस्तावित प्रारूप-88, विवरण लेखन में दृष्टि-90, लेखा-जोखा-91, कालावधि-91, अनुक्रमणिकाएँ-94, तालिकाएँ-94, विवरण में क्रम-94, तुलनात्मक अध्ययन-95, उदाहरण : कविचन्द-95, निष्कर्ष-113, विवरण-प्रकार लघु सूचना-113, नलिन विलोचन शर्मा की पद्धति-114, उदाहरण : तालिका-116, संबर्द्धनार्थ मुक्ताब्-117, उपयोगी तालिकाएँ-117, आंतरिक विवरण-विस्तार के रूप-118, कालक्रमानुसार सूची 119, तालिका-रूप-120, कल्लेवाइट की सूची : रूप-121, प्रतिलिपि काल का महत्त्व-122, नकली पाडुलिपियाँ-124 ।

4 पांडुलिपियों के प्रकार

125-172

प्रकार-श्रेष्ठ : अनिवार्य-128, लिप्यासन के प्रकार-129, चट्टानीय शिलालेख-130, शिलापट्टीय-132, स्तम्भीय-133, धातु वस्तु-136, पाडुलिपियों के प्रकार-प्रन्तर शिलाशो पर ग्रन्थ-138, धातु पत्रों पर ग्रन्थ-140, मृण्मय-140, पेपीरस-141, चमड़े पर लेख-142, ताडपत्रिय-143, भूर्जपत्रिय-145, साचीपातीय-145, कागजीय-148, तूलीपातीय-151, पटीय ग्रन्थ-151, रेशमी कपड़े के-153, काष्ठपट्टीय-154, आकार के आधार पर प्रकार-156, गण्डो-156, कच्छपी-156, मुष्टी-157 संपुट फलक-157, छेद पाटी-157, लेखन-शैली से प्रकार-157, कुडलित-157, रूप विधान से प्रकार-159, त्रिपाट-159, पचपाट-159, शृङ्ख-159, ग्रन्थ-159, सजावट के आधार पर प्रकार-159, ग्रन्थ में चित्र-160, सजावटी चित्रों की पुस्तकें-161, उपयोगी चित्रों वाली पुस्तकें-161, भिन्न माध्यम में लिखी पुस्तकें-162, अक्षरों के आकार पर आधारित प्रकार-162, कुछ ग्रन्थ प्रकार-162 पत्रों के रूप में-163, जिल्द के रूप में-163, पोथों, पोथी, गुटका-165, शिलालेख के प्रकार—इनकी छाप लेना-168, धातु-पत्र-170, पत्र चिह्नी-पत्री-171, कुछ अद्भुत लेख-171, उपसहार-172 ।

5 लिपि-समस्या

173-214

महन्व-173, लिपियाँ-173, चित्र-लिपि-174, चित्र और हबनि-176, चित्र-177, बिम्ब एवं रेखा-चित्र-179, चित्र-लिपि से विकास-180, तीन प्रकार की लिपियाँ-181, अज्ञात लिपियों को पढ़ने के

प्रयास-182, भारत की लिपियों को पढ़ने का इतिहास-182, लिपि के अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया-189, सिन्धुघाटी की लिपि-190, शब्द मूलक चित्रलिपि (logograph)-190, ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक वाली लिपि-191, शब्द चिह्नो में व्याकरण सम्बन्धों को जानने का सिद्धान्त-191, लिपि के पढ़ने में श्रद्धा-196, ब्राह्मी-लिपि की सामान्य वर्णमाला-198, भारत में लिपि-विचार-199, लिपियों के वर्ण-200, विदेशी लिपियाँ-200, प्रादेशिक लिपियाँ-200, जन-जातियों की लिपियाँ-201, साम्प्रदायिक लिपियाँ-201, चित्र रेखा-चित्र लिपियाँ-201, म्मरणोप-कारी लिपियाँ-201, उभारी या खोदी हुई लिपियाँ-201, शैली-परक लिपियाँ-202, सङ्क्रमण स्थिति द्योतक लिपि-202, त्वरा लेखन-202, विशिष्ट शैली-202, हिसाब-किताब विषयक शैली-202, देवी या काल्पनिक-202, घटारह लिपियाँ-202, म्लेच्छित विकल्प-203, पल्लवी लिपियाँ-204, दानासी लिपि-205, सहदेवी लिपि-205, व्यावहारिक समस्याएँ-205, पाठुलिपियों की विशिष्ट अक्षरावली-206, विवादास्पद वर्ण-207, भ्रान्त वर्ण-209, प्रमाद में लिखे वर्ण-209, विशिष्ट वर्ण-चिह्न-211, विराम चिह्नों के लिए चार बाते-212, उपसंहार-213 ।

6. पाठालोचन

215-245

भूमिका-215, मूल-पाठ के उपयोग-215, लिपिक का सर्जन-215, पाठ की अग्रुद्धि और लिपिक-216, शब्द-विकार : काल्पनिक-216, शब्द-विकार यथार्थ उदाहरण-216, प्रमाद का परिणाम-217, छूट, भूल और आगम-217, समानता के कारण अन्य अक्षर . मुनि पुण्य-विजयजी की सूची-218, लिपिक के कारण वंश-वृक्ष-219, पाठालोचन की आवश्यकता-220, प्रक्षेप या क्षेपक-221, क्षेपक के कारण-221, छूट-222, अप्रामाणिक कृतियाँ-222, पाठालोचन में शब्द और अर्थ का महत्त्व-223, पाठुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन-224, प्रणालियाँ-224, वैज्ञानिक चरण-225, प्रक्रिया-226, ग्रन्थ-समूह-226, तुलना-226, संकेत प्रणाली-227, वर्तनी सम्बन्धी उलभने-228, विश्लेषण में निष्कर्ष-232, प्रतिलिपिकार प्रणाली-232, स्थान संकेत प्रणाली-232, पाठ-नाम्य के समूह की प्रणाली-233, पत्र-संख्या प्रणाली-233, अन्य प्रणाली-233, पाठ-प्रतियाँ-233, पाठ-तुलना-234, प्रामाणिक पाठ-निर्धारण-234, पाठ-सम्बन्धों का वृक्ष-236, बाह्य और अंतरंग सम्भावनाएँ-236, पाठानुसंधान में भ्रान्ति और निवारण-237, तत्कालीन रूप और अर्थ से पुष्टि-238, पाठान्तर देना-238, प्रक्षेप और परिशिष्ट-239, अर्थ-व्यास और पाठालोचन-240, पाठ-निर्माण-241, पञ्चतन्त्र वंश-वृक्ष-242, एजर्टन की प्रणाली 243, हर्डन की सांख्यिकीय पद्धति-244, तुलनात्मक-भाषा वैज्ञानिक पद्धति-245, सकल्पनात्मक पद्धति-245 ।

7. काल निर्धारण

246-309

भूमिका-246, काल-संकेत से समस्या-246, काल-संकेत के प्रकार-246, इनसे समस्याएँ-248, काल-निर्धारण की दो पद्धतियाँ-249, काल-संकेत न रहने पर-250, पाणिनी की अष्टाध्यायी का उदाहरण-250, अंतरंग साक्ष्य का आधार-251, काल-संकेतो के रूप-252, सामान्य पद्धति-255, कठिनाइयाँ-255, अर्थांतर की कठिनाई श्रीर पाठान्तर का भ्रमेला-257, विविध सन्-संबन्ध-259, नियमित संबन्ध-259, शक संबन्ध-259, शाके शालिवाहने-260, पूर्वकालीन शक-संबन्ध-260, कुपाण संबन्ध-260, कृत, मानव तथा विक्रम संबन्ध-260 गुप्त संबन्ध तथा बलभी संबन्ध-261, हर्ष संबन्ध-261, मर्त्याय संबन्ध-262, कलियुग संबन्ध-262, बुद्ध निर्वाण संबन्ध-262 ब्राह्मस्पत्य संबन्ध-262, ग्रह परिवृत्ति संबन्ध-264, हिजरी सन्-264, शाहूर सन् या मूर सन् या शरबी सन्-264, फमली सन्-265, मवतो का सम्बन्ध : तालिकाबद्ध-266, निरपेक्ष काल-क्रम-269, संबन्ध-काल जानना-270, मौर वर्ष सन्क्रान्ति-270, चान्द्रवर्ष-271 योग-271, भारतीय काल-गणना की जटिलता-272 शब्दों में काल सख्या-273, राज्यारोहण संबन्ध से काल-निर्धारण श्री डी सी. सरकार के आधार पर, विवेचना सहित-275, साक्ष्य : बाह्य अंतरंग-279, बाह्य साक्ष्य-279 अंतरंग साक्ष्य-279, वैज्ञानिक-280, बाह्य साक्ष्य : विवेचन-280 तुलसी के उदाहरण से-280, बहिःसाक्ष्य की प्रामाणिकता-284 अनुश्रुति या जनश्रुति-284, इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाएँ 285 इतिहास की सहायता में सावधानी-286, काल-निर्णय में भ्रमेले के कुछ कारण (पद्मावत का उदाहरण)-288, सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सांस्कृतिक उल्लेख-289, अंतरंग साक्ष्य-291, कागज लिप्यासन-292, स्याही-293 लिपि 293, लेखन-पद्धति, अलकरण आदि-296, संकेताक्षरों की कालावधि-296, अंतरंग पक्ष सूक्ष्म साक्ष्य-298, भाषा-298, वस्तु-विषयक साक्ष्य-299, वैज्ञानिक प्रविधि-300, कवि-निर्धारण समस्या-300 ।

8. शब्द और अर्थ की समस्या

310-333

अर्थ की दृष्टि से शब्द-भेद-310, शास्त्र एवं विषय के आधार पर शब्द-भेद तालिका-311, मिलित शब्द-312, विकृत शब्द-312, पाठ-विकृतियों के मूल कारण 313, विकृत शब्दों के भेद 316, मात्रा-विकार-316, अक्षर-विकृत शब्द-316 विभक्त अक्षर-319, युक्ताक्षर-विकृति-320, घसीटाक्षर विकृति-321, अलकरण निर्भर विकृति-321, नवरूपाक्षर युक्त शब्द-322, लुप्ताक्षरी शब्द-323, आगमाक्षरी-323, विपर्यस्ताक्षरी-323, संकेताक्षरी शब्द-324, विशिष्टार्थी

शब्द-324, सख्या वाचक शब्द-326, वतंतीभ्युत शब्द-326, स्थाना-
पत्र शब्द-326 अपरिचित शब्द-327, कुपठित-329, घर्ष समस्या-
330, व्याकरण की उपेक्षा के परिणाम-332. अग्निघा, लक्षण,
व्यजना-333 ।

9 रख-रखाव

334-361

रख-रखाव की समस्या-334, ताडपत्र ग्रन्थ कहीं सुरक्षित-334, भूर्ज-
पत्र ग्रन्थ कहीं-334. कागज के ग्रन्थों की स्थिति-335, ग्रन्थों के
विनाश के कारण-335, विदेशी आक्रमण-335. साम्प्रदायिक विद्वेष-
336, भंडारों को बचाने के उपाय-336, 'तुनड्डांड' में ग्रन्थ सुरक्षा
का कारण-337, कन्दराग्रो में ग्रन्थ-339, ज्ञान भंडारों के रक्षण की
आवश्यकता के कारण-339, बाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा-
341, बूहलर का अभिमत-342, रख-रखाव का विज्ञान-344, वाता-
वरण का प्रभाव-344, अच्छे रख-रखाव के उपाय-345, साधन-
345, पादुलिपियों के ग्रन्थ-346, थाइमल चिकित्सा-347, कीड़े-
मकोड़ों से हानि और रक्षा-347, वाष्प चिकित्सा-348, दीमक-
348 पादुलिपियों में विकृतियाँ और चिकित्सा-350, सामग्री-350,
चिकित्सा-351 अन्य चिकित्साएँ-352, शिफन चिकित्सा-353,
टिश्यु चिकित्सा-353, परतोपचार-354, भोगी पादुलिपियों का
उपचार-354, कागज को अम्ल रहित करना-355, अम्ल-निवारण-
355, राष्ट्रीय अभिलेखागार की पद्धति-356, अमोनिया गैस से
उपचार-357, ताडपत्र एवं भूर्जपत्र का उपचार-357, डेक्सट्राइन की
लेई-358, मँदे की लेई-359, चमड़े की जिल्दों की सुरक्षा-359,
उपयोगी पुस्तकें-360 ।

पारिशिष्ट— 1 पुस्तकालय सूची

362-374

पारिशिष्ट— 2 कालनिर्धारण

374-375

पारिशिष्ट— 3 ग्रन्थ-सूची

376-380

चित्र-सूची

चित्र	पृष्ठ संख्या
मंगल प्रतीक [5]	पृष्ठ 45-48 के लिए
खभात के कल्पसूत्र का एक चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
चदायन का चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
ताडपत्र की पांडुलिपि का चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
सचित्र सूर सागर	पृष्ठ 62 के लिए
मैनासत प्रसंग का अन्तिम पत्र	पृष्ठ 63 के लिए
1. षट्शतीय शिलालेख	130
2. रोसेटा का शिलालेख	131
3. पुष्पगिरि का शिलालेख	132
4. कालकुंड का पालि या बीर स्तम्भ	133
5. देवगिरि का मती स्तम्भ	134
6. महाकूट का धर्म स्तम्भ	134
7. नालन्दा की मृण्मय मुहर	136
8. मोहनजोदडो में प्राप्त मुहर	136
9. काष्ठपट्टिका सचित्र	154
10. सचित्र कुडलित ग्रन्थ	157
11. कुडली ग्रन्थ - रखने के पिटक के साथ	158
12. रेखाचित्र की प्रक्रिया (चित्र-1)	175
13. आदिम मानव के बनाय चित्र वर्गाकार धब युक्त (चित्र-2)	175
14. मिन्धुघाटी की मुहरों से चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखाकन (चित्र-3)	175
15. प्रस्तर युग का जगली बेल	177
16. दो शंली बद्ध हिरण वृषभेन चित्र	178
17. बनियावेरी गुफा में स्वास्तिक पूजा	178
18. महानतंन	179
19. भारोही नर्तन	179
20. एरिजोना में प्राप्त प्राचीनतम चित्रलिपि	179
21. मिस्र की हिरोग्लिफिक चित्रलिपि	180
22. चित्रलिपि	181
23. हस्त्रलेखों की वर्णमाला, मात्राएँ एवं अंक	200
24. ददरेवा का शिलालेख	254
25. तुनह्वांग की बौद्ध गुफाओं का चित्र	338

पाण्डुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ

नाम की समस्या

इस विज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य द्वारा लिपिबद्ध की गई सामग्री से है। मनुष्य ने कितनी ही महत्वाङ्घ्रियों पूर्व लेखन-कला का आविष्कार किया था। तब से अब तक लिपिबद्ध सामग्री अनेक रूपों में मिलती है। अतः यहाँ लेखन में भी कई अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं। आधुनिक युग में जिस तरह से हाथ में, लेखनी के द्वारा कागज पर लिखा जाता है उसी प्रकार मनुष्य की सभ्यता के आरम्भ और विकास की अवस्थाओं में यह लेखनक्रिया ईंटों पर, पत्थरों पर, शिलालेखों के रूप में या टकण द्वारा की जाती रही। मोम-पाटी पर या चमड़े पर भी लिखा गया। ताड़पत्र पर नुकीली लेखनी से गोदन द्वारा यह कार्य किया गया और कपड़ों पर छापो द्वारा, भोजपत्र पर लेखनी के द्वारा, ताम्रपत्र तथा अन्य धातु पत्रों पर टकण द्वारा या ढालकर या छापो द्वारा अपने विचारों को अंकित किया गया है। अतः इस विज्ञान को उन सभी प्रकार के लेखों का अपनी सामग्री के रूप में उपयोग करना होगा। उन सभी को हम लेख तो आसानी से कह सकते हैं क्योंकि विविध रूपों में लिपिबद्ध होने पर भी लिखने का भाव इनके साथ बना हुआ है। मुहावरों में भी टकण द्वारा लेखन, गोदन द्वारा लेखन, आदि प्रयोग आते हैं। इतिहासकारों ने भी अपने अनुसंधानों में इनको अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र लेख आदि का नाम दिया है। इन्हें जो लेख भी मिले हैं उन्हें, बामुदेव उपाध्याय ने धार्मिक लेख, 'प्रणसामय-अभिलेख, स्मारक-लेख, आज्ञापत्र एवं दान-पत्र के रूपों में प्रस्तुत किया गया बताया है। मुद्राओं पर भी अभिलेख अंकित माने जाते हैं। उन अभिलेखों में आगे पुस्तक-लेखन आता है तो इसका एक अलग वर्ग बन जाता है। वस्तुतः यही वर्ग संकुचित अर्थ में इस पाण्डुलिपि-विज्ञान का यथार्थ क्षेत्र है। अंग्रेजी में इन्हें 'मैन्युस्क्रिप्ट्स' कहते हैं। 'मैन्युस्क्रिप्ट' शब्द को हस्तलेख नाम भी दिया जाता है और पाण्डुलिपि भी। रूढ़ अर्थ में पाण्डुलिपि का उपयोग हाथ की लिखी पुस्तक के उस रूप को दिया जाने लगा है जो प्रेम में मुद्रित होने के लिए देने की दृष्टि में अंतिम रूप में तैयार हो। फिर भी, इसका निश्चित अर्थ वही है जो हस्तलेख का हो सकता है। हस्तलेख का अर्थ पाण्डुलिपि से अधिक विस्तृत माना जा सकता है क्योंकि उसमें शिलालेख तथा ताम्रपत्र आदि का भी समावेश माना जाता है किन्तु पाण्डुलिपि का सबंध ग्रन्थ में ही होता है। आज मैन्युस्क्रिप्ट के पर्याय के रूप में 'हस्तलेख' और 'पाण्डुलिपि'

1. प० उदयशंकर शास्त्री ने पाण्डुलिपि के सम्बन्ध में यह लिखा है कि आजकल हस्तलिखित ग्रन्थों को पाण्डुलिपियाँ कहा जाने लगा है। किन्तु प्राचीन काल में पाण्डुलिपि उस हस्तलेख को कहा जाता था जिसके प्राक्क (ममबिदा) को पहले लकड़ी के पट्टे या जमीन पर खडिया (पाट्ट) (चाक) से लिखा जाता था फिर उसे बुद्ध करके अन्यत्र उतार लिया जाता था और उसी को पक्का कर दिया जाता था। हिन्दी में यह अर्थ विपर्यय अंग्रेजी के कारण हुआ है। अंग्रेजी में किसी भी प्रकार के हस्तलेख को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं।

दोनो ही प्रयुक्त होते हैं। हस्तलेख से हस्तरेखाओं का भ्रम हो सकता है। इस दृष्टि से 'मैन्युस्क्रिप्ट' के लिए पाण्डुलिपि शब्द कुछ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने इसी शब्द को मान्यता दी है।

अंग्रेजी के विश्वकोषों में 'मैन्युस्क्रिप्ट' का क्षेत्र काफी विशद माना गया है।¹ फलतः आज 'मैन्युस्क्रिप्ट' या 'पाण्डुलिपि' का यही विस्तृत अर्थ लिया जाता है। यही अर्थ इस ग्रन्थ में भी ग्रहण किया गया है।

पाण्डुलिपि विज्ञान क्या है ?

मनुष्य अपनी आदिम अवस्था के वन्य-स्वरूप को पार करके इतिहास और संस्कृति का निर्माण करता रहा, ताकतों बर्णों की जीवन-यात्रा सम्पन्न कर चुका है। वह अपनी इस यात्रा में चरण-चिह्न छोड़ता आया है। इन चिह्नों में से कुछ आदिम अवस्था में मुफाओं में निवास के स्मारक, गुहा-चित्र हैं जो 30,00,00 वर्ष ई. पू. में मिलते हैं। इन चिह्नों में उनके अतिरिक्त भवनों के खडहर हैं, विनाश समारंभियां हैं, देवस्थान हैं; अन्य उपकरण जैसे बर्तन, मृदाभांड, मुद्राएं, एवं मृण्मूर्तियां हैं, दैटें हैं, तथा अस्त्र-शस्त्र हैं। इनके साथ ही साथ शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, भित्तिचित्र हैं। इन सबके द्वारा और सब में

1. न्यू यूनीवर्सल ऐनसाइक्लोपीडिया भाग 10 में बताया गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन के [Manu Scriptus] मनु + स्क्रिप्टम से उत्पन्न है। इसका अर्थ होता है हाथ की लिखावट। विशद अर्थ में कोई भी समा लेख जो छपा हुआ नहीं है इसके अन्तर्गत आया। मनुस्क्रिप्ट अर्थ में छापे का प्रयोग होने में पूर्व जो सामग्री पेपीरम, पार्वमेण्ट अथवा कागज पर लिखी गई थी 'मैन्युस्क्रिप्ट' कही गई। ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाता के अनुसार छापेगृहों की स्थाई आरम्भ होने में पूर्व यह समस्त मातृह्य 'मैन्युस्क्रिप्ट' के रूप में ही था। इसके अनुसार वह समस्त सामग्री 'मैन्युस्क्रिप्ट' बनी जायेगी जो लिखी भी रूप में लिखी गई हो, चाहे वह कागज पर लिखी हो अथवा किसी अन्य वस्तु पर, जैसे धातु, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, वृक्ष की छाल, वृक्ष के पत्ते, अथवा चमड़े पर।

In Archaeology a manuscript is any early writing on stone, metal, wood, clay, linen, bark and leaves of trees and prepared skins of animals such as goats, sheep and calves. —The American People's Encyclopedia (p. 175)

विज्ञानों का यह अभिमान है कि खोज में जो सामग्री अब तक मिली है उसके आदान पर यह माना जा सकता है कि पत्थर, लेखन-काष्ठ आदिम मानवों की चित्रकला की भाँति मुफाओं की भित्तियों पर या शिलालेखों की भित्तियों पर हुआ होगा। तब पत्थरों या दासों का उपयोग किया गया होगा। तदनन्तर मिट्टी (Clay) की ईंटों पर। ईंटों के बाद पेपीरम का आविष्कार हुआ तथा पेपीरम के खट्टों [Rolls] पर ग्रन्थ रचना था। इसी के साथ-साथ विभिन्न लिट्टानों और लिट्टा लिट्टों की मूर्तियां ईंट लिट्टा मत्तियों की पाठी या पट्टी काम में ली जाने लगी। पश्चिम में मोम की पाठी का उपयोग मिलता है। आज के विकास में यह मोम पाठी आवरण पत्र का रूप लेने लगी। 'पेपीरम' के रोलम या मशीनें बमचिन्ता या कुण्डलियां बहुत लम्बे होने से ये अस्मविद्यमानक लगे ही टूट-टूटकर निहारा कर बुरा या पत्ते का रूप दिमा गया और मोमपाठी के आवरण पटल इन बुरा के रक्षा बन गये। ये ऊपर और नीचे के दोनो पटल एक ओर तार में लुँके जाने से। बाद में लिखावत के लिए पेपीरम के स्थान पर पार्वमेण्ट [चर्मपत्र] काम में आने लगा तो पार्वमेण्ट या चर्म-पत्र ग्रन्थ के पृष्ठों की भित्ति और मोमपाठी या लकड़ी की पट्टियां आवरण पटल की भाँति उपयोग में आने लगे। इनको कोडेक्स [Codex] कहा जाता है। आधुनिक जिन्द-बन्द ग्रन्थों के पूर्वज ये 'कोडेक्स' ही हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वमेण्ट [चर्मपत्र] का उपयोग लिखावत के लिए प्रथम ई. स. की में होने लगा था। इनका कोडेक्स रूप में प्रचार ईसा की चौथी शताब्दी में विशेष रूप में हुआ। ये सभी पाण्डुलिपि के भेद हैं, जिन्हें विकास-क्रम से यहाँ बताया गया है।

मे उस प्रागैतिहासिक मनुष्य का रूप ऐतिहासिक काल की भूमिका में उभरता है, जो प्रगति पथ की ओर चलता ही जा रहा है। उसके सघर्ष के अवशेष इतिहास के काल-क्रम में दबे मिल जाते हैं। उनसे मनुष्य की सघर्ष कथा का बाह्य साक्ष्य मिलता है। इन बाह्य साक्षियों के प्रमाण से हम उसके अंतरंग तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक ऐसे आदिम उपादानों के साथ सहस्राब्दियों का मानवीय इतिहास जुड़ा हुआ है। इन अवशेषों के माध्यम से इतिहासकार उन प्राचीन महस्राब्दियों का साक्षात्कार कल्पना के सहारे करता है। उन्हीं के आधार पर वह प्राचीन मानव के मन एवं मस्तिष्क, विचारों और आस्थाओं के मूत्र तैयार करता है।

उदाहरणार्थ—अल्टामीरा¹ की गुफाओं में दूर भीतर घोंघरे में कुछ चित्र बने मिले। मनुष्य ने अभी भवन या भोपड़ी बनाना नहीं सीखा, अतः वह प्राकृतिक पहाड़ियों या गुफाओं में शरण लेता था। गुफाओं में भीतर की ओर उमने एक घोंघरा स्थान चुना यानी उसने निभूत स्थान, एकान्त स्थान चुना क्योंकि वह चाहता था कि वहाँ वह जो कुछ करना चाहे, वह सबकी दृष्टि में न घावे। उसका वह स्थान ऐसा है, कि जहाँ उसके अग्न्य साथी भी यो ही नहीं आ सकते। स्पष्ट है कि वह यहाँ पर कोई गुह्य कृत्य करना चाहता था।

चित्र—यहाँ उमने चित्र बनाये। अवश्य ही वह इस समय तक कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करना जान गया था, उसी प्रकाश में वह चित्र बना सका, अग्न्यथा वह चित्र न बना पाता। साथ ही, उस गुह्य स्थान पर जो चित्र उमने बनाये वे चित्र मोदृश्य हैं। इसका उद्देश्य टोना हो सकता है। वह टोने में अवश्य विश्वास करता था। उनी टोने के लिए तथा तद्विषयक अनुष्ठानों के लिए एकान्त अन्धकार पूर्ण गुह्य अथवा उस गुफा में उमने चुना, और वहाँ वे चित्र बनाये।² इन चित्रों के माध्यम से टोने के द्वारा वह अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहता था। प्रागैतिहासिक काल के लोग टोने में विश्वास करते थे। उनके लिए टोना धर्म का ही एक रूप था। ऐसा कुछ हम गुह्य और उनके चित्रों को देखकर कह सकते हैं। किन्तु यथाथं यह है कि यह जो कुछ कहा गया है उससे भी और अधिक कहा जा सकता था—पर यह सब कुछ बाह्य साक्ष्य से मानस के अंतरंग तक पहुँचने के उपक्रम में कल्पना के उपयोग से सम्भव होता। उदाहरणार्थ—सामने चित्र है। पुरातत्वविद् उसे देख रहा है। चित्र, उमकी भूमि, उमका स्थान-स्थान का स्वरूप और स्थिति, वहाँ उपलब्ध कुछ उपादान, गुफाओं का काल—ये सब पुरातत्वविद् की कल्पना दृष्टि के लिए एक

1 Much research in this field has been done in recent years, and we now have a fairly definite knowledge of the Art of some of the most-primitive of men known to the anthropologist (from 30 000 to 10,000 B C) . . . but the famous cave drawings of animals at Altamira in Spain are the most important

-- The Meaning of Art, p. 53.

2 There is evidence to show that paintings have been often repainted, and that the places where they are found were in some way regarded as sacred by the Bushmen,

--The Meaning of Art, p. 54

'By the symbolical representation of an event, primitive man thinks he can secure the actual occurrence of that event. The desire for progeny, for the death of an enemy, for survival after death, or for the exorcism or propitiation of adequate symbol (यही टोना है।)

—Read, Herbert The Meaning of Art, p. 57

भाषा है जिनसे वह आदिम युग के मनुष्य के मानस को पढ़कर निरूपित कर पाता है।

सभ्यता और संस्कृति के विकास में यह आदिम मनुष्य ऐसे भोड़ पर पहुँचता है कि वह एक ओर तो चित्र में लिपि की दिशा में बढ़ता है, दूसरी ओर 'भाषा' का विकास कर लेता है। तब वह अपने विचारों को इस प्रकार लिख सकता है कि पढ़ने वाला जैसे स्वयं लिखने वाले के समक्ष खड़ा होकर लिपि की लकीरों से लेखक के मानस का साक्षात्कार कर रहा हो। अब सामान्यतः अपनी कल्पना से उसे लेखक के मानस का निर्माण नहीं करना, जैसे गुफा-निवासी के मानस का किया गया; वह मानस तो लेख से लेखक ने ही खड़ा कर दिया है। इस लेखन के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक लिपियाँ हो सकती हैं, अनेक भाषाएँ हो सकती हैं। पर सबसे मनुष्य का मानस व्यापार, उसके भाव-विचार, उमने जो देखा-समझा उसका विवरण होता है। वस्तुतः लेख में ही मनुष्य का साक्षात् मानस प्रतिबिम्बित मिलता है। ये सभी, चित्र से लेकर लिपि-लेखन तक, पाण्डुलिपि के अन्तर्गत माने जा सकते हैं।

'लेखन' एक जटिल व्यापार है। इसमें एक तत्त्व तो लेखक है, जिसके अन्तर्गत उसका व्यक्तित्व, उसका मनोविज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए उमका उत्पाद, अभिप्राय और प्रयत्न—शरीर, हृदय और मस्तिष्क— इन सबसे बनी एक टुकड़ी— सभी सम्मिलित हैं; उसके अन्य तत्त्व लेखनी, लिखने के लिए पट या कागज, स्याही आदि है। उनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास है, सबके निर्माण की कला है, और सबको समझने का एक विज्ञान भी है। लिपिक अपना अलग महत्त्व रखता है। लेखक जब ग्रन्थ-रचना करता है, तब वह अपना लिपिक भी होता है क्योंकि वह स्वयं लिखकर ग्रन्थ प्रस्तुत करता है। लेखक को अपने हाथ में लिखे ग्रन्थ का अपने आप में ऐतिहासिक महत्त्व है। ग्रन्थ-रचयिता जिनका ही विद्वान और पंडित हो, जब ग्रन्थ रचना करता है, अपने विचारों और विषयों को लिपिबद्ध करना है तो जितनी ही समस्याओं को जन्म देता है। ये प्रायः वे ही समस्याएँ होती हैं, जो सामान्य लिपिकार पैदा करना जाता है। और ऐसी अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पाण्डुलिपि-विज्ञान की अपेक्षा है।

हमने यह देखा कि पाण्डुलिपि से सम्बन्धित कई पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक पक्ष ग्रन्थ के लेखन और रचना विषयक हो सकता है। यह ग्रन्थ-लेखन की कला का विषय बन सकता है। दूसरा पक्ष, उमकी लिपि से सम्बन्धित हो सकता है, यह 'लिपि विज्ञान' का विषय है। 'लिपिकार' सम्बन्धी पक्ष भी वही महत्त्व का नहीं। तीसरा पक्ष, भाषा-विषयक है जो भाषा-विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र की वस्तु है। चौथा पक्ष, उस ग्रन्थ में की गई चर्चा के सम्बन्ध में हो सकता है, उसमें ज्ञान-विज्ञान की चर्चा हो सकती है, वह काव्य ग्रन्थ भी हो सकता है। ये सभी पक्ष साहित्यालोचन या विविध ज्ञान-विज्ञान और काव्य शास्त्र से सम्बन्धित हैं। यह पक्ष 'शब्द-अर्थ' का ही एक पक्ष है। ये ग्रन्थ चित्रयुक्त भी हो सकते हैं। चित्र का विषय चित्रकला के क्षेत्र में जायेगा। ग्रन्थ जिम पर लिखा गया है उम वस्तु (चमड़ा ईंट छान, पत्ता, कपड़ा, आदि) का एक अलग पक्ष है, फिर उमें किस प्रकार पुस्तकाकार बनाया जाता है यह अलग विज्ञान है। स्याही एव लेखनी का निर्माण एक पृथक् अध्ययन का विषय है। ग्रन्थ इन सभी से मिलकर तैयार होता है और ये सभी पक्ष हमसे बँध जाते हैं। इसके बाद ग्रन्थों की प्रतिलिपि का पक्ष आता है। किसी प्राचीन ग्रन्थ की अनेकानेक प्रतियाँ लम्बे ऐतिहासिक काल में बिलखी हुई और विस्तृत

भू-भाग में फैनी हुई मिलती हैं। प्रतिलिपि की अपनी कला है। इस पक्ष का अपने महत्त्व है। इन प्राचीन प्रतियों को लेकर उनके आधार पर ग्रन्थ का सम्पादन करना तथा एक आदर्श पाठ प्रस्तुत करना एक अलग पक्ष है। इसका एक अलग ही पाठालोचन-विज्ञान अस्तित्व में आ चुका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पाण्डुलिपि में किन्नी ही बातें होती हैं और उनमें से अनेक का एक अलग विज्ञान है पर उनमें से कोई भी अलग-अलग-पाण्डुलिपि नहीं है, न लिपि मात्र पाण्डुलिपि है और न उसमें लिखी भाषा और अक्षर, न चित्र, न स्वाही और न कागज, न शब्दार्थ, न उसमें लिखा हुआ ज्ञान-विज्ञान का विषय,—पाण्डुलिपि इन सबसे मिलकर बनती है, साथ ही इन सबसे भिन्न है। लेकिन इन सबके ज्ञान-विज्ञान से पाण्डुलिपि के विज्ञान को भी हृदयगत करने में सहायता मिल सकती है। उसके ज्ञान के लिए ये विज्ञान सहायक हो सकते हैं। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से जिस पर सबसे पहले दृष्टि जाती है वह तो इन सबके पारस्परिक नियोजन की बात है। इन सबका नियोजनकर्ता एक व्यक्ति आवश्यक होता है। वह स्वयं उस पाण्डुलिपि का कर्ता हो सकता है अथवा विद्वान और पण्डित। किन्तु वह मात्र एक लिपिक भी हो सकता है जो उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करे। मूल पाण्डुलिपि भी पाण्डुलिपि है और उसकी प्रतिलिपि भी पाण्डुलिपि है। इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा पाण्डुलिपि के विभिन्न तत्वों के नियोजन मात्र से ही वह व्यक्ति पाण्डुलिपि को पूर्णता प्रदान करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि उसके जो उपादान हैं उन पर लेखक तथा लिपिकर्ता का बंध नहीं होता। उसे कागज दूसरे में तैयार किया हुआ लेना होता है, वह कागज स्वयं नहीं बनाता। यदि अनेक प्रकार के कागज हो तो वह चयन कर सकता है। उसी प्रकार लेखनी तथा काम पर भी उसका अधिकार नहीं। वह प्राकृतिक उपादानों से लेखनी तैयार करता है और जैसी भी लेखनी उसे मिलनी है उसका वह अपने दृष्टि से निकुण्ड या उन्कुण्ड उपयोग कर सकता है। स्वाही भी वह बनी बनाई लेना है और यदि बनाता भी है तो जिन पदार्थों से स्वाही बनायी जाती है, वे सभी प्रकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं करता। फिर जब वह लिखना प्रारम्भ करता है तो वर्ण, शब्द और भाषा उसे सस्कार, शिक्षा तथा अभ्यास से मिलते हैं। लिपि के अक्षरों के निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं होता किन्तु प्रत्येक अक्षर के निर्धारित रूप को लिखने में वह अपने अभ्यास का और रुचि का भी फल प्रस्तुत करता है। इससे वर्णों के रूप-विन्यास में कुछ अन्तर आ सकता है। किन्तु इन सभी वस्तुओं का नियोजन वह एक विधि से ही करता है और इस विधि की परीक्षा ही पाण्डुलिपि-विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। पाण्डुलिपि का विषय क्या है, यह पाण्डुलिपि-विज्ञान के अध्येता की दृष्टि से विशेष महत्त्व की बात नहीं है। इसका उसे इतना ही परिचित होने की आवश्यकता है जितने से वह पाण्डुलिपि के विषय की कोटि निर्धारित कर सके।

किन्तु यह उसके लिए आवश्यक है कि पाण्डुलिपि के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठें उनका वह प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत कर सके। अतः जिन विषयों पर पाण्डुलिपिवेत्ता से प्रश्न किये जा सकते हैं वे सम्भवतः इस प्रकार के हो सकते हैं :—

- (1) पाण्डुलिपि की खोज और प्रक्रिया। पाण्डुलिपि का क्षेत्रीय अनुसंधान भी इसी के अन्तर्गत आयेगा।
- (2) भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रणाली से पाण्डुलिपियों के प्राप्त होने के स्थानों का निर्देश।


- (3) पाण्डुलिपियों के मिलने के स्थान के ममस्त परिवेश से प्राप्त पाण्डुलिपि का सम्बन्ध निरूपण ।
- (4) पाण्डुलिपियों के विविध पाठों के सकलन के क्षेत्रों का अनुमानित निर्देश ।
- (5) पाण्डुलिपि के काल-निर्णय की विविध पद्धतियाँ ।
- (6) पाण्डुलिपि के कागज, स्याही, लेखनी आदि का पाण्डुलिपि के माध्यम से ज्ञान और प्रत्येक काल-ज्ञान के अनुसंधान की पद्धति ।
- (7) पाण्डुलिपि की लिपि का विज्ञान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।
- (8) पाण्डुलिपि के विषय की दृष्टि में उमकी निरूपण शैली का स्वरूप ।
- (9) पाण्डुलिपि के विविध प्रकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा उन प्रकारों का भौगोलिक सीमा-निर्देश ।
- (10) पाण्डुलिपि की प्रतिनिधियों के प्रसार का मार्ग तथा क्षेत्र ।
- (11) पाण्डुलिपियों के माध्यम से लिपि के विकास का इतिहास ।
- (12) लिपिकारों के निजी व्यक्तित्व का परिणाम ।
- (13) लिपियों में वैशिष्ट्य और उन वैशिष्ट्यों की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक व्याख्या ।
- (14) पाण्डुलिपियों की प्रामाणिकता की परीक्षा ।
- (15) पाठ-लोचन-प्रणाली ।
- (16) पाठ-पुनर्निर्माण-प्रणाली ।
- (17) शब्द रूप और अर्थ तथा पाठ ।
- (18) पाण्डुलिपियों की सुरक्षा की वैज्ञानिक पद्धतियाँ ।
- (19) पाण्डुलिपियों के संग्रहालय और उनके निर्माण का प्रकार ।
- (20) पाण्डुलिपियों के उपयोग का विज्ञान ।
- (21) पाण्डुलिपि और उसके प्रलक्षण ।
- (22) पाण्डुलिपि में चित्र ।
- (23) पाण्डुलिपि की भाषा का निर्णय ।
- (24) पाण्डुलिपि-लेखक, प्रतिनिधिकार, चित्रकार और सज्जाकार ।
- (25) पाण्डुलिपि, प्रतिनिधि लेखन के स्थान, तथा प्राप्त मुविधाएँ, प्रतिनिधिकार की योग्यताएँ ।
- (26) ग्रन्थ-लेखन तथा प्रतिनिधि-लेखन के शुभ-अशुभ मुहूर्त ।
- (27) पाण्डुलिपि के लिप्यकन में हरताल प्रयोग, काव्य प्रयोग, मशोधन-परिवर्द्धन की पद्धतियाँ ।

पाण्डुलिपि विज्ञान इसलिए भी विज्ञान है कि वह पाण्डुलिपि का अध्ययन किसी एक विशिष्ट पाण्डुलिपि को दृष्टि में रखकर नहीं करता बल्कि पाण्डुलिपि के सामान्य रूप को ही लेता है। पाण्डुलिपि शब्द से कोई विशेष पुस्तक सामने नहीं आती। प्रत्येक प्रकार की पाण्डुलिपियों में कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं कि उनसे युक्त सभी ग्रन्थ पाण्डुलिपि कहे जाते हैं। पाण्डुलिपि शब्द के अन्तर्गत समग्र पाण्डुलिपियाँ सामान्यरूप में अभिहित होती हैं जो लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, या लिखी जाएंगी। यह विज्ञान उन सभी को दृष्टि में रखकर विचार करता है। इसी दृष्टि से पाण्डुलिपि-गत सामान्य विषयों का पाण्डुलिपि-विज्ञान विश्लेषण करता है और विश्लेषित प्रत्येक अंग पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य-कारण परम्परा

में बौध्दिक संज्ञान्तिक विचार करता है। इनके आधार पर वह ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जिनसे तत्सम्बन्धी विविध प्रश्नों और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पाण्डुलिपि-विज्ञान पाण्डुलिपि से सम्बन्धित तीनों पक्षों से सम्बन्धित होता है, ये पक्ष हैं - लेखन पक्ष, पाण्डुलिपि का प्रस्तुतीकरण पक्ष, जिसमें सभी प्रकार की पाण्डुलिपियाँ परिगणनीय हैं और तीसरा सम्प्रेषण पक्ष, जिसमें पाठक वर्ग सम्मिलित होता है, पाण्डुलिपि लेखक और पाठक इन दोनों पक्षों के लिए सेतु या माध्यम है। अतएव पाण्डुलिपि के अपने पक्ष के साथ पाण्डुलिपि-विज्ञान इन दोनों पक्षों का पाण्डुलिपि के माध्यम से उस अंश का जिस अंश के कारण पाण्डुलिपि हस्तलेख में अती है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। यह विज्ञान पाण्डुलिपि के समग्र रूप के निर्माण में इन दोनों पक्षों के योगदान का भी मूल्यांकन करता है।

ग्रन्थ रचना की प्रक्रिया में मूल अभिप्राय है लेखक का यह प्रयत्न कि वह पाठक तक पहुँच सके और आज के पाठक तक ही नहीं दीर्घकालीन भविष्य के पाठकों तक पहुँच सके। 'लेखन' क्रिया का जन्म ही अपनी अभिव्यक्ति को भावी युग तक सुरक्षित रखने के लिए हुआ है।

फलतः लेखन के परिणामस्वरूप प्राप्त ग्रन्थ या पाण्डुलिपि लेखक के विचारों को सुरक्षित रख कर उसे पाठक तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार पाण्डुलिपि एक सेतु या उपादान है जो काल की सीमाओं को लौघ कर भी लेखक को पाठक से जोड़ता है। पाठक भी इन्हीं के माध्यम से लेखक के पास पहुँच सकता है। इसे यो समझा जा सकता है :



लेखक का कक्ष भाषा में रूपान्तरित होकर लिपिबद्ध होकर लेखनी से लिप्यासन पर अंकित होकर पाण्डुलिपि का रूप ग्रहण कर पाठक के पास पहुँचता है। अब पाठक ग्रन्थ के लिप्यासन या लिपिबद्ध भाषा के माध्यम से लेखक के कक्ष तक पहुँचता है। लेखक और पाठक में काल गत और देशगत अन्तर है, और यह अन्तर ग्रन्थ के द्वारा शून्य हो जाता है, तभी तो आज हजारों वर्ष पूर्व के काल को लौघ कर देश काल के अन्तराल को मिटाकर हम लेखक से मिल सकते हैं। फिर भी, लेखक से पाठक तक या पाठक से लेखक तक की इस यात्रा में समस्याएँ खड़ी होती हैं। उनके समाधान का महत्त्वपूर्ण साधन पाण्डुलिपि है। इसी महत्त्वपूर्ण साधन तक पहुँचने की दृष्टि से पाण्डुलिपि-विज्ञान की उपादेयता सिद्ध होती है।

पाण्डुलिपि विषयक विज्ञान की आवश्यकता

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है और उठाया भी जा सकता है कि पाण्डुलिपियों का अस्तित्व इतना पुराना है जितना कि लिपि या लेखन का आविष्कार, किन्तु आज तक पाण्डुलिपि-विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव क्यों नहीं किया गया ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें सदेह नहीं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आविष्कार की जननी आवश्यकता है उसी प्रकार विज्ञान की जननी भी किसी प्रकार की आवश्यकता ही है। इस विज्ञान की आवश्यकता तब ही अनुभव की गई जबकि वैज्ञानिक दृष्टि की प्रमुखता हो गई। जिस युग में वैज्ञानिक दृष्टि प्रमुख होने लगती है उस युग में प्रत्येक बात को वैज्ञानिक पद्धति से समझने का प्रयत्न किया जाता है। उसी प्रयत्न के फल-स्वरूप नये-नये विज्ञानों का जन्म होता है। यह वैज्ञानिक-दृष्टि उस विषय पर पहले पड़ती है जो कि विविध परिस्थितियों के फलस्वरूप अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे भाषा को लोग महत्साक्षियों के उपयोग में लाते रहे और उसे एक अविश्वत प्रणाली में समझने के मधुन प्रयत्न भी प्रारम्भ से होने रहे किन्तु विज्ञान का रूप उसने उस समय ग्रहण किया जबकि एक और तो औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप नये निर्माणों और नये अनुसंधानों की प्रवृत्ति ने विज्ञान को प्रमुख प्राकरण बना दिया। दूसरे, उपनिवेशवाद और वणिज्य-विस्तार के कारण देश-विदेशों की विविध प्रकार की भाषाएँ सामने आयी, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक हो गया, और इसको तब और भी प्रोत्साहन मिला जबकि संस्कृत भाषा और साहित्य पाश्चात्य विद्वानों के सम्मुख आया। उन सबने मिलकर तुलनात्मक रूप से भाषाओं के समझने के साथ-साथ भाषाओं के वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता प्रस्तुत कर दी। तब से भाषा का विज्ञान निरन्तर प्रगति करता हुआ आज भाषिकी या लिङ्ग्विस्टिक्स (Linguistics) के नये रूप में एक प्रकार में पूर्ण विज्ञान बन चुका है। इसी प्रकार पाठालोचन की जब आवश्यकता प्रतीत हुई और विविध ग्रन्थों का पाठालोचन प्रस्तुत करना पड़ा तो उसके भी विज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः आज पाठालोचन का भी एक विज्ञान बन गया है। यह पहले साहित्य के क्षेत्र में कविता के शुद्ध रूप तक पहुँचने के साधन के रूप में आया फिर यह भाषा विज्ञान की एक प्रणाली के रूप में पल्लवित हुआ। अब यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है। यही स्थिति पाण्डुलिपि-विज्ञान की है। आज भारत में अनेक प्राचीन हस्तलेख एवं पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो रही हैं। शतश हस्तलेख भण्डार, निजी भी और सस्थानों के भी, इधर कुछ वर्षों में उद्घाटित हुए हैं। अतः पाण्डुलिपियों भी यह अपेक्षा करने लगी है कि उनकी समस्याओं को भी समग्र अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया जाय। इस आवश्यकता को अनुभव करने हुए अभी कुछ वर्ष पूर्व भारतवर्ष में संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन ने पाण्डुलिपि-विज्ञान की आवश्यकता अनुभव की और एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्वविद्यालयों में पाण्डुलिपि-विज्ञान भी अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। अतः आज पाण्डुलिपि विज्ञान की उपादेयता सिद्ध हो चुकी है। इसका महत्त्व भी कम नहीं है क्योंकि शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा हो कि जिसमें पाण्डुलिपियों का संग्रह न हो। नई परिभाषा से सरकारी कार्यालयों और सस्थाओं एवं सस्थानों के कागज पत्र भी पाण्डुलिपि हैं। इनके भण्डार दिन-दिन महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि देश भर में पुराने और नये शतश हस्तलेख और पाण्डुलिपियों के भण्डार फले हुए हैं और बहुत से नये-नये

पाण्डुलिपि भण्डार प्रकाश में आते जा रहे हैं। इस कारण भी पाण्डुलिपि-विज्ञान आज महत्त्वपूर्ण हो उठा है।

एक बान और है, कुछ ऐसे विज्ञान पहले से विद्यमान हैं जिनका सीधा सम्बन्ध हमारे पाण्डुलिपि-विज्ञान से है—यथा—पेलियोग्राफी एक विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जो पेपीरस, पार्चमेंट, मोमीपाटी (Postherds), लकड़ी या कागज पर के पुरातन लेखन को पढ़ने का प्रयत्न करता है, त्रियों का उद्घाटन करता है और उमका विप्लेवण करता है।¹ इनके प्रमुख ध्येय दो माने गये हैं पहला ध्येय है पुरातन हस्तलेखों को पढ़ना। यह बताना आवश्यक नहीं कि पुरातन हस्तलेखों का पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। बरतुल प्राचीन मध्ययुग एव आधुनिक युग की हाथ की लिखावट कां ठीक-ठीक पढ़ने के लिए लिपि-विज्ञान (पेलियोग्राफी) का प्रशिक्षण आवश्यक है। इस विज्ञान के अध्ययन का दूसरा ध्येय है इन हस्तलिपियों का काल-निर्धारण एव स्थान-निर्धारण। इसके लिए अन्त साध्य और बहिःसाध्य का सहाय लेना होता है, लिखावट एवं उसकी शैली आदि की भी सहायता लेनी होती है। ग्रन्थ का रूप कैसा है? वह धल्यिता है, पट्टप्रथित पुस्तक (कोडेक्स) है, या पत्रारूप है? उमका कागज या लिप्यासन, उमकी स्पाही, लेखनी का प्रकार, उसकी जिल्दबन्दी तथा माज-सज्जा, सभी की परीक्षा करनी होती है, और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने होने है। सचित्र पाण्डुलिपियों के काल एव स्थल के निर्धारण में चित्र बहूत सहायक हाते हैं क्योंकि उनमें स्थान और काल के भेद के आधार बहुत स्पष्ट रहते हैं।

एक विज्ञान है एगीग्राफी। यह विज्ञान प्रस्नर-गिलाग्रो या धातुग्रो पर अंकित लेखों या अभिलेखों को पढ़ता है, उनका काल निर्धारित करता है, और उनका विश्लेषण करता है।

दूसी प्रकार अन्य विज्ञान भी है। ये सभी पाण्डुलिपि के निर्मायक विविध तत्त्वों से सम्बन्धिता है। पर इन सबमें मिलकर जो वस्तु बनती है और जिसे हम 'पाण्डुलिपि' कहते हैं, उस समय टुकार्ड का भी विज्ञान आज अपेक्षित है। अन्य विविध विज्ञान इस विज्ञान के तत्त्व निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। पर, समस्त अवयवों से मिलकर जब एक रूप खड़ा होता है, तब उसका स्वयमेव एक अलग वैज्ञानिक अस्तित्व होता है। उमको एक अलग विज्ञान के रूप में हमें जानना है। अब पाण्डुलिपि-विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्येता को पाण्डुलिपि को पाण्डुलिपि के रूप में समझने एवं तद्विषयक समस्याओं के वैज्ञानिक निराकरण में सहायक सिद्ध होता है।

पाण्डुलिपि-विज्ञान एव अन्य सहायक विज्ञान

पाण्डुलिपि विज्ञान से सम्बन्धित कई विज्ञान हैं। ये इस प्रकार हैं 1. डिप्लोमैटिक्स 2. पेलियोग्राफी, 3 भाषाविज्ञान, 4 ज्योतिष, 5 पुरातत्त्व, 6. साहित्य शास्त्र, 7. पुस्तकालय विज्ञान, 8 इतिहास, 9. खोज, शोध प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) और 10. पाठालोचन-विज्ञान (Textual Criticism).

1. Palaeography, Science of Reading, dating and analyzing ancient writing on papyrus, parchment, waxed tablets, postherds, wood or paper.

—The Encyclopaedia Americana, Vol. 2, p. 163.

सबसे पहले शोध-प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) को ले सकते हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने के लिए डम खोज-विज्ञान का बहुत महत्त्व है। बिना खोज के हस्तलेख प्राप्त नहीं हो सकते। यह खोज-विज्ञान हमें हस्तलेख खोज करने के सिद्धान्तों से ही अवगत नहीं करता, वह हमें क्षेत्र में काम करने के व्यावहारिक पक्ष को भी बताता है। पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसी से ग्रन्थ सङ्कलन हो सकता है। यही सङ्कलन हमारे लिए आधार-भूमि है। यों तो भारत में और विदेशों में भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं।¹ प्राचीन काल में संपूर्ण साहित्य हस्तलेखों के रूप में ही होता था, अतः प्राचीन पुस्तकालयों में अधिकांश हस्तलेख और पाण्डुलिपियाँ ही हैं। उन्हीं की परम्परा में कितने ही धर्म-मन्दिरों में आज तक हस्तलेखों के भण्डार रखने की प्रथा चली आ रही है।² इसी प्रकार राजा-महाराजा भी अपने पोथीखानों में विशाल हस्तलेखों के भण्डार रखते थे।³ किन्तु इन पुस्तकालयों के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। उस सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या अन्य प्रकार से उसे प्रकाश में लाना भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। पाण्डुलिपि-विज्ञानविद् का इस क्षेत्र में योगदान अत्यन्त आवश्यक है।

सामग्री प्राप्त करने की दिशा में दो प्रकार से कार्य हो सकता है।— 1. व्यक्तिगत प्रयत्न एवं 2. संस्थागत प्रयत्न।

(1) व्यक्तिगत प्रयत्नों में कर्नल टॉड, टैम्सटेरी, डॉ० रघुवीर एवं राहुल साकृत्यायन प्रभृति कितने ही विद्वानों के नाम आते हैं। टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही सामग्री एकत्र की थी शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, ग्रन्थ आदि का निजी विशाल भण्डार उन्होंने बना लिया था। वे साधन-सम्पन्न थे, और साम्राज्य-तन्त्र के अधिकार सम्पन्न भ्रम थे। इटैलियन विद्वान टैम्सटेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। राहुल जी एवं डॉ० रघुवीर के प्रयत्न बड़े प्रेरणाप्रद हैं। ये विद्वान् कितनी ही अभूतपूर्व सामग्री किन-किन कठिनाइयों में, अकिञ्चन होते हुए भी तिब्बत, मच्चूरिया आदि से लाये जो अविस्मरणीय हैं।

(2) संस्थागत प्रयत्नों में हिन्दी क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, अग्रगण्य है। सन् 1900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज सभा ने आरम्भ कराई। 1900 से खोज-विवरण प्रकाशित कराये। यह परम्परा आज तक चल रही है। इन खोज विवरणों से विदित होता है कि गाँवों और शहरों में यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी है। बहुत सी सामग्री नष्ट हो गयी है। इन खोज विवरणों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उससे हिन्दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में ठोस सहायता मिली है तथा शतशः साहित्यिक अनुसंधानों में भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए हैं। अतः ग्रन्थ संग्रह तो महत्त्वपूर्ण है ही,

1. मिस्र में अलबजेण्डिया का, यूनान में एप्स का, एशिया-माइनर में पोम्पेयाई का, भारत में नासदा की, लखनौ का पुस्तकालय। कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्तलेखों से भरे पड़े थे।
2. भारत में जैनो के मन्दिरों, बौद्ध सभारामों आदि में आज तक भी हस्तलेखों के विशाल संग्रह हैं। जैसलमेर के संग्रहालय का कुछ विवरण टॉड ने दिया है।
3. राजस्थान के प्रत्येक राज्य में ऐसे ही पोथीखाने थे।

उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

इस समस्त कार्य को आज वैज्ञानिक प्रणाली से करने के लिए 'क्षेत्रीय प्रक्रिया' की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। वस्तुन. पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए यह विज्ञान पहली आधार शिला है।

पेलियोग्राफी लिपि-विज्ञान होता है। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से लिपि-विज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। इसका सैद्धान्तिक पक्ष तो लिपि के जन्म की बात भी करेगा। उसका विकास भी बतायेगा। व्यावहारिक पक्ष में यह विज्ञान उन कठिनाइयों पर विजय के उपायों की ओर भी संकेत करता है, जो किसी अज्ञात लिपि को पढ़ने में सामने आती हैं। 'मिख की चित्रलिपि पढ़ने का इतिहास कितना रोचक है, उमसे कम रोचक इतिहास भारत की प्राचीन लिपियों के उद्घाटन और पठन का नहीं है।¹ इसी विज्ञान के माध्यम से हम विश्व की समस्त लिपियों के स्वरूप से भी परिचित होते हैं।² इसी विज्ञान की सहायता से पाण्डुलिपि-विज्ञान विविध प्रकार की पाण्डुलिपियों की लिपियों की प्रकृति से परिचित होकर, उन्हें अपने उपयोग के योग्य बनाने की क्षमता पा सकता है। पाण्डुलिपियों में लिपि का महत्त्व बहुत है। लिपि के पढ़ने-समझने के सिद्धान्तों, स्थितियों और समस्याओं को हृदयगम करना पाण्डुलिपि-विज्ञान का एक आवश्यक पक्ष है।

लिपि-विज्ञान के व्यावहारिक दृष्टि में दो भेद किये जाते हैं इनको एपिग्राफी में एपिग्राफी (Epigraphy) अर्थात् अभिलेख लिपि विज्ञान तथा पेलियोग्राफी (Palaeography) अर्थात् लिपि विज्ञान कहते हैं।

डेविड डीरजर का कहना है कि अभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी अभिलेख विज्ञान, लातीनी अभिलेख विज्ञान, हिब्रू अभिलेख विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। यह विज्ञान मुख्यतः उन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन में प्रवृत्त रहता है जो शिलाओं, धातुओं और मिट्टी जैसी सामग्री पर काट कर, खोद कर, या ढालकर प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्ययन में अज्ञात लिपियों का उद्घाटन (decipherment) तथा उनकी व्याख्या सम्मिलित रहती है।

पेलियोग्राफी (Palaeography) भी एपिग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागों में बाँट दी गई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः उम लेखन का अध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर यथा कागज, चर्मपत्र, पेपरम, लिनन (linen) और मोमपट्ट पर या तो चित्रित किया गया है या उतारा (Traced) या चिह्नित किया गया है। यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), कूँची, सेटा या कलम से की जा सकती है। इस विज्ञान का भी अनिवार्य अंतरंग विषय लिपि उद्घाटन (decipherment) एवं व्याख्या भी है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विज्ञानों में मूल भेद 'निष्पासन' के कठोर या कोमल होने के कारण है। कुछ विद्वान 'डिप्लोमैटिक्स को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इसमें शासकीय पदों-परवानों की लिपि को पढ़ने का प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विषय भी हमारे विज्ञान का अंतरंग विषय ही है।

'भाषा-विज्ञान' भाषा का विज्ञान है। पाण्डुलिपि में लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण होती है। भाषा-विज्ञान लिपि के उद्घाटन में सहायक होता है। यह हम आगे देखेंगे कि

1. देखिये अध्याय — 'लिपि समस्या'।
2. डीरजर, डेविड — राहटिंग पृष्ठ 20.

किस प्रकार एक अभिलेख को एक ग्रन्थ भाषा में लिखा परिकल्पित कर लेने के कारण ठीक नहीं पढ़ा जा सका। भाषा लिपि-ज्ञान में बहुत सहायक होती है। फिर पाण्डुलिपि विज्ञान में पाण्डुलिपि के कई घ्रायाम भाषा पर ही निर्भर करते हैं। पाण्डुलिपि की वस्तु का परिचय भाषा के बिना असम्भव है। भाषा विज्ञान में ही वह तकनीक भी निकाली जा सकती है, जिससे बिल्कुल ही अज्ञात लिपि और उसकी अज्ञात भाषा का कुछ अनुमान लगाया जा सके। ऐसी लिपि जिसकी लेखन-प्रणाली और भाषा का पता नहीं, उद्घाटित नहीं की जा सकती है। एक प्रकार से यह कार्य असम्भव ही माना गया है। विश्व के इतिहास में अभी तक ऐसे उद्घाटन का केवल एक ही उदाहरण मिलता है। माइकेल वेट्रिम ने क्रीट की लाइनियर बी (Linear B) का उद्घाटन किया। यह क्रीट की एक भाषा थी। किन्तु इसके उद्घाटन में पूर्व न तो इसकी लेखन-प्रणाली का ज्ञान था, न यह जान था कि यह कौनसी भाषा है। वस्तुतः यह सफलता वेट्रिम महादय को मुख्यतः भाषा-वैज्ञानिक-विश्लेषण की एक सगत तकनीक के उपयोग में ही मिली। अतः भाषा-विज्ञान ऐसे कठिन मामलों में सहायक हो सकता है।

किसी भी हस्तलेख के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से ही यह जान हो सकता है कि वह किस भाषा में लिखा गया है। इसी से उस ग्रन्थ की भाषा के व्याकरण, शब्द-रूपों एवं वाक्य-विन्यास तथा शैली का ज्ञान भी होता है। किस काल की और कहाँ की भाषा है, यह जानने में भी यह विज्ञान सहायक होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान में हम पाण्डुलिपि के क्षेत्र का परिचय पा सकते हैं। दूसरी ओर पाण्डुलिपि की भाषा स्वयं भाषा-विज्ञान की किसी समस्या पर प्रकाश डालने वाली सिद्ध हो सकती है। किसी विशेष-काल-गत भाषा की प्रवृत्तियों का ज्ञान पाण्डुलिपियों में हो सकता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान और पाण्डुलिपियाँ एक दूसरे के लिए सहायक हैं।

पुरातत्त्व (Archaeology) के विशद अनुसंधान क्षेत्र में शिलालेख, मुद्रा-लेख, ताम्रपत्र आदि अनेक प्रकार की ऐसी सामग्री प्राप्ती है जिसका उपयोग हस्तलेख-विज्ञान भी करता है। वस्तुतः पुरातत्त्व के क्षेत्र में जब ऐसे प्राचीन लेखों का अध्ययन होता है, तब यह हस्तलेख विज्ञान के क्षेत्र में भी सम्मिलित होता है। अतः उसके लिए इस विज्ञान की शरण अनिवार्य ही है, और हमारे विज्ञान के लिए भी पुरातत्त्व सहायक है, क्योंकि बहुत से प्राचीन महत्वपूर्ण हस्तलेख पुरातत्त्व ने ही प्रदान किये हैं। मिस्र के पेयोरस, मुमेरियन सभ्यता के ईट-लेख, भारत के तथा अन्य देशों के शिलालेख तथा अन्य लेख आदि पुरातत्त्व ने ही उद्घाटित किये हैं। और उनका उपयोग पाण्डुलिपि-विज्ञान-विशारदों ने किया है। यह भी तथ्य है कि पाण्डुलिपि-विज्ञान को पाण्डुलिपि के विषय में पुरातन-कालीन जिस परिवेश और पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह पुरातत्त्व से प्राप्त हो सकता है।

इतिहास का क्षेत्र भी बहुत विशद है। इसकी आवश्यकता प्रायः प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान को पड़ती है। इसी दृष्टि से हमारे विज्ञान के लिए भी इतिहास की शरण आवश्यक होती है। इस विज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। हस्तलेखों की पृष्ठभूमि का ज्ञान भी इतिहास से ही मिलता है।

पाण्डुलिपियों में लेखकों के नाम और वंश रहते हैं, आश्रय-दाताओं के नाम रहते हैं, देश एवं काल से सम्बन्धित कितनी ही बातों का भी उल्लेख रहता है, आश्रय-दाताओं की भी वंश परम्परा दी जाती है। ऐसी प्रभूत सामग्री पाण्डुलिपियों की पुष्पिकाओं में भी दी

जाती हैं। लिपि का स्वरूप भी देश-काल से जुड़ा रहता है, इसी प्रकार कागज या लिप्यासन के प्रकार का सम्बन्ध भी देशकाल से होता है। किसी ग्रन्थ की विषय-वस्तु में विद्यमान तथ्यों की ओर न भी जाए तो भी उक्त बातों के लिए भी इतिहास का ज्ञान या इतिहास-ज्ञान की प्रक्रिया जाने बिना काम नहीं चल सकता।

इसी प्रकार इतिहास को बहुत सी सामग्री प्राचीन ग्रन्थों से, हस्तलेखों से मिलती है। उसके लिए भी पाण्डुलिपि-विज्ञान की सहायता अपेक्षित है।

ज्योतिष—ज्योतिष का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसमें एक शाखा काल-निदान की भी है। इसके अन्तर्गत दिन, तिथि, सवत्सर (संवत्-सन्) मुहूर्त, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, करण आदि का निदान और निर्णय आता है। यह ज्ञान इतिहास के लिए भी उपयोगी है, और हस्तलेख-विज्ञान के लिए भी। प्रत्येक हस्तलेख या पाण्डुलिपि का काल-निर्धारण ज्योतिष के 'पचाग' आदि की सहायता से किया जाता है। काल-निर्धारण की कितनी ही जटिल समस्याएँ ज्योतिष की सहायता के बिना हल नहीं हो सकती। अतः हमारे इस विज्ञान को काल-निर्णय में 'ज्योतिष' की सहायता लेनी ही पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पुराने 'पचाग' या 'जत्रियाँ' मिलती हैं, उनकी सहायता से, तथा ऐसे ही कर्लण्डरों से काल-निर्णय किया जा सकता है। यह भी ठीक है, पर आखिर ये पचाग-कर्लण्डर आदि हैं तो ज्योतिष के ही अंग। अतः 'ज्योतिष' अत्यन्त उपयोगी और सहायक विद्या है, जिस पर हमारे विज्ञान के निष्कर्ष आधारित होते हैं।

साहित्य शास्त्र—सहित्य-शास्त्र के चार बड़े अंग माने जा सकते हैं : प्रथम—शब्दार्थ-भाषा विज्ञान के अतिरिक्त शब्द में अर्थ तक पहुँचने के लिए शब्द-शक्तियों का विशेष महत्त्व साहित्य-शास्त्र में है। इसी का एक पहलू साहित्य शास्त्र में 'ध्वनि' है। दूसरा अंग है—'रस'। जिसके लिए मात्रिय शास्त्रियों ने काव्य में 'नवरस' की प्रतिष्ठा की है। तीसरा अंग है—'छन्द'। एक और अंग है—'अलंकार'। हमारे विज्ञान के लिए 'शब्दार्थ' वाले विभाग की अपेक्षा तो पद-पद पर रहती है। 'रस' का ज्ञान साहित्यिक पाण्डुलिपि के लिए तो सर्वोपरि है। अन्य ज्ञान-विज्ञानों के ग्रन्थों के लिए इसकी उतनी आवश्यकता नहीं। हालांकि, प्राचीन काल में विविध ज्ञान-विज्ञान को रूपक प्रणाली से भी प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है।¹ प्रतीक प्रणाली का उपयोग भी ज्ञान-विज्ञान के लिए किया गया है। इन दोनों परिपाटियों में काव्यगत रस के शास्त्र का उपयोग महायुक्त होता है। अब 'छन्द' को ले। प्राचीन काल में गद्य को 'ग्रन्थ लेखन' की भाषा ही नहीं माना जाता था। पद्य ही सर्व प्रचलित तथा लोकप्रिय माध्यम रहा है क्योंकि पद्य का रचना-विधान छन्द-निर्भर होता है तथा उसे स्मरण रखना गद्य की अपेक्षा मुगम होता है। इस दृष्टि से छन्द-ज्ञान प्राचीन हस्तलेखों के लिए सामान्यतः आवश्यक माना जा सकता है। यदि ग्रन्थ गद्य में लिखा गया है तो 'छन्द' उतना उपयोगी नहीं होता। 'अलंकार' भी साहित्यशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है, और हस्तलेखों तथा पाण्डुलिपियों में इनका जहाँ-तहाँ उपयोग मिल सकता है। ऐसे स्थलों को समझने की दृष्टि से अलंकार-ज्ञान का महत्त्व हो सकता है। लेकिन प्रत्येक की सीमा रेखा है— पाण्डुलिपि विज्ञान को इनकी वही तक आवश्यकता है, जहाँ तक ये पाण्डुलिपि की विषय-वस्तु को समझने में सहायक हैं।

पुस्तकालय विज्ञान : पुस्तकालय विज्ञान का भी उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। हस्तलेखों या पाण्डुलिपियों का भण्डार जहाँ भी होगा वहाँ छोटा-मोटा पुस्तकालय स्वतः ही बन जायगा। प्राचीन काल में समस्त पुस्तकालय हस्तलेखों और पाण्डुलिपियों के ही होते थे। अलेक्जेंड्रिया, नालदा तथा अन्य ऐसे ही प्राचीन पुस्तकालयों में सभी पुस्तकें हस्तलेखों के रूप में ही थीं। मुद्रण-यन्त्र के प्रचलन के बाद भी मुद्रित पुस्तकों के साथ हस्तलेख रहे हैं। आधुनिक काल में मुद्रित पुस्तकों के पुस्तकालय प्रधान हैं—हस्तलेखों के पुस्तकालय बहुत कम रह गये हैं। अब पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 'आधुनिक हस्तलेखागारों' (Modern Manuscript Library) का एक नया आन्दोलन चला है। इन पुस्तकालयों में राज्यों, सरकारों एवं बड़े-बड़े उद्योगों के महत्त्वपूर्ण लेख, महान् व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तलेख, पत्र, मसविदे, प्रतिवेदन, विवरण, डायरी, नतिथियाँ आदि-आदि सुरक्षित रखे जाते हैं, साथ ही इन्हें अनुसंधान-कर्त्ताओं को पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। रूथ बी. बोर्डिन एवं राबर्ट एम. वार्मर ने अपनी पुस्तक 'द माडर्न मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी' में बताया है कि —

“मैनुस्क्रिप्ट या पाण्डुलिपि पुस्तकालय का अस्तित्व ही अनुसंधान और विद्यार्थियों की सेवा करने के लिये होता है।”¹

अतः पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से इस सेवा को प्रस्तुत करने के लिए भी पुस्तकालय-विज्ञान का सहारा अपेक्षित होता है। हस्तलेखों और पाण्डुलिपियों को किम प्रकार व्यवस्थित किया जाय, कैसे उनकी पंजीकाएँ रखी जायें, कैसे उनकी सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाय, कैसे उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाय, आदि बाने वैज्ञानिक विधि से पुस्तकालय-विज्ञान ही बताता है। संग्रहालयों (Museum) और अभिलेखागारों के लिए इस विज्ञान का महत्त्व स्वयं-सिद्ध है।

डिप्लोमेटिक्स

डिप्लोमेटिक्स वस्तुतः 'पट्टा-परवाना विज्ञान' है। डिप्लोमेटिक्स यूनानी शब्द 'डिप्लोमा' से व्युत्पन्न है। इसका यूनानी में अर्थ था 'भुंडा हुआ कागज'। रोमा कागज प्रायः राजकीय पत्रों, चार्टरों आदि में काम आता था। फलतः इसका अर्थ विशेषतया रोम पत्रों से जुड़ गया जो पट्टे, परवाने, लाइसेंस या डिगरी के कागज थे।

आगे चल कर डिप्लोमेटिक्स ने विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया। आज इस विज्ञान का काम है प्राचीन शासकीय पट्टों-परवानों (documents), प्रमाण-पत्रों (diplomas), चारटरों एवं बुलों के लेख को उद्घाटित (decipherment) करना। ये परवाने शाहशाह, पोप, राजा तथा अन्य शासकों की चामरियों में जारी किये गये हैं। इस प्रकार यह विज्ञान पेलियोग्राफी की ही एक शाखा है।

स्पष्ट है कि 'डिप्लोमेटिक्स' विज्ञान इतिहास के उन स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध अभिलेखों (records या archive documents) से होता है। इन अभिलेखों में चारटर, मैनडेट डीड (सभी प्रकार के), जजमेण्ट (न्यायालयवादेन) आदि सम्मिलित हैं। इन पट्टों-परवानों के लेख को समझना, उनकी प्रामाणिकता पर विचार करना, उनके जारी किये जाने की तिथियों का अन्वेषण और निर्धारण करना, साथ ही

1. Bordin, R. B., & Warner, R. M.—The Modern Manuscript Library, P. 14.

उनके निर्माण की प्रविधि को समझना तथा यह निर्धारित करना कि वे इन रूपों में किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाये जाते थे—इन सभी बातों को आज इस विज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है। पहले इसमें मुहरबंद (sealing) करने की पद्धतियों का अध्ययन भी एक विषय था। अब यह विषय अलग विज्ञान बन गया है।

अतः यह विषय भी किसी सीमा तक पाण्डुलिपि-विज्ञान का ही अंग है।

पाण्डुलिपि-पुस्तकालय

पुस्तकें ज्ञान-विज्ञान का माध्यम हैं। ये पुस्तकें प्राचीन काल में पाण्डुलिपियों के रूप में ही होती थीं। अतः सभी प्राचीन पुस्तकालय पाण्डुलिपि-पुस्तकालय ही थे।

इन प्राचीन पुस्तकालयों के इतिहास से हमें विदित होता है कि सबसे पहले पुस्तकालय मिस्र में आरम्भ हुए होंगे। मिस्र में पेपीरस पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। ये खरौते (Scrolls) के रूप में होते थे। इन ग्रन्थों में से एक पेपीरस ग्रन्थ ब्रिटिश संग्रहालय में है वह 133 फुट लम्बा है। ये खरौते गोलाकार लपेट कर रखे जाते थे। पेपीरस बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, अतः यह सम्भावना है कि बहुत से खरौते (स्कॉल) और ऐसे पुस्तकालय जिनमें वे रखे गये थे, ऐसे मिट गये हैं कि उनका हमें पता तक नहीं। फिर भी, जो कुछ ज्ञात हो सका है, उसके आधार पर विदित होता है कि पेपीरस स्कॉलो के ग्रन्थ ई० पू० 2500 में मिस्र में विश्रमान थे।

पेपीरस के माथ-माथ या कुछ पहले से बेबीलोन (असीरिया) में मिट्टी की ईंटों (Clay tablets) पर लिखा जाता था। आधुनिक युग की ऐतिहासिक खुदाई से निम्हेवेह में 10,000 लेख-ईंटें मिलीं, इससे निम्हेवेह में उनके पुस्तकालय का अस्तित्व सिद्ध होता है। मोहेनजोदड़ो में भी मिट्टी की पकाई हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर लेख लिखे गये हैं।

ईंटों और पेपीरस के बाद पार्चेमेण्ट (चर्मपत्र) का उपयोग हुआ, उसके बाद कागज का उपयोग हुआ।

भारत में मोहेनजोदड़ो की लिपि का विकास 3000 ई० पू० में हो चुका होगा। यहाँ भी लेखयुक्त मुहरें या ताबीज मिले हैं। बाद में ग्रन्थों के लिए वृक्षों के पत्र और छाल का उपयोग पहले हुआ। ताडपत्र और भोजपत्र में ग्रन्थ-रचना के लिए लिप्यासन का काम लिया जाने लगा। घातुपत्रों का भी उपयोग किया गया। भारतेतर क्षेत्रों में प्राचीन पुस्तकालयों की जो सूचना आज उपलब्ध है वह नीचे की तालिका से जानी जा सकती है —

वर्ष (लगभग)	स्थान	ग्रन्थ	स्थापनकर्ता	लिप्यासन
1	2	3	4	5
1. ई. पू. 2500	गिजेह (Gizeh)	—	—	पेपीरस
2. ई. पू. 1400	अमर्ना	—	एमेन्होटीप तृतीय (Amenho top III)	पेपीरस
3. ई. पू. 1250	थीबीज	—	रेमेज (Remese)	पेपीरस

1. इन्हें बसवितार्ण, कुंडलियाँ अथवा 'खरौटा' भी कहते हैं।

1	2	3	4	5
4. ई. पू. 600	निन्हेवेह (अमौरिया)	10,000 ईंटे	अमुरबेनीपान	ईंट (clay tablets)
5. ?	उर	—	—	ईंट
6. ?	निप्पर (Nippur)	—	—	ईंट
7. ?	किसी	—	—	ईंट
8. ?	तेल्लो	—	—	ईंट
9. ई. पू. 500	एथेन्स (यूनान)	—	पिज़िस्ट्रेटस	पेपीरम
10. ?	अलेक्जेंड्रिया	500,000 खरीते (Scrolls)	(1) अलेक्जेंडर (2) टायमी प्रथम	पेपीरम
11. ई. पू. 237	इदफिर (प्राचीन इदफुल (Idful)) होरेस के मंदिर में	—	—	पेपीरम
12. ई. पू. 41 ¹ मे पूर्व । (दूसरी शती ई पू के आरम्भिक चरण के लगभग)	पगॅमस	200,000	सिकंदर के बाद के उत्तराधिकारी	पेपीरम एवं पार्चमेन्ट ² (चर्मपत्र)
13. 500 ईसवी	सैंट कैथराइन की मोनस्ट्री मिनार्ड पर्वत पर	—	—	कोडेक्स पार्चमेन्ट
14. 600 ईसवी	सैंट गेले (स्विटजर- लैंड में)	—	—	"
15. 800 ई.	(?) एथोस पर्वत पर (यूनान में)	—	—	"

1. मार्क एथनी ने 41 ई० पू० में पगॅमस पुस्तकालय के 200,000 खरीते (Scrolls) एवं किलोपेट्रा¹ को दे दिये थे कि उन्हें अलेक्जेंड्रियन पुस्तकालय में रखवा दिया जाय ।
2. पगॅमस के पुस्तकालय का बहुत सख्त संरक्षण हुआ । इससे सिकंदरिया के लोगों में यह आशंका हो गयी कि वही सिकंदरिया के पुस्तकालय का महत्त्व कम न हो जाय । अतः उन्होंने पगॅमस को पेपीरम देना बंद कर दिया । तब पगॅमस में समझे के चर्म-पत्र का आधिपत्य किया गया, जिसे 'पगॅमिस्टम' कहा गया, यही पार्चमेन्ट हो गया । पार्चमेन्ट के खरीते नहीं बन सकते थे, अतः उनके पृष्ठ बने या पन्ने बने । इन पन्नों की मिलाई भी गयी । यह सिले हुए पन्नों का रूप कोडेक्स (Codex) कहलाया । यही आधुनिक लिखबंद पुस्तक का जनक है ।

1	2	3	4	5
16. 1200 ई० के बाद	लॉरेजों डे मेडिसी का पुस्तकालय, पलोरस, इटली	—	—	कोडेक्स पाचिनेण्ट
17. 1367 ई.	बिब्लियोथीक नेशनल (नेशनल लाइब्रेरी), पेरिस, फ्रांस	—	—	"
18. 1447 ई.	वेटिकन पुस्तकालय, वेटिकन सिटी में			

(भारत तथा कुछ अन्य देशों के प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालयों का बिबरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

प्राधुनिक पाण्डुलिपि छागार

'द माडर्न मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी' के लेखक ने तीन प्रकार के संग्रहालयों में अन्तर किया है :

1. रक्षागार (Archives)
2. म्यूजियम-अजायबघर या अद्भुतालय
3. हस्तलेखागार या पाण्डुलिप्यागार

'रक्षागार' के सम्बन्ध में इनका कथन है कि : One of the most important types of Manuscript repository is the official archive which preserves the records of federal, state, or local government bodies.¹

'रक्षागार' सरकारी कागज-पत्रों का भण्डार होता है। भारत में 'राष्ट्रीय लेखा रक्षागार' (National Archives) ऐसा ही संग्रहालय है। बीकानेर में 'राजस्थान' के समस्त राज्यों के कागज-पत्र एक संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अजायबघर (Museum) में ऐसी वस्तुओं और हस्तलेखों का संग्रह रहता है जिनका महत्त्व दर्शनीयता के कारण होता है। कलात्मक वैचित्र्य या वैशिष्ट्य इनमें रहता है। इनका उपयोग हस्तलेखागारों या पाण्डुलिप्यागारों से भिन्न रूप में होता है।

उपर्युक्त ग्रंथकार के अनुसार हस्तलेखागार का प्रधान उद्देश्य है अध्येताओं तथा अनुसंधान-कर्त्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होना। वह लिखते हैं कि, 'A manuscript library exists to serve the scholar and the student'

किन्तु 'हस्तलेखागार' का जो स्वरूप और विशेषता इस लेखक ने प्रस्तुत की है, वह ऐसे देशों के लिए है जहाँ सभ्यता, संस्कृति और लेखन का सूत्र 300-400 वर्ष पूर्व

1 Bordin, R. B. & Warner, R.M.—The Modern Manuscript Library, P. 9. इसी लेखक ने यह भी लिखा है, "Archives are the permanent records of a body, usually, but not necessarily, of going, of either a public or private character. (P. 6)

से भारम्भ होता है और जहाँ 'ग्रंथ लेखन' मुद्रणालयों के आ जाने के कारण स्वतन्त्र महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका।

भारत जैसे प्राचीन देश में तथा ऐसे ही अन्य प्राचीन देशों में हस्तलेखागारों में ज्ञान-विज्ञान के हस्तलेख या पाण्डुलिपियाँ बड़ी संख्या में मिलते हैं।

इसका एक आभास हस्तलेखागारों की उस सूची से हो जाता है जो हम पहले देख चुके हैं। मुद्रण-यन्त्र के प्रचलन से बहुत पूर्व से पाण्डुलिपियाँ प्रस्तुत की जाती रही हैं। अतः ऐसे पाण्डुलिपि भाण्डागारों का उद्देश्य अनुसंधान से जुड़ा होकर भी विस्तृत है। इतिहास के विविध युगों में ज्ञान-विज्ञान की स्थिति ही नहीं ज्ञान-विज्ञान के सूत्रों को जानने के साधन भी ग्रंथागारों में उपलब्ध होते हैं।

महत्त्व

फलतः पाण्डुलिपि-विज्ञान का महत्त्व स्वयं-सिद्ध है। पाण्डुलिपि-विज्ञान के विधिवत ज्ञान से इस महान् सम्पत्ति को समझने-समझाने का द्वार खुलता है, और हम रस्किन के शब्दों में, 'राजसी-सम्पदाकोष' (Kings Treasuries) में प्रवेश पाकर अभूतपूर्व रत्नों की परख करने में समर्थ हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।



पांडुलिपि-ग्रन्थ-रचना-प्रक्रिया

लेखन और उसके उपरान्त ग्रन्थ-रचना का जन्म भी हमें प्राद्विभ्र घ्रानुष्ठानिक पर्यावरण में दृष्टा प्रतीत होता है। रेखाकन से लिपिविकास तक के मूल में भी यही है और उसके आगे ग्रन्थ-रचना मे भी। प्राचीनतम ग्रन्थों में भारत के वेद और मिल्न की 'मृतको की पुस्तक' प्राती हैं। वेद बहुत समय तक मौलिक रहे। उन्हें लिपिबद्ध करने का निषेध भी रहा। पर मिल्न के पेपीरस के खरीतों (scrolls) में लिखे ये ग्रन्थ समाधियों में दफनाये हुए मिले हैं। इन दोनों ही प्राचीन रचनाओं का सम्बन्ध धर्म और उनके अनुष्ठानो से रहा है। इन दोनों देशों मे ही नहीं अन्य देशों में भी लेखन ऐसे ही घ्रानुष्ठानिक पर्यावरण से युक्त रहा है। प्रायः सभी आरम्भिक ग्रन्थों में घ्रानुष्ठानिक जादुई धर्म की भावना मिलती है। इसीलिए पद-पद पर शुभाशुभ की धारणा विद्यमान प्रतीत होती है। यही बात ग्रन्थ-रचना से सम्बन्धित प्रत्येक माध्यम तथा साधन के सम्बन्ध में है।

ग्रन्थ-रचना में पहला पक्ष है—'लेखक'। आरम्भ मे लेखक का धर्म प्रचलित परम्पराओं, धारणाओं और वाक्-विलासो को लिपिबद्ध करना था। यह समस्त लोकवात्ता 'अपौरुषेय' मानी जाती रही है और वाक्-विलास 'मन्त्र'। इसमे लेखक को अधिक से अधिक 'व्यासजी' की तरह सम्पादक माना जा सकता है। बाद में 'लेखक' शब्द से मौलिक कृति का लेखन करने वाला भी अभिहित होने लगा। मौलिक कृति मे कृतिकार को या ग्रन्थकार को किन बातों का ध्यान रखना होता था, इसका ज्ञान हमें पाणिनि के आधार पर डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने 'India As Known to Panini' (पाणिनि कालीन भारत) मे कराया है। उन्होने बताया है कि पहले ग्रन्थ का संगत रूप-विधान होना चाहिये। इसका पारिभाषिक नाम है—तन्त्र-युक्ति। तन्त्र-युक्ति में ये बातें ध्यान में रखनी होनी हैं : १—अभिकार या सगति अर्थात् आन्तरिक समीचीन व्यवस्था या विधान। २—मंगल—मंगल कामना से आरम्भ। ३—हेत्वर्थ—वर्ण्य का आधार। ४—उपदेश—कृतिकार के निजी निर्देश। ५—अपदेश—खंडनार्थ दूसरे के मत को उद्धृत करना।

इसी पहले पक्ष मे लेखक के साथ पाठवन्ता या पाठवाचक भी रखना होगा। यह व्यक्ति मूल ग्रन्थ और लिपिकार के बीच मे स्थान रखता है।

दूसरा पक्ष है भौतिक सामग्री।

'राजप्रश्रीयोपांग सूत्र' (विक्रम की छठी शती) मे इनका वर्णन यो किया गया है :
 "तस्सजं पौत्थरयणस्स, इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहां-रयणामयाइं पत्तगाइं, रिट्ठामईयो कवियाप्रों, तवणिज्जयए दोने, नाजामणिमए गंठी, वेरुलियमणिमए लिप्पासणे, रिट्ठामए छदणे, तवणिज्जमई संकला, रिट्ठामई मसी वइरामई लइमी, रिट्ठामयाइं अकवरार्इ, धम्मिए सरये। (पृ० 96)"¹

1. मुनि श्री पुण्यविजय जी—भारतीय जैन धर्मण संस्कृति जने लेखन कला, पृ० 18 पर उद्धृत।

भौतिक सामग्री में निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं :—

1. लिप्यासन—बहु वस्तु जिम पर लिखा जाना है; यथा—ईंट, पत्थर, कागज, पत्र (ताड पत्र), घातु, चमड़ा, छाल (भूर्जपत्र), पेपीरस, कपड़ा आदि। इसकी विस्तृत चर्चा 'प्रकार' शीर्षक अध्याय में की गई है क्योंकि लिप्यासन भेद से भी ग्रन्थ-भेद माने जाते हैं।
2. मत्ति—स्याही
3. लेखनी—कूची, टाँकी, कलम आदि
4. डोरा
5. काष्ठ—पट्टिकाएँ (काम्बिका)
6. वेण्डन—छंदजु (आच्छादन)
7. ग्रन्थि—ताडपत्र आदि के ग्रन्थों में बीच में छेद करके डोरी पिरोयी जाती है। ग्रन्थ के दोनों ओर इस डोरी के दोनों छोरो पर लकड़ी, हाथी-दांत, सीप, नारियल आदि की गोल टिकुली में से इस डोरी को निकाल कर गांठ दी जाती है। इन टिकुलियों को भी ग्रन्थि या गांठ कहते हैं।
8. हडनाल या हरताल—गलत लिख जाने पर उसे मिटाने का साधन है 'हड़ताल'।

तीसरा पक्ष है—लिपि और लिपिकार—

लिपिकार और लेखक तब ही पर्यायवाची होते हैं, जब लेखक ही लिपिकार का भी काम करता है। दोनों के लिए लिपि ज्ञान और उमका अभ्यास अवश्य अनिवार्य है। जी. ब्रह्मर ने हमें बताया है कि प्राचीन काल में उन लेखकों या लिपिकारों के लिये निर्देश-ग्रन्थ लिखे गये थे। दो ऐसे ग्रन्थों का उन्होंने उल्लेख भी किया है]। लेख पंचाशिका। इसमें निजी पत्रों की रचना का वर्णन ही नहीं है वरन् पट्टों, परवानों तथा राजाओं की सधियों को लिखने का रूप भी बताया गया है। दूसरी पुस्तक है क्षेमेन्द्र व्यासदास रचित 'लोक प्रकाश' जिसके एक भाग में हथी, अश्वध आदि तैयार करने के रूप बनाये गये हैं। बलरामजी सुत हरिदास की 'लेखक मुक्ता मणि' का भी यही विषय है। एक ऐसी ही कृति महाकवि 'विद्यापति' की 'लिखनावली' भी है। इसका रचना काल सन् 1418 ई० है।

लेखक : ग्रन्थ रचना में यह सबसे प्रधान पक्ष है।

'लेखक' शब्द लेखन-क्रिया के कर्ता के लिये प्राचीनतम शब्द माना जा सकता है। रामायण एवं महाभारत में इसका उपयोग हुआ है। इससे विदित होता है कि महाकाव्य-युग में 'लेखक' होना एक व्यवसाय भी था और लेखन-कला की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। पालि में 'विनय-पिटक' के लेखन को एक महत्त्वपूर्ण और श्लाघ्य कला माना गया है और भिक्षुणियों को लेखन-कला की शिक्षा देने का विधान है ताकि वे पवित्र धर्मग्रन्थों का लेखन कर सकें। इस काल में पिता की इच्छा यही मिलती है कि उसका पुत्र लेखक का व्यवसाय ग्रहण करे, ताकि वह सुखी रह सके। महावग्ग और जातकों में भी ऐसे उल्लेख

हैं जिनसे उस काल में लेखन-व्यवसाय विशेषज्ञ का पता चलता है। पोथक (पाण्डुलिपि) लेखक का दो बार उल्लेख मिलता है और यह लेखक व्यावसायिक विशेषज्ञ लेखक ही हो सकता है।

शिसा-लेखों के अनुसंधान से विदित होता है कि सांची स्तूप के एक शिलालेख में 'लेखक' का प्राचीनतम उल्लेख है। यहाँ 'लेखक' लेखन-व्यवसाय प्रवृत्त व्यक्ति ही है, बृहन्नर ने इस शिला-लेख का अनुवाद करते हुए लेखक का अर्थ 'कापीइस्ट ग्रॉव मैन्युस्क्रिप्टस्' (Copyist of Mss) या राइटर, क्लर्क ही दिया है। बाद के कितने ही शिलालेखों से सिद्ध होता है कि 'लेखक' शब्द से व्यवसायी लेखन कला विज्ञ का ही अभिप्राय है और इस समय तक 'लेखक-वर्ग' एक व्यवसायवाची शब्द हो गया था। ये लेखक शिलालेखों पर उत्कीर्ण किये जाने वाले प्रारूप तैयार किया करते थे। बाद में लेखक को पाण्डुलिपि-कर्ता का कार्य सौंपा जाने लगा—ये लेखक बहुधा ब्राह्मण होते थे, या द्रविड़ और शके-माँदे वृद्ध कायस्थ। मन्दिरों और पुस्तकालयों में इन लेखकों की नियुक्ति ग्रन्थ-लेखन के लिये की जाती थी।

लेखक के पर्यायवाची जो शब्द भारतीय परम्परा में मिलते हैं वे हैं¹ लिपिकार या लिबिकार या दिपिकार। इस शब्द का प्रयोग चतुर्थ शती ई० पू० में हुआ मिलता है। अशोक के अभिलेखों में यह शब्द कई बार आया है। इनमें यह दो अर्थों में आया है। एक तो लेखक दूसरे शिलालेखों पर लेख उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति। संस्कृत कोषों में इसे लेखक का ही पर्यायवाची माना गया है, जैसे—अमरकोश में—“लिपिकारोऽक्षरचणोऽक्षर चुचुरश्च लेखके”। डॉ० राजबली पाडेय ने बताया है कि, A persual of Sanskrit literature and epigraphical documents will show that the 'lekhaka'....and it was employed more in the sense of 'a copyist' and 'an engraver' than in the sense of 'a writer.'—

ये 'लिपि' और 'लिपिकार' शब्द का प्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी हुआ है। डॉ० वासुदेवशरण ध्रुवाल का निष्कर्ष है कि पाणिनि के समय में 'लिपि' का अर्थ होता था लेखन तथा लेख।²

1. Pandey, R. B.—Indian Palaeography. P. 90.

2. India As Known to Panini (अध्याय ५, खण्ड २, पृ० ३११) में बताया है कि यौद्धस्तुकर के मतानुसार 'लेखन-कला' पाणिनि से बहुत पूर्व से प्रचलित थी। पाणिनि की वैदिक साहित्य ग्रन्थ रूप (MSS) में भी उपलब्ध था। डॉ० ध्रुवाल का कथन है कि पाणिनि ने 'ग्रन्थ', 'लिपिकार', 'व्यवसायी लिपि' आदि शब्दों का उपयोग किया है। अतः इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि पाणिनि के समय लेखन कला विकसित हो चुकी थी। डॉ० ध्रुवाल ने आगे लिखा है कि—

(i) Lipikar (III. 2.21) as well as its variant form 'libikara', denoted a writer. The term lipi with its variant was a standing term for writing in the Maurya period and earlier. Dharmalipi, with its alternative form dharmalipi, stands for the Edicts of Asoka engraved on rocks in the third century B. C. An engraver is there referred to as lipikara (M R.E. II). Kautilya also knows the term: 'A king shall learn the lipi (alphabet) and sankhyana (numbers, Arth 1. 5.). He also refers to samjoo-lipi, 'Code Writing' (Arth. I. 12) used at the espionage Institute. In the Behistun inscription we find lipi for engraved writing. Thus it is certain that lipi in the time of Panini meant writing and script'.

‘भस्स्य-पुराण’ में लेखक के निर्म्नांकित गुण बताये गये हैं :

सर्व देशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ।
लेखकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै ॥
शीघ्रोपेतान् सुसंपूर्णन् शुभ श्रेणितान् समान् ।
प्रक्षरान् वै लिखेद्यस्तु लेखकः स वरः स्मृतः ॥
उपाय वाक्य कुशलः सर्वशास्त्रविशारदः ।
बह्वर्थावक्ता चाल्पेन लेखकः स्यान्पुोत्तम ॥
राजाभिप्राय तत्त्वज्ञो देशकालविभागवित् ।
घनाहार्यो नृपे भक्तो लेखकः स्यान्पुोत्तम ॥

(प्रध्याय, 189)

‘गरुड़ पुराण’ में लेखक के ये गुण बताये गये हैं—

मेघावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
सर्वशास्त्र समालोकी ह्येष साधुः स लेखकः ॥¹

- 1 लेखक शब्द पर कुछ और रोचक सूचना हमें डॉ वासुदेवकरण अग्रवाल के लेख ‘Notes from the Brahat Kathakosha’ से मिलती है। उनका यह लेख ‘The Journal of the United Provinces Historical Society, (Vol XIX, Part I-II, जुलाई-दिसम्बर, १९४६) में प्रकाशित है। इसमें पृ. ५०-८२ में अनुभाग ३३ में ‘लेखक’ शीर्षक से यह बताया है कि मौर्यों के समय से लेखक प्रशासकीय तन्त्र का एक सदस्य रहा। कौटिल्य ने सध्याक (Accountant) और लेखक (Clerk) का वेतन ५०० कार्यापण वार्षिक बताया है। जैसे-जैसे समय बीता, लेखक के दायित्व में भी वैसे-वैसे ही वृद्धि हुई। प्लेट के अनुनाह हिस्तान् के एक अभिलेख में ‘लिखितञ्च’ का पाँचवीं शताब्दी में अधिप्राय कोई अभिलेख प्रस्तुत करना था, शिल्पकार (Engraver) के लिए उत्पत्ती करने के लिए एक प्लेट पर मसौदा तैयार कर देना था।

सातवीं शताब्दी के एक आदेशलेख (निर्माण्य ताम्रपत्र अभिलेख) में ‘लेखक’ के उल्लेख से विदित होता है कि राजा के निजी सचिवों में वह सम्मिलित था और उसका अधिकार और कर्तव्य बढ़ गए थे। हरिवंश के कयाकोस में एक लेखक महारानी और मन्त्रियों के साथ राजभवन में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति में महाराजा के पत्र आते हैं जिन्हें पढ़कर लेखक उसका अधिप्राय बताता है। राजा ने किसी उपाध्याय के सम्बन्ध में लिखा था कि उसे मुगलित उबले चावल, धो तथा मयी भोजनार्थ दिया जाय। लेखक ने ‘मयी’ का अर्थ बनाया ‘कुष्माण्वाण मयी’ अर्थात् कोयले की काली स्याही धी में घोल कर चावल के साथ खाने को दी जाय। स्पष्ट है कि लेखक ने माघ या मयी का यथार्थ अर्थ ‘शाल’ न बताकर काली स्याही बताया। पत्र महारानी के नाम था। उसे पढ़ने का और उसकी व्याख्या का दायित्व लेखक पर था। जब राजा को विदित हुआ तो उसने ‘कूटभाषा’ को निकलवा दिया। यह २४वीं कहानी में है। इसी प्रकार की दो अन्य कहानियाँ हैं, दोनों में पत्र महारानी के नाम हैं। पढ़ना और व्याख्या करना या अर्थ बनाना लेखक का काम है। एक में लेखक ने स्तम्भ (खम्भो) के स्थान पर ‘स्तम्भ’ पढ़कर अर्थ किया बकरी। अतः राजाज्ञा मानकर एक हजार खम्भो के स्थान पर एक हजार बकरियाँ खरीदी गयीं। एक ऐसे ही पत्र में लेखक ने ‘अन्धपय’ को ‘अन्धपय’ पढ़ा और राजकुमार को अन्ध कर दिया। संवीगण और महारानी को छत्र अर्थ की समीचीनता आदि से कोई लेना-देना नहीं। स्पष्ट है कि लेखक का दायित्व बहुत बढ़ गया था। उसकी व्याख्या ही प्रमाण थी।

'वही बातें 'शाङ्ग'पर पढ़ति' में भी बताई गई हैं। 'पत्र कौमुदी' में तो राजलेखक के गुणों की लम्बी सूची दी गई है, इसके अनुसार लेखक को ब्राह्मण होना चाहिये।¹ जो मन्त्र-शाभिज्ञ हो, राजनीति-विशारद हो, नाना लिपियों का ज्ञाता हो, मेधावी हो, नाना भाषाओं का ज्ञाता हो, नीतिशास्त्र-कोविद हो, सन्धि-विग्रह के भेद को जानता हो, राजकार्य में विलक्षण हो, राजा के हितान्वेषण में प्रवृत्त रहने वाला हो, कार्य और प्रकार्य का विचार कर सकता हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, धर्मज्ञ हो और राजधर्म-विद् हो, वही लेखक हो सकता था। स्पष्ट है कि लेखक का धार्मिक बहुत ऊँचा रखा गया है। उस काल में लेखक को पांडुलिपि लेखक ही मानना होगा, क्योंकि तब मुद्रण ग्रन्थ नहीं थे, अतः लेखक जो रचना प्रस्तुत करता था वह पांडुलिपि (मैन्युस्क्रिप्ट) ही होती थी। उस मूल पांडुलिपि से ग्रन्थ लिपिकार प्रतियाँ प्रस्तुत करते थे और जिन्हें आवश्यकता होती थी उन्हें देते थे। ब्राह्मणों को, मठों और विहारों को ऐसा ग्रन्थ-प्रदान करने का बहुत माहात्म्य माना गया है।

ऊपर के श्लोकों में लेखक के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है 'सर्व देशाक्षराभिज्ञ — समस्त देशों के अक्षरों का ज्ञान लेखक को अवश्य होना चाहिये। साथ ही 'सर्वशास्त्र समालोकी'—समस्त शास्त्रों में समान गति लेखक की होनी चाहिये। एक पांडुलिपिविद् में ब्राह्मण भी ये दो गुण किसी न किसी मात्रा में होने ही चाहिये। जो पांडुलिपि विज्ञान विद् विविध लिपिमालाओं से और ज्ञान-विज्ञान कोशों से भी ब्राह्मण अपना काम चला सकता है, फिर भी उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत अवश्य होनी चाहिए और उसके लिए सन्दर्भ-ग्रन्थों का ज्ञान तो अनिवार्य ही माना जा सकता है।

ऊपर उद्धृत पौराणिक श्लोकों में जिस लेखक की गुणावली प्रस्तुत की गई है, वह वस्तुतः राज-लेखक है और उसका स्थान और महत्त्व लिखिया या लिपिकार के जैसा माना जा सकता है। हिन्दी में लेखक मूल रचनाकार को भी कहते हैं और लिखिया या लिपिकार को भी विशेषार्थक रूप में कहते हैं।

लिपिकार का महत्त्व विश्व में भी कम नहीं रहा। रोमन साम्राज्य के बिखर जाने पर साम्राज्य की ग्रन्थ सम्पत्ति कुछ तो विद्वानों ने अपने अधिकार में कर ली, और कुछ पादरियों (मॉनक्स) ने। इस युग में प्रत्येक धर्म-विहार (मोस्ट्री) में एक प्रलय कक्ष पांडुलिपि-कक्ष 'स्क्रिप्टोरियम' (Scriptorium) ही होता था। इस कक्ष में पादरी प्राचीन ग्रन्थों की हस्तप्रतियाँ या पांडुलिपियाँ स्वयं अपने हाथों से बड़ी सावधानी से तैयार किया करते थे। पांडुलिपि-लेखन को उन्होंने उच्चकोटि की कला से युक्त कर दिया था।

1. इस सम्बन्ध में डॉ० राजवर्नी पाण्डेय ने यह मत व्यक्त किया है : "There is no doubt that the invention of alphabet required some knowledge of linguistics and phonetics and as such it could be under-taken only by experts educated and cultured. That is why, for a very long time, the art of writing remained a special preserve of literary and priestly experts, mainly belonging to the Brahman class." —Pandey, R. B. : Indian Palaeography, p. 88.

Alphabet या अक्षरावली या वर्णमाला जब बनी तब ब्राह्मण-वर्ण का अस्तित्व था भी, यह अनुसन्धान का विषय है, पर ब्राह्मण धर्म-विद्यता से और वर्णमाला देव-नामा की थी—अतः उनका उद्योग लिपिकार ही अवश्य पया।

के विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थों को विभूषित करते थे।¹ जैन मन्दिरों और बौद्ध विहारों में भी ऐसा ही प्रबन्ध था।

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाण्डुलिपियों के लिपिकार वे गुलाम होते थे, जिन्हें भुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसायिक लिपिकार स्त्रियाँ थीं। सन् 231 ई० में जब धोरिमेन ने 'श्रोल्ड टैस्टामेन्ट' के सम्पादन-संशोधन का कार्य धारम्भ किया तो सन्त ग्रम्बोज ने लिपि सुलेखन (कैलीग्राफी) में बिज कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एवं कुमारियाँ भेजी थीं। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमें कुमारियाँ विशेष दक्ष थीं। बाद में, वह लेखन पादरियों का कर्त्तव्य बन गया। इन धर्म-विहारों में जहाँ ग्रन्थ-लेखन-कक्ष रहता था, लिपिकारों की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ बोल-बोल कर लिखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्थ एक संशोधक के पास भेजा जाता था, जो प्राबन्धक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) को दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा से सुन्दर बना देता था।²

भारत में भी धर्म-विहारों, मन्दिरों, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में लेखक-शालाओं का उल्लेख मिलता है। 'कुमारपाल प्रबन्ध' में यह उल्लेख इस प्रकार आया है "एकदा प्रातयुंरुन सर्वसाधु श्व बन्दिस्वा लेखकशाला विलोकनाय गता। लेखका कागदपत्राणि लिखन्तो दृष्टा।"³ जैन धर्म में पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'योग-दृष्टि-समुच्चय' में 'लेखना पूजना दान में श्रावक के नित्यकृत्यों में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है। जैन-ग्रन्थों से यह भी विदित होता है कि ग्रन्थ-रचना के लिए विद्वान् लेखक को विद्वान् शिष्य और श्रमण विविध सूचनाएँ देने में सहायता किन्ना करते थे।⁴ ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्थ-रचनाकार अपने विषय के मान्य शास्त्रवेत्ता और आचार्य के पास अपनी रचना सशोधनार्थ भेजा करते थे। उनसे पुष्टि पाने के बाद ही इन रचनाओं की प्रतियाँ कराई जाती थीं। भारत में ग्रन्थ-लेखन या लेखक का कार्य पहले ब्राह्मणों के हाथ में रहा, बाद में 'कायस्थों' के हाथ में चला गया। कायस्थ लेखकों का व्यवसायी वर्ग था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टीका में मूल पाठ में प्राये 'कायस्थ' शब्द का अर्थ लेखक ही किया है, 'कायस्थगणका लेखकाश्च'। इसमें सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखकों का वर्ग ही था—यही प्राये चल कर जाति के रूप में परिणत हो गया। कायस्थों का लेखन बहुत सुन्दर होता था। 'कायस्थ' शब्द के कई अर्थ किये गये हैं। किन्तु यथाथं अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है जो कार्य में स्थित रहे—'काय' मीर्य काल में सेक्रेटैरियट (Secretariate) को कहा जाता था, और इसमें स्थित व्यक्ति था कायस्थ।

लेखक, लिपिकार, द्विपिकार या दिबिर के साथ अन्य पर्यायवाची शब्दों भारत में प्रचलित थे—ये हैं : करण, कर्णिन्, शासनिन् तथा धर्मलेविन्। डॉ. बाबुदेव उपाध्याय⁵

1. The World Book Encyclopedia (Vol. 11), p. 224.
2. Encyclopedia Americana, (Vol. 18), p. 241.
3. भारतीय जैन धर्म संस्कृति एवं लेखन कला, पृ० 25।
4. वही, पृ० 107।
5. उपाध्याय, बाबुदेव—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 256-257।

ने बताया है कि—

“कामरूप शब्द के अतिरिक्त लेखक के लिए करण, करणिक, करनिन् प्रादि शब्द प्रयुक्त होते रहे। वेदिलेख में (करणिक बीर सुतेन) तथा चन्देलों की खजुराहो प्रशस्ति में करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखते थे……कीलहार्न ने करण को भी कानूनी पत्रों के लेखक के अर्थ में माना है।……उन्हे संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रहता था।

शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तथा शिलाकूट का काम भी लेख उत्कीर्ण करना ही था।

पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से 'लिपिकार' का महत्त्व बहुत अधिक है। उसके प्रयत्न के फलस्वरूप ही हमें हस्तलेख प्राप्त हुए हैं। उसकी कला से ग्रन्थ सुन्दर या असुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ में दोष भी पैदा कर सकता है। लिपिकार के सम्बन्ध में डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेख की प्रामाणिकता पर भी लिपिकार के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दस प्रकार के लिपिकार बताये हैं :—

- (1) जैन/श्रावक या मुनि।
- (2) साधु/सम्प्रदाय-विशेष का या धार्मानन्दी।
- (3) गृहस्थ।
- (4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो)
- (5) कामदार (राजवराने के लिपिक)
- (6) दपतरी।

5 वे और छठे में भेद है। कामदार तो लिपिक के रूप में ही रहे जाने है, दपतरी ग्रन्थ कार्यों के साथ प्रसन्ना होने पर प्रतिलिपि भी करवा था।

- (7) व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (8) प्रबन्ध विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (9) सग्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (10) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।

लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि में विकृतियाँ

उद्देश्य

लिपिकार से ही लिपिगत विकृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

किसी प्रति का महत्त्व उक्तमें लिखी रचना प्रथवा पाठ के कारण ही है। अतः पाण्डुलिपि-विज्ञान एवं पाण्डुलिपि सम्पादन के संबंध में धितनी भी भूले संभव हो सकती हैं, उनको जानना भी आवश्यक है। संपादन में तो उनका निराकरण भी करना होता है। निराकरण अक्षयतया प्रति के 'उद्देश्य' से किया जा सकता है। पाठालोकन के विज्ञान में अभी तक इस धोर इन्तित भी नहीं किया गया है। मुम्मतः पाठ सम्बन्धी भूलें/सवस्याएँ ये होती हैं :—

विकृतियाँ:

- (ध) सचेष्ट (जानबूझ कर की गयी)
 (ब) निश्चेष्ट (अनजाने हो जाने वाली) तथा
 (स) उभयात्मक (सचेष्ट-निश्चेष्ट)

ये कई प्रकार से होती हैं या साईं जाती हैं :—

- (क) मूल पाठ में वृद्धि के लिए ।
 (ख) मूल पाठ में से कुछ कमी के लिए ।
 (ग) मूल पाठ के स्थान पर अन्य पाठ बैठाने के लिए ।
 (घ) मूल पाठ के क्रम में परिवर्तन के लिए,
 (ङ) मूल पाठ में मिश्र पाठ की प्रति का ग्रहण ग्रहण करने के लिए,
 स्वेच्छा से ।
 (च) मिश्र पाठ की प्रति का किसी एक परम्परा की प्रति से मिलान
 करते समय स्वेच्छा से ।

अन्तिम दोनों का (ङ और च) एक प्रकार से प्रारम्भिक चारों में से किसी न किसी में अन्तर्भाव हो जाता है ।

ऐसा इसलिए होता है कि इनमें से कोई न कोई भूल हो जाती है :—

- (क) लिपिभ्रम, लिपि-साम्य ।
 (ख) वर्ण-साम्य (द्व्यूटना या दुबारा लिखना) ।
 (ग) शब्द-साम्य (द्व्यूटना या दुबारा लिखना) ।
 (घ) लिपिकार द्वारा लिखे गये सकेत चिह्नों को न समझना ।
 (ङ) शब्द का ठीक अन्वय न कर सकना ।
 (च) पुनरावृत्ति (पंक्ति, शब्द और अर्थ पंक्ति की) ।
 (छ) स्मृति के सहारे लिखना ।
 (ज) बोले हुए को सुनकर लिखना । समान ध्वनियों वाली गलतियाँ
 इसी कारण होती हैं । यहाँ पाठ-वक्ता या पाठ-वाचक के तत्व को
 स्थान देते हैं । क्योंकि लिपिकार अक्षर देख नहीं रहा, सुन
 रहा है ।
 (झ) हाशिये में दिये गये पाठ को प्रतिलिपि करते समय सम्मिलित
 कर लेना । इसके तीन रूप हो सकते हैं—

1. हाशिये में क्रमशः आई पंक्ति का एक सीध वाली मूल पाठ की पंक्ति में मिश्रण कर
 लेना ।
2. हाशिये की सम्पूर्ण पंक्तियों या पूरे पाठ का बराबर वाले पूर्ण बिराम चिन्ह के
 पश्चात् वाले मूल पाठ के बाद लिखना ।
3. अपवाद (Exception) के तौर पर कभी-कभी सम्पूर्ण हाशिये का पाठ प्रतिलिपि में
 धादि/धस्त और प्रसंग-विशेष की समाप्ति पर भी ले लिया जाता है ।
 (डॉ. माहेश्वरी को मेहो जी कृत रामायण के विभिन्न हस्तलेखों का पाठ मिलान
 करने पर ऐसे उदाहरण मिले हैं । पर ऐसा कम ही पाया जाता है ।)

इस सम्बन्ध में ऊपर के क्रम सं० (ज) 'बोले हुए को सुनकर लिखना' के तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट करना है। कारण यह है कि प्रथी तक पाठ-संशोधन-कर्त्ताओं ने इस धोर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। इससे भी बड़ा अनर्थ हुआ है। प्रायः इससे भाषा शास्त्रीय श्रद्धेता गलत परिणाम पर पहुँच सकता है और लोग पहुँचे भी हैं।

उदाहरणार्थ—इकारान्त ण ध्वनि 'ण्य' करके इसी 'बोले हुए को सुनकर लिखने' के कारण लिखी गयी मिलती है। नवाणि > नवण्य। इसके सँकड़ो उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस बात को न समझने के कारण "नामदेव की हिन्दी कविता" के सम्पादकों (पूना विश्वविद्यालय) ने इसे एक प्रवृत्ति माना है, जो भूल है। वस्तुतः यह रूप उच्चारण सम्बन्धी इसी विशेषता के कारण है और यह णकार-प्रधान राजस्थानी भाषा की प्रवृत्ति है। ऐसी प्रतियों को 'राजस्थानी' जानकर उनमें धाई भूलों का निराकरण इसी दृष्टिकोण (angle) से करना चाहिये, अन्यथा गलत परिणाम पर पहुँचने की आशंका रहेगी।

धोर > बोर

धोबड़ डेवड़ > बोबड़ डेवड़

दूसरा ऐसा ही एक और उदाहरण दृष्टव्य है।—बोकानेर, नागौर तथा नागौर से दक्षिण (देवदर तक) के चारो धोर के इलाके (जिसके अन्तर्गत मिलता हुआ जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर राज्यों की सीमा वाला प्रदेश है,) की एक विशिष्ट ध्वनि है ध्रा को ध्रो (धा > धो) बोलना। यह 'ध्रो' 'ध्रो' न होकर ' ' ' जैसी ध्वनि है। डाक्टर > डॉक्टर। इस इलाके में व्यापक रूप से यह ध्वनि प्रचलित है। यदि लिपिकार या बोलनेवाला इस इलाके का हुआ और इनमें से कोई भी दूसरा किसी और इलाके का, तो लेखन में अन्तर होगा।

उदाहरणार्थ—कादा > कौदा।

काड > कोड़

(प्याज) (कितनी देर) (काल) (गोंद)

इस स्थिति को न समझने के कारण भी बड़ी भूलें सम्भव हैं।

तीसरा उदाहरण— यह दूसरे के समान व्यापक नहीं है, किन्तु उसे भी ध्यान में रखना चाहिये। फलीदी धोर योकरण के बाद पश्चिमोत्तर धोर पश्चिम की धोर जैसलमेर धोर पुराने बहावलपुर (अब पाकिस्तान में) तक भविष्यवाचक क्रियारूप 'स्यै' का प्रयोग है। यह एकवचन में 'स्यै' धोर बहुवचन में 'स्यै' है। जायस्यै=जाएगा, जायस्यै=जाएँगे। जरा भी असावधानी से यदि बिन्दी न लिखी या सुनी गई, तो समूचे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। समूह वाचक सजाधों में तो विशेष तीर से। उदाहरणार्थ—

राज जायस्यै=प्राप जाएँगे (आदर सूचक प्रयोग)।

राज जायस्यै=राज (नामक व्यक्ति) जाएगा।

चौथा धोर अलित उदाहरण—मेवाड़ में लिखित प्रतियों के सन्दर्भ में है। गुजराती-बागड़ी-भीली के प्रभाव से अनेक संज्ञा शब्दों पर ' ' ' लगाने की धोर लगाकर बोलने की प्रथा है। जैसे, नंदी > नदी। टंका > टका। नंदी का तात्पर्य 'नहीं दी' से भी है। नदी अर्थात् नदी। टंका अर्थात् समय का एक अंश, साथ ही उक्त से संबंधित मनुष्य भी। जैसे—चार टंका=चार बार खाने वाला मनुष्य अथवा समय का चौथाई 'भाग'। किन्तु टंका अर्थात् 2 पैसे।

कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रवृत्तियों का जानना जरूरी है, जो कि प्रादि, मध्य या पुष्पिका में लिखी रहती हैं।

उपर्युक्त समस्त धूलों का निराकरण प्रधानतः तो प्रति के 'उद्देश्य' से हो सकता है। उद्देश्य का पता प्रति में हमें इस प्रकार लग सकता है :—

- (घ) प्रति के प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलता है।
- (ङ) प्रति के अन्त में (पुष्पिका के भी अन्त में) अन्तिम पत्र पर लिखा हुआ मिलता है। ये दोनों पत्राकार तथा शेष प्रकार की प्रतियों में पाये जाते हैं।
- (च) पुष्पिका के पश्चात् (सबत् प्रादि का उल्लेख करने के बाद) मिलता है।
- (ट) यदि गुटको, पोथी, या पोथियों प्रादि में कुछ रचनाएँ एक हस्तलेख में हों, और कुछ भिन्न में, तो प्रायः एक प्रकार के हस्तलेख के अन्त में मिलते हैं।

कारण—ये सबहूँ ग्रन्थ भी हो सकते हैं, जिनमें ध्येय यही रहता है कि अधिक से अधिक रचनाएँ सुविधापूर्वक एक साथ ही सुरक्षित रह सकें। इस कारण विभिन्न प्रकार की प्रतियों को (जो एक भाकार के पत्रों पर हो) एकत्र कर जिल्द बंधवा ली जाती है। अतः अध्येता को ध्यानपूर्वक मध्य का अंश (जहाँ एक हस्तलेख समाप्त होता है और दूसरा आरम्भ होता है) देखना चाहिये।

- (क) कभी-कभी हाशिये में भी लिखा रहता है। ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि उद्देश्य अन्तिम पत्र के हाशिये में स्थान की कमी से नहीं लिखा जा सका, अतः लिपिकार ने उस पत्र के ठीक पूर्व के पत्र के दाएँ हाशिये पर शेषांश लिखा ही। इस पूर्व के पत्र पर लिखित अंश को हाशिए का शेषांश नहीं समझना चाहिये। एकाग्र प्रतियों में ऐसा भी लिखा मिला है कि उद्देश्य लिखा तो आरम्भ के पत्रों पर है, किन्तु समाप्त पुष्पिका के पश्चात् की गई है। इसका उद्देश्य प्रति की एकाग्रिती को द्योतित करना होता है तथा एक लिपिकार द्वारा लिखित है यह निर्दिष्ट करना होता है।

'उद्देश्य' में क्या लिखा रहता है ?

निम्नलिखित वाक्यावली से उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है। सीधे रूप में तो उद्देश्य कहीं भी लिखा रहता है, यह ध्यान में रखने की बात है। जहाँ ऐसा है भी, वहाँ यह निश्चित समझना चाहिये कि उसमें सचेष्ट विकृतियों के अनेक उदाहरण मिलेंगे।

1. लिपिकार अमुक का शिष्य है।
2. लिपिकार ने अमुक गाँव/अमुक गाँव में अमुक के घर में/अमुक गाँव के अमुक निवास स्थान पर प्रति लिखी।
3. लिपिकार ने अमुक 'डेरे' पर/अमुक सायरी में/अमुक देश (बीकाण, जोड़ाण, जैसाण, मेवाड़ों, दूँडाड़ों प्रादि) में प्रति लिखी।
4. लिपिकार ने अमुक समय में/यात्रा (जातरा) में/मन्दिर में/अमुक की सख्तगति में/अमुक अक्षर पर (प्राजातीक, गणेश चौध, ब्रूज, पून्कू' प्रादि) प्रति लिखी।
5. लिपिकार ने अमुक के कहने पर/प्रादेश पर/प्रति लिखी।

6. लिपिकार ने अमुक के लिए/अमुक की भेंट के लिए/अमुक के पाठ के लिए/अमुक के पढ़ने के लिए/अमुक के संग्रह के लिए/अमुक को सुनाने के लिए लिखी ।
7. लिपिकार ने स्व-पठनार्थ/पाठ के लिए/संग्रह के लिए लिखी ।
8. लिपिकार ने अमुक प्रति के बदले लिखी ।
(मूल प्रति नष्ट प्रायः हो रही थी, उसके पाठ को सुरक्षित रखने के लिए)
“अमुक……रं बदलूँ मैं लिखी,” या
“अमुक……रं बदलायत लिखी,” लिखा मिलता है ।
9. ऐसे भी अनेक लिपिकार रहे हैं जिन्होंने प्रचारार्थ/बिक्री के लिए/धर्म भावना से/परिवार और मित्रों में भेंट देने के लिए प्रतियाँ लिखी हैं । दो के नाम ये हैं—
साहबराजजी तथा प्राणसुख (नगीने बाला) ।
10. कई ऐसे भी लिपिकार हैं, जो एक समय एक के शिष्य हैं, बाद की लिखी प्रति में दूसरे के और तीसरी में तीसरे के शिष्य । ध्यानदास, साहबराज, परमानन्द के नाम लिये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि :-

(अ) इससे यह न समझना चाहिये कि लिपिकार गुरु बदलता रहा है । अधिकांशतः वह नहीं ही बदलता है । गुरु से यह तात्पर्य है—

- (क) पिता (जो गृहस्थ त्याग कर संन्यासी हो गये)
- (ख) विद्या पढ़ाने वाला गुरु
- (ग) दीक्षा देने वाला गुरु
- (घ) अध्यात्म-पथ-निर्देशक गुरु, एवं
- (ङ) सम्प्रदाय-विशेष के प्रवर्तक गुरु ।

चार-चार [प्रथम चार (क) से (घ) तक] गुरुओं के नाम अनेक प्रतियों में (एक ही प्रति में भी) मिलते हैं । धर्म के क्षेत्र में गुरु भी बदल जाते हैं, किन्तु बहुत कम ।

(ब) राजस्थान में एक और विचित्र बात गुरु के सम्बन्ध है । स्वर्गस्थ गुरु के ‘खोले’ (गोद) भी किसी वर्तमान गुरु का शिष्य चला जाता है । खोले वह तब जाता है जबकि स्वर्गस्थ गुरु का आरम्भ किया हुआ कार्य उनकी मृत्यु के कारण प्रचुर रह गया हो, अथवा वर्तमान गुरु के निर्देश से मृतक गुरु की आकांक्षा-विशेष की पूर्ति के निमित्त भी चला जाता है । ऐसी स्थिति में एक ही प्रति में रचना-विशेष की समाप्ति पर एक जगह एक गुरु का नाम और दूसरी जगह स्वर्गस्थ गुरु का नाम लिखा मिलता है ।

किसी भी प्रति के पाठ को ग्रहण करते समय अथवा पाठ-सम्पादन के लिए चुनने के समय उल्लिखित प्रकार से उद्देश्य जानना आवश्यक है । तभी उसकी तुलनात्मक विश्वसनीयता का पता लग सकेगा ।

इससे (उद्देश्य से) यह कैसे पता चलता है कि पाठ-सम्बन्धी कौसी और कौन-कौनसी मूल सम्भव हैं :-

नोट : ‘सम्भावना’ की जा सकती है । निश्चित रूप से तो पाठ-सम्पादन के समय भाई विकृतियों भादि के आधार पर ही कहा जा सकता है । शतकीता के लिए कुछ आश्चर्यक विन्दु प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

1. गुरु की कृतियों में, साम्प्रदायिक भावना के अनुसार कुछ समावेश/जोड़-तोड़ ।
2. गाँव किसका है ? ज्यादा कौन लोग हैं ? घर किसका है ? बास किसका है ? किस पर निर्भर है ? जैसे—यदि राजपूतों का गाँव है, तो सम्भव है कि सम्बन्धित प्रति में वह ऐसा नाम बँटा दे जैसे प्रायः राजपूतों के होते हैं क्योंकि पात्र प्रतीक हैं, भ्रमवा (युद्ध से सम्बन्धित) घटना में मिश्रण कर दें . उनकी प्रसन्नता हेतु ।

यदि घर 'धापनो' का है, तो नाम-साम्य के कारण प्रसिद्ध कवि को भी धापन बना दे, लिपिकार यदि जाति-विशेष का है, तो कवि-विशेष को भी उस जाति का बना दे ।

उदाहरण : गुरजनदासजी पूनिया जाति के थे । पूनिया धापन नहीं होते । धापन लिपिकार ने/धापन के घर में रहकर लिखने वाले ने/धापन के कहने से लिखने वाले ने इनको धापन लिख दिया ।

3. डेरा किमका है ? साधरी की शिष्य-परम्परा क्या है ? 'देश' का नाम क्या है ? प्रथम से गद्दीधारी महन्त का, उसके गुरु का, उसके सम्प्रदाय की मान्यताओं का निदर्शन यत्र-तत्र किया गया मिलेगा । साधरी वाली स्थिति में प्रथम गुरु और उसके किसी शिष्य का नाम-उल्लेख किया गया मिलेगा । 'देश' का नाम लिखने वाला उससे हतर प्रान्त का होगा ।
4. समय क्या था ? कौनसी 'जातरा' थी ? मन्दिर किसका था ? प्रधान उपदेशक कौन था, (उसका सम्प्रदाय और गुरु कौन था) भ्रमसर क्या था ? निश्चित है कि यत्र-तत्र इनसे सम्बन्धित पंक्तियाँ (मूल पाठ को तोड़-मरोड़ कर) यदि भावुक हुआ तो भावावेश में लिपिक लिख देगा ।
5. किसके कहने/आदेश पर लिखी, उसकी पूर्वज-परम्परा और मान्यता का समावेश हो सकता है ।
6. इसमें सचेष्ट विकृति के उदाहरण पदे-पदे मिलेंगे । तात्पर्य यह है कि मूल रचना को (यदि वह किसी भी प्रकार में अस्पष्ट, दुरूह और कठिन हो तो भी) सरल करके रखना होता है ।
7. इसमें भी उपयुक्त (6) बात हो सकती है । अन्तर यह है कि इसमें एक विशेष मुरुचि, सफाई और एकान्विति तथा एकरूपता का ध्यान रखा जाता है ।
8. यह मक्षिका स्थाने मक्षिका-पात का उदाहरण है । इस प्रकार की प्रति अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होगी ।
9. इसमें भी (6 व 7) स्थिति आएगी ।
10. ऐसे लिपिकार भी तुलना की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय हैं । उनका ध्येय रचना-विशेष को धारण करना ही प्रायः पाया गया है ।

महत्त्वपूर्ण बात :

इस सम्बन्ध में अन्तिम एक बात और है । जहाँ लिपिकार स्वयं कवि हो, स्वयं के

पाप्त प्रभूत रचना-सामग्री हो और सम्प्रदाय-विक्षेप का हो, ऐसी स्थिति में यदि वह ईमानदार है, सब तो ठीक है, ग्रन्थया बड़ी भारी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यह पता लगाना बड़ा कठिन होगा कि कौनसा ग्रंथ किस रूप में उसका स्वयं का है, और कौनसा नहीं। यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मध्ययुग में पूरक-कृतित्व की भी सुदीर्घ परम्परा रही है। इससे भी अधिक क्षेपकों की। तब प्रश्न यह है—

- (1) क्या सम्बन्धित समस्या पूरक-कृतित्व या क्षेपक के स्वरूप से उपस्थित हुई है ?
- (2) क्या वह ऐसे लिपिकार की स्वयं की रचना है ?
- (3) क्या यज्ञ-सत्र से जुनवा जोड़ने का प्रयास है ?

यदि प्रति एक ही मिस्री है तो और भी जटिलता बढ़ती है, क्योंकि तब पाठालोचन की दृष्टि से ग्रंथकने का साधन नहीं रहता !

डा. माहेश्वरी के इस विवेचन से लिपिकार के एक ऐसे पक्ष पर प्रकाश पड़ता है, जिसे हमें पाठालोचन में भी ध्यान में रखना होगा।

लेखन

डेविड डिरिंजर ने लिखा है कि “प्राचीन मिस्र-वासियों ने लेखन का जन्मदाता या तो थोथ (Thoth) को माना है, जिसने प्रायः सभी सांस्कृतिक तत्त्वों का आविष्कार किया था, या यह श्रेय आइसिस को दिया है, बेबीलोनवासी माईक पुत्र नेबो (Nebo) नामक देवता को लेखन का आविष्कारक मानते हैं। यह देवता मनुष्य के भाग्य का देवता भी है। एक प्राचीन यहूदी परम्परा में मूसा को लिपि (Script) का निर्माता माना गया है। यूनानी पुराणगाथा (मिश्र) में या तो हर्मीज नामक देवता को लेखन का श्रेय दिया गया है, या किसी ग्रन्थ देवता को। प्राचीन चीनी, भारतीय तथा अन्य कई जातियाँ भी लेखन का मूल देवी ही मानते हैं। लेखन का अतिशय महत्त्व जानार्जन के लिए सदा ही मान्य रहा है, उधर लेखन का अपढ़ लोगों पर जादुई शक्ति के जैसा प्रभाव पड़ता है।”¹

यह बताया जा चुका है कि लेखन का आरम्भ आदिम आनुष्ठानिक आचरण और टोने के परिवेश में हुआ। यही कारण है कि सभी भाषाएँ और उनकी लिपियाँ देवी-उत्पत्ति वाली मानी गई हैं और उनकी आरम्भिक रचनाएँ और ग्रन्थ भी देवी कृति हैं। भारत के वेद अपौरुषेय हैं ही। प्राचीन मिस्र-वासियों ने अपनी प्राचीन भाषा को ‘देवताओं की बोणी’ या ‘मद्वन्न’ नाम दिया था। मद्वन्न (Mdw-ntr) संस्कृत मन्त्र का ही रूपान्तरण प्रतीत होता है। इस दृष्टि से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज भी या प्राज से कुछ पूर्व भी लेखन-कार्य को धार्मिक महत्त्व दिया गया और लेखक को सब प्रकार की शुचिता से युक्त होकर ही लेखन में प्रवृत्त होने की परम्परा बनी। लेखन-मात्र को इतना पवित्र माना गया कि लिप्यासन—कागज, पत्र आदि भी पवित्र मान लिये गए। भारत में कैंसा ही कागज क्यों न हो अब से 20-25 वर्ष पूर्व अत्यन्त पावन माना जाता था। कागज का टुकड़ा भी यदि पैर से छू जाता था तो उसे धार्मिक अभयानना मान

कर सिर से लगते थे और मन से कला-भाषणा करते थे। जैवियों में 'प्राकृतना' की खोजना लेखन की इसी बुद्धि के सिद्धान्त पर खड़ी हुई है। पुस्तक पर बूक धारि अपवित्र वस्तु न लये, पैर की ठोकर न लगे, इन बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया। यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए ही था, जिसे धार्मिक परिवेश में रखा गया। वस्तुतः समस्त 'लेखन' व्यापार के साथ मूल धानुष्ठातिक टोने का परिवेश-भाव भी जुड़ा हुआ है तभी उसके प्रति धार्मिक पावनता का व्यवहार बिद्यमान है और धर्म में उसे स्थान मिल सका है।

सम्भवतः इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्त में निम्नलिखित मस्कृत श्लोको में से एक लिखा हुआ मिलता है -

'जलाद् रक्षेत स्वसाद् रक्षेत्, रक्षेत् शिथिल बन्धनाद्,

मूलं हस्ते न दातव्या, एवं बदति पुस्तिका।'

'अग्ने रक्षेत् जलाद् रक्षेत्, भूषकेभ्यो विशेषतः ।

कष्टेन लिखितं शास्त्रं, यत्नेन परिपालयेत्'

'उदकानिल चौरैभ्यो, भूषकैभ्यो हुताग्नाद्

कष्टेन लिखितं शास्त्रं, यत्नेन परिपालयेत्'

इन श्लोकों में हस्तलेखों को नष्ट करने वाली वस्तुओं के प्रति सावधान रहने का संकेत है।

जल से ग्रन्थ की रक्षा करनी चाहिये। जल कागज-पत्र को गला देता है, स्याही को फेला देता है या धो देता है और ग्रन्थ को छन्देदार बना देता है, जल से धातु पर भोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनी होती है। कागज पत्र पर धूल पड़ जानी है तो वह जीर्ण होने लगता है, तड़कने लगता है। स्थल में से दीमक आदि निकल कर ग्रन्थ को चट कर जाते हैं, धूल और लू दोनों ही ग्रन्थ को हानि पहुँचाते हैं। अग्नि से ग्रन्थ की रक्षा की जानी चाहिये, इसमें दो मत नहीं हो सकते। बूढ़ों से ग्रन्थ की रक्षा का विशेष प्रयत्न होना चाहिये। ग्रन्थ की रक्षा चोरो से भी करनी चाहिये। ग्रन्थों की चोरी पहले होती थी, और आज भी होती है। हस्तलिखित ग्रन्थ आज अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मानी जाती है, अतः हस्तलिखित ग्रन्थ की चोरी आज उससे बड़ी धन-राशि पाने की आशा से की जाती है। इन हस्तलेखों का बाजार आज विदेशों में भी बन गया है, अतः चोरी का भय विशेष बढ़ गया है।

श्लोक में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि शास्त्र ग्रन्थ कष्टपूर्वक लिखा जाता है, अतः यत्नपूर्वक इनकी रक्षा की जानी चाहिये।

ग्रन्थ परम्पराएँ

भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखकों द्वारा कुछ परम्पराओं का अनुसरण किया है— जो इस प्रकार हैं :

1. लेखन-विद्या,
2. पंक्ति बढ़ता, लिपि की माप,
3. मिलित शब्दावली,

- 4, विराम चिह्न,
5. पृष्ठ संख्या,
6. संशोधन,
7. छूटे अक्षर,
8. संकेताक्षर,
- 9 अंक-मुहर (Seal) ये पांडुलिपियों में नहीं लगाई जाती थीं, प्रामाणिक बनाने के लिए दानपत्रों आदि और वैसे ही शिला-लेखों में लगाई जाती थीं ।
10. लेखन द्वारा अंक प्रयोग (शब्द में भी)

विशेष

विशिष्ट परम्पराओं का सम्बन्ध लेखकों में प्रचलित धारणाओं या मान्यताओं से विदित होता है . ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं :

1. मंगल-प्रतीक या मंगलाचरण
2. अलंकरण (Illumination)
3. नमोकार (Invocation)
4. स्वस्तिमुख (Initiation)
5. आशीर्वाचन (Benediction)
6. प्रशस्ति (Laudation)
7. पुष्पिका, उपसंहार (Colophone, Conclusion)
8. वज्रना (Imprecation)
9. लिपिकार प्रतिज्ञा
10. लेखनसमाप्ति शुभ

शुभाशुभ

कुछ बातें लेखन में शुभ कुछ अशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं । यथा

1. शुभाशुभ आकार
2. शुभाशुभ लेखनी
3. लेखन का गुण-दोष
4. लेखन-विराम में शुभाशुभ

इनमें से प्रत्येक पर कुछ विचार आवश्यक है—

सामान्य परम्पराएँ—ये वे हैं जो लेखन के सामान्य गुणों से सम्बन्धित हैं । यथा :

- (1) लेखन-विशा-लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं । 1—ऊपर से नीचे की ओर,¹
2—दाहिनी से बाईं ओर,² 3—बायीं से दाहिनी ओर,³ 4—बायीं से दाहिनी ओर पुनः

1. चीनी लिपि ।
2. खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि ।
3. नागरी (ब्राह्मी) ।

दाहिनी से बायीं ओर ।¹ 5—नीचे से ऊपर की ओर । भारतीय लिपियों में ब्राह्मी और उससे अनित लिपियाँ बायीं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती हैं, हिन्दी भी इसी परम्परा में देवनागरी या नागरी रूप में बायें से दायें लिखी जाती है । खरोष्ठी दायें से बायें लिखी जाती है, जैसे कि फारसी लिपि, जिसमें उर्दू लिखा जाता है ।

साथ ही लेखन में वाक्य-पंक्तियाँ ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं । यही बात ब्राह्मी, नागरी आदि लिपियों पर लागू होती है, खरोष्ठी, फारसी आदि पर भी । पर स्वात के एक लेख में खरोष्ठी नीचे से ऊपर की ओर लिखी गई मिलती है ।

(2) पंक्ति बद्धता—लिपि के अक्षरों की माप : पहले भारतीय लिपियों में अक्षरों पर शिरो-रेखाएँ नहीं होती थीं । फिर भी, वे लेख पंक्ति में बाँध कर अवश्य लिखे जाते थे । यह बात मौर्य-कालीन शिलालेखों से भी प्रकट होती है । सभी अक्षर बाएँ से दाएँ सीधी पंक्ति रेखाओं में लिखे गये हैं, मात्राएँ मूलाक्षरों से ऊपर लगाई गई हैं । कुछ व्यतिक्रम अवश्य हैं, पर वे प्रवृत्ति को तो स्पष्ट करते ही हैं । आगे तो रेखाओं के चिह्न बनाकर या अन्य विधि से सीधी पंक्ति में लिखने के सुन्दर प्रयास मिलते हैं । रेखापाटी या कंबिका (रूल या पटरी) का उपयोग इसी निमित्त ग्रन्थों में किया जाता था । लिपि के अक्षरों की माप भी एक लेख में बँधी हुई मिलती है, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अक्षर लम्बाई-चौड़ाई में समान मिलता है ।

(3) मिलित शब्दावली — आज हम जिस प्रकार शब्द-प्रतिशब्द-बद्ध लेखन करते हैं, जिसमें एक शब्द अपने शब्द रूप में दूसरे से अलग बीच में कुछ अवकाश दे कर लिखा जाता है, उस प्रकार प्राचीन काल में नहीं होता था, सभी शब्द एक दूसरे से मिला कर लिखे जाते थे । हम जानते हैं कि यूनानी प्राचीन पाण्डुलिपियों में भी मिलित शब्दावली का उपयोग हुआ है ।² यही हमें विदित होता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास ही अमिलित अलग-अलग सही शब्दों में लिखने की प्रणाली यथार्थ प्रचलित हुई ।

भारत में शिलालेखों और ग्रन्थों में ही यह मिलित शब्दावली मिलती है । इसे भी हम परम्परा का ही परिणाम मान सकते हैं । डॉ० राजबली पाडेय ने बताया है कि भारत में पृथक्-पृथक् शब्दों में लेखन की ओर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ भाषा का व्याकरण ऐसा पूर्ण था कि शब्दों को पहचानने और उनके वाक्यान्तर्गत सम्बन्धों में भ्रम नहीं रह सकता था । किन्तु क्या 11वीं शताब्दी तथा यूनानी ग्रन्थों में मिलित शब्दावली का भी यही कारण हो सकता है ? हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलित शब्दावली की परम्परा मिलती है ।

(4) विराम चिह्न — मिलित शब्दावली की परम्परा में विराम-चिह्न (Punctuation) पर भी ध्यान नहीं जाता । प्राचीन कोडेक्स ग्रन्थों की यूनानी पाण्डुलिपियों में सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० में विराम-चिह्नों का उपयोग हाँसे लगा था । भारत में पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से ई० तक केवल एक विराम चिह्न उद्भावित हुआ था । दंड, एक आड़ी लकीर । इसे कभी-कभी कुछ चक्र [>] करके भी निख दिया

1. भारत में कहीं-कहीं ही ब्राह्मी लेखों में प्रयोगात्मक ।

2. The text of Greek MSS was, with occasional exceptions, written continuously without separation of words, even when the words were written separately, the dimensions were often incorrectly made....."

—The Encyclopaedia Americana, (Vol. 21), p. 166.

जाता था। मंदसौर प्रगारि, (473-74 ई०) में विराम चिह्न का नियमित उपयोग हुआ। इसमें पद्य की अर्द्धाली के बाद एक दंड (i) और चरण समाप्ति पर दो दंड (ii) रखे गये हैं। प्राये इनका प्रयोग और संख्या भी बढ़ी। भारत में मिलने वाले विराम चिह्न ये हैं :

1, 11, T (यह उत्तर में नहीं मिलता), 21, 7C, Ju, 41 77
7T, III, -, , आ 2 21 2, 2, 2 11-, 2, 2, 2

इन चिह्नों के साथ अंक तथा मंगल चिह्न भी विराम चिह्न की भाँति प्रयोग में लाये जाते रहे हैं।

(5) पृष्ठ संख्या—हस्तलिखित ग्रन्थ में यह परम्परा प्राप्त होती है कि पृष्ठ के अंक या संख्या नहीं दी जाती, केवल पन्ने के अंक दिये जाते हैं। ताब्र पत्रों पर भी ऐसे ही अंक दिये जाते थे। यह संख्या पत्रों (पत्र) की पीठ वाले पृष्ठ पर डाली जाती थी, इसलिए उमे सांक पृष्ठ कहा जाता था, यों कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनमें पन्ने के पहले पृष्ठ पर ही अंक डाल दिये गए हैं।

किन्तु प्रश्न यह है कि यह पृष्ठ संख्या किस रूप में डाली जाती थी? इस सम्बन्ध में मुनिजी ने बताया है⁴ कि 'ताडपत्रीय जैन पुस्तकों में दाहिनी ओर ऊपर हाशिये में अक्षरात्मक अंक और बायी ओर अकात्मक अंक दिये जाते थे। जैन छेद आगमों और उनकी चूणियों में पाठ, प्रायश्चित्त, भग. आदि का निर्देश अक्षरात्मक अंकों में करने की परिपाटी थी। 'जिन कला सूत्र' के आचार्य श्री जिन भद्रिमणि क्षमा अमण कृत भाष्य में भूलसूत्र का गाथाक अक्षरात्मक अंको में दिया गया है।'⁵

मुनि पुष्य विजय जी ने अक्षराको के लिए जो सूची⁵ दी है वह पृष्ठ 36 पर है। पृष्ठ 37 पर ओम्भाजी की सूची है।

इन अंको को दान-पत्रों और शिलालेखों में और पांडुलिपियों में किस प्रकार लिखा जाता था, यह ओम्भा जी ने बताया है, जो यो है : "प्राचीन शिला-लेखों और दान-पत्रों में सब अक्षर एक पंक्ति में लिखे जाते थे परन्तु हस्तलिखित पुस्तकों के पत्राको में चीनी अक्षरों की नाई एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं। ई० स० की छठी शताब्दी के आस-पास मि० बाबर के प्राप्त किये हुए ग्रन्थों में भी पत्राक इसी तरह एक-दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं। पिछली पुस्तकों में एक ही पन्ने पर प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों से भी अक्षर लिखे मिलते हैं। पन्ने के दूसरी तरफ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ के हाशिये पर तो अक्षर संकेत से, जिसको अक्षर-पल्ली कहते थे, और दाहिनी तरफ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अंको से, जिनको अंक-पल्ली कहते थे।"⁶

1. ई० पू० दूसरी शताब्दी से ई० सातवी तक यह ' ' चिह्न, (दण्ड) के स्थान पर प्रयुक्त होता रहा है।
2. इसवी सन् की प्रथम से आठवी शताब्दी तक दो दण्डों के स्थान पर।
3. कुषाण-काल में और बाद में () के स्थान पर।
4. मुनि श्री पुष्य विजयजी—भारतीय जैन अमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 62।
5. वही. पृ० ६३।
6. भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ० 108।

महाभद्रोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र घोषा जी की सूची भी 'भारतीय प्राचीन लिपि माला' से यहाँ की जाती है—¹

१. ए. ख और ऊँ
२. द्वि. स्ति और न
३. त्रि. श्री और म
४. ड़, ड़, ड़, ड़, राक, राकं, ष्क, ष्कं, ष्क, (ष्कं), ष्कं, ष्कं और पु
५. तृ. तृ, तृ, तृ, तृ, ह और नृ
६. फ्र, फ्र, फ्र, घ्र, भ्र, पुं, व्या और फ्ल
७. ग्र, ग्रा, ग्री, ग्री, ग्री, और भ्र
८. ह्र, ह्र, ह्र, और द्र
९. ओ, उँ, उँ, उँ, ऊँ, अ और नुँ
१०. वृ, वृ, क, राट, अ, अ और सी
- २०= थ, थार्थ, थार्थ, थार्थ, थार्थ, थार्थ और थ
- ३०= ल, लार्थ, लार्थ और लार्थ
- ४०= स, सार्थ, सार्थ और स
- ५०= ङ, ङ, ङ, ङ, ङ और ङ
- ६०= वृ, वृ, घृ, थृ, थृ, थृ, थृ, थृ और थृ
- ७०= चु, चु, थृ, थृ, थृ और म्
- ८०= ल, ल, ल, ल, ल और ल
- ९०= ङ, ङ, ङ, ङ और ङ
- १००= सु, सु, लु और अ
- २००= सु, सु, सु, आ, ल और धृ
- ३००= स्ता, स्ता, स्ता, सा, सु, सु और सु
- ४००= सू, स्तो, और स्ता

1. भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ० 107 ।

नेपाळ, गुजरात, राजपूताना आदि में यह अक्षर-रूप ई० स० की 16वीं शताब्दी तक कहीं-कहीं मिल जाता है। जैसे कि,

३३= ७५, १००= ८५, १०२= ८५, १३१= ८५, १५०= ८५, २०६= ८५

आदि।


(6) संशोधन :—संशोधन का एक पक्ष तो उन प्रवादों से सावधान करता है जो लिपिकार से हो जाते हैं, और जिनके कारण पाठ भेद की समस्या खड़ी हो जाती है। यह पाठालोचन के क्षेत्र की बात है और वहीं इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है।

दूसरा पक्ष है हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखन की त्रुटि का संशोधन जो स्वयं लिपिकार ने किया हो। मुनि पुण्य विजय जी ने ऐसी 16 प्रकार की त्रुटियाँ बतायी हैं, और इन्हें ठीक करने या इनका संशोधन करने के लिए लिपिकारों द्वारा एक चिह्न-प्रणाली अपनायी जाती है, उसका विवरण भी उन्होंने दिया है।

ऐसी त्रुटियों के सोलह प्रकार और उनके चिह्न नीचे दिये जाते हैं :

दृष्टिनाम 1	चिह्ननाम 2	चिह्न 3
1. पतित पाठ (कही किसी अक्षर या शब्द का छूट जाना 'पतित पाठ' है)	पतित पाठ दशक चिह्न को 'हस पग' या 'मोर पग' कहा गया है। हिन्दी में 'काक पद' कहते हैं।	^, V, V, X, X
2. पतित पाठ विभाग	पतित पाठ विभाग दशक चिह्न	X
3. 'काना' [मात्रा की भूल]	काना दशक चिह्न	३ ~ ~ ~ ३
4. अक्षर- [किन्हीं अक्षरों में से अनुपयुक्त अक्षर लिख दिया गया।]	अक्षर-दशक चिह्न	'रेक' के समान होने से भ्रान्ति के कारण यह भी पाठ-भ्रान्ति में सहायक होता ही है। W जिस अक्षर पर यह चिह्न लगा होगा, उसका शुद्ध अक्षर उस स्थान पर मानना होगा। यथा: W सत्रु। यहाँ स पर यह चिह्न है W अतः इसे 'भ' पढ़ना होगा, क्षत्रिय पढ़ा जायगा 'क्षत्रिय'।
5. उलटी-मुलटी लिखाई	पाठपरावृत्ति दशक चिह्न	२, १ लिखना या 'बनकर' लिख गये

1	2	3
		<p>'वचनर' तो इसे ठीक करने के लिये व च न र लिखा जायगा। च न का अर्थ होगा कि 'न' पहले 'व' दूजे पड़ा जायगा। अधिक उलट सुलट हो तो क्रम से ३, ४ और अन्य अंकों का प्रयोग भी हो सकता है।</p>
6. स्वर-संघि की भूल	स्वर संप्रयोगदर्शक चिह्न	<p>अ= ५, आ= १, ७, ५५, इ= ८, ९, ५, ६ ई= ३, ५, ३= ६, ७, उ= २, ३, ४= ५ ए= २, ९= ९ ओ= ७, औ= ५, ५ अं= ६</p>
7 पाठ भेद*	पाठ भेद दर्शक चिह्न	प्र० पा०, प्रत्य० पाठा०, प्रत्यन्तरें पाठांतरम्
8. पाठ भेद	पाठानुसंधान दर्शक चिह्न	<p>उं.पं. उ३.पं३ चं.नी.पं.नी</p>
9 मिलित पदों में भ्रान्ति	पदच्छेद दर्शक चिह्न या वाक्यार्थ समाप्ति दर्शक चिह्न या पाद विभाग दर्शक चिह्न	<p>' । '</p> <p>यह मिलित पदों के ऊपर लगाया जाता है।</p>
10. विभाग-भ्रान्ति*	विभाग दर्शक चिह्न	। ।
11. पदच्छेद भ्रान्ति*	एकपद दर्शक चिह्न	<p>' । ' -</p> <p>ऐसे दो चिह्नों के बीच में प्रस्तुत पद में पदच्छेद-विषेय सूचित होता है।</p>
12. विभक्ति वचन* भ्रान्ति	विभक्ति वचन दर्शक चिह्न	<p>11, 12, 13, 23, 32, 41, 53, 62, 73, 82</p>

1	2	3
ये चिह्न विभक्ति और वचन में भ्रांति न हो इसलिए लगाये जाते हैं।	ये जोड़े से श्रृंखला आते हैं, जिनमें से पहला श्रृंखला विभक्ति-द्योतक (1=प्रथमा 6 वषठी आदि) तथा दूसरा वचन-द्योतक होता है। (1=एक वचन, 2=द्विवचन, 3=बहुवचन) जैसे 11 का अर्थ है प्रथमा एक वचन।	
13. पदों के अन्वय में अन्वयदर्शक चिह्न भ्रांति*		शिरोभाग पर अन्वय क्रम $\begin{matrix} 3 & 1 \\ \text{द्योतक श्रृंखला-यथा न ततोऽर्थांतर} \\ 4 & 2 \\ \text{स्वसवेदन प्रत्यक्षम्} \end{matrix}$ यहाँ 1 सस्या बाला पद पहले; 2 का उसके बाद, 3 उसके बाद तथा उसके बाद 4 एक बाला-इस क्रम से अन्वय होना है। ठीक अन्वय हुआ ततोऽर्थांतर प्रत्यक्ष न स्वसवेदनम्।
14. विशेषण-भ्रम विशेष्य-भ्रम*	विशेषण विशेष्य सम्बन्ध दर्शक चिह्न	U,  कभी-कभी वाक्यों में, प्रायः लम्बे वाक्यों में विशेषण कही और विशेष्य कही पड़ जाता है तब शिरोपरि लगाये गये उक्त चिह्नो से विशेषण-विशेष्य बताये जाते हैं, इससे भ्रांति नहीं हो पाती।
कुछ अन्य सुविधाओं के लिए कुछ अन्य चिह्न भी मिलते हैं जिनसे 'टिप्पणी' का पता चलता है, अथवा किसी शब्द का किसी दूसरे पद से विशिष्ट सम्बन्ध विदित हो जाता है।		
ऊपर के विवरण से यह भी स्पष्ट होगा कि ये चिह्न दो अभिप्राय सिद्ध करते हैं : एक तो इनसे लिपिकार की त्रुटियों का संशोधन हो जाता है, तथा दूसरे, पाठक को पाठ ग्रहण करने में सुविधा हो जाती है। हमने जिन पर पुष्प (*) लगाए हैं, वे त्रुटि मार्जन के लिए नहीं, पाठक की सुविधा के लिए हैं।		
(7) छूटे अंश की पूर्ति के चिह्न		
भूल से कभी कोई शब्द, शब्दांश, या बक्ष्यांश लिखने से छूट जाते हैं तो उसकी पूर्ति के कई उपाय शिक्षालेखों या पाण्डुलिपियों में किये गये मिलते हैं।		

पहले जैसा अक्षरों के शिलालेखों में मिलता है, जहाँ छूट हुई वहाँ उस वाक्य के ऊपर या नीचे छूटा हुआ अक्षर लिख दिया जाता था। कोई चिह्न-विशेष नहीं रहता था।

फिर ऊपर संशोधक चिह्नों में 'पतित पाठ दशक चिह्न' बताया गया है। इसे हस-पग, मोर पग या काक पद कहते हैं। इसे छूट के स्थान पर लगा कर छूटा पद पंक्ति के ऊपर या हाशिये में लिख दिया जाता है। पतित पाठ का अर्थ ही छूटा हुआ पद है। काक पद $\vee \wedge \vee \angle$ ये भी हैं और $\times +$ ये भी हैं।

किन्तु कभी-कभी इस कट्टम ($\times +$) के स्थान पर स्वस्तिक $\卐$ का प्रयोग भी मिलता है। यह भी छूट का द्योतक है और काक पद का ही काम करता है।

कुछ अन्य चिह्न

$\卐$ स्वस्तिक का उपयोग कही-कहीं एक और बात के लिए भी होता आया है : जहाँ कही प्रतिलिपिकार को अर्थ अस्पष्ट रहता है, वह समझ नहीं पाता है तो वह वहाँ यह स्वस्तिक लगा देता है या फिर 'कुंडल' (○) लगा देता है। कुंडल से वह उस अक्षर को घेर देता है, जो उसे अस्पष्ट लगा या समझ में नहीं आया।

(8) संकेताक्षर या 'संक्षिप्त चिह्न'¹ (Abbreviations)

भारत में शिलालेखों तथा पाण्डुलिपियों में संक्षिप्तीकरण पूर्वक संकेताक्षरों की परिपाटी ग्राम्नों और कुपाणों के समय से विशेष परिलक्षित होती है। विद्वानों ने ऐसे संकेताक्षरों की सूची अपने ग्रन्थों में दी है। वह यो है :

1. सम्बत्सर के लिए सम्ब, सब, स या स०
2. ग्रीष्म² - ग्री० (गृ०) गै० गि० या गिगहन
3. हेमन्त - हे०
4. दिवस - दि०
5. शुक्ल पक्ष दिन—सु० सुदि० या सुति०। शुक्ल पक्ष को शुद्ध भी कहा जाता है।
6. बहुल पक्ष दिन—ब०, ब०दि०, या बति०
7. द्वितीय - द्वि०
8. सिद्धम् - ओ० श्री० सि०
9. राजत - रा०
10. दूतक—दू० (सदेश वाहक या प्रतिनिधि)
11. गाथा - गा०
12. श्लोक - श्लो०
13. पाद - पा०
14. ठक्कुर - ठ०

1. यह पर्याय प्रो० वासुदेव उपाध्याय द्वारा दिया गया है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 206।
2. उपाध्याय जी ने गुण्य रूप दिया है। वही, पृ० 260।

15. एद० ॥ या एदं० ॥ — 'घोकार' का चिह्न
कुछ लोगो का विचार रहा है कि यह चिह्न स० 980 है। जैन-शास्त्र-लेखन इसी
संवत् से आरम्भ हुआ पर मुनि पुण्यविजय जी इसे 'घो०' का चिह्न मानते हैं।
16. ॥ ॐ ॥ ये चिह्न कभी-कभी ग्रन्थ की समाप्ति पर लगे मिलते हैं।
॥ ॐ ॥ ये 'पूर्ण कुम्भ' के द्योतक चिह्न हैं। जो 'मंगल वस्तु' है।
17. -६०३-के०, ५६

किन्हीं-किन्हीं पुस्तको के अन्त में ये चिह्न मिलते हैं। मुनि पुण्यविजयजी का विचार
है कि पाण्डुलिपियो में अक्षयन, उद्देश्य, श्रुतस्कंध, सर्ग, उच्छ्वास, परिच्छेद, लंभक,
कांड आदि की समाप्ति को एकदम ध्यान में बैठाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की
चित्राकृतियाँ बनाने की परिपाटी थी, ये चिह्न भी उसी निमित्त लिखे गये हैं।

(10) लेखक द्वारा अंक लेखन

उपर हम अक्षरों से अंक लेखन की बात बता चुके हैं, पर ग्रन्थो में तो शब्दों से
अंक द्योतन की परिपाटी बहुत लोकप्रिय विदित होती है। पाण्डुलिपियों की पुष्पिकाओं में
जहाँ रचना काल आदि दिया गया है वहाँ कितने ही रचयिताओं ने शब्दों से अंक का काम
लिया है।¹

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के ग्रन्थों में शब्दों से अंक
सूचित करने की परिपुष्ट प्रणाली मिलती है। भा० जैन श्र० स० तथा भा० प्रा० लि०
मा० में 'अंको' के लिये उपयोग में आने वाले शब्दों की सूची दी गई है। घोभा जी का
यह प्रयत्न प्राचीनतम है, भा० जैन श्र० सं० बाद की कृति है। दोनों के आधार पर यह
सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पहले इकाई की संख्या
वाचक फिर दहाई एवं सैंकडे व हजार की संख्या के बोधक शब्दों का प्रयोग होता है जैसे-
कि पाद टिप्पणी का भाग (अ) संवत् 1623 को बता रहा है।

1. कुछ ग्रन्थों में से उदाहरण इस प्रकार हैं .

- (अ) 3 2 6 1
गुणनयनरसेभु मिते वर्षे चाव प्रकरणवि पुरि :
- (ब) 7 8 4 1
मुनि भसु सागर सितकर मित वर्षे सम्यक्त्व कौमुदी ।
- (घ) 1 1 8 1
संघत ससिद्धतवसु ससी भास्वनि मिति तिपि नाग,
दिन मंगल मंगल करन हरत सकल दुख दाग ।
- (ङ) 4 1 8 1
वेद इन्दु गज भू गमित सवत्सर कविचार,
भावन शुक्ल श्रयोदशी रष्यो ग्रन्थ सुविधारि ।
- (च) 6 7 7 1
रत सागर रवितुरत विभु संघत यपुर वसंत,
विकस्यो 'दलिक रत्नाल' लखि हुतसत सुहृद व सन्त' ।

- 0- शून्य, क्ष, गगन, आकाश, अम्बर, अन्न, वियत्, व्योम, अन्तरिक्ष, नभ, पूर्ण, रत्न प्रादि । + बिन्दु, छिद्र ।
- 1-- भादि, शशि, इन्दु, विष्णु, चन्द्र, शीतानु, शीतरश्मि, सोम, शशांक, सुचांशु, धञ्ज, भू, भूमि, क्षिति, धरा, उर्वरा, गो, वसुधरा, पृथ्वी, क्षमा, धरणी, वसुधा, इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, तनु, आदि । + कलि, सितरुच, निवेश, निशाकर, औषधीश, क्षपाकर, दाक्षायणी-प्राणेश, जैवातृक ।
- 2- यम, यमल, अश्विन, नासत्य, दल, लोचन, नेत्र, अक्षि, दृष्टि, चक्षु, नयन, ईक्षण, पक्ष, बाहु, कर, कर्ण, कुच, घोष्ठ, गुल्फ, जानु जंचा, द्वय, द्वन्द्व, युगल, युग्म, अयन, कुटुम्ब, रविचन्द्रो, आदि । + श्रुति, श्रोत्र ।
- 3- राम, गुण, त्रिगुण, लोक, त्रिजगत्, भुवन, काल, त्रिकाल, त्रिगत, त्रिनेत्र, सहोदरा, अग्नि, वह्नि, पावक, वैश्वानर, दहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिलिन, कृशानु, होतृ आदि । + त्रिपदी, अमल, तत्त्व, त्रैत, शक्ति, पुष्कर, संख्या, ब्रह्म, वर्ण, स्वर, पुरुष, अर्थ, गुप्ति ।
- 4- वेद, श्रुति, समुद्र, सागर, अग्नि, जलधि, उदधि, जलनिधि, अम्बुधि, केन्द्र, वर्ण, आश्रम युग, तुर्ष, कृत, अय, प्राय, दिश, दिशा, बन्धु, कोष्ठ, वर्ण प्रादि । + वाङ्मि, नीरधि, नीरनिधि, बारिधि, बारिनिधि, अंबुनिधि, अम्बोधि, अर्णव, ध्यान, गति, सजा, कषाय ।
- 5- बाण, शर, सायक, इप्सु, भूत, पर्व. प्राण. वाण्डव, अर्थ. विषय, महाभूत, तत्त्व, इन्द्रिय, रत्न प्रादि । + अक्ष, वर्त्म, व्रत, समिति, कामगुण, शरीर, अनुत्तर, महाव्रत, शिवमुख ।
- 6- रस, अग, काम, ऋतु, मासार्थ, दर्शन, राग, अरि, शास्त्र, तर्क कारक, प्रादि । + समास, लेश्या, क्षमालड, गुण, गुहक, गुहवक्त्र ।
- 7- नग, अग, भूभूत, पर्वत, शैल, अद्रि, गिरि, ऋषि, मुनि, अत्रि, वार, स्वर, धातु, अश्व, नुरग, वाजि, द्वन्द, धी, कलत्र प्रादि । + हय, भय, सागर, जलधि, लोक ।
- 8- वसु, अहि, नाग, गज, दति, दिग्गज, हस्तिन्, मातंग, कुजर, द्वीप, सर्प, तक्ष, सिद्धि, भूति, अनुष्टुभ, मगल, प्रादि । + नागेन्द्र, करि, मद, प्रभावक, कर्मन, धी गुण, बुद्धि गुण, सिद्ध गुण ।
- 9- अक, नन्द, निधि, अह, रन्ध, छिद्र, द्वार, गो, पवन प्रादि । + लग, हरि, नारद, रव, तत्त्व, ब्रह्म गुप्ति, ब्रह्मवृत्ति, प्रवेयक ।
- 10- दिश, दिशा, आशा, अंगुलि, पंक्ति, कुकुभ, रावणशिरं, अश्वतार, कर्मन प्रादि । + यतिधर्म, अमणधर्म, प्राण ।
- 11- रुद्र, ईश्वर, हर, ईश, भव, भर्ग, हूलिन, महादेव, अज्ञौहिणी प्रादि । + शूलिन ।
- 12- रवि, सूर्य, अकं, मातंण्ड, द्युमणि, भानु, प्रादित्य, दिवाकर, मास, राशि, व्यय प्रादि । + दिनकर, उष्णांशु, चक्रिन, भावना, भिज्जु प्रतिभा, यति प्रतिभा ।
- 13- विश्वदेवाः, काम, अतिजगती, अघोष प्रादि । + विश्व, क्रिया स्थान, यज्ञः ।
- 14- मनु, विद्या, इन्द्र, जक्र, लोक प्रादि । + वासव, भुवन, विश्व, रत्न, गुणस्थान, पूर्वं, भूतधाम, रज्जु ।

- 15- तिथि, घर, दिन, झल्ल, पक्ष आदि । + परमाधिक ।
 16- नृप, भूप, भूपति, घष्टि, कला, आदि । + इन्दुकला, शशिकला ।
 17- अत्यष्टि ।
 18- धृति, + अन्नहृ, पापस्थानक ।
 19- प्रतिघृति ।
 20- नख, कृति ।
 21- उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग ।
 22- कृति, जाति, + परीषह ।
 23- विकृति ।
 24- गायत्री, जिन, अर्हत्, सिद्ध ।
 25- तत्त्व ।
 27- नक्षत्र, उद्यु, भ, इत्यादि ।
 32- दन्त, रद + रदन ।
 33- देव, अमर, त्रिदश, घुर ।
 40- नरक ।
 48- अगती ।
 49- तान, पवन ।
 + 64-स्त्री कला ।
 + 72-पुरुष कला ।


यह बात यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक ही शब्द कई अर्थों के पर्याय के रूप में आया है । उदाहरणार्थ—तत्त्व 3, 5, 9, 25 के लिए आ सकता है । उपयोग कर्ता और अर्थ कर्ता को उसका ठीक अर्थ अन्य सन्दर्भों से लगाना होगा ।


साहित्य में भी कवि-समय या काव्य रूढ़ि के रूप में सख्या को शब्दों द्वारा बताया जाता है । साहित्य-शास्त्र के एक ग्रन्थ से यहाँ शब्द और सख्या विषयक तालिका उद्धृत की जाती है जो 'काव्य कल्पलता वृत्ति' में दी गयी है ।

संख्या

पर्याय

- एक- आदित्य, मेरु, चन्द्र, प्रासाद, दीपदण्ड, कलश, खंग, हर नेत्र, शेष, स्वर्दण्ड, अगुंष्ट, हस्तिकर, नासा, वंश, विनायक-दन्त, पताका, मन, शक्राश्व, अर्द्धतवाद ।
 दो- भुज, दृष्टि, कर्ण, पाद, स्तन, संध्या, राम-लक्ष्मण, श्रृंग, गजदन्त, प्रीति-रति, गंगा-गौरी, विनायक-स्कन्द, पक्ष, नदीतट, रथधुरी, खग-धारा, भरत-शत्रुघ्न, राम-सुत, रवि-चन्द्र ।
 तीन- भुवन, बलि, बलि, विद्या, संध्या, गज-जाति, शम्भुनेत्र, त्रिशिरा, मौलि, दशा, क्षेत्रपाल-कण, काल, मुनि, दण्ड, त्रिफला, त्रिशूल, पुरुष, पलाश-दल, कालिदास-काव्य, वेद, अथर्वशा, कम्बु-भीमारेखा, त्रिकूट-कूट, त्रिपुर, त्रियामा, यामा, यज्ञोपवीत सूत्र, प्रदक्षिणा, युक्ति, शल्य, मुद्रा, प्रणाम, शिव, भवमार्ग, शूमेतर ।
 चार- ब्रह्मा के मुख, वेद, वर्ण, हरिभुज, सूर-गज-रद, चतुरिका स्तम्भ, सच, समुद्र, आश्विन, गो-स्तन, आश्रम कथाय, दिशाएँ, गज जाति, याम, सेना के अंग, दण्ड, हस्त,





दशरथ-पुत्र, उपाध्याय, ध्यान, कथा, अभिनय, रीति, गोचरण, माल्य, संज्ञा, प्रसुर भेद, योजनक्रोश, लोकपाल ।

पांच- स्मर, बाण, पाण्डव, इन्द्रिय, करांगुलि, शम्भुमुख, महायज्ञ, विषय, व्याकरणांग, व्रत-वर्ति, पाशर्व, फणि-फण, परमेष्ठि, महाकाव्य, स्थानक, तनु-वात, मृगशिर, पंचकुलं, महाभूत, प्रणाम, पंचोत्तर, विमान, महाव्रत, मरुत्, शस्त्र, श्रम, तारा ।

छ:- रस, राग, ब्रज-कोण, त्रिशिरा के नेत्र, गुण, तर्क, दर्शन, गुहमुख ।

सात- विवाह, पाताल, शक्रवाह-मुख, दुर्गति, समुद्र, भय, सप्तपर्ण-पर्ण ।

आठ- दिशा, देश, कुम्भपाल, कुल, पर्वत, शम्भु-मूर्ति, वसु, योगांग, व्याकरण, ब्रह्म, धृति अहिकुल ।

नी- मुद्या-कुण्ड, जैन पद्म, रस, व्याघ्रो-स्तन, गुप्ति, अग्निग्रह ।

दश- रावण-मुख, अगुनी, यति-धर्म, शम्भु, कर्ण, दिशाएँ, अगद्वार, अक्षया-दश ।

ग्यारह- रुद्र, अस्त्र, नेत्र, जिनमतोक्त अंग, उपांग, ध्रुव, जिनोपासक, प्रतिमा ।

बारह- गुह के नेत्र, राशियाँ, माम, संक्रान्तियाँ, आदित्य, चक्र, राजा, चक्रि, सभासद् ।

तेरह- प्रथम जिन, विश्वेदेव ।

चौदह- विद्या-स्थान, स्वर, भुवन, रत्न, पुरुष, स्वप्न, जीवाजीवोपकरण, गुण, मार्ग, रज्जु, सूत्र, कुल, कर, पिण्ड, प्रकृति, स्रोतस्विनी ।

पन्द्रह- परम धार्मिक तिथियाँ, चन्द्रकलाएँ ।

सोलह- शशिकला, विद्या देवियाँ ।

सत्रह- संयम

अट्ठारह-विद्याएँ, पुराण, द्वीप, स्मृतियाँ ।

उन्नीस- शाताध्ययन

बीस- करशाखा, सकल-जन-मख और अंगुलियाँ, रावण के नेत्र और भुजाएँ ।

शत- कमल दल, रावणांगुलि, शतमुख, जलाधि-योजन, शतपत्र-पत्र, आदिम जिन-मुत, धृतराष्ट्र के पुत्र, जयमाला, मणि हार, स्रज, कीचक ।


सहस्र- अहिपति मुख, गंगामुख, पंकज-दल, रविकर, इन्द्रनेत्र, विश्वामित्राश्रम वर्प, अर्जुन-मुज, सामवेद की शाखाएँ, पुण्य-नर-हृष्ट-चन्द्र ।¹


यहाँ तक हमने सामान्य परम्पराओं का उल्लेख किया है ।

विशेष में ऐसी परम्पराएँ आती हैं, जिनके साथ विशिष्ट भाव और धारणाएँ संयुक्त रहती हैं, इनमें कुछ आनुष्ठानिक भाव, टोना या धार्मिक सन्दर्भ रहता है । साथ ही अन्धेतर कोई अन्य अभिप्राय भी सलग्न रहता है । इस अर्थ में हमने 10 बातें ली हैं :

(1) मंगल-प्रतीक मंगल प्रतीक या मंगलाचरण-शिलालेख, लेख या ग्रन्थ लिखने से पूर्व मंगल-चिह्न या प्रतीक जैसे स्वस्तिक 卐 या शबर बद्ध मंगल आदि अंकित करने की प्रथा प्रथम शताब्दी ई० पू० के अन्तिम चरण से और ई० प्रथम के आरम्भ से मिलने लगती है । इससे पूर्व के लेख बिना मंगल-चिह्न, प्रतीक या शब्द के सीधे आरम्भ कर दिये जाते थे । मंगलारंभ के लिए सबसे पहले 'सिद्धम्', शब्द का प्रयोग हुआ, फिर इसके लिए

1. हमने यह उल्लेख श्री० रजिन्द्र प्रसाद मुखर्जी के 'भारतीय साहित्य' (अप्रैल, 1957) में प्रकाशित (पृ० १२४-१२९) लेख से ली है ।

एक चिह्न परिकल्पित हुआ । पहले यह चिह्न श्रीर 'सिद्ध' दोनों साथ-साथ घ्राये

फिर अलग-अलग भी इनका प्रयोग हुआ। वस्तुतः यह चिह्न 'धो०'  का स्थानापन्न है। आगे चलकर 'इष्ट सिद्धम्' का उपयोग हुआ भी मिलता है, पर 'सिद्धम्' बहुत लोकप्रिय रहा।

पौचवीं शताब्दी ईसवी में एक और प्रतीक मंगल के लिए काम में आने लगा यह था 'स्वस्ति'। इसके साथ 'धोम' भी लगाया जाता था, 'स्वस्ति' या 'धोम स्वस्ति', कभी-कभी 'धोम' के लिए '१' का प्रयोग भी कर दिया जाता था।

'धोम्', 'धोम् स्वस्ति' या 'स्वस्ति' मात्र के साथ 'स्वस्ति श्रीमान्' भी इसी भाव से लिखा मिलता है। फिर कितने ही मंगल प्रतीक मिलते हैं, जैसे—स्वस्ति जयत्याविष्कृतम्, धोम् स्वामी महासेन धोम् स्वस्ति अमर सकाण, स्वस्ति जयत्यमल, धोम् श्री स्वामी महासेन, धोम् स्वस्ति जयत्याविष्कृतम्, धोम् स्वस्ति जयश्चाम्युदयश्च। धोम् नम शिवाय अथवा नमश्शिवाय, श्री धोम् नमः शिवाय, श्री धोम् नम शिवाभ्याम्, धोम् धोम् नमो विनायकाय, धोम् नमो वराहाय, धोम् श्री आदि-वाराहाय नम, धोम् नमो देवराज-देवाय, धोम् नमः सर्वज्ञाय। ये शिलालेखों आदि से प्राप्त मंगल-प्रतीक हैं। पर हस्तलेखों-पाण्डुलिपियों में हमें 'जिन' स्मरण मिलता है या अग्रपदे सप्रदाय के सस्थापक का 'धोम् निम्बार्काय या 'वाग्देवी' का स्मरण 'धोम् सरस्वत्य नम' और सामान्यतः "श्री गणेशाय नमः" मिलता है। राम-सीता, कृष्ण राधा का स्मरण भी मिलता है। इस प्रकार की अनेक विधियों से पाण्डुलिपियों में मंगल शब्द मिलते हैं जिनका काल-क्रम निर्धारण नहीं किया गया है, जैसा कि शिलालेखों के मंगल वाचकों का हुआ है।

(2) नमस्कार (Invocation) — ऊपर के विवरण में हम मंगल या स्वस्ति के साथ 'नमस्कार' को भी मिला गये हैं। 'नमोकार' या 'नमस्कार' एक अन्य भावाश्रित तत्त्व है। इसको अंग्रेजी में डॉ. पांडेय ने INVOCATION (इनवोकेशन) का नाम दिया है। वस्तुतः जिस मांगलिक शब्द-प्रतीक में 'नमो'-कार लगा हो वह ईवोकेशन या नमोकार ही है। सबसे प्राचीन नमोकार खारबेल के हाथी-गुम्फा वाले अभिलेख में आता है। सीधे नादे रूप में 'नमो अहंतानाम्' एवं 'नमो सर्वे मिद्धानाम्' आता है।¹ शिलालेखों में जिनको नमस्कार किया गया है वे हैं-धर्म, इन्द्र, संकर्षण, वामुदेव, चन्द्र, सूर्य, महिमावतानाम, लोकरपाल, यम, वरुण, कुबेर,

1. इस सम्बन्ध में मुनि पुष्पविजय जी का यह कथन है कि "भारतीय आर्य संस्कृति या अनुयाइयो कोई पण कार्यनी शुरुआत कोई ने कोई नामु के मोडु मंगल करीने जेज करे छे ने सायवन निश्चामु-नुसार ग्रन्थ लेखनना आरम्भ या हरेक लेखकों उं नम ऐं नमः, जयत्यनेकांतकण्ठी रवः, नमो जिनाय, नमः श्री गुरुभ्यः, नमो बीतरागायः, ॐ नम सरस्वत्यै, ॐ नम. सर्वज्ञाय, नमः श्री सिद्धार्थसुताय इत्यादि अनेक प्रकारना देव गुरु धर्म इष्टदेवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मंगलसूचक नमस्कार करता लगता,....." — भारतीय जैन धर्मण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 57-58।

वासव, अर्हत, वर्द्धमान, बुद्ध, भागवत-बुद्ध, संबुद्ध, भास्कर, विष्णु, गरुड, केतु (विष्णु) शिव, पिनाकी, शूलपाणि, ब्रह्मा, आर्या वसुधारा (बौद्धदेवी) । हिन्दी पाण्डुलिपियों में यह नमोकार विविध देवी-देवताओं से सम्बन्धित तो होता ही है, सम्प्रदाय-प्रवर्तक गुणों के लिए भी होता है ।

(3) **आशीर्वाचन या मंगल कामना (Benediction)** -- यों तो 'मंगल-कामना' के बीज-रूप अशोक के शिलालेखों में भी मिल जाते हैं किन्तु इसकी सन् की आरम्भिक शताब्दियों में मंगलकामना का रूप निखरा और यह विशेष लोकप्रिय होने लगी । वस्तुतः गुप्त-काल में इसका विकास हुआ और भारतीय इतिहास के मध्ययुग में यह परिपाटी अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई ।

(4) **प्रशस्ति (Laudation)** -- किये गये कार्य की प्रशंसा और उसके शुभ फल का उल्लेख प्रशस्ति में होता है, इसमें शुभ कार्य के कर्ता की प्रशस्ति भी गमित रहती है । इसका बीज तो अशोक के अभिलेखों में भी मिल जाता है । इनमें नैतिक और धार्मिक कृत्यों, फलतः उनके कर्ताओं की सन्तुलित प्रशस्ति या प्रशंसा मिलती है ।

गुप्त एवं वाकाटक काल में प्रशस्ति-लेखन एक नियमित कार्य बन गया और इसमें विस्तार भी आ गया, इनमें दानदाताओं की प्रशंसा के साथ उन्हें अमृत दिव्य फल की प्राप्ति होगी, यह भी उल्लेख किया गया है । आगे चल कर धर्म शास्त्रों एवं स्मृतियों के अंग भी पावन कार्य की प्रशंसा में उद्धृत किये गये मिलते हैं यथा :

बहुभिर्बसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥
पण्डि वर्ष सहस्राणि स्वर्गे मोदेत भूमिदः ।
(दामोदरपुर ताम्रपत्रानुवास्त्वे)¹

विद्यापति की कीर्तिलता में यह प्रशस्ति अंग इस प्रकार आया है :

गेहे गेहे कली काव्यं, श्रोतानस्य पुरे पुरे ॥1॥
देशे देशे रमजाता, दाता जगति दुर्लभः ॥2॥²

बाद में यह परम्परा लकीर-पीटने की भाँति रह गई ।

(5) **वर्जन-निन्दा-शाप (Imprecation)** -- इसका अर्थ होता है किसी दुष्कृत्य की अवमानना या भर्त्सना, जिसे शाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है । इसे किसी शिलालेख, अनुशासन, या ग्रन्थ में लिखने का अभिप्राय यही होता था कि कोई उक्त दुष्कृत्य न करे जिसमें वह शाप का भागी बन जाये । ऐसी निन्दा के बीज हमें अशोकभिलेखों में भी मिलते हैं -- यथा, यह परिस्रव है जो अघुष्य है (एसनु पीरस्तवे य अघुंजा) । निन्दा या शाप-वाक्यों का नियमित प्रयोग चौथी शताब्दी ईसवी से होने लगा था । छठी से तेरहवीं ईसवी शताब्दी के बीच यह निन्दा-परम्परा लकीर पीटने का रूप ग्रहण कर लेती है । बाद में कुछ शिलालेखों में इसके स्थान पर केवल 'गड्डे गलस'

1. Pandey, R. B.—Indian Palaeography, p. 163.

2. अक्षयल, शापुदेवदत्त (सं.)—कीर्तिलता, पृ० 4.

अर्थात् 'गदहा शाप' गंवारू गाली के रूप में लिखा गया है और एक में तो गदहे का ही रेखांकन कर दिया गया है। भारतीय मध्य-युगीन भाषाओं की काव्य-परंपरा में खल-निन्दा का भी यही स्थान है। इसके द्वारा अशोभनीय कार्य न करने की बर्जना अभिप्रेत होती है।

(6) उपसंहार : पुष्पिका—उपसंहार या समाप्ति की पुष्पिका में इन बातों का समावेश रहता था—

(1) रचनाकार — (कवि आदि) का नाम, लेखादि को अनुष्ठित कराने वाले या अनुष्ठिता का नाम, उत्कीर्ण कर्ता का नाम, दूतक का नाम।

(2) काल — रचना काल, तिथि आदि, लेखन काल, प्रतिलिपि काल।

(3) स्वस्तिवचन—यथा : एवं संगर-साहस-प्रमयन प्रारब्ध लब्धोदया 1258।
पुष्पाति श्रियमाशाशंकचरणी श्री कीर्तिसिहोत्प. 1259।

(4) निमित्त—

(5) समर्पण, यथा—माधुर्य-प्रभवस्थली गुरु यशो-विस्तार शिक्षा सखी
यावद्विषमिदंश्च खेलनु कवेविद्याप्रतेभारती ।¹

(6) स्तुति—

(7) निन्दा—

(8) राजाज्ञा — [जिससे यह कृति यों प्रस्तुत की गई]

यथा— संवत् 747 वैशाख शुक्ल तृतीया तिथौ । श्री श्री जय जग
ज्योतिर्मल्ल-देव-भूपानामाज्ञया देवज्ञ-नारायण-सिंहेन
लिखितमिदं पुस्तकं सम्पूर्णमिति शिवम्

शुभाशुभ

भारतीय परम्परा में प्रत्येक बात के साथ शुभाशुभ किसी न किसी रूप में जुड़ा ही हुआ है। ग्रन्थ-रचना की प्रक्रिया में भी इसका योग है।

पुस्तक का परिमाण क्या हो, इस सम्बन्ध में 'योगिनी तन्त्र' में यह उल्लेख है :

मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य श्रूणु देवि समासत ।

मानेनापि फलं विद्यादमाने श्रीर्हता भवेत् ।

हस्तमान पुष्टिमान मा बाहु द्वादशा गुलम् ।

दशांगुलं तथाष्टौ चततो हीनं न कारयेत् ।

इसमें विधान है कि परिमाण में पुस्तक द्वाय भर, मूठो भर, बारह उगली भर, दस उंगली भर और घाठ उंगली भर तक की हो सकती है। इससे कम होने से 'श्री हीनता' का फल मिलना है। श्री हीन होना अशुभ है।

कैसे पत्र पर लिखा जाय ? 'योगिनी तन्त्र' में बताया है कि भूर्जपत्र, तेजपत्र, ताड़पत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र, केतकी पत्र, मार्तण्ड पत्र, रौप्यपत्र, बट-पत्र पर पुस्तक लिखी जा सकती है, अन्य किसी पत्र पर लिखने से दुर्गति होती है। जिन पत्रों का ऊपर उल्लेख हुआ है उन पर लिखना शुभ है, अन्य पर लिखना अशुभ है।

1. ब्रह्मसूत्र, बानुषेधरय (सं.)—कीर्तिलता, पृ० ११४।





इसी प्रकार 'वेद' को पुस्तक रूप में लिखना निषिद्ध बताया गया है । जो व्यक्ति लिख कर वेदों का पाठ करता है उसे ब्रह्महत्या लगती है, और घर में लिखा हुआ वेद रखा हुआ हो तो उस पर बध्मपात होता है ।

लेखक विराम में शुभाशुभ

भा० जै० श्र० स० में शुभाशुभ की एक और परम्परा का उल्लेख हुआ है । यदि लेखक या प्रतिलिपिकार लिखते-लिखते बीच में किसी कार्य में लेखन-विराम करना चाहता है तो उसे शुभाशुभ का ध्यान रखना चाहिये ।

उसे क, ख, ग, च, छ, ज, ठ, ड, ण, थ, द, घ, न, फ, भ, म, य, र, व, स, ह, झ, ञ पर नहीं रुकना चाहिये । इन पर रुकना अशुभ माना गया है । शेष में से किसी भी अक्षर पर रुकना शुभ है ।

अशुभ अक्षरों के सम्बन्ध में अलग-अलग अक्षर की फल श्रुति भी उन्होंने दी है ।

'क' कट जावे, 'ख' ला जावे, 'ग' गरम होवे, 'ब' बल जावे, 'छ' छटक जावे, 'ज' जोखिम लावे, 'ठ' ठाम न बैठे, 'ड' डह जाये, 'ण' हानि करे, 'य' विरता या स्थिरता करे, 'द' दाम न दे, 'घ' घन छुडावे, 'न' नाश या नाठि करे, 'फ' फटकारे, 'भ' भ्रमावे, 'म' मट्टा या मन्द है, 'प' पुनः न लिखे, 'र' रोवे, 'व' लिखावे, 'स' सन्देह घरे, 'ह' हीन हो, 'झ' क्षय करे, 'ञ' ज्ञान न हो ।

जिन्हें शुभ माना गया है उनकी फल-श्रुति इस प्रकार है :

'ष' घरही लावे, 'ऋ' भट करे, 'ट' टकावी (?) राखे, 'ड' डिगे नहीं, 'त' तुरन्त लावे, 'प' परमेश्वर का है, 'ब' बनिया है, 'ल' लावे, 'व' वावे (?), 'श' शान्ति करे ।

इसमें मारवाड की एक और परम्परा का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ 'त्र' अक्षर घाने पर ही लेखन-विराम किया जाता है और बहुत जल्दी उठना आवश्यक हुआ तो एक अन्य कागज पर 'व' लिख कर उठते हैं ।

शुभाशुभ सम्बन्धी सभी बातें ग्रन्थ-विश्वास मानी जायेंगी पर ग्रन्थ-रचना या ग्रन्थ-लेखन या प्रतिलिपिकरण में ये परम्पराएँ मिलती हैं, अतः पाण्डुलिपि-विज्ञान के शानार्थी के लिए यहाँ देदी गई है ।

भारतीय भावधारा के अनुसार लेखन प्रक्रिया में घाने वाली सभी वस्तुओं के साथ गुण-दोष या शुभ-अशुभ की मान्यता से एक टोने या अनुष्ठान की भावना गुपी रहती है । इसी प्रकार 'लेखन' के लिए जो अनिवार्य उपकरण है उस लेखनी के साथ भी यह धार्मिक भावना हमें ग्रन्थों में वाणिज मिलती है ।

लेखनी - शुभाशुभ

लेखनी के सम्बन्ध में ये प्रचलित श्लोक 'भारतीय जैन श्रमण सस्कृति घने लेखन कला' में दिये गये हे :

ब्राह्मणी श्वेतवर्णाच, रक्तवर्णाच क्षत्रिणी,
 वैश्यकी पीतवर्णाच. ब्रामुरी श्यामलेखिनी ॥1॥
 श्वेते सुख विजानीयात्, रक्ते दरिद्रता भवेत् ।
 पीते च पुष्कला लक्ष्मीः, ब्रामुरी क्षयकारिणी ॥2॥
 चित्ताग्रे हरते पुत्रमाधोमुखी हरते धनम् ।
 वामे च हरते विद्यां दक्षिणां लेखिनी लिखेत् ॥3॥
 अत्र ग्रन्थिहरेदायुर्मध्य ग्रन्थिहरेद्वनम् ।
 पृष्ठग्रन्थिहरेत सर्वं निग्रन्थिं लेखिनी लिखेत् ॥4॥
 नवांगुलमिता श्रेष्ठा, अष्टौ वा यदि नाऽधिकता,
 लेखिनी लेखयेन्निरय धन-धान्य समागमः ।5।
 इति लेखिनी विचारः ॥¹

अष्टाङ्गुलप्रमाणेन, लेखिनी सुखदायिनी,
 हीनायाः हीन कर्मस्यादधिकस्याधिक फलम् ॥1॥
 आद्य ग्रन्थीहरेदायुर्मध्य ग्रन्थी हरेद्वनम् ।
 ग्रन्थ्य ग्रन्थीहरेन्सौख्यं, निग्रन्थी लेखिनी शुभा ।²
 माघे ग्रन्थी मत (मति) हरे, :
 बीच ग्रन्थि धन लाय,
 चार तसुनी लेखणे
 लखनारो कट जाय ॥1३

इन श्लोकी से विदित होता है कि लेखनी के रंग, उससे लिखने के दृग, लेखनी में गँठें, लेखनी की लम्बाई आदि सभी पर शुभाशुभ फल बताये गये हैं, रंग का सम्बन्ध वर्ण से जोड़ कर लेखनी को भी चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का माना गया है :

सफेद वर्ण की लेखनी ब्राह्मणी —इसका फल है सुख
 लाल वर्ण की क्षत्राणी —इसका फल है दरिद्रता
 पीले वर्ण की वैश्यकी —इसका फल है पुष्कल धन,
 श्याम वर्ण की ब्रामुरी होती है एवं इसका फल होता है धन-नाश ।

किन्तु इस सम्बन्ध शुभ-अशुभ के अन्तरंग में यथार्थ अर्थ यही है कि निर्दोष लेखनी ही सर्वोत्तम होती है, उसी से लेखक को लेखन करना उचित है ।

वैसे 'लेखनी' एक सामान्य शब्द है, जिसका प्रयोग तुलिका, शलाका, वर्णवर्तिका,⁴ बणिक्का⁵ और वर्णक⁶ सभी के लिए होता था । पत्थर और घातु पर अक्षर

- 1 भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 34 ।
- 2 यह श्लोक स्व० चिन्मनल प० बलाल द्वारा सम्पादित 'लेख पद्धति' में भी आया है ।
- 3 भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 34 ।
- 4 बसन्तुभार चरित में ।
- 5 कीर्त्त में ।
- 6 क्षिति-विस्तर में ।

उत्कीर्ण करने वाली शलाका भी लेखनी है। बिनांकन करने वाली कुंची तूलिका भी लेखनी है, अतः लेखनी का अर्थ बहुत व्यापक है। लेखन के अन्य उपकरणों के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं। वूड्लरने बताया है कि "The general name of 'an instrument for writing' is lekhami, which of course includes the stylus, pencils, brushes, reed and wooden pens and is found already in the epics."¹

नरसल या नेत्रे की लेखनी का प्रयोग विशेष रहा। इसे 'कलम' कहा जाता है।² इसके लिए भारतीय नाम है इपीका या ईषिका जिसका शब्दार्थ है नरसल (reed)।

डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द भोभा जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कलम शीर्षक से यह सूचना दी है कि

"विद्यार्थी लोग प्राचीन काल से ही लकड़ी के पाटो पर लकड़ी की गोल तीखे मुख की कलम (वर्णक) से लिखने चले आते हैं। स्याही से पुस्तके लिखने के लिए नड (बक) या बाँस की कलमें (लेखनी) काम में आती हैं। अजंता की गुफाओं में जो रंगों से लेख लिखे गये हैं वे महीन बालों की कलमों (बतिका) से लिखे गये होंगे। दक्षिणी शैली के ताडपत्रों के अक्षर कुचरने के लिए लोहे की तीखे गोल मुख की कलम (शलाका) अब तक काम में आती है। कोई-कोई ज्योतिषी जन्मपत्र और वर्षफल के खरडों के लम्बे हाशिये तथा आड़ी लकीरें बनाने में लोहे की कलम को अब तक काम में लाते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल और नीचे का स्याही के परकार जैसा होता है।"³

पाश्चात्य जगत् में एक और तो पत्थरों और शिलाओं में उत्कीर्ण करने के लिए छेनी (Chisel) को आवश्यक माना गया है, वही लेखनी के लिए पख (पर या पख), नरसल या धातु शलाका का भी उल्लेख मिलता है। पाश्चात्य जगत् में पख की लेखनी का प्राचीनतम उल्लेख 7 वीं शती ई० में मिलता है।⁴

कोईकम आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है। यह एक प्रकार से दो या अधिक काष्ठ-पाटियों से बनती थी। ये काष्ठ पाटियाँ एक छोर पर छेदों में से लौह-छरलों से जुड़ी रहती थी। इन पर मोम बिछा रहता था। इस पर एक धातु शलाका से खुरच कर या कुरेद (उकेर) कर अक्षर लिखे जाते थे।

"One wrote or scratched (which is the original meaning of the word) with a sharply pointed instrument, the stylus which had at the other end a flat little spatula for erasing, like the eraser at the end of the modern pencil."⁵

यह स्टाइलस भोभा जी की बताई शलाका जैसी ही विदित होती है। इसी से मोमपाटी पर अक्षर उत्कीर्ण किये जाते थे।

1. Buhler, G — Indian Palaeography, p 147.
2. वही, 147।
3. भारतीय प्राचीन लिपिसाहा, पृ० 157।
4. Encyclopaedia Americana (Vol. 18), p 241
5. Op. cit., (Vol. 4), p. 225.

स्याही

श्री गोपाल नारायण बहुरा के शब्दों में 'स्याही' विषयक चर्चा की भूमिका यों दी जा सकती है—

यों तो ग्रन्थ लिखने के लिए कई प्रकार की स्याहियों का प्रयोग दृष्टिगत होता है परन्तु सामान्य रूप से लेखन के लिए काली स्याही ही सार्वत्रिक रूप में काम में लाई गई है। काली स्याही को प्राचीनतम संस्कृत में 'मषी' या 'मसि' शब्द से व्यक्त किया गया है। इसका प्रयोग बहुत पहले से ही शुरू हो गया था।

जैनों की मान्यता है कि कश्यप ऋषि के वंशज राजा इक्ष्वाकु के कुल में नाभि नामक राजा हुआ। उसकी रानी मरुदेवी से ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह ऋषभ ही नाभेय ऋषभदेव नाम से जैनों में आदि तीर्थङ्कर माने जाते हैं। कहते हैं कि आदिनाथ ऋषभदेव से पूर्व पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती थी, अग्नि की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई कौटिला वृक्ष नहीं था और संसार में विद्या तथा चतुराईयुक्त व्यवसायो का नाम भी नहीं था। ऋषभ ने मनुष्यों को तीन प्रकार के कर्म सिखाये—1. असिकर्म अर्थात् युद्ध विद्या, 2. मसिकर्म अर्थात् स्याही का प्रयोग करके लिखने-पढ़ने की विद्या, और 3. कृषि कर्म अर्थात् खेती-बाड़ी का काम। इसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का ही रूप माना जा सकता है। अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर का निर्वाण विक्रम संवत् से 470 वर्ष पूर्व और ईसा से 526 वर्ष पूर्व माना गया है। कहते हैं कि इससे 3 वर्ष आठ मास और दो सप्ताह बाद पाँचवें धारे का आरम्भ हुआ है जो 21 हजार वर्ष तक चलेगा। इससे मषी कर्म के आरम्भ का अनुमान लगाया जा सकता है।

मसि, मषि या मषी का शब्द कज्जल है। 'मसी कज्जलम्', 'मैला मषी पत्रांजनं च स्यान्मसिद्रयोरिसि त्रिकाण्डशेषः'। काली स्याही के निर्माण में भी कज्जल ही प्रमुख वस्तु है। इसीलिये स्याही के लिए भी मषी शब्द प्रयुक्त हुआ है। काली स्याही बनाने के कई नुस्खे मिलते हैं। उनमें कज्जल का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये कि ताड़-पत्र और कागज पर लिखने की काली स्याहियाँ बनाने के प्रकारों में भी अन्तर है। ताड़पत्र चारतव में काष्ठ जाति का होता है और कागज की बनावट इसमें भिन्न होती है। इसीलिए इन पर लिखने की स्याही के निर्माण में भी यत्किञ्चित् भिन्नता है।

स्याही बनाने में कज्जल और जल के अतिरिक्त अन्य उपकरणों का मिश्रण करने की कल्पना बाद में होगी। प्राचीन उल्लेखों में केवल जल और कज्जल के ही मन्दर्भ मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि इन दोनों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की गौणता रही हो। पुष्पदन्त विरचित महिम्न स्तोत्र के एक श्लोक में स्याही, कलम, दवात और पत्र का मन्दर्भ है :—

ससितगिरिमम स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे
सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
तदपि तव गुणानमीश पारं न याति ॥

अर्थात् श्वेतगिरि (हिमालय) जितना बड़ा ढेर कज्जल का हो, जिसे समुद्र जितने बड़े पानी से भरे पात्र (दवात) में धोला जाय, देव वृक्ष (कल्प वृक्ष) की शाखाओं से लेखनी बनाई जाय (जो कभी समाप्त न हो) और समस्त पृथ्वी को पत्र (कागज) बनाकर शारदा (स्वयं सरस्वती) लिखने बैठे और निरन्तर लिखती रहे तो भी हे ईश ! तुम्हारे गुणों का पार नहीं है ।

महिम्न स्तोत्र का रचनाकाल 9 वीं शताब्दी से पूर्व का माना गया है किन्तु उक्त श्लोक को प्रक्षिप्त मानकर कहा गया है कि मूल स्तोत्र के तो 31 ही श्लोक हैं जो भ्रमरेश्वर के मन्दिर में उत्कीर्ण पाये गये हैं । 15 श्लोक बाद में स्तोत्र पाठकों द्वारा जोड़ लिये गये हैं ।¹

परन्तु यह निश्चित है कि विस्तृत पत्र और स्याही आदि लेखन के आवश्यक उपकरणों के व्यापक प्रयोग के प्रमाण 8 वीं शताब्दी के साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं—मुबन्धु कृत 'वासवदत्ता' कथा में भी एक ऐसा ही उद्धरण मिलता है :—

'स्वस्त्युक्ते यानया वेदानुभूता सा यदि नमः पत्रायते सागरो लोनायते ब्रह्मा लिपिकरायते भुजगपतिर्बाहकवकः तदा किमपि कथमप्येकेर्कयुगसहस्रै रभि लिख्यते कथ्यते वा ।'²

अर्थात् प्रायके लिए हसने जिस वेदना का अनुभव किया है उसको यदि स्वयं ब्रह्मा लिखने बैठे, लिपिकार बने, भुजगपति सेपनाग बोलने वाला हो (साप की जीम जल्दी चलती है) और लिखने वाला इतनी जल्दी-जल्दी लिखे कि कलम बुझने से सागर रूपी दवात में हलचल मच जाये तो भी कोई एक हजार युग में थोड़ा बहुत ही लिखा जा सकता है ।

पारश्चात्य जगत् में हमे प्राचीनतम स्याही काली ही विदित होती है । सातवीं शती ईस्वो से काली स्याही के लेख मिल जाते हैं । यह स्याही दीपक के काजल या धुँये से तो बनती ही थी, हाथी-दाँत को जलाकर भी बनायी जाती थी । कोयला भी काम में आता था ।³ बहुत चमचमाती लाल स्याही का उपयोग भी होता था, विशेषतः आरम्भिक अक्षरों के लेखन में तथा प्रथम पक्ति भी प्रायः लाल स्याही से होती थी । नीली स्याही का भी नितांत प्रभाव नहीं था । हरी और पीली स्याही का उपयोग जब कभी ही होता था । सोने और चाँदी से भी पुस्तकें लिखी जाती थी ।

भारत में हस्तलेखों की स्याही⁴ का रंग बहुत पक्का बनाया जाता था । यही कारण है कि बंसी पक्की स्याही से लिखे ग्रन्थों के लेखन में चमक अब तक बनी हुई है । विविध प्रकार की स्याही बनाने के नुस्खे विविध ग्रन्थों में दिये हुए हैं । बंसे कच्ची

1 Brown, W. Norman—The Mahimastava (Introduction), p 4-6

2 शुक्ल, जयदेव (सं)—वासवदत्ता कथा, पृ. 39 ।

3 The Encyclopaedia Americana (Vol. 18), p, 241.

4 भारत में स्याही का पर्यायवाची मयी वा मषी था । प्राचीन काल में दही का उपयोग होता था । ई० पू० के ग्रन्थ 'गुह्य-सूत्र' में यह उल्लेख आया है । 'मयी' का अर्थ डाला राजवनी पांडेय ने बताया है—मसलकर बनायी हुई । झूलने से हथका अर्थ चूर्ण या पाउडर बताया है । स्याही के लिए एक दूसरा 'मैना' शब्द भी प्राचीन काल में कहीं-कहीं प्रयोग में आता था । झूलने से 'मैना' की अनुपत्ति 'मैना' से मानी है । मैना = dirty · black : गंदा या काला । डॉ० पांडेय ने ठीक बताया है कि यह

स्याही भी बनाई जाती रही है। पक्की और कच्ची स्याही के अन्तर का एक रोचक ऐतिहासिक कथांश 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में डॉ. ओझा ने दिया है। वह वृत्त द्वितीय राजतरंगिणी के कर्त्ता जोनराज द्वारा दिया गया है और उनके अपने ही एक मुकदमे से सम्बन्धित है।

जोनराज के दादा ने एक प्रस्थ भूमि किसी को बेची। उनकी मृत्यु हो जाने पर खरीदने वाले ने जाल रचा। वैनामे में था—'भूप्रस्थमेक विक्रीतम्'। खरीदने वाले ने उसे 'भूप्रस्थ दशकं विक्रीतम्' कर दिया। जोनराज ने यह मामला राजा जैनोस्लाभदीन के समक्ष रखा। उसने उस भूज-पत्र को पानी में डाल दिया। फल यह हुआ कि नये अक्षर धुल गए और पुराने उभर आये, जोनराज जीत गए। "(जोनराज कृत राजतरंगिणी श्लोक 1025-37)।"¹ प्रतीत होता है कि नये अक्षर कच्ची स्याही से लिखे गये थे, पहले अक्षर पक्की स्याही के थे। भोजपत्र को पानी में धोने से पक्की स्याही नहीं धुलती, बरन् और अधिक चमक उठती है। कच्ची-पक्की स्याहियों के भी कई नुस्खे मिलते हैं :

'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति' ग्रन्थ लेखन कला' में बताया है कि पहले ताड़-पत्र पर लिखा जाता था। तीन-चार सौ वर्ष पूर्व ताड़-पत्र पर लिखने की स्याही का उल्लेख मिलता है। ये स्याहियाँ कई प्रकार से बनती थी—'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति' ग्रन्थ लेखन कला' में ये नुस्खे दिये हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

प्रथम प्रकार :

सहवर-भृग त्रिफल., कासीस लोहमेव नीली च,
समकज्जल-बोलयुता, भवति मधी ताडपत्राणाम् ॥

व्याख्या—सहवरेति कांटासे हरी घो (घेमामो) भृगेति भागुरघो। त्रिफला प्रसिद्धं च। कासीममिति कसीमम्, येन काष्ठादि रज्यते। लोहमिति लोहचूर्णम्। नीलीति गनीनिष्पादको वृक्ष तेद्वरम। रस विना सर्वेषामुत्कृत्य स्वार्थ क्रियते, स च रसोऽपि समवर्तित कज्जल-बोलयोर्मध्ये निक्षिप्यते, ततस्ताडपत्रमधी भवतीति। यह स्याही ताम्बे की कड़ाही में खूब घोटी जानी चाहिए।²

दूसरा प्रकार :

काजल पा (पो) इण बोल (बीजा बोल), भूमिलया या जल मोगरा (?) थोड़ा पारा, इन्हें ऊष्ण जल में मिला कर तबि की कड़ाई में डाल कर सात दिन ऐसा घोटे कि सब एक हो जाय। तब इसकी बड़ियाँ बना कर सुखा ले। स्याही की आवश्यकता पड़ने पर इन बड़ियों को आवश्यकतानुसार गर्म पानी में खूब मसल कर स्याही बनाले। इस स्याही से लिखे अक्षर रात में भी दिन की भाँति ही पढ़े जा सकते हैं।

शब्द 'मैला' नहीं 'मैला' ही है जो मेल से बना है। स्याही में विविध वस्तुओं का मेल होता है।

स्याही—स्याहकाला से व्युत्पन्न है, पर इसका अर्थ-विस्तार हो गया है।

—भूलर, पृ० 146 तथा डॉ० राजवली पाठेय, पृ० 84.

निर्वाकं च और नपु० कदियस जैसे यूनानी लेखकों की साक्षियों से यह सिद्ध है कि भारतीय कागज और कपड़े पर स्याही से ही लिखते थे। यह साक्षी 4थी शती ई० पू० की है।

1. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 155 (पाठ टिप्पणी)।
2. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 38।

तीसरा प्रकार :

कोरडए वि सरावे, भंगुलिघा कोरडम्मि कज्जलए ।
मद्दह सरावलगं, जावें चिय वि (वक) गं मुघइ ।
पिचुमंद गुंदलेसं, ल्हायर गुंदं व बीयजलमिस्सं ।
भिज्जवि तोएण दढं, मद्दह जातं जलं मुसइ ।

अर्थात् नये काजल को सरवे (सकोरे) में रखकर ऊँगलियों से उसे इतना मलें या रगड़ें कि सरवे से लगकर उमका चिकनापन छूट जाय । तब नीम के गोंद या खैर के गोंद धीरे वियाजल के मिश्रण में उक्त काजल को मिलाकर इतना घोटें कि पानी सुख जाये फिर बड़ियाँ बनाले ।

चौथा प्रकार :

निर्यासात् पिचुमंद जात् द्विगुणितो बोलस्ततः कज्जलं,
संजातं तिलतैलतो हुतबहे तीन्नातपे मवितम् ।
पात्रे शूल्वमये तथा गन (?) जलैलांश रसेर्भावितः,
सद्मल्लातक-मृंगराजरसयुतो सम्भग् रसोऽयं मषी ।¹

अर्थात् नीम का गोंद, उससे दुगुना बीजाबोल, उससे दुगुना तिलों के तेल का काजल ले । तबि की कडाही में तेज अर्च पर इन्हें खूब घोट धीरे उसमें जल तथा झलता (लाक्षारस) की थोडा-थोडा करके सौ भावनाएँ वे धीरे अच्छी स्याही बनाने के लिए इसमें शोषा हुआ भिलावा तथा भाँगेरे का रस डाले ।²

पाँचवाँ प्रकार :

पाँचवें प्रकार की स्याही का उपयोग बह्म देश, कर्नाटक आदि देशों में ताड़-पत्र पर लिखने में होता था ।

ऊपर के सभी प्रकार ताड़-पत्र पर लिखने की स्याही के हैं ।³

1. भारतीय जैन धर्म्य सस्कृति अने लेखन कला, पृ० 38-40.
2. श्लोक में तो यह नहीं बताया गया है कि उक्त मिश्रण को कितनी देर घोटना चाहिए परन्तु जयपुत्र में कुछ परिवार स्याही बाने ही कहवाते हैं । त्रिपोनिया के बाहर ही उनकी प्रसिद्ध हुकान थी । वहाँ एक कारखाने के रूप में स्याही बनाने का कार्य चलना था । महाराजा के पोषीखाने में भी 'सरबराकार' स्याही तैयार किया करते थे । इन लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्याही की पुटाई कम से कम आठ पहर होनी चाहिए । मात्रा अधिक होने पर अधिक समय तक घोटना चाहिए ।

—गोपालनारायण बह्मरा

3. पहले कह चुके हैं कि ताड़पत्र पर स्याही से कलम द्वारा भी लिखते हैं और लोहे की नोकदार कुतरम्भी से अक्षर कुदेदे भी जा सकते हैं । लिखने के लिए तो ऊपर विधी विधियों से बनाई हुई स्याहियाँ ही काम में आती हैं परन्तु कुदेदे हुए अक्षरों पर कासा चूर्ण पोत कर कपड़े से साफ करते हैं । इससे वह चूर्ण कुदेदे हुए अक्षरों में भरा रह जाता है और पत्र के समतल भाग से कज्जल या कासा चूर्ण अपसारित हो जाता है । फिर अक्षर स्पष्ट पढ़ने में आ जाते हैं । समय बीतने पर यदि अक्षर कीके पड़ जायें तो मह विधि दोहरा दी जाने पर पुन अक्षर स्पष्ट हो जाते हैं । ऐसा मर्वा-चूर्ण बनाने के लिए नारियल की जटा या केंचुल तथा आशाम आदि के छिलके बलाकर पीस लिए जाते हैं ।

—गोपालनारायण बह्मरा

इस प्रकार कागज-कपड़े पर लिखने की स्याही बनाने की भी कई विधियाँ हैं :

पहली विधि :

जितना काजल उतना बोल, ते थी दूणा गूँद भकौल,
जे रस भागरानो पड़े, तो प्रक्षरे प्रक्षरे दीवा जले ।

दूसरी विधि :

मध्यर्धे क्षिप सद्गुन्द्य गुन्दार्धे बोलमेव च,
लाक्षाबीयारसेनोर्ध्वं मर्दयेत् ताम्रभाजने ।

तीसरी विधि :

बीघा बोल अनइल करवा रस, कज्जल वज्जल (?) नइ अवारस ।
'भोजराज' मिसी नियाव्, पान ओ फाटई मिसी नवि जाई ।

चौथी विधि :

लाख टाक बीस मेल, स्वाग टाक पाच मल
नीर टाक दो सी लेई, हाडी मे चढाइमे,
ज्यौ लो आग दीजे त्यो ली प्रार खार सब लीजे ।
लोदर खार बालबाल पीस के रखाइये
मीठा तेल दीय जल, काजल सो ले उतार
नीकी विधि पिछानी के ऐसे ही बनाइये
चाइक चतुर नर लिखके अनूप ग्रन्थ
बांच बांच बांच रीभ रीभ मौज पाइये । मसी विधि ।

पाँचवीं विधि ।

स्याही पक्की करण विधि .—लाख चोखी अथवा चीपडी लीजे पईसा 6, सेर तीन पानी मे डालें, सुवागो (सुहागा) पैसा 2 डाले, लोध 3 पैसा भर डाले । पानी तीन पाव रह जाये तो उतार ले । बाद मे काजल । पैसा भर डालकर घोट-घोट कर सुखा ले । प्राक्कतानुसार इसमे से लेकर शीतल जल मे भिगो दे तो पक्की स्याही तैयार हो जाती है ।

छठी विधि ।

काजल छह टक, बीजाबोल टक 12, बेर का गोद 36 टक, अफीम टक 1/2, असता पोथी टंक 3, फिटकरी कच्ची टक 1/2, नीम के छोटे से ताम्बे के पात्र मे सात दिन तक शोँटे ।

स्याही के ये नुस्खे मुनि श्री पुण्यविजयजी ने यहाँ-यहाँ से लेकर दिये हैं । उनका अविजल है कि यहाँ की विधि से बनी स्याही श्रेष्ठ है । अन्य स्याही पक्की तो हैं, पर काज-

कपड़े को क्षति पहुँचाती है। लकड़ी की पाटी (पट्टी) पर लिखने के लिए ठीक है।¹

राजस्थान में उपयोग आने वाली स्याही के बनाने की विधि भोभाजी ने इस प्रकार बताया है :

‘पक्की स्याही बनाने के लिए पीपल की लाख को जो अन्य वृक्षों की लाख से उत्तम समझी जाती है, पीस कर मिट्टी की हूँदिया में रखे हुए जल में डालकर उसे भाग पर चढ़ाते हैं। फिर उसमें सुहागा और लोघ पीस कर डालते हैं। उबलते-उबलते जब साख का रस पानी में यहाँ तक मिल जाता है कि कागज पर उससे गहरी लाल लकीर बनने लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हैं। उसको झलता (झलकतक) कहते हैं, फिर तिलो के तेल के दीपक के काजल को महीन कपड़े की पोटली में रखकर झलते में उसे फिराते जाते हैं जब तक कि उससे सुन्दर काले प्रक्षर बनने न लग जावे। फिर उसको दवात (मसीभाजन) में भर लेते हैं। राजपूताने के पुस्तक लेखक अब भी इसी तरह पक्की स्याही बनाते हैं।’²

भोभाजी ने कश्मी स्याही के सम्बन्ध में लिखा है कि यह कज्जल, कत्था, बीजाबोल और गोद को मिला कर बनाई जाती है। परन्तु पत्रों पर जल गिरने से यह स्याही फँस जाती है और चौमाम में पन्ने चिपक जाते हैं।³ अतः ग्रन्थ लेखन के लिए अनुपयोगी है।

घातन भोज-पत्र पर लिखने की स्याही के सम्बन्ध में लिखा है कि “बादाम के छिलकों के कोयलों को गोमूत्र में उबाल कर यह स्याही बनायी जाती थी।⁴ यही बात डॉ० राजबली पाण्डेय ने लिखी है।

In Kashmir, for writing on birch-bark, ink was manufactured out of charcoal made from almonds and boiled in cow's urine. Ink so prepared was absolutely free from damage when MSS were periodically washed in water-tubes.⁵

कुछ सावधानियाँ⁶

मूलतः कज्जल, बीजाबोल समान मात्रा में और इनसे दो गुनी मात्रा में गोद को पानी में घोल कर नीम के धोटे से ताम्र-पत्र में घुटाई करना ही कागज और कपड़े पर

1 इसी बात की और स्पष्ट करते हुए मुनिजी ने बताया है कि ‘जिस स्याही में लाख (साधारत), कत्था, लोघ पडा हो, वह कागज कागज पर लिखने के काम की नहीं है। इससे कपड़े एवं कागज तम्बामू के पत्ते जैसे हो जाते हैं। —भारतीय जैन धर्मग्रन्थ संस्कृति एवं लेखन कला, पृ ४२।

मुनि पुण्ड्रिकजी ने काली स्याही सम्बन्धी खास सूचनाओं में ये बातें बताई हैं कज्जलमत्र तिलतैल सञ्जात प्राह्यम्। २. गुण्डोज्ज निम्बसत्कः क्षविरसत्को बृहत्सत्को वा प्राह्यः। क्षवसत्कस्तु सर्वथा त्याज्य मयी विनाशको ह्ययम् (धौ का गोद नहीं डालना चाहिए)।

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 155।

3 वही, पृ० 155।

4 झूलर ने सूचना दी है (काश्मीर रिपोर्ट, 30) कि गफ वेपसं आदि (18 F) में राजेश्वरलाल मिश्र ने टिप्पणियों में स्याही बनाने के भारतीय नुस्खे दिये हैं। —पृ० 146, पाठ टिप्पणी, पृ० 537

5 Pandey, R. B.—Indian Palaeography, p. 85.

6 श्री मोरारि नारायण बहुरा की टिप्पणियाँ।

लिखने की स्याही बनाने की उपयोगी विधि है, ग्रन्थ रसायनों को मिलाने से वे उसको खा जाते हैं और भ्रूणपायु बना देने हैं, जैसे — भांगरा डालने से भ्रक्षरों में चमक तो घाती है परन्तु घ्राणे चल कर कागज काला पड़ जाता है। इसी तरह लाक्षारस, स्वांग या क्षार प्रादि भी हानिकारक हैं। बीभारस बीघ्रा नामक वनस्पति की छाल का चूर्ण बना कर पानी में घोटाने से तैयार होता है। इसको इसलिए मिलाया जाता है कि स्याही गहरी काली हो जाती है। परन्तु यदि आवश्यकता से अधिक बीभारस पड़ जाय तो वह गोंद के प्रभाव को कम कर देता है और ऐसी स्याही के लिखे भ्रक्षर सूखने के बाद उखड़ जाते हैं। लाक्षारस इस कारण डाला जाता है कि इससे स्याही कागज में फूटती नहीं है। खोलते हुए साफ पानी में जरा-जरा-सा लाख का चूर्ण इस तरह से डाल कर हिलाया जाता है कि वह उसमें भ्रच्छी तरह घुलता जाय, उसकी लुगदी न बनने पावे। बार-बार किसी सींक या फरड़े को उसमें डुबो कर कागज पर लकीर खींचते हैं। गुरू में जब तक लाख पानी में एकरस नहीं होती तब तक वह पानी कागज में फूटता है पर जब भ्रच्छी तरह लाख के रेणु उसमें एकाकार हो जाते हैं तो वह रस कागज पर जम जाता है। इसकी मात्रा में भी यदि कमीबेशी हो जाय तो स्याही भ्रच्छी नहीं बनती।

स्याही : विधि निषेध

स्याही बनाने के सम्बन्ध में कुछ विधि-निषेध भी हैं—यथा—कज्जल बनाने के लिए तिल के तेल का दिया ही जलाना चाहिए। किसी ग्रन्थ प्रकार के तेल से बनाया हुआ काजल उपयोगी नहीं होता। गोद भी नीम, खैर या बबूल ही का लेना चाहिए। इसमें भी नीम सर्वश्रेष्ठ है। धोक (धब) का गोंद स्याही को नष्ट करने वाला होता है। स्याही में रीगणी नामक पदार्थ, जिसे मराठी में 'डौली' कहते हैं, डालने से उसमें चमक घा जाती है और मन्खियाँ पास नहीं घ्राती। जिस स्याही में लाख, कत्या और लोहकीट का प्रयोग किया जाता है उसे ताड-पत्र प्रादि पर ही लिखने के काम में लेना चाहिए, कागज और कपड़े पर इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है। वह कागज आगे चल कर क्षीण हो जाता है—प्रति लाल पड़ जाती है और पत्र तडकने लगते हैं। बीभारस की मात्रा अधिक हो जाने से गोद की चिकनाहट नष्ट हो जाती है और ऐसी स्याही से लिखे पत्रों की रगड़ से भ्रक्षर घुलमिल जाते हैं और प्रति काली पड़ जाती है।

जब किसी संग्रह के ग्रन्थों को देखते हैं तो विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशा में मिलती हैं। कोई-कोई ग्रन्थ तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताजी अवस्था में मिलता है। उसका कागज भी भ्रच्छी हालत में होता है और स्याही भी जैसी की तैसी चमकती हुई मिलती है; परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों में लिखे होने पर भी उनके पत्र तडकने वाले हो जाते हैं और भ्रक्षर रगड़ से विकृत पाये जाते हैं। कितनी ही प्रतियाँ ऐसी मिलती हैं कि उनका कुछ भाग काला पड़ा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वर्षों के बाद कभी-कभी धूप में रखते समय जिन पत्रों को समान रूप से ऊष्मा नहीं पहुँचती अथवा आवश्यकता से अधिक समय तक धूप में रह जाते हैं उनके कुछ हिस्सों की सफेदी उठ जाती है। कुछ लेखक तो स्याही में चिचड़ा डाल देते हैं (कभी-कभी सर्पाकार) जिससे वह अधिक गाढ़ी या पतली न हो जाय। परन्तु कुछ लेखक लोहे के टुकड़े या कीले दवात में रख देते हैं। अथवा दशा में ऐसा होता है कि उस लोहे का काट हिलाने पर स्याही में मिल जाता

है और तत्काल उससे लिखी हुई पंक्तियाँ काली पड़ जाती हैं या पत्र का वह भाग छिक जाता है, घतः एक ही पत्र में विभिन्न पंक्तियाँ विभिन्न प्रकार की देखने में आती हैं। प्रतियों की यह खराबियाँ संक्रामक भी होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रति के प्रायः और ग्रन्थ पत्र के प्रतिरिक्त शेष पत्र स्वस्थ दशा में होते हैं। इसका कारण यह होता है कि बस्ते में जब कई प्रतियाँ बाँधी जाती हैं तो उस प्रति के ऊपर नीचे कोई हग्न प्रतियाँ रख दी जाती हैं जिनकी स्याही व कागज की विकृति बीच की प्रति के ऊपर-नीचे के पत्रों में पहुँच जाती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक प्रति को दूसरी से पृथक् रखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रति को एक स्वच्छ और लम्बे सफेद कागज में लपेटना चाहिए (घलबारी कागज में कभी नहीं) और फिर उसको कार्डबोर्ड के दो समाकृति के टुकड़ों के बीच में रखकर बेधित करना चाहिए जिससे न तो कार्डबोर्ड का घसर प्रति पर पड़ सके और न ग्रन्थ प्रति का रोग ही उसमें पहुँच सके।

रंगीन स्याहो

रंगीन स्याहियों का उपयोग भी ग्रन्थ लेखन में प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसमें लाल स्याही का उपयोग बहुधा हुआ है। लाल स्याही के दो प्रकार थे—एक घलता की, दूसरी हिंगलू¹ की। डॉ० पाण्डेय ने बताया है कि—“Red ink was mostly used in the MSS for marking the medial signs and margins on the right and the left sides of the text, sometimes the endings of the chapters, stops and the phrases like 'so and so said thus' were written with red ink.”²

श्रीभाजी इनसे पूर्व यह बता चुके हैं कि 'हस्तलिखित वेद के पुस्तको में स्वरों के चिन्ह, और सब पुस्तको के पत्रों पर की दाहिनी और बायीं ओर की हाशिये की दो-दो लकीरे घलता या हिंगली से बनी हुई होती हैं। कभी-कभी अष्टयाय की समाप्ति का अक्षर एव 'भगवानुवाच', 'ऋषिवाच' आदि वाक्य तथा विरामसूचक खड़ी लकीरे लाल स्याही से बनाई जाती हैं। ज्योतिषी लोग जन्म-पत्र तथा वर्षफल के लम्बे-लम्बे खरड़ों में लड़े हाशिये, आड़ी लकीरे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्डलियाँ लाल स्याही से ही बनाते हैं।³ फलतः काली के बाद लाल स्याही का ही स्थान आता है।⁴

पाश्चात्य जगत् में भी लाल स्याही का कुछ ऐसा ही उपयोग होता था। चमकीली लाल स्याही का उपयोग पाश्चात्य जगत् में पुराने ग्रन्थों में सौन्दर्यवर्द्धन के लिए होता था। इसमें आरम्भिक अक्षर तथा प्रथम पंक्तियाँ और शीर्षक लिखे जाते थे, इसी से वे 'रुबैरिक्स' कहलाते थे और लेखक कहलाता था 'रुबीकेटर'। इसी का हिन्दोस्तानी में अर्थ है 'सुर्ली'। जिनका अर्थ लाल भी होता है और शीर्षक भी। उधर भारत में लाल के बाद

1. हिंगली को बुढ़ करके लाल स्याही बनाने की अच्छी विधि प्रा. जे. थ. सं. जने लेखन कला में पृ० 45 पर दी हुई है।
2. Pandey, Rajball—Indian Palaeography, p. 85.
3. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 156।
4. '—of coloured varieties red was the most common.....'

—Pandey, Rajball—Indian Palaeography, p. 85.

नीली स्याही का भी प्रचलन हुआ, हरी और पीली भी उपयोग में लाई गई। हरी तथा पीली स्याही का भी उपयोग हुआ पर अधिकांशतः जैन ग्रन्थों में।

श्रीभाजी ने बताया है कि सूखे हरे रंग को गोंद के पानी में घोल कर हरी जंगली और हरिताम¹ से पीली स्याही भी लेखक लोग बनाते हैं।²

सुनहरो एवं रूपहरी स्याही

सोने और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्चात्य देशों में तथा भारत में भी हुआ है। माहित्य में भी प्राचीन काल के उल्लेख मिलते हैं। सोने-चाँदी में लिखे ग्रन्थ भी मिलते हैं। राजे-महाराजे और धनी लोग ही ऐसी कीमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते थे। ये स्याहियाँ सोने और चाँदी के बरकों से बनती थीं। बरक को खरल में डाल कर धब के गोंद के पानी के साथ खरल में खूब घोंटते थे। इससे बरक का चूर्ण तैयार हो जाता था। फिर साकर (शक्कर) का पानी डाल कर उसे खूब हिलते थे। चूर्ण के नीचे बैठ जाने पर पानी निकाल देते थे। इसी प्रकार तीन-चार बार धो देने से गोद निकल जाता था। धब जो शेष रह जाता था वह स्याही थी।³

सोने और चाँदी की स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते। श्रीभाजी ने ब्रजमेर के कल्याणमल डड्डा के कुछ ग्रन्थ देखे थे, ये अधिक प्राचीन नहीं थे। हाँ, चाँदी की स्याही में लिखा यन्त्रावचूरि ग्रन्थ 15 वीं शती का उन्हें विदित हुआ था।

भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन कला में अनुष्ठानादि के लिए जन्म-मन्त्र लिखने के लिए अष्ट-गन्ध एवं यक्ष कर्दम का और उल्लेख किया गया है। अष्ट-गन्ध दो प्रकार से बनायी जाती है

एक 1. अग्र, 2 तगर, 3. गोरोचन, 4. कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 7. सिन्दूर, और 8 केसर को मिला कर बनाते हैं।

दो 1. कपूर, 2. कस्तूरी, 3. गोरोचन, 4. सिंदरफ, 5. केसर, 6. चन्दन, 7. अग्र, एवं 8. गेहूँला—इससे मिला कर बनाते हैं।

यक्ष कर्दम में 11 वस्तुएं मिलाई जाती हैं। चन्दन, केसर, अग्र, बरास, कस्तूरी, मरचककोल, गोरोचन, हिंगलो, रतजणी, सोने के बरक और धंवर।

चित्र रचना और रंग

'ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना'⁴ में बताया गया है कि सचित्र पाण्डुलिपि उस हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियों से सजाया गया हो और सुन्दर बनाया गया हो। यह सज्जा रंगों से या सुनहरी और कभी-कभी रूपहली कारी-गरी से प्रस्तुत भी की जाती है। इस सज्जा में प्रथमाक्षरों को विशदतापूर्वक चित्रित करने से लेकर विषयानुरूप चित्रों तक का आयोजन भी हो सकता था, या सोने और चाँदी से

1. यह हरिताम, हबनाल गलत लिखे शब्द या अक्षर पर फेर कर उस अक्षर को मुक्त किया जाता था। इसी से मुहाबरा भी बना 'हबनाल फेरना-नष्ट कर देना।'
2. भारतीय प्राचीन लिपिसाहा, पृ० 44।
3. भारतीय जैन धर्म सस्कृति अने लेखन कला, पृ० 44।
4. Encyclopaedia Americana (Vol. 18), p. 242.



खम्भात के कल्पसूत्र का एक चित्र (अपभ्रंश, १४८१ ई०)



ताड़पत्र की पाण्डुलिपि 'निशीयचूर्णिका' पर चित्रित जिन भगवान्
जंन शैली, ११८२ वि०



ताड़पत्र की पाण्डुलिपि 'निशीयचूर्णिका' पर चित्रित सरस्वतो
जंन शैली, ११८४ वि०



लोर चन्दा के चित्र (अपभ्रंश, १५४०)

अक्षरों से सजावट कराना। ऐसी सजावट का आरम्भ पश्चिम में 14 वीं शताब्दी से माना जाता है। दत्त ने और चौसर ने ऐसे विित्रित हस्तलेखों का उल्लेख किया है।

भारत में 'अपभ्रंश शैली' के चित्र जो 11 वीं से 16 वीं शताब्दी तक बने मुख्यतः हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलते हैं। डॉ० रामनाथ ने बताया है कि "मुख्यतः ये चित्र जैन-धर्म सम्बन्धी पोथियों (पाण्डुलिपियों) में बीच-बीच में छाड़े हुए चौकोर स्थानों में बने हुए मिलते हैं।"

इन चित्रों में पीले और लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। रंगों को गहरा-गहरा लगाया गया है।

"गुजरात के पाटन नगर से भगवती-मूत्र की एक प्रति 1062 ई० की प्राप्त हुई है। इसमें केवल अलंकरण किया गया है। चित्र नहीं है.....सबसे पहली चित्रित कृति ताडपत्र पर लिखित निशीयचूर्णं नामक पाण्डुलिपि है जो सिद्धराज जयसिंह के राज्य काल में 1100 ई० में लिखी गई थी और अब पाटन के जैन-भण्डार में सुरक्षित है। इसमें बेल बूटे और कुछ पशु-प्राकृतियाँ हैं। 13 वीं शताब्दी में देवी-देवताओं के चित्रण का बाहुल्य हो गया। अब तक ये पोथियाँ ताडपत्र की होती थीं। 14 वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग हुआ।"¹ हमें विदित है कि 14 वीं शताब्दी में पश्चिम में पार्श्वेद पर पाण्डुलिपि लिखी जाती थी और उन्हें चित्रित भी किया जाता था। भारत में 3 शताब्दी पूर्व ताडपत्र पर ही यह चित्र-कर्म होने लगा था। भारत में 14 वीं शताब्दी तक प्रायः जैन धर्म-ग्रन्थ सचित्र लिखे गये, उधर 'पाल शैली'² की चित्रांकित पुस्तकें बौद्ध-धर्म-विषयक थीं। प्राचीनतम पाण्डुलिपि 980 ई० की मिलती है। डॉ० रामनाथ के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं —

"पाल शैली के अन्तर्गत चित्रित पोथियाँ तालपत्रों में हैं। लम्बे-लम्बे तालपत्रों के एक से टुकड़े काट कर उनके बीच में चित्रों के लिए स्थान छोड़ कर दोनों ओर ग्रन्थ लिख दिया जाता था। नागरीलिपि में बड़े सुन्दर अक्षरों में यह निव्वाई की जाती थी। बीच के खाली स्थानों में मुरुचिपूर्ण रंगों में चित्र बनाये जाते थे। सुन्दर और सुघड़ प्राकृतियाँ बनायी जाती थीं। जिनमें बड़े आकर्षक ढंग से अश्वों और अन्य अंग-प्रत्यंगों का आलेखन होता था।"³

1451 में चित्रित बसन-विलास के समय में कला जैन-बौद्ध एवं वैष्णव धर्मों का पल्ला छोड़ कर लौकिक हो चली। यह एक नया मोड़ था। काम-शास्त्र के ग्रन्थ ही नहीं, प्रेम गाथाएँ जैसे चन्दायन, मृगावती आदि भी सचित्र मिलती हैं।

ये चित्र बहुधा रंगीन होते थे। ये विविध रंगों से चित्रित किये जाते थे। विविध रंगों की स्याही या मयी बनाई जाती थी। काली, लाल, सुनहली-रूपहली आदि रंगीन स्याहियों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। लाल रंग हिंगलू से, पीला हडताल से, धौला या सफेद सफेदों में तैयार किया जाता था। अन्य मिश्रित रंग भी बनाये जाते थे जैसे, हरताल एवं हिंगलू मिला कर नारंगी, हिंगलू और सफेद से गुलाबी, हरताल और काली स्याही मिला कर नीला रंग बनाया जाता था। इसी प्रकार अन्य कई विधियाँ थीं

1. रामनाथ (डॉ०)—मध्यकालीन भारतीय कलाएँ और उनका विकास, पृ० 6-7।

2. वही, पृ० 6-7।

3. वही, पृ० 6-7।

जिनसे पुस्तकों को चित्रित करने के लिए भ्रांति-भ्रांति के रंग बनाये जाते थे। ये रंग स्याही की तरह ही काम करते थे।¹

सचित्र ग्रन्थों का महत्त्व

ये सचित्र ग्रन्थ कई कारणों से महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं : एक तो ग्रन्थ-रचना के इतिहास में सचित्र पाण्डुलिपियों का महत्त्व है क्योंकि इन सचित्र ग्रन्थों से विदित होता है कि मानव अपनी अनुभूतियों को किस-किस प्रकार की रंगीनियों और चित्रोपमाओं से व्यक्त करता रहा है। इन अभिव्यक्तियों में उस मानव और उसके वर्ग के सांस्कृतिक बिम्ब भी समाविष्ट मिलते हैं।

दूसरे चित्रित पाण्डुलिपियों में विविध प्रकार के आकारांकन और अलंकरण मिलते हैं। इनमें इन अंकनों के अत्यन्त रूप चित्रित हुए हैं जो स्वयं चित्रों की अलंकरण कला के इतिहास के लिए भारी सार्थकता रखते हैं।

तीसरी बात यह है कि मध्य युग में भारत में दसवीं शताब्दी से पाण्डुलिपियों में अंकित चित्र ही एकमात्र ऐसे साधन हैं, जिनसे मध्ययुगीन चित्रकला की प्रवृत्तियाँ एवं स्वरूप समझे जा सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रित पाण्डुलिपियों में रंग कौशल के साथ कुछ ग्रन्थ बाने भी हैं जो देखनी हांती हैं।

कविता और चित्रकला दोनों ही प्रमुख ललित कलाएँ मानी गई हैं। इसलिए कवि और चित्रकार का चोली-दामन का सा साथ है। जैसे ग्रन्थ को चित्रों में मजाकर सचित्र बनाया जाता था वैसे ही चित्रों को भी कई बार सलेख बनाया जाता था, अर्थात् ग्रन्थ के विषय को समझाने के लिए जैसे चित्र-चित्रित कर दिये जाते थे उसी प्रकार किसी चित्र के विषय को स्पष्ट करने के लिए उस पर लेख या कविता की पंक्ति प्रकृत कर दी जाती थी। ऐसे चित्र-कर्म के लिए विविध रंगों की स्याहियाँ तैयार की जाती थी।

भोजदेव कृत 'समरांगण-सूत्रधार' (11 वी० श०) में चित्रकर्म के आठ अंगों का वर्णन है। इसी प्रकार बिल्णुधर्मोत्तरपुराण में भी चित्रकर्म के गुणाष्टक वर्णित है। इन दोनों में अन्तर अल्प है, परन्तु लेखन अथवा लेखकर्म प्रायः समान रूप में ही उल्लिखित है। ये हैं—1. वर्तिका, 2. भूमिबन्धन, 3. लेख अथवा लेख्य, 4. रेखाकर्माणि, 5. वर्णकर्म (कर्म कर्म), 6. वर्त्तनाक्रम, 7. लेखन अथवा लेखकर्म और 8. द्विक कर्म—यह क्रम 'समरांगणसूत्रधार' में बताया गया है।

1. 'वर्तिका' एक प्रकार का 'बरता' या पेंसिल होनी है। इसको बनाने का प्रकार यह है कि या तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी (जैसे पीली या काली) लेते हैं और उसका लकीरे खींचने में प्रयोग करते हैं अथवा दीपक का काजल लेकर उसको चाबल के चूर्ण या घाटे में मिलाते हैं और थोड़ा सा गीला करके पेंसिलो जैसी मण्टिका बना कर सुखा देते हैं। चाबल के घाटे के स्थान पर उबला हुआ चाबल भी काम में लिया जा सकता है।

2. 'भूमिबन्धन' से तात्पर्य है चित्र या लेख का आधा स्थिर करना जैसे—दीवार,

1. विस्तृत विवरण के लिए देखिये—'भारतीय वैदिक अथवा संस्कृति बने लेखन कला', पृ० 119।
2. अंग्रेजी में इसे मिनिचर (Miniature) कहते हैं।



बतुरभुजदास की मधुमालती में मैनासत प्रसंग



मैनासत प्रसंग का प्रथम पत्र
 योनिपुरीके इन्द्रविचार विरद भूला
 निरुद्धाहासने पिनासु लशकवि
 विमोहनभिरन वृष्य एककेवरका
 मादविन आरनेसेदेकोउठो ताप
 पुरयानान एतोपणरायो ममकृष्ण
 निनीमनायो मयककनमेला
 सुभाके वार वार कवाकवे रामजा
 एउ टाईई इनीमुनमैनाक टो यैर
 नही लजोय एतु वनीनारहे मोये
 कवीनमाय ० ० वापी। वरउएक
 लीपववारी मैनादानटरेनहीदारी।
 म्मोदरिकाः धीन लनाथी इनेनामि
 ारके टरवाथी ० ० टाबबेनदर
 धमनमेलयो मिलीकननरे श्वथ वर
 नश्वय-वाचनलीयो इनीममैदि
 नायए। मैनावाकपिदि। इवपलिने
 रेश्वमै इतराथीकिरनार उमनउ

नदितराथीयो इनीरदीकबमार ० २यतः टाई। मापकुर्य टकवीचरे मैनाविसोभाय सिद्धपति
 म्मनरकर सो नरकवाशमिनाय ० २ जोरक सोवाकवापी। जोरकेकरे सुताप्रोदप्यरी उमन
 टिरबीती कोनारी मैनाबोलेकोतसुमैना इनीउक य्मइददीनाथ ० ० टाक इनी। इतकथमुने
 मगनम्या ० ० मीय केपी जतरधमेश। मतराया शुद्ध माय ० ० वापी। जोरके इनीपकड बोला ० ० प्र
 म्मरी म्मो गेबे का ० ० एकडगडको सु उ छड़ाया। कारीपीशेरेग लाये। ० ० टा। म्मो एकमेगायके ताप

रकेरी म्मो वा वार इनीके यतीपरी मैनालेमस
 प्पार ० ० वा। का। ० ० सुकरगधवदा ० ० इदद
 टबाजारकिरा ० ० नगरलेक वा कद एनकोये
 कती उपस्कर नजाये ० ० टा। मैनी धपनेवातस
 पलिबुतरा म्मो धर पलि बुतापरत। तयद शब्द
 रमो वाजार ० ० यतः मारवी। मैनागवरीदी
 थ। जो कवापेनवाको डायदे। निद। मारनवाके
 काय ज्मकर म्मो ० ० वा। ० ० टा। नोड सुदोने
 म्मम जरको शब्दीलेगे नयी गेडको का
 इनीमाम्मो परवदे ० ० वापी। कवीरुवावाए
 जोवातमा गेडको ० ० ताको। नवा गगरे तुगदो
 म्मो। दोयमनी सुधउपत बुरीरा उकउज
 जादि ० ० ० ० यतः मैनाकी साभाबदे उमम
 म्मो। नोय जो डोपामसुगेले किनेमकेनन
 वा ० ० ० ० म्मो वा वारा वापी। नादितासने
 गनराथी।



मैनासत प्रसंग का अन्तिम पत्र

काष्ठपट्टिका, कपड़ा, ताड़पत्र, भूर्जपत्र या रेसमी कपड़ा आदि । लकड़ी के पटरे या ताड़-पत्र पर पहले सफेद रंग पोतते हैं । यही सफेद रंग चित्र में भी प्रयुक्त होता है ।

3. 'लेख्य या लेख्य कर्म' द्वारा चित्र के लिए भूमि का लेपन या आलेखन किया जाता है । जैसे जिन भागों में भ्रमुक रंग या भाई की पृष्ठभूमि तैयार करना है तो तदनु-कूल रंग को प्लास्टर की तरह लीपा या पोता जाता है । ग्रन्थ पर चित्र बनाने के लिए यह प्रक्रिया सदैव आवश्यक नहीं होती, चित्र बनाते समय ही पृष्ठभूमि का रंग भी भर दिया जाता है । वृहदाकार भूमि पर चित्रित होने वाले चित्रों के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है ।

4. 'रेखाकर्म'-फिर, कूंची से रेखाएँ खींचकर चित्र का प्रारूप बनाया जाता है जिसको खाका कह सकते हैं ।

5. इसके बाद अर्थात् जब खाका पूर्णतया तैयार हो जाता है तो रंग भरने का काम आरम्भ होता है । इसको 'वर्णकर्म' कहते हैं । प्राचीन चित्रकार प्रायः सफेद, पीला, नीला, लाल, काला, और हरा रंग काम में लेते थे । सफेद रंग शंख की राख से बनाया जाता था । पीला रंग हरताल से बनता था और इसका प्रयोग शरीरावयव-सरचना तथा देवताओं के मुखमण्डन के लिए किया जाता था । पूर्वी भारत और नेपाल की चित्रकारियों में ऐसे प्रयोग खूब मिलते हैं । नीला रंग बनाने में नील काम में ली जाती है । यह प्रयोग भारत में सर्वत्र और सभी कालों में होता रहा है । लाल रंग के लिए आलकतक, लाक्षारस और गैरिक (गैरू) तथा दरद का प्रयोग होता था । काले रंग की तैयारी में कज्जल की प्रधानता थी ।

हरा रंग मिश्र वर्ण कहलाता है । इसको बनाने के लिए नीले और पीले रंगों को बहुत सावधानी से मिलाना होता है, फिर, छाया की मध्यमता अथवा उज्ज्वलता को न्यूनधिक करने के लिए सफेद रंग भी मिलाया जाता है । प्राचीन भारतीय चित्रों में हरे रंग का प्रयोग कम ही किया जाता था । मुस्लिम-काल में इसका चलन अधिक हुआ है परन्तु देखा गया है कि नील और हरताल के मिश्रण के कारण यह रंग कागज को जल्दी ही क्षति पहुँचाना है । किन्तु ही प्राचीन चित्रों में जहाँ हाशिये की जगह हरा रंग लगाया गया है वहाँ से कागज जीर्ण होकर गल गया है और बीच का चौखटा बच गया है ।

'जिल्परत्न' और 'मानमोल्लास' में रंगों के विषय में विस्तार में लिखा गया है । बताया गया है कि कपित्थ और नीम भी रंग बनाने में प्रयुक्त होते थे ।

6. विस्तार और मोलार्ड प्रदर्शित करने के लिए रंगों में जो हल्कापन और गहरा-पन देकर स्पष्ट सीमोल्लेखन किया जाता है उसको 'वर्तनाक्रम' कहते हैं । इसमें वर्तनी अर्थात् कूंची के प्रयोग की सूक्ष्मता का चमत्कार प्रधान होता है । 'विष्णु धर्मोत्तरपुराण' में 'वर्तनाक्रम' का विवरण द्रष्टव्य है ।

7. चित्र में अन्तिम निश्चयात्मक रेखांकन को लेखन अथवा 'लेखकर्म' कहते हैं । मूल चित्र से भिन्न रंग में जो चौहद्दी बनाई जाती है वह भी इसी में सम्मिलित है ।

8. कभी-कभी मूल रेखा को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उसको दोहरा बना दिया जाता है—यह 'द्विकर्म' कहलाता है ।

ग्रन्थ-रचना के काम के ग्रन्थ उपकरण : रेखापाटो या समासपाटो और कांबी

'रेखापाटी' का बिबरण भोक्काजी ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला में दिया है। लकड़ी की पट्टी पर या पट्टे पर डोरियाँ लपेट कर और उन्हें स्थिर कर समानान्तर रेखाएं बनाली जाती है। इस पर लिप्यासन या कागज रख कर दबाने से समानान्तर रेखाओं के चिह्न उभर आते हैं। इस प्रकार पाण्डुलिपि लिखने में रेखाएं समानान्तर रहती हैं।¹

यही काम कांबी या कंबिका से लिया जाता है। यह लकड़ी की पट्टी जैसी होती है। इसकी सहायता से कागज पर रेखाएं खींची जाती थी।² कांबी का एक अन्य उपयोग होता था। पुस्तक पढ़ते समय हाथ फेरने से पुस्तक खराब न हो, इस निमित्त कांबी (सं० कंबिका) का उपयोग किया जाता था। इसे पढ़ते समय अक्षरों की रेखाओं के सहारे रखते थे, और उस पर उंगली रख कर शब्दों को बताते जाते थे। यह सामान्यतः बाँस की चपटी चिप्ट होती थी। यों यह हाथी दाँत, अकीक, चन्दन, शीशम, शाल बगैरह की भी बनाली जाती थी।³

डोरा : डोरी

ताडपत्र के ग्रन्थों के पन्ने अस्तव्यस्त न हो जाय इसलिए एक विधि का उपयोग किया जाता था। ताडपत्रों की लम्बाई के बीचोबीच ताडपत्रों को छेद कर एक डोरा नीचे से ऊपर तक पारो दिया जाता था। इस डोरे से सभी पत्र नत्थी होकर यथास्थान रहते थे। लेखक प्रत्येक पन्ने के बीच में एक स्थान कोरा छोड़ देता था। यह स्थान डोरे के छेद के लिए ही छोड़ा जाता था। ताडपत्रों के इस कोरे स्थान पर की आवृत्ति हमें कागजों पर लिखे ग्रन्थों में भी मिलती है। अब यह लकीर पीटने के समान है, अनावश्यक है। हाँ, लेखक का कुछ कौशल अवश्य लक्षित होता है कि वह इस विधि में लिखता है वह स्थान छूटा हुआ भी सुन्दर लगता है।

ग्रन्थि

डोरी में ग्रन्थ या पुस्तक के पत्रों को सूत्र बद्ध करके इन डोंगों को काष्ठ की उन पट्टिकाओं में छेद करके निकाला जाता था, जो पुस्तक की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार काट कर ग्रन्थ के दोनों ओर लगाई जाती थीं। इनके ऊपर डोरियों को कम कर ग्रन्थि लगाई जाती थी।⁴ यह प्राचीन प्रणाली है। हर्ष चरित में सूत्रवेष्टनम् का उल्लेख मिलता है। इन डोंगों को उक्त काष्ठपाटी में में निकाल कर ग्रन्थि या गाँठ देने के लिए विशेष प्रणाली अपनाई गई - लकड़ी हाथीदाँत, नारियल के खोपड़े का टुकड़ा लेकर उमें गोल चिपटी चकरी

1. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 157।

2. वही पृ० 158।

3. भारतीय जैन धर्मण सङ्कलि अने लेखन कला, पृ० 19।

4. (93) Wooden covers, cut according to the size of the sheets, were placed on the Bhurja and Palm leaves, which had been drawn on strings, and this is still the custom even with the paper MSS. In Southern India the covers are mostly pierced by holes, through which the long strings are passed. The latter are wound round the covers and knotted.

के रूप की बना लेते हैं, उसमें छेद कर उस डोर या डोरी की इस चकरी में से निकाल कर बाँधते हैं, यथार्थ में ये चकरियाँ ही ग्रन्थ या गाँठ कही जाती हैं।¹

हड़ताल

पुस्तक-लेखन में 'हड़ताल' फेरने का उल्लेख मिलता है। हड़ताल या हरताल का उपयोग हस्तलेखों में उन स्थलों या अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता था, जो गलत लिख लिये गये थे। 'हरताल' से पीली स्याही भी बनाई जाती है। हरताल फेर देने से बहुत गलत लिखावट पीले रंग के लेप से ढक जाती है। कभी-कभी हड़ताल के स्थान पर सफेदे का उपयोग किया जाता है।

परकार

श्रीभाजी ने बताया है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी-कभी विषय की समाप्ति आदि पर स्याही से बने कमल मिलते हैं। वे परकारों से ही बनाये हुए मिलते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए जो परकार काम में आये होंगे वे बड़े सूक्ष्म मान के होने चाहिये।²



1. भारतीय वैदिक धर्मग्रन्थों की रचना काल, पृ० 201।
2. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 157।

पाण्डुलिपि-प्राप्ति और तत्सम्बन्धित प्रयत्न : क्षेत्रीय अनुसन्धान

'पाण्डुलिपि-विज्ञान' सबसे पहले 'पाण्डुलिपि' को प्राप्त करने पर और इसी से सम्बन्धित अन्य आरम्भिक प्रयत्नों पर ध्यान देता है। इस विज्ञान की दृष्टि में यह समस्त प्रयत्न 'क्षेत्रीय अनुसन्धान' के अन्तर्गत आता है।

क्षेत्र एवं प्रकार

पाण्डुलिपि-प्राप्ति के सामान्यतः दो क्षेत्र हैं—प्रथम पुस्तकालय, तथा द्वितीय निजी। पुस्तकालयों के तीन प्रकार मिलते हैं—एक धार्मिक, दूसरा राजकीय तथा तीसरा विद्यालयों के पुस्तकालयों का।

1. धार्मिक पुस्तकालय—ये धार्मिक मठों, मन्दिरों, बिहारों में होते हैं।
2. राजकीय पुस्तकालय—राज्य के द्वारा स्थापित किये जाते हैं।
3. विद्यालय पुस्तकालय—इनका क्षेत्र विद्यालयों में होता है।

पूर्वकाल में यह विद्यालय पुस्तकालय धर्म या राज्य दोनों में से किसी भी क्षेत्र में या दोनों में हो सकता था। आजकल इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है।

निजी क्षेत्र

भारत में घर-घर में ग्रन्थ-रत्नों को पुराने समय से धार्मिक प्रतिष्ठानों मिली हुई थी। किसी के घर में पाण्डुलिपियों का होना सर्व और गौरव की बात मानी जाती थी। इन पाण्डुलिपियों की पूजा भी की जाती थी। अतः बीमारी शनी में ग्रन्थानुसन्धान करने पर घर-घर में हस्तलिखित ग्रन्थों के होने का पता चला। काशी नागरी-पञ्चाङ्गिणी मन्थाने सन् 1900 ई० से जो खोज कराई उसमें हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। राजस्थान में भी यही स्थिति है। यहाँ तो निजी प्रयोगों का काफी झुंझ है। डॉ० श्रीभाजी ने 'भारतीय प्राचीन लिपिमाना' में अजमेर के सेठ कल्याणमल इहड़ा के पुस्तकालय का उल्लेख किया है जिसमें मूल्यवान् स्वर्ण और रजत में लिखे ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय निजी था।¹ बोकानेर में श्री अणवरुद्र नाहटा का निजी भण्डार काफी बड़ा है। यही बिहार के 'खुदाबख्श पुस्तकालय' का उल्लेख भी करना होगा। यह खुदाबख्श का निजी पुस्तकालय था। खुदाबख्श को अपने पिता से उत्तराधिकार में 1900 पाण्डुलिपियाँ मिली थी। खुदाबख्श ने इन सग्रह को और समृद्ध किया। 1891 में जब इसे सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप दिया गया तब इसमें पाण्डुलिपियों की संख्या 6000 हो गई थी। सन् 1976 में इस पुस्तकालय में 12000

1. भारतीय प्राचीन लिपिमाना, पृ० 156।

पांडुलिपियाँ थीं, 50,000 मुद्रित ग्रन्थ थे। इसी प्रकार बिहार के ही भरतपुरा गाँव के श्री गोपाल नारायण सिंह का संग्रहालय भी पहले निजी ही था। सन् 1912 में इसे सार्व-जनिक पुस्तकालय बनाया गया। इस समय इसमें 4000 पांडुलिपियाँ हैं, ऐसा बताया जाता है।

खोजकर्ता

हस्तलेखों की खोज करने वाले व्यक्ति पांडुलिपि-विज्ञान के क्षेत्र के प्रप्रभूत माने जा सकते हैं। पर, उन्होंने जिस समय से कार्य प्रारम्भ किया, उस समय भी दो कोटियों के व्यक्ति पांडुलिपियों के क्षेत्र में कार्य में संलग्न थे। एक कोटि के प्रन्तर्गत उच्चस्तरीय विद्वान् थे जो हस्तलिखित ग्रन्थों और ऐतिहासिक सामग्री की शोध में प्रवृत्त थे, जैसे—कर्नल टॉड, हॉर्नले, स्टेन कोनो, बेडेल, टेसिटरी, भारेल स्टाइन, डॉ० प्रियर्सन, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, मुनि पुष्पविजय जी, मुनि जिनविजय जी, डॉ० राहुल सांकृत्यायन, डॉ० रघुवीर, डॉ० भण्डारकर, श्री अग्ररचन्द नाहटा, डॉ० भोगीलाल साडेसरा, डॉ० पीताम्बर दत्त बड़बवाल, भाष्कर रामचन्द्र भालेराव आदि। दूसरी कोटि उनकी है जिन्हें एजेण्ट अथवा खोजकर्ता कहा जा सकता है। ये किसी संस्था की ओर से इस कार्य के लिए नियुक्त थे।

इनमें से प्रथम कोटि का कार्य विनिष्ट प्रकृति का होता है, उसके प्रन्तर्गत उनको पांडुलिपि के भ्रम और महत्त्व का तथा उसके योगदान का वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर निर्णय करना होता है।

दूसरा वर्ग सामग्री एकत्र करता है। घर-घर जाता है और जहाँ भी जो सामग्री उसे मिलती है वह उसे या तो उपलब्ध करता है या फिर उसका विवरण या टीप ले लेता है। स्वयं वस्तु को या ग्रन्थ को प्राप्त करना तो बड़ी उपलब्धि है। पर उसका विवरण, टीप या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। पुस्तक उपलब्ध हो जाने पर भी विवरण प्रस्तुत करना पहली प्रावश्यकता है। किन्तु इससे भी पहला चरण तो ग्रन्थ तक पहुँचना ही है।

अतः सबसे पहला प्रश्न यही है कि पांडुलिपियों का पता कैसे लगाया जाय? इसके लिए ग्रन्थ-खोजकर्ता में साधारण तत्पर बुद्धि होनी ही चाहिये, उसमें समाज-प्रिय या लोक-प्रिय होने के गुण होने चाहिये। उसमें विविध व्यक्तियों के मनोभावों को ताड़ने या समझने की बुद्धि भी होनी चाहिये जो साधारण बुद्धि का ही एक पक्ष है। फिर, उसके पास कोई ऐसा गुण (इनर) भी होना चाहिये जिसमें वह दूसरों की कृतज्ञता पा सके। जहाँ ग्रन्थों की टोह लये वहाँ के लोगों का विषयाग पा सके की क्षमता भी होना अपेक्षित है। विश्वास-पात्रता प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों से परिचय-पत्र ले लेने चाहिये। ऐसे क्षेत्रों में मुखिया, पटवारी, जमींदार तथा पाठशाला के अध्यापक प्रपना-प्रपना प्रभाव रखते हैं। इन व्यक्तियों से मिलकर हम अच्छी तरह ग्रन्थों का पता भी लगा सकते हैं तथा सामग्री भी जुटा सकते हैं। ज्योतिष या हम्नरेखा-विज्ञान और वैद्यक की कुछ जानकारी ग्रन्थ-खोजकर्ता को सहायक सिद्ध हुई है। इनके कारण लोग उसकी ओर सहज रूप से भ्रातृष्ठ हो सकते हैं। इसी प्रकार पशु-चिकित्सा का कुछ ज्ञान भी तो क्षेत्रीय कार्य में उपयोगी होगा तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी ग्रन्थ चीजों को यदि वह जानता

है, जिनके न जानने से मनुष्य दुःखी रहते हैं तो वे उसकी सहायता करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। व्युत्पन्न-मति और तत्परबुद्धि भी बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं।

काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के एक ग्रन्थ-खोजकर्ता मेरे मित्र थे। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि वे हस्तरेखा विज्ञान भी जानते थे और कुछ वैद्यक भी जानते थे। आकर्षक ढंग से लच्छेदार रोचक बातें करना भी उन्हें आता था। यह भी एक बहुत बड़ा गुण है।

हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का ऊपर दिया विवरण यह बताता है कि पाण्डुलिपियों का सग्रह किसी संस्थान या किसी पाण्डुलिपि विभाग के लिए किया जा रहा है। ऊपर दी गई पद्धति से निजी सग्रहालय के लिए भी पाण्डुलिपियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

व्यवसायी माध्यम - कुछ व्यक्ति व्यवसाय के लिए, अपने लिए अर्थ-लाभ की दृष्टि से स्वयं अनेक विधियों से जहाँ-तहाँ से ग्रन्थ प्राप्त करते हैं, मुक्त में या बहुत कम दामों में खरीदकर वे संस्थाओं को और व्यक्तियों को अधिक दामों में बेच देते हैं। राजस्थान में राजाओं और सामन्तों की स्थिति बिगड़ने से उनके सग्रहों में हस्तलिखित इन व्यवसायियों ने प्राप्त किये थे। कभी-कभी ये ग्रन्थ ऐसे विद्वानों, कवियों और पण्डितों के घरों में भी मिलते हैं जिनकी सनातन उन ग्रन्थों का मूल्य नहीं समझनी थी, या प्रायिक मरत में पड़ गयी थी। व्यवसायी इनमें से ग्रन्थ प्राप्त कर लेते हैं और संस्थानों को बेच देते हैं। ऐसे व्यवसायियों में भी ग्रंथ प्राप्त किये जा सकते हैं।

सामिप्राय खोज— खोज के सामान्य रूपों की चर्चा की जा चुकी है। उनके तीन प्रकार बताये जा चुके हैं — 1 शीकियामंश्र, जो प्रायः निजी सग्रहालयों का रूप ले लेते हैं। खुदाबख्श पुस्तकालय का उल्लेख हम कर चुके हैं। 2 मन्था के निमित्त वेननभोगी एजेंट द्वारा, जैसे-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने कराया। दान की भावना से भी ग्रन्थ मिले हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी सग्रहालय भावी सुरक्षा की भावना में किसी प्रतिष्ठित संस्थान को भेंट कर दिये हैं। 3 व्यवसायी के माध्यम से सग्रह।

सामान्य खोज तो होती है, पर कभी-कभी सामिप्राय खोज भी होती है। यह खोज किसी या किन्हीं विशेष हस्तलेखों के लिए होती है। इन खोजों का इतिहास कभी-कभी बहुत रोचक होता है। सामिप्राय खोज की दृष्टि में पहले यह जानना अपेक्षित होता है कि जिस ग्रन्थ को आप चाहते हैं वह कहाँ है? उसके लिए प्रायः विविध मंश्रालयों में जाकर सूचियाँ या आगारों का अवलोकन करते हैं, कुछ जानकारों से पूछते हैं। मुल्ला दाऊद कृत 'चन्द्रायन' को प्राप्त करने का इतिहास ले। आगरा विश्वविद्यालय के ६०० मंश्रालयों तथा भागा-विज्ञान विद्यापीठ ने आरम्भ में ही निर्णय लिया कि 'चन्द्रायन' का संपादन किया जाय।

'यह सुभाव डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने दिया था। उनके सुभाव पर शिमला के राष्ट्रीय सग्रहालय को निम्ना उम्का कुछ ग्रंथ वही पर था। उसकी फोटोस्टेट प्रतियाँ भंगवायी गयीं। विदित हुआ कि इसी ग्रन्थ के कुछ ग्रंथ पाकिस्तान में उनके लाहौर के राष्ट्रीय आगार में हैं। उनसे भी फोटोस्टेट प्रतियाँ प्राप्त की गयीं। और भी जहाँ-तहाँ संपर्क किये गये। तब जितने पृष्ठ मिले उन्हें ही सम्पादित किया गया। पर, यह आवश्यकता रही कि इसकी पूरी व्यवस्थित प्रति कहीं से प्राप्त की जाय। हिन्दी विद्यापीठ को तो वह प्राप्त नहीं हो सकी परन्तु डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त उसे प्राप्त कर सके। कैसे प्राप्त की,

इसका रोचक वृतान्त यहाँ दिया जाता है। इससे खोज के एक और मार्ग का निर्देश होता है।

डॉ० परमेश्वरी नाल गुप्त ने एक भेंटवार्ता में बताया कि 'चन्दायन' की उन्होंने जिस प्रकार खोज की उसे 'जासूसी' कहा जा सकता है।¹

डॉ० गुप्त को प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में चन्दायन के कुछ पृष्ठ मिले। उन पर भूमिका लिखने के लिए वे 'गासां व तासी' का 'ह्रदुई साहित्य का इतिहास' के पन्ने पलट रहे थे कि उनका ध्यान उस उल्लेख की ओर आकर्षित हुआ जिसमें तासी ने बताया था कि ड्यूक ऑफ ससेक्स के पुस्तकालय में हूरक और हदा की कहानी का सचित्र ग्रन्थ था। डॉ० गुप्त समझ गये कि यह हूरक हंदा 'लूरक या लोरिक' चन्दा ही हैं। यह उल्लेख तासी ने 1834 ई. में किया था।

डॉ० गुप्त जानते थे कि किसी बड़े ड्यूक के मरने के बाद उसका पुस्तकालय बेचा गया होगा। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया कि वह पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं ने खरीदा होगा और फुटकर बिक्री की गयी होगी।

यह अनुमान कर उन्होंने इण्डिया आफिस (लंदन) ब्रिटिश म्यूजियम से प्राचीन पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित सूची-पत्र प्राप्त किये। उनसे पता चला कि ससेक्स का पुस्तकालय लिली नाम के विक्रेता ने खरीदा था।

आगे पता लगाया तो विदित हुआ कि लिली से अरबी-फारसी के ग्रन्थ इन भाषाओं के फ्रेंच विद्वान ग्लांड ने खरीदे।

पता लगा कि ग्लांड मर चुके हैं, पुस्तकालय बिक चुका है।

खोज आगे की। उनका सग्रह इंग्लैण्ड के किसी अर्ल ने खरीदा था। अर्ल को पत्र लिखा। उत्तर देने वाले अर्ल ने बताया कि उनके पिताजी का सग्रह मेनचैस्टर विश्वविद्यालय के रिलैंड पुस्तकालय में है।

वहाँ वह पुस्तक डॉ० गुप्त को मिल गयी।

इस विवरण से यह सिद्ध हुआ कि एक सूत्र को पकड़ कर अनुमान के सहारे आगे बढ़कर अन्य सूत्र तक पहुँचा जा सकता है, उससे अन्य सूत्र मिल सकते हैं—तब अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो सकता है। किन्तु इसके लिए सूत्र मिलते जाने चाहिये। भारत में ऐसे सूत्र आसानी से नहीं मिलते हैं।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों में प्रत्येक हस्तलेख के मालिक का नाम दिया रहता है। पूरा पता भी रहता है। आज पत्र लिखने पर न तो कोई उत्तर आयेगा, और न आगे खोज करने पर ही कुछ पता चलेगा।

किन्तु इस प्रकार की खोज में सूत्र से सूत्र मिलाने में भी कितने ही अनुमान और उनके आधार पर कितने ही प्रकार के प्रयत्नों की अपेक्षा रहती है। बड़े धैर्यपूर्वक एक के बाद दूसरे अनुमान करके उनसे सूत्र मिलाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

निश्चय ही यह भी पुस्तक खोज का एक मार्ग है।

ग्रन्थ शोधक को एक डायरी रखनी चाहिये। इसमें उसे अपने किये गये दैनंदिन

1. काव्यम्बिनी (मासिक प्रकाशन, जून 1975), विबन्ध : 'तस्मिन् के जान में कला-इतिहास', प्रस्तोता : श्री रवीलाल शाहीन पृ० 44।

उद्योगों का पूरा विवरण देना चाहिये। उसमें ये बातें रहनी चाहिये: गाँव का परिचय, जिसके यहाँ ग्रन्थ मिलता है उस व्यक्ति का नाम, उसकी जाति, उसके माँ-बाप का परिचय, उसकी पीढ़ियों का संक्षिप्त इतिहास तथा यह सूचना भी कि वह ग्रन्थ उनके घर में कब से है। इस प्रकार उस ग्रन्थ का उस घर में आने और रहने का पूरा इतिहास उस डायरी में सुरक्षित हो जाएगा। कितने ग्रन्थ आपको मिले और वह किस दशा में थे, वेष्टनों में लपेटे हुए रखे थे या यो ही ढेर में पड़े थे? यह उल्लेख करने की भी जरूरत है कि वे ग्रन्थपत्रों के रूप में हैं या सिली पुस्तक के रूप में। ग्रन्थकार या रचयिता का समस्त उपलब्ध परिचय दें। जिस व्यक्ति के पास वह ग्रन्थ है उस व्यक्ति से रचयिता के सम्बन्ध का पूरा परिचय भी दें। ग्रन्थ का लेखक कौन है? यह ग्रन्थकार किस समय हुआ? ग्रंथ और उसके लेखक के संबंध में कुछ किंवदन्तियाँ प्रचलित हों तो उन्हें भी डायरी में लिख लेना चाहिये।

अब पहला प्रयत्न तो यह करना चाहिए कि जिन ग्रन्थों का पता लगा है, उन्हें प्राप्त कर लिया जाय। यदि आपको ग्रन्थ भेट में या दान में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, किन्तु यदि मूल्य से भी प्राप्य हो जाते हैं तो भी सफलता में चार चाँद लग माने जाते हैं। किसी पाण्डुलिपि का मूल्य निर्धारण करना कठिन कार्य है। जिन क्षेत्रों में पाण्डुलिपियों का महत्त्व के विषय में चेतना नहीं है वहाँ से नाममात्र का मूल्य देकर पुस्तक/पाण्डुलिपियाँ प्राप्त की गयी हैं किन्तु जिस क्षेत्र में यह चेतना आ गया है, वहाँ तो ग्रन्थ के महत्त्व का मूल्यांकन कर ही मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा। ग्रन्थ का महत्त्व उसके रचना-काल, उसमें वर्णित विषय की उत्कृष्टता, उसकी लिखा-प्रणाली का वैशिष्ट्य, उसमें दिये चित्र तथा सज्जा की कला आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है।

मूल्य देकर प्राप्त या भेट / दान में प्राप्त ग्रन्थों के सम्बन्ध में विभ्रता या दाता से प्रमाण-पत्र लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसमें विभ्रता या दाता यहाँ लिखेगा कि यह ग्रन्थ उसकी अपनी सम्पत्ति है और उसे उसके हस्तान्तरण का अधिकार है। यदि ग्रन्थ का स्वामित्व न मिल पाये तो भी ग्रन्थ का विवरण अवश्य ले लेना चाहिये।

विवरण लेना

यदि ग्रन्थ घर से जाने के लिए न मिले तो समय निकाल कर ग्रन्थ के मालिक के घर पर ही उसकी टीप ले लें। साधारण परिचय में सबसे पहले उस ग्रन्थ के आकार-प्रकार का भी परिचय दें। इसके बाद आप देखें कि वह कितने पृष्ठ का है, उसकी लम्बाई-चोड़ाई और हाशिया कितना और कंसा है? हाशिया दोनों ओर कितना छूटा हुआ है और मुख्य लिखावट कितने भाग में है। यह नाप कर हमें लिख देने की आवश्यकता है। उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं और उनमें से सभी पृष्ठ हैं या कुछ खो गये हैं, पूरी पुस्तक में पृष्ठ कहाँ-कहाँ कटे-फटे होने से हमें सहायता नहीं पहुँचाते, छन्दों की संख्या कितनी है, किसी छन्द का क्रम भंग तो नहीं है, ग्रन्थयाय के अनुसार तो छन्द नहीं बदले गये हैं? एक पूरे पृष्ठ में कितनी पंक्तियाँ हैं? इस तरह हर एक पृष्ठ की पंक्तियाँ गिनना जरूरी है। यह भी देखना होगा कि उसका कागज किस प्रकार का है।

यहाँ तक ग्रन्थ का बाहरी परिचय पाने का प्रयत्न हुआ।

अब हम ग्रन्थ के अन्तर्ग की ओर चलते हैं। इसमें तीन बातें देखनी चाहिये, पहली बात तो यह देखनी होगी कि आरम्भ में ग्रन्थकार ने क्या किसी देवता या राजा की

स्तुति की है, अपने गुरु की स्तुति की है ? फिर क्या अपना तथा अपने कुटुम्ब का परिचय दिया है और क्या रचना का रचनाकाल दिया है ? कहीं-कहीं ये बातें ग्रन्थ के अन्त में होती हैं। यह 'पुष्पिका' कहलाती है। प्रायः ग्रन्थ के अन्त में अनुक्रमिका भी होती है, और श्लोक संख्या दे दी जाती है। इनकी टीप लेना भी आवश्यक है।

जो हस्तलिखित ग्रन्थ आपको उपलब्ध हुए हैं यदि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो छप चुके हैं तो भी उनकी प्रवहेलना नहीं करनी चाहिये। वे बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं। कभी-कभी उनमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अनोखी चीजें मिलने की सम्भावना रहती है। वे पाठालोचन में उपयोगी हो सकते हैं। अब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ की भाषा किस प्रकार की है। उसमें कितने प्रकार के कितने छन्द हैं और कौन-कौन से विषय ग्रन्थ में आए हैं, उन विषयों का ग्रंथ में किस प्रकार उल्लेख किया गया है ? पांडुलिपियों में साधारणतः तिथियाँ खास ढंग से दी हुई होती हैं। बहुधा ये तिथियाँ और संवत् 'शंकाणां वामतो गतिः' के अनुसार उल्टे पढ़े जाते हैं। फिर यह देखना चाहिये कि उस ग्रंथ की शैली क्या है ? उसमें स्फुटपद हैं अथवा बहु प्रबन्धकाव्य है, प्रादि से अन्त तक समस्त ग्रंथ छंद में ही लिखा गया है या बीच-बीच में गद्य भी सम्मिलित है, गद्य किस अभिप्राय से किस रूप में आया है, इन बातों का भी टीप में विवरण दिया जाना चाहिये।

विवरण प्रस्तुत करने का स्वरूप

इस प्रकार ग्रन्थ तक पहुँच कर और उससे कुछ परिचित होकर पहली आवश्यकता होती है कि उसका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाय। यहाँ हम कुछ विवरण उद्धृत कर रहे हैं, जिनसे उनके वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वरूप की स्थापना में सहायता मिल सकती है।

उदाहरण : कुब्जिकामतम् का

1898-99 में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी प्रॉव बंगाल के तत्त्वावधान में नेपाल राज्य के दरबार पुस्तकालय के ग्रन्थों का प्रवलोकन किया और उन ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया। उनमें से एक ग्रन्थ 'कुब्जिकामतम्' का विवरण यहाँ दिया जाता है।¹

(क) (29)कां (ख) कुब्जिकामतम् (कुबालिकाम्नायान्तर्गतम्) (ग) 10 × 1 1/2 inches, (घ) Folio, 152 (ङ) Lines 6 on a page (च) Extent 2,964 slokas, (छ) Character Newari, (ज) Date ; Newar Era 229. (झ) Appearance, Old (ञ) Verse.

BEGINNING ॐ नमो महाभैरवाय

सकर्ता मण्डलान्ते कमरदनिहितानन्दशक्तिः सुभीमा

श्रुतसाध्य चतुर्कं अकुलकुलनत पंचक चान्यषट्कम् ।

चत्वारः पचकोऽन्यः पुनरपि चतुरस्तरवती मण्डलेवं

संस्टष्ट येन तस्मै नमतं गुह्यतरं भैरवं श्रीकुजेणम् ॥२॥

1. Sastri, H. P. — A Catalogue of Palm leaf and Selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal.

श्री मरिचकतः पृष्ठे त्रिकूटशिखरानुगम्
 सन्तानपुटमध्य स्थमनेका काररूपिणम् ॥
त्रिप्रकारन्तु त्रिशक्ति त्रिगुणोज्ज्वलम्
 चन्द्र सूर्यकृता.....स्वाह्नि देदीप्यवर्चसम् ।

कार्यकारणाभेदेन किञ्चित्कालमपेक्षया ।
 तिष्ठते भैरवीशानं मौनमादाय निश्चलम् (?)
 तत्र देवगणाः सर्वे सकिन्नरमहोरयाः
 कुर्वन्ति कलकलाराव समागत्य समीपतः ॥
 श्रुत्वा कलकलारावं को भवान् किमिहागतः
 ह्रिमवान् तु श्रसन्नात्मा गतोह्यन्वेषणं प्रति ॥ इत्यादि ॥
 नानेन रहिता सिद्धिमुक्तिर्नविद्यते ।
 निराधारपद ह्ये तत् तद्वेद परमपदम् ॥२॥

COLOPHON इति कुलालिका भाये श्रीमत् कुब्जिकामते समस्तस्थानावबोधश्चर्यया
 निर्देशो (२) नाम पञ्चविंशतिमः पटल समाप्त । सन् २६६ फाल्गुन कृष्णा ।

विषयः इति श्री कुलालिकान्भाये श्री कुब्जिकामते चन्द्रद्वीपावतारो नामः । १ पटलः ।

प्रापय्यायं	कौमाय्याधिकारी	नाम	121
मन्थानभेद	प्रचाररतिसंगमो	नाम	131
मन्त्रनिर्णयो	गह्वर मालिन्यो	द्वारे	141
बृहत्समयोद्धार	शब्दराशि मालिनीतद्ग्रह	व्याप्ति निर्णय	151
जय	मुद्रानिर्णय		161
मंत्रोद्दारे	षडगविधाधिकारोनाम		171
स्वच्छन्दशिखाधिकारो		नाम	181
शिरवाकल्पेक	देशो	(?) नाम	191
देव्यासमयो	(?) नाम	मन्त्रोच्चारो	1101
षट्प्रकार	निर्णयो	नाम	1111
षट्प्रकारधिकारवर्णनो		नाम	1121
दक्षिणषट्	कपटिज्ञानो	नाम	1131
देवीहृती	निर्णयो	नाम	1141
षट् प्रकारे	योगिनी	निर्णयः	1151
षट् प्रकारे	महानन्द मन्त्रको	नाम	1161
षड्वय	हैस	निर्णयो नाम	1171
चतुष्कस्य		षडभेदम्	1181
चतुष्क	निर्णयो	नाम	119

चन्द्र	द्वीपाक्षतारो	नाम	।20।
द्वीपाक्षायो		नाम	।21।
समस्त	व्यस्तव्याधि	निर्णयो नाम	।22।
त्रिः	कालमुत् कान्ति	सम्बन्धः	।23।
तदर्था	पूजा विधि	पवित्रारोहणम्	।24।
समस्त	स्थानावस्कांक्षचर्या	निर्देशो (?) नाम	।25।

इसमें सबसे पहले (क) ग्रन्थ की पुस्तकालय-गत सख्या विदित होती है। यह ग्रन्थ-सन्दर्भ है। (ख) पुस्तक का नाम उसकी उप-व्याख्या के साथ है। उप-व्याख्या कोष्ठकों में दी गई है।

(ग) में पुस्तक का आकार बताने के लिए पृष्ठ की लम्बाई 10 इंच, चौड़ाई 1½ इंच बताई गई है। इसे संक्षेप में यों 10" × 1/112" बताया गया है। (घ) में फोलियो या पृष्ठ सख्या बताई गई है। यह 152 है। (ङ) में प्रत्येक पृष्ठ में पंक्ति सख्या बतायी गयी है। 6 पंक्ति प्रति पृष्ठ। (च) में ग्रन्थ परिमाण—कुल श्लोक सख्या 2964 बतायी गयी है। (छ) में लिपि प्रकार है—लिपि प्रकार 'नेवारी लिपि' बताया गया है। (ज) में तिथि का उल्लेख है—यह है नेवारी सवत् 299 (झ) में 'रूप' का विवरण है—रूप में यह प्रति प्राचीन लगती है। पद्यबद्ध है, यह बात (ञ) में बतायी गयी है।

इतनी सूचनाएँ देकर ग्रन्थ में से पहले प्रारम्भ के कुछ पद्य उदाहरणार्थ दिये गये हैं। तब 'ग्रन्त' के भी कुछ अंश उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं।

यही पुष्पिका (Colophon) उद्धृत की गई है। यहाँ तक ग्रन्थ के रूप-विन्यास का आवश्यक विवरण दिया गया है। तब विषय का कुछ विशेष परिचय देने के लिए क्रमात् 'विषय सूची' दे दी गई है। प्रत्येक विषय के आगे दी गई सख्या परिच्छेदसूचक है।

उदाहरण : डॉ. टेसीटरी के सर्वेक्षण से

अब एक उद्धरण डॉ० टेसीटरी के राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण से दिया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इन्हे 1914 में सुपरिन्टेन्डेंट 'वारडिक एण्ड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना' बनाया। उनके ये ग्रन्थ-सर्वेक्षण 1917-18 के बीच में सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किये गये। इन्हीं में से 'गद्यभाग' के अन्तर्गत 'ग्रन्थांक 6' का विवरण 'परम्परा' में डॉ० नारायणसिंह भाटी द्वारा किये गये अनुवाद के रूप में नीचे दिया जा रहा है :

ग्रन्थांक-6—नागौर के मामले री बात नै कविता¹

गुटके के रूप में एक छोटा-सा ग्रंथ, पत्र 132, आकार 5" × 5½" पृ. 21 व 26 व, 45व-96व, तथा 121 व - 132 व खाली हैं। लिखे हुए पन्नों में 13 से 27 अक्षरों वाली 7 से 16 तक पंक्तियाँ हैं। पृ० 100—125 पर साधारण (नौसिखिए के बनाए हुए) चित्र पानी के रंगों में 'रसूल रा दूहा' को चित्रित करने के लिए बनाए गए हैं (वेखें नीचे घ)। ग्रन्थ कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध है। पृ० 7 व पर लिपिकाल सं० 1696 श्रेष्ठ सुद 13 गनिवार और लेखक का नाम रघुनाथ दिया गया है। लिपि मारवाड़ी

1. 'परम्परा' (भाग 28-29), पृ० 25-26।

है और ड तथा ड मे भेद नहीं किया गया है। ग्रन्थ मे निम्न कृतियाँ हैं :

- (क) परिहारी दुहा बगेरे फुटकर वाता, पृ० 1 अ 11 ब
(ख) नागौर रं मामलै री कविता, पृ० 12 अ 21 अ ।

इसमें तीन प्रशस्त कविताएँ हैं—एक गीत एक भ्रमाक तथा एक नीसाणी जिसका विषय करणसिंह और नागौर के अमरसिंह की प्रतिस्पर्धा है, जिसका उद्धरण दूसरे अनुच्छेद में नीचे दिया गया है। इन कविताओं मे मुख्यतया बीकानेर के सेनाध्यक्ष मुहता बीरबन्द की बीरता का बखान किया गया है। गीत का रचयिता जगा है और भ्रमाक का लेखक चारण देवराज बीकूपुरिया है। नीसाणी के लेखक का नाम नहीं दिया गया है।

तीन कविताओं की प्रारम्भिक पक्तियाँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं :

- गीत—दलायम रुदहंभ.....आदि
भ्रमाल—कौरव पाँडव कलहोया.....आदि
नीसाणी—अबरल दबी अषट सपर.....आदि

- (ग) नागौर रं मामलै री बात, पृ० 27 अ—45 ब ।

जाखणिया ग्राम को लेकर बीकानेर और नागौर के बीच स० 1699-1700 के मध्य जो सषर्ष हुमा था उसका बडा बारीक और दिलचस्प वृत्तान्त इसमे है। जबसे नागौर, जोधपुर के राजा गजसिंह के पुत्र राव अमरसिंह को मनसब मे प्रदान किया गया, जाखणिया गाँव बीकानेर के महाराजा के अधिकार मे ही चला आता था परन्तु स० 1699 मे नागौरी लोगों ने जाखणिया ग्राम के पास-पास खेत बो दिये इससे भगड़े का सूत्रपात हुआ जिसका अन्त स० 1700 के युद्ध के बाद हुआ, जिसमे अमरसिंह की फौज को खदेड दिया गया और उसका सेनापति सिषधी सीहमल भाग खड़ा हुआ। युद्ध सम्बन्धी वृत्तान्त ठेठ अमरसिंह की मृत्यु तक चला है। यह छोटी-सी कृति बड़े महत्व की है क्योंकि इसमे अनेक बातों पर बारीकी से प्रकाश डाला गया है जो उस समय की सामन्ती जीवन-व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है। इसका प्रारम्भ होता है —

बीकानेर महाराजा श्री करनीसिंह जी रं राज ने नागौर राठ अमरसिंह गजसिधौत रो राज सु नागौर बीकानेर रो काँकड गाव (०) । जावपीयो सु गाव बीकानेर रो हुतो ने नागौर रा कहे नु गाव माहरोदीवहीज असरचो हुतो.....आदि ।

अन्त इस प्रकार है—

इसडो काम मुहते रामचन्द नु फबीयो बड़ो नावं हुयो पातसाही माहे बदीतो हुवो इसडो बीकानेर काही कामदार हुयो न को हुसी । (घ) रसालू रा दूहा पृ० 99 ब 115 ब । इसमे 33 दोहे है। प्रारम्भ—ऊँच (?) 3 महल्ल चवंदडी ॥2॥ यह दूसरे दोहे का चौथा अरण है और अन्तिम—राजा भोजु जुद्वारवं ॥3॥ (ङ) किवलास रा दूहा पृ० 116 अ—117 ब । इसमे 30 छन्द हैं। प्रारम्भ किणही सावण सयोग—आदि ।

इस विवरण मे टेसीटरी महोदय ने सबसे पहले ग्रन्थ के आकार को हृदयगम कराने के लिए इसे गुटका बताया है। उसके आगे भी व्याख्या में 'छोटा-सा ग्रन्थ' कहा है। टेसीटरी महोदय ग्रन्थ की आकृति के साथ उसके बेष्टन आदि का भी उल्लेख कर देते हैं : यथा, अर्थात् एक में पहली ही पंक्ति है "394 पत्रों का अमड़े की जिल्द में बँधा वृहदाकार ग्रन्थ"। अर्थात् 2 मे भी ऐसा ही उल्लेख है कि "कपड़े की जिल्द में बँधा 82 पत्रों का

सामान्य ग्रंथ'। तब पत्रों की संख्या बतायी है, '132'। पत्रों का आकार है $5'' \times 5\frac{1}{2}''$ । इन 132 पत्रों में सामग्री का ठीक अनुमान बताने के लिए यह भी उल्लेख किया गया है कि कितने और कौन-कौन से पृष्ठ खाली हैं। फिर पंक्तियों की गिनती प्रति पृष्ठ तथा प्रत्येक पंक्ति में अक्षर का अनुमान भी बताया गया है कि इसमें 13 से 27 अक्षरों वाली 7 से 16 तक पंक्तियाँ हैं।

पुस्तक चित्रित है। चित्र कितने हैं? कैसे हैं? और किस विषय के हैं, इनका विवरण भी दिया गया है—

चित्र कितने हैं? 16

किन पृष्ठों पर है? 'पृ० 100—115 तक' पर।

कैसे हैं? नौसिखिये के बनाये, पानी के रंगों के।

विषय क्या है? 'रसूल रा दूहा' को चित्रित करने वाले।

फिर लिपिकाल का अनुमान दिया गया है :—

"कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध।"

यदि लेखक और लिपिकार का भी उल्लेख कही ग्रन्थ में हुआ है तो उसका विवरण भी है—

कहाँ उल्लेख है? पृ० 7 ब पर

लिपिकाल क्या है? स० 1696. जेठ सुद 13, शनिवार

लिपिकार का नाम क्या है? रघुनाथ

लिपि की प्रकृति भी बताया गयी है—लिपि मारवाडी। एक वैशिष्ट्य भी बताया है कि 'ड' तथा 'ड' में अन्तर नहीं किया गया। तब ग्रन्थ के विषय का परिचय दिया गया है।

कुछ और उदाहरण से .

ग्रन्थ उदाहरण : पृथ्वीराज रासो

(क) प्रति स० 5 (ख) साहज 10×11 इंच (ग) 1—पुस्तकाकार, (ग) 2—अपूर्ण, और (ग) 3—बहुत बुरी दशा में है। (घ) इसके आदि के 25 और अन्त के कई पन्ने गायब हैं जिसमें आदि-पर्व के प्रारम्भ के 67 रूपक और अन्तिम प्रस्ताव (वाण वेद्य सम्मों) के 66वें श्लोक के बाद का समस्त भाग जाता रहा है। इस समय इस प्रति के 786 (26—812) पन्ने मौजूद हैं। बीच में स्थान-स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर 25 होती है। प्रारम्भ के 25 पन्नों के नष्ट हो जाने से इस बात का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अन्त के भी इतने ही पन्ने गायब हुए हैं। (ङ) 1—पर अन्त के इन 25 पन्नों में कौन-कौनसे प्रस्ताव लिखे हुए थे, इनमें कितने पन्ने खाली थे, इस प्रति को लिखवाने का काम कब पूरा हुआ था और (छ) 2—यह किसके लिए लिखी गई थी? इत्यादि बातों को जानने का इन पन्नों के गायब हो जाने से अब कोई साधन नहीं है। लेकिन प्रति एक-दो वर्ष के अल्पकाल में मिली गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि (च) इसमें नौ-दस तरह की लिखावट है और (छ) प्रस्तावों का भी कोई निश्चित क्रम नहीं है। ज्ञात होता है, रासो के भिन्न-भिन्न प्रस्ताव जिस क्रम से और जब-जब भी हस्तगत हुए वे उसी क्रम से इसमें लिख लिये गये हैं। (ज) 'सप्तम्या सम्मों',

'सलष युद्ध सम्ब' और 'अनंगपाल सम्ब' के नीचे उनका लेखन-काल भी दिया हुआ है। ये प्रस्ताव क्रमशः सं० 1770, सं० 1772 और स. 1773 के लिखे हुए हैं, लेकिन 'वित्ररेखा', 'दुर्गाकैदार' आदि दो एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी हैं जो कागज आदि को देखते हुए इनसे 25-30 वर्ष पहले के लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही, 'लोहाना अज्ञान बाहु सम्ब' स्पष्ट ही सं० 1800 के आस-पास का लिखा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि रासी की यह एक ऐसी प्रति है जिसको तैयार करने में अनुमानतः 60 वर्ष (सं० 1740-1800) का समय लगा है।

भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के हाथ की लिखावट होने से प्रति के सभी पृष्ठों पर पंक्तियों और अक्षरों का परिमाण भी एकसा नहीं है। किसी पृष्ठ पर 13 पंक्तियाँ, किसी पर 15, किसी पर 25 और किसी-किसी पर 27 तक पंक्तियाँ हैं। लिखावट प्रायः सभी लिपिकारों की सुन्दर और सुपाठ्य हैं। पाठ भी अधिकतर शुद्ध ही है। दो एक लिपिकारों ने संयुक्ताक्षरों में लिखने में असावधानी की है और ख, ग, त इत्यादि के स्थान पर क्रमशः ख, ग, त आदि लिख दिया है, जिससे कही-कही छदोभंग दिखाई देता है। पर ऐसे स्थान बहुत अधिक नहीं हैं। इसमें 67 प्रस्ताव हैं। उपरोक्त प्रति सं० 2 के मुकाबले में इसमें तीन प्रस्ताव (विवाह सम्ब, 'पद्मावती सम्ब' और 'रेणसी सम्ब') कम और एक (समरसी दिल्ली सहाय सम्ब) अधिक है।

इस प्रति में से 'ससिद्धता सम्ब' का थोड़ा-सा भाग हम यहाँ देते हैं। यह सम्ब, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सं० 1770 का लिखा हुआ है —

ब्रह्म

आदि कथा शाशिवृत की कहत अब समूल ।

दिल्ली के पतिमाह गृहि कहि लहि उनमूल ॥१॥

अरिस्त

श्रीषम ऋनु क्रीडन सुराजन । पति उकलत वेह नभ छाजन ॥

विषम बाय तपित तनु भाजन । लागी शीत सुमीर सुराजन ॥

कवित

लागी शीत कल मंद नीर निकट सुरजत पट ।

अमित सुरंग सुगंध तनह उबटंत रजत पट ।

मलय चन्द मल्लिका ग्राम धारा-गृह सुबर ।

रजि विपिन बाटिका शीत द्रुम छांह रजततर ॥

कुमकुमा अग उबटत अघि मधि केसरि धनसार धनि ।

कीलंत राज श्रीषम सुरिति आगम पावस तईय भनि ॥

इसकी प्रति मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि राव वस्तावर जी के पौत्र श्री मोहनसिंह जी राव के पास है ।¹

1. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम पाग), पृ० 64-65 ।

इस विवरण में 'क' के द्वारा तो ग्रन्थ का क्रमांक दिया गया है ।

- (ख) मे आकार या साइज दी गई है—10 इंच चौड़ी × 11 इंच लम्बी
- (ग) में विशिष्ट आकार बताया गया है—इसमें पहले तो यह उल्लेख है कि यह पुस्तकाकार है । पुस्तकाकार से अभिप्राय है कि सिली हुई पुस्तक है, पत्राकार नहीं कि जिसमें पत्र अलग-अलग रहते हैं । फिर, कुछ अन्तरंग परिचय दिया है कि पुस्तक अपूर्ण है । फिर ऊपरी दशा बताई गई है । 'बहुत बुरी दशा' । दशा का यह वर्णन लेखक ने अपनी रचि के रूप में किया है । 'बुरी दशा की व्याख्या नहीं दी है ।
- (घ) मे आन्तरिक विवरण है— पहले इसका स्थूल पक्ष है । इस स्थूल पक्ष में 'पन्नो' की दशा' बताई गई है । इसमें जिन बातों का उल्लेख किया जाता है वे हैं : पन्ने गायब है क्या ? कितने और कहाँ-कहाँ से गायब है ? क्या कुछ पन्ने कोरे छोड़ दिये गये हैं ? कितने और कहाँ पन्ने कोरे छोड़े गये हैं ? अब कुल कितने पन्ने ग्रन्थ में हैं ? क्या पन्ने की ऐसी दशा से ग्रन्थ की वस्तु को ग्रहण करने में कुछ बाधा पड़ी है ?

यह अन्तिम प्रश्न स्थूल पक्ष में सम्बन्धित नहीं है । यह तो अन्तरंग पक्ष अर्थात् ग्रन्थ की वस्तु से सम्बन्धित है । वस्तुतः यह स्थूल और अन्तरंग को जोड़ने का प्रयत्न भी करता है । इसी दृष्टि से यह प्रश्न भी यहाँ दिया गया है ।

- (ङ) अब अन्तरंग पक्ष में निम्नलिखित बातों की जानकारी दी गई है : पहली बात तो यही बतायी गयी है कि पन्नो के गायब हो जाने या नष्ट हो जाने का क्या प्रभाव पड़ा है ? यह सूचना दी जाती है कि 'इत पृष्ठों में क्या था अब नहीं बताया जा सकता. अन्य आवश्यक सूचनाएँ भी नहीं मिल सकती ।'
- (च) अन्तरंग पक्ष में ही यह जानकारी अपेक्षित होती है कि पुस्तक में एक ही लिखावट है या कई लिखावटें हैं ।
- (छ) क्या अक्षराय-क्रम ठीक है, या अक्षरव्यस्त और अक्रम (रासी में अक्षराय को 'प्रस्ताव' या 'गम्भी' का नाम दिया गया है ।)
- (ज) ग्रन्थ में निम्नलिखित सूचनाएँ या अन्य सूचनाएँ क्या-क्या हैं ?
ये सभी बातें आन्तरिक विवरण के अन्तरंग पक्ष में सम्बन्धित हैं । विवरण-लेखक उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमानाश्रित अपने निष्कर्ष भी दे सकता है ।
एक और विवरण ले :

उदाहरण : रुचिमणी मंगल

327- रुचिमणी मंगल, पदम भगत कृत ।

- (क) प्रत्येक राग-रागिनी के अन्तर्गत आएँ छन्दों की संख्या पृथक्-पृथक् है ।
- (ख) पत्र संख्या-83 है ।
- (ग) अपेक्षाकृत मोटे देशी कागज पर है ।
- (घ) आकार 11 × 5.5 इंच का है ।
- (ङ) हाथिया—दाएँ—एक इंच, बाएँ—एक इंच है ।

- (ब) पक्ति—प्रति पृष्ठ 10 पंक्तियाँ हैं ।
 (छ) अक्षर—प्रति पक्ति 26—30 तक अक्षर हैं ।
 (ज) लिपि-पाठ्य है, किन्तु बीच में कई पन्नों के प्रापस में चिपक जाने से कहीं-कहीं अपाठ्य है ।
 (झ) श्री साहबराजजी द्वारा
 (ञ) यह प्रति सं० 1935 में लिपिबद्ध की गयी ।
 (ट) प्राप्ति स्थान—लोहाबट साधरी है ।
 (ठ) आदि का अंश—“श्री विष्णु जी श्री रामचन्द्र जी नमः”
 (ड) अथ श्री प्रदमईया कृत
 (ढ) रुकमणी मंगल लिपितं :
 (ण) बोहा — ससार सागर अथाग जल ॥ सूभत वार न पार ॥
 गुर गोविन्द कृपा करो ॥ गाँव मंगल चार ॥१॥”
 (त) अन्त का अंश— जो मंगल कूँ सुँन गाय गुन है बाजँ अधिक बजायँ
 पूरण ब्रिह्म पदम के स्वामी मुक्त भक्त फल पाय । 5॥192
 (थ) ईती श्री पद्मईया कृत रुकमणी मंगल सम्पूर्ण
 (ध) 1—संमत् 1935 रा वृष मीती भाद्रबाद 4 बार आदित्तवारे लीपीकृत
 (घ) 2—शाघ श्री 108 श्री महंतजी श्री आतमाराजजी का मिष शायबराभेण
 (च) 3—गाँव फोटकासणी मेघे
 (च) 3—1 विष्णुजी के भीदर मे
 (च) 4—जीसी प्रनी देवी (प्रति) तमी लिपी मम दोम न दीजीये—
 (च) 4-1 हाथ पाव कर कुबडी मुष अरु नीचँ नैन । ईन कट्टी पोथी लीपी तुम नीके
 रापीयो सेन ।
 (द) मुममस्तु कल्याणमस्तु विष्णुजी । (भिन्न हस्तलिपि में)
 (ध) 1 - प्रती व्यावलो श्रीकिसन रुकमणी रो मंगलाचार रो पोथी माद गोविन्ददास
 विष्णु बैईरागी की कोई लजर करण पावँन्ही ॥ माद रूपराम विमनोदयाँ रा
 कना मु लीनो छे गाँव रामडावाम रा छे ।¹

इसमें—

- (क) में कृत्तिकार का नाम दिया गया है ।
 (ख) में यह सूचना है कि राग-रागिनी में छन्द संख्या पत्रग-अलग है । (यह अन्तरग पक्ष है)
 (ग) 'कागज' विषयक सूचना (आकार एवं स्वरूप पक्ष में सम्बन्धित) माटा देशी कागज । वस्तुतः कागज या लिप्यासन की प्रवृत्ति बताना बहुत आवश्यक है । कभी-कभी इसके काल-निर्धारण में भी सहायता मिलती है, कागज के विविध प्रकारों का ज्ञान भी अपेक्षित है ।
 (घ) में आकार बताते हुए इंचों में लम्बाई-चौड़ाई बतायी गई है ।
 (ङ) यह लेखन-सज्जा से सम्बन्धित है : हाथिये कैसे छोड़े गये हैं दिये और बाये दोनों ओर हाथिये हैं ;

1 माहेश्वरी, हीरालाल (बर्ग०)—जाम्बोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और माहित्य, पृ० 120 ।

- (ब) में प्रत्येक पृष्ठ में पंक्ति-संख्या का निर्देश है।
- (छ) में प्रति पंक्ति में अक्षर-संख्या बतायी गयी है।
- (ज) में लिपि—इसमें सुपाठ्य या अपाठ्य की बात बतायी गई है। (लिपि का नाम नहीं दिया गया है। लिपि नागरी है।)
- (झ) में लिपिकार का नाम,
- (न) में लिपिबद्ध करने की तिथि,
- (ट) में प्राप्ति-स्थान की सूचना है।

आन्तरिक परिचय :

- (ठ) में ग्रन्थ के 'भावि' से अवतरण दिया गया है। ग्रन्थारम्भ 'नमोकार' से होता है। इसमें सांप्रदायिक इष्ट को नमस्कार है।
- (ड) ग्रन्थ के भावि में पुष्पिका है। इसमें रचनाकार और
- (ढ) ग्रन्थ का नाम दिया गया है। तब
- (ण) ग्रन्थ का प्रथम दोहा उद्धृत है, यह दोहा 'मंगलाचरण' है।
- (त) में 'ग्रन्थ के प्रश्न का उद्धरण है, जिसमें ग्रन्थ की 'फल-श्रुति' है, यथा 'मुक्ति भक्ति फलपाया'
- (थ) में ग्रन्थ के अन्त की 'पुष्पिका' (Colophon) है। जिसमें 'इति' और सम्पूर्ण से ग्रन्थ के अन्त और सम्पूर्ण होने की सूचना के साथ रचनाकार एवं ग्रन्थ-नाम दिया गया है। तब (थ) 1—लिपिबद्ध करने की तिथि, (घ) 2—लिपिकार का परिचय, (च) 3—में लिपिबद्ध किये जाने के स्थान-गाँव का नाम है एवं (घ) 3—1 उम गाँव में वह विशिष्ट स्थान (विष्णु मन्दिर) जहाँ बैठ कर लिखी गई। (घ) 4—लिपिकार की प्रतिज्ञा और दोषारोपण की बर्जना है। (घ) 4 में पाठक एवं मरलक से निवेदन है, इसका स्वरूप परम्परागत है।
- (द) आशीर्वाचन।
- (ध) 1—भिन्न हस्तलिपि में पुस्तक के मानिक की घोषणा।

उदाहरण—एक पोथी

एक और ग्रन्थ के लिए ण को उदाहरणार्थ यहाँ दिया जा रहा है। इस ग्रन्थ का विवरण में निम्नक न 'पोथी' बताया है —

81 पोथी, जिल्दबन्धी (ब. प्रति)। पत्र-तत्र खण्डित। एकाध पत्र-अप्राप्य। अपेक्षाकृत मोटा देगी कागज। पत्र सख्या 152। आकार 10×7 इंच। हाथिया-दाएँ बाएँ: पीन इंच। तीन लिपिकारों द्वारा स० 1832 में 1839 तक लिपिबद्ध। लिपि, सामान्यतः पाठ्य। पंक्ति, प्रति पृष्ठ।

- (क) हरजी लिखित रचनाओं में 23-29 तक पंक्तियाँ हैं।
- (ख) तुलछीदास लिखित सबदवाणी में 31 पंक्तियाँ हैं, तथा।
- (ग) ध्यानदास लिखित रचनाओं में 24-25 पंक्तियाँ हैं। अक्षर-प्रति-पंक्ति-क्रमशः (क) में 18 से 20 तक, (ख) में 24 से 25 तक तथा (ग) में 23 से 25 तक।

गाँव 'मुकाम' के श्री बदरीराम थापन की प्रति होने से इसका नाम ब० प्रति रखा गया है। इसमें ये रचनाएँ हैं—

- (क) भीतार पात का बघाण, बील्होजी कृत। छन्द संख्या 140।
 (ख) गूगलीयै की कथा, बील्होजी कृत। छन्द संख्या 86। (प्रथम रचना का अन्तिम और दूसरी के आरम्भ का एक पन्ना भूल से शायद जित्तु बाँधते समय, 'कथा जैसलमेर की' के बीच में लग गया है।)
 (ग) सच अथरी विगतावली, बील्होजी कृत। छन्द संख्या -48।
 (घ) कथा दूणपुर की, बील्होजी कृत। छन्द संख्या-60।
 (ङ) कथा जैसलमेर की, बील्होजी कृत। छन्द संख्या-89।
 (च) कथा भोरडा की, बील्होजी कृत। छन्द संख्या-33।
 (छ) कथा ऊदा भतली की, केसौजी कृत। छन्द संख्या-77।
 (ज) कथा सैसे जोषाणी की, कंसौदासजी कृत। छन्द संख्या-106।
 (झ) कथा चीनोड की, कंसौदासजी कृत। छन्द संख्या-130।
 (न) कथा पुल्हेजी की, बील्होजी कृत। छन्द संख्या-25।
 (ट) कथा भसकदर पालिसाह की, केसौदासजी कृत। छन्द संख्या-191।
 (ठ) कथा बाल-लीला, कंसौदासजी कृत। छन्द संख्या-61।
 (ड) कथा धमचारी तथा कथा-चेतन, सूरजनदास जी कृत। छन्द संख्या-115।
 (ढ) ग्यान महात्म, सूरजनदासजी कृत। छन्द संख्या-199।

समत् 1832 मिति जेठ बंद 13 लिखते बणिबाल हरजी लिखावतं अतित रासाजी लालाजी का चेला पोथी गाँव जाषाणीया मभे लिखी छै सुभ मसतु कल्याण ॥

कथा चतुरदस मे लिखी भरज करू कर धारि।

घटय बधि अक्षर जो हवै। सन्तो ल्यौह सुधारि ॥1॥

- (ण) पहलाद चिरत, कंसौदासजी कृत। छन्द संख्या-595। (त) श्री बायक भाभैजी का (सबदबाणी) पद्य प्रसंग समेत। सबद संख्या-117। आदि का अंश-श्री परमात्मनेनम श्री गणेशायनम। लिखते श्री बायक भाभैजी का ॥

काचै करवै जल रष्या। सबद जगाया दीप।

वाभण कूँ परचा दिया। प्रैसा अमा अचरज कीप ॥1॥

जो ब्रह्मा सोई कह्या। अल्प लपाया मेव ॥

धोषा सर्वै ममाईया। जदि सबद कह्या भ्रमदेव ॥2॥

शबद ॥ गुर चीन्हो गुर चिन्ह पिरोहित। गुर मुख धरम बषाणीं ॥

अन्त का अंश भलीयाँ होइ त मल बुधि आवे। बुरिया बुरी कमावे ॥117॥ संवत 1833॥ तिथ तीज भादवो सुवि। सहर गोर मध्ये लिखते। बषत सागर तटे। लिखावतूँ रासा अतीत भांभापंथी ॥ शबद भाभैजी का सपूरण ॥ लिखतेतूँ तुलीछीदास ॥ भांभापंथी केसोदास जी का चेला। केसोदास जी कालीपोस। बाबाजी नूर जी का सिध। नूरजी पौराजजी का सिध। पौराज जी जसाणी। आने बाबा भांभाजी ताँई पीदी छै सू हम जानत भी नाही। जित्ती मुसाहिब जी की लिखति थो तिसी लिखी छै यथायं प्रति

उतारी छै ।।सबदा।। दोहा ।।कवि।। प्ररिल जो कुछ था सोई ।।या कवत सुरजनजी रा कल्ला, संख्या 329। समत् 1839 रा बंसाप मासे तिथी 5 देवा गुरबारे लिपतं वैष्णव ।। भ्यांनदास दुगाली मध्ये जथा प्रति तथा लिपतं ।। वाचं विचारे तिणनु राम राम । (द) होम को पाठ (घ) भ्रादि बंसावली । (न) विवरस (प) कलस धापन (फ) पाहल । (ब) चौजूगी बीबाह की । (भ) पांहलि (पुन.) भ्रादि—श्री गणेशायनमः श्री सारदाय नमः श्री विसनजी सत सही ।। लिपतुं श्रोतार पात का बर्षाण ।।

दुहा ।। नबणि करूँ गुर धापणं ।। नउ निरमल भाय ।

कर जोडे बंदूँ चरण ।। सीस नवाय नवाय ।।।।

अन्त—मछ की पाहलि ।। कछ की पाहली ।। बारा की पाहली ।। नारिसिध की पाहलि ।। वांवन की पाहलि फरसराम की पाहलि राम लक्षमण की पाहलि ।। कंन की पाहलि बुध की पाहलि निकलकी पाहलि—।।

ऊपर कुछ ग्रन्थों के विवरण (Notices) उद्धृत किये गये हैं । साथ ही प्रत्येक विवरण में भ्राथी बातों का भी संकेत हमने अपनी टिप्पणियों में कर दिया है । उनके आधार पर अब हम ग्रन्थ के विवरण में अपेक्षित बातों को व्यवस्थित रूप में यहाँ दे देना चाहते हैं : पांडुलिपि हाथ में आने पर विवरण लेने की दृष्टि से इतनी बातें सामने आती हैं :

(1) ग्रन्थ का 'अतिरिक्त पक्ष' । इसमें ये बातें आ सकती हैं :

ग्रन्थ का रत्न-रत्नाव · वेष्टन, पिटक, जिल्द, पटरी (कांबी), पुट्टा, डोरी, ग्रन्थि । वेष्टन कैसा है ? सामान्य कागज का है, किसी कपडे का है, चमड़े का है या किसी अन्य का ? वह पिटक, जिसमें ग्रन्थ सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, काष्ठ का है या धातु का है । जिल्द—यदि ग्रन्थ जिल्दयुक्त है तो वह कैसी है । जिल्द किस वस्तु की है, इसका भी उल्लेख किया जा सकता है ।

ताड़-पत्र की पांडुलिपि पर और खुले पत्रों वाली पांडुलिपि पर ऊपर नीचे पटरियाँ या काष्ठ-पट्टी¹ लगाये जाते हैं, या पट्टे (पुट्टे) लगाये जाते हैं । इन्हें विशेष पारिभाषिक ग्रंथ में 'कबिका या कांबी' भी कहा जाता है । भा. जं. श्र. स. ग्रंथ लेखन कला में बताया है कि 'ताड़-पत्रीय लिखित पुस्तकना रक्षण माटे तेनी ऊपर अने नीचे लाकडानो चीपो-पाटीघों राखवामां भ्रावती तेनु' नाम 'कबिका' छे ।² तो यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि क्या ये पट्टिकायें ग्रन्थ के दोनों ओर हैं । इनके ऊपर डोरे में ग्रन्थ लगाने की ग्रन्थियाँ (गोलाकार टुकड़े जिनमें डोरे को पिरोकर पक्की गाँठ लगायी जाती है) भी है क्या ? ये किस वस्तु की है ? और कैसे है ? क्या इन पर अलकरण या चित्र भी बने हैं ? अलंकार और चित्र का विवरण भी दिया जाना चाहिये ।

(2) पुस्तक का स्वरूप—'अतिरिक्त पक्ष' के बाद पांडुलिपि के 'स्वपक्ष' पर दृष्टि जाती है । इसमें भी दो पहलू होते हैं ।

1. भा० जै० श्र० सं० अने लेखन कला में 'काष्ठ पट्टिका' उम नकडी की 'पट्टी' को बताया है जिस पर व्यवसायी लोग कच्चा हिसाब लिखते थे, और लेखकगण पुस्तक का कच्चा पाठ लिखते थे । बच्चों को लिखना सिखाने के लिए भी पट्टी काम आती थी । यहाँ हम काष्ठ पट्टिका का उल्लेख नहीं है । यहाँ 'काष्ठ पट्टिका' से 'पट्टी' अभिप्रेत है, जो पांडुलिपि की रक्षा के ऊपर-नीचे लगायी जाती है ।
2. भारतीय जैन धर्मग्रंथ संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 19 ।

पहला पहलू पुस्तक के सामान्य रूप-रंग-विषयक सूचना से सम्बन्धित होता है। पुस्तक देखने में सुन्दर है, अच्छी है, गन्दी है, बुरी है, मटमैली है, जर्जर है, जीर्ण-शीर्ण है, धादि। या भारी-भरकम है, मोटी है, पतली है। वस्तुतः इस रूप में पुस्तक का विवरण कोई अर्थ नहीं रखता, उपयोगी भी नहीं है। हाँ, यदि सुन्दर है या गन्दी है न लिख कर उसके बाह्य रूप-रंग का परिचय दे दिया जाय तो उसे ठीक माना जा सकता है, यथा, ग्रथ का कागज गल गया है, उस पर स्याही के धब्बे हैं, चिकनाई के धब्बे, हल्दी के दाग हैं, रेत-मिट्टी, धुँएँ धादि से घूमिल हैं, कीड़े-मकोड़े ने, दीमक ने जहाँ-तहाँ खा लिया है, पानी से भीगेने से पुस्तक लिड्ड हो गयी है, धादि।

पुस्तक के रूप का दूसरा पहलू है, 'आकार-सम्बन्धी'। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी विवरणी में इसका उल्लेख रहता है। इसमें ये बातें दी जाती हैं।

(क) पुस्तक का प्रकार : प्रकार नामक अध्याय में इनकी विस्तृत चर्चा है। आजकल प्रकारों के जो नाम-विशेष प्रचलित हैं, वे डॉ० माहेस्वरी ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. पोथी—प्रायः बीच से सिली, आकार में बड़ी।
2. गुटका—पोथी की भाँति, पर छोटा : 6×4.5 इंच के लगभग।
3. बहीनुमा पुस्तिका— 21×4.25 इंच। अधिक लम्बी भी होती है।
4. पुस्तिका : आकार $7.5'' \times 5.25''$ के लगभग।
5. पोथा।
6. पत्रा (खुले पत्रों या पन्नों का)
7. पानावली (विशेष विवरण 'प्रकार' शीर्षक अध्याय में देखिये)।

(ख) पुस्तक का कागज या लिप्यासन सामान्यतः लिप्यासन के दो स्थूल भेद किये गये हैं : (1) कठोर लिप्यासन—मिट्टी की टट्टें शिलाएँ, धातुएँ, धादि इस वर्ग में आती हैं। चर्म, पत्र, छाल, वस्त्र, कागज धादि (2) कोमल माने जाते हैं। मिट्टी की टट्टें, शिला, धातु, चर्म, छाल, ताड़-पत्र धादि में से पत्र, पत्थर, धातु, चर्म, छाल, वस्त्र धादि के प्रकारों को तो 'जनक' कह सकते हैं। क्योंकि इनसे लिप्यासन जन्म लेते हैं। इनमें इनका प्रकृत रूप विद्यमान रहता है। उधर कागज पूरी तरह 'जगित' या मानव निर्मित है। यह विविध वस्तुओं से बनाया जाता है। कागज के भी कितने ही प्रकार होते हैं यथा—देही कागज, सामान्य, मोटा, पतला, कुछ मोटा, मशीनी और ये विविध रंगों के—भूरा, बादामी, पीला, नीला धादि। इस सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजय जी ने जो उल्लेख किया है वह ध्यान-य है

“कागज ने माटे प्रापणा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थामा तामर अने बद्गल शब्दों वपराभेला जोवा माँ आने छे। जेम आजकाल जुदा जुदा देशों में ताना मोटा, भीणा जाडा, सारा तरसा धादि अनेक जातना कागलो बने छे तेम जून जमाना थी माडी प्राज पर्यन्त प्रापणा देशना हरेक विभाग माँ अर्थात् काश्मीर, दिल्ली, बिहारना पटना शाहाबाद धादि जिल्लाओं, कानपुर, घोसुंठा (मेवाड़), अमदाबाद, संभात, कागजपुरी (दौलताबाद पासे) धादि अनेक स्थलों माँ पोत पोतानी सपत अने जरूरी प्रातना प्रमाणमाँ काश्मीरी, मुंगलीप्रा, भरवाल, साहेबखानी, अमदाबादी, सभाती, शणीप्रा, दौलताबादी धादि जात जातना कागलो बनता हता अने हजु पण अणे ठेकाणे बने छे, ते माँथी जेजे जे सारा, टकाऊ

घने माफक लाने ते नो ते धो पुस्तक लखवा माटे उपयोग करता'।¹ इस पुस्तक में काश्मीरी कागज की बहुत प्रशंसा की है। यह कागज बहुत कोमल और मजबूत होता था। इस बिबरण में भेवाड के पोसुन्दा के कागज का उल्लेख है, पर जयपुर में सांगानेर का सांगानेरी कागज भी बहुत विख्यात रहा है।

कागज के सम्बन्ध में श्री गोपाल नारायण बहुरा की नीचे दी हुई टिप्पणी भी जानबर्दाक है :

“स्यालकोट शकबर के समय मे ही एक प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र बन गया था। वहाँ पर लिखने-पढ़ने का काम खूब होता था और कागज व स्याही बनाने के उद्योग भी वहाँ पर बहुत अच्छे चलते थे। स्यालकोट का बना हुआ बढिया कागज ‘मानसिही कागज’ के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर रेशमी कागज भी बनता था। इस स्थान के बने हुए कागज मजबूत, माफ और टिकाऊ होते थे। मुख्य नगर के बाहर तीन ‘डानियों’ में यह उद्योग चलता था और यहाँ से देश के अन्य भागों मे भी कागज भेजा जाता था। दिल्ली के बादशाही दफ्तरो मे प्रायः यहाँ का बना हुआ कागज ही काम में आता था।²

इसी प्रकार कश्मीर में भी कागज तो बनते ही थे, साथ ही वहाँ पर स्याही भी बहुत अच्छी बनती थी। कश्मीरी कागजों पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत बड़ी संख्या मे मिलते हैं। जिस प्रकार स्यालकोट कागज के लिए प्रसिद्ध था उसी तरह कश्मीर की स्याही भी नामी मानी जाती थी।³

राजस्थान में भी मुगलकाल मे जगह-जगह कागज और स्याही बनाने के कारखाने थे। जयपुर, जोधपुर, भीलवाडा, गोगूँदा, बू दी, बांदीकुई, टोडाभीम और सवाई माधोपुर आदि स्थानो पर अनेक परिवार इसी व्यवसाय से कुटुम्ब पालन करते थे। जयपुर और घास-पास के 55 कारखाने कागज बनाने के थे, इनमे सांगानेर सबसे अधिक प्रसिद्ध था और यहाँ का बना हुआ कागज ही सरकारी दफ्तरों में प्रयोग में लाया जाता था। 200 से 300 वर्ष पुराना सांगानेरी कागज और उस पर लिखित स्याही के अक्षर कई बार ऐसे देलने मे आते हैं मानो आज ही लिखे गये हो।

शहरों और कस्बों से दूरी पर स्थित गाँवों में प्राय बिनिये और पटवारी लोगों के घरों व दूकानों पर ‘पाठे और स्याही’ मिलते थे। सांगानेरी मोटा कागज ‘पाठा’ कहलाता था, अब भी कहते है। ‘पाठा’ सम्भवत ‘पत्र’ का ही रूपान्तर हो। सेठ या पटवारी के यहाँ ही अधिकतर गाँव के लोगो का लिखा-पढ़ी का काम होता था। कदाचित् कभी उनके यहाँ लेखन सामग्री न होती तो वह काम उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाता जब तक कि शहर या पाम के बड़े कस्बे या गाँव से ‘स्याही’ पाठे न आ जावे। नुकता या बिवाह आदि के लिए जब सामान खरीदा जाता तो ‘स्याही-पाठा’ सबसे पहले खरीदा जाता था।”

तात्पर्य यह है कि जो हस्तलेख हाथ में आये उनके लिप्यामन की प्रकृति और प्रकार का ठीक-ठीक उल्लेख होना चाहिये।

1. भारतीय जैन धर्म संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 29-30।
2. Surcar, J. — Topography of the Mughal Empire, p 25.
3. Ibid, p. 112.

(ख) 1—कागज के प्रकार के साथ कागज के सम्बन्ध में ही कुछ अन्य बातें भी गयी जाती हैं :

1. कागज का रंग स्वाभाविक है या काल-प्रभाव से अस्वाभाविक हो गया है ।
2. क्या कागज कुरकुरा (Brittle) हो गया है ?
3. कीड़ों-मकोड़ों या दीमकों या चूहों से खा लिया गया है ? कहाँ-कहाँ, कितना ? इससे ग्रन्थ के महत्त्व को क्या और कितनी क्षति पहुँची है ।
4. समस्त पाण्डुलिपि में क्या एक ही प्रकार का कागज है, या उसमें कई प्रकार के कागज हैं ?

इन अन्य बातों का अभिप्राय यह होता है कि कागज विषयक जो भी वैशिष्ट्य है वह विवक्षित हो जाय ।

(ख) 2—कागज से काल-निर्धारण में भी सहायता मिल सकती है । इस दृष्टि से भी टीप देनी चाहिये ।

(ग) पत्रों की लम्बाई-चौड़ाई- यह लम्बाई-चौड़ाई इंचों में देने की परिपाटी 'लम्बाई इंच × चौड़ाई इंच' इस रूप में देने में सुविधा रहती है । अब तो सेंटीमीटर में देने का प्रचलन भी आरम्भ हो गया है ।

3 पाण्डुलिपि का रूप-विधान

(क) पक्ति एवं अक्षर परिमाण — सबसे पहली लिपि का उन्मुख होना चाहिये । देवनागरी है या अन्य ?¹ वह लिपि शुद्ध है या अशुद्ध ? पाण्डुलिपि के अन्तरंग-रूप का यह एक पहलू है ।

प्रत्येक पृष्ठ में पक्तियों की गिनती दी जाती है, तथा प्रत्येक पक्ति में अक्षर संख्या दी जाती है । इनकी औसत संख्या ही दी जाती है ।² इनमें सम्पूर्ण ग्रन्थ की सामग्री का अक्षर-परिमाण विदित हो जाना है ।

संस्कृत ग्रन्थों में 'अनुष्टुप' को एक श्लोक की इकाई मान कर श्लोक संख्या दे दी जाती थी । इस संबंध में 'भा०जै०श्र०म० अने लेखन कला' से यह उद्धरण यहाँ देना समीचीन होगा :

"..... ये ग्रन्थनी श्लोक संख्या गणना माटे कोईपण माथुने अने तकल आपवामा यावती अने ते साथ "वगीम प्रक्षरता प्रेक श्लो०" न हिमाये प्राप्ता ग्रन्थना प्रक्षो० गणीने श्लोक संख्या नक्की करता" ।³ बर्तास प्रक्षर का एक अनुष्टुप श्लोक होता है : एक चरण में 8 अक्षर, पूरे चार चरणों में $8 \times 4 = 32$ अक्षर । इस प्रकार गणना का मूलाधार अक्षर ही ठहरता है ।

(ख) पत्रों की संख्या—पक्ति एवं अक्षरों का विवरण देकर यह ग्रन्थ में महत्त्वपूर्ण है कि पत्रों की पूर्ण संख्या भी दे दी जाय । यथा : टेसीटरी, '436 पत्रों का बृहदाकार

1. यथा-टेसीटरी "कुछ देवनागरी लिपि में और कुछ उन समय में प्रचलित मारवाडी लिपि में लिपिबद्ध है ।" परम्परा (28-29), पृ० 146 ।
2. यह पद्धति भी है कि कम से कम अक्षरों की संख्या और अधिक से अधिक अक्षरों की संख्या दे दी जाती है, यथा 23 से 25 तक ।
3. भारतीय वैदिक धर्म संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 106 ।

ग्रन्थ'। पत्रों की सख्या के साथ यह भी देखना होगा कि (क) पत्र-संख्या का क्रम ठीक है, कोई इधर-उधर तो नहीं हो गया है।

(ख) कोई पत्र या पन्ने कोरे छोड़े गये हैं क्या ?

(ग) उन पर पृष्ठांक कैसे पड़े हुए हैं ?

(घ) पन्ने व्यवस्थित हैं और एक माप के हैं या अस्त-व्यस्त और भिन्न-भिन्न मापों के हैं ?

विशेष 1. इसी के साथ यह बनाना भी आवश्यक होता है कि लिखावट कैसी है—सुपाठ्य है, सामान्य है या कुपाठ्य है कि पढ़ी ही नहीं जाती। सुपाठ्य है तो सुन्दर भी है या नहीं। लिपि सौष्ठव के सम्बन्ध में ये बलोक आदर्श प्रस्तुत करते हैं :

“अक्षराणि समशीर्षाणि बर्तुलानि धनानि च ।

परस्परमलग्नानि, यो लिखेत् स हि लेखकः ।

समानि समशीर्षाणि, बर्तुलानि धनानि च ।

मात्रासु प्रतिबद्धानि, यो जानाति स लेखकः ।

“शीर्षोपितान् सुसम्पूर्णान्, शुभ श्रेणिगतान् समान्

अक्षरान् वे लिखेद् यस्तु, लेखकः स वरः स्मृतः ॥”

यथा टेसीटरी “अनेक स्थानों पर पढा नहीं जाता क्योंकि खराब स्याही के प्रयोग के कारण पत्र आपस में चिपक गये हैं ।”¹

2. यह भी बताना होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक ही हाथ की लिखावट है या लिखावट-भेद है। लिखावट में भेद यह सिद्ध करता है कि ग्रन्थ विभिन्न हाथों से लिखा गया है, यथा : टेमीटरी : समय-समय पर अलग-अलग लेखकों के हाथ से लिपिबद्ध किया हुआ है ।”²

(ग) अलंकरण—सज्जा एवं चित्र

(आ)सज्जा की दृष्टि से इन दोनों बातों की सूचना भी यही देनी होगी कि ग्रन्थ अलंकरण-युक्त है या सचित्र है। अलंकरण केवल सुन्दरता बढ़ाने के लिए होते हैं, विषयों से उनका सम्बन्ध नहीं रहता। पशु-पक्षी, ज्यामितिक रेखाकन, लता-बेल एवं फल-फूल की आकृतियों से ग्रन्थ सजाये जाते हैं। अतः यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि सजावट की शैली कैसी है। सजावट के विविध अभिप्रायों या मोटिफों का युग-प्रवृत्ति से भी सम्बन्ध रहता है, अतः इनसे काल-निर्धारण में भी कुछ सहायता मिल सकती है। साथ ही, चित्रालंकरण से देश और युग की संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ सकता है। यह सिद्ध है कि मध्ययुग में चित्रकला का स्वरूप ग्रन्थ-चित्रों (Miniatures) के द्वारा ही जान सकते हैं। जो भी हो, पहले अलंकरण से सजावट की स्थिति का ज्ञान कराया जाना चाहिये।

तब, ग्रन्थ-चित्रों का परिचय भी अपेक्षित है। क्या चित्र पुस्तक के विषय के अनुकूल है, क्या वे विषय के ठीक स्थल पर दिये गये हैं ? वे सख्या में कितने हैं ? कला का स्तर कैसा है ?

1. परम्परा (28-29), पृ० 112।

2. वही, पृ० 112।

यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्र-सज्जा के कारण पुस्तक का मूल्य बढ़ जाता है। ग्रन्थ के चित्रों का भी मूल्य प्रलय से लगता है।

(घा) चित्रों की संख्या की धोर उसके कला-स्तर का उल्लेख करते हुए एक सम्भावना की धोर धोर ध्यान देना अपेक्षित है। कितनी ही पुस्तकों के चित्रों में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि चारों कोनों में से किसी एक में चतुर्भुज बना कर एक व्यक्ति का रूपान्कन कर दिया गया है। इस व्यक्ति का चित्र के मूल कथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं बैठता। यह सिद्ध हो चुका है। यह चतुर्भुज में प्रकृत चित्र कृतिकार का होता है। अतः विवरण में यह सूचना भी देनी होगी कि पुस्तक में जो चित्र दिये गये हैं उनमें एक भरोसा-सा बना कर पुस्तक-लेखक का चित्र भी प्रकृत मिलता है क्या ?

(ग) चित्रों में विविध रंगों के विधान पर भी टीप रहनी चाहिये। हाशिये छोड़ने धोर हाशिये की रेखाओं की सजावट का भी उल्लेख करे।

(घ) स्याही या मषी

स्याही का भी विवरण दिया जाना चाहिये :

1. कच्ची स्याही में लिखा गया है या पक्की में ? एक ही स्याही में सम्पूर्ण ग्रन्थ पूरा हुआ है अथवा दो या दो से अधिक स्याहियों का उपयोग किया गया है ? प्रथम काली धोर लाल स्याही का उपयोग होता है। लाल स्याही में दार्द-बाँएँ हाशिये की -दो रेखाएँ खींची जाती हैं। यह भी देखने में आया है कि ग्रन्थों में प्रारम्भ का नमोकार धोर "अथग्रन्थ लिख्यते" आदि शीर्षक लाल स्याही में लिखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त की पुष्पिका भी धोर ग्रन्थ-समाप्ति की पुष्पिका भी लाल स्याही से लिखी जाती है। पूरा ग्रन्थ काली स्याही में, उसके शीर्षक धोर पुष्पिकाएँ लाल स्याही में ही तो उसका उल्लेख भी विवरण में किया जाना उचित प्रतीत होता है। किन्हीं ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर लाल रंग फेर देते हैं, धोर उस पर काली स्याही से ही पुष्पिका आदि दी जाती है।

यह तो वे बातें हुईं जो पाण्डुलिपि के रूप का बाह्य धोर अन्तरंग रूप का ज्ञान कराती है।

4. अन्तरंग परिचय

इसके बाद विवरण या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में कुछ धोर प्रान्तरिक परिचय भी देना होता है। यह अन्तरंग परिचय भी स्थूल ही होता है। इस परिचय में निम्नांकित बातें बताई जाती हैं

(क) ग्रन्थकार या रचयिता का नाम यथा, टेसीटरी—“दम्पति विनोद¹.....”(1) इसका कर्ता जोशीराया है।” बीकानेर के राठोडारी स्थित (2) ग्रन्थ का निर्माण चारण सिद्धान्तक दयालदाम द्वारा हुआ। डोला मारवणी री बात—रचयिता-अज्ञात²

रचयिता के सम्बन्ध में ग्रन्थ विवरण जो ग्रन्थ में उपलब्ध हो वह भी यहाँ देना चाहिये। यथा, निवास स्थान, वन परिचय आदि।

1. परम्परा (28-29), पृ० 48।

2. रावस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, पृ० 38।

- (ख) रचनाकाल¹ : इस विवरण में वही रचना-काल दिया जायगा जो ग्रन्थ में ग्रन्थकर्त्ता ने दिया है। यदि उसने रचना-काल नहीं दिया तो वही सूचना दी जानी चाहिये।

हाँ, यदि आपके पास ऐसे कुछ आधार हैं कि आप इस कृति के सम्भावित काल का अनुमान लगा सकते हैं तो अपने अनुमान को अनुमान के रूप में दे सकते हैं।

- (ग) ग्रन्थ रचना का उद्देश्य—यथा, “बीकानेर के राठोड़ी री ख्यातः² ग्रन्थ का निर्माणबीकानेर के महाराजा सिरदार सिंह के आदेश पर किया गया है।”

“इसी प्रकार ये उद्देश्य भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, यथा-राजाज्ञा से और ‘सुफल प्राप्त्यर्थ’ विष्णुदास ने ‘पांडव चरित्र’ लिखा।

- (घ) ग्रन्थ रचना का स्थान। यथा, ‘गढ़ गोपाचल वैरिनि सालू’।³
- (ङ) यदि किसी के आश्रय में लिखा गया है तो आश्रयदाता का नाम—यथा, ‘डीगर-सिंघ राउबर बीरा’ तथा आश्रयदाता का ग्रन्थ परिचय
- (च) भाषा विषयक अभिमत—यहाँ स्थूलतः यह बताना होगा कि संस्कृत, डिंगल, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगाली, गुजराती, ब्रज, भवषी, हिन्दी (खड़ीबोली) तामिल या राजस्थानी (मारवाड़ी, हाड़ीतो, डूँडारी, शेखावाटी), आदि विविध भाषाओं में से किस भाषा में ग्रन्थ लिखा गया है।

यहाँ भाषाओं की यह सूची सकेत मात्र देती है। भाषाएँ तो और भी हैं, उनमें से किसी में भी यह ग्रन्थ लिखा हुआ हो सकता है।

- (छ)—1 भाषा का कोई उल्लेखनीय वैशिष्ट्य।

- (ज) लिपि एवं लिपिकार का नाम

- (झ) लिपिकार का कुछ और परिचय (ग्रन्थ में दी गयी सामग्री के आधार पर)

1. किस गुरु-परम्परा का शिष्य
2. माता-पिता तथा भाई आदि के नाम
3. लिपिकार के आश्रयदाता
4. प्रतिलिपि कराने का अभिप्राय
क—किसी राजकुमार के पठनार्थ
ख—किसी ग्रन्थ के लिए पठनार्थ
ग—स्व-पठनार्थ
घ—आदेश-पालनार्थ
ङ—शुभ फल प्राप्त्यर्थ
च—दानार्थ आदि-आदि

- (ञ) लिपिकार के आश्रयदाता का परिचय

- (ट) प्रतिलिपि का स्वामित्व

1. विस्तृत विवरण के लिए देखिए ‘काल निर्णय की समस्या’ विषयक सातवाँ अध्याय।

2. परम्परा (28-29), पृ० १।

3. पांडव चरित, पृ० 5।

(ठ) प्रत्येक अध्याय के अन्त में भी यदि पुष्पिका हो तो उसे भी उद्धृत कर देना चाहिये ।

5. अन्तरंग परिचय का आन्तरिक पक्ष

- (क) प्रतिपाद्य विषय का विवरण । यथा, टेसीटरी-इसी अध्याय में पृ 74 पर (ग) 'नागौर रे आमले री बात' का विवरण देखे ।
- (ख) आरम्भ का अंश, कम से कम एक छन्द चार चरणों का तो देना ही चाहिये । यदि आरम्भ के अंश में कुछ और ज्ञातव्य सामग्री हो तो उसे भी उद्धृत कर दिया जाय, जैसे पुष्पिका । (यथावत् उद्धृत करनी होती है ।)
- (ग) आरम्भ में यदि पुष्पिका या कोलोफोन हो तो उसे भी यथावत् उद्धृत करना होगा ।
- (घ) मध्य भाग से भी कुछ अंश देना चाहिये । ये अंश ऐसे चुने जाने चाहिये कि उनसे कवि के कवित्व का आभास मिल सके ।
- (ङ) अन्त का अंश, इस अंश में अन्तिम पुष्पिका, तथा उससे पूर्व का भी कुछ अंश दिया जाता है ।
- (च) परम्परागत फलश्रुति, लेखक की निर्दोषता (जैसा देखा वैसा लिखा) तथा श्लाक या अक्षर की संख्या ।
- (छ) अन्य उल्लेखनीय बात या उद्धरण । यथा,
प्राप्ति स्थान, एव उस व्यक्ति का नाम एव परिचय जिसके यहाँ से ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है ।

विवरण के लिए प्रस्तावित प्रारूप

काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभान विवरण लेने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रारूप मुद्रित करा दिया था । विवरण लेनेवाला उसमें दिये विविध शीर्षकों के अनुकूल सूचना भर देता है । इस योजना से यह भय नहीं रहता है कि खोजकर्ता किन्हीं बातों को छोड़ देगा । ऊपर जो विवेचन दिया गया है उसका आधार पर एक प्रारूप यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :

हस्तलिखित-ग्रन्थ (पाण्डुलिपि) का सामान्य
परिचयात्मक विवरण (रिपोर्ट)

क्रमांक.....

पाण्डुलिपि का प्रकार.....
गुटका/पौधी.....

1. पाण्डुलिपि (ग्रन्थ) का नाम.....
2. कर्ता या रचयिता.....
3. रचना काल.....
4. पुस्तक की कुल पत्र संख्या.....

(विशेष--

- (क) कितने पृष्ठ या पन्ने कोरे छोड़े गये हैं ? किस-किस स्थान पर छोड़े गये हैं.....
(ख) क्या कुछ पृष्ठ/पन्ने अपाठ्य हैं ? कहाँ-कहाँ ?.....

- (ग) क्या कहीं कटे-फटे हैं ? कहाँ-कहाँ ?
5. प्रत्येक पत्र की लम्बाई × चौड़ाई (इंचो या सेंटीमीटरों में)
 6. प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति संख्या
 - प्रत्येक पंक्ति में अक्षर संख्या
 7. पांडुलिपि का लिप्यासन प्रकार
 - ईंट
 - शिला
 - चर्म
 - ताम्र या अन्य धातु का
 - ताड़-पत्र
 - भूर्जपत्र
 - छाल, पेपीरस आदि
 - कपड़ा
 - कागज
 - प्रकार सहित
 8. लिपि-प्रकार
 - देवनागरी, मारवाड़ी, कंयी आदि
 9. लिखावट क्या एक ही हाथ की या कई हाथों की
 - लिखावट के सम्बन्ध में अन्य विशिष्ट बातें
 10. प्रत्येक पन्ने पर लिपि की माप¹
 - (श्रीसत में)
 11. लिपिकार/लिपिकारों के नाम
 - स्थान
 - लिप्यंकन की तिथि
 12. रचनाकार के आश्रयदाता
 - (परिचय)
 13. लिपिकार के आश्रयदाता
 - (परिचय)
 14. रचना का उद्देश्य
 15. प्रतिलिपि करने का उद्देश्य
 16. पुस्तक का रख-रखाव—
 - मुगका, थैला, सामान्य ब्रेस्टन, पुट्टे, तख्तिरियाँ, डोरी, ग्रन्थि, अन्य छादन
 17. विषय का सक्षिप्त परिचय-प्रध्यायों की संख्या के उल्लेख के साथ
 17. (1) विषय का कुछ विस्तृत परिचय
 18. भाषि (उद्धरण)

1. लिपि के माप से यह पता चलेगा कि अक्षर छोटे हैं या बड़े हैं।

19. मध्य (उद्धरण)
20. अन्त (उद्धरण)
21. ग्रन्थ में प्राची सभी पृष्णिकाएँ—
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5)
 - (6)
 - (7)

शोध-विवरण का यह प्रारूप अपने-अपन दृष्टिकोण से घटा-बड़ा कर बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट नहीं सकती है और सूचनाएँ क्रमांक युक्त हैं। यथार्थ में इन अंकों का उपयोग भी लाभप्रद हो सकता है।

विवरण लेखन में दृष्टि

डॉ० नारायणसिंह भाटी ने 'परम्परा'¹ में डॉ० टेसीटरी के 'राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण अंक' में सम्पादकीय में डॉ० टेसीटरी के शोध सिद्धान्तों को संक्षेप में अपने शब्दों में दिया है। वे इस प्रकार हैं :

1. "ग्रन्थ का परिचय देने से पहले उन्हीं बड़े गौर से उसे प्राद्योपान्त पढ़ा है तथा पूरे ग्रन्थ में कोई भी उपयोगी तथ्य मिला है उसका उल्लेख अवश्य किया है।

2. डिगल में पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं के अधिकांश ग्रन्थ ऐतिहासिक-तथ्यों पर आधारित हैं। अतः उन्हीं इतिहास को कही भी अपनी दृष्टि से भ्रमल नहीं होने दिया है। उस समय कर्नल टॉड के 'राजस्थान' के प्रतिरिक्त यहाँ का कोई प्रामाणिक इतिहास प्रकाशित नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में भी ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते समय लेखक ने सचेष्ट जागरूकता का परिचय दिया है और अनेक स्थलों पर अपना मत व्यक्त करते हुए शोधकर्ताओं के लिए कई गुत्थियों को सुलझाने का भी प्रयास किया है।

3. कृति में से उद्धरण चुनते समय प्रायः इतिहास, भाषा अथवा कृति के लेखक व सर्व् आदि तथ्यों को पाठक के सम्मुख रखने का उद्देश्य रखा है। उद्धरण अक्षरशः उसी रूप में लिए गये हैं जैसे मूल में उपलब्ध है।

4. एक ही ग्रन्थ में प्रायः अनेक कृतियाँ सगृहीत हैं परन्तु प्रत्येक कृति का शीर्षक लिपिकर्ता द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी कृतियों पर सुविधा के लिए टेसीटरी ने अपनी ओर से राजस्थानी शीर्षक लगा दिये हैं।

5. जो कृतियाँ ऐतिहासिक व साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं हैं उनका या तो उल्लेख मात्र कर दिया है या निरर्थक समझ कर छोड़ दिया है, परन्तु ऐसे स्थलों पर उनके छोड़े जाने का उल्लेख अवश्य कर दिया है।

1. परम्परा (28-29), पृ० 1-2।

6. जहाँ ग्रन्थ में कुछ पत्र भ्रुटित हैं अथवा किसी कारण से कुछ पृष्ठ पढ़े जाने योग्य नहीं रहे हैं तो इसका उल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया है।

7. जहाँ एक ग्रन्थ की कृतियाँ दूसरे ग्रन्थ की कृतियों के समरूप हैं, या उनकी प्रतिलिपि हैं या पाठान्तर के कारण तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्व रखती हैं, ऐसी स्थिति में उनका स्पष्ट उल्लेख बराबर किया गया है।

8. जहाँ गीत, बोहे, छप्पय, नीसाणी आदि स्फुट छन्द आए हैं वहाँ उनका विषयानुसार बर्गीकरण करके उनके सम्बन्ध में यथोचित जानकारी प्रस्तुत की गई है। कृति के साथ कर्त्ता का नाम भी यथासम्भव दे दिया गया है। कर्त्ता का नाम देते समय प्रायः उसकी जाति व खोप आदि का भी उल्लेख कर दिया है।

9. डॉ० टैसीटरी प्रमुखतया भाषा-विज्ञान के जिज्ञासु विद्वान थे, अतः उन्होंने प्राचीन कृतियों का विवरण देते समय उनमें प्राप्त किरारूपों आदि पर भी प्रवसर निकाल कर टिप्पणी की है।

लेखा-जोखा .

पांडुलिपि की खोज में प्रवृत्त सस्था या व्यक्ति उक्त प्रकार से ग्रन्थों के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। माथ ही उन्हें अपनी इस खोज पर किसी एक कालावधि में बाँधकर विचार करना और लेखा-जोखा भी लेना होगा। यह कालावधि तीन माह, छ माह, नौ माह, एक वर्ष या तीन वर्ष की हो सकती है।

यह लेखा जाया उक्त शोध से प्राप्त सामग्री के विवरणों के लिए भूमिका का काम दे सकता है। इसमें निम्नलिखित बानो पर ध्यान दिया जा सकता है :

लेख-जोखे की कालावधि

सन्..... से सन्..... तक

1. खोज कार्य में धराने वाली कठिनाइयाँ, उन्हें किन उपायों से दूर किया गया।
2. खोज कार्य का भौगोलिक क्षेत्र। सञ्चित्र हो तो उपयोगिता बढ़ जाती है।
3. भौगोलिक क्षेत्र के विविध स्थानों से प्राप्त सामग्री का सख्यात्मक निर्देश। किस स्थान से कितने ग्रन्थ मिले ? सबसे अधिक किस क्षेत्र से ?
4. कुल ग्रन्थ संख्या जिनका विवरण इस कालावधि में लिया गया।
5. इस विवरण को (विशेष कालावधि में) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नीति, यथा

(क) सबसे पहले मवाड और मेवाड में भी सबसे पहले यहाँ के तीन प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालयों— सरस्वती भण्डार, सज्जनवाणी विलास और विकटोरिया हॉल लाइब्रेरी से ही इस काम (शोध) को शुरू करना तय किया।¹

(ख) 'प्रारम्भ में मेरा इरादा जितने भी हस्तलिखित ग्रन्थ हाथ में आये' उन सबके नोटिस लेने का था। लेकिन बाद में जब एक ही ग्रन्थ की कई पांडुलिपियाँ मिलीं तब इस विचार को बदलना पड़ा..... अतएव मैंने एक ही ग्रन्थ की उपलब्ध सभी हस्तलिखित प्रतियों का एकसाथ तुलनात्मक अध्ययन किया और जिन-जिन ग्रन्थों

1. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग), प्राक्कथन पृ० ४।

की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये और जिन-जिन ग्रन्थों की भिन्न-भिन्न प्रतियों में पाठान्तर दिखाई नहीं दिया उनमें से सिर्फ एक, सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड़ दिया। लेकिन इस नियम का निर्बाह भी पूरी तरह से न हो सका"¹—

(ग) "कुल मिलाकर मैंने 1200 ग्रन्थों की 1400 के लगभग प्रतियाँ देखीं और 300 के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ ही प्रतियों के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महंगाई के कारण ऐसा न हो सका और 175 ग्रन्थों (201 प्रतियों) के विवरण देकर ही संतोष करना पड़ा।"²

6 समस्त ग्रन्थों का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण। पं० मोतीलाल नेनारिया ने इस प्रकार किया है :—

1. भक्ति
2. रीति और विगल
3. सामान्य काव्य
4. कथा-कहानी
5. धर्म, धर्म्यात्म और दर्शन
6. टीका
7. ऐतिहासिक काव्य
8. जीवन-चरित
9. शृंगार काव्य
10. नाटक
11. संगीत
12. राजनीति
13. शासिहोत्र
14. वृष्टि-विज्ञान
15. गणित
16. स्तोत्र
17. वैद्यक
18. कोश
19. विविध
20. सप्रह³

प्रत्येक खोज संस्थान या खोज-प्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन अपनी सामग्री के आधार पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहिये। पुस्तकालय-विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक विषय की प्राप्त पाण्डुलिपियों की पूरी संख्या भी देनी चाहिए।

1. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग), शाक्यन न० ४।
2. वही न० ५
3. वही न० ५

7. यह सूचना भी देनी होती है कि—

- (1) ऐसे लेखक कितने हैं जो अब तक भ्रजात थे। उनकी भ्रजात कृतियों की संख्या।
- (2) ज्ञात लेखकों की भ्रजात कृतियों की संख्या तथा नयी उपलब्धियों का कुल योग।

डॉ० हीरालाल, डी० लिट्०, एम० आर० ए० एस० ने त्रयोदश त्रैमासिक विवरण (सन् 1926-1928 ई०) की विवरणिका में प्राप्त ग्रन्थों का विषयानुसार वर्गीकरण यों दिया था :

“हस्तलेखों के विषय - हस्तलेखों के विषय का विवरण निम्नलिखित है .

धर्म	358	हस्तलेख
दर्शन	114	”
पिगल	31	”
भ्रलंकार	50	”
शृंगार	151	”
राग रागिनी	51	”
नाटक	2	”
जीवन चारित्र	25	”
उपदेश	43	”
राजनीतिक	12	”
कोश	16	”
ज्योतिष	124	”
मामुद्रिक	9	”
गणित व विज्ञान	6	”
बंधक	74	”
शालिहोत्र	11	”
कोक	11	”
इतिहास	67	”
कथा-कहानी	44	”
विविध	80	”

जोड़ 1279 हस्तलेख”

8. मेनारिया जी और डॉ० हीरालाल जी दोनों के वर्गीकरण संशोधन है, पर इनसे प्राप्त ग्रन्थ सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है। किन्तु पांडुलिपिविद को अपनी सामग्री का अधिक से अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा पुस्तकालय-विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही अपना लेना चाहिये।

9. नयी उपलब्धियों का कुछ विशेष विवरण, उनके महत्त्व के मूल्यांकन की दृष्टि से :

इस विशेष कालावधि के विवरण में पुस्तकों के विवरणों को अक्षरादि क्रम से प्रस्तुत करने में सुविधा रहती है।

कुछ अनुक्रमणिकाएँ दी जानी चाहिए।

1. ग्रन्थ नामानुक्रमणिका
2. लेखक नामानुक्रमणिका

लेखे-जोखे में रचना काल और लिपिकाल दोनों की कालक्रमानुसार उपलब्ध रचनाओं और विषयवार ग्रन्थों की सूचना भी दी जानी चाहिए। इसके लिए निम्न प्रकार की तालिका बनायी जा सकती है

विषय वगैरे काल	भक्ति		रीति		आदि
	र० काल ग्रन्थ संख्या	लिपिकाल ग्रन्थ सं०	र० काल ग्रन्थ संख्या	लिपिकाल ग्रन्थ सं०	
1001 ¹					
1010					
1020					
1030					

इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ-संख्या का ज्ञान हो जाता है।

एक तालिका यहाँ 'हिन्दी हस्तलेखों की खोज की तरहवी 'विवरणिका' में उदाहरणार्थ उद्धृत की जाती है :

शतियाँ 12वीं	13वीं	14वीं	15वीं	16वीं	17वीं	18वीं	19वीं	अज्ञात	योग
2	—	—	7	36	201	209	427	394	1278

इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ संख्या का ज्ञान हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि 13वीं विवरणिका के वर्षों में 12 वीं शती में पूर्व की कोई कृति नहीं मिली थी। 12 वीं शती की 2 कृतियाँ मिली। फिर दो शताब्दियाँ शून्य रही।

इस तालिका से यह विदित हो जाता है कि किस काल में किस विषय की कितनी पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं। इस काल-क्रम से प्राचीनतम पुस्तक की ओर ध्यान जाता है। काल-क्रम में जो पुस्तक जितनी ही पुरानी होगी उतनी ही कई टिप्पणियों में महत्त्वपूर्ण मानी जायेंगी। उमसे यह भी विदित होता है कि काल क्रम में विविध शताब्दियों में उपलब्धियों का अनुपात क्या रहा ?

अब तक के अज्ञात लेखकों और अज्ञात कृतियों का विशेष परिचय प्राप्त हो सके तो उसे प्राप्त करके उन पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ देना भी लाभप्रद होता है।

काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में जो क्रम अपनाया गया है, वह इस प्रकार है : (1) में विवरणिका, जिसमें खोज के निष्कर्ष दिये जाते हैं। फिर परिशिष्ट एवं रचयिताओं का परिचय। (2) में ग्रन्थों के विवरण, (3) में अज्ञात रचनाकारों के

1. इस 'काल-क्रम' का आरम्भ उम प्राचीनतम सन्/संवत् में करना चाहिये, जिसकी कृति हमें खोज में मिल चुकी हो।

ग्रन्थों की सूची, (4) में महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों की समय-सूचक तालिका। यह परिपाटी दीर्घ अनुभव का परिणाम है। इसे कोई भी पांडुलिपि-विज्ञान-विद् अपने लाभ के लिये अपना सकता है।

तात्पर्य यह है कि लेले-जोसे के द्वारा ग्रन्थ शोध से प्राप्त सामग्री का संक्षेप में मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शोध उपलब्धियों का महत्त्व उभर सके।

तुलनात्मक अध्ययन

पांडुलिपि-विद् के लिए यही एक और प्रकार का अध्ययन-क्षेत्र उभरता है। इसे उपलब्ध सामग्री का तुलनात्मक मूल्यांकन या अध्ययन कह सकते हैं। हमें क्षेत्रीय कार्य करते हुए और विवरण तैयार करते हुए कुछ कवि प्राप्त हुए। अब हमें यह भी जानना आवश्यक है कि क्या एक ही नाम के कई कवि हैं? उनकी पारस्परिक भिन्नता, अभिन्नता और उनके कृतित्व की स्थूल तुलना करके अपनी उपलब्धि का महत्त्व समझा और समझाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना होगा। 'चन्द कवि' नाम के कवि के आपको कुछ ग्रन्थ मिले। आपने अब तक प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनका विवरण एकत्र किया। तब तुलनापूर्वक कुछ निष्कर्ष निकाला। इसका रूप यह हो सकता है -

कवि चन्द

हिन्दी साहित्य में आदिकालीन चदवरदायी से लेकर आधुनिक युग तक चंद नाम के अनेक कवि हुए हैं। 'मिश्रबन्धु विनोद' ने 'चन्द' नाम के जिन कवियों का उल्लेख किया है उनका विवरण निम्न प्रकार है। हम विवरण के साथ 'मरोज सर्वेक्षणकार' की टिप्पणियाँ भी यथाम्थान दे दी गई हैं।

मिश्रबन्धु विनोद

भाग 2 पृष्ठ—548

नाम—(1316) चन्द्रधन

ग्रन्थ— भागवत-सार भागा।

कविताकाल—1863 के पहले (ग्रेज 1900)। यहाँ वैगम्य केवल इतना है कि हमारे निजी संग्रह के कवि का नाम 'कवि चन्द' है और मिश्रबन्धु में चन्द्रधन।

अब 'चन्द' नाम के अन्य कवि 'मिश्रबन्धु विनोद' में नाम साम्य के आधार पर ये हैं :

प्रथम भाग

(135) चन्द पृष्ठ 134

ग्रन्थ—हितोपदेश

कविताकाल—स० 1563

पृ०—71

(39) नाम महाकवि चन्द बरवाई

ग्रन्थ—पृथ्वीराज रासो

सरोजकार¹ ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द को 'चन्द कवि प्राचीन बन्दीजन, सम्मेलन निवासी' स्वीकार किया है। सं० 1196 में उपस्थित माना है।

सरोज-सर्वेक्षणकार² ने चन्द का रचना काल सं० 1225 से 1249 तक माना है। इनकी मान्यता के अनुसार चन्द की मृत्यु सं० 1249 में हुई।

द्वितीय भाग

पृ०—278

(538) नाम—(403) चन्द

ग्रन्थ—नागनौर की लीला (कालीनाथना)। सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि इस पुस्तक का नाम 'नाग लीला' भी है।

रचना काल—1715

पृ०—325

(382) चन्द व पठान मुस्तान

सरोजकार ने इस चन्द कवि को संवत् 1749 में उपस्थित माना है। कवि सुलतान पठान नवाब राजागढ़ भाई बन्धु बाबू भूपाल के यहाँ थे। इन्होंने कुण्डलियाँ छंद में सुलतान पठान के नाम से बिहारी सतमई का तिलक बनाया है।

सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि चन्द द्वारा प्रस्तुत यह टीका मिलती नहीं है। भूपाल का नवाब सं० 1761 में सुलतान मुहम्मद लौ था। इन्हीं के प्राश्रित चन्द कवि का उल्लेख मिलता है।

तृतीय भाग

पृष्ठ—44

(2138) नाम—(1784) चन्द कवि

विवरण—सं० 1890 के लगभग थे।

पृष्ठ—85

(2341) नाम—(2003) चन्द कवि

ग्रन्थ—भेद प्रकाश - (प्र० अ० रि०), महाभारत भाषा (1919) (खोज 1904)।

कविताकाल—सं० 1904

कुछ-कुछ नाम साम्य के आधार पर निम्न कवि मिश्रबन्धु विनोद से मिलते हैं। ये चन्द नाम के नहीं, वरन् चन्द से मिलने-जुलने नाम वाले हैं। इन्हें यहाँ केवल इसलिए दिया जा रहा है कि इनके नाम में जो साम्य है, उससे कहीं आगे भ्रम न रहे और 'चन्द' या 'चन्द्र' जिसका नामांश है वह भी ज्ञात हो जाय।

प्रथम भाग

पृष्ठ—194

(265) नाम—चन्द सखी (ब्रजवासी)

1 सरोजकार से हमारा अधिप्राय 'विषसिंह सरोज' के लेखक से है।

2 'सरोज सर्वेक्षणकार' से हमारा अधिप्राय डॉ० किशोरी लाल गुप्त से है।

कविता काल—1638

द्वितीय भाग

पृष्ठ—301

(584) नाम—चन्द्रसेन

ग्रन्थ—माधव-निदान

पृष्ठ—467

(1066/2) नाम—चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्लभी) ।

कविता काल—1824 (द्वि० प्र० रि०)

पृष्ठ—344

(763) नाम—चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्लभी)

कविता काल—1767

पृष्ठ—437

(998) नाम—चन्द्र (राधा वल्लभी)

रचना काल—1820

पृष्ठ—466

(1064) नाम—चन्द्रदास

कविता काल—1823 के पूर्व

पृष्ठ—470

(1077) नाम—चन्द्र कवि सनाढ्य चौबे

कविता काल—1828

पृष्ठ—475

(1094) नाम—चन्दन

समय—सं० 1830 के लगभग वर्तमान थे ।

पृष्ठ—815

नाम—(1011) चन्द्रहित, राधावल्लभी

पृष्ठ—508

नाम—(1190/1) चन्द्रजू गुसाई

रचनाकाल—1846

पृष्ठ—571

नाम—(1433) चन्द्रशेखर वाजपेयी

तृतीय भाग

पृष्ठ—13

नाम—(1716) चन्द्रदास

नाम—(1717) चन्द्ररस कुंद

नाम—(1718) चन्द्रावल

पृष्ठ—77

नाम—(2248) चन्दसखी

कविताकाल—1900 के पूर्व

पृष्ठ—154

नाम—(2634) चन्द्रिका प्रसाद तैवारी

पृष्ठ—196

नाम—(2923) चन्द्र झा

चतुर्थ भाग

पृष्ठ—260

नाम—(3255) चन्द्रभान

रचनाकाल—सं० 1875

पृष्ठ—322

नाम—(3449) चन्द्रकला बार्ड

समय—सं० 1950

पृष्ठ—406

नाम—(3853) चन्द्र मनोहर मिश्र

रचनाकाल—सं० 1963

पृष्ठ—410

नाम—(3858) चन्द्रमौलि सुकुल

रचनाकाल—सं० 1964

पृष्ठ—413

नाम—(3867) चन्द्र शेलर शास्त्री

रचनाकाल—सं० 1965

पृष्ठ—417

नाम—(3878) चन्द्रभानु मिह दीवान बहादुर

रचनाकाल—सं० 1967

पृष्ठ—447

नाम—(3970) चन्द्रशेखर मिश्र

पृष्ठ—454

नाम—(4028) चन्द्रशेखर (द्विज चन्द्र)

जन्मकाल—सं० 1939

पृष्ठ—456

नाम—(4055) चन्द्रलाल गोस्वामी

जन्मकाल—लगभग 1940

नाम—(4056) चन्द्रिका प्रसाद मिश्र

रचनाकाल—सं० 1965

पृष्ठ—464

नाम—(4117) चन्द्रराज भण्डारी

पृष्ठ—465

नाम—(4124) चन्द्रभानु राय

पृष्ठ—480

नाम—(4216) चन्द्रमती देवी

जन्मकाल—सं० 1950

पृष्ठ—520

नाम—(4312) चन्द्रमाराय शर्मा

रचनाकाल—सं० 1982

पृष्ठ—557

नाम—(4437) चन्द्रशेखर शास्त्री

जन्मकाल—सं० 1957

पृष्ठ—574

नाम—(4521) चन्द्रकला

रचनाकाल—सं० 1987

सरोजकार ने उपर्युक्त 'चन्द' कवियों के प्रतिरिक्त निम्नलिखित दो ग्रन्थ कवियों का उल्लेख किया है—

प्रथम—चन्द कवि । यह सामान्य कवि थे । इन चन्द कवि के सम्बन्ध में सरोज सर्वेक्षणकार ने लिखा है कि कायस्थों की निन्दा का एक कवित्त सरोज में प्रस्तुत किया है ।

द्वितीय—चन्द कवि के सम्बन्ध में सरोजकार ने लिखा है कि इन्होंने शृंगार रस में बहुत सुन्दर कविता की है । हजारों में इनके कवित्त हैं । सरोज सर्वेक्षणकार ने इन चन्द कवि का अस्तित्व सं० 1875 के पूर्व स्वीकार किया है ।

मिश्रबन्धु विनोद और 'सरोज सर्वेक्षण' से 'चन्द कवि' नामधारी कवियों के इस सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ ग्रन्थ स्रोतों से भी 'चन्द' नाम के कवियों का पता चलता है, उन्हें यहाँ देना ठीक होगा ।

एक कवि चन्द का उल्लेख 'जयपुर का इतिहास'¹ में है । इस 'चन्द कवि' के ग्रन्थ 'नाथ वंश प्रकाश' का उल्लेख इसमें हुआ है । ये चौमू नरेश रणजीत सिंह तथा कृष्ण सिंह और जयपुर नरेश जगतसिंह के समकालीन थे । 'नाथ वंश प्रकाश' में से 'जयपुर का इतिहास' में जो उद्धरण लिखे गये हैं—वे निम्नलिखित प्रकार हैं—

(अ) जहाज (भाज) की लड़ाई में रणजीत सिंह की विजय—

“शहर फतेहपुर में फते—करी नंद रतनेश ।

भाज गयो धायाणतजि, लखि रणजीत नरेश ।”²

(आ) महाराजा जगत सिंह (जयपुर) की सेनाओं द्वारा जोधपुर को घेरने का उल्लेख—

गही कोट की घोट को, मान प्रभा बलमन्द ।

लूटि जौधपुर को लियो कृष्ण सुभाग बलमन्द ।³

1. वर्मा, हनुमान प्रसाद—जयपुर का इतिहास, पृ० 226.

2. वही, पृ० 226.

3. वही, पृ० 231.

'नाथ वंश प्रकाश' (पद्य 275) में लिखा है कि 'भीर खी' के युद्ध के समय कृष्ण सिंह जी का चेहरा चमकता था और शत्रुगण उससे क्षोभित होते थे ।

'नाथ वंश प्रकाश' (पद्य 270) में लिखा है कि समरू बेगम ने चौमू पर चढ़ाई की । उस समय उसका कर्नल प्रागे आया था । उसको कृष्ण सिंह जी ने ससैन्य परास्त किया और उसके साथ वालो के रुण्ड-मुण्ड उठाकर पीछे हटा दिया ।

'आचार्य श्री विनय चन्द जान भण्डार ग्रंथ सूची (भाग-1)' से विदित होता है कि इस भण्डार में चन्द कवि के तीन ग्रंथ हैं—

1. चन्द-नेम राजमती पद (हिन्दी-राजस्थानी) 5 छन्द¹
2. चन्द-राधा कृष्ण के पद -5 पद²
3. चन्द-सीमन्धर स्वामी की स्तुति-6 छन्द³

इनमें से दो जैन कवि हैं और एक कवि को उसकी रचना के विवरण के आधार पर वैष्णव माना जा सकता है ।

इससे पूर्व कि कवि चन्द के सम्बन्ध में ऊपर की सूची को लेकर श्री पं० कृपा शंकर तिवारी के हस्तलेखागार में प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ कहा जाय हम तिवारी जी की सामग्री पर भी सक्षिप्त टिप्पणियाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

(1) कवि चन्द

रचना—नाग दवन ('नाग लीला' लिपिकार द्वारा) पूर्ण ।

रचना काल—संवत् 1756 आ. सु. 5, बुधवार ।

लिपिकाल-संवत् 1869 अद्य 3, फोलियो 1 से 9 तक

विवरण

यह ग्रन्थ कवि चन्द द्वारा संवत् 1756 में रचा गया है । इसमें कृष्ण द्वारा काली दमन की घटना का वर्णन है । ग्रन्थ अज एव राजस्थानी भाषा में युक्त है । कवि ने द्वित शब्दों का अवसरानुकूल प्रयोग किया है । भाव, भाषा, शैली आकर्षक है । फही-कही पृथ्वीराज रासो की सी भलक दृष्टिगत होती है । प्रारम्भ में गणेश, शारदा की वचना है । कवि ने चौपाई का अधिक प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त अरिन्द, छापय, तोहा, राजगी कुण्डलिया, पाधरी, सबैया आदि वा अच्छ, प्रयोग किया है । भावनाओं का वर्णन करने में कवि सफल हुआ है । यह ग्रन्थ पूर्ण है । उदाहरणार्थ—

प्रारम्भ

बोहा—

हौ गनपति गुन विस्तरों सिधिवि दानार ।

अष्ट सिधि नव निधि करो कृपा करतार ॥

तुव तन बरदाइनी करै मूढ कबिराइ ।

बुधि विचित्र कवि चन्द को दे अत्र मारद भाइ ॥

सत्रह सँ दस पत्रछर मैं स्री

1. भागवत, तन्त्र (डॉ०) सं०—आचार्य श्री विनय चन्द जान भण्डार, ग्रंथ सूची, पृ० 38 ।

2. वही पृ० 66 ।

3. वही, पृ० 88 ।

सदि सावन तिथि पंच पन्ध कवियों कही ॥

मइयौ ग्रन्थ गुन मूल महा बुधवार है

परिहां हाजू नागदवन कौ छंद कियो विस्तार है ॥

इसी कवि की इसी 'नागदवन' या 'नागलीला' की एक हस्तलिखित प्रति की सूचना श्री कृष्ण गोपाल माथुर ने दी है।¹ उन्होंने इसका रचनाकाल संवत् 1715 माना है। ऊपर हमने ग्रन्थ में ध्राये तिथि विषयक उल्लेख को उद्धृत कर दिया है। इसमें 'सत्रह से दस पंचछर' लिखा हुआ है। इसका अर्थ करते समय यदि हम 'पंच' शब्द पर ही एक जायेये तब तो स० 1715 मानना होगा जंसा कि श्री माथुर ने माना है किन्तु पूरा शब्द 'दस पंचछर' है जो कि संधि के कारण 'पंचछर' हो गया है। अतएव हमारी दृष्टि में इसका ठीक अर्थ होगा-सत्रह सौ और दस पंच = 50 + 6 अर्थात् 1756 ।

नागदवन के कुछ पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं।

नागदवन (नागलीला)

रिस रोस रहा मुरली धुनिकी सुनि नाद अगाध तिहु पुर छाही ।

ब्याल जयो जय ज्वाला उठी बिल भाल इति ब्रह्ममण्डल माहो ।

हरखि जसुधा ब्रज की वसुधा जब फुलि फिरयी घर ही घर माही ।

कस गिरयो मुरभाइ तबै घरकी छतिया मुरली धुनि पाही ॥

मुरली धुनि कौ सुनि सबद चौंकि उठयो तत्काल

भटकि पुछि फन फुकरत उठयो क्रोध कौ काल ॥

जागी भाग काली घरा भूमि हाली, बिलं ज्वालाभाली हरे वृक्ष जाती

कछे बदल सप्राभ की बन्नवारी, फन्नफुकर फफुन भाक अरी ।

लरो निरख भाला मुरछे मुरायरी, हरकली दुवि भइ नाग नारी ।

हट को ब नाने कछो वृधवारी, हसने उठे चेत वाला बिहारी ।

कछे काकली प्रीति वाघे कटैठी, मुता ठाकि ठाठे अलारे अमेही ।

सु सूंघे अचानक कूदे कन्हाई, धिरे कुण्डली मघि वैठे मन्हाई ।

वन तालज्जे सिरं सेस मडि, द्विपावं तन ती करे पूछि सडो ।

रिसं रोस सेस बिल भाल अगी, जले भार भारे द्रुमदाह लग्यो ।

बुभावं जदुनाथ एह्थबबध्मं, वजं मुठि पंसी जुतीर तस ये ।

भट वकं फन पुछि फुकार भारे, जदुनाथ उयी गारहु छष मारे ॥

नफीरी बजै बैस भजीर मेरं बजे ताल तूंवर घटा अनेर ।

बजे सुधुमि धी सुर नाइ खेगी बजै मोह खंयं दुनास उपंगी ।

सरगी बजी लजरी सब-नाद उपंगी मही ती महा रूप स्वाइ ।

बजै संखं सुघे असल अंभगी नरेसिधं वज्जे उछाहं सुधंगी ।

बजै सुंघर धू घरी धार-नीकी कंठनाल कंसाबरी नाद हीकी ।

हयं नाल बजे अलगीअ भारी, नचे ग्वाल खाल सु अानंद कारी ॥

भई बघाई अज में जदुकुल हरखि अपार ।

सकल सभा रछा करै काली नाथ न हार ॥

(2) कवि चंद्र

रचित ग्रन्थ—भागवत् दोहासूची ग्रन्थ ।

रचना काल—सं० 1896 (नरसिंह चौदस को पूर्ण हुई) ।

पुस्तक विवरण—

जिस्व की सिली हुई, दायें-बायें हाशिया, 10.6 इंच, कुछ जीर्ण, देशी कागज ।
कोलियो सं० 32 । कुछ दो-तीन पृष्ठ खाली हैं । दसम स्कंध रंगीन हाशिये में लिखा है ।

लिपिकाल—

इसमें लिपिकार का नाम तथा काल नहीं दिया है । ऐसा विदित होता है कि यह स्वयं कवि की ही लिखी पहली प्रति है । एक धोर का पुट्टा नहीं है । लेख सामान्य रूप में सुपाठ्य है ।

विवरण—

यह पुस्तक कवि चन्द्र रचित है । यह कवि चन्द्र बाघ नृपति के पुत्र है । यह पूर्ण श्रीमद्भागवत् श्रीधरी टीका की दोहो में सूची है । कवि ने एक-एक दोहे में एक-एक अध्याय का अर्थ लिखा है, इस प्रकार से सभी स्कंधों के अध्यायों की दोहो में सूची है । इनमें बड़े अध्याय की दोहो में सूची बनाना कठिन कार्य है । चन्द्र कवि ने इसमें सफलता पाई है । भाषा ब्रजभाषा है । धर्म की दृष्टि से कवि का यह प्रयास विशेष महत्त्व रखता है । पुस्तक विभिन्न स्कंधों में विभाजित है । दसम स्कंध कवि ने सं० 1805 असाइ बु० पडवा गुरु को समाप्त किया । द्वादस स्कंध सं० 1896 नरसिंह चौदस को समाप्त हुआ ।

कवि ने अपने परिचय में केवल निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं—

इति श्री भागवते महापुराण श्री धरी टीकानुसारण 12 स्कंधे सूची सम्पूर्ण महाराज
श्री बाघ सिंह जी फतेहगढ़ नृपत सुतचन्द्र कृपकृत दोहा समाप्त ।

कवि ने प्रारम्भ में बल्लभाचार्य, विठ्ठलनाथ जी धोर उनके पुत्र की गुरु के रूप में बंदना की है । पुष्टि मार्ग की महानता भी बताई है ।

उदाहरण—

दसवीं अध्याय दिलीप बंस रामचन्द्र अक्षतार ।
रावण हत प्राए अशधि ताकें कंज सहे भार ।
भ्रातन जुत श्री रामचन्द्र जग कीयि अशध विराज ।
प्यारीध्या मण्डल कया बिरभी सुक सुध साज ।

शब्द—

इक-इक दोहा में लिख्यो इक ईकध्या कीयं ।
सूची द्वादसकंध की स्पजन बुध असमर्थ ।
बाघ नृपत सुत चन्द्र कृत पुहा सूची मान ।
को बिद वाज बिचार कर सुध कीज्यो बुधवान ।
टिप्पणी—अन्तिम पृष्ठ में जगदीश पण्डे के सम्बन्ध में लिखा है ।

(3) कवि चंद्र

(अ) रचना—अभिनाय पञ्चोत्ती

लिपिकाल—सं० 1833 (एक लिखावट के कारण) फोलियो 1 से 8 तक, रचना पूर्ण है ।

विवरण

कवि चंद के हित हरिवंश हरिव्यासी सम्प्रदाय के हैं । इसमें इन्होंने नागरीदास का भी नाम लिया है । सुन्दर ब्रजभाषा में कवित्त सर्वदा में रचना है । अभिभावनायुक्त सुन्दर 26 पद हैं । रचनाकार ने इसका नाम मनो-अभिलाषा रखा है ।

उदाहरणार्थ 'अभिलाष पञ्चोत्ती' में से कुछ पद प्रस्तुत हैं :—

प्रारम्भ

जाति पाति नाना भाति कुल अभिमान तजि
निसि दिन सीस को नवाऊं रसिकन में ।
सेबा कुंज मण्डल पुलिन वंशीघट निधिवन
श्री समीर धीर बिचरौ मगन में ।
लता द्रुम हेरो राधाकृष्ण कहि टेरै,
रज लपटाऊं तन में श्री सुख पाऊं मन में ।
ग्रहो राधा बल्लभ जू तुम ही सी बिनती है
जैसे बने तैसी मोहि राखी वृन्दवन में ॥

सम्य—

बह वन भूमि द्रुम लता रही भूमि लेती
त्रिविधी समीर सी शक्ति लहकि लहकि ।
फुली नव कुंज तहां भंवर करत गुंज सदा
सुख पुंज रहयो सौरभ महकि महकि ।
कौकिल मयूर सुक सारों भादि पक्षी सब
दम्पति रिभावत है गावत गहकि गहकि ।
हित सी जे देखे नित तिनकी दौ कहा कहीं
बात ही में बन्द चित जात है बहकि बहकि ॥

शान्त—

डोलक मृदंग मुह चंग श्री उमंग चंग
गदायरो तबूरा बीन भादि सब साज है ।
इनको भिलाइबौ परन उपजाईबौ
सरस रंग छाईबौ प्रवीनन कौ काज है ।
कर सी तो कर श्री सुधर होत
जैसे सब सौज तैसे रमिक रयाज है ।
जब मिले संगी बन्द रस रंगी
तब रग जाँमे टुटै भव पाज है ॥

(ब) रचना—सम्य पञ्चोत्ती

रचनाकार—कवि चंद हित

रचना का समय नहीं दिया है। ग्रन्थ पूर्ण है। लिपिकाल धीर लिपिकार सवत् 1833 वि.। फोलियो 9 से 15 तक।

विश्वरगा—

भक्तियुक्त अत्यन्त सुन्दर ब्रजभाषा के कवित्त, सर्वैया इस ग्रन्थ में हैं। पद संख्या कुल 26 हैं। रचना पूर्ण है। उदाहरणार्थ :—

अन्त—

ईतनी विचारि चन्द सबन सौ नय चले जाँमै
भलौ हौई सोई करी निशि भोर ही ।

उदाहरणार्थ—‘समय पच्छीसी’ के कुछ पद प्रस्तुत हैं—

धारम्भ—

समय बिपरीति कहुं देखिये न प्रीति
मिटि गई परतीति रीति जगत की न्यारी जू ।
स्वारथ मैं लगे परमारथ सी भगे
भूठे तन ही मे पगे साची वस्तु न निहारी जू ।
मोह मैं झुलाने मदा दुग्न लपटानें
ज्ञान ऊर मे न आने भक्ति हिय में न धारी जू ।
चंद हितकारी तौपे होत बनिहारी
लाज तुमको हमारी कृपा करिये बिहारी जू ॥

अध्य—

जग दुख सागर मे गोता खात जीव यह
माया की पवन के भकोर सांभ परचौ है ।
धारि शिर भार क्यौहु ही नहि पार अंसे
करत विचार मन मेरो अरवरयो है ।
टेरत तहां तैं दीन-बन्धु करुणा के सिन्धु
तुम बिन दुख की कापे जात हरयो है ।
बह प्राण धरयो, कृपा ही को अनुसरयो प्यारे
जोई तुम करयो सोई आनन्द सौ भरयो है ।

अन्त—

दैनिके समय में न होत है प्रभात कहुं
भोर के समय में न होत कभू रात है ।
ठीक दुपहर सांभ होत नहि संभ चन्द
सांभ ही के सांभ कहौ कंस होत प्रात है ।
प्रात मध्य सांभ रात होत है समय ही में
अंसे हानि लाभ सुख दुख निजु गात है ।
समै की जो बात तेतौ समै ही में होत जात
जानत बिबेकी अविबेकी पछितात है ॥

(स) रचना—श्री राम जी चौपर को ब्यास

रचनाकार—कवि चन्द (हित)

लिपिकाल—1823, अपूर्ण । फोलियो 15 से 20 तक ।

इस रचना में 12 पद पूर्ण हैं । 13वाँ पद पूर्ण नहीं है और भागे के पृष्ठ नहीं है । अतः यह विदित नहीं होता कि रचना कितनी बड़ी है । पद बड़े सुन्दर हैं । भाषा ब्रजभाषा है । कवित्त सर्वथा का प्रयोग है । उदाहरणार्थ—

प्रारम्भ—

चौपर को पयाल सब घेलत जगत माभ
यह सब ही को ज्ञान प्रगट दिषावै है ।

नोट .—यह चन्द हित है, इनका रचनाकाल जानना है । तीनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं ।

उदाहरणार्थ—'श्री राम जी चौपर को ब्यास' के पद उद्धृत किये जाते हैं ।

चौपर—

कविता बनावें आछे अछरनि लावै
जानि जमक मिलावै अनुप्रास हुं सबै कहौ ।
भाट हू सुनार्वै हरखावै ललचावै, दाम
एक नहि पावै ब्रथा नर की कृपा चहै ।
सब मै प्रवीन हरिपद मै न लीन
प्रेम रस के नही लहै
भक्ति सो विमुख ताको मुख न दिखाओ
हम चाहत है यह बासी दूर नित ही रहै ।
उत्तम पदारथ बनाय कै जो भागैं धरै
तहि नहि देखे यह भुम को चरेल है ।
घेसै परमारथ की बात न सुहात याहि
ब्रथा बकवाद विख सेवै बिगरेल है ।
भागै और पीछे को विचार नाहि करै कम्
महानीच सबही सो भरत भरेल है
हरि गुरु कौ संतन को रूप नहि जाग्यो
यातै भक्तिहीन नर सीग पूछ बिन बेल है ॥

अथ भाव लिखते

रूप के सरोवर मे भली कुमुदावली है
लाल है चकोर तहाँ राधा मुख चन्द है
छवि की मरीचिन सी सीधत है निस दिन
कोटि कोटि रवि सति सागं प्रति भन्द है
इकटक कर रहैं मुख नाम मुख लहैं
फिरि कृपा दृष्टि चहै सुख रूप नन्दन्द है

जाकी बेद गावं मुनि ध्यान हुं न पावै
 तेती बलि बलि जावं चन्द फसे प्रेम फन्द है ।
 पीत रंग बोरे खरे खेमत है होरी दाऊ
 वृन्दावन वीधिन मैं धूम मची भारी हूँ ।
 सुधर समाज सब सखी सौज लिये सौहँ
 फैंटनि गुलाल कर कंज पिचकारी हूँ ।
 चोटनि चलाव तब तब चावत अदायनि सौ
 नैननि नचावत हंसत सुकुवारी है ।
 हो हो कहि बोलै चन्द हित संग ओलै
 कहै सुख को निकेत ये बिहारिन बिहारी है ॥

(ब) रचना—चंद्र नाथ जी की सबदी

प्रति गूढ़ भाषा में 19 पद हैं। यह ग्रन्थ योग से सम्बन्धित है।

उदाहरण—

काया सोनी सिध सुनार
 प्रारम्भ अग्नि जगावण हार ।
 ताहि अग्नि को लागी पास
 अग्नि जगाई चकमक स्वास ।

(3) ग्रन्थ—श्री नीतिसार भाषायाम

रचनाकार—कवि चन्द

रचनाकाल—जयपुर नरेश सवाई जयसिंह जी का समय

लिपिकाल—कवि के समय का अथवा अनुमान से 200 वर्ष प्राचीन

विवरण—

यह पुस्तक 5:8 इंच चौड़ी लगती है। दोनों ओर 1 इंच की जगह छूटी हुई है। एक हाथ की सुन्दर सघी हुई लिखावट है। यह पुस्तक अलग-अलग जुज में है, इस समय बिना सिलाई के है। सारी रचना जो विद्यमान है उसका अन्तिम फोलियो नं० 59 है परन्तु गणना करने से 64 होती है। प्रारम्भ का फोलियो अप्राप्य है, मध्य के 16 फोलियो नहीं हैं। अन्त के अनुमान से 1 या 2 फोलियो नहीं हैं।

यह रचना कवि चंद रचित है, कवि ने जयपुर राज्य के मुसाहिब श्री मनोसाल दरोगा के लिए यह रचना की। मनोसाल दरोगा चर्माल्सा, बीर, उदार, नीतिज्ञ था। रचना में नीतिसार ग्रन्थ को प्रपूर्व कौशल के साथ ब्रजभाषा में दोहा, सोरठा, चौपाई, बरने, अडिल, त्रोटक, छप्पय, कवित्त, कुण्डलियाँ, आदि छंदों में प्रकट किया है। राजनीति सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक बातों का, यथा-युद्ध की मामूली, ब्यूह-प्रति-ब्यूह आदि अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। अनेक दृष्टियों से यह रचना महत्त्वपूर्ण है। राजा-मन्त्री के गुणों का विस्तार से प्रकटीकरण है। कवि ने रचना को सग्यों में बिभाजित किया है।

- 1-इन्द्री जयो विद्यावृद्धि संजोगोनाम प्रथमो सर्ग-65 छंद
- 2-विद्या उपदेश वर्णाश्रमधर्म दण्ड महात्मनां द्वितीयो सर्ग-35 छंद
- 3-धाचार व्यवस्थानां तृतीयो सर्ग-29 छंद
- 4-राजा मुसाहिब देश कोष वजानों फौज, मित्र परीक्षण गुण वर्णना चतुर्थ सर्ग-49 छंद
- 5-भृत्य मित्र बंधन उपदेश सामान्य जीत वृत्य नाम पंच सर्ग-5 छंद
- 6-कटक साधनोनाम षष्ठं सर्ग-12 छंद
- 7-राजपुत्र धातमारनदास सररता वर्णनाम् सप्तम्-41 छंद
- 8-अष्टमोसर्ग के केवल 32 छंद इसमें है ।
- 9-अप्राप्य
- 10-अप्राप्य
- 11-अप्राप्य
- 12-अप्राप्य
- 13-अकीलचर प्रकरण वर्णनोनाम त्रयोदश सर्ग-42 छंद
- 14-प्रकृति कर्म प्रकृति विधान वर्णनों नाम चतुर्दश-43 छंद
- 15-राजोपदेश सप्त विसन दूषण बनेनोनाम पंचदसमी-39 छंद
- 16-राजोपदेश जाप्रा जुवति दरसनों नाम षोडसोसर्ग-44 छंद
- 17-दरसैनो नाम सप्तदशो सर्ग-21
- 18-अष्टादशमो सर्ग-38
- 19-उनीसवो सर्ग-39
- 20-बीसवो सर्ग में व्यूह आदि का तथा अंत में काव्य-ग्रन्थ प्रयोजन दिया है जो 51 वे छंद तक है । आगे के पृष्ठ नहीं है ।

इस प्रकार से इस पुस्तक में लगभग 630 छंद प्राप्य हैं ।

बहाहरस---

बोहा

गुरु सेबहु नृप पद विरत, पाबहु कमला पूर
सिखा सै नीतिहि बड़े शत्रु हनियत धूर ।
आबर भूप नहि नीति रस ताभीतै परिहीन
छोटो हू जग जय लटै राजा शिक्षा लीन ॥

कल---

श्री जय साहि नरैस चरम धबतार प्रगटि चर
जिनके अष्ट प्रधान नीति धर्म जान बुधिवर
सिखी भूयाराम स्वांम के काम सुधारत
फौज मुसाहिब हुकुमचंद दल उबन विदारत
बीबण जु सिध बिजय अतुल मंत्री विमल प्रभानिये
मनाजुनाल बगसि बिलंब टाल हिन्दु की आनिये ।

प्रभा जु चंद दीवान स्वामिधर्म हरिमक्त है
 मानासिध सिध जिमि बल बंडन अनुरक्त है
 सिरमोर सीतलाल पालना प्रजा समाम्ह
 षंवरि विदिसि दिस गहत परच आवदनी हृथ है
 सब विधि सुजान बुधिवान वरम नी लाल उदारचित ।

सर्वेयो के अंत में लिखा है "इति श्री नीतिसारे भाषायां कवि चंद विरचितं दरांगाजी श्री मनालालजी हेत" ।

यह प्रति पारम्भिक प्रति हो सकती है। इनमें अनेक स्थानों पर शुद्ध किया हुआ है। ऊपर हमने मिश्रबन्धु विनोद से चन्द अथवा चन्द्र और उनके नाम साम्य वाले कवियों की सूची दी है। उनका एक कारण सीधा-सा यह है कि हमें हिन्दी में चन्द नाम तथा साम्य रखने वाले नाम के कवियों का एकसाथ जान हो जायेगा किन्तु हमारा दूसरा उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यह जानना भी है कि जो ग्रन्थ हमें उपलब्ध हुए हैं और जिनके लेखक जो चंद नाम के कवि हैं उनका पता मिश्रबन्धुओं तक मिल सका था अथवा नहीं। इसमें जिन चन्द नाम के कवियों का माहिस्य मिला है उनमें से एक तो 18वीं शताब्दी का कवि है। शेष सभी 19वीं शताब्दी के विदित होते हैं। मिश्रबन्धु विनोद के चन्द्रबरदायी तो प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्धि से भी अधिक विवादास्पद हैं। दूसरे चन्द हितोपदेश के लेखक हैं। जिनका रचना काल 1563 माना गया है अर्थात् वे 16वीं शताब्दी के हैं। एक चन्दसखी ब्रजभाषी 1638 यानी 17वीं शती के है। 18वीं शती के कवि हैं एक चन्द 'नागनौर की लीला' के लेखक जिनका रचनाकाल 1715 या 1756 है। दूसरे चन्द पठान और मुलतान हैं जिनका समय 1761 है। एक चन्द्रमेन को 1726 के पूर्व का बताया गया है। एक चन्दलाल गोस्वामी 1768 के हैं। ये राधावल्लभी हैं। ये 18वीं शताब्दी के कवि हैं। 19वीं शताब्दी के कवियों में एक चन्द्रधन है 'भागवत सार भाष्य' के लेखक जिनका समय 1863 बताया गया है। दूसरे चन्द्र राधावल्लभी है जिनका समय 1820 बताया गया है। एक चन्द्रदाम को 1823 के पूर्व का, फिर एक चन्द्रलाल गोस्वामी राधावल्लभी जिनका कविता काल 1824 माना गया है। सम्भवतः ये वही चन्द्रलाल हैं जिनका कविता काल 1768 बताया गया है। फिर एक चन्द्रकवि सनाढ्य चौबे है, कविता काल 1828। फिर एक चन्द्रहित राधावल्लभी जिनका रचनाकाल नहीं दिया है। एक चन्द जो गोसाईं है जिनका रचनाकाल 1846 है। इतने 19वीं शताब्दी के कवि है।

इनमें से हमारे संग्रह के पहले कवि और मिश्रबन्धु विनोद के 'नागनौर' की लीला के लेखक कवि चन्द एक ही है जिनकी रचना 'नागदमन' है। मिश्रबन्धुओं ने इसे 'नामनीर' लिखा है जो मूलतः 'नागदौन' होषा और इसका रचनाकाल स० 1715 मिश्रबन्धु विनोद में बताया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि 'बीणा' में भी इसी कवि की इसी कृति का उल्लेख है और उन्होंने भी संवत् 1715 रचना काल माना है। क्योंकि संवत् की जो पक्ति है उसे 'सत्रह सँ दस पच' तक ग्रहण करे तो उससे 1715 ही रचना का संवत् निकलेगा। अतः 'नागदौन' की लीला के लेखक चन्द और हमारे चन्द 'नागदमन' के लेखक एक ही प्रतीत होते हैं। कृति के नाम में विभिन्नता है पर विषय से स्पष्ट है कि उसमें नागदमन या कृष्ण की नागलीला का वर्णन किया गया है। मिश्रबन्धु विनोद में

अत्यन्त सूक्ष्म रचना मिलती है। हमारी दृष्टि में यह कवि महत्त्वपूर्ण हैं। यह प्रावश्यक है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि हमारी दृष्टि में इसका रचनाकाल 1856 होना चाहिए। हमें 'सत्रह से दस पंच' पर ही नहीं रचना चाहिए प्राये 'छर' को भी ग्रहण करना होगा।

हमारे दूसरे कवि चन्द 'भागवत दोहा' सूची के लेखक हैं। जैसा कि हमने ऊपर टिप्पणी में बताया है कि यह 'भागवत दोहा सूची' ग्रन्थ श्रीमद्भागवत् श्रीधरी टीका की दोहों में सूची है। कवि ने एक-एक अध्याय को एक-एक दोहे में अत्यन्त सक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। ग्रन्थ में जो उल्लेख है उससे विदित होता है कि लेखक ने 10 स्कंध ग्रन्थ 1895 में पूरा किया, द्वादश स्कंध 1896 में नृसिंह चौदस को। इन चन्द के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में जो परिचय दिया हुआ है उससे प्रतीत होता है कि यह फतेहगढ़ के नृपति महाराजा बाघसिंह के पुत्र थे। अंत में, एक दोहे में यह भी उल्लेख है जो ऊपर की टिप्पणी में विद्यमान है। आरम्भ में जिस प्रकार बल्लभाचार्य और विठ्ठलनाथजी की वंदना की गयी है उससे स्पष्ट है कि यह पुष्टि मार्गी थे। इन कवि चन्द का पता मिश्रबन्धुओं को नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे कवि चन्द के 'भागवत दोहा सूची' ग्रन्थ के समकक्ष ग्रन्थ 'भागवत सार भाषा' के लेखक चन्द्रधन को मिश्रबन्धुओं ने 1863 के पूर्व का बताया है। ग्रन्थ के नाम से भी यह सम्भावना प्रतीत होती है कि मिश्रबन्धुओं के चन्द्रधन पुष्टि-मार्गी कवि चन्द से भिन्न हैं। अतः ये एक नये कवि हैं जिनका अब तक पता नहीं था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 'बाघनृपति सुत चन्द' विद्वान भी थे और उच्च कोटि के कवि भी थे, तभी एक अध्याय का सार एक दोहे में दे सके।

फिर एक कवि चन्द 'अभिलाष पच्चीसी' के लेखक है। प्रतीत होता है कि 'समय पच्चीसी' और 'श्री राम जी चौपड़ के ख्याल' के लेखक भी यही कवि चन्द है। बहुधा इन्होंने अपने नाम के साथ हित लगाया है यथा 'कवि चन्द हित' जिसमें भी सिद्ध होता है कि ये हित हरिवंश सम्प्रदाय अर्थात् राधावल्लभी सम्प्रदाय के कवि हैं।

कवि चन्द हित की इन रचनाओं का लिपि समय 1823 दिया हुआ है। हित शब्द के आधार पर देखे तो मिश्रबन्धुओं के 1001 की मर्या के कवि चन्द हित भी राधावल्लभी है अतएव दोनों एक ही प्रतीत होने हैं। पर इनमें से किसी के साथ रचनाकाल नहीं दिया हुआ है। इससे अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इनके बाद चन्द्रलाल गोस्वामी के दो रचनाकाल हैं, एक 1767 और एक 1824 और एक ग्रन्थ चन्द राधावल्लभी का समय 1880 है। इन तीनों का विशेष विवरण मिश्रबन्धु विनोद में नहीं दिया गया है। इसलिये यह निर्णय करना सम्भव नहीं कि यह हमारे कवि चन्द हित से भिन्न है या अज्ञात। किन्तु हमें संदेह नहीं कि कवि चन्द हित की रचनायें 'समय पच्चीसी', 'अभिलाष पच्चीसी' तथा 'राम की चौपड़ का ख्याल' नयी उपलब्धियाँ हैं और इसी प्रकार 'नीतिसार भाषायाम' के लेखक कवि चन्द भी एक नयी खोज हैं। जयपुर नरेश सर्वाड जयसिंह का 1699 से 1743 तक शासनकाल है। इनके राज्य के मुसाहिब श्री मनोसाल दरोगा के लिए यह रचना कवि चन्द ने रची।¹

1. हति भी नीति धारे भाषायां, कवि चन्द विरचित इतीया भी भी मनोसालकी हत।

स्पष्ट है कि नीतिसार का सम्बन्ध विशेषतः राजनीति से है ।

एक अन्य कवि 'चन्द नाथ' हैं जिन पर संक्षिप्त टिप्पणी दी है । इनका ग्रन्थ 'चन्द्रनाथ की शब्दी' हमें प्राप्त हुआ है । यह भी नयी उपलब्धि विदित होती है । ये नाथ सम्प्रदाय के कवि हैं और इस शब्दी में योग की चर्चा है ।

एक अन्य चन्द कवि की एक कृति 'संग्राम' हमें अन्यत्र देखने को मिली । यह भी जयपुर नरेशों के कवि हैं और इसने 'संग्राम सागर' नामक ग्रन्थ में महाभारत के द्रोणपर्व के धनुवाद के रूप में युद्ध-शास्त्र का वर्णन किया है । इस कवि ने आरम्भ में शिव की बंदना की है फिर कृष्ण की बंदना की है किन्तु इसने विस्तारपूर्वक नृपवंश वर्णन तथा कवि वंश वर्णन दिये हैं जिससे जयपुर राजघराने के राजाओं तथा उनके आश्रित कवियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है । हम इनके ये अंश यहाँ ज्यों के त्यों उद्धृत कर रहे हैं :—

अथ नृप वंश वर्णनम छपये

देश ढुङ्गाहर मध्य सर्व सुख सम्पति साजत ।
 धमरावलि सम धवनि मांभु आमेरि विराजत ।
 तास भूप पृथिराज सदा हरि भक्ति परायन ।
 भारमल्ल तिन तनय खग खंडन अरि धायन ।
 भगवत दास नृप तास सुव दखल जंम दक्षिण करिये ।
 सुत मान जिति शत शष्टि रण जश जहा न धन बिययरिय ।
 तास कबर जगतेश खान ईशव जिन खंडिय ।
 महा सिध तिन तनय कीति महि मडल मडिय ।
 ? (जा) यउताम जयसिध जीति मेवा गहि धानिय ।
 ताम पुत्र नृप राम भमल आसाम जु ठानिय ।
 ? य कृष्ण सिध तिन के तनय विष्णु सिध तिन नुत लियउ ।
 जयसिह सवाई जास जिन अश्वमेध अखर किः ३ । 8।
 माधवेश नरनाह तनै तिनके परगट्टिय ।
 जिन जवाहिर हि जेर ठानि जट्टन दह बट्टिय ।
 तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दल मांडिय ।
 करि पटेल मदमग जग दक्षिण दल खंडिय ।
 राजाधिगज जगतेश मय जिन जहान जय विधयरिय ।
 करि समर (?क) ज्ज कमधज्ज कारण भजाय कमधज्ज किय ।
 तिन तनूज जयसाह तरनि समतेज उभल्लले ।
 जन्म लेत जिन तिमिर तत भय नष्ट मुसल्ले ।
 क्रूरम राम नरेन्द्र तनै तिनके परगट्टिय ।
 पुहुमि मांभु पुरहूत जेभि प्रभुता जिन पहिय ।
 रसबीर मांभु बटिट सुखधि द्रोण जुद्ध बित अनुसरिय ।
 भाषा प्रबन्ध कवि चन्द कौ करन हेतु प्रायस करिय ॥10॥

दोहा

लगत भरि क्रूरम सदन कवि कोविद वर अंद
 देव मनुज भाषा निपुण निरक्यो तह कवि चन्द । 11 ।

कवि वंश वर्णन

बोहा—

- उतन बासवन पुर विशद प्रंतरवेद मकार ।
भयो चंद्र मणि विप्र कुल कान्य कुब्ज भवतार । 14 ।
- तिहि तनूजा गिरधर भये गिरधर को हियबास ।
वशे जाय रुजगार लहि दिल्ली पति के पास । 15 ।
- भये किरोमणि तास सुत पंडित परम सुजान ।
लहि निदेश भाने इते दिल्ली पति तै मान । 16 ।
- तिहि तनूज माधव भये चरनऊ माधव चाह ।
जिस हृमेश वर्णन किये सुजश बडे जयसाह । 17 ।
- भये प्रकट तिनके तनय जाहिर लछीराम ।
जिन्हें रीभि जयसाह नृप दिये दिख दश ग्राम । 18 ।
- रामचन्द्र तिनके भये पैरि सबैगुन पंथ ।
महाराजा जयसाह हित भलंकार किय ग्रंथ । 19 ।
- प्रगट पुत्र तिनके भये सोमानन्द सुजान ।
माधवशे नरनाह तैं लह्यो सरस सनमान । 20 ।
- तिनके सुवन सपूत भे सालचंद एक प्राय ।
महाराज परताप कौ रहै सदा गुन गाय । 21 ।
- सुकविचंद तिनको तनय भो गुन उत्तम गात्र ।
कूरम राम नरेन्द्र के भयो कृपा को पात्र । 22 ।
- देश विदेशन भे भयी कवि पंडित विख्यात ।
कूरम राम नरेन्द्र हित किये ग्रंथ जिन्हे सात । 23 ।
- दृकम पाय जिहि राम को द्रोण पर्व अनुसार ।
गु सग्राम सागर रष्यो शूरन को श्रृंगार । 24 ।
- श्रवण सुनत ही क्षेत्र कुल कायरता गटि जाय ।
ग्रंथ ग्रंथ प्रति जंग की मन उमंग अधिकाय । 25 ।
- रुद्र गगन योगीश शशि भाद्र शुक्ल रविवार ।
द्वंजि द्रोण सग्राम निधि लियो ग्रंथ भवतार । 1911 । 27 ।

इति श्री मन्महाराजाधिराज राजराजेन्द्र श्री सवाई राम सिंघ देवाज्ञया सुकवि चंद
विरचित संग्राम सागरे पाशुपता—शुभमस्तु ।

पत्र संख्या 378, जिल्ह बंधी ।

इसके आधार पर राजवंश वर्णन और सुकवि चंद के वंश का पारस्परिक सम्बन्ध
कुछ इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि प्रस्तुत तालिका में दिया हुआ है ।

काल	राजवंश	कविवंश
1503-1527 ई०	1-पृथ्वी राज	चन्द्रमणि (उतनवास, कान्य
1548-1574	2-भारमल्ल	कुब्ज, बनपुर भ्रमर्षेद
1574-1590	3-भगवत दास	गिरधर (दिल्ली पति की
1590-1614	4-मानसिंह	मेवा में भाये) शिरोमणि
	5-जगदेश	
1615-1622	6-महासिंघ	
	7-भाससिंह	
1622-1667	8-जयसिंह प्र०	1-माधव 2-सच्छी राम 3-रामचन्द्र
1667-1690	9-रामसिंह प्र०	
	10-कृष्ण सिंह	
	11-विष्णु सिंह	
1700-1743	12-जयसिंह सवाई द्वि०	
1743-1751	13-सवाई ईश्वरी सिंह	
1751-1768	14-सवाई माधव सिंह	शोभा चंद, जवाहर
1778-1803	15-सवाई प्रताप सिंह	मालचंद
1803-1818	16-सवाई जगत सिंह	
	17-सवाई जयशाह	
1835-1880	18-सवाई रामसिंह द्वि०	मुकवि च :
1880-1922	19-सवाई माधोसिंह जी बहादुर द्वि०	
1922-1970	20-सवाई मानसिंह	
1970-1971	21-सवाई भवानी सिंह	

ऐसा प्रतीत होता है कि 'माधव वंश प्रकाश' का लेखक तथा 'सग्राम सागर' का लेखक तथा 'नीतिसार' का लेखक एक ही व्यक्ति है। इस कवि ने सग्राम सागर में यह उल्लेख तो किया है कि उसने सवाई रामसिंह के लिए सात ग्रन्थ लिखे। एक ग्रन्थ 'भेद प्रकाश नाटक' भी एक ग्रन्थ हस्तलेखागार में हमें देखने को मिला। उसका लेखक भी सुकवि चंद है। उसका रचना काल सन् 1890-1912 दिया हुआ है। यह भी इसी कवि का प्रतीत होता है। मिश्रबन्धु विनोद ने कवि चन्द के जिस 'भेद प्रकाश ग्रन्थ' का उल्लेख किया है वह भी इसी कवि से अभिन्न विदित होता है। इस कवि की धीरे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कवि का काव्य स्तर भी ऊँचा है। यहाँ खोज में प्राप्त इन 'चन्द' नाम के कुछ कवियों का सामान्य परिचय तुलनापूर्वक दिया गया है।

इस एक विस्तृत उदाहरण से उन सभी बातों पर प्रकाश पड़ जाता है, जो कि इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग में आती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर पहले तो एक सूची समान नाम के कवियों की बनायी जानी चाहिए। इसमें संक्षेप में वे आवश्यक सूचनाएँ दी जानी चाहिए जो सामान्यतः अपेक्षित है, यथा—उनके ग्रन्थ, उनका रचना-काल एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के सम्बन्ध में अन्य सूचनाएँ।

इनके आधार पर यह देखना होगा कि कौन-कौन से कवि ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति हैं, भले ही उनके नोटिस या विवरण अलग-अलग लिए गए हों। इस प्रकार सम्स्त उपलब्ध सामग्री का एक सरसरा निरीक्षण प्रस्तुत हो जाता है, जो विषय के अध्येता के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके साथ ही अपने संग्रह में उपलब्ध इसी नाम के कवियों के ग्रन्थों की कुछ विस्तार से चर्चा कर देने से यह भी पता चल सकता है कि क्या हमारी सामग्री बिल्कुल नयी उपलब्धि है और क्या किन्हीं दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है?

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त एक नाम के कवियों और उनकी कृतियों की यह चर्चा इन कवियों का अध्ययन नहीं है, इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है।¹

अब पांडुलिपि विज्ञानार्थी को इसी प्रकार की अन्य अपेक्षित सूचियाँ या तालिकाएँ भी अपने तथा ग्रन्थों के लिए अपेक्षित उपयोगी जानकारी या सूचना देने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए।

यहाँ तक उन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है जो पांडुलिपि के सम्पर्क में आने पर पांडुलिपि विज्ञानार्थी को करने होते हैं।

विवरण प्रकार : इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवरण लेने और प्रस्तुत करने का। इन प्रयत्नों को संक्षेप में यों दुहराया जा सकता है। विवरण कई प्रकार के हो सकते हैं :

एक प्रकार को 'लघु सूचना' कह सकते हैं,

इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख संक्षेप में पर्याप्त माना जा सकता है :

1. क्रमांक
2. रचयिता का नाम..... (अकारादि क्रम में)
3. ग्रन्थ नाम

1. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रधान मन्त्री, निरीक्षक, खोज विभाग, काशी नागरी-प्रचारिणी-मण्डल ने 'हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का त्रयोदश वैवाचिक विवरण (सन् 1924-28 ई०) की 'पूर्व पीठिका' में इसी प्रकार का एक सुझाव दिया था। उन्होंने लिखा है, "मेरा विचार है कि कुछ प्रमुख ग्रन्थकारों पर खोज की सामग्री के आधार पर कुछ पुस्तकें बुधक रूप में तमस प्रकाशित की जाय। इनसे अनुसन्धान करने वालों को विशेष लाभ तो होगा ही, आलोचना करने वालों और ग्रन्थ सम्पादन करने वालों को भी सरलता होगी। अनायास उन्हें बहुत-सी सामग्री घर बैठे मिल जायगी। इधर-उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।" (पृ० ८)

4. विषय.....

5. रचना काल रचना स्थान

6. लिपि काल लिपि स्थान

7. लिपिकार

'मिश्रबन्धु विनोद' में ऐसी सूचनाएँ बहुत हैं, यथा :

नाम (1025) टेक चन्द

ग्रन्थ (1) तत्त्वार्थ श्रुत सागरी टीका की वचनिका (1837)

(2) मुहूर्ष्टि तरंगिणी वचनिका (1838),

(3) षट् पाहुड वचनिका,

(4) कथा कोश

(5) बुध प्रकाश

(6) घनेक पूजा पाठ

रचना काल - 1837¹

ऐसी सूचनाएँ प्रकाशन करके पांडुलिपि-विज्ञानार्थी भविष्य के अनुसन्धान का बीज बपन करता है, तथा ग्राहित्य सम्पत्ति की समृद्धि के लेवे-जोवे में भी सहायक होता है। साहित्य के इतिहास और संस्कृति के इतिहास की यथार्थ रूप-रचना में निर्मापक तन्तु या ईंट का भी काम करता है।

कभी-कभी तो रचयिता (कवि) के नाम की सूची या ग्रन्थनाम की सूची दे देना भी उपयोगी होता है। इन सूचियों से उन कवियों और ग्रन्थों की ओर ध्यान-आकर्षित होता है जो भले ही गौण हों, पर साहित्य तथा संस्कृति की महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। श्री नलिन विलोचन शर्मा जी ने 'साहित्य का इतिहास-दर्शन' में इन गौण कवियों का महत्त्व स्थापित करने का प्रयत्न किया है और पांडुलिपि में सिद्ध विद्वान की भाँति कुछ सूचियाँ भी परिश्रम-पूर्वक किये गये अनुसन्धान को चरितार्थ करने वाली दी है। एक सूची उन्होंने मगन के गौण कवियों की विविध ग्रन्थों² में प्रस्तुत की है।

इस तालिका में उन्होंने 'सदुक्ति कर्णामृत' से ही छांट कर गौण कवि दिये हैं। इन कवियों को सूची में अकारादि क्रम से सजोया है, दूसरे उन्होंने इस तालिका में 77 भी सजेत

1. मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० 818।

2. उन्होंने यह सूची निम्न सुभाषित ग्रन्थों से तैयार की है

(क) सदुक्ति कर्णामृत (श्रीधरदास द्वारा 13वीं शती के प्रारम्भ में संकलित)। यही इन तालिका का मुख्य आधार है।

(ख) कबीर वचन समुच्चय (जिसमें सभी कवि 1000 ई० में पूर्व के ही हैं)।

(ग) सुभाषित मुस्तावली एवं दूक्ति मुस्तावली

(घ) दीर्घी (बल्हन द्वारा संकलित) 13वीं शती के मध्य की है।

(ङ) साङ्गैबर पद्धति (14वीं का मध्य)।

(च) सुभाषितावली (15वीं)।

कर दिया है कि समान छंद या कवि का नामोल्लेख किसी ग्रन्थ सुभाषित संग्रह में भी है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत इस तालिका में यह दिया गया है कि इन गौण कवियों के सम्बन्ध में 'साहित्य' तथा 'जीवनी' सम्बन्धी कुछ सामग्री आज किन-किन स्रोतों से उपलब्ध है।

इस पद्धति को समझाने के लिए इस तालिका में से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

1. **अचल** : कवीन्द्र समुच्चय (धारे 'क.' से संकेतित), कोई सूचना नहीं (धारे न. से संकेतित)।

व्याख्या : 1. अकारादि क्रम में 'अचल' पहले आता है। यह शब्द शर्माजी ने 'सदुक्ति कर्णामृत' से लिया है।

2. 'कवीन्द्र समुच्चय' में भी यह कवि मिलता है।

3. 'क' संकेत से अभिप्राय है कि धारे जहाँ 'कवीन्द्र समुच्चय' का उल्लेख होगा वहाँ केवल 'क' लिखा जायेगा।

4. 'अचल' के सम्बन्ध में कोई और सूचना नहीं मिलती। इसके लिए कि कोई सूचना नहीं मिलती, संकेताक्षर 'न' रखा है। सूची में धारे जहाँ 'न' धारयेगा वहाँ यही अभिप्राय होगा कि उस कवि के सम्बन्ध में कोई और जानकारी नहीं मिलती।

74. गणपति-सु मे पीटरसन ने (पृ. 33) लिखा है कि जलहण की सू. म राजशखर का एक श्लोक है जिसमें गणपति नामक एक कवि और उसकी कृति 'महा मोह' का उल्लेख है।¹

व्याख्या 1. संख्या 74 अकारादि क्रम में सूची में गणपति का स्थान बताता है।

2. 'सु' सुभाषितावली का संकेताक्षर है। संख्या 14 के ग्रन्थ में इसका संकेत है। वहाँ यह पूरे नाम से दी गई है।

3. 'सू.' यह 'सूक्ति मुक्तावली' का संकेताक्षर है। यह सूचना 36वीं संख्या के कवि के मन्दर्भ में दे दी गई है।

131. तुतातित, ब्राँफ़ेस (कँटेनॉगस-कँटेलेगोरम) के अनुसार सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल स्वामी का नाम।²

इन उदाहरणों में यह विदित होगा कि मिश्रबन्धुओं ने जो संक्षिप्त विवरण दिये हैं उनसे यह धारे का चरण है, क्योंकि एक शब्द या एक पंक्ति लिखने के पीछे लेखक का विषय अर्थात् विषयमान है, उसका उपयोग भी इस तालिका में भरपूर हुआ है। यह तालिका सूची मात्र नहीं बरन् अर्थात् प्रमाणित विवरण है।

आचार्य नगिन विलोचन शर्मा ने 482 गौण कवियों की तालिका दी है। उसके साथ यह टिप्पणी है : "ऊपर प्रस्तुत तालिका से संस्कृत के ज्ञात-गौण कवियों की संख्या का अनुमान-मात्र किया जा सकता है। अन्य समस्त सुलभ स्रोतों में ऐसे नाम संकलित किये जायें तो संख्या सहस्राधिक होगी।" निश्चय ही ऐसी तालिका प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किसी सीमा तक पांडुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र में आता है। उसके आधार पर संस्कृत साहित्य का पूर्ण इतिहास लिखना साहित्य के इतिहासकार का काम होगा।

1. शर्मा, नगिन विलोचन, साहित्य का इतिहास-वर्षान. पृ० 14।

2. वही, पृ० 16।

इस प्रकार प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 'हिन्दी' के गौण कवियों का इतिहास शीर्षक अध्याय में '971' कवियों की तालिका दी है। यह तालिका भी उन्होंने प्रकाशित ग्रन्थों के आधार पर प्रकाशित की है। इस सम्बन्ध में उनकी भूमिकाबत् यह टिप्पणी उल्लेख्य है

'परमानन्द सुहाने' तथा इनसे भिन्न बहुसंख्यक कवियों की स्फुट रचनाएँ शिवमिह सरोज में भी सङ्गृहीत हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरोजकार द्वारा उल्लिखित आकर-ग्रन्थों में से प्रायः सभी आज़ अध्याप्य हैं। परमानन्द सुहाने के हज़ारा में जिन कवियों के छन्द सङ्गृहीत हैं, उनके नामों और समय आदि को, सरोज पर अवलम्बित आगे दी गई तालिका में मिला कर हिन्दी के गौण कवियों के अध्ययन के निमित्त आधार-भूमि तैयार की जा सकती है। इस तालिका में सरोजकार द्वारा किये गये नाम; तथा समय के विषय में प्रियसंन तथा किणोरीलाल गोस्वामी¹ की टिप्पणियों का भी उल्लेख है।²

प्रश्न यह उठता है कि क्या मुद्रित और उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर ऐसी सूची प्रस्तुत करना पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र में आता है? आपत्ति मार्थक हो सकती है। पर पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी को अपने भावी कार्यक्रम की दृष्टि से या किसी परिपाटी को या प्रणाली को हृदयगत करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। हस्तलेखों में शतश ऐसे सग्रह ग्रन्थ मिलेंगे जो 'हज़ारा' की भानि के लगे। उनके कवि और काव्य की तालिकाबद्ध करने के लिए यही प्रणाली काम में लायी जा सकती है जो प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने यहाँ दी है।

तालिका का रूप :

अब इस तालिका के रूप को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं

(1) अकबर बादशाह

स०, दिल्ली, 1584 वि०, ग्रि० कि०, 1556-1605।

(2) अजबेस (प्राचीन)

स०, 1570, वि०; ग्रि०, कि०, इस नाम का कवि कोरी कल्पना।

(5) अवधेश ब्राह्मण

स०, बरबरानी, बन्देलगण्डी, 1901 वि०; ग्रि०, 1840 द० म उप०।

(6) अवधेश ब्राह्मण

स०, भूरा के बंदेलखंडी, 1835 वि०; ग्रि०, जन्म 1832 ई०। कि० के अनुसार दोनो अवधेश ब्राह्मण एक ही हैं, रचनाकाल 1886-1917 ई० है; 1839 ई० त्रमकाल नहीं है।

(787) लक्ष्मणशरण दास

कि०, "इस कवि का अस्तित्व ही नहीं है" सरोज में उद्धृत पद "दाम सरन लक्ष्मण मुन भूप" का अर्थ है—"यह दाम लक्ष्मण मुन अर्थात् बल्लभाचार्य की अरण्य में है।"

(806) शम्भु कवि

स०, राजा शम्भुनाथ मिह मुलंकी, मिनारामदुवाले 1, 1738 वि०, नायिका भेद;

1. प्राचार्य शर्मा यहाँ 'गोस्वामी' धून से लिख गए हैं। यह 'गुप्त' है।

2. शर्मा, नलिन विलोचन, साहित्य का इतिहास-दर्शन, पृ० 161।

प्रि०, सितारा के राजा शम्भुनारायणसिंह मुलंकी, उर्फ शम्भुकवि, उर्फ नाथ कवि, उर्फ नृपशम्भु, 1650 ई० के भास-पास उपस्थित, मुन्दरी तिलक, सत्कविगिराविलाम, कवियों के आश्रय-दाता ही नहीं, स्वयं एक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता, यह श्रृंगार-रस में है और इसका नाम 'काव्य निराली' (?), कि०, शम्भुनाथ सोलकी क्षत्रिय नहीं, मराठे, सरोज में इस कवि के संबन्ध में लिखा है—“श्रृंगार की इनकी काव्य निराली है। नायिका-भेद का इनका ग्रन्थ सर्वोपरि है। इसी का भ्रष्ट भ्रष्टेजी अनुवाद प्रियसं ने किया है और इनके काव्य ग्रन्थ का नाम 'काव्य निराली' डंड निकाला है। इनका नखशिख रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित होकर भारत जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित हो चुका है।”¹

इन उद्धरणों से इस प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कालक्रम में सबसे पहला ग्रन्थ 'सरोज' अर्थात् शिवसिंह सरोज, उसने कवि का उल्लेख सबसे पहले किया। आध्यात्म ही उसे बनाया है। सरोज का छोटक सकेताक्षर 'स०'। उसके बाद प्रियसं ने सूचना दी है। प्रियसं का छोटक सकेताक्षर 'प्रि०' तब 'कि०' सकेताक्षर से किशोरीलाल गुप्त को अभिहित करते हुए उनके 'सरोज सर्वेक्षण' से आवश्यक जानकारी संक्षेप में दे दी है। इस प्रकार एक ऐसी सूची या तालिका की आध्यात्मिक आचार्य शर्मा ने रख दी है जिसमें पांडुलिपि विज्ञानार्थी अपनी दृष्टि से यथास्थान नये कवियों का नाम और आवश्यक सूचना जोड़ता जा सकता है तथा टिप्पणी देकर अद्यतन अध्ययनों से प्राप्त ज्ञान को हस्तामलकवत् कर सकता है।

पांडुलिपि विज्ञानार्थी इसी सूची का उपयोगी सम्बर्द्धन दो प्रकार से कर सकता है : प्रथम तो अब तक की खोजों के विवरणों से सामग्री लेकर।

यथा, खोज में उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का अठारहवाँ त्रैवार्षिक विवरण (सन् 1941-43 ई०) द्वितीय भाग में जिसके संपादक प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है : चतुर्थ परिशिष्ट (क) में प्रस्तुत खोज में मिले नवीन रचयिताओं की नामावली दी है, और उनका अनाद्वैत क्रम भी बताया है। इन नामावली में 206 कवि हैं। पांडुलिपि-विज्ञानार्थी इन नामों की परीक्षा कर अपनी तालिका में प्रामाणिक कवियों को स्थान दे सकता है।

इससे भी महत्वपूर्ण चतुर्थ परिशिष्ट (ग) है। इसमें काव्य संग्रहों में आये नवीन कवियों की सूची दी गई है। इस सूची में गीण कवियों की तालिका और अधिक उपयोगी हो जायेगी और शोधार्थी को शोध की दिशाओं का निर्देश भी कर सकेगी।

पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को एक तालिका और बना कर अपने पास रखनी होगी। यह तालिका उसके स्वयं के उपयोग के लिए तो होगी ही, अन्य अनुसंधाता भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तालिका को रा०ब० डॉ० हीरालाल जी डी०लिट०, एम०आर०ए० एम. ने त्रयोदश त्रैवार्षिक विवरण में इस रूप में दिया है। यह इन्हीं चतुर्थ परिशिष्ट में दिया है। इसकी व्याख्या यों की गई है : “महत्वपूर्ण हस्तलेखों के समय एव सन् 1928 ई० तक प्रकाशित खोज विवरणिकाओं में उनके उल्लेख का विवरण”। तालिका का रूप यह है :

संख्या	रचयिताओं का नाम	हस्तलेखों का नाम	प्राप्त हस्तलेखों के उल्लेख तथा समय	विशेष
1	2	3	4	5

यह तालिका उपयोगी है, यह स्वयंसिद्ध है, क्योंकि सन्दर्भ की दृष्टि से भी खोज-विवरणों का उल्लेख कर दिया गया है, जहाँ विस्तृत विवरण देखे जा सकते हैं। संख्या 4 को दो भागों में भी विभाजित किया जा सकता है : प्रथम—यह भाग केवल समय-द्योतक होगा, और दूसरा, यह भाग विवरणिकाओं का उल्लेख करेगा। डॉ० हीरालाल ने केवल ना० प्र० स० के खोज के विवरणों के ही उल्लेख दिये हैं, पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को जितने भी ऐसे विवरण मिलें उन सभी से सूचनाएँ देनी होंगी। स्पष्ट है कि यह तालिका जितनी परिपूर्ण होगी उतनी ही अधिक उपादेय होगी।

इस विवेचन से हमारा ध्यान डॉ० किशोरीलाल गुप्त के प्रयत्न की ओर जाता है जो उन्होंने 'मरुज सर्वज्ञान' के रूप में प्रस्तुत किया है। 'सरोज' में दिये विवरणों की ग्रन्थ स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग कर उन्होंने परीक्षा की है और उनके सम्बन्ध में सप्रमाण अपना निर्णय भी दिया है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए यह प्रणाली उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं। वह किसी भी प्राप्त 'पाण्डुलिपि' के विषय में उपलब्ध ग्रन्थ सामग्री से इसी प्रकार परीक्षा करके टिप्पणी देगा, इससे अद्यतन ज्ञातव्य की सूचना उपलब्ध रह सकेगी।

इसी परिपाटी का पल्लवित रूप वह है जो 'चन्दकवि' के विवरण में ऊपर दिया गया है। ऐसे विवरण एक-एक कवि पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को प्रस्तुत कर लेने चाहिए।

ऊपर हम देख चुके हैं कि विवरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को 'परिचय' कह सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण विवेचनापूर्वक दिया जा चुका है। दूसरा अंग है विषय का अन्तरंग परिचय आदि, मध्य और अन्त के उद्धरणों सहित।

कामी नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में आरम्भ में आदि, मध्य (कभी मध्य उद्धृत नहीं भी किया जाता था) और अन्त के छंद-मात्र दे दिए जाते थे। आरम्भ मान लीजिए दोहे से है तो मात्र वह दोहा दे दिया जाता था। अन्त एक कवित्त से हो रहा है तो बस केवल उसी को दे देते थे। इससे विषय का अपेक्षित परिचय नहीं मिल पाता था। अतः जार्ज ग्रियर्सन के परामर्श से इस विषय के अन्तरंग परिचय का अधिक विस्तार दिया जाने लगा। विषय की भी कुछ अधिक विस्तृत रूपरेखा दी जाने लगी। इस बात की ओर उक्त 'विवरणिका' में डॉ० हीरालाल जी ने संकेत किया है :

"इसमें विगत विवरणिकाओं की अपेक्षा ग्रन्थों के विषय का विवरण विस्तार से दिया भी गया है। केवल उन्हीं का विवरण नहीं दिया गया है जिनका विवरण विगत विवरणिकाओं में विस्तृत रूप में विद्यमान है। एसा सर जार्ज ग्रियर्सन के सुझाव से ही किया गया है जो उपादेय तो अवश्य है किन्तु इससे विवरणिका का विस्तार बहुत हो गया है।"¹

विस्तार के रूप

विवरण के विस्तार के भी तीन रूप सम्भवतः माने जा सकते हैं :

1. विषय का ब्यौरेवार बहुत सक्षेप में मार-रूप। इससे ग्रन्थ के प्रतिपाद्य का कुछ ज्ञान हो सकता है। यह परिचय ग्रन्थ का ज्ञान कराने के लिए नहीं होता, बरन् ग्रन्थ

की विषय-वस्तु और विज्ञानार्थी की दृष्टि से उसकी प्रकृति और प्रतिपाद्य की पद्धति का उल्लेख करता है। डॉ. टैसीटरी ने अपने दृष्टिकोण से उन हस्तलेखों की विस्तृत टिप्पणियाँ ली, जो ऐतिहासिक महत्त्व के थे।

दूसरा रूप है मूल उद्धरणों का ; पांडुलिपि के अतिरिक्त, मध्य और अन्त से ऐसे उद्धरण देने का और इतने उद्धरण देने का कि उनसे उन मूल उद्धरणों के द्वारा कवि या लेखक की भाषा, शैली तथा अन्य अभिव्यक्तिगत वैशिष्ट्यों की और दृष्टि जा सके।

इसका तीसरा रूप है ग्रंथ में प्राचीन समस्त पुष्पिकाओं को उद्धृत करना। पुष्पिकाओं से कितनी ही महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं।

इस प्रकार विवरण प्रस्तुत करके पांडुलिपि-विज्ञानार्थी उपलब्ध सामग्री के उपयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है।

कालक्रमानुसार सूची

इनमें से एक कालक्रमानुसार उपलब्ध-ग्रंथ सूची भी हो सकती है जो इतिहास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध 'The Chronology of Indian History' (भारतीय इतिहास के काल-क्रम) के दृग की हो सकती है। मेरे सामने ऐसी ही एक पुस्तक C. Mabel Duff की लिखी है। उसके प्रारम्भ में दी गई कुछ बातें यहाँ देना समीचीन प्रतीत होता है।

पहले तो उन्होंने लिखा है कि "इस कृति में नागरिक तथा साहित्यिक इतिहास की उन तिथियों को एकत्र कर व्यवस्थित रूप से तालिकाबद्ध कर देना अभिप्रेत है, जो वैज्ञानिक अनुसन्धान से आज के दिन तक निर्धारित की जा चुकी हैं।

इससे यह सिद्ध है कि वे तिथियाँ ही दी गई हैं जो वैज्ञानिक प्रविधि से पुष्ट होकर निर्वादा हो गई हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह बताई है कि भारतीय इतिहास की सामग्री मात्रा में प्रचुर है और अनेक ग्रंथों और निबन्धों में फँसी हुई है, अतः इस काल-तालिका में उस समस्त सामग्री को व्यवस्थित करके तो रखा ही गया है, स्रोतों का निर्देश भी है जिससे यह तालिका समस्त सामग्री के स्रोतों की अनुक्रमणिका भी बन गई है।

ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। डॉ. ने इस तालिका में कुछ तिथियाँ (सन्/संवत्) इटैलिक्स में दी हैं। इटैलिक्स में वे तिथियाँ दी गई हैं जो पूरी तरह सही नहीं हैं, पर निष्कर्ष से निकाली गई हैं और लगभग सही (Approximately Correct) मानी जा सकती हैं। यह प्रणाली भी उपयोगी है क्योंकि इसमें सुनिश्चित और प्रायः निश्चित तिथियों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

इस पुस्तक में से साहित्य सम्बन्धी कुछ उल्लेख उदाहरणार्थ प्रस्तुत करना समीचीन होगा। पुस्तक अंग्रेजी में है; यहाँ अंग्रेज़ी अक्षरों का हिन्दी रूपान्तर दिया जा रहा है :

ई०पू० 3102 शुक्रवार, फरवरी 18, कलियुग या हिन्दू ज्योतिष संवत् का प्रारम्भ..... यह बहुधा तिथियों में दिया जाता है, यह विक्रम संवत् से 3044 वर्ष पूर्व का है और शक संवत् से 3179 वर्ष पूर्व का :

140 पतञ्जलि, व्याकरण, 'महाभाष्य' का रचयिता ई०पू० 140-120 ई. विद्यमान। 'महाभाष्य' के अन्तर्गत से गोल्डस्टुकर एवं अण्डारकर ने पतञ्जलि की तिथि निर्धारित की है। जिनसे विदित होता है कि वह

मेनांडर और पुष्यमित्र के समकालीन थे। पूर्वी भारत के गोनाद के वे निवासी थे और कुछ समय के लिए काश्मीर में भी रहे थे। उनकी माँ का नाम गोनिका था—

गोल्डस्टुकर पाणिनि 234। LitRem i, 131 ff LiAn, 485. BD8. 1 A, 1, 299 ff JBRAS, XVI, 181, 199.

सन् ई० 476

भार्यभट्ट, ज्योतिषी का जन्म कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) में, भार्याष्टक तथा दशगीतिका का रचयिता—WL. 257. Indische Streifen, III, 300-2 गणकतरगिणी, ed. सुधाकर, The Pandit, N. S. XIV (1892), P. 2.

600

कविबाण, श्री हर्षचरित, कादम्बरी और चडिकाशतक के रचयिता, मयूर, सूर्य-शतक के रचयिता, दडी, दशकुमार चरित एवं काव्यादर्श के रचयिता और दिवाकर इस काल में थे क्योंकि ये कन्नौज के हर्षवर्द्धन के समसामयिक थे। जैन परम्परा के अनुसार मयूर बाण के श्वसुर थे। भक्तामर स्त्रोत के रचयिता मानतुंग भी इसी काल के हैं। बहूलर, D) indischer Inschriften Petersons सुभाषितावली. Int 88. VOJ, IV, 67.

1490

हिन्दी कवि कबीर इसी काल के लगभग थे क्योंकि वे दिल्ली के सिकंदर शाह लोदी के समसामयिक थे—BOD 204। उडिया के कवि दीन कृष्णदास, रस-कलोल के कर्ता भी सम्भवत इसी काल में थे। वे उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव (जिनका राज्यकाल 1478-1503 के बीच माना जाता है) के समसामयिक थे, आदि।

इस पद्धति में यह दृष्टव्य है कि प्रथम स्तम्भ में केवल सन् (ईस्वी) दिया गया है।

और सभी बाते दूसरे स्तम्भ में रहनी हैं। जिन घटनाओं की ठीक तिथियाँ विदित हैं वे यदि एक ही वर्ष के अन्दर घटित हुई हैं, तो उन्हें तिथि-क्रम से दिया जाता है।

हमें हिन्दी के हस्तलेखों या पाण्डुलिपियों की ऐसी कालक्रम तालिका बनाने के लिए निम्न बातों का उल्लेख करना होगा। स्तम्भ तो दो ही रखने होंगे। पहले में प्रचलित 'सन्' उक्त इतिहास की तालिका की भाँति ही देना ठीक होगा। दूसरे स्थान में पहले खाने के सन् के सामने सं० लिखकर 'संवत्' की सख्या देनी होगी। उसके नीचे 'चैत्र' से आरम्भ करके तिथि का उल्लेख करना ठीक माना जा सकता है। तिथि का पूरा विवरण 'पुष्पिका' सहित लिखना चाहिए। 'कृतिकार' का नाम, आश्रयदाता का नाम, कृति के लिखे जाने के स्थान का नाम, ग्रंथ का विषय। साथ ही लिपिकार या लिपिकारों के नाम। लिपि करने का स्थान-नाम, लिपिकाल, लिपिकाल की कालक्रम से भी प्रविष्टि की जायेगी। वहाँ भी लिपिकार के साथ ग्रंथ और रचयिता का उल्लेख काल-सहित किया जायेगा, यथा—

पाण्डुलिपि कालक्रम तालिका

क्रमवद्धा ईसवी सन्

1. 760 वि०सं० 817

सरहपा-बाह्यण, भिक्षु सिद्ध (6) देश भगवत् (नालंदा) कृतियाँ-
कायकोष-अमृत-वज्रगीति, चित्तकोष-ग्रंज-वज्रगीति, डाकिनी गुह्य,-

बज्रगीति, दोहा कोष-उपदेशगीति, दोहा कोष, तत्त्वोपदेश-शिल्लर-दोहा कोष, भावना फल-दृष्टि चर्या, दोहा-कोष, बसन्ततिलक-दोहा कोष, चर्यागीति दोहा कोष, महामुदोपदेश दोहा कोष, सरहपाद गीतिका (गोपाल-धर्मपाल के राज्य-काल (750-70-806 ई०) में बिलिमान ।

रा० सां०-“पुरातत्त्व निबन्धावलि (पृ० 169) रा० सां०-हिन्दी काव्य धारा)।

2. 1459

बि०सं० 1516

9, ज्येष्ठ बदि, बुधवार (रचना काल)। 'लखमसेन पद्मावति' रचयिता दामो। लिपिकाल 'स० 1669 वर्ष, माह 7। लिपि-स्थान : फूलखेडा। सवत पनरइ सीलोतरा मभारि, ज्येष्ठ बदि नवमी बुधवार। सप्त तारिका नक्षत्र दृढ़ जाणि, वीर कथारस करू बँलाण' दामो रचित लखमसेन पद्मावती स० नर्मदेश्वर चतुर्वेदी + प्रकाशित (परिमल प्रकाशन प्रयाग-2) प्रथम सं० 1959 ई०।

अब 1459 में 10 वीं बृहस्पतिवार ज्येष्ठ बदी की कोई रचना है तो 'लखमसेन पद्मावती' के उल्लेख के बाद इसी स्तम्भ में लिखी जायगी। पहले विक्रम संवत्, तब रचना-तिथि, ग्रन्थ का नाम, रचयिता का नाम तथा अन्य आवश्यक सूचनाएँ देकर नये प्रचट्टक से पुष्प या तारक (*) लगा कर सन्दर्भ सूचना दे दी जानी चाहिये।

प्रत्येक पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी अपने-अपने लिए ये कालक्रम तालिकाएँ बना सकते हैं, पर आवश्यकता इन बातों की है कि 'The Chronology of Indian History' की तरह समस्त पाण्डुलिपियों की 'कालक्रम तालिका' प्रस्तुत कर दी जाय। साथ ही दायीं और इतना स्थान छोड़ा रहे कि पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की सूचना यथा समय भर दी जाय, यथा : ऊपर (+) चिह्न के साथ प्रकाशन सूचना दी गयी है।

अध्ययन को, विशेष दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए, ऐसी सूचियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी जैसी एबल्सू० एम० कल्लेवार्ट (W.M. Callewaert) ने बेल्जियम के 'ओरियंटेलिया लोवनीनमिया पीरियोडिका' के 1973 के अंक में प्रकाशित करायी है और शीर्षक दिया है "सर्च फॉर मैन्सक्रिप्टस् ऑव द दादूपन्थी लिटरेचर इन राजस्थान"¹ अर्थात् राजस्थान में दादूपन्थी साहित्य के हस्तलेखों की खोज

इस 12 पृष्ठ के निबन्ध में छोटी-सी भूमिका में उन्होंने यह बताया है कि 'सबसे पहले स्वामी मंगलदास जी ने 77 दादूपन्थी लेखकों की व्यवस्थित सूची प्रस्तुत की जिसमें लेखकों के नाम, उनकी कृतियाँ और सम्भावित रचना-काल दिया।' फिर भी बहुत-से दादूपन्थी लेखकों के बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुए हैं। तब लेखक ने यह बताया है कि—

“इन पृष्ठों में राजस्थान, दिल्ली और वाराणसी में पाँच महीने की अवधि में उन्होंने जो शोध की उसके परिणाम दिये गये हैं। लेखक ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि

1. Callewaert, W. M.—Search for Manuscripts of the Dadu Panthi Literature in Rajasthan, *Orientalia Lovanicus Periodica* (1973-74).

इस सूची का यह दावा नहीं कि इसमें जितने भी सम्भव सग्रह हो सकते हैं, सभी का उपयोग कर लिया गया है। इस कथन से उम भ्रम को दूर किया गया है, जो सम्भवतः इस सूची को देखकर पैदा होता कि इस लेखक ने सूची ग्रन्थतन् पूर्ण कर दी है, अब और कुछ शेष नहीं रहा। वस्तुतः मानवीय प्रयत्नों की सामर्थ्य और सीमाओं के कारण ऐसा दावा कोई भी नहीं कर सकता कि ऐसी सूची उस विषय की अन्तिम सूची है।'

फिर लेखक ने यह भी इंगित कर दिया है कि इस सूची में दादू के शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये साहित्य का ही समावेश है, किसी अन्य की कृति का समावेश किया गया है तो यथास्थान उसका उल्लेख कर दिया गया है।

लेखक ने सूची में उन ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों का उल्लेख करना भी समीचीन समझा है जिनका मुद्रित रूप मिल जाता है। ऐसा उसने पाठालोचन के लिए उनकी उपयोगिता को दृष्टि में रख कर किया है।

यह सूचना भी उसने दी है कि सन्-संवत् की सख्या से ईस्वी सन् (A.D.) ही अभिहित है। प्रतिलिपि के कालक्रम से ही ग्रन्थ सूची तैयार की गई है।

इस सम्बन्ध में लेखक के पक्ष में हमें यह कहना है कि प्रतिलिपि-काल ग्रन्थिकीर्ण पाण्डुलिपियों में मिल जाता है, जब कि रचना-काल बहुत कम रचनाओं में प्राप्त होता है। यह बात संत-साहित्य के सम्बन्ध में सर्वाधिक सत्य है। अतः सूची बनाने में क्रम की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार प्रतिलिपि का काल ही हो सकता है। यो भी प्रतिलिपि-काल महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह काल यह तो सिद्ध करता ही है कि रचना इस काल से पूर्व हुई। यह काल ग्रन्थ की लोकप्रियता का भी प्रमाण होता है, और लिपि के तत्कालीन रूप की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

इसके बाद सग्रहों या सग्रहालयों की संकेत सूची दी गई है, क्योंकि सूची में ग्राने संकेताक्षरों से ही काम चलाया गया है। ऐसे 16 सग्रहों या सग्रहालयों के संकेताक्षर दिये गये हैं, यथा 'D.M.' : दादू महाविद्यालय, मोती डूंगरी, जयपुर।

जिन सग्रहों से यह सूची प्रस्तुत की गई है वे निम्न प्रकार के हैं

1. सत्याग्रो के सग्रह, जैसे-दादू महाविद्यालय का, दादूद्वारा नरना का, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा का, धनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर का, आदि।
2. ऐसी बड़ी सत्याग्रो के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग या कक्ष के सग्रह, यथा : NPM . यह संकेत काशी नागरी-प्रचारिणी सभा वाराणसी (Varanasi) के पुस्तकालय के 'मायाशंकर याज्ञिक संग्रह' के लिए है।
3. ऐसे महाग्रन्थ जिनमें ग्रन्थ संकलित हो, यथा . NAR, MG यह संकेताक्षर 'दादू द्वारा नरना' के महाग्रन्थ का द्योतक है।
4. ऐसी सूचियाँ जिनमें पाण्डुलिपियों का उल्लेख है : यथा : NPV. यह काशी नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (1900-55) I-II 1964 के संस्करण का द्योतक है। इस विवरण से भी दादूग्रन्थों ग्रन्थों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है।
5. व्यक्तियों के संग्रह, यथा : KT. यह संकेताक्षर है प० कृपाशंकर तिवारी, 1, म्यूजियम रोड, जयपुर के संग्रह के लिए है।

तब उन्होंने सूची से पूर्व ही उन स्रोतों का विवरण और दे दिया है, जिन्से बाहुपयी साहित्य का पता चल सकता है ।

अब सूची में उन्होंने पहले बायीं ओर लेखक या कवि का नाम दिया है, उसके साथ कोष्ठक में उसका अस्तित्व-काल दिया है और उसके सामने दाबे छोर पर भक्तमाल (राघवदास कृत) का उल्लेख उसकी उन पृष्ठों की संख्या सहित किया है, जिन पर इस कवि का विवरण है । जिन कवियों का उल्लेख उक्त भक्तमाल में नहीं है, उनके आगे यह संकेत नहीं किया गया ।

इस नामघोतक पक्ति के नीचे भिन्न टाइप में 'पुस्तक' या पाण्डुलिपि का नाम, उसके आगे सङ्क्षेप में छन्दों की गणना और यदि रचनाकाल उभरे है तो उसका उल्लेख । उसके नीचे संकेताक्षरों में उन संग्रहों का उल्लेख है, जिनमें यह ग्रंथ मिलता है । कोई अन्य ज्ञातव्य उसी के साथ कोष्ठक में दिया गया है ।

इस सूची की रूपरेखा की कुछ विगिष्ट बातें केवल निर्देशनाथ ही दी गयी है । पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी ऐसी सूचियाँ बनाते समय यह ध्यान में रखेगा ही कि सूची अधिकारिक वैज्ञानिक और उपयोगी बने । इसी दिशा-निर्देशन की दृष्टि से यहाँ इस सूची का एक उद्घरण देना भी समीचीन प्रतीत होता है

Jagannatha¹

Bh M. p 732-733.

Gunaganja nama (anthology of selections from 162 poets) DM 2, p. 521-536 (1676); 14 b, p 1-216; 17, p 329-450; 10 c; 14 b; NP 2521/1476, p. 1-48, p 2520/1475, p. 1-20, NAR 3/11; 4 p 316 ff, 7/2; 13/83, 23/10 (1761), VB 154/6, KT 500/SD

Mohamard raja ki Katha

VB 34, p. 575-79 (1653), DM 2, p. 329-332(1676), 24, p 376-382, 18, p 465 ff, 20. p. 401-406; 14, p. 78-84, c p 2987/4, 3028/12, 3657/6, 3714/3; KT 148(1675-1705); 399, p. 5-82; 495, 303, VB 4, p. 483-496; 74 p 521-526, 8, p 271-281, NAR 2/3, 19/14, 23,34, 29/21; PV 163, 588; 751. 664; NP 2346/1400, p. 56-68 has this work under the name of Jan Gopal. See the note in NPVI, p 254 on the different names of Jangopal.

Dattatreya ke 25 guruo ki lila

VB 14, p. 154-162; KT 205; p. 65-74(1653), see also Jangopal's work

Dohe--VB 4, passim, KT 477; AB 78, p. 148-160.

Pada--VB 12, p. 20(1684); KT, 331, 352, 122, 469; 566, 154, 240, 311.

The (complete ?) works of Jagannath are found in DM 3, p. 1-59; 1, p. 429-557; NAR MG p. 201-283. NP VI, p. 322.

1. Callewaert, W. M.—Search for Manuscripts of the Dadu-Panthi Literature in Rajasthan, *Orientalia Lovaniensia Periodica* (1973-74), p. 160.

Dayaldas (disciple of Jagannath)

Nasiket vyakhyan (completed in 1677)

VB 4, p. 390-451, NAR 2/2 ; 3/7; 5/5 ; DM 9, p. 447-469; 21, p. 329-357; 20, p. 453-481; 14, p. 131-165; 23, p. 362-388; VB 8, p. 331-400; KT. 486; SD: NPV 1, p. 407.

नकली पांडुलिपियाँ

पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को क्षेत्रीय अनुसंधान में जिस सबसे विकट समस्या का सामना करना पड़ता है वह नकली ग्रंथों की है। पाण्डुलिपियों के साथ यह नकली पाण्डुलिपियों की समस्या भी खड़ी होती है। तुलसीदास जी पर लिखे गये दो ऐसे ग्रंथ मिले थे, जिनके लेखकों ने दावा किया था कि वे गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य थे। एक ने सवत् एवं तिथि देकर उनके जीवन की विविध घटनाओं का उल्लेख किया था। इनसे कोई कोना अशकारमय नहीं रह जायगा। किन्तु अन्तरंग परीक्षा से बिहित हुआ कि उसमें सबकुछ कपोल-कल्पित है। पूरा का पूरा ग्रंथ किसी कवि ने दूसरे के नाम से रच डाला था, अतः नकली था, जाली था। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं।

स्व० डॉ० दीनदयाल गुप्त, भू०पू० अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी० लिट० की एक मौखिक परीक्षा के समय बाराणसी के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया था जो जाली हस्तलिखित पुस्तकें तैयार करने में दक्ष था। मुझे घाज उसका नाम स्मरण नहीं। किन्तु ऐसे व्यक्तियों का होना असम्भव नहीं। जहाँ पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं के ऋय-विक्रय के केन्द्र होते हैं वहाँ ऐसी जालसाजी के लिए बहुत क्षेत्र रहता है। अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं और नकल को असल बता कर व्यवसायी पूरी ठगाने करते हैं।

19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मध्य एशिया के 'खुत्तन' शहर में तो किमी ने हस्तलिपियों के निर्माण के लिए कारखाना ही बना डाला था। डॉ० भगवतीशरण उपाध्याय ने धर्मयुग, 8 मार्च, 1970 (पृष्ठ 23 एवं 27) के अंक में 'पुरातत्व में जालसाजी' शीर्षक निबन्ध में 'ग्रारेल स्टोइन' के आधार पर रोचक सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि 'खुत्तन और काशगर से एक बार जाली हस्तलिपियों की खरीदफरोकत का ताता बंधा और अग्रजी, रूसी तथा अनेक यूरोपीय सहकर्ताओं को जाली हस्तलिपियाँ पर्याप्त मात्रा में बेची गयी। यह इतनी दक्षतापूर्वक की गई जालसाजी थी कि "विद्वान् और अनभिज्ञ दोनों ही समान रूप से इस धोखे के शिकार हुए।" 'ग्रारिडर ग्रारेल स्टोइन' ने इस जालसाजी का पूरी तरह भंडाफोड़ किया। इस्लाम अखुन नाम के एक जालसाज ने तो प्राचीन पुस्तकों की तपत अंधिक देख कर एक कारखाना ही खोल दिया था। ग्रारेल स्टोइन महोदय के विवरण के आधार पर डॉ० भगवतीशरण उपाध्याय ने इस जालसाज इस्लाम अखुन द्वारा जालसाजी करने की कथा यों दी है

"अब इस्लाम अखुन द्वारा निर्मित 'प्राचीन पुस्तकों' की कथा सुनिये, अपनी पहली 'प्राचीन पुस्तक' इस प्रकार बनाई हुई उसने 1895 में मुंशी अहमद दीन को बेची। मुंशी अहमद दीन मैकार्नी की अनुपस्थिति में काशगर के असिस्टेंट रेजिस्ट्रार के दफ्तर की सम्भाल करने लगा था। वह पुस्तक हाथ से लिली गई थी और कोशिश इस बात की की गयी थी कि

इस कारखाने में बनी पहली पुस्तकों की तरह बसीट ब्राह्मी में लिखी असली हस्तलिपियों के कुछ टुकड़े वंदा-उदलिक में इब्राहीम को पहले कभी मिल गये थे और यह काम इन जालसाजों ने कुछ इस तरह किया था कि यूरोप के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ तक को भ्रासानी से सफलतापूर्वक धोखा दिया जा सकता था। यह डॉ० हेन्रि की 'मध्य-एशियाई पुरावस्तुधो की रिपोर्ट' से प्रमाणित है, जो पहले की सामग्री पर आधारित थी। यह 'पहले की सामग्री' इस्लाम ग्रन्थ के कारखाने में बनी अन्य वस्तुधो के साथ अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के हस्तलिपि-विभाग के जाली कागजात के अनुभाग में सुरक्षित है। इसी प्रकार की एक 'प्राचीन खतन की हस्तलिपि' की अनुलिपि (फैक्सिमिली) डॉ० स्वेन हेडिन की कृति 'ग्रंथ एशिया' के जर्मन संस्करण में सुरक्षित है जो इस्लाम इब्राहीम आदि की प्राधुनिक फँकड़ी में प्राचीन रूप में सम्पादित हुई।

काशगर में जालसाजी का यह बाजार गर्म होने तथा हस्तलिपियों की कीमत बर्गर मीनमेख के कल्पनातीत मित्ने से अन्यत्र के जालसाज भी बढ़ा जा पहुँचे। इनमें सरगना लहाख और कश्मीर का एक फरेबी बनरुद्दीन था। उसका काम तो बहुत साफ न था, पर 'प्राचीन पुस्तकों' की संख्या का परिमाण सहसा काफी बढ़ गया। चूँकि उन्हें खरीदने वाले यूरोपियन उन प्रक्षरों को पढ़ या उनका वास्तविक प्राचीन लिपि से मिलान नहीं कर सकते थे, अतः जालसाजों ने भी जानी प्रक्षरों का मूल से मिलान कर अपने करतब में सफाई लाने की कोशिश नहीं की।

हाथ से लिख कर फरेब से हस्तलिपियाँ बनाने का काम बड़ी मेहनत से सम्पन्न होता था। इसी से जालसाजी के उन माहिरों ने काम हल्का और धामान करने के लिए कारखाना ईजाद किया। अब वे लकड़ी के ब्लाको से बार-बार छापे मार कर पुस्तकों का निर्माण करने लगे। इससे उनके काम में बड़ी सुविधा हो गयी। इन ब्लाको को बनाने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि चीनी, तुर्किस्तान में लकड़ी के ब्लाकों से छपाई आम बात थी। 'प्राचीन पुस्तकों' की इस प्रकार से छपाई 1896 में शुरू हुई। नयी सिरजी लिपि की भिन्नता ने विद्वानों की कल्पना को जगाया और उसकी व्याख्या करने के लिए बड़े परिश्रम से उन्होंने नये फार्मूले रचे।

हस्तलिपि 'प्राचीन' बनाने में जिन उपायों का अवलम्बन किया जाता था, इस्लाम ग्रन्थ के उगका भी सराग दिया। 'ब्लाक-प्रिंट' यथवा हस्तलिपि तैयार करने के लिए कागज भी विशेष रूप में तैयार किया जाता था और विशेष विधि में उसे पुराना भी कर लिया जाता था। तुर्किस्तान कागज के उद्योग का प्रधान केन्द्र होने के कारण खुत्तन जालसाजों के लिए आदर्श स्थान बन गया था। कारण कि वहाँ उन्हें मनोवांछित प्रकार और परिमाण का कागज बड़ी सुविधा में प्राप्त हो सकता था। 'तोगरुगा' के जरिये कागज पहले पीले या हल्के ब्रून रंग में रंग लिया जाता था। तोगरुगा तोगरक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता था, जो पानी में डालते ही घुल जाता था और घुलने पर दाग छोड़ने वाला द्रव बन जाता था।

रंगे कागज के ताब पर जब लिख या छाप लिया जाता तब उसे घुँए के पास टींग दिया जाता था। घुँए के स्पर्श से उसका रूप पुराना हो जाता करता था। अनेक बार इससे कागज कुछ मुलस भी जाता था। जैसा कि कलकत्ते में सुरक्षित कुछ 'प्राचीन पुस्तकों' से प्रमाणित है। इसके बाद उन्हें पत्रबद्ध बाँध लिया जाता था। इस जिल्दसाजी

से जालमाजी का भण्डाफोड़ हो सकता था। क्योंकि उनमें कुछ ऐसे बन्धन आदि का प्रयोग होता था जिनसे उनके आधुनिक यूरोपीय सम्पर्क का जाहिर हो जाना भी अनिवार्य था। यद्यपि इसका राज भी नभी खुला जब इस्लाम अखुन ने अपना कसूर कबूल कर लिया और हकीकत बता दी। हस्तलिपि अथवा पुस्तक तैयार हो जाने पर उसके पन्नों में रेत झाड़ देते थे जिससे उनके रेगिस्तानी रेत में दीर्घकाल तक दबे रहने का आभास पैदा हो जाय। 1898 के बसंत में भारेल स्टाइन लिखते हैं, "जाली ब्लाक-प्रिंट जाँचने के पहले मुझे कपड़े के ब्रुश का इस्तेमाल करना पड़ा था। यह हस्तलिपि कश्मीर के एक संग्रहकर्ता के जरिये मुझे कश्मीर में ही मिली थी।"¹

यही हम श्री पूर्णन्दु बसु की पुस्तक 'Archives and Records : What are they ?' नामक पुस्तक से भी कुछ उद्धृत करना चाहेंगे। बसु महोदय ने तीसरे (III) अध्याय में लेखों के शत्रु (Enemies of Records) में रिकार्डों के प्रमुख शत्रु की गणना दी है कि "The are generally speaking time, fire, water, light, heat, dust, humidity, atmospheric gases, fungi, vermin." 'acts of God' and, last but not least, human beings" लेखों-अभिलेखों के शत्रुओं में उन्होने काल, अग्नि, जल, प्रकाश, गर्मी, धूप, आर्द्रता, वातावरणिक गैसें, फफूँद (fungi) तथा कीड़े-मकोड़ों के साथ-साथ मनुष्यों को भी प्रमुख शत्रु बताया है। अन्य शत्रुओं पर चर्चा करने के उपरान्त 'मनुष्य' के सम्बन्ध में लिखा है—

"Human beings can be as much responsible for the destruction of records as the elements or insects. I am not only referring to mishandling or careless handling the effects of which are obvious. There are cases of bad appraisal. It is evident that every scrap of paper produced or received in an office cannot be kept for ever—they are not sufficiently valuable to merit expenditure of money or energy for their preservation, by being retained they only occupy valuable space and obscure the more valuable materials. So at some stage a selection has to be made of the records that can be destroyed without doing any harm to either administration or scholarship. Bad appraisal has often led to the valuable record being thrown away and the valueless kept. Then there are people who may use the information contained in records to the detriment of government or of individuals. Again there are others who may wish to temper with the records in order to destroy or distort evidence. There are some who are either collectors of autographs and seals or are mere kleptomaniacs, and it is a problem to guard the record against them."²

इसमें हस्तलेखों के मानवीय शत्रुता के कारनामों का उल्लेख है। यह बताया गया है कि 1. वे हस्तलेखों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करके, 2. वे प्रश्नों-लेखों के उपयोग में

1. वर्षभूग (8 मार्च, 1970), पृ० 23 एम् 27।

2. Basu, Purnendu — Archives and Records : What are they ? , p. 33.

प्रमाद करते हैं, 3. वे महत्त्व को ठीक नहीं आँक (appraise) पाते, फलतः अभिलेखागारों में से कभी-कभी महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र नष्ट करवा दिये गए, रद्दी हस्तलेखों को सुरक्षित रखा गया। इससे सरकार को और व्यक्ति को भी हानि उठानी पड़ी है, 4. स्वाधियों ने साक्षी को नष्ट करने या बिगाड़ देने के लिए हस्तलेखों में जालसाजी की, 5. कुछ हस्ताक्षरों (autograph) और मुद्राओं (scal)/मुहरों के सङ्कलनकर्त्ता अभिलेखों में से उन्हें काट लेते हैं, कुछ को यो ही कतरनों का शौक होना है। ये सभी काम अभिलेखों के प्रति शत्रुता के काम हैं।

लेखों-अभिलेखों में हेरफेर करना भी जालसाजी है। यह जालसाजी बहुत घातक है। ऐसी ही एक जालसाजी की बात राजनरंगिणी के लेखक द्वितीय (तृतीय) जोन राज ने बताई है, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इसमें स्वयं जोन राज के साथ उस व्यक्ति ने भोज-पत्र पर लिखे भूमि के विक्रीनामा में जालसाजी करके सारी भूमि हड़प लेनी चाही थी। पर पहले विक्रीनामा पक्की स्याही से लिखा गया था बाद में जालसाज ने कच्ची स्याही से जाल किया था। फलतः पानी में भोजपत्र के डाल देने पर कच्ची स्याही धुल गयी और जाल सिद्ध हो गया। महाकवि भाम के बहुत-से ग्रन्थ कुछ वर्ष पूर्व मिले थे। एक विद्वान् ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि वे जानी है। ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी जानी वस्तुओं का अलग ही एक कक्ष बना दिया गया है।

अतः पांडुलिपि-विज्ञानविद् को पुस्तक की भ्रान्तरिक और बाह्य परीक्षा द्वारा यह प्राश्वस्त हो लेना आवश्यक है कि कोई पांडुलिपि जाली तो नहीं है।




पाण्डुलिपियों के प्रकार

प्रकार-भेद : अभिवायं

'पाण्डुलिपि' का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है, यह हम पहले के अध्यायों में देख चुके हैं। वस्तुतः विस्तृत अर्थ होने का अभिप्राय ही यह है कि उसके अन्तर्गत कितने ही प्रकारों का समावेश हो गया है। पाण्डुलिपि में विविध प्रकार के लिप्यासनों पर लिखी कृतियाँ भी आयेंगी, साथ ही वे ग्रंथ-रूप में भी हो सकती हैं और राज्यादेशों के रूप में भी, चिट्ठी-पत्री के रूप में भी, और भी कितने ही प्रकार के कृतित्व 'पाण्डुलिपि' में समावेशित हैं। अतः 'पाण्डुलिपि-विज्ञान' के क्षेत्र के सम्यक् ज्ञान के लिए उसके सभी प्रकारों और प्रकार-भेदों के आधारों से कुछ परिचित होना अभिवायं हो जाता है। यह प्रकार-भेद 'पाण्डुलिपि' के अभिप्राय-क्षेत्र के आधार पर किया गया है।

इन प्रकारों को एक दृष्टि में निम्नस्थ वृक्ष से समझा जा सकता है :




उक्त वृक्ष में हमने राजकीय क्षेत्र में भी ग्रंथ को एक प्रकार माना है, और लौकिक में भी। राजकीय क्षेत्र में भी ग्रंथ-रचना होती थी, इसमें सन्देह नहीं। स्वयं राजाओं ने ग्रंथ रचना की है। किन्तु इन वर्ग में ऐसे ही ग्रंथ रखने होंगे जिनका अभिप्राय राजकीय हो। राजा की विजय या उसकी प्रशस्ति विषयक ग्रंथ राजकीय योजनाओं पर ग्रंथ आदि।

लिप्यासन की दृष्टि से भी पाण्डुलिपियों के भेद होते हैं। लेखों की प्रासन की प्रकृति के अनुसार लेखनी/कलम से, टांकी से, कोरक से, सांचे से, छेनी से, यंत्र से लिखा जाता है।

* स्पृष्टि-सन्निधिका में उद्धृत बलिष्ठोक्ति कि 'लौकिक राजकीय' च लेख्य विद्यातू दिनक्षणं (स्युधहार 1.14)। इसी बलिष्ठोक्ति के आधार पर हमने भी यहाँ 'राजकीय' और 'लौकिक' दो भेद स्वीकार किये हैं।

पाण्डुलिपि-विज्ञान


पाषाणीय-शिलालेख



षट्शानीय शिलालेख का चित्र तथा शिलापट्टीय (विपुरांतकम् का)

बट्टानीय


'उम्रव गिलखर पुराण' दिगम्बर-जैन-सम्प्रदाय की कृति है। 1170 ई. की यह कृति उदयपुर क्षेत्र के भोलवाड़ा जिले में बिजीलियाँ गाँव की बट्टान पर खुदी हुई है।



रसिदा का पिडाकेस

शिलापट्टीय

सामान्य शिलालेख एक शिला-पट्ट पर लिखे जाते थे और उचित स्थान पर जड़ दिए जाते थे। पर बड़ी-बड़ी प्रशस्तियाँ और ग्रन्थ भी शिलापट्टों पर लिखे और जड़े मिलते हैं। राणा कुम्भा का लेख पाँच शिला-पट्टों पर लिखा (सोदा) हुआ कुम्भलगढ़ के कुंभ स्वामिन् या मामादेव के मन्दिर में जड़ा मिला है। मेवाड़ में राजसमुद्र जलाशय के पुस्तों पर 24



पुष्पगिरि शिलालेख

शिलापट्टों पर जड़ी हुई है 'राजप्रशस्ति', इसके 24 खंड हैं। इसके रचयिता है कवि रणछोड़। यह प्रशस्ति राणा राजसिंह के सम्बन्ध में है। राजा भोज परमार का प्राकृत भाषा का काव्य 'कूर्मशतक', मदन की संस्कृत कृति 'पारिजातमंजरी' (या विजयश्री नाटक), चाह्याण्य राजा विग्रहराज चतुर्थ (1153-64 ई.) का 'हर केलि नाटक' तथा उनके राजकवि सोमेश्वर कृत 'ललित-विग्रहराज नाटक' शिला-पट्टों पर खुदवाकर दीवारों में जड़वाये गए थे। इनके अंश अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

स्तम्भीय

स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण करने की पुरानी परम्परा है। सम्भवतः प्राचीनतम स्तम्भ लेख अशोक (272-232 ई. पू.) कालीन हैं। इन पर खुदे लेखों में इन्हें शिला-स्तम्भ कहा गया है। ये स्तम्भ निम्न प्रकार के मिलते हैं :



कालकुड का वीरस्तम्भ (पालिया)

स्तम्भ

1. शिलास्तम्भ	2. ध्वजस्तम्भ	3. जयस्तम्भ	4. कीर्तिस्तम्भ
	(जैसे—होलियो-डोरस का गरुडध्वज) मन्दिर के सामने खड़े किये जाते हैं और इन पर लेख भी रहता है।	किसी विजय पर किसी विजेता राजा की प्रशस्ति के लिए (जैसे समुद्रगुप्त का एरण का और यशोधर्मन का मगधसौर का)	किसी यशस्वी के पुण्य कार्य के लिए खड़ा किया जाता है। (क्रमशः)

5. बोर स्तम्भ

(गुजराती में जिन्हें
'पालिया' कहते हैं)
गाँव या नगर के किसी
बीर की युद्ध में मृत्यु
होने पर। इन पर
लेख भी रहते हैं।

6. सती स्तम्भ

ये सती होने वाली नारी
का स्मारक होता है।
इन पर भी लेख
मिलते हैं।

7. धर्मस्तम्भ

(बोटिच पिलर्स)
ये धर्म-स्थलों पर,
विशेषतः बौद्ध धर्म
के स्थलों पर
स-लेख मिलते हैं।



देवगिरि का सतीस्तम्भ (पालिया)



महाकुट का धर्मस्तम्भ

स्तम्भ

8. स्मृति स्तम्भ	9. छाया-स्तम्भ	10. यूप स्तम्भ
ये गोत्र या गोत्र शालिका भी कहे जाते हैं। अपने कुटुम्ब के किसी व्यक्ति की स्मृति में लखे किए जाते हैं।	इन स्मृति स्तम्भों पर स्मृत व्यक्ति की मूर्ति उकेरी रहती है।	(यज्ञोपरान्त बलि को बाँधने के लिए बनाये गए स्तम्भ) इन पर भी लेख मिले हैं।

9. मृष्यय—मृष्यय लेख कई रूपों में मिलते हैं, यथा—

1. ईंट पकायी हुई एवं कच्ची ईंट की सामग्री, दोनों प्रकार की प्रभूत मात्रा में मिली है—पकायी हुई ईंटों पर भी और बिना पकायी (कच्ची) ईंटों पर भी	2. घोंघे कभी-कभी मिट्टी की ईंटे न बनाकर उसके घोघे (मिट्टी को सानकर एक ढेर का आकार देकर ढीम के रूप में) उस पर लेख अंकित कर उसे पका लिया जाता था। धार्मिक मनीतियों के लिए विशेषतः ऐसे घोंघों पर लेख लिखे गए।	3. मुहर-मुद्रा ये मृष्युद्राएँ भी बहुत संख्या में मिली हैं। मोहन-जोदड़ो एवं नालंदा से मिली मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं।	4. घट घटों या उनके ढक्कनों पर भी लेख उत्कीर्ण हुए मिले हैं।
अन्ध ईंटों पर अन्ध भी लिखे गए। गिलगेश की गाथा ईंटों पर लिखी मिली, इसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं। भारत में कुछ बौद्ध-अथ ईंटों पर उभारे गए मिले हैं। कुछ राजाओं ने अश्वमेध युद्ध किए, जैसे—दाममित्र एवं शीलवर्मन् ने। इनके अश्वमेध सम्बन्धी अभिलेख ईंटों पर लिखे मिले हैं।	अभिलेख ईंटों पर अभिलेख तो अनगिनती मिले हैं।		

नालन्दा की मृगमय मुहर



मोहन नोदड़ो से प्राप्त मुहर



10. सीप, शंख, बीत, काण्ठ आदि—शत्रु पर, हाथीदांत की बनी मुद्राओं पर, लकड़ी की साटो या स्तम्भों पर भी अंकित लेख मिले हैं।

धातु-वस्तु—धातुओं में ताँबा सबसे अधिक प्रिय रहा है। इसके बने पत्रों पर उत्कीर्ण लेख पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और प्राचीन समय से मिलते हैं। कोई शासन ताम्रपत्र के एक ओर, कोई दोनों ओर लिखा होता था। कोई शासन कई ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। इन पत्रों को ताँबे के कड़े में पिरोकर एक घट या किसी पात्र में बन्द करके सुरक्षित रखा जाता था। ताम्रपत्रों पर कई प्रकार के लेख मिलते हैं :



ताम्र वस्तु

पत्र रूप	श्रुति	अन्य
अन्य	शासन	प्रशस्ति
	यन्त्र	

अन्य ताम्र वस्तुएँ, यथा—
चमचे पर (तल-शिला), दीपक पर (दीपक : जमालगढ़ में) कढ़ाही पर, आदि।

ह्वेनसांग ने बताया है कि कनिष्क ने बौद्ध-धर्म-ग्रंथ ताम्रपत्रों पर अंकित कराये। एक अनुश्रुति है कि सायण की वेदों की टीका ताम्रपत्रों पर अंकित करायी गयी थी।

तेलुगु में रचित 'तास्लपा कमबरी' कई ताम्रपत्रों पर अंकित तिरुपति में सुरक्षित है।



इसी तरह कास्य पीठिका (मूर्तिका), कास्य पिटक, कास्य फलक, कास्य मुद्राएँ भी मिली हैं, जिन पर लेख अंकित हैं।

लौह तुपक, लौह स्तम्भ (दिल्ली), लौह त्रिशूल (अचलेश्वर मन्दिर, झाड़ू) पर भी लेख मिले हैं।

पीतल के बहुत-से घण्टों पर, जो मन्दिरों में टंगे हैं, लेख हैं।

संक्षेप में, लिप्यासन के आधार से उपर्युक्त भेदों का सर्वेक्षण किया गया है। इनके विस्तृत विवरण यहाँ दिये जाते हैं।

पाण्डुलिपियों के प्रकार :

लिप्यासन भेद से—लिप्यासन कितने ही प्रकार के मिलते हैं। वृक्षों की छाल, वृक्षों के पत्ते, धातुओं के पत्तर, चमड़े, कागज, कपडा आदि पर ग्रन्थ लिखे गये हैं। जिन वस्तुओं को ग्रन्थ-लेखन के लिए उपयोग में लाया जाता था, या लाया जा सकता है उन्हें 'लिप्यासन' (लिपि + आसन) कहा जा सकता है। ताड़पत्र, कपडा, कागज आदि सभी लिप्यासन है; लिपि के आसन। लिपि-आसन के भेद से पुस्तक के प्रकार स्थापित किये जा सकते हैं। क्योंकि ग्रन्थ का प्रथम भेद लिप्यासन के आधार पर ही किया जा सकता है, जैसे ताड़पत्रीय ग्रन्थ, भोजपत्रीय ग्रन्थ आदि। ये ग्रन्थ प्रस्तर-शिलाओं पर भी लिखे जाते थे। ये वस्तुतः ग्रन्थ ही थे, अभिलेख-मात्र नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि शिलाओं पर अभिलेख तो बहुत-से मिले हैं। पर चाहे बहुत ही कम संख्या में हों, ग्रन्थ भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं।

पाषाणीय : प्रस्तर शिलाओं पर ग्रन्थ

हम समझते हैं कि पत्थर को लेखन-आधार के रूप में इतिहास के प्रस्तर-काल से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। मनुष्य ने जब सर्वप्रथम अपने भावों को इगित के प्रतिरिक्त ग्रन्थ प्रकार से व्यक्त करने का उपाय निकाला होगा, पत्थर से पत्थर पर चिह्न बना कर ही किया होगा। मूल रूप में यह प्रवृत्ति घब भी मनुष्यों में पाई जाती है। बिना पढ़े मजदूर आदि अपना हिस्सा जमीन पर या पत्थर के टुकड़ों पर पत्थर के ही ढोंके से आड़ी-सीधी लकीरे खींचकर लगा लेते हैं। अतः पत्थर-लेखन का आद्य आधार हो सकता है। बाद में तो पत्थर की शिलाओं को चिकनी बनाकर, स्तम्भाकार बनाकर, तथा उन पर हाशिया उभार कर सुन्दर प्रसरो को उत्कीर्ण करने की कला विकसित हुई है।

प्रस्तर शिलाओं पर किसी घटना की स्मृति, राजाज्ञा, प्रशस्ति आदि तो उन्हें चिरम्बायी बनाने के आशय से खोदे ही जाते थे परन्तु कतिपय काव्य एवं ग्रन्थ रचनाएँ भी शिलोत्कीर्ण रूप में पाई गई हैं। कोई-कोई प्रशस्ति भी इतनी विस्तृत और बड़ी होती है कि उसे बिद्वानों ने ऐतिहासिक काव्य की ही सजा दी है।

हनुमन्नाटक, (जिसको महानाटक भी कहते हैं) के टीकाकार बलभद्र ने लिखा है कि इसकी रचना बासुपुत्र हनुमान ने की और महर्षि वाल्मीकि को दिखाई। वाल्मीकि ने कहा कि उन्होंने तो इस कथा को रामावतार से पूर्व ही कविताबद्ध कर दिया था; तब हनुमान ने जिन शिलाओं पर अपनी रचना अंकित की थी उनको समुद्र-तल में रख दिया। बाद में धारा के राजा भोज को जब इसका पता चला तो उसने कुछ गोताखोरों को उन शिलाओं को निकालने के लिए नियुक्त किया परन्तु वे इतनी भारी थी कि उनको ऊपर लाना शक्य नहीं हुआ। तब यह उपाय काम में लाया गया कि गोताखोरों के सीने पर मधुमक्खियों का मल (अर्थात् शहद निकालने के बाद बचा हुआ मोम) लेप दिया गया। वे सागरतल में जाकर निर्देशानुसार उन शिलाओं का धालिगन करते। इस प्रकार शिलाओं पर लिखित ग्रन्थ की छाप उन पर उभर आती। बुद्धिमान राजा भोज द्वारा इस क्रम से उद्धार किये जाने पर काशीनाथ मिश्र ने इस नाटक को प्रवित किया। उसी के पुत्र बलभद्र ने इसकी टीका बनायी।

रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाभ्यो

निहितममृत सुवक्षया प्राग्महानाटकं यत् ।

सुमति मूपति भोजेनोद्धृतं तत्कमेण
ग्रथितमवलु विश्वं मिश्रकाशीश्वरेण ॥

इससे पता चलता है कि रचनाओं को प्रस्तर-शिलाओं पर अंकित कराने की प्रथा बहुत पुरानी है। भोजराज से पूर्व महानाटक की रचना हो चुकी थी अतः इसका शिलांकन ईसा की दसवीं शताब्दी में हुआ होगा। सम्भव है, इससे भी पूर्व हुआ हो। दूसरी बात यह है कि यद्यपि इन शिलाओं को प्रत्यक्ष तो नहीं देखा जा सका परन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि किसी बड़ी रचना के शिलोत्कीर्ण होने की यही सबसे पुरानी सूचना है।

राजस्थान में मेवाड़ प्रदेश के बिजोलियाँ ग्राम के पास एक जैन मन्दिर है, उसके निकट ही एक चट्टान पर 'उन्नत-शिलर पुराण' खुदा हुआ है। यह पोखाड़ सेठ लोलार्क द्वारा संवत् 1226 में खुदवाया गया था। इस चट्टान के पास ही एक दूसरी चट्टान पर उक्त मन्दिर से ही सम्बद्ध एक और लेख खुदा हुआ है जिसमें चाहमान से लेकर पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर तक पूरी बशावली उत्कीर्ण है और साथ ही लोलार्क सेठ के वंश का वर्णन भी दिया हुआ है।

इसी प्रकार अजमेर के प्रसिद्ध अढ़ाई दिन के भीपड़े से कुछ शिलाएँ प्राप्त की गई थी जो अब अजमेर के संग्रहालय में रखी हुई हैं। यह 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' नामक इमारत पहले बीसलदेव चौहान (विग्रहराज) द्वारा सस्थापित पाठशाला थी। इसमें उसी राजा के द्वारा रचित 'हरकेलि' नामक नाटक शिलोत्कीर्ण करके सुरक्षित किया गया था जिसकी दो शिलाएँ उक्त म्यूजियम में विद्यमान हैं। सोमेश्वर कविरचित 'ललित विग्रहराज नाटक' की दो शिलाएँ तथा चौहानों से सम्बन्धित एक और काव्य की एक शिला भी उसी संग्रहालय में मौजूद है।

राजस्थान में ही मेवाड़ के महाराणा कुम्भकर्ण की रचनाएँ भी शिलाओं पर खुदवाई गयी थीं जिनका नमूना उदयपुर के म्यूजियम में देखा जा सकता है। बाद में महाराणा राजसिंह (प्रथम) ने भी रणछोड भट्ट रचित 'राज-प्रशस्ति' नामक काव्य 24 शिलाओं पर खुदवाकर राजसमद सरोवर पर लगा कर चिरस्थायी बनाया।

धाराधीश्वर मुप्रसिद्ध विद्वान् राजा भोज ने भी अपने नगर में 'सरस्वती कण्ठाभरण' नामक पाठशाला स्थापित की थी। यह स्थान आजकल 'कमलमौला' नाम से जाना जाता है। उक्त पाठशाला में राजा भोज ने स्वरचित 'कूर्मशतक (प्राकृत) काव्य' और राजकवि मदन विरचित 'पारिजातमंजरी' नामक नाटिका को शिलोत्कीर्ण करवाया था।

ग्वालियर के पद्मनाथ देवालय (सास बहू का मन्दिर) में कछवाहा वंश का एक प्रशस्तिशतक शिलोत्कीर्ण है जो एक उत्तम काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस शतक में कच्छपघातवंशतिलक लक्ष्मण तत्पुत्र गोपगिरि (ग्वालियर) दुर्गाधीश्वर वज्रदामा से लेकर पद्मपाल नामक राजा तक का वर्णन है। इस राजा ने इस मन्दिर का निर्माण कराकर ब्राह्मणों को पुष्कल दान दिया था। शतक का कवि मणिकण्ठ था जो भारद्वाज गोत्रीय रामकवीन्द्र का पौत्र और गोविन्द कवि का पुत्र था। संवत् 1150 वि. में मणिकण्ठ सूरि की इस रचना के वर्णों को यशोदेव दिगम्बरार्क ने लिखा। इसकी रचना के संवत् 1149 का निम्न श्लोक में उल्लेख किया गया है :

एकादशस्थतीतेषु संवत्सर ऋतेषु च ।

एकोनपंचाशति च गतेष्वेतेषु विक्रमात् ॥107॥¹

धातु-पत्रों पर ग्रन्थ

‘वासुदेव हिंदि’ में प्रथम खण्ड में ताम्रपत्रों पर पुस्तक लिखवाये जाने का उल्लेख मिलता है ।

“इदरेण तवपत्तेमु तणुभेमु रायल क्लवण रएऊणं निहूलारसेणं तिम्मेऊण तंबभायणे पोत्थाओ पाक्खितो, निक्खितो, नयरबाहि दुग्वावेडमज्जे ।”²

पत्र 189

ग्रन्थ धातुघो, जैसे रोप्य, सुवर्ण, कास्य आदि के पत्रों पर लिखी गयी पुस्तकों का उल्लेख नहीं मिलता । हाँ, विविध यन्त्र-मन्त्र, विविध उद्देश्यों की पूति निमित्त ऐसे धातु-पत्रों पर ग्रन्थ लिखे जाते थे । पत्र धातु के मिश्रण से बने पत्रों पर भी ये लिखे जाते थे, इसी प्रकार ‘श्रष्टधातु’ के मिश्रण से बने पत्रों पर भी यन्त्र-मन्त्र लिखे जाते थे, पर इन्हें ‘पुस्तक’ या ग्रन्थ नहीं माना जा सकता ।³

मृण्मय

ईंट और मिट्टी (Clay) के पात्रों पर लेख

ईंटो और मिट्टी के बरतनों पर भी लेख लिखवाये जाते थे । इसके प्रमाण ईसा से पूर्व के मिलते हैं । मोहनजोदडो और हड़प्पा के उत्खननों में भी ऐसी ईंटें और मृण्मय-पात्र पाये गए हैं जिन पर लेख खुदे हुए हैं । मिट्टी के ढेलों (या घोंघों) पर मुहरे लगी हुई हैं । मिट्टी पर मुहर अंकित करने का रिवाज तो अभी 20-25 वर्ष पहले तक (सन् 1950 तक) राजस्थान के गाँवों में चालू था । जिन गाँवों में राजस्व, उत्पन्न हुए धन का बाँटा या हिस्सा लेकर बसूल किया जाता था वहाँ पर किसान के खेत में पैदा हुए भनाज की राशि के किनारों पर और बीच में भी मिट्टी को गीली करके उसके ढेले या घोघे बनाकर रख दिए जाते थे और उन पर लकड़ी में खुदी हुई मुद्रा का ठप्पा लगा दिया जाता था । इसे ‘चाँक’ कहते थे । लकड़ी के ठप्पे में प्रायः ‘श्रीरामजी’, ये चार अक्षर चार खानों में

र	रि
रि	र

उलटे खुदे होते थे जो मिट्टी के घोघे की परत पर सुलटे रूप में उभर कर आते थे । इस चाँक को लगाने वालों के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ नहीं तोड़ता था । इसे ‘कच्ची चाँक’ कहते थे । यह प्रायः ब्राज लगाकर कल तोड़ ली जाती थी क्योंकि भनाज घड़ों में भर-भर कर बाँटा जाता था और पूरे गाँव का बाँटा

1 अन्य सूचना

कि विजं यन्महीपसो भुनक्तिस्वाधित्तां महीम् ।

यस्य गीर्वाणमन्त्रीय मंत्री गौरोऽथवत् सुधीः ॥ 110 ॥

प्रशस्ति रियमुत्कीर्णा पद्मवर्णपद्मशिल्पिना ।

देवस्वामिमुलेन श्रीपचनाथ सुरालये ॥ 111 ॥

तथैव सिंहवाजेन मातुलेन चशिल्पिना ।

प्राप्तुवन्तु समुत्कीर्णान्येष्टरागियपार्षताम् ॥ 112 ॥

2. भारतीय जैन भ्रमण सङ्कति एवं लेखन कला, पृ० 27 ।

3. वही, पृ० 27 ।

एकत्रित होने पर तौल लिया जाता था। यदि एक-दो दिन बाद में तौलने का कार्यक्रम होता तो पक्की चाँक लगाई जाती थी। पक्की चाँक लगाने के लिए गीली मिट्टी में गोबर मिला दिया जाता था और उस गीले मिश्रण को अन्न की राशि के घेरे पर छिड़क कर उस पर चाँक का ठप्पा लगाया जाता था।

सम्भवतः मिट्टी पर लेख अंकित करने का यह प्रारम्भिक तरीका था। बाद में कच्ची ईंटों पर लेख कोर कर उन्हें पकाया जाने लगा। लम्बा लेख कई ईंटों पर अंकित करके पकाया जाता और फिर उनको क्रमात् दीवार पर लगा दिया जाता था। यह प्रथा बौद्धकाल में बहुत प्रचलित रही है। उनके धार्मिक सूत्र आदि ईंटों पर खुदे हुए मिले हैं। मथुरा के संग्रहालय में ऐसे नमूने देखे जा सकते हैं।¹

कुछ राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए। इनके विवरण ईंटों पर अंकित² कराये गए। देवी मित्र, दाममित्र एवं शीलवर्मन् के अश्वमेध यज्ञों के उल्लेख के ईंटों के अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख ईंटों पर अंकित करने के बाद अश्वमेध के चत्वरों में लगा दिए जाने थे। मृण्मय मुद्राएँ (Seal) बहुत मिली हैं। नालदा में मृण्मय घट (घड़े) विशेषतः मिले हैं। इन पर लेख अंकित है। इनका सम्बन्ध भी किसी धार्मिक कृत्य से रहा है।

लिपि विकास का अध्ययन करते हुए यह विदित होता है कि मेसोपोटामिया में उरुक या बर्का में 'उरुक युग' में ईंटों पर पुस्तकों लिखी मिली है। एक हजार ईंटें, क्यूनीफार्म या सूच्याकार लिपि में लिखी मिली है।³

पेपीरस

ईसा से कोई पाँच शताब्दी पूर्व ग्रीक (यूनानी) लोगों ने मिस्र से पेपायरस⁴ नामक

1. (अ) भारतीय प्राचीन लिपिमाता, पृ० 151।
2. बौद्ध धर्म के ईंटों पर लिखे गए ग्रन्थों के विवरण के लिए देखें—कनिंघम, ASR, Vol. I, p. 47, Vol II, पृ० 124 आदि।
3. बिर्जिर महोदय के ये शब्द हम सम्बन्ध में इयातव्य हैं —
 "The earliest extant written cuniform documents, consisting of over one thousand tablets and fragments, discovered mainly at Uruk in Warka, the Biblical Erech, and belonging to the 'Uruk period' of the Mesopotamian predynastic period, are enclosed in a crude pictographic script and probably sumerian language."
 —(Düringer, D —The Alphabet, p 41)
4. 'पेपायरस' एक बड़े या सरकण्डे की जालि का पीछा होता है जो इज्जती प्रदेश में बहुतायत से पैदा होता है। मिस्र में नील नदी के किनारे ब मुहाने पर इसकी लेती बहुत प्राचीन काल से होती थी। यह पीछा प्राय 5-6 फीट ऊँचा होता है और इसके दृष्टल साढ़े चार से नौ-साढ़े नौ इंच लम्बे होते हैं। इसकी छान से पतली चिन्तियाँ निकाल कर लेई आदि से चिपका लेते थे उसी से लिखने के लिए पत्र बनाते थे। पहले इन पत्रों को दवाचन रखा जाता था फिर अच्छी तरह सुखाया जाता था। सूख जाने पर हाथी-नाथ या गध के पोरान उन्टें चिपका बनाया जाता था, फिर विविध आकारों में काट कर लिखने के काम में लिया जाता था। इस तरह तैयार किये हुए लेखाधार लिप्यासन को योरोप वाले 'पेपायरस' कहते थे और इसी से पेपर शब्द बना है। पेपायरस के लम्बे-लम्बे लिये हुए खरटे मिस्र की कब्रों में बड़े-बड़े सन्दूकों में रखी लाथों के हाथों में या उनके शरीरों से लिपटे हुए मिलते हैं। जो लगभग ईसा से 2000 वर्ष तक पुराने हैं। इनके नष्ट न होने का कारण मिस्र की गरम और सूखी जलवायु है।

सरकंडे की छाल अपने यहाँ मँगाना शुरू किया था और उसी को लिखने के घासन के काम में लेते थे । फिर धीरे-धीरे योरोप में इसका व्यवसाय फैलने लगा और घरबों के शासनकाल में तो इटली आदि देशों में पेपायरस की खेती भी होने लगी और उनसे छाल निकाल कर लिखने की सामग्री बनायी जाने लगी । 704 ई. में घरबों ने समरकंद को जीत लिया और वहाँ पर ही सर्वप्रथम उन्होंने रुई और चिपडों से कागज तैयार करने की कला सीखी । इसके बाद दमिश्क (Damascus) में भी कागज बनने लगा । ईसा की नवीं शताब्दी में सबसे पहले कागज पर अरबी में ग्रंथ लिखे गए और घरबों द्वारा बारहवीं शताब्दी के आसपास योरोप में कागज का प्रवेश हुआ और पेपायरस का प्रचलन बन्द हो गया ।

चमड़े पर लेख

देवी पुराण में पुस्तक दान का उल्लेख है । उसमें ताडपत्र पर पुस्तक लिखवाकर उसे चर्म से सम्पुटित करने का विधान है—

श्री ताडपत्रके सञ्चे समे पत्रमुसञ्चिते ।

विचित्र काञ्चिकापाश्वं चर्मणा सम्पुटीकृते ॥

इससे ज्ञात होता है कि भारत में पुस्तक-लेखन के क्रम में चर्म का भी उपयोग होता था परन्तु बहुत कम क्योंकि यहाँ ताडपत्र और भूर्जपत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे । वैसे ब्राह्मणों और जैनों में चर्म का स्पर्श वजित भी माना गया है । बौद्ध ग्रन्थों में अवश्य ही चमड़े को भी लेखन-सामग्री में गिनाया गया है । जिस प्रकार कवि सच्चाट कालीदास ने हिमालय के वर्णन में (ऋ स) किन्नर सुन्दरियों द्वारा भूर्जत्वच पर घातुरस (गेरु) में लिखे गए प्रेमपत्रों की उपमा बिन्दु-मण्डित हाथों की मूँट से दी है उसी प्रकार मुबन्धुकृत 'वासवदत्ता' नाम की आख्यायिका में भी रात्रि में काले आकाश में छिटके हुए चाँद-तारों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आकाश अंधेरे रूपी काले रंग (मथी) से रंगे हुए चर्मपत्र के समान है जिस पर विधाता विश्व का हस्ताक्षर लगा रहा है और संसार की शून्यता के कारण चाँदरूपी खडिया के टुकड़े से उस पर ताराक्षरी शून्य बिन्दुएँ अंकित कर रहा है ।¹

“विश्व गणयतो विधातुः शक्तिकाठिनीखण्डेन तमोमपीश्यामेऽजिन इव विद्यति नसारस्यातिशून्यत्वाच्छून्य बिन्दव इव ।”

डॉक्टर वूल्फर को भी जैससमेर के बृहद् ज्ञान-भण्डार में हस्तलिखित ग्रन्थों के साथ कुछ चर्मपत्र मिले थे जो पुस्तकें लिखने अथवा उनको आविष्टित करने के लिए ही अंकित किये गए थे ।²

परन्तु यह सब होते हुए भी भारत में लेखन के लिए चर्मपत्र का प्रयोग स्वल्प मात्रा में ही होता था । यूनान, अरब, योरोप और मध्य एशिया आदि स्थानों में लिखने के लिए चर्मपत्र का प्रयोग बहुधा पाया जाता है ।³ सोक्रेटीज (मुकरात) से जब पूछा गया—“आप

1. भारतीय प्राचीन लिपिमात्रा, पृ० 147 ।
2. ग्रूहर्स इन्सक्रिप्शन रिपोर्ट, पृ० 95 ।
3. पार्थसेण्ट चमड़े से ही बना होता है ।

पुस्तकें क्यों नहीं लिखते ?” तो उस प्रसिद्ध दार्शनिक ने उत्तर दिया—“मैं ज्ञान को मनुष्य के मजीब हृदय से भेड़ों की निर्जीव खाल पर नहीं से जाना चाहता हूँ।” इससे विदित होता है कि वहाँ भेड़ों का चमड़ा लिखने के काम में लाया जाता था।

आरम्भिक इस्लामी काल में चमड़े पर लिखने की प्रथा थी। कुरान की प्रतियाँ शुरु में अरबी में मृगचर्म पर ही लिखी जाती थी। ग्यारहवीं शताब्दी तक इसका खूब चलन रहा। पैगम्बर और खैबर के यहूदियों का सन्धिपत्र और किसरा के नाम पैगम्बर का पत्र भी चमड़े पर ही लिखे गए थे।

मिस्र में किरास (छत) में बाँस के डण्ठलों से कागज बनाया जाता था और इसी पर लिख कर खलीफा की आज्ञाएँ संसार-भर में भेजी जाती थीं। कुरान में भी करातीस कागज बनाने का उल्लेख मिलता है (सूर : 6, 96)। मिस्र में बने इस बाँस के कागज में बछड़े की चमड़ी की भित्ती लगाई जाती थी, इस विधि से बने कागज पर लिखे हुए अक्षर सहज में मिटाये नहीं जा सकते थे।

ईरान में भी चमड़े पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। इस चमड़े को अंग्रेजी में ‘पार्चमेंट’ कहते थे। पञ्जाबी भाषा में खाल का वाचक ‘पुस्त’ शब्द है। ईरानियों के सम्पर्क से ही यह शब्द धीरे-धीरे भारत में आ गया और यहाँ की भाषा में ब्याप्त हो गया। परन्तु ईसा की पाँचवीं शताब्दी से पहले इसका प्रयोग भारतीय भाषा में नहीं पाया जाता। पाणिनि, पतञ्जलि, कालीदास और अश्वघोष की कृतियों में ‘पुस्तक’ शब्द नहीं पाया जाता। बौद्ध साहित्य में भी ‘पुस्तक’ का कहीं पता ही नहीं चलता। अमरकोष में भी यह शब्द नहीं आता। हाँ, बाद के कोषों में ‘पुस्त’ शब्द लेप्यादि शिल्प कर्म का वाचक बताया गया है। ‘पुस्त शोभाकर कर्म’—हलायुध कोष।

मृच्छकटिक में पुस्तक शब्द का प्राकृत रूप ‘पोरथम या पोथा’ मिलता है। इसी से पोथी शब्द भी बना है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों ही रचनाओं में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया है। कादम्बरी में ऋषिडका देवी के मन्दिर के तमिल देशवासी पुजारी के वर्णन में लिखा है—“धूमरकालक्तकाक्षरतालपत्रकुहकतन्त्रमन्त्रपुस्तिकासग्राहिणा” अर्थात् उस पुजारी के पास कज्जल और लाल अलक्तक से बनी स्याही से तालपत्र पर लिखी तन्त्र-मन्त्र की पुस्तकों का संग्रह था। इससे विदित होता है कि उस समय तक तालपत्रों पर रंग-बिरंगी स्याहियों से लिखने की प्रथा भी चल चुकी थी। इसी पुजारी के वर्णन में कपड़े पर लिखित दुर्गा-स्त्रोत का भी उल्लेख है। हरे पत्तों के रस और कोयले से बनी स्याही को सीपी में रखने का भी रिवाज उस समय था (हरित-पत्र-रसांगारमधीमलिनशम्भूकबाहिना)। ताड़पत्रीय ग्रन्थ

भारत में प्राचीन काल की अधिकतर हस्तलिपियाँ ताड़पत्रों पर ही मिलती हैं। ताड़ या ताल वृक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक खरताड़ और दूसरा श्रीताड़। गुजरात, सिंध और राजस्थान में कहीं-कहीं खरताड़ के वृक्ष हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लम्बे-चौड़े होते हैं। ये सूखकर तड़कने भी लग जाते हैं और कच्चे तोड़ लेने पर जल्दी ही सड़ या गल जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग पोथी लिखने में नहीं किया जाता। श्रीताड़ के पेड़ दक्षिण में मद्रास और पूर्व में बङ्गा आदि देशों में उगते हैं। इन पेड़ों के पत्ते अधिक लम्बे, लचीले और कोमल हैं। ये पत्ते 37 इंच तक लम्बे होते हैं। कभी-कभी इससे भी अधिक परन्तु इनकी चौड़ाई 3 इंच या इसके लगभग ही होती है।

ताड़पत्रों को उबालकर उन्हें शंख या कीड़ी से रगड़ा या घोंटा जाता था जिससे वे बिकने लगे जाते थे। फिर लोहे की कलम से उन पर कुरेदते हुए अक्षर लिखे जाते थे। तदन्तर उन पर स्याही लेप दी जाती थी जो कुरेदे हुए अक्षरों में भर जाती थी। यह तरीका दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित था। उत्तर भारत में प्रायः ताड़पत्रों पर स्याही से लेखनी द्वारा लिखा जाता था। संस्कृत में 'लिप्' धातु का अर्थ कुरेदना होता है। स्पष्ट है कि ताड़पत्रों पर पहले कुरेदकर लिखा जाता था। अतः लिखने का अर्थ हुआ—कुरेदना। अतः इस क्रिया का नाम लेखन या लिखना हुआ है। 'लिप्' धातु का अर्थ है—लीपना। ताड़पत्र पर अक्षर कुरेद कर उन पर 'स्याही लेपन' के कारण निवि शब्द का प्रयोग भी चालू हुआ।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ताड़पत्रों की चौड़ाई प्रायः 3 इंच की होती है। ऐसा लगता है कि बाद में, जैसे बाँस से कागज बनाए जाते थे, वैसे ही तालपत्रों को भी भिगाकर या गलाकर उनकी लुगदी बना कर और बाद में कूट-पीटकर अधिक चौड़ाई के पत्रों का निर्माण किया जाने लगा। ऐसा पूर्वोक्त दोनों में होता था। महाराजा जयपुर म्यूजियम में महाभारत के कुछ पर्व ऐसे ही पत्रों पर बग लिपि में लिखे हुए हैं जिनका लिपि सन् लक्षण सेन वर्ण में है। इसी प्रकार मोटाई अधिक करने के लिए तीन या चार पत्रों को एकत्र सीकर उन पर लिखा जाता था। ऐसा करने में पुस्तक में अधिक स्थिरता आ जाती थी। ऐसे ग्रन्थ बर्मा या ब्रह्मा देश में अधिक पाए जाते हैं।

ताड़पत्रों के लिए गर्म जलवायु हानिकारक है, इसीलिए अधिक मात्रा में लिखे जाने पर भी ताड़पत्रीय ग्रंथ दक्षिण भारत में कम मिलने हैं। काश्मीर, नेपाल, गुजरात व राजस्थान आदि ठण्डे और सूखे प्रदेशों में अधिक सहज में मिलते हैं। नेपाल की जलवायु को इन ग्रन्थों के लिए आदर्श बताया गया है।

कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसी ताड़पत्रीय प्रति के बीच में से कोई पत्र जीर्ण हो गया या टूटित हो गया है तो उसी आकार-प्रकार का कागज पर उस पत्र पर लिखित अक्षरों की प्रतिलिपि करके बीच में रख दी गई है। परन्तु तालान्तर में प्राण-नाम के ताड़पत्र तो बचे रह गये और वह कागज जीर्णशीर्ण हो गया। इसी-कभी सुरक्षा की दृष्टि से ताड़पत्रों के बीच-बीच में हल्के पतले कपड़े की परतें रखी गईं—परन्तु उनको भी ताड़पत्र खा गया, यही नहीं ताड़पत्रीय प्रति पर बाँधा हुआ कपड़ा भी विवर्ण और जीर्ण हो जाता है। इसमें जात होता है कि कपड़े, कागज और ताड़पत्र का मेल नहीं बैठता। ताड़पत्र कागज और कपड़े पर विनाशकारी प्रभाव ही पड़ता है। उनीलिपि प्रायः ताड़पत्रीय प्रतियाँ बर्मा में न बांध कर मुक्त रूप में ही रखा जाती हैं।

ताड़पत्र पर लिखित जो प्राचीनतम प्रतियाँ मिली हैं वे पाण्डुपत मत के आचार्य रामेश्वरध्वज कृष्ण 'कुमुदाञ्जलिटीका' और 'प्रबोधसिद्धि' हैं, इनका लिपिकाल ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी बताया जाता है।¹ इसी प्रकार डॉ० लूइस ने अपने (Kienene Sanskrit Text Pant) में एक नाटक के टूटित अक्षरों को छपवाया है जिसकी ताड़पत्र पर दूसरी शताब्दी में लिखी प्रति का उल्लेख है। यह ताड़पत्र पर स्याही से लिखी प्रति है। जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की संख्या 66 के पृ. 218

पर प्लेट 7, संख्या 1 में a से i तक एक संस्कृत ग्रंथ के टुकड़े छपे हैं जो श्री मकाटं ने काभगर से भेजे थे। ये ईसा की चौथी शताब्दी में लिखे हुए माने गये हैं। जापान के होरियूजि मठ में दो बौद्ध ग्रंथ रखे हुए हैं जो मध्य भारत से ले जाये गये हैं। यह 'प्रज्ञापरमिताहृदयसूत्र' और 'उज्जीवविजयधारिणी' की पुस्तकें हैं, ये ईसा की छठी शताब्दी में लिखी गयीं हैं। नेपाल के ताडपत्रीय ग्रन्थ संग्रह में 'स्कन्दपुराण' (7 वीं शताब्दी में लिखित) और 'लकावतार' (906-7 ई. में लिखित) की प्रतियाँ सुरक्षित हैं। कंबोज के ग्रन्थ-संग्रह में प्राप्त 'परमेश्वर तन्त्र' भी ताडपत्र पर ही लिखित है और यह प्रति हर्ष संवत् 252 (859 ई.) की है। राजस्थान में जैसलमेर के ग्रन्थ-भण्डार अपने प्राचीन ग्रन्थ-संग्रह के लिए सर्वविदित हैं। इनमें से जिनराजसूरीश्वर के शिष्य जिनभद्रसूरि द्वारा स्थापित बृहद्भण्डार का 1874 ई. में डॉ० क्लूजर ने प्रबलोकन करके 1160 वि. की लिखी हुई ताडपत्रीय प्रति को उस संग्रह की प्राचीनतम प्रति बतलाया है। इसके पश्चात् 1904-5 ई. में हीरालाल हंसराज नामक जैन पण्डित ने दो हजार दो सौ ग्रन्थों का सूची-पत्र तैयार किया। उनी वर्ष अंग्रेज सरकार की ओर से प्रोफेसर श्रीधर भाण्डारकर भी जैसलमेर गये। उन्होंने अपनी विवरणी में जैन पण्डित की सूची के ही आधार पर संवत् 924 की लिखी तालपत्र प्रति को प्राचीनतम बताया। परन्तु बाद में सी. डी. दलाल द्वारा अनुसंधान करने पर संवत् 1130 में लिखित 'तिलकमञ्जरी' और 1139 में लिपिकृत 'कुवलयमाला' की ही प्रतियाँ प्राचीनतम प्रमाणित हुईं। इन संग्रह में अर्वाचीनतम ताडपत्रीय प्रति 'सर्वसिद्धान्त विषमपदपर्याय' नामक प्रति संवत् 1439 वर्ष में लिखित है। परन्तु जैसलमेर के ही दूसरे तपागच्छ ग्रन्थ भण्डार में 'पञ्चमीकहा' ग्रन्थ की प्रति 1109 वि. की लिखी हुई है जो बृहद् भण्डार की प्रति से भी प्राचीन है। इसी प्रकार हरिभद्रसूरि कृत 'पचाशको' की संवत् 1115 में लिखित प्रति भी इस भण्डार में विद्यमान है। जैसलमेर में डूंगरजी-यति-संग्रह और याहूरुसाहू भाण्डायार नामक दो संग्रह और हैं किन्तु इनमें उक्त भण्डारी की अपेक्षा अर्वाचीन ग्रन्थ हैं।¹

गुजरात के खम्भात के शांतिनाथ ज्ञान भण्डार में भी संवत् 1164 में लिखित 'जीवसमासवृत्ति' और 1181 संवत् में लिखित मुनिचन्द्रसूरि रचित 'धर्माबिन्दुटीका' की प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हैं।²

भाण्डारकर ओरियण्टल रिमर्च इंस्टीट्यूट, पूना में 'उर्ध्वमति भवप्रपञ्च कथा' नामक जैन ग्रन्थ की 178 पन्नों की ताडपत्रीय प्रति उपलब्ध है जो विक्रम संवत् 962 (905-6 ई.) में लिखी गई है। इस ग्रन्थ की भाषा संस्कृत है।

भूर्जपत्रीय (भोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ)

भूर्जपत्र से तात्पर्य है भूर्ज नामक वृक्ष की छाल। यह वृक्ष हिमालय प्रदेश में बहुतायत से होता है। इसकी भीतरी छाल कागज की तरह होती है, उनी को निकालकर बहुत प्राचीन समय से लिखने के काम में लिया जाता था। भले ही लेखन का प्रथम अभ्यास पत्थरों पर हुआ हो पर आवश्यक ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लिखने की प्रथा

1. जैसलमेर-भाण्डायारीय-ग्रन्थानां सूचीपत्रस्य प्रस्तावना—लालचन्द्र भगवानदास गोधी, 1923 ई०।
2. श्री खम्भात, शांतिनाथ - प्राचीन ताडपत्रीय, जैन ज्ञान भण्डार मुं सूचीपत्र, सूचीकृता—श्री विजय-कुमुद सूरि।

का वह प्रचलन पहले पत्र या पत्तों पर ही लिखने से हुआ होगा, क्योंकि पत्ते से ही लिखित 'पत्र' शब्द की उत्पत्ति हुई और बाद में जिस किसी आधार पर लिखा गया वह भी पत्र ही कहलाया। लिखी हुई भूर्ज की छाल, छाल होते हुए भी पत्र ही कहलाती है और फिर इसका नाम ही भूर्जपत्र पड़ गया। इसमें भी सन्देह नहीं कि भूर्जपत्र पर लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। यह छाल कमी-कमी 60 फुट तक लम्बी निकल जाती है। इसको लेखक आवश्यकतानुसार टुकड़ों में काटकर विविध आकार प्रकार का कर लेते थे और फिर उस पर तरह-तरह की स्याही से लिखते थे। चिकना तो यह अपने आप ही होता है। मूल रूप में यह छाल एक ओर से अधिक चौड़ी और फिर क्रमशः सँकड़ी होती जाती है और हाथी की सूँड की तरह होती है। कवि कालिदास ने अपने 'कुमार सम्भव' काव्य के प्रथम सर्ग (श्लोक 7) में हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है :

न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र

भूर्जत्वक्ः कुञ्जरबिन्दुशोणाः ।

व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणा

मनगलेख क्रियोपयोगम् ॥ (1.7)

इस श्लोक में 'भूर्जत्वक्', 'धातुरस' और 'कुञ्जरबिन्दुशोणाः' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। हिमालय में उगने वाले वृक्ष की प्रधानता, उसकी त्वक् अर्थात् छाल का लेखक्रियोपयोग, धातुरस से शोण अर्थात् लाल स्याही का प्रयोग और उस मूल रूप में भूर्ज की छाल का लिखे जाने के बाद अक्षरों से युक्त होकर बिन्दुयुक्त हाथी की सूँड के समान दिखाई देना— इसके मुख्य सूचक भाव हैं।¹

कालिदास का समय यद्यपि पण्डितों में विवादास्पद है परन्तु ईसा की दूसरी शताब्दी से इधर वह नहीं आता, अतः यह तो मान ही लेना चाहिए कि लिखने की क्रिया का उस समय तक बहुत विकास हो चुका था और 'भूर्जत्वक्', जो पत्र लेखन के काम आने के कारण भूर्जपत्र कहलाने लगा था, काफी प्रचलित हो चुका था। अलबेरी ने भी अपनी भारत यात्रा विवरण में 'तूख की छाल' पर लिखने की सूचना दी है।

भूर्जपत्र पर लिखी हुई पुस्तकें या ग्रन्थ अधिकतर उत्तरी भारत में ही पाये गए हैं विशेषतः कश्मीर में। भारत के विभिन्न ग्रन्थ संग्रहालयों में तथा योरप के पुस्तकालयों में जो प्राचीन भूर्जपत्र पर लिखित ग्रन्थ सुरक्षित हैं वे प्रायः काश्मीर से ही प्राप्त किये गए हैं। खोतान में 'धम्मपद' (प्राकृत) का कुछ ग्रन्थ भूर्जपत्र पर लिखा हुआ मिला है, यही भूर्जपत्र का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। इसका लिपिकाल ईसा की दूसरी शती आँका गया है। दूसरा ग्रन्थ 'मयुक्तागममूत्र' बौद्ध-ग्रन्थ भी डॉ. स्टाइन को खोतान में खोज निकाला गया है। यह ग्रन्थ ईसा की चौथी शताब्दी का लिखा हुआ है। मिस्टर बाबर को मिली पुस्तकों का उल्लेख बाबर पाण्डुलिपियाँ (Bower Manuscripts) नामक पुस्तक में है। वे पुस्तकें भी ईसा की छठी शताब्दी के लगभग की हैं और बख्तखानी का अंकगणित 8वीं शताब्दी का है।² ये पुस्तकें स्तूपों और पत्थरों के बीच में रखी होने से इतने दिन

1. बाकुल्ल नाटक में भी बाकुलला दुष्यन्त को प्रेमपत्र लिखते समय कहती है—“लिखने के साधन नहीं हैं तो सचियाँ मुझसे बेनी हैं कमलिनी के पत्ते पर नहीं से बड़ाकर शब्द बना दो।” यह लेखन का नियमित साधन नहीं अपितु, तात्कालिक साधन है।
2. भारतीय प्राचीन लिपिशास्त्र, पृ० 144।

टिक सकी हैं अन्यथा खुले में रहने वाली पुस्तक तो 15वीं या 16वीं शताब्दी से पहले की मिलती ही नहीं हैं। ताड़पत्र पर तो अब भी कोई-कोई ग्रंथ लिखा जाता है परन्तु भोजपत्र तो अब केवल यन्त्र-मन्त्र या ताबीज आदि लिखने की सामग्री होकर रह गया है। इस पर लिखे हुए जो कई ग्रंथ मिलते भी हैं वे भी प्रायः धार्मिक स्तोत्रादि ही हैं। राजस्थान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह में 'दुर्गासप्तशती' की एक प्रति सुरक्षित है। वह 16वीं शताब्दी की (राजा मानसिंह, धामेर के समय की) है। इसी प्रकार महाराजा जयपुर के संग्रहालय में भी एक-दो पुस्तकें हैं जो 16वीं शती से पुरानी नहीं हैं। ताड़पत्र और कागज की अपेक्षा भूजपत्र कम टिकाऊ होता है।

सन् 1964 ई में विश्व-प्राच्य-सम्मेलन के अवसर पर 'राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली' द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में तक्षशिला से प्राप्त भूजपत्र पर ब्राह्मी-लिपि में लिखे कुछ पांडुलिपीय पत्र प्रदर्शित किये गए थे, जो 5वीं-6ठी शताब्दी के थे। इसी प्रदर्शनी में 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' (National Archives of India) से प्राप्त "भैवज्यगुरुबैदूर्य-प्रभामुत्र" नामक बौद्ध-धर्म-ग्रंथ की प्रति भी भूजपत्र पर गुप्तकालीन लिपि में लिखित देखी गई जो 5वीं-6ठी शताब्दी की है।

सांचीपातीय

भूजपत्र की तरह आसाम में अग्रवृक्ष की छाल भी ग्रंथ लिखने और चित्र बनाने के काम में आती थी। महत्त्वपूर्ण ग्रंथों, विशेषतः राजाओं और सरदारों के लिए लिखे जाने वाले ग्रंथों के लिए इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता था। इस छाल को तैयार करने का प्रकार थम-माध्य और जटिल-मा होता है। पहले, कोई 15-16 वर्ष पुराने अग्रवृक्ष को चुन लेते हैं। इसके तने की परिधि 30 से 35 इंच तक होती है। जमीन से कोई 4 फीट की ऊंचाई पर स छाल की पट्टियाँ उतार लेते हैं जो कभी-कभी 6 से 18 फीट लम्बी और 3 से 27 इंच तक चौड़ी होती हैं। इन पट्टियों का भीतरी अर्धात् सफेद भाग ऊपर रख कर तथा बाहरी अर्धात् हरे भाग को अन्दर की तरफ रखकर गुलिया लेते हैं। फिर इनको सात-आठ दिन तक घूप में सुखाते हैं। इसके पश्चात् इनको किसी लकड़ी के पट्टे अथवा अन्य दृढ़ आधार पर फँलाकर हाथ से रगड़ते हैं जिससे इनका खुरदरापन दूर हो जाता है। तद्परांत इनको रात भर ओस में रखते हैं और प्रातः छाल की ऊपरी सतह (निहागी) को बहूत सावधानी से उतार लेते हैं। इस शुद्ध छाल के 9 से 27 इंच लंबे और 3 से 18 इंच चौड़े टुकड़े सुविधानुसार काट लिए जाते हैं। कोई एक घण्टे तक ठण्डे पानी में रगड़ कर इन पर क्षार (Alkali) छिड़कते हैं, फिर चाकू से इनकी सतह को खुरचते हैं। इसके बाद इस नरम सतह पर पकी हुई ईंट घिसते हैं जिससे रूढ़-सहा खुरदरापन भी दूर हो जाता है। अब इन टुकड़ों पर माटीमह (माटीमाता) से तैयार किया हुआ लेप लगाते हैं और फिर हरताल (पीले रंग) से रंग लेते हैं। घूप में सुखाने के बाद ये अंगर की छाल के पत्र सगमरमर की तरह चिकने हो जाते हैं और लेखन तथा चित्रण के योग्य बन जाते हैं।

इन पत्रों की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई विभिन्न प्रकार की होती हैं। दो फीट लम्बे और लगभग 6 इंच चौड़े टुकड़े पवित्र धार्मिक ग्रंथों की प्रतियाँ तैयार करने के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। ऐसी प्रतियाँ प्रायः राजाओं और सरदारों के लिए निमित्त होती थी। लिखित पत्रों पर संख्यासूचक अंक दूसरी ओर 'श्रीः' अक्षर लिखकर अंकित किया

आता था। प्रत्येक पत्र के मध्य में बाँधने की डोरी पिराने के लिए एक छिद्र बनाया जाता था। लिखित पत्रों से अपेक्षाकृत मोटे पत्र सुरक्षा के लिए प्रति के ऊपर-नीचे लगाए जाते थे। कभी-कभी लकड़ी के पट्टे भी इस कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। इन मोटे पत्रों पर ग्रथ के स्वामी और उसके उत्तराधिकारियों के नाम लिखे जाते थे अथवा उनके जीवन में अथवा परिवार में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी लेख कभी-कभी अंकित किया जाता था। इन अतिरिक्त पत्रों को 'बेटी पत्र' कहते हैं (आसाम में 'बेटी' शब्द दासी-पुत्री के रूप में प्रयुक्त होता है)। बाँधने का छिद्र प्रायः दाएँ हाथ की ओर मध्य में बनाया जाता था और इसमें बहुत बड़िया मुगा अथवा एण्डी का धागा पिरोया जाता था जिसको 'नाडी' कहते थे। 18वीं शताब्दी में लिखे गए शाही ग्रथों में ऐसे छिद्रों के चारों ओर बेल-बूँटे और फारसी डंग की सजावट तथा कभी-कभी सोने का काम भी दिखाई देता है।

लिखने तथा चित्रित करने से पूर्व इन पत्रों को चिकना और मुलायम बनाने के लिए प्रायः 'माटीमाहू' का ही लेप किया जाता है परन्तु कभी-कभी बतख के अण्डे भी काम में लाये जाते हैं। हस्ताल का प्रयोग पत्रों को पीला रंगने के लिए तो करने ही है, साथ ही यह कुमि नाशक भी है। जब प्रति तैयार हो जाती है तो वह गन्धक के धुएँ में रखी जाती है, इससे यह विनाशक कुमियों से मुक्त हो जाती है। आहोम के दरबार में हस्तप्रतियों दस्तावेजों, मानचित्रों और निर्माण मन्बन्धी आलेखों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी रहता था जो 'गन्धदया बरुआ' कहलाता था।

इस प्रकार तैयार किये हुए पत्रों को आसाम में 'साँचीपात' कहते हैं। कोमलता और चिक्कणता के कारण ये पत्र दीर्घायुषी होते हैं और कितने ही स्थानों पर बहुत सुन्दर रूप में इनके नमूने अब तक सुरक्षित पाये जाते हैं। परन्तु, ये सब 15वीं-16वीं शताब्दी से पुराने नहीं हैं, हाँ अग्ररूप-पत्रों का सम्बन्ध बाणकृत 'हर्षचरित' के सप्तम उच्छ्रवाम में मिलता है। बाण मन्नाकवि हर्षवर्द्धन का समकालीन था और इसलिए उसका समय 7 वीं शताब्दी का था। कामरूप का राजा भाम्कर वर्मा भी हर्ष का समकालीन, मित्र और सहायक था। उमने सम्राट के दरबार में भेटस्वरूप कुछ पुस्तकें भेजी थीं जो अग्ररूप की छाल पर लिखे हुए सुभाषित ग्रन्थ थे।

'अग्ररूपवल्कल-कल्पित-सञ्चयानि च सुभाषितभाञ्जि पुस्तकानि, परिणतपाटल-पटोलद्विपि...'¹

बौद्धों के तान्त्रिक ग्रन्थ 'आर्यमञ्जुश्रीकल्प'² में भी अग्ररूपवल्कल पर यन्त्र-मन्त्र लिखने का उल्लेख मिलता है और इस प्रकार इसके लेखाधार बनने का इतिहास और भी पीछे खना जाता है।

महाराजा जयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित महाभारत के कुछ पर्व भी साँचीपात पर लिखे हुए हैं।

कागजीय

यो तो लेख और लेखाधार दोनों के लिए संस्कृत में 'पत्र' शब्द का ही प्रयोग अधिकतर पाया जाता है परन्तु बाद के साहित्य में और प्रायः तन्त्र साहित्य में 'कागद'

1. हर्षचरित (मन्त्र उच्छ्रवाम)।

2. सिध्दन्त तीरीक. भाग 1, पृ० 131।

शब्द भी खूब प्रयुक्त किया गया है। भूर्जपत्र, रेखम, लाल कपड़ा और तालपत्र के समान 'कागज' भी यन्त्र-मन्त्र और पताकाएँ आदि लिखने के काम में आता था। ग्रन्थ तो इस पर लिखे ही जाते थे। इसे 'शयन पत्र' भी कहा गया है।¹

प्रायः कहा जाता है कि सर्वप्रथम ईस्वी सन् 105 में चीन के लोगों ने कागज बनाया। परन्तु, ईसा से 327 वर्ष पूर्व जब यूनान के बादशाह सिकन्दर ने भारत पर हमला किया तब उसके साथ निम्नार्कस नामक सेनापति आया था। उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से लिखा है कि उस समय भारत के लोग रूई से कागज बनाते थे। निम्नार्कस सिकन्दर की इस बढाई के समय कुछ समय तक पंजाब में रहा था और उसने यहाँ के हालचाल का अध्ययन करके भारत के लोगों का बिस्तृत वर्णन लिखा था, इसका संक्षिप्त रूप एरिथन ने अपने 'इंडिका' नामक पुस्तक में उद्धृत किया है। मैक्समूलर ने भी 'हिस्ट्री ऑफ एशियेटिक्स संस्कृत लिटरेचर' नामक पुस्तक में इसी आधार पर भारतीयों के रूई को कूटकर कागज बनाने की कला से अवगत होने का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि रूई व चिचड़ों आदि को भिगो कर लुगदी बनाने तथा उसको कूटकर कागज बनाने की विधि से भारतवासी ईसा से चार शताब्दी पूर्व भी अच्छी तरह परिचित थे। परन्तु किसी भी प्रकार ऐसा कागज ताड़पत्र और भूर्जपत्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और सुलभ नहीं था इसीलिए इस पर लिखे ग्रन्थ कम मिलते हैं और उतने पुराने भी नहीं हैं।

फिर भी, यह अवश्य कहा जा सकता है कि एशिया और योरोप के अन्य देशों के मुकाबले में भारत ने कागज बनाने की कला पहले ही जान ली थी।

भारत में बहुत प्राचीनकाल से कागज बनता रहा है। यहाँ विविध स्थानों पर कागज बनाने के उद्योग स्थापित थे जिनके यत्किंचित् परिवर्तित रूप अब भी पाये जाते हैं। कागज बनाना एक गृह उद्योग भी रहा है। काश्मीर, दिल्ली, पटना, शाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, खंभात, कागजपुरा (अर्थात् दौलताबाद), घोसुण्डा और सांगानेर² आदि स्थान कागज बनाने के केन्द्र रहे हैं और इनमें से कई स्थान तो इसी उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दौलताबाद का एक बड़ा भाग तो कागजपुरा ही कहलाता था। अहमदाबाद, घोसुण्डा और सांगानेर में तो कई परिवार कागज का ही उद्योग करते थे और अब भी करते हैं। इन लोगों की बस्तियों में जाकर देखने पर कई मकानों की दीवारों पर रूई,

1. शब्दसत्यम् पृ० 1855-56, Sanskrit English Dictionary-by M.M. Williams, P. 268., सुखानन्द कृत शब्दार्थ विन्तामणि।
2. सांगानेर कस्बा जयपुर से 8 मील दक्षिण में है। वहाँ का कागज उद्योग प्रसिद्ध है। सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई ईश्वरीसिंह के समय में इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला था। उनके समय में कागज की किस्म और माप कायम की गई और वह कागज 'ईश्वरसाही' कागज कहलाता था। कागज की बिकनाई के अनुसार उस पर राज्य की मोहर लगा दी जाती थी। तदनुसार वह कागज 'दी मोहरिया' या 'देड़ मोहरिया' या 'मोहरिया' कहलाता था। इस व्यवसाय को करने वाले परिवार 'कागदी' या 'कागजी' नाम से प्रसिद्ध हैं। सांगानेरी कागज बहुत टिकाऊ होता है। भूतपूर्व जयपुर राज्य के बहोलाते, स्टाप्य पेपर और अन्य अभिलेख इसी कागज पर पाये जाते हैं। सामान्य रूप से सुरक्षित रखने योग्य सभी तहरीरों लिखने के लिए इसी का प्रयोग होता था। सत्रहवीं शताब्दी या इसके बाद में लिखे हुए बहुत-से ग्रन्थ भी सांगानेरी कागज पर लिखे पाये जाते हैं।

रही कागज धीरे-धीरे चिपड़ों को भिगोरकर गलाने के बाद लुगदी बनाकर कूट कर बनाए हुए कागज चिपके हुए मिलेंगे, जो सूखने के लिए लगाये जाते हैं। सूखने पर इनको शंख या कीड़ी प्रयत्नवा हाथोंद्वारा के गोल टुकड़ों से घोटकर चिकना बनाया जाता है जिससे स्याही छहर-उधर नहीं फैलती।

इसी प्रकार देश में काश्मीरी, मुगलिया, धरवाल, साहबखानी, खम्भाती, शणिया, ग्रहमदावादी, दौलतावादी आदि बहुत प्रकार के कागज प्रसिद्ध हैं और इन पर लिखी हुई पुस्तकें विविध ग्रन्थ-भण्डारों में प्राप्त होती हैं। विलायती कागज का प्रचार होने के बाद भी ग्रन्थी धीरे-धीरे दस्तावेजों को देशी हाथ के बने कागजों पर लिखने की परम्परा चालू रही है। वास्तव में, अब तो हाथ का बना कागज हाथ के बने कपड़े के साथ संलग्न हो गया है और यत्र-तत्र खादी भण्डारों में हाथ के बने देशी कागज बेचने के कक्ष भी दिखाई देते हैं। देशी कागजों का टिकाऊपन इसी बात से जाना जा सकता है कि सरकारी या गैर-सरकारी अभिलेखागारों में जो कागज-पत्र रसे हुए हैं उनमें से विलायती कागज (चाहे पांचमैण्ट ही क्यों न हो) पर लिखे हुए लेख देशी कागज पर लिखी सामग्री के भाग्य फीके और जीर्ण लगते हैं। ग्रन्थागारों में भी देशी कागज पर लिखी प्राचीन पाण्डुलिपियाँ ऐसी निकलती हैं मानो अभी-अभी की लिखी हुई हों। इन कागजों के नामकरण के विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कोई कागज अपने निर्माण-स्थान के नाम से जाना जाता है, तो कोई अपने निर्माता के नाम से। किसी-किसी का नाम उममें प्रयुक्त सामग्री से भी प्रसिद्ध हुआ है, जैसे—शणिया, मोमिया, बाँसी, भोगलिया इत्यादि।

मध्य एशिया में यारकंद नामक नगर से 60 मील दक्षिण में 'कुगियर' नामक स्थान है। वहाँ मिस्टर बेबर को जमीन में गड़े हुए चार ग्रन्थ मिले जो कागज पर संस्कृत भाषा में गुप्त लिपि के लिखे हुए बताये जाते हैं। डॉ० हार्नली का अनुमान है कि ये ग्रन्थ ईसा की पाँचवीं शताब्दी के होने चाहिए। इसी प्रकार मध्य एशिया में ही कागजर आदि स्थानों पर जो पुराने संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं वे भी उतने ही पुराने लगते हैं।¹

भारत में प्राप्त कागज पर लिखित प्रतियों में वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में सरस्वती भवन पुस्तकालय स्थित भागवत पुराण की एक मिश्रित प्रति का उल्लेख मिलता है। इसकी मूल पुष्पिका का संवत् 1181 (1134 ई०) बताया गया है।²

राजस्थान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह में भ्रानन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर अभिनवगुप्त विरचित ध्वन्यालोकलोचन टीका की प्राचीनतम प्रति संवत् 1204 (1146 ई०) की है। इसके पत्र बहुत जीर्ण हो गए हैं, पुष्पिका की प्रन्तिम पक्तियाँ भी ढ़ग गई हैं परन्तु उसकी फोटो प्रति संग्रह में सुरक्षित है।

महाराजा जयपुर के निजी संग्रह 'पोथीखाना' में पद्मप्रभ सूरि रचित 'भुवनदीपक' पर उन्ही के शिष्य सिंह तिलक कृत वृत्ति की संवत् 1326 वि. की प्रति विद्यमान है। इस वृत्ति का रचना काल भी संवत् 1326 ही है और यह बीजापुर नामक स्थान पर

1. भारतीय प्राचीन लिपि शाला, पृ० 145। कूलर द्वारा संग्रहीत गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, सिन्ध और खानदेश के खानगी पुस्तक संग्रहालयों की सूची, भाग 1, पृ० 238 पर इन ग्रन्थों का उल्लेख रचना चाहिए।
2. मैन्स्क्रिप्ट्स फॉन इण्डियन कलेक्शन्स, नेशनल म्यूजियम, 1964, पृ० 8।

लिखी हुई है। इस प्रति के पत्र जीर्णता के कारण अब शीर्ष होने लगे हैं परन्तु प्रत्येक सम्भव उपाय से इसकी सुरक्षा के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तूलीपातीय

प्रासाम में चित्रण व लेखन के लिए 'तूलीपात' का प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल से होता आया है। इसके निर्माण की कला इन लोगों ने सम्भवतः 'ताइ' और 'शान' लोगों से सीखी थी जो 13वीं शताब्दी में ग्रहोम के साथ यहाँ आये थे।

वास्तव में 'तूलीपात' एक प्रकार का कागज ही होता है जो लकड़ी के गूदे या बल्क से बनाया जाता है। यह तीन रंग का होता है—सफेद, भूरा और लाल। सफेद 'तूलीपात' बनाने के लिए महाइ (Maha) नामक वृक्ष को चुना जाता है, गहरे भूरे रंग के तूलीपात के लिए यामोन (जामुन) वृक्ष का प्रयोग होता है और लाल 'तूलीपात' जिस वृक्ष के गूदे से बनता है उसका नाम भजात है।

उपयुक्त वृक्षों की छाल उपयुक्त परिमाण में निकाल ली जाती है और फिर उसे खूब कूटते हैं। इससे उनके रेशे डीले होकर भलग-भलग हो जाते हैं। फिर इनको पानी में इतना उबालते हैं कि एक-एक कण भलग होकर उनका सब कूड़ा-करकट साफ हो जाता है। इन कणों का फिर कल्क बना लेते हैं। इसके बाद भलग-भलग माप वाली धातु-कार तस्तरियों में पानी भरकर उस पर उस कल्क को समान रूप से फंसा देते हैं और ठण्डा होने को रख देते हैं। ठण्डा होने पर पानी की सतह के ऊपर कल्क एक सस्त और मजबूत कागज के रूप में जम जाता है। साधारणतया तूलीपात पत्र दो पाठों को सीकर तैयार किया जाता है अथवा एक ही लम्बे पाठो को दोहरा करके सी लेते हैं। इससे वह पत्र और भी मजबूत हो जाता है। कागज बनाने का यह प्रकार विशुद्ध भारतीय भक्तिरिक्त प्रकार है। इस उद्योग के केन्द्र नम्फकिघाल, मंगलोग और नारायणपुर में स्थित थे जो प्रासाम के लखीमपुर जिले के अन्तर्गत हैं। नेफा में कामेंग सीमा क्षेत्र के मोंपा बौद्ध भी इसी प्रकार के कागज का निर्माण करते हैं जो स्थानीय 'सुकसो' नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है।

पट्टीय अथवा (सूती कपड़ों पर लिखे) ग्रन्थ

ग्रन्थ लिखने, चित्र प्रालेखित करने तथा यन्त्र-मन्त्रादि लिखने के लिए रुई से बना सूती कपड़ा भी प्रयोग में लाया जाता है। लेखन किया से पहले इसके छिद्रों को बन्द करने हेतु घाटा, चावल का माँब या लेई अथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा लेते हैं और फिर अकीक, पत्थर, शंख, कौड़ी या कसौटी के पत्थर आदि से घोंटकर उसको चिकना बनाते हैं। इसके पश्चात् उस पर लेखन कार्य होता है। ऐसे प्राधार पर लिखे हुए चित्र पट-चित्र कहलाते हैं और ग्रन्थ को पट-ग्रन्थ कहते हैं।

सामान्यतः पटों पर पूजा-पाठ के यन्त्र-मन्त्र ही अधिक लिखे जाते थे—जैसे, सर्वतोभद्र यन्त्र, लिंगतो-भद्र-यन्त्र, मातृका-स्थापन-मण्डल, ग्रह-स्थापन-मण्डल, हनुमत्पताका, सूर्यपताका, सरस्वती पताकादि चित्र, स्वर्ग-नरक-चित्र, सापनसेनी-ज्ञान चित्र और जनों के भडाई द्वीप, तीन द्वीप, तेरह द्वीप और जम्बू द्वीप एवं सोलह स्वप्न आदि के नक्शे व चित्र भी ऐसे ही पटों पर बनाए जाते हैं। बाद में मन्दिरों में प्रयुक्त होने वाले पर्व अर्थात्

प्रतिष्ठा के पीछे वाली दीवार पर लटकाने के सचित्र पट भी इसी प्रकार से बनाने का रिवाज है। इनको पिछवाई कहते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथजी की पिछवाईयें बहुसूच्य होती हैं। राजस्थान में बहुत-से कथानकों को भी पटों पर चित्रित कर लेते हैं जो 'पट' कहलाते हैं। ऐसे चित्रों को फँलाकर लोकगायक उनके सगीतबद्ध कथानकों का गान करते हैं। पाव्नी की पट, रामदेवजी की पट, आदि का प्रयोग इस प्रदेश में सर्वत्र देखा जा सकता है।

महाराजा जयपुर के संग्रह में अनेक तान्त्रिक नक्शे, देवचित्र एवं इमारती खाके विद्यमान हैं जो 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के हैं। कोई-कोई और भी प्राचीन हैं परन्तु वे जीर्ण हो चले हैं। इनमें महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सम्पन्न यज्ञों के समय स्थापित मण्डलों के चित्र तथा जयपुर नगर संस्थापन के समय तैयार किए गये प्रारूप-चित्र दर्शनीय हैं। इसी प्रकार संग्रहालय में प्रदर्शित राधाकृष्ण की होली के चित्र भी पट पर ही अंकित है और उत्तर 17 वीं शती के हैं। दक्षिण से प्राप्त किए हुए छः ऋतुओं के विशाल पट चित्रों पर विविध श्रवस्थाओं में नायिकायें निरूपित हैं। ये चित्र भी कपड़े पर ही बने हैं और बहुत सुन्दर हैं।

जिस कपड़े पर भोग लगाकर उसे चिकना बनाया जाता था उसे मोमिया कपड़ा या पट कहते थे। ऐसे कपड़ों पर प्रायः जन्म-मंत्रियाँ लिखी जाती थी। ये जन्म-मंत्रियाँ पट्टियों को चिपका कर बहुत लम्बे-लम्बे आकार में बनाई जाती थी। उन पर लिखी हुई सामग्री इतनी विशद और विशाल होती थी कि उन्हें एक ग्रन्थ ही मान लिया जा सकता है। जिसकी जन्म पत्री-होती है उसके वंश का इतिहास, वंश-वृक्ष, स्थान, प्रदेश और उत्सवादि वर्णन, नागरिक वर्णन; ग्रह स्थिति, ग्रह-भावफल, दशा-निरूपण आदि का सचित्र सोदाहरण निरूपण किया जाता है। इनमें अनेक ऐसे ग्रन्थों के सन्दर्भ भी उद्धृत मिल जाते हैं जो अब नाम शेष ही रह गये हैं। जयपुर नरेश के संग्रह में महाराजा रामसिंह प्रथम के कुमार कृष्णसिंह की जन्म-पत्री 456 फीट लम्बी और 13 इंच चौड़ाई की है जो अनेक भव्य चित्रों से सुसज्जित और विविध ज्योतिष ग्रन्थों से सन्दर्भित है। यह जन्म-पत्री सन् 1711 से 1736 तक लिखी गई थी। इसी प्रकार महाराजा माधवसिंह प्रथम की जन्म-पत्री भी है। इसमें यद्यपि चित्र नहीं है परन्तु कछवाहा वंश का इतिहास, जयपुर नगर वर्णन और सवाई जयसिंह की प्रशस्तियाँ आदि अनेक उपयोगी सूचनाएँ लिखित हैं।

भाद्रपद मास में (बदि 12 से सुदि 4 तक) जैन लोग आठ दिन का पयूषण पर्व मनाते हैं। आठवें दिन निराहार व्रत रखते हैं। इसकी समाप्ति पर ये लोग एक-दूसरे से बर्ष भर में किए हुए किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा माँगते हैं। ऐसे क्षमावाणी के अवसर पर एक गाँव ग्रथवा स्थान के समस्त संघ की ओर से दूसरे परिचित गाँव के प्रति 'क्षमापन पत्र' लिखे जाते थे। संघ का मुखिया प्राचार्य कहलाता है व्रत-वह पत्र प्राचार्य के नाम से ही सम्बोधित होता है। इन पत्रों में सांवलसरिक-क्षमापन के अतिरिक्त पयूषण-पर्व के दिनों में धरने गाँव में जो धार्मिक कृत्य होते हैं उनकी सूचना प्राचार्य को दी जाती थी तथा यह भी प्रार्थना की जाती थी कि वे उस ग्राम में आकर संघ को दर्शन दें। ऐसे पत्र 'विज्ञप्ति-पत्र' कहलाते हैं। इनके लिखने में गाँव की ओर से पर्याप्त धन एवं समय व्यय किया जाता था। इनकी आकार-प्रकार भी प्रायः जन्म-पत्री के सदृश जैसा ही होता है तथा ये कागज के अतिरिक्त ताड़पत्रादि पर भी लिखे गिस्ते

हैं। कभी-कभी कोई जैन विद्वान मुनि इनमें अपने काव्य भी लिखकर आचार्य की सेवा में प्रेषित करते थे। महामहोपाध्याय विनयविजय रचित 'इन्दुदूत', मेघविजय विरचित 'मेघदूत', समस्या-लेख और एक अन्य विद्वान द्वारा प्रणीत चेतोदूत काव्य ऐसे ही विज्ञप्ति पत्रों में पाये गये हैं। सबसे पुराने एक विज्ञप्ति-पत्र का एक ही नुटित ताडपत्रीय-पत्र पाटन के प्राचीन ग्रन्थ भण्डार में मिला है जो विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का बताया जाता है।¹

यद्यपि कागज पर लिखे विज्ञप्ति पत्र 100 हाथ (50 गज = 150 फीट) तक लम्बे और 12-13 इंच चौड़े 15वीं शती के जितने पुराने मिले हैं परन्तु कपड़े पर लिखित ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। किन्तु जब इन विज्ञप्ति-पत्रों को जन्म-पत्री जैसे खरड़ों में लिखने का रिवाज था तो भवश्य ही इनके लिए रेजी, तूलिपात या अन्य प्रकार के कपड़े प्रथवा पट का भी प्रयोग किया ही गया होगा। ऐसे पत्रों का प्राचीन जैन-ग्रन्थ-भण्डारों में ग्रन्थेयण होना आवश्यक है।

प्राचीन समय में पञ्चांग (ज्योतिष) भी कपड़े पर लिखे जाते थे। इनमें देवी-देवता और ग्रह-नक्षत्रादि के चित्र भी होते थे। महाराजा जयपुर के संग्रह में 17वीं शताब्दी के कुछ बहुत जीर्ण पंचांग मिलते हैं। 'राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान' जोधपुर में भी कतिपय इसी तरह के प्राचीन पंचांग विद्यमान हैं।

दक्षिण भ्राम्भ्र प्रदेश प्रादि स्थानों में इमली खाने का बहुत रिवाज है। इमली के बीज या 'चीर्षा' का प्राग में संक कर सुपारी की तरह तो खाते ही हैं परन्तु इसका एक और भी महत्त्वपूर्ण उपयोग किया जाता था। वहाँ पर इस 'चीर्षा' से लेई बनाई जाती थी। उस लेई को कपड़े पर लगाकर कालापट तैयार किया जाता था। उसकी बही बनाकर व्यापारी लोग उस पर सफेद खड़िया से अपना हिसाब-किताब लिखते थे। ऐसी बहियाँ 'कडितम्' कहलाती थी। शृंगेरी मठ में ऐसी संकड़ों बहियाँ मौजूद हैं जो 300 वर्ष तक पुरानी हैं। पाटण के प्राचीन ग्रन्थ-भण्डार में श्री प्रभसूरि रचित 'धर्म चिधि' नामक कृति उदयमिह कृ-न टीका सहित पाई गयी है जो 13 इंच लम्बे और 5 इंच चौड़े कपड़े के 93 पन्नों पर लिखित है। कपड़े के पन्नों पर लिखित अभी तक यही एक पुस्तक उपलब्ध हुई है।²

कपड़े पर लेई लगाकर कालापट तैयार करके सफेद खड़िया से लिखने के अनुकरण में कई ऐसी पुस्तकें भी मिलती हैं जो कागज पर काला रंग पोत कर सफेद स्याही से लिखी गयी हैं।

इमली के बीज से चित्रकार भी कई प्रकार के रंग बनाते थे।

रेशमी कपड़े की

असवेरुनी ने अपने भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि उसको नगरकोट के किले में एक राजवंशावली का पता था जो रेशम के कपड़े पर लिखी हुई बताई जाती है। यह वंशावली काबुल के शाहियावशी हिन्दू राजाओं की थी। इसी प्रकार डॉ० ब्यूहलर ने

1. मुनि विनयविजय सं० 'विज्ञप्ति लिखेनी' पृ० 32।
2. भारतीय प्राचीन चिधि नाचा, पृ० 146।

घपने ग्रन्थ निरीक्षण विवरण (पृ० 30) में लिखा है कि उन्होंने जैसलमेर के वृहत्-ग्रन्थ-भण्डार में जैन सूत्रों की सूची देखी जो रेसम की पट्टी पर लिखी थी।

काष्ठपट्टीय


लिखने के लिए लकड़ी के फलकों के उपयोग का रिवाज भी बहुत पुराना है। कोई 40-45 वर्ष पूर्व सर्वत्र धीरे-धीरे कहीं-कहीं पर अब भी बालको को सुलेख लिखाने के लिए लकड़ी की पाटी काम में लाई जाती हैं। यह पाटी लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक फुट चौड़ी होती है। इसके सिरे पर एक मुकुटाकार भाग काट दिया जाता है जिसमें छिद्र होता है। बालक इस छिद्र में डोरा पिरोकर बटका लेते हैं। इसकी सहायता से घर पर भी इसे खूँटी पर टाँग देते हैं : क्योंकि बिद्या को परों में नहीं रखना चाहिये। इसी पाटी पर मुलतानी या खड़िया पोतते हैं। यह लेप इतना साफ और स्वच्छ करके लगाया जाता है कि पाटी के दोनों धोर की सतह समान रूप से स्वच्छ हो जाती है। पाटी पोतने और उसको सुखाने की कला में बालकों की चतुराई प्राप्ति जाती थी। बटशाला में बच्चे सामूहिक रूप से पाटी पोतने बैठते और फिर 'मूल-मूल पाटी, बिद्या धार्वे'¹ की रट लगाते हुए पट्टी हवा में हिलाते थे। पाटी मूल जाने पर वे इसे घपने दोनों घुटनों पर रखकर नेजे या सरकडे की कलम और काली स्याही से सुन्दर प्रक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। प्रारम्भ में गुरुजी कलम के उल्टे सिरे से बिना स्याही के उस पाटी पर प्रक्षरों के प्राकार (किटकियाँ) बना देते थे और फिर बालक उस प्राकार पर स्याही फेरकर सुलेखन का अभ्यास करते थे।

पाटी पर जो खड़िया या मुलतानी पोती जाती थी वह पाण्डु कहलाती थी और इसीलिए प्रारम्भिक मूल लेख को पाण्डुलिपि कहते हैं जो अब प्राख्य, मूल हस्तलेख और हस्तलिखित ग्रन्थ का वाचक शब्द बन गया है। पाटी लिखने से पहले बच्चों को 'खोर-पाटा' देते थे। एक लकड़ी का धायताकार पाटा, जिसके छोटे-छोटे चार पाये होते थे या दोनों धोर नीचे की तरफ डाट होती थी, यह बालक के सामने बिछा दिया जाता था। इस पर लाल चूने या स्वच्छ धूरी मिट्टी बिछाकर इस तरह हाथ फेरा जाता कि उसकी सतह समतल हो जाती थी। फिर लकड़ी की तीखी नोकदार कलम से उस सतह पर लिखना सिखाते थे। इस कलम को 'बरता' या 'बरतना' कहते थे। जब पाटा भर जाता तो लेख गुरुजी को जँचवा कर फिर उस मिट्टी पर हाथ फेरा जाता और पुनः लेखन चालू हो जाता।

प्राजकाल जैसे स्कूलों में कक्षाएँ होती हैं उसी प्रकार पहले पढ़ने वाले छात्रों की श्रेणी-विभाजन इस प्रकार होता था कि प्रारम्भ में 'खोर-पाटा' की कक्षा फिर 'पाटी' कक्षा। दिन में बिद्यार्थी कितनी पट्टियाँ लिख लेता था, इसके प्राधार पर भी उसकी परिष्कृता कायम की जाती थी। इस प्रकार पाटी या फलक पर लिखने की परम्परा बहुत पुरानी है। बौद्धों की जातक-कथाओं में भी बिद्यार्थियों द्वारा काष्ठ-फलकों पर लिखने का उल्लेख मिलता है।

1 इसका एक रूप अब में यों मिलता है—

मुच-मुच पट्टी चम्बन पट्टी, पाटा आवे नल्ल चिमावे, नल्ल गवे दूट पट्टी नई लूच।



सुलेख लिखाने के लिए ध्राये का क्रम यह होता था कि पाटियों के एक धोर लाल लाख का रोगन लगा दिया जाता और दूसरी धोर काला या हरा रोगन लेपा जाता था ।¹ फिर इन पर हुरतल की पीली-सी स्याही या खड़िया या पाण्डु की सफेद सी स्याही से लिखाया जाता था ।

दैनिक प्रयोग में बहुत से बूकानदार पहले लकड़ी की पाटी पर कच्चा हिसाब टीप लेते थे (भाजकल स्लेट पर लिख लेते हैं) और फिर यथावकाश उसे स्याही से पक्की बही में उतारते थे । इसी तरह ज्योतिषी लोग भी पहले खोर पाटे पर कुण्डलियाँ आदि खींच कर गणित करते थे, पुती हुई पाटियों पर भी जन्म, लग्न, विवाह लग्न आदि टीप लेते थे और फिर उनके आधार पर हस्तलेख तैयार कर देते थे । खोर-पाटे पर लिखने की ज्योतिष-शास्त्र में 'पूलीकर्म' कहते हैं ।

विद्वान भी ग्रन्थ रचना करते समय जैसे भाजकल पहले रूल पेसिल से कच्चा मसविदा कागज पर लिख लेते हैं अथवा किसी पद्य का स्फुरण होने पर स्लेट पर जमा लेते हैं और बाद में उसको निर्णोत करके स्थायी रूप से लिखते या लिखवा लेते हैं । उसी तरह पुराने समय में ऐसे प्राख्य काष्ठपट्टिकाओं पर लिखने का रिवाज था । जैनों के 'उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका की रचना नैमिचन्द्र नामक विद्वान ने सवत् 1129 में की थी । उसमें इस प्रकार पाटी से नकल करके सर्वदेव नामक गणि द्वारा ग्रंथ लिखने का उल्लेख है—

पट्टिका तो ऽलिखच्चेमाँ सर्वदेवाभिधो गणिः ।

भात्मकर्मक्षयायाय परोपकृति हेतवे ॥ 14 ॥

खोतान से भी कुछ प्राचीन काष्ठपट्टिकाओं के मिलने का उल्लेख है । इन पर खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे हैं ।

बर्मा में रोगनदार फलकों पर पाण्डुलिपि लिखी जाती है । ग्रॉक्सफोर्ड की थोडले-यन पुस्तकालय में एक भासाम से प्राप्त काष्ठ-फलकों पर लिखी एक पाण्डुलिपि बतायी जाती है ।

कात्यायन और दण्डी ने बताया है कि बाद-पत्र फलकों पर पाण्डु (खड़िया) से लिखे जाते थे और रोगन वाले फलकों पर शाही शासन लिखे जाते थे ।

ग्रन्थों के दोनों धोर जो काष्ठफलक (या पटरी) लगाकर ग्रंथ बांधे जाते हैं, उन पर भी स्याही से लिखी सूक्तियाँ अथवा मूल ग्रंथ का कोई अंश उद्धृत मिल जाता है जो स्वयं रचनाकार अथवा लेखक (प्रतिलिपिकर्ता) द्वारा लिखा हुआ होता है ।

कभी-कभी काष्ठ स्तम्भों पर लेख खोदे गये, जैसे किरारी से प्राप्त स्तम्भ पर मिले हैं । अज की गुफा की छतों की काष्ठ महराबों पर भी लेख उत्कीर्ण मिले हैं ।

1. अब ने 'द्विदमिच' पोती बायो की बिससे पट्टी लाल हो जाती थी । फिर उस पर थोटा किया जाता था । 'थोटा' बीसे के बड़े गोल छल्ले के अकार का लगचग तीन बगुब चौड़ाई का होता था । उससे थोटे पर पट्टी चिकनी हो जाती थी । उस पर खड़िया के धोल से लिखा जाता था

ग्रन्थों के ग्रन्थ प्रकार

आकार के आधार पर :

यहाँ तक हमने ग्रंथ लिखने के साधन या आधार की दृष्टि से ग्रंथों के प्रकार बताये । प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः लम्बी और पतली पट्टियों के रूप में ही प्राप्त होती हैं । जिनको एक के ऊपर एक रखकर गूड़ी बनाकर रखा जाता है । एक-एक पट्टी को पत्र कहते हैं । 'पत्र' नाम इसलिए दिया कि ये पोथियाँ ताड़पत्रों या भूर्जपत्रों पर लिखी जाती थी । बाद में तत्समान आकार के मांडपत्र या कागज बनाए जाने लगे । अब वह 'पत्र' शब्द चिट्ठी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है । 'पता' भी पत्र से ही निकला है । अतः प्राचीन पुस्तकें छूटे या खुले पत्राकार रूप में ही होती थीं । इनके छोटे-बड़े प्रकार का भेद बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हैं उनसे पता चलता है कि पोथियाँ पाँच प्रकार की होती थीं । दशवैकालिक सूत्र की हरिभद्रकृत टीका में एवं निशीथचूर्णा आदि में पुस्तकों के 5 प्रकार इस तरह गिनाये गये हैं¹ (1) गण्डी (2) कच्छपी, (3) मुष्टी (4) सम्पुटफलक और (5) छेदपाटी, छिवाडी या सृपाटिका ।²

गण्डी

जो पुस्तक मोटाई और चौड़ाई में समान होकर लम्बी (Rectangular) होती है वह 'गण्डी' कहलाती है । जैसे पत्थर की 'कतली' होती है उसी आकार की यह पुस्तक होती है । ताड़पत्र पर या ताड़पत्रीय आकार के कागजों पर लिखी हुई पुस्तकें 'गण्डी' प्रकार की होती हैं ।

कच्छपी

कच्छप या कछुए के आकार की अर्थात् किनारों पर सँकरी और बीच में चौड़ी पुस्तकें कच्छपी कहलाती हैं । इनके किनारे या छोर या तो त्रिकोण होते हैं अथवा गोलाकार ।

1

'गण्डी कच्छपि मुष्टी सम्पुटफलक छिवाडीय'

एय पुत्यपपत्रयं, वक्त्राय मिणं भवेत्तस्य ॥

बाह्येन पुहतेहि, गण्डी पुत्यो उ तुल्यो दीहो ।

कच्छपि अते तणुओ, मक्के पिह्लो मुणेगण्डी

अउरं गुलवी हो बा, बट्टागिह मुट्टि पुत्यो अहवा ।

अउर गुलवीहोच्चिय, अउरमो होइ विन्नेओ ॥

संपुटमो बुयनाई फलवाबोच्छ मेत्ता है ।

तणुपत्तुसियस्वी, होइ छिवाडी बुहा वेत्ति ॥


दी होवा हस्तो वा, जो पिह्लो होइ कल्पवाहल्लो ।

त मुणियसमयसारा, छिवाडियोत्थ भणंतीह ॥

—एक वैकालिक हरिभद्र टीका, पत्र 25

'मुनि पुष्य विजय जी भारतीय जैन भ्रमण संस्कृति अने लेखन कला में पृ० 22 पर 25 वी पाठ टिप्पणी से उद्धृत ।

2. मुनि पुष्य विजयजी ने भारतीय जैन भ्रमण संस्कृति अने लेखन कला में पृ० 22 की 26 वी पाठ टिप्पणी में बताया है कि कुछ विद्वान छिवाडी को सृपाटिका मानते हैं । किन्तु मुनिजी बहुकल्पसूत्र वृत्त तथा स्थानान्तर सूत्र टीका आदि ग्रन्थों के आधार पर छिवाडी को 'छेदपाटी' ही मानते हैं ।



मुष्ठी

छोटे आकार की मुष्ठीग्रन्थ पुस्तक को मुष्ठी कहते हैं। इसकी लम्बाई चार अंगुल कही गई है। इस रूप में बाद के लिखे हुए छोटे-छोटे गुटके भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। हैदराबाद सालारजंग-संग्रहालय में एक अंच परिमाण वाली पुस्तकें हैं। वे मुष्ठी ही मानी जायेंगी।

संपुट-फलक

सचित्र काष्ठपट्टिकाओं प्रथवा लकड़ी की पट्टियों पर लिखित पुस्तकों को सम्पुट-फलक कहा जाता है। बास्तब में, जिन पुस्तकों पर सुरक्षा के लिए ऊपर धीरे नीचे काष्ठ-फलक लगे होते हैं, उनको ही 'सम्पुट फलक' पुस्तक कहते हैं।

छेद पाटी

जिस पुस्तक के पत्र लम्बे और चौड़े तो कितने ही हों परन्तु संख्या कम होने के कारण उसकी मोटाई (या ऊँचाई) कम होती है उसको छेदपाटी छिवाड़ी या सृपाटिका कहते हैं।

पुस्तकों की लेखन शैली से पुस्तक-प्रकार

लेखन शैली के आधार पर पुस्तकों के निम्न प्रकार 'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति धने लेखन कला' में बताये गये हैं :

1. त्रिपाठ या त्रिपाठ) ये तीन भेद पुस्तक के पृष्ठ के रूप-विधान पर
2. पंचपाठ या पंचपाठ) निर्भर हैं
3. शूड या शुड)
4. चित्र पुस्तक-यह उपयोगी सजावट पर निर्भर है।
5. स्वर्णाक्षरी) यह लेखाक्षर लिखने के माध्यम (स्याही) के विकल्प के
6. रौप्याक्षरी) प्रकार पर निर्भर है।
7. सूक्ष्माक्षरी) ये अक्षरों के आकार के परिमाण पर निर्भर है।
8. स्थूलाक्षरी आदि)


उक्त प्रकारों के स्थापित करने के चार आधार प्रलग-प्रलग हैं। ये आधार हैं .

1. पृष्ठ का रूप-विधान।
2. पुस्तक को सचित्र करने से भी पुस्तक का एक अलग प्रकार प्रस्तुत होता है।
3. सामान्य स्याही से भिन्न स्वर्ण या रजत से लिखी पुस्तकें एक अलग वर्ग की हो जाती हैं :
4. फिर अक्षरों के सूक्ष्म प्रथवा स्थूल परिमाण से पुस्तक का अलग प्रकार हो जाता है।

कुंडलित, वलयित या खरड़ा

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण प्रकार छूट गया है। वह कुण्डली प्रकार है जिसे अंग्रेजी में स्काल (Scroll) कहा जाता है। प्राचीन काल में फराकनों के

युग में 'मिन्न' में पेपीरस पर कुंडली ग्रंथ ही लिखे गये। भारत में कम ही सही कुंडली ग्रंथ लिखे जाते थे। 'भागवत पुराण' कुंडली ग्रंथ ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है।¹ जैतियों के 'विश्वपति पत्र' भी कुण्डली-ग्रंथ का रूप ग्रहण कर लेते थे। बड़ौदा के प्राच्य-विद्यामंदिर में हस्तलिखित सचित्र सम्पूर्ण महाभारत कुंडली ग्रंथ के रूप में सुरक्षित है— यह 228 फीट लम्बी और 5½' चौड़ी कुण्डली है जिसमें एक लाख श्लोक हैं। तेनह्नांग से डॉ० रघुवीर 8000 बलियताओं की प्रतिलिपियाँ लाये थे।



'कुंडली ग्रंथ' रखने के पिटक के साथ

1. यह पुराण 5 इंच चौड़ी और 65 फुट लम्बी कुण्डली में है, सचित्र है।

पृष्ठ के रूप-विधान से प्रकार-भेद

सामान्य ग्रंथों में पाट या पाठ का भेद नहीं होता है। घादि से अन्त तक पृष्ठ एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

किन्तु जब पृष्ठ का रूप-विधान विशेष अभिप्रायः से बदला जाय तो वे तीन प्रकार के रूप ग्रहण करते मिलते हैं :

त्रिपाट या त्रिपाठ

इस पाट या पाठ में यह दिखाई पड़ता है कि पृष्ठ तीन हिस्सों में बाँट दिया गया है। बीच में मोटे अक्षरों में मूल ग्रंथ के श्लोक, उसके ऊपर और नीचे छोटे अक्षरों में टीका, टीका या व्याख्या दी जाती है। इस प्रकार एक पृष्ठ तीन भागों में या पाटों या पाठों में बँट जाता है। इसलिए इसे त्रिपाट या त्रिपाठ कहते हैं।

पंचपाट या पाठ

जब किसी पृष्ठ को पाँच भागों में बाँटकर लिखा जाय तो पंचपाट या पाठ कहा जाएगा। त्रिपाट की तरह इसमें भी बीच में कुछ मोटे अक्षरों में मूल ग्रंथ रहता है, यह एक पाट हुआ। ऊपर और नीचे टीका या व्याख्या लिखी गई यह तीन पाट हुए फिर दाईं और बाईं ओर हाशिये में भी जब लिखा जाय तो पृष्ठ का इस प्रकार का रूप-विधान पंचपाठ कहा जाता है।

सूँड या शुँड

जिस पुस्तक का पृष्ठ लिखे जाने पर हाथी की सूँड की भाँति दिखाई पड़े वह 'सूँड पाठ' कहा जाएगा। इसमें ऊपर की पंक्ति सबसे बड़ी, उसके बाद की पंक्तियाँ प्रायः छोटी होती जाती हैं, दोनों ओर से छोटी होती जाती हैं। अन्तिम पंक्ति सबसे छोटी होती है और पृष्ठ का स्वरूप हाथी की सूँड का आकार ग्रहण कर लेता है। यह केवल लेखक की या लिपिकार की अपनी रुचि को प्रगट करता है। किन्तु इस प्रकार के ग्रंथ दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, किसी लेखक के अपने निजी लेखों में इस प्रकार की पृष्ठ रचना मिल सकती है। किन्तु 'कुमार सम्भव' में कालिदास ने श्लोक 17 में 'कुंजर बिदुशोण.' से ऐसी ही पुस्तक की ओर संकेत किया है। इसी अध्याय में भूजंगम शीर्षक देखिए।

अन्य

इस दृष्टि से देखा जाय तो लेखक की निजी पृष्ठ-रचना में त्रिकोण पाठ भी मिल सकता है। ऊपर की पंक्ति पूरी एक ओर हाशिये की रेखा के साथ प्रत्येक पंक्ति लगी हुई किन्तु दूसरी ओर थोड़ा-थोड़ा कम होती हुई अन्त में सबसे छोटी पंक्ति। इस प्रकार पृष्ठ में त्रिकोण पाठ प्रस्तुत हो जाता है। मतः ऐसे ही अन्य पृष्ठ सम्बन्धी रचना-प्रयोग भी लेखक की अपनी रुचि के द्योतक हैं। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं। त्रिपाट और पंचपाठ इन दो का महत्त्व अवश्य है क्योंकि ये विशेष अभिप्रायः से ही पाठों में विभक्त होती हैं।

सजावट के आकार पर पुस्तक-प्रकार

जिस प्रकार से कि ऊपर पृष्ठ-रचना की दृष्टि से प्रकार-भेद किये गये हैं उसी प्रकार से सजावट के आधार पर भी पुस्तक का प्रकार अलग किया जा सकता है। यह

सजावट चित्रों के माध्यम से होती है। एक हस्तलेख में चित्रों का उपयोग दो दृष्टियों से हो सकता है। एक-केवल सजावट के लिए और दूसरे संदर्भगत उपयोग के लिए। ये दोनों ही सादा एक स्याही में भी हो सकते हैं और विविध रंगों में भी।

ग्रंथ में चित्र

ग्रंथों में चित्रांकन की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। 11 वीं शती से 16 वीं शती के बीच एक चित्रशैली प्रचलित हुई जिसे 'अपभ्रंश-शैली' नाम दिया गया है।

इनके सम्बन्ध में 'मध्यकालीन-भारतीय कलाओं एवं उनका विकास' नामक ग्रन्थ का यह अवतरण द्रष्टव्य है—

'मुख्यतः ये चित्र जैन संबंधी पोथियों (पाण्डुलिपियों) में बीच-बीच में छोड़े हुए चौकोर स्थानों में बने हुए मिलते हैं।'¹

इसका अर्थ है कि यह 'अपभ्रंश-कला' ग्रन्थ-चित्रों के रूप में पनपी और विकसित हुई। यह भी स्पष्ट है कि इसमें जैन धर्म-ग्रंथों का ही विशुद्ध योगदान रहा। हाँ, अकबर के समय में साम्राज्य का प्रश्रय चित्रकारों को मिला। इस प्रश्रय के कारण कलाकारों ने ग्रन्थ ग्रंथों को भी चित्रित किया। राजस्थान-शैली में भी चित्रण हुआ। इस प्रकार हस्त-लिखित ग्रंथों में चित्रों की तीन शैलियाँ पनपती मिलती हैं। एक अपभ्रंश-शैली जैन-धर्म ग्रंथों में पनपी। इसके दो रूप मिलते हैं। एकमात्र अलंकरण सम्बन्धी। 1062 ई. के 'भगवती-सूत्र' में अलंकरण मात्र हैं। अलंकरण शैली में विकास की दूसरी स्थिति का पता हमें 1100 ई० की 'निषीथ-चूर्णि' से होता है। इस पाण्डुलिपि में अलंकरण के लिए बेलबूटों के साथ पशुओं की आकृतियाँ भी चित्रित हैं। 13 वीं शती में देवी-देवताओं का चित्रण बाहुल्य से होने लगा।

ये सभी प्रतियाँ ताड़पत्र पर हैं। चित्र भी ताड़पत्र पर ही बनाये गये हैं।

"1100 से 1400 ई के मध्य जो चित्रित ताड़पत्र तथा पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं उनमें 'अभिसूत्र', 'कथा मन्त्रिसागर', 'त्रिपण्डित-शालाका-पुरुष-चरित', 'श्री नेमिनाथ चरित', 'श्रावक-प्रतिक्रमण-चूर्णि' आदि मुख्य हैं।"²

1400 से ताड़पत्र के स्थान पर कागज का उपयोग होने लगा।

1400 से 1500 के बीच की चित्रित पाण्डुलिपियों में कल्पसूत्र, कालकाचार्य-कथा, सिद्धमेन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।³

पंद्रहवीं-सोलहवीं शती में कागज की पाण्डुलिपि में कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा की अनेकों प्रतियाँ चित्रित की गयीं। हिन्दी में कामशास्त्र के कई ग्रन्थ इसी काल में सचित्र लिखे गये। 1451 की कृति बसंत-विलास में 79 चित्र हैं।⁴

1. नाथ, आर० (डॉ०)—मध्यकालीन भारतीय कलाएँ एवं उनका विकास, पृ० 43।

2. वही, पृ० 4

3. वही, पृ० 4

4. सत्यनन्द मण्डलान्य में है : 1547 ई० में चित्रित 23 चित्रों से युक्त फिरदौसी का 'शहनामा,' अकबर के समय में चित्रित छः चित्रों वाली पोथी 'हरिबंश पुराण' के अंशों के फारसी अनुबाद वाली; 17 वीं शताब्दी की काश्मीर शैली के 12 चित्रों वाली कुण्डली (Scroll) के रूप में 'भाष्यत'।

अब यह कला प्राणवान हो चली थी और धर्म के क्षेत्र से भी बँधी हुई नहीं रही ।

सजावटी पुस्तके

सजावटी चित्र-पुस्तकों को कई प्रकार से सजाया जा सकता है । एक तो ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर चारों ओर के हाशियों को फूल पत्तियों से या ज्यामितिक आकृतियों से या पशु-पक्षियों की आकृतियों से सजाया जा सकता है । दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि आरम्भ में जहाँ पुष्पिका दी गयी हो या अन्त में अन्त हुआ हो, वहाँ इस प्रकार का कोई सजावटी चित्र बना दिया जाय (जैसे राउलवेल में) । फूल पत्तियों वाला, अशोक चक्र जैसा तथा अनेक प्रकार के ज्यामितिक आकृतियों वाला अथवा पशु पक्षियों वाला कोई चित्र बनाकर पृष्ठ को तथा पुस्तक को सजाया जा सकता है । पृष्ठों के मध्य में भी विशिष्ट प्रकार की आकृतियाँ लिपिकार इस रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि लेख की पत्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि पृष्ठ में स्वस्तिक या स्तम्भ या डमरू या इसी प्रकार का अन्य चित्र उभर प्राये । पृष्ठ के बीच में स्थान छोड़कर अन्य कोई चित्र, मनुष्य की या पशु की आकृति के चित्र बनाये जा सकते हैं । ये सभी चित्र सजावट या लिपिकार के लेखन-कौशल के प्रदर्शन के लिए होते हैं । पांडुलिपियों में ताड़पत्रों के ग्रंथों के पत्रों के बीच में छोरी या सूत्र डालने के लिए गोल छिद्र किए जाते थे और लिखने में बीच में इसी निमित्त लेखक गोलाकार स्थान छोड़ देता था । यह अनुकरण कागज की पाण्डुलिपियों में भी किया जाने लगा । इस गोलाकार स्थान को विविध प्रकार से सजाया भी जाने लगा ।

उपयोगी चित्रों वालो पुस्तके

सजावट वाले चित्रों से भिन्न जब ग्रंथ के विषय के प्रतिपादन के लिए या उसे दृश्य बनाने के लिए भी चित्र पुस्तक में दिये जाते हैं, तब ये चित्र पूरे पृष्ठ के हो सकते हैं और ग्रंथ में आने वाली किसी घटना का एव दृश्य का चित्रण भी इनमें हो सकता है । कभी-कभी इन चित्रों में स्वयं लेखक को भी हम चित्रित देख सकते हैं । पूरे पृष्ठों के चित्रों के अनिश्चित ऐसी चित्रित पुस्तकों में पृष्ठ के ऊपरी बाएँ भाग में, नीचे बाएँ भाग में, पृष्ठ के बाईं ओर के ऊपरी चौथाई भाग में या बाईं ओर के नीचे के चौथाई भाग में, या नीचे के चौथाई भाग में चित्र बन सकते हैं या बीच में भी बनाए जा सकते हैं । ऊपर नीचे लेख और बीच में चित्र हो सकते हैं । जब कभी किसी काव्य के भाव को प्रगट करने के लिए

1. शीटा-सग्रहालय में श्रीमद्भागवत की एक ऐसी पाण्डुलिपि है जिसका प्रत्येक पृष्ठ रंगीन चित्रों से चित्रित है ।

कलकत्ता आशुतोष-बला-सग्रहालय में एक कागज पर लिखी 1105 ई० की बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय की पाण्डुलिपि है, इसमें बौद्ध देवताओं के आठ चित्र हैं । इस प्रति का महत्त्व इसलिए भी है कि यह कागज पर लिखे प्राचीनतम ग्रंथों में से है ।

अलवर सग्रहालय में महत्त्वपूर्ण चित्रित पाण्डुलिपियाँ इस प्रकार हैं—(1) भागवत—कुंडली रूप में लिखित, चित्रयुक्त 18 फुट लम्बा है । (2) गीत गोविन्द, अलवर गौरी के चित्रों से युक्त है, (3) बारुयातेबाबरी हुमायूँ के समय में तुकी से फारसी में अनूदित हुई । इसमें चित्र भारतीय-ईरानी शैली के हैं । शाहनामा—इसके चित्र उत्तर-पुगल-काल की शैली के हैं । 'मुलिना'—इसकी वह प्रति यहाँ सुरलित है जिसे महाराज विनयसिंह ने पीने दो लाख रुपये व्यय करके तैयार कराया था और इसकी तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे ।

चित्र दिए जाते हैं तो काव्य का कोई ग्रंथ चित्र के ऊपर या नीचे अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार ग्रंथ अनेक प्रकार से चित्रित किए जा सकते हैं। ये चित्र सजावट वाली चित्रशैली से भी युक्त बनाए जा सकते हैं। ऐसे चित्रों में हाशिए को विविध प्रकार की सुन्दर आकृतियों से सजाया जाता है तब चित्र बनाया जाता है।

इन चित्रों में अपने काल की चित्र-कला का रूप उभर कर आता है। इनके कारण ऐसी पुस्तकों का मूल्य बहुत बढ़ जाता है।

सामान्य स्याही से भिन्न माध्यम में लिखी पुस्तक

सामान्यतः पुस्तक लेखन में ताडपत्रों को छोड़कर काली पक्की स्याही से ग्रथ लिखे जाते रहे हैं। लाल स्याही को भी इस सामान्य ही कहेंगे किन्तु इस प्रकार की सामान्य स्याही से भिन्न कीमती स्वर्ण या रजत अक्षरों में लिखे हुए ग्रथ भी मिलते हैं। अतः इनका एक अलग वर्ग हो जाता है। ये स्वर्णाक्षर अथवा रजताक्षर हस्तलेखों के महत्त्व और मूल्य को बढ़ा देने हैं। साथ ही ये लिखवाने वाले की रुचि और समृद्धि के भी द्योतक होते हैं। स्वर्णाक्षर और रजताक्षरों में लिखे हुए ग्रथों को विशेष सावधानी से रखा जायेगा और, उनके रखने के लिए भी विशेष प्रकार का प्रबन्ध किया जायेगा। स्पष्ट है कि स्वर्णाक्षरी और रजताक्षरी पुस्तकें सामान्य परिपाटी की पुस्तकें नहीं मानी जा सकती। ऐसी पुस्तकें बहुत कम मिलती हैं।

अक्षरों के आकार पर आधारित प्रकार

अक्षर सूक्ष्म या अत्यन्त छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। इसी आधार पर सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें और म्यूनाक्षरी पुस्तकें के भेद हो जाते हैं। सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें के बड़े उपयोग हैं। पत्रपाट में बीच के पाठ को छोड़कर सभी पाठ सूक्ष्माक्षर में लिखने होते हैं, तभी पत्रपाट एक पन्ने में आ सकते हैं। इसी प्रकार से एक ही पन्ने में 'मूल' के अक्षरों के साथ विविध टीका टिप्पणियाँ भी आ सकती हैं।

सूक्ष्माक्षरी सूक्ष्माक्षरों में लिखी पुस्तकें छोटी होगी, और सरलता से यात्रा में साथ ले जाई जा सकती है। अतः जैन-मुनि यात्रायों में सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें ही रखते थे।

अक्षरों का आकार छोटे-से-छोटा इतना छोटा हो सकता है कि उस देखने के लिए आतिशी-शीशा आवश्यक हो जाता है। सूक्ष्माक्षर में लिखने की कला तब अत्यन्त रूप से लेती है जब एक चावल पर 'गीता' के सभी अक्षरों अंकित कर दिये जायें।

स्यूलाक्षरी

पुस्तक बड़े-बड़े अक्षरों में भी लिखी जाती हैं। ये मंद-दृष्टि पाठकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं अथवा इतना कि इन्हें पोथी की भाँति पढ़ने में सुविधा होती है।

कुछ और प्रकार

अब जो प्रकार यहाँ दिए जा रहे हैं, वे आजकल प्रचलित प्रकार हैं। इन्हीं के आधार पर आज खोज रिपोर्टों में ग्रन्थ प्रकार दिए जाते हैं।

पांडुलिपियाँ इतने प्रकार की मिलती हैं :—

- (1) खुले पत्रों के रूप में । पत्राकार ।
- (2) पोथी । कागज को बीच से मोड़कर बीच से सिली हुई ।
- (3) गुटका । बीच से या ऊपर से (पुस्तक की भाँति) सिला हुआ । इसके पत्र अपेक्षा-कृत छोटे होते हैं । पत्रों का आकार प्रायः 6 × 4 इंच तक होता है ।
- (4) पोथो । बीच से सिली हुई ।

पोथी और पोथो में अन्तर है । पोथी के पन्ने अपेक्षाकृत आकार में छोटे और संख्या में कम होते हैं । पोथो में इससे विपरीत बात है ।

- (5) पानाबली । यह बहीनुमा होती है । लम्बाई अधिक और चौड़ाई कम । चौड़ाई वाले सिरे से सिलाई की गई होती है । इसे बहीनुमा पोथी भी कभी-कभी कह दिया जाता है ।
- (6) पोथियाँ । पुस्तक की भाँति लम्बाई या चौड़ाई की ओर से सिला हुआ ।

इसमें और पोथी में सिलाई का अन्तर है । पोथियाँ प्रायः संकलन ग्रन्थ होते हैं, प्रथवा अनेक रचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है, बाद में उन सबको एकसाथ बड़े ग्रन्थ के रूप में सिलवा लिया जाता है । इन सिले ग्रन्थों का लिपिकाल प्रायः भिन्न-भिन्न ही होता है ।

कौनसा प्रकार कितना उपयोगी है, इसको समझने के लिए उसका उद्देश्य जानना जरूरी है ।

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उन्हें बस्तुतः दो बड़े वर्गों में रखा जा सकता है ।

(क) ग्रन्थ प्रकार

(1)

पत्रों के रूप में

- 1—खुले पत्रों के रूप में
- 2—बीच में छेद वाले डोरी-ग्रंथ युक्त
- 1—इनका प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष हुआ लगता है । जैनों के प्रतिरिक्त इसके पश्चात् जन-साधारण में और अन्यत्र यही रूप विशेष प्रचलित रहा । संख्या में सर्वाधिक यही मिलते हैं ।

विशेषताएँ :

- (1) इनमें पृष्ठ-संख्या लगाने की पद्धति :
 - (क) बायें हाथ की ओर हाशिये में सबसे ऊपर किन्तु 'श्री गणेश' भाग से हटकर कुछ नीचे, तथा
 - (ख) उसी पन्ने के द्वितीय भाग (पृष्ठ 2) में दाये हाथ की ओर नीचे ।

(2)

जिल्ब के रूप में

- | | | |
|------|---------|-----------------|
| पोथो | पोथी | गुटका |
| | | |
| | लम्बाई- | लम्बाई-चौड़ाई |
| | चौड़ाई | में लम्बाई |
| | बराबर | अपेक्षाकृत अधिक |

इसका विशेष उद्देश्य—

पोथी : 1—घरू

- 2—सम्प्रदाय-पीठ, मन्दिर (एक शब्द में धार्मिक सस्था विशेष) के लिए
 - 3—पीठी के लिए—मामूहिक रूप से भविष्य की पीढ़ियों के लिए
- पोथी : ऊपर दी गयी बातों के प्रतिरिक्त
- (i) भेंटस्वरूप देने के लिए

(2) नाम लिखने की पद्धति :

(क) जहाँ पृष्ठ-सख्या लिखते थे उसके ठीक नीचे या ऊपर (सामान्यतः) रचना के नाम का प्रथम अक्षर (अपवादस्वरूप दो अक्षर भी) लिखते थे। ऐसा साधारणतः प्रथम पृष्ठ के बायें हाथ वाले अक्षर के साथ ही किया जाता था। दूसरे पृष्ठ के बायें हाथिये या दायें हाथिये में लिखी पृष्ठ-सख्या के पास भी। यो रचना नाम हाथियो (केवल बायें ही) के बीच में भी लिखे मिलते हैं।

(3) विशेष

(क) एक पन्ने की सख्या एक ही मानी जाती थी, आधुनिक पुस्तकों में निम्नी पृष्ठ-सख्या की भांति दो नहीं।

(ख) पाथा, पोथी और गुटके में काम आने वाली पद्धति नीचे दी जा रही है।

(ii) बेचने के लिए

(iii) किसी के कहने पर दान में देने के लिए। किसी के कहने पर लिखी गयी या बनायी गयी पोथी भी इसी वर्ग में आयेगी

(iv) अपने लिए

गुटका : उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त निम्न-लिखित और

(i) पाठ के लिए

(ii) रवाध्याय हेतु

कुछ ऐसी प्रथा थी कि गुटके को सामान्यतः किसी को दिखाया या दिया नहीं जाता था। किन्तु ऐसी वर्जना उसी गुटके के लिए होती थी जिसमें धार्मिक भावना निहित होती थी वैसे उसका खूब उपयोग होता था।

विशेष : इन सबमें गुटके के दोनो रूप विशेष प्रचलित रहे।

कारण (1) गृध्रा, (2) मञ्जूती एवं (3) सक्षेप लघु आकार। फलतः सैकड़ों गुटके मिलते हैं। शेष दो रूप (पोथी एवं पोथी) भी मिलते हैं, पर अपेक्षाकृत कम।

विशेष उपयोगिता :

इन सब कारणों के अतिरिक्त इनकी कुछ और उपयोगिताएँ भी थी, यथा—

1—राजस्थान के राजघराने में पठन-पाठन के लिए, सग्रह के लिए।

2—राजपूत राजघराने से विशेष रूप से सम्बन्धित चारण आदि जातियों में परम्परा सुरक्षित रखना और व्यवसाय की प्रवृत्ति के लिए।

3—भाटो में राज म. गोद लेने पर, विशेष अवसर पर भेंट या प्रमत्तता के प्रतीक के रूप में दिये जाने के लिए।

4—नाथों में

5—जैनो में—तथा,

6-षनिष्ठ मित्रों आदि में घापस में दिये जाते थे—उदाहरणार्थ—

(धर्म-भाई बनाते समय, धर्म-बहिन बनाते समय, पवित्र स्थानों में)

पोथो, पोथी, गुटका

इनमें भी पृष्ठ संख्या लगाने की पद्धति भी उपरिषत् है, प्रकार में यत्किञ्च भेद है। इन तीनों में ही 'लेजर' की भाँति 'फोलियो' संख्या रहती है। हमें 'फोलिया' शब्द ग्रहण कर लेना चाहिए।

पृष्ठ संख्या की पद्धति।

1. बायें पन्ने के ऊपर आरम्भिक पक्ति के बराबर या उससे कुछ नीचे संख्या दी जाती है। यही संख्या दायें पन्ने के दायें हाशिये के ऊपर इसी प्रकार लगाई जाती है। इनमें संख्या सामान्यतः ऊपर की ओर ही देने की परिपाटी रही है।
2. दूसरा रूप इस प्रकार है : बायें पन्ने के ऊपर (उपरिषत्) तथा दाये पन्ने के दायें हाशिये में नीचे की ओर। यह पद्धति विशेष सुविधाजनक रहती है। एक ओर के किनारे नष्ट होने पर भी शेषांश बचा रहने पर इस संख्या का पता लगाया जा सकता है।
3. पृष्ठ संख्या (फोलियो संख्या से तात्पर्य है) पोथो, पोथी, गुटका आदि में कहीं तक दी जाय, इसके लिए दो परिपाटियाँ रही हैं—
(क) आदि से लेकर बीच की सिलाई के दायें पन्ने तक।
(ख) आदि से लेकर अन्तिम पन्ने तक।

विशेष : (ख) में दी गयी स्थिति में यदि अन्त में एक ही पन्ना हा ओर वह बायाँ हो सकता है, तो भी उसी ढंग से संख्या दी जाती थी। इसकी गणना ठीक उसी रूप में की जाती थी जिसमें शेष 'फोलियो' की।

4. इनमें भी रचना का प्रथम अक्षर संख्या के नीचे लिखा रहता है किन्तु केवल बायें पन्ने की संख्या के नीचे ही।
इन तीनों के विषय में ये बातें विशेष रूप से लागू होती हैं :—
(क) यदि सकलन-ग्रन्थ है, तो अक्षर रचना का नाम (उसका प्रथम अक्षर लिखा जायगा)।
(ख) यदि हरजस, पद आदि विषयक ग्रन्थ है (जो संकलन ही है) तो उसमें 'ह०' या 'भ०' (भजन), गी० (गीत) आदि लिखा मिलता है।
(ग) यदि एक ही रचना है, तो स्वभावतः उसी के नाम का प्रथम अक्षर लिखा जायगा।

सिद्धाई

1. पत्राकार पुस्तकों में
(क) खुले पत्रों के रूप में
(ख) बीच में छेद वाले रूप में

- (क) खुले पन्नों वाली पुस्तक की तो सिलाई का प्रश्न नहीं उठता। पन्ने क्रमानुसार सजाकर किसी बस्ते में बांधे जाते थे। पुस्तक के ऊपर-नीचे विशेषतः लकड़ी की और गौणतः पत्तों के उसके पन्नों से कुछ बड़ी आकार की पटरियाँ लगा दी जाती थी। इससे पन्नों की सुरक्षा होती थी। इसको भगवे, पीले या लाल रंग के बस्त्र से लपेट कर रखते थे। यह बस्त्र दो प्रकार का होता था :—

(1) बुगचा—यह तीन धोर से सिला हुआ होता था, चौथे कोने में एक मजबूत डोरी भी लगी रहती थी। पटरियों सहित पुस्तक को इसमें रखकर डोरी से लपेट कर बांध दिया जाता था।

(2) चौकोर बस्त्र—इस कपड़े से बांध दिया जाता था।

- (ख) बीच में छेद वाली खुले पन्नों की पुस्तकें अपेक्षाकृत कम मिलती हैं। प्रतीत होता है ताड़पत्र-ग्रन्थों की यह नकलें हैं। इस प्रकार की हस्तप्रति में प्रत्येक पन्ने के दोनों धोर ठीक बीच में एक ही आकार-प्रकार का फूल बना दिया जाता था। प्रत्येक में केवल एक पंसे (पुराने तबिये के पंसे) के बराबर रंगीन गोला बना रहता था। इन ग्रन्थों में पन्नों की लम्बाई-चौड़ाई सावधानीपूर्वक एक ही रखी जाती थी। सब ग्रन्थ लिखे जाने के बाद उसके पन्नों में छेद करके रेशमी या ऊन की डोरी उनमें पिरो दी जाती थी। इस प्रकार इन्हें बांध कर रखा जाता था। ऐसे ग्रन्थ सामान्यतः दूसरों को देने के लिए न होकर धर्म के स्थान-विशेष अथवा परिवार या व्यक्ति-विशेष के निजी संग्रह के लिए होते थे। इनके लिखने और रखने तथा प्रयुक्त करने में सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ती थी। वय भी अचिन्त होता था। यही कारण है कि ऐसे ग्रन्थ कम मिलते हैं।

2. पोथी, पोथी, गुटक

पुराने समय के जितने भी ऐसे ग्रन्थ देखने में आये हैं (डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बीस हजार के लगभग ग्रन्थ देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि) वे सभी बीच से सिंसे हुए मिलते हैं। इनके दो रूप हैं :—

- 1- एक-जैसे आकार के पन्नों को लेकर, उन्हें बीच से मोड़कर बीच से सिलाई की जाती थी,
- 2- क्रमशः (चौड़ाई की ओर से) घटते हुए आकार के पन्ने लगाना।

(1) ग्रन्थ के बड़ा होने के कारण या/तथा (2) लम्बाई अचिन्त होने के कारण ऐसा किया जाता था। उदाहरणार्थ—

पहले 100 पन्ने	1 फुट के
दूसरे 100 पन्ने	10 इंच (या 10" या 11") के
तीसरे 100 पन्ने	8 इंच के

ऐसे ग्रन्थ अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, किन्तु यह पद्धति वैज्ञानिक है। ऐसे एक ग्रन्थ का उपयोग डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने डी० लिट्० की थीसिस में किया है।

(3) सिलाई मजबूत रेशमी या बहुधा सूत की बटी हुई डोरी से होती थी। गूँठ वाला प्रश्न प्रायः इनके बीच में लिया जाता था। यदि ग्रन्थ बड़ा हुआ तो मजबूती

के लिख सिलाई के प्रत्येक छेद पर धागा बिरोने से पूर्व कागजों, गत्तों या चमड़ों का एक गोला आकार का अंश काटकर लगाते थे। ऐसा दोनों ओर भी किया जाता था और एक ओर भी किया जाता था। इसी को 'ग्रंथि' कहते हैं। शतम्य है कि जिन ग्रन्थों में लिपिकार की (या जिनके लिए बहू तैयार किया गया है—उनकी) किसी प्रकार की धर्मभावना निहित होती थी तो चमड़े का उपयोग कभी नहीं किया जाता था।

ऐसे ग्रन्थों की सिलाई के सम्बन्ध में दो बातें हैं :

- (क) पहले सिलाई करके फिर ग्रन्थ लेखन करना,
- (ख) पहले लिखकर फिर सिलाई करना। दूसरे के सम्बन्ध में एक बात और है। मान लीजिए कभी-कभी आरम्भ के 10 बड़े पन्नों पर रचना लिख ली गई। तत्पश्चात् और अधिक रचनाओं के लिखने का विचार हुआ और उनको भी लिखा गया। अब सिलाई में आरम्भ के 10 बड़े पन्ने दो भागों में विभक्त होंगे। प्रथम 5 का अंश आदि में रहेगा और शेषांश सिलाई के मध्यभाग के पश्चात्। अतः यदि किसी ग्रन्थ के आदि भाग में कोई रचना अपूर्ण हो, और बाद में उसी ग्रन्थ में उसकी पूर्ति इस रूप में मिल जाय तो प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए।

3- आदि और अन्त के भाग में (प्रायः विषय सख्या के - 5, 7, 9, 11) पन्ने अतिरिक्त लगा दिये जाते थे। इसके ये कारण थे :—

- (क) मजबूती के लिए आदि और अन्त में कुछ कोरे पन्ने रहने से लिखित पन्ने सुरक्षित रहते हैं।
- (ख) यदि रचना पूरी न लिखी जा सकी हो तो सम्भावित छूटे हुए अक्षरों को लिखने के लिए।
- (ग) लिपिकार, स्वामी, उद्देश्य आदि से सम्बन्धित बातें लिखने के लिए, उदाहरणार्थ :—

- (अ) कभी-कभी कोई ग्रन्थ बेचा भी जाता था। अन्त के पन्नों में या कभी आदि के पन्नों में भी उसका सन्दर्भ रहता था। गवाहों के भी नाम दिये जाते थे। बेचने की कीमत, मिति और सबद का उल्लेख होता था।
- (ब) यदि भेंटस्वरूप दिया गया, तो धनदाता का, स्थान का, कारण का उल्लेख रहता था।

इन व्यवहारों को सूचित करने के लिए भी कुछ पन्ने कोरे छोड़े जाते थे। इन छूटे हुए या अतिरिक्त कोरे पन्नों के सम्बन्ध में ये बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

- (क) यदि कोई रचना अधूरी रह गई, तो प्रायः उसकी पूर्ति आरम्भ के पन्नों से की जाती थी। ऐसा करने में कभी-कभी आदि के भी तीन-चार या कम-बेशी पन्ने खाली रह जाते थे। हस्त-ग्रन्थों के बिद्यार्थी और पाठक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

- (ख) किसी रचना का बाद में मिला हुआ कोई अंग भी इनमें लिखा जाता था, भले ही ऐसा कम ही किया जाता था।
- (ग) ग्रन्थ में जिस कवि/लेखक की रचना लिपिबद्ध होती थी, प्रायः उसकी कोई अन्य रचना बाद में मिलती थी तो वह भी इन पन्नों में लिखी जाती थी।

शिलालेख : प्रकार

ग्रन्थों के बाद हस्तलेखों की दृष्टि से शिलालेखों का स्थान आता है। शिलालेख भी कितने ही प्रकार के माने जा सकते हैं :—

1. पर्वताश पर लेख (पर्वत में लेखन-योग्य स्थान देखकर उसे ही लेखन-योग्य बनाकर शिला-लेख प्रस्तुत किया जाता है।) ये शिला-लेख एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाये जा सकते।
2. गुफाओं में पर्वताश पर खुदे शिला-लेख। ये भी ग्रन्थत्र नहीं ले जाये जा सकते।
3. पर्वत से शिलाएँ काटकर उन पर अंकित लेख। ये शिलाएँ एक स्थान से दूसरे पर ले जायी जा सकती हैं।
4. स्तम्भों या लाटों पर लेख।

वर्णित विषय के आधार पर इन लेखों के कई भेद किए जा सकते हैं

1. राजकीय आदेश विषयक शिला-लेख।
2. दान विषयक शिला-लेख।
3. किसी स्थान निर्माण के अभिप्राय तथा काल के द्योतक शिला-लेख, तथा
4. किसी विशेष घटना के स्मरण-लेख।

शिला-लेख सभी खुदे हुए होते हैं, किन्तु कुछ में खुदे अक्षरों में कोई काला पत्थर या सीसा (lead) या अन्य कोई पदार्थ-ममाला भरकर लेख प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसा विशेषतः सगरमरमर पर खुदे अक्षरों में किया जाता है।

ये सभी इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं। पर्वतीय शिला-लेख अचल होते हैं, अतः इन शिला-लेखों की छापें पाण्डुलिपि-शालय में रखी जाती हैं। जहाँ शिला-लेख उठाये जा सकते हैं वे मूल में ही ले जाकर हस्तलेखागार या पाण्डुलिपि-शालय में रखे जाते हैं।

छाप लेना : इनकी छाप लेने की प्रक्रिया यहाँ दी जाती है। यह प० उदयशंकर शास्त्री के लेख से उद्धृत की जा रही है।

आरम्भ में इन शिलालेखों को पढ़ने के लिये अक्षरों को देखकर उनकी नकलें तैयार की जाती थी और फिर उन्हें पढ़ने का कार्य किया जाता था। इस पद्धति से अक्षर का पूरा स्वरूप पाठक के सामने नहीं आ पाता था, और इसीलिये कभी-कभी भ्रम भी हो जाया करता था। कभी-कभी पैरिस प्लास्टर की सहायता से भी छापें (Estampage) तैयार की गईं, पर उनमें अक्षर की पूरी आकृति उभर नहीं पाती थी। अक्षर की पूरी गोलाई, मोटाई, उसके घुमाव, फिराव के लिये यह आवश्यक है कि जिस स्थान (शिला अथवा टाइपट्र) पर वह उत्कीर्ण हो उस पर छाप ली जाने वाली चीज पूरी तरह से

चिपक सके। इसके लिये अब सबसे सुविधाजनक कागज उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार जूनागढ से भेगवाती है। लेख वाले स्थान को पहिले साफ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिये ताकि अक्षरों में धूल, मिट्टी या और किसी तरह की कोई चीज भरी न रह जाय। फिर कागज को पानी में अच्छी तरह भिगोकर चिपका देना चाहिये, फिर उसे मुलायम ब्रुश से पीटना चाहिये, जिससे अक्षरों में कागज अच्छी तरह चिपक जाये। उसके बाद एक कपडा भिगोकर कागज के ऊपर लगा दें और उमे कडे ब्रुश से पीट-पीट कर कागज को और चिपका दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लेख पर कागज चिपकाते समय लेख और कागज के बीच में बुलबुले (Bubbles) न उठने पावे, और यदि उठ जाये तो उन्हें ब्रुश से पीट-पीटकर किनारे पर कर देना चाहिए अन्यथा अक्षर पर कागज ठीक चिपक न सकेगा। पीटते समय यदि कहीं से कागज फट जाये तो उसके ऊपर तुरन्त ही कागज का दूसरा टुकड़ा भिगोकर लगा देना चाहिये। थोडा पीट देने से कागज पहले वाले कागज में अच्छी तरह चिपक जायेगा। जब कागज अच्छी तरह से अक्षरों में घुस जाये तब ऊपर का कपडा उतार कर मुलायम ब्रुश से फिर इधर-उपर उठ गई फुटकियों को सुधार लेना चाहिये। अब थोड़ी देर तक कागज को हवा लगने छाड देना चाहिये जिससे कि कागज सूख जाये। फिर एक तश्तरी में कालिख (Black Japan) धोल कर डैबर की सहायता से लेख की पंक्तियों पर क्रमश लगा देना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी पंक्ति पर अक्षर न घाने पाये अन्यथा अक्षर धुँबला पड जायगा और उसकी आकृति स्पष्ट न हो सकेगी, कागज पर जब रोशनाई ठीक से लग जाये तब उमे सावधानी से उतार कर सुखा लेना चाहिये। आजकल कालिख को घोला कर लगाने के बजाय कोई-कोई सूखा ही लगाते है। पर उससे द्याप (Estampage) में वह चमक नहीं आ पाती जो गीले काजल में आती है।

यह पद्धति उन लेखों के लिए है जो गहरे खोदे हुए होते है, पर उर्दू आदि के उभरे हुए लेखों के लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है अन्यथा कागज फट जाने की बहुत सम्भावना रहती है।

साधारणतया छाप तैयार करने के लिए यह सामग्री अपेक्षित होती है—

1. निरछे लम्बे ब्रुश (Bent bar Brush) 2।
2. एक गज सफेद हल्का कपडा।
3. स्याही धोलन के लिये तश्तरी।
4. एक डैबर (Dabbar) स्याही मिलाने के लिये।
5. एक डैबर बडा (लेख पर स्याही लगाने के लिये)।
6. जूनागढी कागज (इसके अभाव में भी छाप लेने का काम मामूली कागज से लिया जा सकता है, पर कागज चिपकना कम होना चाहिये)।
7. चाकू।
8. नापने के लिये कपडे का फीता या लोहे का फुटा (यदि यह सब सामान एक छोटे सन्दूक में रखा जा सके तो यात्रा में सुविधा रहेगी)

भारतीय लिपियों व शिला-लेखों का अनुसन्धान करने वालों को अवलम्बित साहित्य देखना चाहिये—

एपिग्राफिया इंडिका ।
 एपिग्राफिया इंडोमुसोलोमिका ।
 एपिग्राफिया करनाटिका ।
 इंडिशोपैलियोग्राफी, जार्ज ब्रूलर ।
 इंडियन एण्टीक्वैरी ।

‘ए थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑव दी नागरी अल्फाबेट’ ग्रामा शास्त्री का लेख,
 इंडियन एण्टीक्वैरी, मा० 25, पृ० 253-321 ।

पैलियोग्राफिक नोट्स, भंडारकर अभिनन्दन ग्रन्थ में विष्णु सीताराम सुकथनकर
 का लेख पृ० 309-322 ।

आउटलाइन्स ऑव पैलियोग्राफी, एच० आर० कापडिया का लेख, जर्नल ऑव द
 यूनिवर्सिटी ऑव बाम्बे, आर्ट एण्ड लेटर्स स० 12, जि० 6 सन् 1938, पृ० 87-110 ।

ए डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑफ दी नागरी, गुजराती एण्ड मोडी स्क्रिप्ट्स, एच०
 आर० कापडिया का लेख, भंडारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट की पत्रिका
 भा० 19, 3 (1938) पृ० 386-418 ।

जैन-चित्र-कल्पद्रुम भूमिका, मुनि पुण्य विजयजी	अहमदाबाद ।
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, म० म० पंडित गौरीशंकर	
हीराचन्द ओझा	अजमेर ।
ओरिजन ऑव दी बंगाली स्क्रिप्ट, राखालदास बन्धोपाध्याय	कलकत्ता ।
इंडियन पैलियोग्राफी, भाग-1, डॉ० राजबली पाण्डेय	काशी ।
दी अल्फाबेट, डी० डिर्गार	लंडन ।
हिन्दी विश्व कोश (श्री नगेन्द्रनाथ बसु रचित) का ‘अक्षर’ शब्द	कलकत्ता ।
अशोक इस्क्रिप्शनम इंडिकेरुम, हुल्श,	लंडन ।
अशोक इस्क्रिप्शनम इंडिकेरुम, कनिंघम	कलकत्ता ।
गुप्त इस्क्रिप्शनम, जे० एफ० फ्लीट०	कलकत्ता ।
अशोक की धर्मलिपियाँ, ओझा, श्यामसुन्दर दास	काशी ।
प्रियदर्शी प्रशस्तय, म०म० रामावतार शर्मा	पटना ।
सेलेक्ट इस्क्रिप्शनस, डी०सी० सरकार	कलकत्ता ।
कलचुरी इस्क्रिप्शनस, वी०बी० मिराशी	उत्कलमण्डु । ¹

धातुपत्र : अन्य प्रकार के लेख :

ताम्र, रौप्य, सुवर्ण, कांस्य आदि के पत्र भी ऐसे ही कामों में आते हैं जैसे शिलालेख आते हैं । ये धातुपत्र एक विशेष उपयोग में भी लाये जाते हैं । वह हैं किसी के सम्मान में ‘प्रशस्ति’ लेखन । यह प्रथा तो आधुनिक युग में भी प्रचलित है । कई सस्थाओं ने विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में उनकी यशःप्रशस्ति खुदवाकर ताम्रपत्रादि भेंट किये हैं ।

1. शास्त्री, उदयशंकर (प०)—शिला-लेख और उनका वाचन, भारतीय साहित्य (जगन्नी, 1959), पृ० 132-134 ।

पत्र-चिट्ठी पत्रो :

यों तो सभी व्यक्तियों की लिखी चिट्ठी-पत्री को पांडुलिपि या हस्तलेख माना जा सकता है, पर पांडुलिपिकारों की दृष्टि से किसी न किसी ऐतिहासिक महत्त्व की चिट्ठी-पत्री को ही पांडुलिप्यागारों में स्थान दिया जा सकता है—ये पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, यथा,

राजकीय व्यवहार के पत्र : ये पत्र परस्पर राजकीय उद्देश्य से लिखे जाते हैं। इनसे तत्कालीन राजकीय दृष्टि और मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, और ऐतिहासिक घटनाओं का भी इनमें उल्लेख रह सकता है, तथा ये स्वयं किन्हीं राजकीय घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

राजकीय व्यक्तियों के निजी और घरेलू पत्र इन पत्रों से उन व्यक्तियों की निजी और स्वयं तथा नाते-रिश्ते सम्बन्धी वार्ता पर प्रकाश पड़ता है। कभी-कभी ये राजकीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि या भूमिका भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इन पत्रों का एक वर्ग अपनों परनी या प्रेमिका को लिखे गये या उनसे मिले पत्रों का भी हो सकता है। इनमें एक वर्ग उन पत्रों का हो सकता है जिनसे घरेलू समस्याओं पर प्रकाश पड़ता हो।

निम्नलिखित प्रकार के पत्र भी संग्रहणीय हो सकते हैं।

साहित्यकारों—कलाकारों के पत्र

बड़ी-बड़ी फर्मों के पत्र

सफल व्यापारियों के व्यावसायिक पत्र

सफल व्यापारियों के निजी पत्र

राजनेताओं तथा अन्य महान आत्माओं के पत्र, सार्वजनिक व निजी

इसी प्रकार अन्य कोटि के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक-पत्र भी पांडुलिपि की कोटि में रखे जा सकते हैं।

कुछ अद्भुत लेख

कोशान दिखाने के लिए ऐसे लेख भी लिखे गये हैं जो सीप, हाथीदांत, चावल तथा अन्य ऐसे ही पदार्थों पर हो। वस्तुतः ये 'अद्भुतालय' (Museum) में रखने की वस्तुएँ हैं। पर पांडुलिपि के क्षेत्र में तो परिगणनीय हैं ही।

मिट्टी, चीनी या धातुओं के विविध पत्रों पर अंकित कोई लेख जो छोटा या 2-4 अक्षरों का ही क्यों न हो, पांडुलिपि माना जायगा।

इसी प्रकार विविध सिक्के भी जिन पर कोई अभिप्राय या लेख या वृत्त (Legend) अंकित है, पांडुलिपि है।

मिट्टी के खिलौने या सचिं भी जिनमें कोई वृत्त अंकित हो पांडुलिपि है।

पत्थर, धातु या अन्य प्रकार की वे मूर्तियाँ जिन पर लेख हैं, पांडुलिपि मानी जायेगी।

ऐसे ही वस्त्राभूषण, शंशूठियाँ, पर्दे, पट-कथा के पट, जिन पर लिपि में कुछ हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के 'लिप्यासन' (लिपि का आसन) पर लिपि-रचना पांडुलिपि की कोटि में आयेगी।

उपसंहार

पाण्डुलिपि के कितने ही प्रकारों की विस्तृत चर्चा ऊपर की गयी है। इनमें नरिययो एवं बिट्टी पत्रियों का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया। इनका विवेचन आधुनिक पाण्डुलिपि पुस्तकालयों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। किन्तु यह विषय इतना विशद भी है कि प्रस्तुत पुस्तक के दूसरे खण्ड को जन्म दे सकता है।

यहाँ तक जितना विषय चर्चित हुआ है उतना स्वयमेव एक पूरे विज्ञान का एक पूरा पक्ष प्रस्तुत कर देता है। अतः इतनी चर्चा ही इस अध्याय के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।



लिपि - समस्या

महत्त्व :

पांडुलिपि-विज्ञान में लिपि का बहुत महत्त्व है। लिपि के कारण ही कोई चिह्नित वस्तु हस्तलेख या पांडुलिपि कहलाती है। 'लिपि' किसी भाषा को चिह्नो में बाँधकर दृश्य और पाठ्य बना देती है। इससे भाषा का वह रूप सुरक्षित होकर सहस्राब्दियों बाद तक पहुँचता है जो उस दिन था जिस दिन वह लिपिबद्ध किया गया। विश्व में कितनी ही भाषाएँ हैं, और कितनी ही लिपियाँ हैं। पांडुलिपि विज्ञान के अध्येता के लिए और पांडुलिपि-विज्ञान-विद् बनने वालों के समक्ष कितनी ही लिपियों में लिखी गयी पांडुलिपियाँ प्रस्तुत हो सकती हैं। पुस्तक की अन्तरंग जानकारी के लिए उन पुस्तकों की लिपियों का कुछ ज्ञान अपेक्षित है। वस्तुतः विशिष्ट लिपि का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं जितना उस वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अपेक्षित है जिससे किसी भी लिपि की प्रकृति और प्रवृत्ति का पता चलता है। इस ज्ञान से हम विशिष्ट लिपि की प्रकृति और प्रवृत्ति जानकर अध्येता के लिए अपेक्षित पांडुलिपि का अन्तरंग परिचय दे सकते हैं। अतः लिपि का महत्त्व है, किसी विशेष युग या काल के विशेष दिन की भाषा के रूप को पाठ्य बनाने के लिए सुरक्षित करने की दृष्टि से एवं इसलिए भी कि इसी के माध्यम से पांडुलिपि-विज्ञानार्थी वैज्ञानिक विधि से पुस्तक के अन्तरंग का अपेक्षित परिचय निकाल सकता है, अतः आज भी लिपि का महत्त्व निर्विवाद है, वह चाहे पुरानी से पुरानी हो या अर्वाचीन।

लिपियाँ :

विश्व में कितनी ही भाषाएँ हैं और कितनी ही लिपियाँ हैं। भाषा का जन्म लिपि से पहले होता है, लिपि का जन्म बहुत बाद में होता है। क्योंकि लिपि का सम्बन्ध चिह्नो से है, चिह्न 'अक्षर' या 'अल्फाबेट' कहे जाते हैं। ये भाषा की किसी ध्वनि के चिह्न होते हैं। अतः लिपि के जन्म से पूर्व भाषा भाषियों को भाषा के विश्लेषण में यह योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिये कि वे जान सकें कि भाषा में ऐसी कुल ध्वनियाँ कितनी हैं जिनसे भाषा के सभी शब्दों का निर्माण हो सकता है। भाषा का जन्म वाक्य रूप में होता है। अवश्लेषक बुद्धि का विकास होने पर भाषा को अलग-अलग अवयवों में बाँटा जाता है। उन अवयवों में फिर शब्दों को पहचाना जाता है। शब्दों को पहचान सकने की क्षमता विश्लेषक-बुद्धि के और अधिक विकसित होने का परिणाम होती है। 'शब्द' अर्थ से जुड़े रहकर ही भाषा का अवयव बनते हैं। संस्कृति और सभ्यता के विकास से 'भाषा' नये अर्थ, नयी शक्ति और क्षमता तथा नया रूपान्तरण भी प्राप्त करती है। सञ्चयन, परिवर्द्धन, आगम, लोप और विपर्यय की सदा प्रक्रियाओं से भाषा दिन-ब-दिन कुछ से कुछ होती चलती है। इस प्रक्रिया में उसके शब्दों में भी परिवर्द्धन आते हैं तदनुकूल धर्म-विकार भी प्रस्तुत होते हैं। अब 'शब्द' का महत्त्व ही उठता है। शब्द की इकाइयों से उनके 'ध्वनि-तत्त्व' तक सहज ही पहुँचा जा सकता है। यह आगे का विकास है। ध्वनियों के विश्लेषण से किसी भाषा की प्राध्वारभूत ध्वनियों का ज्ञान मिल सकता है। इस चरण पर आकर ही 'ध्वनि' (अर्थ) को दृश्य बनाने के लिए चिह्न की परिचलना की जा सकती है।

भाषा बोलना आने पर अपने समस्त अभिप्राय को व्यक्त एक ऐसे वाक्य में बोलता

है जिसके अवयवों में वह अन्तर नहीं करता होता है— यथा, वह कहता है—

(i) "मैलानाखाताहूँ"

यह पूरा वाक्य उसके लिए एक इकाई है। फिर उसे जान होता है अवयवों का। यहाँ पहले विकास के इस स्तर पर दो अवयव ही हो सकते हैं, (i) 'मै' तथा (ii) 'खाना खाता हूँ'। इस प्रकार उसे भाषा में दो अवयव मिलते हैं—अब वह अन्य अवयवों को भी पहचान सकता है। इन अवयवों के बाद वह शब्दों पर पहुँचता है, क्योंकि जैसे वह अपने लिए 'मै' को अलग कर सका वैसे ही वह खाद्य पदार्थ के लिए 'खाना' शब्द को भी अलग कर सका—अब वह जान गया कि मैंने चार शब्दों से यह वाक्य बनाया था—

1 2 3 4

(iii) मैं खाना खाता हूँ

सांस्कृतिक विकास से उसमें यह चेतना आती है कि ये शब्द ध्वनि-समुच्चय से बने हैं। इनमें ध्वनि-इकाइयों को अलग किया जा सकता है—यहीं ध्वनि में स्वर और व्यंजन का भेद भी समझ में आता है। अब वह विकास के उस चरण पर पहुँच गया है जहाँ अपनी एक-एक ध्वनि के लिए एक-एक चिह्न निर्धारित कर वर्णमाला खड़ी कर सकता है। यही लिपि का जन्म होता है : हमारी लिपि में उक्त वाक्य के लिपि चिह्न ये होंगे :—मै = म + ' + / खाना = ख + ' + न + ' / खाता = ख + ' + त + ' / हूँ = ह + ' + ' + ' ।


ये लिपि चिह्न भी हमें लिपि विकास के कारण इस रूप में मिले हैं।

चित्र-लिपि

किन्तु वर्णमाला से भी पहले लेखन या लिपि का आधार चित्र थे। चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपनी बात ध्वनि-निर्भर वर्णमाला से पहले से कहन लगा था। चित्रों का संबंध ध्वनि या शब्दों से नहीं बरन् वस्तु से होता है। चित्र वस्तु की प्रतिकृति होते हैं। भाषा—वह भाषा जिसका मूल भाषण या वाणी है, इस भाषा से पूर्व मनुष्य 'मकेतो' से काम लेता था। संकेत का अर्थ है कि मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसका संकेत कर उसके उपयोग को भी संकेत से बताता है—यदि वह लड्डू खाना चाहता है तो एक हाथ की पाँचों उंगलियों के पोरों को ऊपर ऐसे मिलायेगा कि हथेली और अंगुलियों के बीच ऐसा गोल स्थान हो जाय कि उसमें एक लड्डू समा सके, फिर उसे वह मुँह से लगायेगा—इसका अर्थ होगा—'मै लड्डू खाऊँगा'। इसमें एक प्रकार से चित्र प्रक्रिया ही कार्य कर रही है। हाथ की आकृति लड्डू का चित्र है, उसे मुँह से लगाना लड्डू को मुँह में रखने का चित्र है। गूँगो की भाषा चित्र-संकेत-भाषा है।

मनुष्य ने चित्र बनाना तो आदिम से आदिम स्थिति में ही सीख लिया था। प्रतीत यह होता है कि उन चित्रों का वह आनुष्ठानिक टोने के रूप में प्रयोग करता था।

फिर वह चित्र बनाकर अन्य बातों भी दर्शित करने लगा। इस प्रयत्न से चित्र-लिपि का आरम्भ हुआ। इस प्रकार से देखा जाय तो चित्रलिपि का आधार वाणी, बोली या भाषा नहीं, वस्तुबिम्ब ही है। वस्तुबिम्ब को रेखाओं में अनुकृत करने से चित्र बनता है। आदिम अवस्था में ये रेखाचित्र स्पूल प्रतीक के रूप में थे। उसने देखा कि मनुष्य के सबसे ऊपर गोल सिर है, अतएव उसकी अनुकृति के लिए उसकी दृष्टि से चिह्न एक वृत्त ○ होगा। यह सिर गरदन से जुड़ा हुआ है, गरदन कंधे से जुड़ी है। यह उसे एक '⊥' छोटी सीधी लड़ी रेखा-सी लगी। कन्धा भी उसे पढ़ी सीधी रेखा के समान दिखायी दिया

‘—’ । इसके दोनों छोरों पर दो हाथ जो कुहनी से मुड़ सकते हैं और छोर पर पाँच अँगुलियाँ अर्थात् प्रस्तुत चित्र। घड़ को उसने दो रेखाओं से बने डमरू के रूप में समझा क्योंकि कमर पतली, बक्ष और उर चौड़े  = घड़। कमी-कमी घड़ को बर्गाकार या आयताकार भी बनाया। नीचे पर और टांगे। इन्हे बनाने के लिए दो आड़ी खड़ी रेखाएँ ‘//’ और एक दिशा में मुड़े पर की छोटक दो पड़ी रेखाएँ ‘—’ ‘—’ । मानव के बिम्ब की रेखानुकृति ने यह रूप लिया :



(चित्र-1)

यह रेखा-चित्र तो प्रक्रिया को समझाने के लिए है

यह रेखांकन की प्रक्रिया है जिसमें चित्र बनाये वाले की कुशलता से रूप में चिन्नता आ सकती है पर जो भी रूप होगा, वह स्पष्टतः से उस वस्तु का बिम्ब प्रस्तुत करेगा, यथा—



(चित्र-2)

आदिम मानव के बनाये चित्र है। बर्गाकार छट दृष्टग्य है।



(चित्र-3)

चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखांकन सिन्धुघाटी की मुहरों की छापों से नीचे दिये गए हैं। ये वास्तविक लिपि-चिह्न हैं।

भागते कुत्ती को बताने के लिए वह कुत्ते को भागने की मुद्रा में रेखांकित करने का प्रयत्न करेगा। भले ही उसके पास अभी कुत्ते के लिए वाणी या भाषा में कोई शब्द न हो, न भागने के लिए ही कोई शब्द हो। चित्रलिपि इस प्रकार भाषा के जन्म से पूर्व की संकेत लिपि की स्थानापन्न हो सकती थी। चित्रलिपि के लिए केवल वस्तुबिम्ब अपेक्षित था।

इतिहास से भी हमें यही विदित होता है कि चित्रलिपि ही सबसे प्राचीन लिपि है। प्रागुत्पत्तिक टोने के चित्रों से आगे बढ़कर उसने चित्रलिपि के माध्यम से वस्तुबिम्बों की रेखाकृतियों पैदा की तथा प्रागुत्पत्तिक उत्तराधिकार में देवी-देवताओं के कल्पित मूर्तियों या बिम्बों की अनुकृतियों का उपयोग भी किया। मिस्र की चित्रलिपि इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके सम्बन्ध में "एनसाइक्लोपीडिया ऑव रिजीजिंग एण्ड ऐथिक्स" में उल्लेख है कि चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति अपने आप में अभिव्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम थी। अभिव्यक्ति की यह प्रतिबन्धता विचार और भाषा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन प्रतिबन्धताओं के कारण बहुत पहले ही चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति दो भिन्न शाखाओं में बँट गयी। एक सजावटी कला और दूसरी चित्राक्षरिक लेखन (जर्मल ऑव ईजिप्ट, चाक्योलाजी, ii [1915], 71-75)। इन दोनों शाखाओं का विकास साथ-साथ होता गया और एक-दूसरे में मिलकर भी निरन्तर विकास में सहायक होती गई। यभी-कभी ऐसा भी हुआ कि एक ने दूसरे के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया।¹

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रक्रियाओं के योग से मिस्र की प्राचीन लिपि अपना रूप ग्रहण कर रही थी। चित्रों से विकसित होकर ध्वनि के प्रतीक के रूप में लिपि का विकास एक जटिल प्रक्रिया का ही परिणाम हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि 'चित्र' दृश्य वस्तुबिम्ब से जुड़े होते हैं। इन वस्तुबिम्बों का ध्वनि से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। वस्तु को नाम देने पर चित्र ध्वनि से जुड़ता है। पर नाम कई ध्वनियों से युक्त होता है, इधर ध्वनि-समुच्चय में से एक ध्वनि-विशेष को उस वस्तुबिम्ब के चित्र में जोड़ना और चित्र का विकास वर्ण (letter) के रूप में होना, - इतना हो चुकने पर ही ध्वनि और लिपि-वर्ण परस्पर सम्बद्ध हो सकेंगे और 'लिपि-वर्ण' आगे चलकर मात्र एक ध्वनि का प्रतीक हो सकेगा। यह तो इस विकास का बहुत स्थूल विवरण है। वस्तुतः इन प्रक्रियाओं के प्रारम्भ में कितनी ही जटिलताएँ हुई थीं रहती हैं।

पर आज तो सभी भाषाएँ 'ध्वनि मूलक' हैं किन्तु पाण्डुलिपि वैज्ञानिक को तो कभी प्राचीनतम लिपि का या किसी लिपि के पूर्व रूप का सामना करना पड़ सकता है। उसके सामने मिस्र के पेटोग्लिफ या चित्रों के ही भाग्य में 'मिन्धु-लिपि' के लेख आना तो बड़ी बात नहीं। मिन्धु की एक विशेष सम्भ्रता और संस्कृति स्वीकार की गयी है। नये अनुसन्धानों में 'मिन्धु-सम्भ्रता' के स्थल राजस्थान एवं मध्य भारत तथा अन्यत्र भी मिल रहे हैं और उनकी लिपि के लेख भी मिल रहे हैं। तो ये लेख कभी भी पाण्डुलिपि-वैज्ञानिक

1. The inability of pictorial representation, as such, to meet all the exigencies of expression imposed by thought and language early led to its bifurcation into the two separate branches of illustrative art and the oglyphic writing (Journal of Egypt Archeology, ii [1915] 71-75) There two branches pursued their development *pari passu* and in constant combination with one another, and it not seldom happened that one of them encroached upon the domain of its fellow.

के सामने धा सकते हैं। प्रतः यह धपेजित है कि वह विश्व में लिपियों के उद्भव व विकास के सिद्धान्तों से परिचित हो।

चित्र

आदिम मानव ने पहले चित्र बनाए। चित्र उसने गुफाओं में बनाए। गुफाओं में ये चित्र धंधेरे स्थान में गुफा की भित्ति पर बनाये हुए मिलते हैं। इन चित्रों में वस्तु-बिम्ब को रेखाओं के द्वारा अंकित किया गया है। आदिम मानव के ये चित्र 20,000 ई. पू. से 4000 ई. पू. के बीच के मिलते हैं।

इन चित्रों को बनाते-बनाते उसमें यह भाव विकसित हुआ होगा कि इन चित्रों से वह अपनी किसी बात को सुरक्षित रख सकता है और ये चित्र परस्पर किसी बात के सम्प्रेषण के उपयोग में लिए जा सकते हैं। इस बोध के साथ चित्रों का उपयोग करने से ही वे चित्र 'लिपि' का काम देने लगे। यह लिपि 'बिम्ब-लिपि' थी। कई वस्तु-बिम्बों को एक क्रम में प्रस्तुत कर, उनसे उनमें निहित गति या कार्य से भाव को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया। यह बिम्ब-लिपि चित्रलिपि की आधारभूमि मानी जा सकती है।


जब मानव बहुत-सी बातें कहना चाहता था, वह उन्हें उस माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता था, जो चित्रों के आभास से उसे मिल गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वस्तु-बिम्ब छोटे बनाए जाने लगे, जिससे बहुत-से बिम्ब-चित्र सीमित स्थान में धा सकें और उसकी विस्तृत बात को प्रस्तुत कर सकें।

प्रतः लेखन और लिपि के लिए प्रथम चरण है 1. बिम्ब-आंकन देखिए—ये चित्र¹



द ला ग्रेज : जंगमी बँल (प्रस्तर युग)

1. यह चित्र 30,000 ई. पू. से 10,000 ई. पू. के हैं। Much research in this field has been done in recent years, and we now have a fairly definite knowledge of the art of some of the most primitive of men known to the anthropologist (from 30,000 to 10,000 B. C.).
—The Meaning of Art, p. 53.



बुशमैन-चित्र, दो शंलीबड हिरण,
 ब्रँ पडवसं, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका

‘वनिपारो गुफा’ (पचमही-शैल) में गो-पक्षि के ऊपर अंकित स्वास्तिक पूजा



और दूसरा चरण है उससे संप्रेषण का काम लेना। इसे हम—

2. बिम्ब-लिपि का नाम दे सकते हैं।

इस चित्र से स्पष्ट है कि स्वस्तिक पूजा और छत्र-प्रर्पण के पूरे शान्तिमय भाव को प्रेषित करने के लिए, पूजा-भाव में पशुओं के आदर के समावेश की कथा को और पूजा-विधान को हृदयंगम कराने के लिए चित्र-लेखक इस चित्र के द्वारा बिम्बों से संप्रेषित करना चाहता है। अतः यह लिपि का काम कर उठा है। यह लिपि ध्वनियों की नहीं, बिम्बों की है। छत्रधारी मनुष्य कितने ही हैं, अतः वे लघु प्राकृतियों में हैं।

‘बिम्ब’ धीरे-धीरे रेखाकारों के रूप में परिवर्तित हो उठता है। तब हम इसे


3. रेखाकार चित्र-लिपि कह सकते हैं।



सहनर्तन, जम्बूद्वीप (पंचमढ़ी)

भारोही नर्तक, कुप्पगल्लु
(बेलारी, रायचूर, द०भा०)

4—तब, प्रागे बिम्ब-लिपि और रेखाचित्र-लिपि के संयोग से ‘चित्रलिपि’ प्रस्तुत हुई।



[एरिजोना(अमेरिका)में प्राप्त चित्र लिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में से एक है]

'चित्रलिपि' में प्रायः रेखाकारों में छोटे-छोटे चित्रों द्वारा संप्रपञ्च सिद्ध होता था। इसी लिपि का नाम 'हिप्परोग्लाफिक' लिपि है। यह मिस्र की पुरातन लिपि है। कॅथीफोनिया और एरिजोना में भी चित्र लिपि मिली है। ये भी प्राचीनतम लिपियाँ मानी जाती हैं। ऐस्किमो जाति और अमेरिकन इण्डियनों की चित्र-लिपि को ही सबसे प्राचीन माना जाता है।

मिस्र के असावा हिट्टाइट, माया (मय ?) और प्राचीन फ्रीट में भी चित्रलिपि या हिप्परोग्लाफ मिले हैं।

हिप्परोग्लाफ का अर्थ मिस्री-भाषा में होता है, 'पवित्र श्रृंखला', इसे यूनानियों ने 'देवी शब्द' (Gods Words) भी कहा है। स्पष्ट है कि इस लिपि का उपयोग मिस्र में धार्मिक अनुष्ठानों में होता रहा होगा।

इस चित्रलिपि का मिस्र में उदय 3100 ई० पू० से पहले हुआ होगा।

पहले पिपिथ-वस्तु-बिम्बों के रेखाकारों को एकसाथ ऐसे सजोया गया कि उसका 'कथ्य-दृश्य' पाण्डु की समझ में आ जाय। इसमें ध्वन-जन द्वारा मान्य बिम्ब लिए गये। ये चित्रलिपि कभी-कभी बहुत निजी उद्भावना-श्री हो सकती है, इस स्थिति में ऐसे चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिनकी आकृतियाँ सर्वमान्य नहीं होती।

फिर भी, इस भाषा में अधिकांश बहुमान्य बिम्ब आकृतियों का उपयोग ही होता है। इन्हीं के कारण यह लिपि इस रूप में प्रागे विकास कर सकी।

पहली स्थिति में एक बिम्ब-चित्र उस वस्तु का ही ज्ञान कराता था, जैसे '⊙' यह बिम्बाकार सूर्य के लिए गृहीत हुआ। मनुष्य एक घुटने पर बैठा, एक घुटना ऊपर उठा हुआ और मुँह पर लगा हुआ हाथ—इन आकृति का अर्थ था 'भोजन करना'।

इसका विकास इस रूप में हुआ कि यही पहला चित्र एक वस्तु-बिम्ब का अर्थ न देकर उसी से सम्बद्ध अन्य अर्थ भी देने लगा—जैसे ⊙ इसका अर्थ केवल सूर्य नहीं रहा, वरन् सूर्य का 'देवता' रे (Re) या रा (Ra) भी हो गया और 'दिन' भी। इसी प्रकार 'मुख पर हाथ' वाली मानवाकृति का एक अर्थ 'बुध' भी हुआ। स्पष्ट है कि इस विकास में पूर्वाकृति वस्तुबिम्ब के अर्थ से हटकर प्रतीक का रूप ग्रहण कर रहे विदित होते हैं।

वे बाद में इस चित्रलिपि के चित्राकार ध्वनि-प्रतीकों का काम देने लगे।

इस अवस्था में चित्रों के माध्यम से मनुष्य जो भी अभिव्यक्त कर रहा था, वह भाषा का ही प्रतिरूप था। प्रत्येक चित्रकार के लिए एक बिम्ब-चित्र एक शब्द था। कुछ चित्राकार जब व्यंजन-ध्वनियों के प्रतीक बने तो वे उस शब्द के प्रथमाक्षर की ध्वनि में जुड़े रहे। जैसे 'शृङ्गीसर्प' के लिए शब्द था 'पत' (fi)। उसी प्रथम ध्वनि फ् से यह 'शृङ्गीसर्प' जुड़ा रहा। अर्थात् 'शृङ्गीसर्प' अब 'फ' व्यंजन की ध्वनि के लिए 'वर्ण' का काम कर उठा था।

इस प्रकार हमने देखा कि हम विकास में 'लिपि', जिसका अर्थ है 'ध्वनि-प्रतीक' वाली वर्णमाला, ऐसी लिपि की ओर हम दो कदम आगे बढ़े।

5. प्रतीक चित्राकृति—चित्रलिपि में आये स्थूल चित्र जब प्रतीक होकर उस मूल बिम्बाकृति द्वारा उससे सम्बन्धित दूसरे अर्थ भी देने लगे तब वह प्रतीक अवस्था में पहुँची।

1. शृङ्गीसर्प—सींग वाला सर्प।



अब चित्रलिपि के चित्र केवल चित्र ही नहीं रहे, वे प्रतीक हो गए। इसे भावमूलक या (diographic) भी कहा जाता है। ये ही आगे विकसित होकर — 6. ध्वनि प्रतीक हो गए। अब 'शृङ्गीसर्प', शृङ्गीसर्प नहीं रहा वह वर्णमाला की व्यंजन ध्वनि 'क' का चिह्न हो गया। इस प्रकार चित्रलिपि ध्वनि की वर्णमाला की ओर अग्रसर हुई। किन्तु, चित्र ध्वनि-प्रतीक बने, अपने चित्र रूप को उसने फिर भी कुछ काल तक सुरक्षित रखा, पर अब तो वे लिपि का रूप ग्रहण कर रहे थे। अतएव अधिकाधिक उपयोग में आने के कारण उनकी आकृति में भी विकास हुआ। अब एक मध्यावस्था आयी। इसमें चित्र भी रहे, और चित्रों से विकसित वे ध्वनि-प्रतीक भी सम्मिलित हुए जो चित्रों से वर्ण-चिह्नों के रूप में परिणत हो रहे थे।

इसी वर्ग में वह भाषा भी आती है जिसमें वर्णमाला न होकर शब्द-माला होती है, और उन्हीं से अपने विविध भाषों को व्यक्त करने के लिए शब्द-रूप बनाये जाते हैं।

7. अब वह विकसित स्थिति आयी जहाँ 'चित्र' पीछे छूट गये, ध्वनि-चिह्न मात्र काम में आने लगे। अब लिपि पूर्णतः ध्वनि-मूलक हो गयी।

ध्वनिमूलक वर्णमाला के दो भेद होते हैं :

एक—अक्षरात्मक (Syllable)

दूसरी—वर्णात्मक (alphabetic)

देवनागरी वर्णमाला अक्षरात्मक है क्योंकि 'क' = 'क + घ', अतः यह अक्षर या Syllabic है। रोमन वर्णमाला वर्णात्मक है क्योंकि K = क् जो वर्ण या (alphabet) है। हिन्दी की 'क' ध्वनि के लिए रोमन वर्ण K में a मिलाना होता है : क = Ka। इसमें 'a' = अ।

आज विश्व में हमें तीन प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं —

एक—वे जिनमें एक लिपि-चिह्न एक शब्द का द्योतक होता है।

यह चित्र लिपि का प्रयोज्य है या प्रतिस्थानापन्न है।

दूसरी—वे, जो अक्षरात्मक हैं, तथा

तीसरी—वे जो वर्णात्मक हैं।

पर, ऐसा नहीं मान लेना चाहिये कि चित्रलिपि का उपयोग अब नहीं होता। अमरीका की एक आदिम जाति की चित्रलिपि का एक उदाहरण डॉ॰ मोलानाथ तिवारी ने अपने ग्रन्थ में दिया है—



चित्र लिपि (रेड इंडियन सरदार का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पत्र)

हमने यहाँ चित्र से चलकर ध्वनि-मूलक लिपियों तक के विकास की चर्चा प्रारंभ की है और प्रत्यक्ष स्थूल रूप में की है, ऐसा हमने यह जानने के लिए किया है कि लिपि-विकास की कौन-कौनसी स्थितियाँ रही हैं और उनसे लिपि विकास के कौन-कौनसे स्थूल सिद्धान्तों का ज्ञान होता है। वस्तुतः पाण्डुलिपि-वैज्ञानिक के लिए लिपि-विकास को जानना केवल इसीलिए अपेक्षित है कि इससे विविध लिपियों से परिचित होने में और किसी भी लिपि-के उद्घाटन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहायता मिल सकती है।

इस दृष्टि से कुछ और बातें भी जानने योग्य हैं। यथा, एक यह कि लिपियाँ सामान्यतः तीन रूपों में लिखी जाती हैं—(1) दायें से बायें और—जैसे फारसी लिपि (2) बायें से दायी और जैसे, देवनागरी या रोमन, और (3) ऊपर से नीचे की ओर—यथा, 'चीनी' लिपि। किसी भी अज्ञात लिपि के उद्घाटन (decipher) या पठन के लिए यह जानना प्रथम आवश्यकता है कि वह लिपि दायें से बायें, बायें से दाये या ऊपर से नीचे की ओर लिखी गयी है। वस्तुतः यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में मिस्र की चित्रलिपि में, और भारत की प्राचीन देवनागरी में हमे दाये से बाये और बायें से दायें दोनों रूपों में लिखने के उदाहरण मिल जाते हैं, और एकाध ऐसे भी कि एक पंक्ति बायें से दायें और दूसरी दाये से बायें हो, पर आज यह इतत किसी भी लिपि में शेष नहीं रह गया। हाँ, प्राचीनकाल की लिपि को पढ़ने के लिए लिपि के हम रूप को भी ध्यान में रखना होगा।

अज्ञात लिपियों को पढ़ने (उद्घाटन) के प्रयास :

हम यह जानते हैं कि हिन्दी की वर्णमाला या लिपि का विकास अशोक कालीन लिपि से हुआ। आज भारत के पुरातत्त्व-वेत्ताओं में ऐसे लिपि-ज्ञाता हैं जो भारत में प्राप्त सभी लिपियों को पढ़ सकते हैं। हाँ, 'सिन्धु-लिपि' अब भी अपवाद है। इसे पढ़ने के कितने ही प्रयत्न हुए हैं पर सभी मुफ़ाव के या प्रस्ताव के रूप में ही हैं। किन्तु एक समय ऐसा भी था कि प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। फिरोजशाह तुग़लक ने एक विशाल अशोक-स्तम्भ मरठ से दिल्ली मगवाया कि उस पर खुदा लेख पढ़वाया जा सके। पर कोई उसे नहीं पढ़ सका। वह उसने एक भवन पर खड़ा कर दिया। इन स्तम्भों को कड़ी-कड़ी सालदुःखकड़ लोग भीम का गिल्ली-डण्डा प्रादि भी बता देते थे। लिपियों के सम्बन्ध में यह अन्धकार-युग था। फिर प्राधुनिक युग में भारत की लिपियों को कैसे पढ़ा जा सका। इसका रोजक विवरण मुनि जिनविजय जी के शब्दों में पढ़िये—

“इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों विषयक ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत-सी वस्तुएं जानकारी में आईं परन्तु प्राचीन लिपियों का स्पष्ट ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया था। अतः भारत के प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान पर अभी भी अन्धकार का आवरण ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। बहुत-से विद्वानों ने अनेक पुरातन सिक्कों और शिलालेखों का संग्रह तो अवश्य कर लिया था परन्तु प्राचीन लिपि-ज्ञान के अभाव में वे उस समय तक उसका कोई उपयोग न कर सके थे।

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के प्रथम अध्याय का वास्तविक रूप में प्रारम्भ 1837 ई० में होता है। इस वर्ष में एक नवीन नक्षत्र का उदय हुआ जिससे भारतीय पुरातत्त्व विद्या पर पड़ा हुआ पर्वा दूर हुआ। ऐशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के दिन से

1834 ई० तक पुरातत्त्व सम्बन्धी वास्तविक काम बहुत थोड़ा हो पाया था, उस समय तक केवल कुछ प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद ही होता रहा था। भारतीय इतिहास के एक मात्र सच्चे साधन रूप शिलालेखों सम्बन्धी कार्य तो उस समय तक नहीं के बराबर ही हुआ था। इसका कारण यह था कि प्राचीन लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना अभी बाकी था।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि संस्कृत भाषा सीखने वाला पहला धर्मेज चार्ल्स विल्किन्स था और सबसे पहले शिलालेख की ओर ध्यान देने वाला भी वही था। उसी ने 1785 ई० में दोनाजपुर जिले में बदाल नामक स्थान के पास प्राप्त होने वाले स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख को पढ़ा था। यह लेख बंगाल के राजा नारायणलाल के समय में लिखा गया था। उसी वर्ष में, राधाकांत शर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने टोमरा वाले दिल्ली के अशोक स्तम्भ पर खुदे हुए अक्षरों के चौहान राजा अनलदेव के पुत्र बीसलदेव के तीन लेखों को पढ़ा। इनमें से एक लेख की भित्ति 'संवत् 1220 बंशाख सुदी 5' है। इन लेखों की लिपि बहुत पुरानी न होने के कारण सरलता से पढ़ी जा सकी थी। परन्तु उसी वर्ष जे० एच० हेरिस्टन ने बुढगया के पास वाली नागार्जुनी और बराबर की गुफाओं में से मौखरी बंश के राजा अनन्त वर्मा के तीन लेख निकलवाये जो ऊपर वर्णित लेखों की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे। इनकी लिपि बहुत अशोके गुप्तकालीन लिपि से मिलती हुई होने के कारण उनका पढ़ा जाना अति कठिन था। परन्तु, चार्ल्स विल्किन्स ने चार वर्ष तक कठिन परिश्रम करके उन तीनों लेखों को पढ़ लिया और साथ ही उसने गुप्त लिपि की लगभग आधी वर्णमाला का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया।

गुप्तलिपि क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय यहाँ करा देता हूँ। आजकल जिस लिपि को हम देवनागरी (अथवा बालबोध) लिपि कहते हैं उसका साधारणतया तीन अवस्थाओं में से प्रसार हुआ है। वर्तमान काल में प्रचलित आकृति से पहले की आकृति कुटिल लिपि के नाम से कही जाती थी। इस आकृति का समय साधारणतया ईस्वीय सन् की छठी शताब्दी से 10 वीं शताब्दी तक माना जाता है। इससे पूर्व की आकृति गुप्त-लिपि के नाम से कही जाती है। सामान्यतः इसका समय गुप्त-वंश का राजत्वकाल गिना जाता है। अशोक के लेख इसी लिपि में लिखे गये हैं। इसका समय ईसा पूर्व 500 से 350 ई० तक माना जाता है।

सन् 1818 ई० से 1823 ई० तक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के इतिहास की शोध-सूत्र करते हुए राजपूताना और काठियावाड़ में बहुत-से प्राचीन लेखों का पता लगाया। इनमें से सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक के अनेक लेखों को तो उक्त कर्नल साहब के गुरु यति ज्ञानचन्द्र ने पढ़ा था। इन लेखों का सारांश अथवा अनुवाद टॉड साहब ने अपने 'राजस्थान' नामक प्रसिद्ध इतिहास में दिया है।

सन् 1828 ई० में वी० जी० वेबिस्टन ने मागलपुर के किनारे ही संस्कृत और तामिल लेखों को पढ़कर उनकी वर्णमाला तैयार की। इसी प्रकार वाल्टर इलियट ने प्राचीन कनाडी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके उसकी विस्तृत वर्णमाला प्रकाशित की।

ईस्वी सन् 1834 में कैप्टेन ट्रायोर ने प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण गुप्त-वंशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का बहुत-सा अंश पढ़ा और फिर उसी वृत्त में डॉ० मिसे ने

1. इसका वास्तविक नाम है—एनल एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान।

इस सम्पूर्ण लेख को पढ़कर 1837 ई० में भिदारी के स्तम्भ वाला स्कन्दगुप्त का लेख भी पढ़ लिया।

1835 ई० में डब्ल्यू. एम. बाँध ने बलभी के कितने ही दानपत्रों को पढ़ा।

1837-38 ई० में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली, कुमाऊँ और ऐरन के स्तम्भों एवं अमरावती के स्तूपों तथा गिरनार के बरवाजो पर खुदे हुए गुप्तलिपि के बहुत-से लेखों को पढ़ा।

साँची-स्तूप के चन्द्रगुप्त वाले जिस महत्त्वपूर्ण लेख के सम्बन्ध में प्रिंसेप ने 1834 ई० में लिखा था कि, 'पुरातत्त्व के अभ्यासियों को अभी तक भी इस बात का पता नहीं चला है कि साँची के शिलालेखों में क्या लिखा है।' उसी विशिष्ट लेख को यथार्थ अनुवाद सहित 1837 ई० में प्रयुक्त करने में वही प्रिंसेप साहब सम्पूर्णतः सफल हुए।

अब, बहुत-सी लिपियों की आदि जननी ब्राह्मी-लिपि की बारी आधी। गुप्तलिपि से भी अधिक प्राचीन होने के कारण इस लिपि को एकदम समझ लेना कठिन था। इस लिपि के दर्शन तो शोधकर्त्ताओं को 1795 ई० में ही हो गये थे। उसी वर्ष सर चार्ल्स मैलेट ने एलोरा की गुफाओं के कितने ही ब्राह्मी लेखों की तकले सर थिलियम जेम्स के पास भेजी। उन्होंने इन तकलों को मेजर विल्फोर्ड के पास, जो उस समय काशी में थे, इसलिए भेजा कि वे इनको अपनी तरफ से किमी पण्डित द्वारा पढ़वावे। पहले तो उनको पढ़ने वाला कोई पण्डित नहीं मिला, परन्तु फिर एक चालाक ब्राह्मण ने कितनी ही प्राचीन लिपियों की एक कृत्रिम पुस्तक बेचारे बिजासु मेजर साहब को दिखलाई और उन्हीं के आघार पर उन लेखों को गलत-सलत पढ़कर खूब दक्षिणा प्राप्त की। विल्फोर्ड साहब ने उस ब्राह्मण द्वारा कल्पित रीति से पढ़े हुए उन लेखों पर पूर्ण विश्वास किया और उसके समझाने के अनुसार ही उनका अंग्रेजी में भाषान्तर करके सर जेम्स के पास भेज दिया। इस सम्बन्ध में मेजर विल्फोर्ड ने सर जेम्स को जो पत्र भेजा उसमें बहुत उत्सुकतापूर्वक लिखा है कि "इस पत्र के साथ कुछ लेखों की तकलें उनके साराण सहित भेज रहा हूँ। पहले तो मैंने इन लेखों के पढ़े जाने की आशा बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि हिन्दुस्तान के इस भाग में (बनारस की तरफ) पुराने लेख नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके पढ़ने की कला में बुद्धि का प्रयोग करने अथवा उनकी शोध-खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी। यह सबकुछ होते हुए भी और मेरे बहुत-से प्रयत्न निष्फल चले जाने पर भी अन्त में सौभाग्य से मुझे एक वृद्ध गुरु मिल गया जिसने इन लेखों को पढ़ने की कुञ्जी बताई और प्राचीनकाल में भारत के विभिन्न भागों में जो लिपियाँ प्रचलित थीं उनके विषय में एक सस्कृत पुस्तक मेरे पास लाया। निम्सन्देह, यह एक सौभाग्य सूचक शोध हुई है जो हमारे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।" मेजर विल्फोर्ड की इस 'शोध' के विषय में बहुत वर्षों तक किमी को कोई सन्देह नहीं हुआ क्योंकि सन् 1820 ई० में खंडगिरि के द्वार पर उसी लिपि में लिखे हुए लेख के सम्बन्ध में स्टालिंग ने लिखा है कि "मेजर विल्फोर्ड ने प्राचीन लेखों को पढ़ने की कुञ्जी एक विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त की और उनकी विद्वत्ता एवं बुद्धि से इसोरा व शालेसेट के इसी लिपि में लिखे हुए लेखों के कुछ भाग पढ़े गये। इसके परचाट्ट दिल्ली तथा अन्य स्थानों के ऐसे ही लेखों को पढ़ने में उस कुञ्जी का कोई उपयोग नहीं हुआ, यह शोचनीय है।"

सन् 1833 ई० में मि० प्रिंसेप ने सही कुञ्जी निकाली। इससे लगभग एक वर्ष

पूर्व उन्होंने भी मेजर विल्फोर्ड की कुञ्जी का उपयोग न करने की बाबत दुःख प्रकट किया था। एक शोधकर्ता जिज्ञासु विद्वान को ऐसी बात पर दुःख होना स्वाभाविक भी है। परन्तु उस विद्वान ब्राह्मण की बताई हुई कुञ्जी का अधिक उपयोग नहीं हुआ, इसमें कोई प्राश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शोध-सोज के दूसरे कामों में मेजर विल्फोर्ड की श्रद्धा का श्रद्धा करने वाले बालाक ब्राह्मण के छोले में वे झा गये इसी प्रकार इस विषय में भी वही बात हुई। कुछ भी हुआ हो, यह तो निश्चित है कि मेजर विल्फोर्ड के नाम से कहलाने वाली सम्पूर्ण होज भ्रमपूर्ण थी। क्योंकि उनका पढ़ा हुआ लेख-पाठ कल्पित था और तदनुसार उसका धनुवाद भी वैसे ही निमूल था—युधिष्ठिर और पाण्डवों के वनवास एवं निर्जन जंगलो में परिभ्रमण की गाथाओं को लेकर ऐसा गडबड़-घोटाला किया गया है कि कुछ समझ में नहीं आता। उस धूर्त ब्राह्मण क बताए हुए ऊटपटांग ग्रन्थ का धनुसंधान करने के लिए विल्फोर्ड ने ऐसी कल्पना कर ली थी कि पाण्डव अपने वनवासकाल में किसी भी मनुष्य के संसर्ग में न आने के लिए वचनबद्ध थे। इसलिए विदुर, व्यास आदि उनके स्नेही सम्बन्धियों ने उनको सावधान करने की सूचना देते रहने के लिए ऐसी योजना की थी कि वे जंगलों में, पत्थरों और शिलाओं (चट्टानों) पर थोड़े-थोड़े और साधारणतया समझ में न आने योग्य वाक्य पहले ही से निश्चित की हुई लिपि में संकेत रूप से लिख-लिख कर प्रपना उद्देश्य पूरा करते रहते थे। अग्रज लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और हसते-हंसते दुनिया के दूसरे लोगों को ठगने की कला उनको याद है परन्तु वे भी एक बार तो भारतवर्ष की स्वर्गपुरी मानी जाने वाली काशी के 'वृद्ध गुरु' के जाल में फँस ही गये, असु ।¹

एशियाटिक सोसाइटी के पास दिल्ली और इलाहाबाद के स्तम्भों तथा खण्डगिरी के दरवाजों पर के लेखों की नकले एकत्रित थीं, परन्तु विल्फोर्ड साहब की 'शोध' निष्फल चली जाने के कारण कितने ही वर्षों तक उनके पढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इन लेखों के मर्म को जानने की उत्कट जिज्ञासा को लिए हुए मिस्टर जेम्स प्रिंसेप ने 1834-45 ई० में इलाहाबाद, रघिया और मथिआ के स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेखों को छापे भगवायी और उनको दिल्ली के लेख के साथ रखकर यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमें कोई शब्द एक सरोखा है या नहीं। इस प्रकार उन चारों लेखों को पास-पास रखने से उनको तुरन्त ज्ञात हो गया कि ये चारों लेख एक ही प्रकार के हैं। इससे प्रिंसेप का उत्साह बढ़ा और उनको जिज्ञासा पूर्ण होने की आशा बंध गई। इसके पश्चात् उन्होंने इलाहाबाद स्तम्भ के लेख के भिन्न-भिन्न आकृति वाले अक्षरों को अलग-अलग छोट लिया। इससे उनको यह बात मालूम हो गयी कि गुप्त लिपि के अक्षरों की भाँति इसमें भी कितने ही अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं के भिन्न-भिन्न पाँच चिह्न लगे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने पाँचो चिह्नों को

1 ऐसी ही एक घटना इतिहास में नैरोबियन के समय में हुई थी। उस समय मिली कराऊनो की लिपि पढ़ने के प्रयास हो रहे थे। फ्रांस में क्षापोलियो नाम का विद्वान इस लिपि के 'उद्घाटन' में संलग्न थे। इसी समय क्षापोलियो की एक पुस्तक मिली जिसके लेखक ने यह दावा किया था कि उसने लिपि पढ़ने की कुञ्जी ढूँढ़ ली है। पर वह कुञ्जी भी ठीक ऐसी ही काल्पनिक और निराधार थी वैसे काशी में 'वृद्ध गुरु' ने भारतीय लिपियों के लिए निकाली थी। क्षापोलियो ने उसकी पीस तत्काल खोल दी थी। बात: वहाँ वह छस इतने समय तक नहीं चल सका जितने समय तक भारत में चला।

एकत्रित करके प्रकट किया। इससे कितने ही विद्वानों का इन अक्षरों के यूनानी अक्षर होने सम्बन्धी भ्रम दूर हो गया।

अशोक के लेखों की लिपि को देखकर साधारणतया अंग्रेजी अक्षरों की लिपि की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। टॉम कोरिएट नामक यात्री ने अशोक के दिल्ली वाले स्तम्भ-लेख को देखकर एल. व्हीटर को एक पत्र में लिखा था कि "मैं इस देश के दिल्ली नामक नगर में आया हूँ कि जहाँ पहले अलेक्जेंडर ने हिन्दुस्तान के पोरस नामक राजा को हराया था और अपनी विजय की स्मृति में एक विशाल स्तम्भ खड़ा किया था जो आज भी यहाँ पर मौजूद है।" पादरी एडवर्ड टैरी ने लिखा है कि "टॉम कोरिएट ने मुझे कहा था कि उसने दिल्ली में ग्रीक लेख वाला एक स्तम्भ देखा था जो अलेक्जेंडर महान् की स्मृति में वहाँ पर खड़ा किया गया था।" इस प्रकार दूसरे भी कितने ही लेखकों ने इस लेख को ग्रीक लेख ही माना था।

उपर्युक्त प्रकार से स्वर-चिह्नों को पहचान लेने के बाद मि० जेम्स प्रिसेप ने अक्षरों के पहचानने का उद्योग प्रारम्भ किया। उन्होंने पहले प्रत्येक अक्षर को गुप्त लिपि के अक्षरों के साथ मिलाने और मिलते हुए अक्षरों की वर्णमाला में शामिल करने का क्रम अपनाया। इस रीति से बहुत-से अक्षर उनकी जानकारी में आ गये।

पादरी जेम्स स्टीवेन्सन ने भी प्रिसेप साहब की तरह इसी शोधन में अनुरक्त होकर 'क' 'ज' 'ध' 'प' और 'व' अक्षरों को पहचाना और इन्हीं अक्षरों की सहायता से पूरे लेखों को पढ़कर उनका अनुवाद करने का मनोरथ किया, परन्तु कुछ तो अक्षरों की पहचान में भूल होने के कारण, कुछ वर्णमाला की अपूर्णता के कारण और कुछ इन लेखों की भाषा को संस्कृत समझ लेने के कारण यह उद्योग पूरा-पूरा सफल नहीं हुआ। फिर भी प्रिसेप को इससे कोई निराशा नहीं हुई। सन् 1835 ई० में प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ प्रो० लसिन ने एक पॉस्टिपन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ 'क' का किलस का नाम पढ़ा। परन्तु 1837 ई० के प्रारम्भ में मि० प्रिसेप ने अपनी अलौकिक स्फुरणा द्वारा एक छोटा-सा 'दान' शब्द-शोध निकाला जिससे इस विषय की बहुत-सी अशुभियाँ एकदम सुलभ गईं। इसका विवरण इस प्रकार है। ई० स० 1837 में प्रिसेप ने साँची स्तूप आदि पर खुदे हुए कितने ही छोटे-छोटे लेखों की छापों को एकत्रित करके देखा तो बहुत-से लेखों के अन्त में दो अक्षर एक ही सरीखे जान पड़े और उनके पहले 'स' अक्षर दिखाई पड़ा जिसको प्राकृत भाषा की छोटी विभक्ति का प्रत्यय (संस्कृत 'स्य' के बदले) मानकर यह अनुमान किया कि भिन्न-भिन्न लेख भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये हुए दानों के सूचक जान पड़ते हैं। फिर उन एक सरीखे दिखने वाले और पहचान में न आने वाले दो अक्षरों में से पहले के साथ 'र' (आ की मात्रा) और दूसरे के साथ 'ः' (अनुस्वार चिह्न) लगा हुआ होने से उन्होंने निश्चय किया कि यह शब्द 'दान' होना चाहिये। इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' की पहचान होने से आधी वर्णमाला पूरी हो गयी और उसके आधार पर दिल्ली, इलाहाबाद, साँची, मेथिया, रघिया, गिरनार, धौरमी आदि स्थानों से प्राप्त अशोक के विशिष्ट लेख सरलतापूर्वक पढ़ लिये गये। इससे यह भी निश्चित हो गया कि इन लेखों की भाषा, जैसा कि अब तक बहुत-से लोग मान रहे थे, संस्कृत नहीं है बरन् तत्स्थानों में प्रचलित देश-भाषा थी (जो साधारणतया उस समय प्राकृत नाम से विख्यात थी)।

इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके योग से भारत के

प्राचीन से प्राचीनतम लेखों को पढ़ने में पूरी सफलता मिली ।

अब, उतनी ही पुरानी दूसरी लिपि की बोध का विवरण दिया जाता है । इस लिपि का ज्ञान भी प्रायः उसी समय में प्राप्त हुआ था । इसका नाम खरोष्ठी लिपि है । खरोष्ठी लिपि अर्थ लिपि नहीं है अर्थात् अनर्थ लिपि है यह । सेमेटिक लिपि के कुटुम्ब की अरमेइक लिपि से निकली हुई मानी जाती है । इस लिपि को लिखने की पद्धति फारसी लिपि के समान है अर्थात् यह दाँयें हाथ से बाँयी ओर को लिखी जाती है । यह लिपि ईसा से पूर्व तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में केवल पंजाब के कुछ भागों में ही प्रचलित थी । महाबाजगढ़ी और मन्सोरा के दरवाजों पर अशोक के लेख इसी लिपि में उतकीर्ण हुए हैं । इसके प्रतिरिक्त शक, क्षत्रप, पाण्ड्यन् और कुषाणवंशी राजाओं के समय के कितने बौद्ध लेखों तथा बाकिट्रघन, ग्रीक, शक, क्षत्रप आदि राजवंशों के कितने ही सिक्कों में यही लिपि उतकीर्ण हुई मिलती है । इसलिए भारतीय पुरातत्त्वज्ञों को इस लिपि के ज्ञान की विशेष आवश्यकता थी ।

कनैल जेम्स टॉड ने बाकिट्रघन, ग्रीक, शक, पाण्ड्यन् और कुषाणवंशी राजाओं के सिक्कों का एक बड़ा संग्रह किया था । इन सिक्कों पर एक ओर ग्रीक और दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षर लिखे हुए थे । सन् 1830 ई० में जनरल वेटरान ने मानिकियाल स्तूप को खुदवाया तो उसमें से खरोष्ठी लिपि के कितने ही सिक्के और दो लेख प्राप्त हुए । इसके प्रतिरिक्त अलेक्जेंडर, बन्स आदि प्राचीन शोधकों ने भी ऐसे अनेक सिक्के इकट्ठे किये थे जिनमें एक ओर के ग्रीक अक्षर तो पढ़े जा सकते थे परन्तु दूसरी ओर के खरोष्ठी अक्षरों के पढ़े जाने का कोई साधन नहीं था । इन अक्षरों के विषय में मिश्र-मिश्र कल्पनाएँ होने लगी । सन् 1824 ई० में कनैल टॉड ने कड्फिसेस् के सिक्के पर खुदे इन अक्षरों को 'मनेनिघ्नन्' अक्षर बतलाया । 1833 ई० में अंपोलोडोट्स के सिक्के पर इन्ही अक्षरों को प्रिसेप ने 'पहलबी' अक्षर माना । इसी प्रकार एक दूसरे सिक्के की इसी लिपि तथा मानिकियाल के लेख की लिपि को उन्होंने ब्राह्मी लिपि मान लिया और इसकी आकृति कुछ टेढ़ी होने के कारण अनुमान लगाया कि जिस प्रकार छपी हुई और बही में लिखी हुई गुजराती लिपि में अन्तर है उसी प्रकार अशोक के दिल्ली आदि के स्तम्भों वाली और इस लिपि में अन्तर है । परन्तु बाद में स्वयं प्रिसेप ही इस अनुमान को अनुचित मानने लगे । सन् 1834 ई० में केप्टन कोर्ट को एक स्तूप में से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको देखकर प्रिसेप ने फिर इन अक्षरों के विषय में 'पहलबी' होने की कल्पना की । परन्तु उसी वर्ष में मिस्टर मेसन नामक शोधकर्ता विद्वान ने अनेक ऐसे सिक्के प्राप्त किये जिन पर खरोष्ठी और ग्रीक दोनों लिपियों में राजाओं के नाम अंकित थे । मेसन साहब ने ही सबसे पहले मिनं कुं, ओपोलडोटो, अरमाइओ, वासिलिओ और सोट्रो आदि नामों को पढ़ा था, परन्तु, यह उनकी कल्पना मात्र थी । उन्होंने इन नामों को प्रिसेप साहब के पास भेजा । इस कल्पना को सत्य का रूप देने का यश प्रिसेप के ही भाग्य में लिखा था । उन्होंने मेसन साहब के सकेतो के अनुसार सिक्कों को बाँचना आरम्भ किया तो उनमें से बारह राजाओं और सात पदवियों के नाम पढ़ निकाले ।

इस प्रकार खरोष्ठी लिपि के बहुत-से अक्षरों का बोध हुआ और साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि यह लिपि बाहिनी ओर में बायी ओर पढ़ी जाती है । इससे यह भी निश्चय हुआ कि यह लिपि सेमेटिक वर्ग की है, परन्तु इसके साथ ही इसकी भाषा को, जो वास्तव

मे बाह्यी लेखों की भाषा के समान प्राकृत है, पहलवी मान लेने की भूल हुई। इस प्रकार ग्रीक लेखों की सहायता से खरोष्ठी लिपि के बहुत-से अक्षरों की तो जानकारी हुई परन्तु भाषा के विषय में भ्रान्ति होने के कारण पहलवी के नियमों को ध्यान में रखकर पढ़ने से अक्षरों का पहचानने में अशुद्धता आने लगी जिससे थोड़े समय तक इस कार्य में अड़चन पड़ती रही। परन्तु 1838 ई० में दो बाकिदमन् ग्रीक सिक्को पर पालि लेखों को देखकर दूसरे सिक्को की भाषा भी यही होगी, यह मानते हुए उर्मी के नियमानुसार उन लेखों को पढ़ने से प्रिसेप का काम आगे चला और उन्होंने एकसाथ 17 अक्षरों को खोज निकाला। प्रिसेप की तरह मिस्टर नॉरिस ने भी इस विषय में कितना ही काम किया और इस लिपि के 7 नये अक्षरों की शोध की। बाकी के थोड़े से अक्षरों को जनरल कनिंघम ने पहचान लिया और इस प्रकार खरोष्ठी की सम्पूर्ण वर्णमाला तैयार हो गई।

यह भारतवर्ष की पुरानी से पुरानी लिपियों के ज्ञान प्राप्त करने का संक्षिप्त इतिहास है। उपर्युक्त वर्णन से विदित होगा कि लिपि-विषयक शोध में मिस्टर प्रिसेप ने बहुत काम किया है। एशियाटिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित 'सेन्टनरी रिव्यू' नामक पुस्तक में 'एन्श्यण्ट इण्डियन अलफाबेट' शीर्षक लेख के आरम्भ में इस विषय पर डॉ० हर्नली लिखते हैं कि—

"सोसाइटी का प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने और उनका भाषान्तर करने का अत्युपयोगी कार्य 1834 ई० से 1839 ई० तक चला। इस कार्य के साथ सोसाइटी के नत्कालीन सेक्रेटरी, मि० प्रिसेप का नाम, सदा के लिए संलग्न रहेगा, क्योंकि भारत-विषयक प्राचीन-लेखनकला, भाषा और इतिहास सम्बन्धी हमारे प्राचीन ज्ञान की आधारभूत इतनी बड़ी शोष-खोज इसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से इतने थोड़े समय में हो सकी।"

प्रिसेप के बाद लगभग तीस वर्ष तक पुरातत्व सशोधन का सूत्र जेम्स फर्ग्युसन, मॉथम किट्टो, एडवर्ड टॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम, वाल्टर इलियट, मेडोज टेलर, स्टीवेन्सन, डॉ० भाउदाजी आदि के हाथों में रहा। इनमें से पहले चार विद्वानों ने उत्तर हिन्दुस्तान में, इलियट साहब ने दक्षिण भारत में और पिछले तीन विद्वानों ने पश्चिमी भारत में काम किया। फर्ग्युसन साहब ने पुरातन वास्तु-विद्या (Architecture) का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम किया और उन्होंने इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे। इस विषय का उनका अभ्यास इतना बढ़ा-चढ़ा था कि किसी भी इमारत को केवल देखकर वे सहज ही में उसका समय निश्चित कर देते थे। मेजर किट्टो बहुत विद्वान तो नहीं थे परन्तु उनकी शोधक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। जहाँ अन्य अनेक विद्वानों को कुछ ज्ञान न पड़ता था वहाँ वे अपनी गिद्ध जैसी पंनी दृष्टि से कितनी ही बातें खोज निकालते थे। चित्रकला में वे बहुत निपुण थे। कितने ही स्थानों के चित्र उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे और प्रकाशित किए थे। उनकी शिल्पकला विषयक इस गम्भीर कुशलता को देखकर सरकार ने उनको बनारस के संस्कृत कॉलेज का भवन बनवाने का काम मीपा। इस कार्य में उन्होंने बहुत परिश्रम किया जिससे उनका स्वास्थ्य गिर गया और अन्त में इंग्लैण्ड जाकर वे स्वर्गस्थ हुए। टॉमस साहब ने अपना विशेष ध्यान सिक्को और शिलालेखों पर दिया। उन्होंने अत्यन्त परिश्रम करके ई० सं० पूर्व 246 से 1554 ई० तक के लगभग 1800 वर्षों के प्राचीन इतिहास की शोध की। जनरल कनिंघम ने प्रिसेप का अक्षरिष्ट

कार्य हाथ में लिया। उन्होंने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इलियट साहब ने कर्नल मेकेन्जी के संग्रह का संशोधन और संवर्द्धन किया। दक्षिण के बालुकम-वंश का विस्तृत ज्ञान सर्वप्रथम उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। टेलर साहब ने भारत की मूर्ति-निर्माण-विद्या का अध्ययन किया और स्टीवेन्सन् ने सिक्कों की शोध-लोज की। पुरातत्त्व-संशोधन के कार्य में प्रवीणता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान् डॉक्टर भाउदाजी थे। उन्होंने अनेक शिलालेखों को पढ़ा और भारत के प्राचीन इतिहास के ज्ञान में खूब वृद्धि की। इस विषय में दूसरे नामांकित भारतीय विद्वान् काठियावाड निवासी पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने पश्चिम भारत के इतिहास में अप्रूप्य वृद्धि की है। उन्होंने अनेक शिलालेखों और ताम्रपत्रों को पढ़ा है परन्तु उनके कार्य का सच्चा स्मारक तो उनके द्वारा उड़ीसा के खण्डगिरि-उदयगिरि वाली हाथी-गुफा में सम्राट खारवेल के लेखों को शुद्ध रूप से पढ़ा जाना ही है। बंगाल के विद्वान् डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र का नाम भी इस विषय में विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है। उन्होंने नेपाल के साहित्य का विनिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है।¹

इस विवरण से एक चित्र तो काशी के पण्डित का उभरता है, जिसने अपने कौशल से मिथ्या कुञ्जी प्राचीन लिपि को पढ़ने के लिए प्रस्तुत की और वह भी ऐसी कि पहले उस पर सभी को विश्वास हो गया।

दूसरा चित्र उभरता है उस मुद्रा का जो अफगानिस्तान में मिनी और उसके सम्बन्ध में यह धारणा बना ली गई कि इसकी भाषा पहलवी है और लिपि ऐसी होगी जो दाये से बाये लिखी जाती होगी। फलत यह बहुत आवश्यक है कि पहले भाषा का निर्धारण किया जाय, फिर लिपि-लेखन की प्रवृत्ति का भी। क्योंकि उसकी लिपि वस्तुतः खरोष्ठी थी और उसकी भाषा पालि पहलवी का पीछा विद्वानों ने तब छोड़ा जब 1838 ई० में दो वाक्टीघन ग्रीक सिक्कों पर पाली लेखों को देखा।

एक तीसरा चित्र यह उभरता है कि मात्र वर्णों की आकृति से लिपि किस भाषा की है यह नहीं कहा जा सकता। इसके लिए टॉम कोरिएट नामक यात्री की भ्रान्ति का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अगोक-लिपि की ग्रीक-लिपि से समानता देखकर उसने उसे ग्रीक लेख समझ लिया था।

वस्तुतः लिपि के अनुसन्धान में वही वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। इसी आधार पर बदाल स्तम्भ का लेख एवं टोपरा वाले दिल्ली के अशोक स्तम्भ पर बीसलदेव के तीन लेख पढ़े गये। इससे जो प्राचीन लेख थे उनको पढ़ने में बहुत कठिनाई और परिश्रम हुआ क्योंकि उनके निकट की ज्ञात लिपियाँ थी ही नहीं। अब यहाँ पर प्रिसेप महोदय ने अनुसन्धान की विशेष सूक्ष्म-वृत्त का परिचय दिया। उन्होंने साँची स्तूप आदि पर खुदे हुए कितनी ही छापों को तुलनापूर्वक देखा। इन सबमें उन्हें दो अक्षर समान मिले और अनुमान लगाया कि दो अक्षरों वाला शब्द दान हो सकता है और इस अनुमान के आधार पर 'द' और 'न' अक्षरों का निर्धारण हुआ और इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन हो सका। स्पष्ट है कि इस प्रकार लिपि की गाँठ खोलने के लिए तुलना भी एक अस्यन्त महत्वपूर्ण साधन है।

1. नृपि निज विषयकी—पुरातत्त्व संशोधन का पूर्ण इतिहास—स्वाहा, वर्ष 1 अंक 2-3, पृ० 27-34।

यह तो ब्राह्मी लिपि को पढ़े जाने के प्रयत्नों की चर्चा हुई। अब अनुसन्धानकर्ताओं में और विद्वानों में अनुसन्धान-विषयक वैज्ञानिक प्रवृत्ति खूब मिलती है, फिर भी, लिपि विषयक कुछ कठिन समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं। भारतवर्ष में सिन्धुघाटी की लिपि का रहस्य अभी भी नहीं खुला है। अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, किन्तु, जितने प्रयत्न हुए हैं उतनी ही समस्या उलझी हैं। इसी प्रकार और भी विश्व की कई लिपियाँ हैं जिनका पूरा रहस्य नहीं खुला। तो प्रश्न यह है कि यदि कोई एकदम ऐसी लिपि सामने आ जाय जिसके सम्बन्ध में आगे पीछे कोई सहायक परम्परा न मिलती हो तो क्या किया जाय ? इस सम्बन्ध में डॉ० पी. बी. पण्डित का 'हिन्दुस्तान टाइम्स वीकली' (रविवार, मार्च, 1969) में प्रकाशित 'क्रैकिंग द कोड' (Cracking the Code) उन मिद्धान्तों को प्रस्तुत करता है जिनमें ऐसी लिपि को समझा जा सके जिसकी न तो लेखन प्रणाली का और न उसमें निम्ने कथ्य का ज्ञान हो। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी लिपि की कुंजी पाने में अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। वे कठिनाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं जिन पर पार पाना असम्भव हो। फिर भी, उनके मुक़ाब हैं कि पहले तो ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो विविध चिह्न और रेखांकन मिले हैं क्या वे भाषा को व्यक्त करते हैं। यदि यह माना जाय कि वे चिह्न भाषा की लिपि के ही हैं तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह किस प्रकार की लेखन प्रणाली है। अर्थात् क्या यह लेखन प्रणाली चित्रात्मक है अथवा शब्दात्मक (logographic) है या वर्णात्मक (alphabetic)। यद्यपि आज कुछ लिपियाँ अक्षरात्मक (Syllabic) भी हैं पर यह अक्षरता (Syllable) वर्ण से ही जुड़ी मिलती है, क्योंकि दोनो ही ध्वनिमूलक हैं।

चित्रलिपि शब्दलिपि में तभी परिणत होती है जब एक चित्र कई भावों या वस्तुओं का अर्थ देने लगता है। तब एक चित्राकार या चित्रलिपि का एक-एक चित्र एक उच्चरित शब्द (logo) का स्थान ले लेता है। डॉ० पण्डित ने अंग्रेज़ी का स्टार शब्द लिया है। 'स्टार' का चित्र जब तक केवल स्टार का ही ज्ञान कराता है तब तक वह चित्रलिपि का अर्थ है। इसके बाद 'स्टार' का उपयोग केवल तारे के लिए ही नहीं, आकाश के चूत्तमान सभी तारों और तारिकाओं के लिए होने लगता है या उसका अर्थ चमकदार या शिरोमणि वस्तुओं के लिए होने लगे तो वह भावचित्रलिपि (ideograph) का रूप ग्रहण कर लेता है। अब यदि 'स्टार' की चित्राकृति और उसकी चित्रलिपि और भाव-चित्रलिपि को कोई शब्द मिल गया है—जैसे स्टार, तब यह शब्द हो गया। भावलिपि का एक अंग होकर अब उसने चित्र रूप के साथ शब्द रूप में भी सम्बद्धता प्राप्त कर ली, यही इस शब्द-ध्वनि की लिपि या शब्दमूलक चित्रलिपि (logograph) कहलाती है।¹

अब शब्द का अर्थ अपने ध्वनि-चित्र से किसी सीमा तक स्वतन्त्र हो चला क्योंकि 'शुद्ध स्टार ध्वनि' के लिए तो उसका ध्वनि-चित्र प्रायेण ही, सम्भवतः 'स्टार' की समवर्ती

1. 'Histories of writing system indicate that the Pictorial scripts develop into logographic scripts where a picture gets a phonetic value corresponding to its pronunciation : then it can be used for all other items which have similar pronunciation' (Pandit, P B. (Dr.)—Cracking the Code—Hindustan Times Weekly, Sunday, March 30, 1969)

ध्वनि 'स्टार' के लिए भी प्रयोग में आ सकेगा और परसर्ग रूप में गैंग्स्टर (gangster) में सैंग के साथ भी जुड़ जायेगा।

अब स्थिति यह हो गयी कि—

वस्तु → वस्तु-चित्र → चित्रलिपि → भावचित्रलिपि → चित्र शब्दित → शब्दात्मक चित्र → शब्द-प्रतीक → ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक।

ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक वाली लिपि में शब्दों की ध्वनि से उनमें 'मोरफीम' का ज्ञान होने लगता है तथा इन मारफीमों के अनुसार लिपि-प्रतीकों में विकार हो जाता है। यहाँ धाकर वह प्रक्रिया जग उठती है जो शब्द प्रतीकों की ध्वनिमूलक वर्णमाला की ओर जाने में प्रवृत्त करती है। 'स्टार' में एक मोरफीम है अतः शब्द-प्रतीक ल्यो का त्यो रहेगा। पर बहुवचन 'स्टार्स' में 'स' मोरफीम बढा, अतः कोई विकार 'स्टार' मारफीम में 'म' का छीतन करने के लिए बढाना पड़ेगा। 'म' यहाँ मारफीम भी है और एक वर्णात्मक अकेली ध्वनि भी। ऐ-नो-फेट में तीन मोरफीम है अतः शब्दलिपि भी तीन योग दिखाने लगेगी। इमीलिए इस अवस्था पर पहुँच कर ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक, प्रतीक में ध्वनि-छीतक चिह्नो को नियोजित करने का प्रयत्न करेगा—ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक → ध्वनिवर्ती शब्द प्रतीक-गत ध्वनि-प्रतीक → ध्वनि-प्रतीक अक्षर → ध्वनि-प्रतीक वर्ण। चित्रलिपि से वर्णात्मक लिपि तक के विकाम का यह क्रम सम्भावित है और स्थूल है।

विद्वानों ने Pictorial Art से Pictograph, Pictograph से Ideograph, Ideograph से logograph तक का विकास तो स्थूलतः ठीक अथवा सहज माना है। उससे आगे ध्वनि की ओर लिपि का सक्रमण उतना स्वाभाविक नहीं। कुछ विद्वानों की राय में यह सम्भव भी नहीं।

पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से तो वे प्रक्रियाएँ ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ये विकार होते हैं और लिपि का विकास होता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमने विकास-प्रक्रिया में जहाँ → (तीर) दिया है, वहाँ बीच में और भी कई विकास-चरण हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो भी-सी स्थिति भी हो सकती है जिसमें चित्रलिपि और ध्वनिलिपि दोनों ही प्रयुक्त हो। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब 'स्टार' में 'स्टार्स' तक भाषा पहुँचती है, तब 'एक और बहूत' का भेद करने की शक्ति उसमें आ जाती है। साथ ही शब्दों में चिह्नो द्वारा अन्य सम्बन्धों को बताने की क्षमता भी आ जानी चाहिये। व्यंजन और स्वरों के भेद अक्षरात्मक लिपि में प्रस्तुत होने लगने हैं।

शब्द चिह्नो से व्याकरण-सम्बन्धों को जानने के लिए डॉ० पण्डित का निम्न उद्धरण एक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है :

सम्भवतः एक या अधिक मोरफीमो (morphemes) से बने शब्द संकेत-चिह्नो की संख्याओं के आधार पर सबसे अधिक प्रयुक्त समुच्चय हैं। कोई चाहे तो प्रत्यय उपसर्ग-परसर्ग आदि को भी उनके स्थान और वितरण के आवर्तन से ढूँढ सकता है। मान लीजिए नीचे दिये सोलह वाक्यों में से वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण एक मोरफीम है तो इस भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में कोई क्या बता सकता है (तब भी जबकि वाक्यों के अर्थ विदित

नहीं है)।¹

1 AXZ	2 AXYZ	3 BX	4 CZ
5 CYZ	6 DX	7 EX	8 FZ
9 GZ	10 A	11 B	12 C
13 D	14 E	15 F	16 G

यह कहा जा सकता है कि A B C D E F G तो नाम धातु है XYZ परसर्ग है। XYZ का स्थानगत मूल्य ऐसा है कि वे अपने-अपने निजी क्रम को सुरक्षित रखते हैं। अन्त में Z आता है और Y X के बाद आती है। X धातु नाम के तुरन्त बाद आता है।²

तात्पर्य यह है कि उपलब्ध सामग्री का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिये जिसमें कि यह विदित हो सके कि कितने चिह्न स्वतन्त्र रूप में भी प्रयोग में आये और कितने चिह्न ऐसे हैं जो किसी न किसी अन्य चिह्न से जुड़कर आये हैं—और ये ऐसे चिह्नों में जुड़े मिलते हैं, जो बिना किसी चिह्न के भी प्रयुक्त हुए हैं। इससे यह अनुमान होता है कि जो चिह्न स्वतन्त्र रूप में आये हैं वे 'Stems', संज्ञानाम या क्रियानाम है और जो इनसे जुड़कर आते हैं वे उपसर्ग-प्रत्यय हैं। उसी लिपि के चिह्नों की पारस्परिक तुलना से वाक्य के रूप का अनुमान लगाया जा सकता है।

किन्तु इससे भाषा का उद्भव नहीं हो सकता, न लिपि के चिह्नों के सम्बन्ध में ही कहा जा सकता है कि वे क्या शब्द हैं, या किस ध्वनि के प्रतीक हैं। त्रिसेप ने ब्राह्मी के 'द' और 'न' अक्षरों को समझ लिया था, क्योंकि वह उनकी भाषा से परिचित था, और उन लेखों के अभिप्राय को भी समझता था।

किन्तु मोहनजोदड़ों की लिपि की भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं, अतः लिपि को ठीक-ठीक नहीं उद्घाटित किया जा सका है। लिपि जहाँ मिली है (1) उसकी पृष्ठभूमि, इतिहास, परम्परा, अग, संस्कृति आदि की सम्भावनाओं के आधार पर, तथा (2) अन्य ज्ञात लिपियों से तुलना करके विकल्पात्मक अनुमान लड़े किये जाते हैं।

सिन्धुघाटी की लिपि के विषय में उक्त दोनों बातों के सम्बन्ध में न तो प्रामाणिक आधार है, न मत है क्योंकि

पहला, पृष्ठभूमि, इतिहास, परम्परा आदि की दृष्टि से एक और यह माना गया कि यह आर्यों के भारत में आने से पूर्व की संस्कृति की लिपि है। आर्य पूर्व भारत में द्रविड थे अतः यह द्रविड-सम लिपि है और द्रविड-सम भाषा की प्रतीक है।

1. "The most frequent groups are possibly words, consisting of one or more morphemes according to the number of signs. One can also deduct the affixes-suffixes, prefixes, etc. by their positions and frequency distribution. Suppose, in the following data of sixteen sentences, each letter of the alphabet is a morpheme, what could one say about the grammar of the language (even of the meanings of the sentences are not known) "

[वही, मार्च 30, 1969]

2. One could say that the letters A, B, C, D, E, F, G are stems and the XY & Z are suffixes. The positional values of X, Y and Z are such that they maintain their respective order, Z occurs finally, Y occurs after X, X occurs immediately after the stem

[वही, मार्च 30, 1969]

"In the mean while let us recognise that while so many new decipherments are appearing they cannot all be right, and are more likely all to be wrong."

इतना विवेचन 'सिंधुघाटी लिपि' के सम्बन्ध में करने की इसलिए आवश्यकता हुई कि यह जाना जा सके कि किसी अज्ञात लिपि को पढ़ने में कितनी समस्याएँ निहित रहती हैं और उन सबके रहते भी किसी और महत्वपूर्ण बात का अभाव रहने से अज्ञात लिपि को ठीक-ठीक जानने की प्रक्रिया असफल हो जाती है। सिंधुघाटी सभ्यता के सम्बन्ध में जितने भी विकल्प रखे गये हैं वे सभी इतिहास से न तो पुष्ट ही हैं, न मिथ्य ही हैं।

यथा—पहला विकल्प यह है कि यह सभ्यता आर्यों के आगमन से पूर्व की द्रविड़ सभ्यता है। आर्यों के आगमन से पूर्व द्रविड़ सारे भारतवर्ष में बसे हुए थे। अब आर्यों के आगमन का सिद्धान्त तथा द्रविड़ों का आगों में भिन्न रक्त या नस्ल का होने का नूतास्तिक सिद्धान्त, ये दोनों ही पूर्णतः सिद्धप्रमेय नहीं माने जा सकते, न अकाट्य प्रमाणों से पुष्ट हैं।¹ इस सम्बन्ध में एक अन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, मूलतः यह सिद्धान्त विदेणियों के द्वारा ही प्रतिपादित हुए थे, और मूलतः सिन्धुघाटी की द्रविड़ सभ्यता के अवशेष बताने वाले भी अधिकांश विदेगी ही हैं, और भारतीयों का भुकाव अमेद की स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसी अप्रामाणिक अन्तर के कारण द्रविड़ भाषा, द्रविड़-लिपि और आर्य भाषा तथा असुर भाषा का विकल्प उठा है।

सिंधु-लिपि में मिश्र की लिपि तथा सुमेर की लिपि के साथ ब्राह्मी लिपि के साम्य भी हैं। इससे कल्पना की गयी कि मिश्र और सुमेर में उधार लिये गये शब्द और वर्ण हैं। डॉ० राजबेनी पाण्डेय ने यह सुझाव दिया है कि जहाँ तक एक में दूसरे के द्वारा उधार लेने का प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक परम्पराएँ हममें हमारी सहायता कर सकती हैं—

- (अ) प्राचीन मिश्र की सभ्यता के निर्माता लोग पश्चिमी एशिया से मिश्र को गये थे।
- (घ) यूनानी लेखकों के अनुसार फोनेशियन्स, जो कि प्राचीन काल के महान् सामुद्रिक यात्रा-दक्ष और सरकृति-प्रसारक लोग थे, त्यर (TYR) में उपनिवेश बनाकर रहते थे जो कि पश्चिमी एशिया का बड़ा बन्दरगाह था।
- (ङ) सुमेरियन लोग स्वयं भी समुद्र के मार्ग से बाब्र से आकर सुमेरिया में बसे थे।
- (च) पुरानी ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार, जो कि पुराणों और महाकाव्यों में दी हुई है, आर्य-जातियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत से उत्तर की ओर और

1. The use of Aryan and Dravidian as racial terms is unknown to scientific students of Anthropology (Nilkantha Shastri, cultural contacts between Aryan & Dravidians P. 2). There is no Dravidian race and no Aryan race. (A. L. Bashem : Bulletin of the Institute of Historical research II (1963), Madras.

पश्चिम की ओर धार्य जातिर्यां गयी थीं।¹

इन परिस्थितियों में इस तथ्य के सम्बन्ध में असम्भावना नहीं मानी जा सकती है कि या तो धार्य लोग या उनके प्रसुर नाम के बन्धुओं ने सिन्धुघाटी की लिपि का निर्माण किया। वे ही उसे पश्चिमी एशिया और मित्र में ले गये। इस प्रकार संसार के उन भागों में लिपि के विकास को प्रोत्साहित किया।²

डॉ० राजबली पाडेय का सुझाव ऐतिहासिक तर्कमत्ता के अनुकूल है। निश्चय ही इस लिपि की उद्भावना भारत में हुई और यही से सुमेर और मित्र को गयी, वहाँ इस लिपि का और विकास हुआ। पर इस सिद्धान्त से भी भाषा और लिपि के उद्घाटन में यथार्थ सहायता नहीं मिल पाती।

सिन्धु-लिपि दायें से बायें खरोष्ठी या फारसी लिपि की भाँति लिखी गयी है, या बायें से दायें, रोमन और नागरी लिपि की भाँति। इस सम्बन्ध में भी द्वैध है—एक कहता है दायें से बायें, दूसरा कहता है बायें से दायें। यह समस्या एक समय ब्राह्मी के सम्बन्ध में भी उठी थी। ब्राह्मी की एक शैली दायें से बायें लिखने की भी थी, प्रथम कुछ प्रवेशक शब्द भी मिलते हैं।

भूद्धर ने ब्राह्मी की दाहिने से बाँए लिखने का जो प्रमाण दिया है वह प्रशोक के येरगुडी (करनूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर प्राधारित है। कनिष्क ने मध्य प्रदेश के जबनपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी में मुद्रा-लेख दाहिने से बाँए लिखा है। इसे एक प्राकृतिक घटना मान सकते हैं और टुकसाल के साक्षा-निर्माता की धूल से ऐसा हो गया होगा। इसी तरह प्रशोक के लेख में लिखने का क्रम उलटा मिलता है। येरगुडी के लेख में पहली पंक्ति ठीक ढंग से बाँए से दाहिने लिखी है और दूसरी पंक्ति दाहिने से बाँए। तीसरी बाँए से दाहिने तथा चौथी दाहिने से बाँए। इनसे स्पष्ट है कि लेख अंकित करने वाला वास्तविक रूप में ब्राह्मी लिखना जानता था।

1. As regards the question of borrowing by one from the others, the following historical tradition will help us —

(i) The authors of ancient Egyptian civilisation migrated from Western Asia to Egypt.

(Maspeor—The Dawn of civilisation : Egypt & chaldaea, p. 45; Passing of the Empire, VIII., Smith, Ancient Egyptians, P. 24)

(ii) The Phoenicians, the great sea-faring and culture spreading people of ancient times, were colonists in TYR, the great sea-port of Western Asia, according to the Great writers.

(Herodots, II, 44)

(iii) The Summerians themselves came to Sumeria from outside through seas.

(Wolley, C. L.—The Summerians, 189)

(iv) The Aryans Tribes, according to the ancient historical, tradition recorded in the Puranas and Epics migrated from N. W. India towards the north and the west.

(F. E. Pargiter—Ancient Indo-Historical Traditions, XXV)

2. Under the circumstances, there is no impossibility about the fact that either the Aryans or their cousins the Asuras invented the Indus Valley script and carried it to Western Asia and Egypt and thus inspired the evolution of scripts in these parts of the World.

(Pandey, R. B.—Indian Paleography, P. 34)

पर एक नयी प्रणाली (दाहिने से बाएँ) का उसी लेख में समावेश करना चाहता था। इसलिए उसने क्रम (दाहिने से बाएँ) का भी उसने उपयोग किया। किन्तु इस कृत्रिम रूप के आधार पर कोई गम्भीर सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसंगत न होगा।¹

ब्राह्मी को, दिल्ली के ग्रहोक-स्तम्भ पर अंकित ब्राह्मी को, एक व्यक्त ने यूनानी लिपि माना था, और उस ब्राह्मी लेख को अलेक्जेंडर की विजय का लेख माना था। काशी के ब्राह्मण ने एक मनगढ़न्त भाषा और उसकी लिपि बतायी, किसी ने उनको तंत्राक्षर बतया; एक जगह किसी ने पहलवी माना; और भी पक्ष प्रस्तुत हुए, पर प्रत्येक लेख की स्थिति और उनका परिवेश, उनका स्थानीय इतिहास तथा अन्य विवरणों की ठीक जानकारी हुई और तब तुलना से वे अक्षर ठीक-ठीक पढ़े जा सके हैं।

पर सिन्धुघाटी की सम्यता विषयक विविध समस्याएँ अभी समस्याएँ ही बनी हुई हैं। यह सम्यता भी केवल सिन्धुघाटी तक सीमित नहीं थी, अब तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसके गढ़ भूमि-गर्भ में गर्भित मिले हैं। लगता यह है कि महान् जल-प्लावन से पूर्व की यह संस्कृति-सम्यता थी। पानी के साथ मिट्टी बह प्राची और उसमें ये नया दब गये। पर ये सभी कल्पनाएँ हैं और अधिक उत्खनन से कहीं कोई ऐसी कुंजी मिलेगी जो इसका रहस्य खोल देगी। तो पाण्डुलिपि-विज्ञान के विज्ञानियों के लिए उन अज्ञानों, कठिनाइयों और अज्ञानों को समझने की आवश्यकता है जिनके कारण किसी अज्ञात लिपि का उद्घाटन सम्भव नहीं हो पाता।

वे अज्ञान हैं -

- (1) किसी सांस्कृतिक परम्परा का न होना। ऐसी परम्परा प्राप्त होनी चाहिये जिसमें विशेष लिपि को बिठाया जा सके।
- (2) ठीक इतिहास का अभाव तथा इतिहास की विस्तृत जानकारी का अभाव या विद्यमान ऐतिहासिक ज्ञान में अनास्था।
- (3) अर्थार्थ और अप्रामाणिक पूर्वाग्रहों का होना।
- (4) तुलना से समस्या का और जटिल होना।
- (5) लिपि-विषयक प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में भ्रम होना।
- (6) लिपि में लिखी भाषा का ठीक ज्ञान न होना, यथा—प्राकृत के स्वरूप पर पहलवी और प्राकृत के स्वरूप पर संस्कृत भाषा समझकर किये गये प्रयत्न विफल हो गये थे।

अब हम 'स्वाहा' से लिये गये उद्धरण में ब्राह्मी लिपि पढ़ने के प्रयत्नों की सामान्य रूप-रेखा पढ़ चुके हैं। यहाँ महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा से भी इस सम्बन्ध में एक उद्धरण दिया जाता है, इससे ब्राह्मी लिपि के पढ़ने के प्रयत्नों का अच्छा ज्ञान हो सकेगा।

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में देहली और इलाहाबाद के स्तम्भों तथा खडगिरि के चट्टान पर खुदे हुए लेखों की छापें भा गई थी परन्तु बिल्फर्ड का यत्न निष्फल होने से अनेक वर्षों तक उन लेखों के पढ़ने का उद्योग न हुआ। उन लेखों का भाष्य जानने की जिज्ञासा रहने के कारण जेम्स प्रिन्सेप ने ई० सं० 1834-35 में इलाहाबाद,

रक्षिया धीर-मधिया के स्तंभों पर के लेखों की छापें मंगवाई और उनको देहली के लेख से मिलाकर यह जानना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक-सा है या नहीं। इस प्रकार उन चारों लेखों को पास-पास रखकर मिलाने से तुरन्त ही यह पाया गया कि ये चारों लेख एक ही हैं। इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा और उसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण होने की हृदय-भ्रमा बंधी। फिर इलाहाबाद के स्तंभ के लेख से भिन्न-भिन्न प्राकृत के अक्षरों को अक्षर-अक्षर छांटने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरों के समान उनमें भी कितने अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं के पृथक्-पृथक् पाँच चिह्न लगे हुए हैं, जो एकत्रित कर प्रकट किये गये।¹ इससे अनेक विद्वानों को उक्त अक्षरों के यूनानी होने का जो भ्रम था² वह दूर हो गया। स्वरों के चिह्नों को पहिचानने के बाद मि. प्रिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्योग करना शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुप्तलिपि से मिलाना और जो मिलता गया उसको वर्णमाला के क्रमवार रखना प्रारम्भ किया। इस प्रकार बहुत-से अक्षर पहिचान में आ गये।

पादरी जेम्स स्टिबेन्सन् ने भी प्रिन्सेप की भाँति इसी शोध में लग कर 'क', 'ज', 'प' और 'ब' अक्षरों³ को पहिचाना और इन अक्षरों की सहायता से लेखों को पढ़कर उनका अनुवाद करने का उद्योग किया गया परन्तु कुछ तो अक्षरों के पहिचानने में भूल हो जाने, कुछ वर्णमाला पूरी ज्ञात न होने⁴ और कुछ उन लेखों की भाषा को संस्कृत मानकर उसी भाषा के नियमानुसार पढ़ने से वह उद्योग निष्फल हुआ। इससे भी प्रिन्सेप को निरामान न हुई। ई० सं० 1836 में प्रसिद्ध विद्वान लैसन् ने एक बैक्ट्रिअन् ग्रीक सिक्के पर इन्ही अक्षरों में अँग्रेजीलिखत का नाम पढ़ा। ई० सं० 1837 में मि. प्रिन्सेप ने सांची के स्तूपों से सम्बन्ध रखने वाले स्तम्भों प्रादि पर खुदे हुए कई एक छोटे-छोटे लेखों की छापें एकत्र कर उन्हें देखा तो उनके अन्त के दो अक्षर एक-से दिखाई दिये और उनके पहिले प्रायः 'स' अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के सम्बन्ध कारक के एक वचन का प्रत्यय (संस्कृत 'स्य' से) मानकर यह अनुमान किया कि ये सब लेख अलग-अलग पुरुषों के दान प्रकट करते होंगे और अतः के दोनों अक्षर, जो पड़े नहीं और जिनमें से

1. जर्नल ऑफ़ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल, विल्ड 3, पृ० 7, प्लेट 5।
2. अशोक के लेखों की लिपि मामूली देखने वाले को अंग्रेजी या ग्रीक लिपि का भ्रम उत्पन्न करा दे, ऐसी ही टॉम कोरिजट नामक मुसाफिर ने अशोक के देहली के स्तम्भ के लेख को देखकर एल. विल्डकर को एक पत्र में लिखा कि "मैं इस देश (हिन्दुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर में आया जहाँ पर 'अलेक्जेंडर दी ग्रेट' (सिकन्दर) ने हिन्दुस्तान के राजा पोरस को हराया और अपनी विजय की यादगार में उसने एक बहुत स्तम्भ खड़ा करवाया जो अब तक वहाँ विद्यमान है" (केरल इतिविज एंड ट्रेवल्स, वि. 9 पृष्ठ 423 क. बा. स. रि. वि 1 पृ० 163) इस तरह जब टॉम कोरिजट ने अशोक के लेख वाले स्तम्भ को यादगार सिक्कर का खड़ा करवाया हुआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़े व जाने तक दूसरे यूरोपियन् यात्री आदि का उसकी लिपि को ग्रीक मान लेना कोई आश्चर्य भी बात नहीं है। पादरी एडवर्ड टैरी ने लिखा है कि टॉम कोरिजट ने मुझसे कहा कि मैंने देली (देहली) में ग्रीक लेख वाला एक बहुत बड़ा पाषाण का स्तम्भ देखा जो 'अलेक्जेंडर दी ग्रेट' ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमित्त उस समय वहाँ पर खड़ा करवाया था" (क. बा. स. रि. वि. 1, पृ० 163-64) इसी तरह दूसरे लेखकों ने उस लेख को ग्रीक लेख मान लिया था।
3. जर्नल ऑफ़ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल, वि० 3, पृ० 485।
4. 'न' को 'र' पढ़ लिया था और 'द' को पहिचाना न-था।

पहिले के साथ 'घा' की मात्रा धीरे दूसरे के साथ अनुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 'दा' धीरे दूसरा 'न' (दान) ही होगा। इस अनुमान के अनुसार 'द' धीरे 'न' के पहिचाने जाने पर वर्णमाला सम्पूर्ण हो गई धीरे देहली, इलाहाबाद, सींची, मथिया, रघिया, गिरनार, धौली धादि के लेल सुगमतापूर्वक पढ लिए गये। इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी भाषा, जो पहिले सस्कृत मान ली गई थी वह अनुमान ठीक न था, वरन उनकी भाषा उक्त स्थानों की प्रचलित देशी (प्राकृत) भाषा थी। इस प्रकार प्रिन्सेप धादि विद्वानों के उद्योग से ब्राह्मी अक्षरों के पढे जाने से पिछले समय के सब लेखों को पढ़ना सुगम हो गया क्योंकि भारतवर्ष की समस्त प्राचीन लिपियों का मूल यही ब्राह्मी लिपि है।¹ ब्राह्मी वर्णमाला

जिस 'ब्राह्मी वर्णमाला' के उद्घाटन का रोचक इतिहास ऊपर दिया गया है, उसे पढने में ध्राज विशेष कठिनाई नहीं होती। प्रिन्सेप धादि के प्रयत्नों ने वह वर्णमाला हमारे लिए हस्तामूलकवत कर दी है। वह वर्णमाला कैसी है, इसे बताने के लिए नीचे उसका पूरा रूप दे रहे हैं।—

अशोककालीन सामान्य ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला यह है :

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अं
 𑀀 𑀁 𑀂 𑀃 𑀄 𑀅 𑀆 𑀇 𑀈 𑀉
 𑀊 𑀋 𑀌 𑀍 𑀎 𑀏 𑀐 𑀑 𑀒 𑀓
 मात्रा 𑀔 𑀕 𑀖 𑀗 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛

क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ	ञ
𑀅	𑀆	𑀇	𑀈	𑀉	𑀊	𑀋	𑀌	𑀍
𑀎	𑀏	𑀐	𑀑	𑀒	𑀓	𑀔	𑀕	𑀖
𑀗	𑀘	𑀙	𑀚	𑀛	𑀜	𑀝	𑀞	𑀟
𑀠	𑀡	𑀢	𑀣	𑀤	𑀥	𑀦	𑀧	𑀨

त	थ	द	ध	न
𑀩	𑀪	𑀫	𑀬	𑀭
𑀮	𑀯	𑀰	𑀱	𑀲
𑀳	𑀴	𑀵	𑀶	𑀷

1 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 39-40।

(भारतीय साहित्य-जनवरी, 1959)

इस प्रश्न को लिपि से विकसित होकर भारत की विविध लिपियाँ बनी हैं। इन लिपियों की प्राथमिक वर्णमाला से तुलनात्मक रूप बताने के लिए पं० उदयशंकर शास्त्री ने एक चार्ट बनाया है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है—

भारत में लिपि-विचार

श्री गोपाल नारायण बहुरा जी ने लिपि के सम्बन्ध में जो टिप्पणियाँ भेजी हैं, उनमें पहले लिपि विषयक प्राचीन उल्लेखों की चर्चा की गयी है। वे लिखते हैं :

“बौद्धग्रन्थ ‘सलितविस्तर’¹ के दसवें अध्याय में 64 लिपियों के नाम आये हैं। 1—ब्राह्मी, 2—खरोष्ठी, 3—पुष्करसारी, 4—अंगलिपि, 5—बगलिपि, 6—अग्रगलिपि, 7—मांगत्यलिपि, 8—मनुष्यलिपि, 9—अंगुलीय लिपि, 10—शकारिलिपि, 11—ब्रह्मबल्ली, 12—द्राविड, 13—कनारि, 14—दक्षिण, 15—उग्र, 16—सख्या लिपि, 17—अनुलोम, 18—ऊर्ध्वध्वनु, 19—दरदलिपि, 20—सास्यलिपि, 21—चीनी, 22—हूण, 23—मध्याक्षर-विस्तर लिपि, 24—पुष्पलिपि, 25—देबलिपि, 26—माग लिपि, 27—यक्षलिपि, 28—गन्धर्व-लिपि, 29—किन्नरलिपि, 30—महोरगलिपि, 31—असुरलिपि, 32—गरुड़लिपि, 33—मृगचक्र लिपि, 34—चक्रलिपि, 35—बायुमरुलिपि, 36—मौमदेबलिपि, 37—अन्तरिक्षदेबलिपि, 38—उत्तरबुधद्वीप लिपि, 39—अपरगौडादिलिपि, 40—पूर्वविदेशलिपि, 41—उत्क्षेप लिपि, 42—निक्षेप लिपि, 43—विक्षेप लिपि, 44—प्रक्षेप लिपि, 45—सागर लिपि, 46—नृजलिपि, 47—लेख-प्रतिलेख लिपि, 48—अनुदुत्तलिपि, 49—शास्त्रचर्चलिपि, 50—गणावर्तलिपि, 51—उत्क्षेपावर्त, 52—विक्षेपावर्त, 53—पादलिखितलिपि, 54—द्विरुत्तरपदसन्धिखिलिखित लिपि, 55—दशोत्तरपदसन्धिखिलिखित लिपि, 56—अध्याहारिणी लिपि, 57—सर्वरुतसंग्रहणी लिपि, 58—विद्यानुलोमलिपि, 59—त्रिमिश्रितलिपि, 60—ऋषितपस्वप्नलिपि, 61—धरणी-प्रेक्षजानलिपि, 62—सर्वोपधनिष्यन्दलिपि, 63—सर्वसारसंग्रहणी लिपि, 64—सर्वभूतरुद्रहणी लिपि।

उक्त लिपियों के नाम पढ़ने में ही ज्ञात हो जायेगा कि इनमें से बहुत-से नाम तो लिपि-द्योतक न होकर लेखन-प्रकार के हैं, कितने ही कल्पित लगते हैं और कितने ही नाम पुनरावृत्त भी हैं।

किन्तु डॉ० राजबली पांडेय इस मत को मान्यता नहीं देते। उन्होंने इन चौसठ लिपियों को वर्गीकृत करके अपनी व्याख्या दी है। इन लिपियों पर डॉ० पांडेय की पूरी टिप्पणी यहाँ उद्धृत की जाती है। वे लिखते हैं कि :

“ऊपर की सूची में भारतीय तथा विदेशी उन लिपियों के नाम हैं जिनमें उस काल में, जबकि ये पत्थर लिखी गयी थी, भारतीय परिचित थे या जिनकी कल्पना उन्होंने की थी। पूरी सूची में से केवल दो ही लिपियाँ ऐसी हैं जिन्हें साक्षात् प्रमाण के आधार

1. मूल ‘सलितविस्तर’ ग्रन्थ संस्कृत में है इसमें बुद्ध का चरित्र वर्णित है। इसके रचना-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता—परन्तु इसका चीनी भाषा में अनुवाद 308 ई० में हुआ था। डॉ० राजबली पांडेय ने इसका और बताया है कि यह कृति अपने चीनी अनुवाद से कम से कम एक या दो सताब्दी पूर्व की ही होगी ही चाहिये।

(पांडे, राजबली—इण्डियन पैलिओग्राफी, पृ० 26)

पर पहचाना जा सकता है। ये दो लिपियाँ/ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं। चीनी विश्वकोष का-अन-बु-सिब (रचना-काल 668 ई०) इस प्रसंग में हमारी सहायता करता है। इसके अनुसार लेखन का आविष्कार तीन देवी शक्तियों ने किया था, इनमें पहला देवता था फन (ब्रह्मा) जिसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, जो बाँये से दाँये लिखी जाती है, दूसरी देवी शक्ति थी किया-लू (खरोष्ठी) जिसने खरोष्ठी का आविष्कार किया, जो दाँये से बाँये लिखी जाती है, तीसरी और सबसे कम महत्वपूर्ण देवी शक्ति थी रसाम-की (Tsam-ki) जिसके द्वारा प्राविष्कृत लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। यही विश्व-कोष हमें आगे बताता है कि पहले दो देवता भारत में उत्पन्न हुए थे और तीसरा चीन में.....।”

सूक्ष्मता में विचार करने पर अधिकांश लिपियाँ (ललितविस्तर में बतायी गयी) निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं; कुछ तो फिर भी ऐसी रह जाती हैं जिन्हें पहचानना और परिभाषित करना कठिन ही है :

1. भारत में सबसे अधिक प्रचलित लिपि : ब्राह्मी। यह लिपि की प्रकारादिक (alphabetic) प्रणाली थी।
2. वह लेखन प्रणाली जो भारत के उत्तर-पश्चिम तक ही सीमित रही : खरोष्ठी। इसमें अकारादिक वर्णमाला तो ब्राह्मी के समान थी पर लिपि भिन्न रही।
3. भारत में ज्ञात विदेशी लिपियाँ :

(क) यवनाली (यवनाली)—यूनानी (ग्रीक) वाणिज्य व्यवसाय के माध्यम से भारत इससे परिचित था। यह भारत-बाह्यी और कुषाण सिक्कों पर भी अंकित मिलती है।

(ख) दरवलिपि : (दरद लोगों की लिपि)

(ग) खस्यालिपि (खसों-शकों की लिपि)

(घ) चीना लिपि (चीनी लिपि)

(च) हूण लिपि (हूणों की लिपि)

(छ) असुर लिपि (असुरों की लिपि, जो कि पश्चिम एशिया में अरबों की शाखा के ही थे।)

(ज) उत्तर कुरुद्वीप लिपि (उत्तर कुरु, हिमालय, उत्तर के क्षेत्र की लिपि)

(झ) सागर-लिपि (समुद्री क्षेत्रों की लिपि)

4. भारत की प्रादेशिक लिपियाँ . प्राधुनिक प्रादेशिक लिपियों की भाँति पूर्वकाल में ब्राह्मी के साथ-साथ ऐसी प्रादेशिक लिपियाँ भी रही होंगी जो या तो ब्राह्मी का ही रूपान्तर हो, या उससे ही विकसित या व्युत्पन्न हों या पुरा-ब्राह्मी या तत्कालीन किसी अन्य स्वतन्त्र लिपि से व्युत्पन्न न हो। ब्राह्मी के रूपान्तरों को छोड़ कर उक्त सभी कालकवसित हो गयी। फिर भी नीचे लिखे नामों में कुछ की स्मृति अवशिष्ट है :

(क) पुखरसारीय (पुष्कस्सारीय) अधिकांश सम्भावना यह है कि यह पश्चिमी गंधार में प्रचलित रही हो। जिसकी राजस्थानी पुष्करावली थी।

(ख) अहोरात्र्य (उत्तर-पहाड़ी-क्षेत्र की लिपि)

नाग

६वीं शती	११वीं शती	१२वीं शती पाल पोथियों से	१२वीं से १६वीं शती तक त्रैलोक्यियों से	श
३	१	१	१	
२	३	२	२	१)
३	३	३	३	,
४	४	४	९	
५४	५	५	९	१)
२	६	६	४	उपयोग हो)
११	३	३	११	ग किया गया
१८	८	८	८	
३	८	८	३	,
०	०	९	८	मर्थान् छेनी से

- (ग) भंग लिपि (भंग उ०पू० बिहार की लिपि)
 (घ) बंग लिपि (बंगाल में प्रचलित लिपि)
 (च) भगघ लिपि (भगघ में प्रचलित लिपि)
 (छ) द्रविड़ लिपि (दमिलि) (द्रविड़ प्रदेश की लिपि)
 (ज) कनारी लिपि (कनारी क्षेत्र की लिपि)
 (झ) दक्षिण लिपि (दखन (दक्षिण) की लिपि)
 (ट) भपर-गौआद्रिड-लिपि (पश्चिमी गौड़ की लिपि)
 (ठ) पूर्व विदेह लिपि (पूर्व विदेह की लिपि)
5. जनजातियों की (Tribal) लिपियाँ :
- (क) गंधर्व लिपि (गंधर्वों की लिपि, ये हिमालय की जन-जाति हैं) ।
 (ख) पौलिदी (पुलिदों की : विध्यक्षेत्र के लोगों की)
 (ग) उग्रलिपि (उग्र लोगों की लिपि)
 (घ) नागलिपि (नागों की लिपि)
 (च) यमलिपि [यमों (हिमालय की एक जाति) की]
 (छ) किन्नरलिपि (किन्नरों, हिमालय की एक जाति की लिपि)
 (ज) गरुड़लिपि (गरुड़ों की लिपि)
6. साम्प्रदायिक लिपियाँ :
- (क) महेसरी (महेस्सरी माहेश्वरी, शंकों में प्रचलित एक लिपि)
 (ख) भौमदेव लिपि (भूमि के देवता (ब्राह्मण) द्वारा प्रयुक्त लिपि)
7. चित्ररेखाग्नित लिपियाँ :
- (क) मंगल्य लिपि (एक मंगलकारी लिपि)
 (ख) मनुष्य लिपि (एक ऐसी लिपि जिसमें मानव-प्राकृतियों का उपयोग हो)
 (ग) भ्रागुलीय लिपि (भ्रंगुलियों के से भ्राकार वाली लिपि)
 (घ) ऊर्ध्व धनु लिपि (चढ़े हुए धनुष के से भ्राकार वाली लिपि)
 (च) पुष्पलिपि (पुष्पांकित लिपि)
 (छ) मृगचक्र लिपि (वह लिपि जिसमें पशुओं के चक्रों का उपयोग किया गया हो) ।
 (ज) चक्र लिपि (चक्राकार रूप वाली लिपि)
 (झ) वज्र लिपि (वज्र के समरूप वाली लिपि)
8. स्मरणस्लोकरी (Mnemonic) लिपि
- (क) श्रंकलिपि (या संख्या लिपि)
 (ख) गणित लिपि (गणित के माध्यम वाली लिपि)
9. उभारी या खोबी लिपि :
- (क) धादंस या धायस लिपि (वाक्यादंत: कुतरी हुई (bitten) ग्रथान् खेनी से लोदी हुई)

10. शैली-परक लिपियाँ :

- (क) उत्क्षेप लिपि (ऊपर की ओर उभार कर (उछालकर) लिखी गयी लिपि)
- (ख) निक्षेप लिपि (नीचे की ओर बढ़ा कर लिखी गयी लिपि)
- (ग) विक्षेप लिपि (सब ओर से संबन्धित लिपि)
- (घ) प्रक्षेप लिपि (एक ओर विशेष संबन्धित लिपि)
- (च) मध्यक्षर विस्तार लिपि (बहु लिपि जिसमें मध्य-अक्षर को विशेष सम्बन्धित किया गया हो।)

11. संक्रमण-स्थिति छोटक लिपि :

विमिश्रित लिपि (चित्ररेखान्वित, अक्षर (Syllabics) तथा वर्ण से विमिश्रित लिपि)।

12. स्वर लेखन :

- (क) अनुद्रुत लिपि (शोभप्रगति से लिखने की लिपि या स्वर-लेखन की लिपि)

13. पुस्तकों के लिए बिलिख्ट-शैली :

शास्त्रावर्त (परिमिष्ठित कृतियों की लिपि)

14. हिसाब-किताब की विशिष्ट शैली :

- (क) गणावर्त (गणित मिश्रित कोई लिपि)

15. देवी या काल्पनिक :

- (क) देवलिपि (देवताओं की लिपि)
- (ख) महोरग लिपि (सर्पों (उरगों) की लिपि)
- (ग) वायुमरु लिपि (हवाओं की लिपि)
- (घ) अन्तरिक्ष-देव लिपि (आकाश के देवताओं की लिपि)

देवी या काल्पनिक लिपियों को छोड़ कर शेष भेद या रूप भारत के विविध भागों की लिपियों में, पड़ोसी देशों की लिपियों में, प्रादेशिक लिपियों में और अन्य चित्र-रेखा नन्वयी या आलंकारिक लेखन में कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं।¹

इस लेखक ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की लिपि को विमिश्रित लिपि माना है जिसमें संक्रमण सूचक चित्ररेखक (pictographs), भावचित्ररेखक (ideographs) तथा ध्वनि-त्रिलोक (अक्षर) रूप मिलेजुले मिलते हैं।²

किन्तु अटारह लिपियों का उल्लेख कई प्रमाणों में मिलता है। इस सम्बन्ध में हम पुनः श्री बहुरा जी की टिप्पणी उद्धृत करते हैं :

वर्णक समुच्चय में मध्यकालीन अटारह लिपियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. उट्टी (उड़िया), 2. कीरी, 3. चणक्की, 4. अक्का (यक्ष लिपि), 5. जवणी (यावनी ग्रीक लिपि), 6. तुरक्की (तुर्की), 7. प्राविदी, 8. अक्कि, 9. भाषेरी ई०सं० की

1. Pandey, Rajbali—Indian Paleography, P. 25-28.

2. Ibid, P. 29.

8वीं शताब्दी के बाद से- विकसित) 9. निमित्री (ज्योतिष-सम्बन्धी), 10. पारसी, 11. मूर्खलिपि, मालविणी (मालव प्रदेशीय लिपि), 12. मूलदेवी (बीरहासन के प्रणेता मूलदेव प्रणीत-सकेत लिपि), 13. रक्खली (राखली), 14. लाडलि (लाट प्रदेशीय), 15. सिधविद्या (सिधी), 16. हंक्लिपि-(Arrow-headed alphabets) के नाम तो सातव्य-समयकृत 'विमलप्रबन्ध' में मिलते हैं और इनसे जुनी (प्राचीन) लिपियों के नाम, 17. जवणालिया अथवा जवणनिया और 18. दामलि और है।

'पञ्चवणा सूत्र' की प्राचीन प्रति में 18 लिपियों के नाम इस प्रकार हैं :—1. बंगी, 2. जवणालि, 3. दोसापुरिया, 4. खरोट्टी, 5. पुक्खरसारिवा, 6. भोगवइया, 7. पहा-राइया, 8. उपभ्रंतश्चिरक्खया, 9. भक्खरूपिद्धिया, 10. तेवणइया (वेवणइया) 11. गिसि-गहइया, 12. भंकलिपि, 13. गण्णललिपि, 14. गंधव्व लिपि, 15. घ्रादस (घ्रायस) लिपि, 16. माहेसरी, 17. दमिली, 18. पोलिदी।

'जैन समवायांग सूत्र' की रचना भक्तोक्त से पूर्व हुई मानी जाती है। इसमें दी हुई अष्टारह लिपियों की सूची में ब्राह्मी और खरोष्ठी के अतिरिक्त जिन लिपियों के नाम दिए गए हैं उनमें लिखा हुआ कोई जिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। सम्भवतः वे सभी लुप्तप्रायः हो गई होंगी और उनका स्थान ब्राह्मी ने ही ले लिया होगा।

इसी प्रकार 'विशेषावश्यक सूत्र' की गाथा 464 की टीका में भी 18 लिपियों के नाम गिनाये गए हैं—1. हसलिपि, 2. मुप्रलिपि, 3. जक्खीतट लिपि, 4. रक्खी अथवा बोधघा, 5. उट्टी, 6 जवणी, 7. तुक्ककी, 8 कीरी, 9. दविडी, 10. सिधविद्या, 11. माल-विणी, 12. नडि, 13 नागरि, 14. लाडलिपि, 15. पारीसी वा बोधघा, 16. तहभ्रनिमि-लीय लिपि; 17. चाणक्की, 18: मूलदेवी।

'समवायांगसूत्र' और 'विशेषावश्यक' टीका में प्रायी हुई 18 लिपियों के नामों में बड़ा अन्तर है। 'समवायांग' में ब्राह्मी और खरोष्ठी के नाम प्राते हैं परन्तु विशेषावश्यक टीका में एशिया और भारत के प्रदेशों के नामों पर आधारित तथा कतिपय प्रसिद्ध पुरुषों की नामाभित लिपियों के नाम देखने को मिलते हैं, यथा—तुक्ककी, सिधविद्या, दविडी, मालविणी, पारसी ये देशों के नाम पर हैं और चाणक्की, मूलदेवी आदि व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित हैं। रक्खली और पारसी दोनों के पर्याय बोधघा दिए हैं। ये दोनों एक ही थी क्या? समवायांगसूत्र वाली सूची स्पष्ट है।

इनमें कुछ तो शुद्ध सांकेतिक लिपियाँ हैं जो असुक्त-असुक्त बणों का सूचन करती हैं और कुछ एक ही लिपि के बणों में क्रम-परिवर्तन करके स्वरूप-ग्रहण करती हैं, यथा—चाणक्की और मूलदेवी लिपियाँ नागरी के बणों में परिवर्तन करके ही उत्पन्न की गयी हैं। वास्त्यायन ऋक 'कामसूत्र' में परिगणित 64 कलाघरे में ऐसी लिपियों का भी उल्लेख प्राता है और इनको 'म्नेच्छिव विकल्प' की संज्ञा दी गयी है। जब शुद्ध शब्द के अक्षरों में विकल्प या फेरफार करके उसे अस्पष्ट अर्थ वाला बना दिया जाता है तो वह 'म्नेच्छित विकल्प' कहा जाता है, यथा—'क', 'स', 'य' और 'द' से 'क्ष' तक के अक्षरों को ह्रस्व और दीर्घ तथा अनुस्वार और विसर्ग इन सबको उल्ला अक्षर करके अन्त में क्ष लगाकर लिखने से दुर्बोध्य 'चणक्की' लिपि बन जाती है।

अ क, ख ग, घ ङ, च ट, त प, य स, इनको लस्त अर्थात् अ की जगह क, ख के स्थान पर ग रखने तथा शेष को यथावत् रखने से मूलदेशीय रूप हो जाता है।

गूढ लेख-ग्रह 9-ग्रहउच्चलूपेभोभौ, नयन-2 दीर्घ, वसु 8-कलगधउ च्छज, बहानन 6-
 ऋयटठडढ, सागर 7-णतधवद्यनप, मुनि 7-फबभमयरल, जबलानांग 5-वशषसह, तुंकश्रुंग-
 विसर्ग-ग्रनुस्वार। इस कुञ्जी से लिखा गूढ लेख कहलाता है — “ग्रहनयनवसुसमेतं
 पदाननक्यानि सागरा मुनयः। जबलानांग तुंकश्रुंग दुलित्तितं गूढ लेख्यामिदम् ॥ यथा—

वसु	1 = क + ग्रह 1	नयन = भा = क + घ + घा = का	
मुनि	4 = म् + ग्रह 1	घ = म + घ	= म
सागर	4 = द् + ग्रह 6	= द + ए	= दे
जबलानांग	1 = ब + ग्रह 1	= ब + ध	= ब
			= कामदेव

एव “प्रकारा ग्रन्येऽपि द्रष्टव्याः”

इसी प्रकार अक पल्लवी, शून्यपल्लवी और रखापल्लवी लिपियाँ भी होती थीं। अंकपल्लवी में पहला अंक वर्ण का द्योतक, दूसरा उस वर्ण के अक्षर का और तीसरा मात्रा का द्योतक होता है। घ पहला वर्ण है, सभी स्वर इसके अक्षर हैं। क, च, ट, त, प, य और श ये अन्य वर्ण हैं। इन वर्णों के अंक ये होंगे 1 = घ वर्ण-स्वर वर्ण, 2 = क वर्ण, 3 = च वर्ण, 4 = ट वर्ण, 5 = त वर्ण, 6 = प वर्ण तथा 7 = यरलव एव 8 = शपसह। अक पल्लवी में लेख यो लिखा जायेगा—

212	651	537	741
का	म	दे	ब

शून्यांकों में हल्की और गहरी शून्य से लघु और गुरु का संकेत किया जाता है, इसी प्रकार रेखांकों में हल्की-गहरी और बड़ी-छोटी रेखाओं से संकेत बनाए जाते हैं।

कितनी ही प्राचीन ताडपत्रीय और कागज पर लिखी प्रतियों में अक्षरात्मक अंक भी पाए जाते हैं, जैसे-रोमन-लिपि में १० (10) के लिए X, ५० (50) के लिए L, १०० (100) के लिए C अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दस, बीस, तीस आदि दशक संख्याओं के सूचक अक्षर लिखे जाते हैं, परन्तु शून्य के स्थान पर शून्य ही चलता है जैसे—
 लूँ = 10, घ = 20, ला = 30, प्त = 40, 0 = 50, घुँ = 6०, घूँ = 70, 0 = 80, 0 = 90,
 0 0 0 0 0

सु = 100, सू = 200, स्ता = 300, स्ति = 400, स्तो = 500, स्त = 600, स्त. = 700
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0

इत्यादि।

हम देखते हैं कि इन संख्याओं को पड़ी पंक्ति में न लिख कर ऊपर-नीचे खड़ी पंक्ति में लिखा जाता है। कुछ अंकों के स्थान पर दहाई में वे अंक ही अपने रूप में लिखे जाते हैं और कुछ के लिए अन्य अक्षर नियत हैं, यथा—लूँ = 11, लूँ = 12, लूँ = 13, परंतु,
 1 2 3

14 के लिए लूँ लिखा जायगा। इसी प्रकार लूँ = 15, लूँ = 16, लूँ = 17, लूँ = 18,
 एक लूँ फूँ यौ वा

लूँ = 19 इत्यादि।

उ

हमारे बचपन में चटशालाएँ चलती थीं। चटशालाएँ सम्भवतः वेदशाला का रूपान्तर हैं। वेदिक षड्ब शिष्य का वाचक है। चटशाला के बड़े छात्र या अध्यापक को जोशीजी कहते थे। मानीटर को 'वरचट्टी' कहा जाता था। उन दिनों पहले एक पट्टे पर गेरू या लाल मिट्टी बिछा कर लकड़ी के 'बरते' से अक्षर लिखना सिखाया जाता था। फिर लकड़ी की पाटी पर मुस्तानी पोत कर नेजे (सरकण्डे) की कलम और गोदवाली काली स्याही से सुलेख लिखाया जाता था। इसको 'अक्षर जमाना' कहते थे। पहले वर्ण-माला फिर गणित पाटी आदि तो लिखाते ही थे परन्तु बड़े छात्रों को 'सिद्धा' अर्थात् कातम्ब सूत्र 'सिद्धो वर्णाः' लिखाते थे—पर साथ ही, हमें याद है कि एक 'दातासी' लिपि भी लिखाई जाती थी। इसको जानने वाला सबसे चतुर छात्र समझा जाता था—स्वर तो वही रहते हैं परन्तु 32 व्यंजनों के लिए ये अक्षर होते थे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																	
श्री	दा	-	ता	-	घ	-	न	-	को	-	स	-	मा	-	वो	-	वा	-	ल							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
म	-	हि	-	प	-	गो	-	घ	-	टी	-	घा	-	ई	-	पू	-	छ	-	ज	-	डा	-	थ	-	डा
25	26	27	28	29	30	31	32	इति दातासी ।																		
उ	-	च	-	री	-	य	-	ठ	-	ण	-	भ	-	फू												

इसका दूसरा सूत्र इस प्रकार है--

दाता धण कोस भाव, बाला मह लग घटा ।
 आशा पीठं जडे पण्डे, चय रिच्छ धन भ्रफा ॥

इति दातासी ।

वर्ण विपर्यय द्वारा लिखी जाने वाली एक सहदेवी विधि भी है, जिसका क्रम इस प्रकार है --

अप । फब । मम । कच । लछ । गज । घभ । उञ्ज ।
 टत । ठथ । डद । डध । णन । ह्य । शब । रस । लव ॥

इति सहदेवी

लिपि

व्यावहारिक समस्याएँ

यहाँ तक हमने ऐतिहासिक दृष्टि से लिपि के स्वरूप पर विचार किया है। साथ ही विविध लिपियों की वर्णमालाओं पर भी प्रकाश डाला है। पांडुलिपि-विज्ञान के अध्येता और अन्वयासी को तो आज विविध ग्रन्थागारों में उपलब्ध ग्रन्थों का उपयोग करना पड़ता है। इन ग्रन्थों में देवनागरी के ही कुछ अक्षरों के ऐसे रूप मिलते हैं कि उन्हें पढ़ना कठिन होता है। इस दृष्टि से ऐसे कुछ अक्षरों का ज्ञान यहाँ करा देना उपयुक्त प्रतीत होता है।

एक अनुसन्धानकर्ता गुजरात के ग्रन्थागारों के ग्रन्थों का उपयोग करने गये तो उन्हें एक प्रतिष्ठित आचार्य ने ऐसे ही विशिष्ट अक्षरों की एक अक्षरावली दी थी और उस अक्षरावली के कारण उन्हें वहाँ के ग्रन्थों को पढ़ने में कठिनाई नहीं हुई। वह अक्षरावली¹

1. लघुग्र (अं०)—अनुसन्धान, पृ० 111 ।

नीचे दी जाती है :

उ ऊ ओ औ ए ज ङ
 उ, ऊ, ऐ, औ, ष, ङ, झ, ञ
 ङ ङ म ल ष स ह ख
 ङ ङ म य. ल थ य ङ ध
 (क=के, (के=कै, (प्र=की, (के=कौ), ङ=ऊ, ङ=कू

संयुक्त वर्ण

ङु = उज, ङ = ऊ, ङ = ऊ, ऊ = ऊऊ;
 म = म; ङ = म. ङ = थ = ङ = ङ, ङ = ङ = ङ.
 म = म, ङ = ल = उज ङ = त
 ङ ङ ङ र।।। त ङ म
 थ = उज ङ उ ङ ङ त ङ म
 ङ = थ, थ = थ, थ = थ, थ = थ,
 ङ = ङ, ङ, ङ, ङ = म

इस अक्षरावली पर दृष्टि डालने से एक बात तो यह विदित होती है कि 'उ ऊ ओ औ ए ज ङ' चारो स्वरों में 'मूल स्वर' का रूप एक है, उ ऊ में भी और 'ओ औ' में भी वह है। इसमें शिरोरेखा देकर 'उ' बनाया गया है। इसी में 'ऊ' की मात्रा लगाकर 'ऊ' बनाया गया है। यह 'ऊ' की मात्रा है-' ' और यह अशोककालीन ब्राह्मी की 'ऊ' की मात्रा का ही अवशेष है जो आज तक चला आ रहा है। ओ औ में 2 की रेखा को 3 की भाँति वृत्तांकित या घुम्डीयुक्त कर दिया गया है। फिर 3 पर शिरोरेखा में भी अशोक लिपि की परम्परा मिलती है। दोनों और '-' यह रेखा लगाने से 'ओ' बनता है, ये 'ओ' की मात्राएँ हैं। 'औ' की मात्रा में भी एक रेखा (ऊ) की मात्रा के सिर पर चढ़ाई गयी है। ये ब्राह्मी के अवशेष हैं। यही प्रवृत्ति कु-कू में भी मिलती है। के कं, को कौ में बगला लिपि की मात्राओं से सहायता ली गई है।

अब यहाँ कुछ विस्तार से राजस्थान के ग्रन्थों में- मिलने वाली अक्षरावली या वर्ण-माला पर विस्तार से वैज्ञानिक विश्लेषणपूर्वक विचार डॉ. हीरालाल माडेरि के शब्दों में दिने जाते हैं : राजस्थानी की और राजस्थान में उपलब्ध प्रतियों के विशेष-सम्बन्ध में उनकी वर्णमाला विषयक शाब्दिक-बातें निम्नलिखित हैं—

1. (क) राजस्थान में उपलब्ध ग्रन्थों में प्रयोग में आयी देवनागरी की वर्णमाला की कुछ विशेषताएँ कहीं-कहीं मिलती हैं। उन्हें हम इन प्रयोगों में विचारित-कर सकते हैं :

- (घ) विवादास्पद वर्ण
- (घा) आन्तक वर्ण
- (ङ) प्रमाद से लिखे गए वर्ण
- (च) विशिष्ट वर्ण चिह्न, उनका प्रयोग करना भयवा न करना तथा
- (उ) उदात्त-अनुदात्त-ध्वनि वर्ण

पहले प्रत्येक के एकाध उदाहरण देकर इनको स्पष्ट करना है ---

(घ) विवादास्पद (Controversial) वर्णों के उदाहरण

1— थ > द / द > थ

घ / द थ / द (सं. 1887 पोह मुदि 1 को लिखे गए
बीकानेर परवाने से) अन्य परवानों में भी
ऐसे ही रूप दोनों के मिलते हैं, सं. 1907
तक।

प्रयोग के उदाहरण

थाप > द्वाप. ~~द्विप~~ > थेक
था > दा / दडी > थड़ी
थो > धो / द्धुणदुणो > थुणथुणो

2— र > द। द > र।

दा।रा। र द (ये रूप सभी प्रतियों और परवानों में)

चवरा > चवदा। चवदा > चवरा
(4) (14)

3— व > ब। ब > व। ~~व~~ (ब)

बोबडो > बोंबडो।

(घा)

1— छ > ब। ब > छ

छुरी > बुरी। (परनारी दा।नी।दुरी) 'दंड' > 'भंड'।
(परनारी दुरी) 'पद्चदिया' पद्चदिया छंद।

छाप > बाप > धं तो म्हारे छापका।
धं तो म्हारे बापका॥

2—ट > ड ।

बट बट गया इबांणी (भ्रजानी पृथक्-पृथक् हो गए) (मेल-मिलाप न रखकर)
बड बड गया इबांणी (भ्रजानी कह बड़ गए)

3—म > म ।

भरेडी > मरेडी

4—स > म ।

सिसियर > मिसियर

(चन्द्रमा) (काला, काले वर्ण का, काले वर्ण के समूह का)

5—छ > घ ।

छमछम करती झाई ।

घमघम करती झाई ।

6—ष > ब ।

षादणो > बादणो

7—ज > त ।

जाण्यो तेरो जत ।

जाण्यो तेरो तत ।

ज ज
ज

त त
त

8—ष्य > ण ।

ष्य ष्य
ष्य

जाण्यो पण घ्राण्यो नहीं → (जाना किन्तु लाया नहीं)

जाणो पण घ्राणो नहीं → (जानते हो किन्तु लाते नहीं)

9—त > ट ।

तूटेगो > टूटेगो

त ट ढ ट'
त ट

10—घ > घ ।

घण जो यां काई मिली । (स्त्रिगों को देखने से क्या मिलता है)

घण जो यां काई मिली । (अधिक (प्राचुरता) दिखाने से क्या मिलता है)

11—न > त ।

न न ढ
ज

नातो तेरै नाम रो । (तेरे नाम का नाता है)

नातो तेरै नाम रो । (तेरे नाम का प्रेमी हूँ)

12—ष > म ।

ष ष म
ष

षड़ षड़ तास समंदा पारी । (समुद्रों के पार तक लहर होती है)

मड़ मड़ तास समंदा पारी (सरोवरों, समुद्रों के पार तक लहरें ही लगे हैं ।)

13-फ > क । $\frac{\text{फ फ फ}}{\text{फ}}$

फर फरडाटो भायो
कर करडाटो भायो

14-य > म

जय कुंण जाणें ।
जम कुंण जाणें ।

15-म > स ।

मान निहोरा कित रखा ।
सान निहोरा कित रखा ।

16-ह > ड । $\frac{\text{है . हें . हें}}{\text{ह}}$

17-ड > द ।

हडूकियो > डडूकियो
डेलह > देल्ह (मुप्रसिद्ध कवि का नाम)
(ब) भ्रामक वर्ण

1—त्र > न्र (त्र > त्र

त्रपत > न्रपत । न्रपत > त्रपत

2—हलन्त् 'र' के लिए दो अक्षरों के बीच "—" चिह्न भी लिखा मिलता है (अनेक प्रतियो में) । सत्रहवीं शताब्दी की प्रतियो में अपेक्षाकृत अचिक ।

उदाहरणार्थ .

धास्या > धा-न्त्या

मास्या > मा-न्त्या

इससे ये भ्रम हो सकते हैं -

(अ) सम्भवतः धा और या का मिलाया गया है (धास्या > धा-न्त्या) ।

(ब) सम्भवतः इन दोनों के बीच कोई अक्षर, मात्रादि छूट गया है ।

(स) सम्भवतः इसके पश्चात् शब्द समूह या झोल (पक्ति) छूट गई है ।

इसको कोई चिह्न-विशेष न समझ कर र का हलन्त् रूप (-) समझना चाहिए ।

यह (-) अन्तिम अक्षर के साथ जुड़े हुए रूप में मिलनी है, पुष्क नहीं ।

(स) प्रभाव से लिखे गए वर्ण

इस शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित (अ) विवादास्पद (Controversial) और

(घा) भ्रामक (Confusing) दोनों वर्ण भी सम्मिलित हैं। जब यहाँ प्रमादी लेखन से क्या परिणाम होते हैं और क्या कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं, उन्हें देखना है। पहले मात्राओं पर ध्यान जाता है :

(1) मात्रा :

1— ा > ी । का की
का > की । का > की
(ा > ी)

2—(क) उ > अः
(ख) ओ > आ आ
(क) ए > घ
मात्रा (ा > उ)

(ख) कामोदरी > कामादरी
↓
कामादरी कामादरी

क(ख)दरी

दृष्टव्य है कि अनेक हस्तलिखित प्रतियों में दो मात्राएँ बंगाली लिपि की भाँति लगी मिलती हैं। यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी तक की प्रतियों में पाई जाती है। दोनों मात्राएँ नं० (1) में दृष्टव्य हैं। यह प्रवृत्ति बोकानेर के 'दरबार पुस्तकालय' में सुरक्षित ग्रन्थों में विशेष मिली है।

3— उ > अ
ए > ऐ । ऐ > ए

4— ओ > औ । औ > ओ ा > ी

प्रतीत होता है कि यह गुरुमुखी के प्रभाव का परिणाम है और यह प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी और उससे आगे लिखे ग्रन्थों में अधिक मिलती है।

जब हम इन वर्णों में मिलने वाले वैशिष्ट्य को ले सकते हैं :

(2) वर्ण :

क > फ ।

ख > प । दृष्टव्य है कि राजस्थानी में 'ख' वर्ण 19वीं शताब्दी तक की प्रतियों में नहीं पाया जाता। बदले में 'प' ही पाया जाता है। इसके अन्वय में हैं : 1. संस्कृत शब्द में 'ख' भी मिलता है, 2. ब्राह्मण प्रतिलिपिकारों ने दोनों का प्रयोग किया है।

य > म । स्याही की घब्रिकता, पन्ने का फटना, स्याही का फैलना तथा लिखे हुए पर लिखने के कारण कुछ का कुछ पड़ना मिलता है । इससे अर्थ का अनर्थ बहुत हुआ है ।

व > ब । व व

ऊ > मु या यु > ऊ । क > पु । पु > क ।

बंगला लिपि के अनुसार लिखित 'उ' में बधा

ऊ > मुम । यही म में ' (उ) की भाषा मिलायी गयी है, इससे 'म' 'ऊ' लगने लगा है ।

ड > ठ । ड > ड ।

ड > व । ड > ड ।

द > ब । ब > ब द द द द
द ब

ल > ल (द्विवच दुक्त ए)

लल > लल

व > न । न न न न
न न

स > ध्व

स > प्त । स (घ)

दृष्टव्य है कि इस वर्ग के अन्तर्गत जो उदाहरण मिलते हैं, वे अनेक हैं और प्रत्येक लिपिकार के अनुसार बदलते, घटते-बढ़ते रहते हैं । 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पात' के सिद्धान्त-पालन करने वाले मामूली पढ़े-लिखे लिपिकार ऐसी भूलें किया करते हैं ।

(द) विशिष्ट वर्ण-चिह्न

य और व के नीचे बिन्दी लगाने की प्रथा राजस्थान में बहुत पुराने काल से है । इनको क्रमशः य और व लिखा जाता है । पुराने ढंग की पाठशालाओं में वर्णमाला सिखाते समय 'बधा तर्क स बीदली' तथा 'ययियो पेटक' और 'ययियो बीदक' बताया जाता था । बधा तले स बीदली अर्थात् 'ब' के तले बिन्दी (व) । ययियो पेटक अर्थात् य शुद्ध । ययिया बीदक अर्थात् य के नीचे बिन्दी (य) । 17 वीं शताब्दी तक य य दो पृथक ध्वनियाँ थीं, इसके संकेत रूप में प्रमाण मिलते हैं । उसके पश्चात् शब्द के प्रादि के य को तो प और वीच के प को य करके लिखा जाता रहा । अठारहवीं शताब्दी और उसके बाद की प्रतियों में प्रत्येक 'य' को 'य' करके ही लिखा जाने लगा चाहे प्रादि में ही या मध्य में या अन्त में । य (घ) और (य) के बीच ध्वनि (yeh, yes को yeh जैसे बोलते हैं) रही थी । इसी प्रकार व और व् में अन्तर है । ब को W और व् को V को सी ध्वनियाँ मान सकते

हैं। तात्पर्य यह है कि प्राचीन लिपि में बिन्दी लगाई जाती थी जो अर्ध-श्रेय स्पष्ट करने का प्रयत्न था। प्रचारपूर्वी शताब्दी से (य, य) की भ्रंति व व को भी व करके लिखा जाने लगा।

इनसे फायदा यह है कि एक तो व और य का निश्चित पता चल जाता है, अन्यथा व को प, य को म या प आदि-आदि समझने की भ्रंति हो सकती है। दूसरे यह पता लग जाता है कि या तो रचना, अथवा लिपिकार, राजस्थानी हैं, और सामान्यतया जो भूले राजस्थानी लिपिकार करता है, वे सम्बन्धित प्रति में भी होंगी।

ड और ड पुण्य ध्वनियाँ हैं। कहीं-कहीं दोनों के लिए केवल 'ड' ही लिखा मिलता है। पहचान यह है कि 'ड' आदि में नहीं आता। इसके प्रतिरिक्त जो भ्रंति हो सकती है, उसका निराकरण ध्वन्य उपायों से होगा।

चन्द्र-बिन्दु का प्रयोग कहीं भी नहीं होता। जहाँ चन्द्र बिन्दु जैसा प्रयोग होता है, निश्चित समझना चाहिए कि या तो यह छूटे हुए अक्षर को वीक्षित करने का ()-चिह्न है, अथवा बड़ी 'ई' की मात्रा (हजारों प्रतियों में मुझे तो एक भी चन्द्र-बिन्दु का उदाहरण नहीं मिला)। ध्यातव्य है कि गुजराती लिपि में चन्द्र-बिन्दु नहीं है। भाषा-शास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टियों में राजस्थान का उससे विशेष सम्बन्ध होने के कारण भी ऐसा हुआ लगता है।

झ को प्य लिखा जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी से 'झ' भी लिखा मिलन लगता है, किन्तु यह ध्वनि संस्कृत शब्दों के धातरिक्त राजस्थानी में नहीं है। ड नहीं है। ध्यातव्य है कि ड को 'ड' करके लिखा जाता है इसको 'ड' समझना चाहिए 'ड' नहीं।

'ञ' को पाठशालाओं में तो 'नदियों खाँडी चाँद' करके पढ़ाया जाता था। खंडित चन्द्राकार होने से इसको ऐसा कहा गया। केवल बारहखड़ी काव्य में ही 'ञ' आया है। इसी प्रकार 'ड' भी बारहखड़ी काव्य में प्रयुक्त हुआ है। अन्य स्थानों पर ये दो (ड और ञ) नहीं आते। ज को सदा य करके लिखा जाता है।

विराम चिह्नों के लिए चार बातें देखने में आई हैं—(1) कांमा का प्रयोग नहीं होता, केवल पूर्ण विराम का होता है। (2) पूर्ण विराम या तो (1) की भ्रंति लिखा जाता है अथवा (3) विसर्ग की भ्रंति (·) या (4) कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। विराम चिह्न रूप में विसर्ग अक्षर से ठीक जुड़ती हुई न लगाकर कुछ जगह छोटकर लगाई जाती है, यथा 'जाणो चाहिजे . काम करणो चाहिजे' आदि। इसी प्रकार कुछ न लगाकर रिक्त स्थान छोड़ने का तात्पर्य भी पूर्ण विराम है, यथा 'जाणो चाहिजे=काम करणो चाहिजे'। रेखांकित स्थान पर पूर्ण विराम मानना चाहिए।

छूटे हुए अक्षर और मात्रादि, तथा जुड़वे सकेत (-) के लिए ये बातें दृष्टव्य हैं:—
छूटा हुआ अक्षर दाएँ, बाएँ हाशिये में, मात्रादि भी हाशिये में लिखी जाती है। किस हाशिये में कौन सा अक्षर और मात्रादि लिखा जाये इसका सामान्य नियम यह है कि यदि दाएँ से पूर्व तक कोई अक्षरादि छूट गया है, तो बाएँ में और बाद में कोई अक्षरादि छूट गया है तो दाएँ में लिखा जाता है। इसका चिह्न, अथवा / अथवा L है।

अन्तिम को मात्रा प या = न समझना चाहिए। यदि अर्ध या पूर्ण पंक्ति छूट गई है, तो वह प्रायः ऊपर के स्थान पर या नीचे के स्थान पर लिखी जाती है। मूल लिखावट में दो स्थानों पर, चिह्न देकर ऊपर या नीचे (धो) या (को) लिखकर छूटी हुई पंक्ति

लिखते हैं। यह बंक्ति प्रधान बाएँ हाथिये से कुछ हटकर दाहिनी ओर होती है, ताकि पाठक को घासानी से पता चल जाए (घो घर्वात् घोली-Live, घीर को घर्वात् बोली > घोली।)

लिखते समय यदि शब्द तो पूरा लिखा गया किन्तु भाषा छूट गई या स्थान नहीं रहा तो वह बाँए या दाएँ हाथिये में लिखी जाएगी। घाघे वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। इससे कभी-कभी बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

इस सम्बन्ध में तीसरी स्थिति यह है कि यदि घाघा शब्द लिखा गया और एक या अधिक उसके अक्षर लिखे जाने से रह गए तो लिपिकार हाथिये में एक चिह्न (f) देता है, इसके घा (r) या पूर्ण बिराम (।) सम्भ्रना चाहिए। यह सर्वदा बाएँ हाथिए में ही होगा। उदाहरणार्थ एक शब्द 'अकरण' को लें। लिखते समय पूर्व पंक्ति में अक्ष तक लिखा गया क्योंकि बाद में हाथिया घ्रा गया था। इसको यों लिखा जाएगा—अक | ।
रण। भूल में इसको अकरण न सम्भ्रना चाहिए। (हाथिया)

विद्वानों ने उपर्युक्त चारों बगों वाली अनेक भूले की है। पाठ को हड़बड़ी में पढ़ने, प्रातिप्रकृति को ठीक से न सम्भ्रने आदि-आदि के कारण ऐसी भूलें हुई हैं। एक अत्यन्त मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। डॉ. सियाराम तिवारी ने अपने शोध प्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी लघु काव्य' में रामलता कृत रुक्मणी-मंगल का परिचय दिया है। उस मूल प्रति में पन्नो का अतिशय या जो डॉ० तिवारी के ध्यान में नहीं आया। ध्यान में न आने का कारण यह था कि 'मंगल' में छन्द सख्या क्रम से न होकर रागों के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् है। क्रम से यदि सख्या होती तो वे संगति बैठ जाते। इस प्रति को क्रमानुसार (अरेज) न करके उर्मी रूप में उन्होंने लिखा है। इस कारण उनका यह समूचा प्रश्न सर्वथा गलत और भ्रातिपूर्ण हो गया है।

(ई) उदात्त-अनुदात्त ध्वनियों से सम्बन्धित कोई चिह्न नहीं है, केवल प्रसंग, अर्थ और अनुभव जान से ही सहायता मिल सकती है। कहीं-कहीं तो यह भी सम्भव नहीं है। एक उदाहरण यह है, शब्द है 'साड' यह सांड भी हो सकता है और सा'ड भी। सा'-ड का तात्पर्य अँटनीं है। जहाँ अनेक पशुओं की नामावली आदि हो, वहाँ बड़ी भ्राति की संभावना है, क्योंकि उदात्त और अनुदात्त शब्द के अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी प्रकार धन और ध'न है। धन अर्थात् सम्पत्ति और ध'न (ध'ण) अर्थात् पत्नी।

उपसंहार

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है। गुजरात के पुस्तकालयो/प्रथागारों के प्रयोग को पढ़ने के लिए एक अक्षरावली एक विद्वान ने शोध-छात्र को दी थी। प्रश्न यह है कि वह उन्हें कहीं से उपलब्ध हुई थी? फिर डॉ० माहेस्वरी ने जो विविध अक्षर-रूपों को उद्धृत कर उदाहरणपूर्वक हस्तलेखों को पढ़ने की सङ्चनो की ओर संकेत किया है, उसके लिए उन्हें सामग्री किसने दी? दोनों का उत्तर है कि 'स्वानुभव' से। इन दो उदाहरणों से मिले इस निष्कर्ष के अनुसार पांडुलिपि विज्ञानविद् को चाहिये कि वह अन्य क्षेत्रों में पांडुलिपियों को देखकर उनके आधार पर ऐसी ही क्षेत्रीय लिपि-मालाएँ तैयार कराये। ये स्वयं उसके उपयोग में आ सकेंगी तथा अन्य अनुसंधितगुणों को भी पांडुलिपियों की शोध में सहायक हो सकेंगी।

त्रिविध क्षेत्रीय वर्णमालाओं के समस्या-शीघ्रक रूप प्रस्तुत हो जाने पर तुलनात्मक आधार पर प्राये के चरण को प्रस्तुत कर सकना संभव होगा। इस प्रकार किसी भी एक लिपि के व्यवहार-क्षेत्र की समस्त समस्याएँ एक स्थान पर मिल सकेंगी और उनके समाधान का मार्ग भी तुलनात्मक पद्धति से प्रशस्त हो सकेगा।

□ □ □

पाठालोचन

‘लिपि’ की समस्या के पश्चात् ‘पाठ’ आता है। प्रत्येक ग्रन्थ का मूल लेखक जो लिखता है वह मूल पाठ होता है। मूल पाठ—स्वयं लेखक के हाथ का लिखा हुआ पाठ बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान् वस्तु होती है। यदि किसी भी हस्तलेखागार में किसी भी ग्रन्थ का मूल पाठ सुरक्षित है तो उस ग्रन्थागार की प्रतिष्ठा और गौरव बहुत बढ़ जाता है। ऐसी प्रति का मूल्य वस्तुतः रुपये-पैसों में नहीं आँका जा सकता। अतः ऐसे ग्रंथ पर आसाराध्यक्ष को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मूल-पाठ के उपयोग

मूल-पाठ के कितने ही उपयोग हैं। कुछ उपयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं :

- 1—लेखक की लिपि-लेखन शैली का पता चलता है जिससे उसको लिखते समय की स्थिति और अभ्यास का भी ज्ञान हो जाता है।
- 2—उसकी अपनी बर्तनी-विषयक नीति का पता चलता है।
- 3—ग्रन्थ-संघटन सम्पादन में मूल-पाठ आदर्श का काम दे सकता है। वस्तुतः पाठालोचन-विज्ञान इस मूलपाठ की खोज करने वाला विज्ञान ही है।
- 4—मूल-पाठ से लेखक की शब्दार्थ-विषयक-प्रतिभा का शुद्ध ज्ञान होता है।
- 5—मूलपाठ से अन्य उपलब्ध पाठों को मिलाने से पाठान्तरो और पाठभेदों में लिपि, बर्तनी और शब्दार्थ के रूपान्तर में होने वाली प्रक्रिया का पता चल जाता है; इस प्रक्रिया का ज्ञान अन्य पाठालोचनो में बहुत सहायक हो सकता है।
- 6—मूलपाठ के कागज, स्याही, पृष्ठांकन, तिथिलेखन, चित्र, हाशिया, हड़ताल उपयोग, आकार, ग्रंथन आदि से बहुत-सी ऐतिहासिक बातें विदित हो सकती हैं या उनकी पुष्टि-अपुष्टि हो सकती है। कागज-स्याही आदि के प्रलग-प्रलग इतिहास में भी ये बातें उपयोगी हैं।

लिपिक का सर्जन

अतः हस्तलेखाधिकारी को अपेक्षित है कि वह इनके संबंध में सामान्य वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सूचनाएँ अपने पास रखे। ये सूचनाएँ उसके स्वयं के लिए भी उपयोगी और मार्ग-दर्शक हो सकती हैं। किन्तु सभी हस्तलेख मूलपाठ में नहीं होते हैं। वे तो मूलपाठ के बराबरी प्राये की कई पीढ़ियों से प्राये के हो सकते हैं। मूलपाठ से आरंभ में जितनी प्रतिलिपियाँ तैयार हुईं वे सभी मूलपाठ के बराबरी प्रथम स्थानीय संतानें मानी जा सकती हैं। मूल-पाठ से ही मान लीजिये तीन लिपिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हैं—

बहु इस प्रकार : पहला लिपिक — 3 प्रतियाँ
 दूसरा लिपिक — 2 प्रतियाँ
 तीसरा लिपिक — 4 प्रतियाँ

अब यह स्पष्ट है कि प्रत्येक लिपिक अपनी ही पद्धति से प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। हम इस सम्बन्ध में 'अनुसंधान' में जो लिख चुके हैं उसे भी उद्धृत करना समीचीन समझते हैं :

पाठ की अशुद्धि और लिपिक

"प्राचीनकाल में प्रेस के अभाव में ग्रंथों को लिपिक द्वारा लिखवा-लिखवा कर पढ़ने वालों के लिए प्रस्तुत किया जाता था। फल यह होता था कि लिपिक की कितनी ही प्रकृष्ट की उपयोगताओं के कारण पाठ अशुद्ध हो जाता था, यद्यपि लिपिक में रचयिता की लिपि को ठीक-ठीक पढ़ने की योग्यता न हो तो पाठ अशुद्ध हो जायगा। सभी लेखकों के हस्तलेख सुन्दर नहीं होते, यदि लिपिक बुद्धिमान न हुआ और ग्रंथ के विषय से अपरिचित हुआ अथवा उसका शब्दकोष बहुत सीमित हुआ तो वह किसी शब्द को कुछ का कुछ लिख सकता है।"

शब्द विकार : काल्पनिक

'राम' को राय पढ़ लेना या 'राय' को राम पढ़ लेना असंभव नहीं। र और ब (र ब) को 'ख' समझा जा सकता है। ऐसे एक नहीं, अनेक स्थानों किसी भी हस्तलिखित ग्रंथ को पढ़ने में भ्रमते हैं, जहाँ किंचित् असावधानी के कारण कुछ का कुछ पढ़ा जा सकता है और फलतः लिपिक भ्रम से कुछ का कुछ लिख सकता है। इस भ्रम की वरंपरा लिपिक से लिपिक तक चलते-चलते किसी मूल शब्द में भयंकर विकार पैदा कर देती है, परिणामतः काव्य के अर्थ ही कुछ के कुछ हो जाते हैं, उदाहरणार्थ—

लेखक ने लिखा	— राम
पहले लिपिक ने पढ़ा	— राय
दूसरे ने इसे पढ़ा	— राब (लिखने में य की जगह रेखा कुछ हटा ली तो 'य' को 'ब' पढ़ लिया गया।)
तीसरे ने इसे पढ़ा	— सच (उसे लगा कि र और 'घा' के डङ्गे के बीच 'स' बनाने वाली रेखा भूल से छूट गई है।)
चौथे ने इसे पढ़ा	— सत्र ('ब' लिपिक की शैली के कारण च = त्र पढ़ा जा सकता है।)
पाँचवे ने इसे पढ़ा	— रुच ('स' को जल्दी में रु के रूप में लिखा या पढ़ा जा सकता है।)

इस शब्द के विकार का यह एक काल्पनिक इतिहास दिया गया है, पर होता ऐसा ही है, इनमें सदेह नहीं। इसके कुछ यथार्थ उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हैं :

शब्द-विकार—यथार्थ उदाहरण

'पद्मावत'—में "होह लगा जेबनार सुसारा—पाठ: सा. प गुप्त

"होह लगा जेबनार पसाहा—पाठ: भा. शुक्ल

एक ने 'ससारा' पढ़ा, दूसरे ने 'पसारा'।

'मानस' के एक पाठ में एक स्थान पर 'सुसारा' है, बाबू श्यामसुन्दर दास के पाठ में 'सुभारा' है।

‘काव्य निर्णय’ (मिस्सारीदास) में एक चरण है :

“घट्ट करं ताही करन” चरबन केखवार

इसे एक ने लिखा	च रबन के खवार
दूसरे ने	चिरियन फँ र बदार
तीसरे ने	चरबवन के खवार
चौथे ने	चखन फँरबदार

प्रमाद का परिणाम

लिपिक पुष्पिकाघो में यही कहता है कि “मञ्जिका स्थाने मञ्जिका पात” किया गया है, “जैसा देखा है वैसा ही लिखा है” पर ऊपर के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लिपिक ऐसा करता नहीं या कर नहीं पाता। जो रक्षयिता ने लिखा होता है उसे पढ़कर ही तो लिपिक लिखेगा और पढ़ने एव लिखने दोनों में प्रज्ञान और प्रमाद से कुछ का कुछ परिणाम हो जाता है। ऊपर दिये गये उदाहरण लिपिक के प्रभाव के उदाहरण हैं। यह प्रमाद ‘दृष्टि-कोण’ कहा जा सकता है। पर एक अन्य प्रकार का प्रमाद हो सकता है, इस प्रमाद को ‘लोपक प्रमाद’ कह सकते हैं। इसमें लिपिक किसी शब्द को या वाक्य के किसी प्रंश को ही छोड़ जाता है।

छूट और भूल और प्रागम और अन्य विकार

उदाहरणार्थ, लिपिक सरवर का ‘सवर’ भी लिख सकता है। वह ‘र’ लिखना ही भूल गया। बिन्दु, चन्द्र बिन्दु तथा मीचे ऊपर की मात्राओं को भूलने के कितने ही उदाहरण मिल सकते हैं। कभी-कभी लिपिक प्रमाद में किसी प्रक्षर का प्रागम भी कर सकता है। एक ही प्रक्षर को दो बार लिख सकता है।

कभी लिपिक रचनाकार से अपने को अधिक योग्य समझ कर या किसी शब्द के अर्थ को ठीक न समझ कर प्रज्ञान में अपनी बुद्धि से कोई अन्यायक शब्द प्रथवा वाक्य-समूह¹ रख देता है। ‘छरहटा’ लिपिक को जवा नहीं तो उसने ‘चिरहटा’ कर दिया, प्रथवा ‘चिर हटा’ को ‘छर हटा’। अभी कुछ वर्ष पूर्व जायसी के पाठ को लेकर इन दो शब्दों पर विवाद हुआ था। इसी प्रकार कहीं उमने सूर के पद में ‘हटरी’ शब्द देखा, वह इससे परिचित नहीं था उसे ‘हरी’ (प्रयात् घरी हटे) कर दिया। ऐसी ही भूल ‘प्राखत ले’ को ‘प्राख तले’ करने और बाद में उसे ‘प्राख तले’ करने में भी है।

ऐसे लिपिकार के प्रमादों के कारण पाठ में बड़े गंभीर विकार हो जाते हैं।

1. ऐसे ही लिपिकों के लिए डॉ० टैमीटरी ने यह लिखा था कि मैं ‘रचनिका’ को इन तरह प्रतियों का गहनवृक्ष नहीं बना सका क्योंकि एक तो प्रतियाँ बहुत अधिक मिलती हैं, दूसरे “In the peculiar Conditions under which bardic works are handed down, subject to every sort of alternations by the Copyists who generally are bards themselves and often think themselves authorized to modify or improve any text they Copy to suit their tastes or ignorance as the case may be.” (रचनिका, भूमिका, पृ० 9 ‘लिपि सभ्यता’ शोधक अध्याय में डॉ० हीरामाल माहेश्वरी ने भी कुछ ऐसी ही बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है।

ऐ ,, पे ये
 क्ष ,, क, कु, ख
 प्त ,, प, पृ
 सु ,, मु
 ष्ट ,, ष्व, ष्ट, ष्ट, ष्ट
 स्म ,, स्म, ता, त्य
 क क्त ऋ

(ख) मुनिजी¹ ने लिपिकार की भ्रान्तियों के शब्दरूपों के परस्पर भ्रान्त लेखन की एक सूची दी है। यह सूचियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं—


1. प्रभाव प्रमाद से प्रसव लिखा जा सकता है
2. स्तवन ,, सूचन ,, "
3. यच्च ,, यथा ,, "
4. प्रत्यक्षतोषगम्या प्रत्यक्ष बोधगम्या
5. नवाँ ,, तथा
6. नच ,, तव
7. तदा ,, तथा ,, "
8. पर्वत्तस्स ,, पवन्नस्स ,, "
9. जीवसालिम्मी कृत ,, जीवमात्मीकृत
10. परिवृद्धि ,, परिनुद्धि
11. नचैव तदेव
12. अरिदारिणा ,, अरिवारिणी या अविदारिणी
13. दोहल खेविया ,, दो हल कवे दिया

कभी-कभी लिपिक अक्षर ही नहीं 'शब्द' भी छोड़ जाता है, दूसरा लिपिक इस कमी का अनुभव करता है, क्योंकि छद में कुछ गड़बड़ दिखायी पड़ती है, अर्थ में भी बाधा पड़ती है, तो वह अपने अनुमान से कोई शब्द वहाँ रख देता है।

लिपिक के कारण वंश-वृक्ष

लिपिक की लिखने की दक्षता की कोटि, उसकी लिखावट का रूप कि वह 'अ' या 'अ' लिखना है, 'प' या 'ख' लिखना है, शिरोरेखाएँ लगाना है या नहीं, भ और म में, 'प' और 'य' में अन्तर करना है या नहीं— ये सभी बातें लिपिकार की प्राकृति-प्रवृत्ति से सबद्ध हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक अक्षर के लेखन के साथ उसकी अपनी प्रकृति जुड़ी हुई है, जिससे प्रत्येक लिपिकार की प्रति अपनी-अपनी विशेषताओं से युक्त होने के कारण दूसरे लिपिक से भिन्न होगी। अतः वंशवृक्ष में प्रथम-स्थानीय सतानें ही तीन लिपिकों के माध्यम से तीन वर्गों में विभाजित हो जायेंगी। इन प्रथम-स्थानीय प्रतिभों से फिर अन्य लिपिकार प्रतिलिपियाँ तैयार करेंगे और एक के बाद दूसरी से प्रतिलिपियाँ तैयार होती चली जायेंगी। इस प्रकार एक वंश का वंशवृक्ष बढ़ता जाता है। इसके लिए उदाहरणार्थ एक वंशवृक्ष का रूप यहाँ दिया जाता है।

1. भारतीय जैन धर्मन संहति अने लेखन कला, पृ. 79।




इस प्रकार वश-वृक्ष बढ़ता जायगा । प्रत्येक पाठ में कुछ वैशिष्ट्य मिलेगा ही । यह वैशिष्ट्य ही प्रत्येक प्रति का निजो व्यक्तित्व है । यह तो प्रतिलिपि की सामान्य सृजन का निर्माण-प्रक्रिया है ।

पाठालोचन की आवश्यकता

पाठालोचन की हमें आवश्यकता तब पड़ती है, जब हस्तलेखागार में एक प्रति उपलब्ध होती है, पर वह 'मूलपाठ' वाली नहीं—वह प्रतिलिपि है निम्नलिखित वर्ग की—
(4) 2-3-1-5-2

अर्थात् चौथी पीढ़ी की दूसरी शाखा की 3 प्रतियों में से पहली प्रति की पाचवी प्रति की दूसरी प्रति । इसे यहाँ दिए वशवृक्ष से समझा जा सकता है :



यह हस्तलेखागाराध्यक्ष या पांडुसिपि-विज्ञानवेत्ता इस प्राप्त प्रति का क्या करेगा ? यह स्पष्ट है कि इस ग्रंथ के पूरे वंशवृक्ष में प्रत्येक प्रति का महत्त्व है, क्योंकि प्रत्येक प्रति एक कड़ी का काम करती है।

प्रक्षेप या क्षेपक

ऊपर हमने प्रतिलिपिकार के प्रमाद से हुए पाठान्तरों का उल्लेख किया है और उनमें वर्तनी और शब्द-भेदों की ही चर्चा की है। पर प्राचीन ग्रंथों में प्रक्षेपों और छूटों के कारण भी विकार आता है

प्राचीन ग्रंथों में 'प्रक्षेपों' का या 'क्षेपको' का समावेश प्रचुर मात्रा में हो जाता है। कुछ काव्यों की एक नये नाम से पुकारा जाने लगा है। उन्हें ध्राज 'विकसन-शील' काव्य कहा जाने लगा है, यह बताने के लिए कि मूल रूप में छोटे काव्य को बाद के कवियों ने या पाठकों ने या कथावाचकों ने अपनी ओर से कुछ जोड़-जोड़ कर उस काव्य को विशाल बना दिया है।

'महाभारत' के विद्वान् अध्येता यह मानते हैं कि मूल रूप में यह काफी छोटा था।

'पृथ्वीराज रासो' के सम्बन्ध में भी यह भगडा है। उसके तीन संस्करण विद्वानों ने बूढ़ निहाने हैं, कुछ ही धारणा है कि 'लघु' संस्करण मूल रहा होगा, बाद में उसमें अन्य बहुत-सी सामग्री जुड़ती गयी। इस प्रणाली से उसका प्राथमिक वृद्ध रूप बड़ा हुआ।

हमारे यहाँ कुछ ग्रंथों का उपयोग 'कथा' कहने के लिए होता रहा है। तुलसी का 'रामचरित मानस' इसका एक उदाहरण है। कथाकार को कथा कहते समय कोई प्रसंग ऐसा विदित हुआ, जो और विस्तार चाहता है, तो उसने 'स्वयं' की रचना कर डाली और अपनी प्रति में उसे जोड़ दिया। मानस में 'गगावतरण' का प्रसंग ऐसा ही प्रक्षेप या क्षेपक माना जाता है।

प्रक्षिप्त या क्षेपक के कारण

इन प्रक्षेपों का पाँच कारणों से किसी काव्य में समावेश हो जाता है :—

- (1) किसी कवि (ग्रंथवा कथाकार) द्वारा अपने उपयोग के लिए, ऐसे स्थलों को जोड़ देना, जो उस उपयोगी प्रतीत होते हैं, यह उपयोगिता दो रूपों में हो सकती है :—
 - (क) किसी विशेष प्रकरण को और अधिक पल्लवित करने के लिए, तथा—
 - (ख) कवि का अपने कोई स्वतन्त्र कृतित्व जो उसके पाठ्य-ग्रन्थ के किसी अंश में सम्बन्धित हो और जो उसे लगे कि मूल कवि की कृति में जुड़कर उसे प्रसन्नता प्रदान करेगा।
- (2) एक ही विषय के भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र कृतित्वों को किसी ग्रन्थ अर्थात् द्वारा एक में यथा-सम्बन्ध सम्पादित कर देना। कुछ कवि इस बात को स्वयं लिख देते हैं, कुछ चुप बने रहते हैं। जैसे—'गोयम' ने चतुर्भुजदास की 'मधुमालती' में अपने द्वारा किये परिवर्द्धन का उल्लेख कर दिया है।* गोयम या गोतम 'स्वयं' ऐसा उल्लेख

* 'मधुमालती' की अनेकार्थ मञ्जरी और 'मान' मञ्जरी में 'रामहरि' ने जो अंश जोड़ा है, उसका उल्लेख कर दिया है। यथा, बीस अक्षरों एक ही मधुदास जू कीस और दोहरा 'रामहरि' कीने है जू नवीन व १५ अनेकार्थ अर्थात् मञ्जरी।

नहीं करता तो प्रक्षिप्तांश किसके रचे हैं, यह समस्या बनी रहती, जैसी कि 'रामचरितमानस' के गंगावतरणादि के सम्बन्ध में बनी हुई है ।

- (3) कभी-कभी कवि के अग्रदूरे काव्य को उसी कवि के पुत्र या शिष्य पूरा करते हैं या उसमें अंगे कुछ परिवर्द्धन करते हैं, और कभी-कभी पूर्व कृतित्व को भी संशोधित कर देते हैं ।
- (4) किसी बिल्वरी सामग्री को एक व्यवस्था में रखते समय बीच की लुप्त कड़ियों को जोड़ने के प्रयत्न भी कविगण करते हैं, और ये कड़ियाँ या तो व्यवस्था करने वाला कवि अपने कौशल से जोड़ देता है, जैसे कुशललाभ ने लोक प्रचलित 'डोला मारू रा दूहा' के दोहे को लेकर उन्हें एक व्यवस्था में बाधा और कथा-युक्ति के लिए बीच-बीच में चौपाई द्वारा अपना कृतित्व दिया । इस प्रकार पुरक कृतित्व के रूप में वह एक अन्य कृति में अपने कृतित्व का समावेश करता है या फिर वह किसी अन्य कवि से उपयोग सामग्री ले लेता है और अपनी पाठ्य-कृति में जोड़ देता है ।
- (5) मुक्तकों के सग्रह ग्रन्थों में समान-भाव के मुक्तक अन्य कवियों के भी स्थान पा ले तो आश्चर्य नहीं । ऐसे सग्रहों में नाम छाप भी बदल दी जाती है । 'सूरसागर' में ऐसे पद मिलते हैं जो किसी अन्य कवि के हो सकते हैं । यह नाम छाप की अदस्ता-बदली कभी-कभी लोक-क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय कवियों के साथ हो जाती है । कबीर, मीरा, सूर, तुलसी की छाप गायक चाहे जिस पद में लगा देता है ।

फलतः पाठानुसंधान का धर्म है कि ऐसे प्रक्षेपो या क्षेपकों को वैज्ञानिक प्रणाली से पहचाने और उन्हें निकाल कर प्रामाणिक मूल प्रस्तुत करें । यह वैज्ञानिक प्रणाली से होना चाहिये, स्वेच्छा या अर्धवैज्ञानिक ढंग से नहीं । अर्धवैज्ञानिक ढंग में स्वेच्छ या जैनोंशेटस जैसे विद्वान ने होमर की कृति का सम्पादन करते समय बहूत-सा अंग निकाल दिया था । उसकी दृष्टि में वह अंग प्रक्षिप्त था, जबकि अंग के विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति से पाया कि वे अंग प्रक्षिप्त नहीं थे ।¹

छूट

प्रक्षेपो की भाँति ही काव्य में 'छूट' भी हो सकती है । प्रतिलिपिकार कभी तां प्रमाद में कोई पक्ति, शब्द या अक्षर छोड़ जाना है पर कभी वह प्रतिलिपि किसी विशेष दृष्टि से करता है और कुछ अंशों को अपने लिए अनावश्यक समझ कर छाड़ देता है ।

पाठालोचन का यह कार्य भी होना है कि ऐसी छूटों की भी प्रामाणिक मूल पाठ की प्रतिष्ठा करके वह पूरि करे ।

अप्रामाणिक कृतियाँ .

यही यह बताना भी आवश्यक है कि कभी-कभी ऐसी कृतियाँ भी मिल जाती हैं जो पूरी की पूरी अप्रामाणिक होती हैं । उस ग्रन्थ का रचयिता, जो कवि उस ग्रन्थ में बताया गया है, यथार्थतः वह उसका कर्ता नहीं होता । इस छत्र का उद्घाटन पाठालोचन ही कर सकता है ।

1 Smth, William, (Ed)—Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, p. 510-512.

अतः स्पष्ट है कि पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान एक महत्त्वपूर्ण अनुसंधान है। किसी भी ग्रन्थ अनुसंधान से इसका महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। इस अनुसंधान में उन सभी मन्.शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है जो किसी भी ग्रन्थ अनुसंधान में उपयोग में लायी जाती है।

पाठालोचन में शब्द और अर्थ का महत्त्व

पाठालोचन का सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ दोनों से होता है अतः इसे केवल भाषा-वैज्ञानिक विषय ही नहीं माना जा सकता, साहित्यिक भी माना जा सकता है। डॉ० किशोरीलाल ने अपने एक निबन्ध में इसी सम्बन्ध में यो विचार प्रकट किये हैं।

“इस दृष्टि से सम्पादन की दो सरणियों का उपयोग हा रहा है— (1) वैज्ञानिक-सम्पादन, और (2) साहित्यिक सम्पादन।

वैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रक्रिया में मूलतः अन्तर न होते हुए भी आज का वैज्ञानिक सम्पादक शब्द को अर्थिक महत्त्व देता है और साहित्यिक सम्पादक अर्थ को। इसमें सन्देह नहीं कि शब्द और अर्थ की सत्ता परस्पर असंपृक्त नहीं है फिर भी अर्थ को मूलतः ग्रहण किये बिना प्राचीन हिन्दी काव्यों का सम्पादन सर्वथा निभ्रान्त नहीं। इन्हीं सब कारणों से शब्द की तुलना में अर्थ की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। आज अधिकतर पाठ-सम्पादन में जो भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अर्थ में समझने के कारण।”¹

डॉ० किशोरीलाल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे समीचीन हैं, पर किसी सीमा तक ही। ठीक पाठ न होने से ठीक अर्थ पर भी नहीं पहुँचा जा सकता। डॉ० किशोरीलाल जी ने अपने निबन्ध में जो उदाहरण दिये हैं, वे गलत अर्थ से गलत शब्द तक पहुँचने के हैं। उदाहरणार्थ, ‘आख तले’ जिसने पाठ दिया, उसकी समझ में ‘आखतले’ नहीं जमा, उसे लगा कि ‘आख’ को ही गन्ती से ‘आख’ लिख दिया गया है। ‘आख’ का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा उमन माना। क्योंकि पाठ-सम्पादक या लिपिक ने अर्थ को महत्त्व दिया उसने ‘आख’ को ‘आख’ कर दिया। अब आप अर्थ को महत्त्व देकर ‘आखतले’ कर रहे हैं, तो भ्रान्त पाठ वाले की परिपाटी में ही खड़े हैं। यथार्थ यह है कि ‘आख’ और ‘आख’ शब्द रूप से अर्थ ठीक नहीं बैठता। आपने उसके रूप की नयी सम्भावना देखी। ‘तले’ का ‘त’ आख से मिलाया और ‘ले’ को स्वतन्त्र शब्द के रूप में स्वीकार किया। ‘आख तले’ शब्द रूप के स्थान पर ‘आखतले’ रूप जैसे ही खड़ा हुआ, अर्थ ठीक लगने लगा। शब्द रूप ‘आख + तले’ नहीं ‘आखत + ले’ है। जब हम शब्द का रूप ‘आखतले’ ग्रहण करेंगे तभी ठीक अर्थ पर पहुँच सकेंगे। शब्द ही ठीक नहीं होगा तो अर्थ कैसे ठीक हो सकता है। शब्द से ही अर्थ की ओर बढ़ा जाता है। अतः आवश्यक यह है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक या यथार्थ शब्द पर पहुँचा जाय, क्योंकि शुद्ध शब्द ही शुद्ध या समीचीन अर्थ दे सकता है। वस्तुतः अर्थ से अर्थ प्राप्त करने का एक प्रलग ही विज्ञान है। उक्त उदाहरण को ही ले तो ‘आख (आखा) + तले ‘आखत + ले’ और ‘आ + ख + तले’ ये तीन रूप एक शब्द के बनते हैं, तो इसमें से किस रूप को पाठ के लिए मान्य किया जाय ? यहाँ अर्थ ही सहायक हो सकता है।

1. आख, किशोरी — प्राचीन हिन्दी काव्य : पाठ एवं अर्थ विवेचन, सम्मेलन पत्रिका (वैद-भाष्यपर, अंक 1892), पृ० 177।

धतः यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक विधि से पाठ-निर्धारण में भी धर्म का महत्त्व है। हाँ, पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्त्व स्वयं-सिद्ध है।

पाण्डुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन

इस दृष्टि से यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि हस्तलेखवेत्ता को 'पाठालोचन' का ऐसा ज्ञान हो कि वह किसी प्रति का महत्त्व आँकने या आँकवाने में कुछ दलल रख सके।

पाठालोचन की प्रक्रिया से अवगत होने पर और कागज, लिपि, बर्तनी तथा स्थाही के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि पर तथा विषय की परम्परा के परिप्रेष्य में वह उस ग्रन्थ पर सरसरा मत निर्धारित कर सकता है। यह मत उस प्रति के उपयोगकर्ताओं और प्रनुसंधितसुधो को 'प्रनुसंधेय धारणा' (Hypothesis) के रूप में सहायक हो सकता है।

स्पष्ट है कि पाठालोचन का ज्ञान पाण्डुलिपि-विज्ञानवेत्ता को पाठालोचन की दृष्टि से नहीं करना, बरन् इसलिए करना है कि उस ज्ञान से ग्रन्थ की उस प्रति का मूल्य आँकने में कुछ सहायता मिल सकती है, और वह उसके आधार पर उस ग्रन्थ-विषयक बहुत-सी भ्रान्तियों से भी बच सकता है। पाठालोचन वास्तविक पाठ तक पहुँचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है और पाठ 'ग्रन्थ' का ही एक धग है, और वह ग्रन्थ उसके पास है, धतः अपने ग्रन्थ के ग्रन्थ धबयवों के ज्ञान की भाँति ही इसका ज्ञान भी धप्रेक्षित है।

पाठालोचन-प्रणालियाँ

पाठालोचन की एक सामान्य प्रणाली होती है। सम्पादक पुस्तक का सम्पादन करते समय जो प्रति उसे उपलब्ध हुई है, उसी पर निर्भर रह कर, अपने सम्पादित ग्रन्थ में वह उन दोषों को दूर कर देता है, जिन्हे वह दोष समझता है। इसे 'स्वेच्छया-पाठ-निर्धारण-प्रणाली' का नाम दे सकते हैं।

दूसरी प्रणाली को 'तुलनात्मक-स्वेच्छया-सम्पादनार्थ-पाठ-निर्धारण' की प्रणाली कह सकते हैं। सम्पादक को दो प्रतियाँ मिल गयीं। उसने दोनों की तुलना की, दोनों में पाठ-भेद मिला, तो जो उसे किसी भी कारण से कुछ अच्छा पाठ लगा, वह उसने मान लिया। ऐसे सम्पादनो में वह पाठान्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ, जहाँ वह देखता है कि उसे दोनों पाठ अच्छे लग रहे हैं वहाँ वह नीचे या मूलपाठ में ही कोष्ठकों में दूसरा पाठ भी दे देता है।

इसी प्रणाली का एक रूप यह भी मिलता है कि ऐसे विद्वान् को कई ग्रन्थ मिल गये तब भी पाठ-निर्धारण का उसका सिद्धान्त तो वही रहता है कि स्वेच्छया जिस पाठ को ठीक समझता है, उसे मूल में दे देता है। इस स्वेच्छया पाठ-निर्धारण में उसकी ज्ञानपरिमा का योगदान तो अवश्य रहता है, एक पाठ स्वेच्छया स्वीकार कर वह उसे ही प्रामाणिक घोषित करता है—इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वह कवि-विषयक अपने पाण्डित्य का सहारा लेता है, और कवि की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं की भी दुहाई देता है। किन्तु यथावत् इस सम्पादन में पाठ के निर्धारण में वस्तुतः अपनी रुचि को ही महत्त्व देता है, फिर उसे ही कवि का कर्त्तव्य मान कर वह उसे सिद्ध करने के लिए कवि के तत्सम्बन्धी वैशिष्ट्य को सिद्ध करता है। अपनी इस प्रणाली की चर्चा वह भूमिका में कर देता है। हाँ, जब उसे दो प्रतियों के पाठों में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किसमें

ऐसा श्रेष्ठतम भाव है, जो कवि को अपेक्षित रहा होगा, प्रथमा जब वह समझता है कि दोनों ही या दोनों में से कोई भी पाठ कविसम्मत हो सकता है, क्योंकि उत्कृष्टता में उसे दोनों एक-दूसरे से कम नहीं लगते तब वह एक पाठ के साथ दूसरा पाठ विकल्प में दे देता है। इसे वह पाठान्तर की तरह पाद टिप्पणी के रूप में भी दे सकता है।

इसी प्रणाली का भागे का चरण वह होता है जिसमें पाठालोचनकार को दो से अधिक हस्तलिखित प्रतियाँ मिल जाती हैं। इन समस्त प्रतियों के पाठों में से वह उस पाठ को ग्रहण कर लेता है जो उसे अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम लगता है। अब वह ग्रन्थ प्रतियों के सभी पाठों को पाठान्तर के रूप में पद के नीचे दे देता है।¹

वैज्ञानिक चरण

और अब वह चरण आता है जिसे वैज्ञानिक चरण कह सकते हैं। इस चरण की प्रणाली में कई हस्तलेखों की तुलना की जाती है। अब तुलनात्मक आधार पर प्रायः प्रत्येक प्रति में मिलने वाली श्रुटियों में साम्य वैषम्य देखा जाता है। इसके परिणाम के आधार पर इन समस्त हस्तलेखों का एक वशवृक्ष तैयार किया जाता है और कृति का भावार्थ पाठ

1. "स्वेच्छया पाठ निर्धारण का ऐसा ही रोचक बूलात होमर काव्य के पाठ-निर्धारण के सम्बन्ध में मिलता है। यह माना जाता है कि जैनेबोटस ने व्यवस्थित आलोचना (पाठालोचन) की नींव रखी थी। उसने कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए थे (1) समस्त ग्रन्थ के परिपेक्ष्य में जो सामग्री विशुद्ध है अथवा अनावश्यक है, उसे निकाल दिया जाय। (2) कवि की प्रतिभा की दृष्टि से जो सामग्री अयोग्य लगे उसे भी अस्वीकार कर देना चाहिए। इन सिद्धान्तों के आधार पर अपने हथ से उसने लम्बे प्रयत्नों को काट काँटा, जिनको स्वेच्छया परिवर्तित कर दिया गया इधर-उधर रख दिया। संक्षेप में, यह सब उसने इसी प्रकार किया जिस प्रकार वह अपनी कृति में करता। उसके बाद के गभीर आलोचकों को इस प्रणाली से बहुत धक्का लगा।"

—बिलियम स्मिथ—द्विषणरी ऑफ़ ग्रीक एण्ड रोमन सायोलॉजी, पृ 510.

स्वेच्छया पाठ-निर्धारण का यही परिणाम होता है। जैनेबोटस का समय सिकन्दर महान् के बाद पड़ता है।

होमर के साथ एक और बात भी थी। होमर का सम्पूर्ण काव्य पहले कठस्थ ही था। पौजिस्ट्रटस के समय से होमर काव्य लिपिबद्ध किया गया। पाठालोचन की समस्या बस्तुतः जैनेबोटस के समय से ही खड़ी हुई। इस समय तक होमर का काव्य अत्यन्त और चर्चा का विषय बन गया था। एन. भी बाइटीन के समय में ही होमर का काव्य पाठालोचन में अभिव्यक्त पड़ाया जाने लगा था। इसी समय के लगभग समाज में दो बर्गें हो गईं—एक बर्ग उसके काव्य में नैतिकता के रूप में असन्तुष्ट था, दूसरा उसे रूपक मान कर उसका पौरुष था। इस स्थिति में भी होमर-काव्य के लिखित रूपों की माँग बढ़ी। सिकन्दर महान् तो इस काव्य-ग्रन्थ को एक राजसी सुन्दर पेटिका में सदा अपने साथ रखता था। अतः कितने ही हस्तलेख इस काव्य के प्रस्तुत किये गए। तब अलेक्जेंड्रिया में आलोचकों का दल खड़ा हुआ और पाठालोचनारम्भक इस्करण होमर-काव्य के प्रस्तुत किए जाने लग। यही से वैज्ञानिक पाठालोचन प्रणाली का भी जन्म माना जा सकता है। पर सभी देशों की आरम्भिक कृतियाँ कठस्थ रहनी हैं। भारत में भी वेद कठस्थ रूपे जाते थे और इनका इतना महत्त्व था कि कठस्थ स्थिति में ही यहाँ के ऋषियों ने कई प्रकार के पाठों का अन्वेषण किया, और इन पाठों की प्रणालियों में वेदों की वर्ण-शब्द सरचना सबकी विकृति में रखा की तथा प्रत्येक से भी रखा की। वेद मंत्र में और यह धारणा इन काल में प्रबल थी कि किंचित् भी विकृत उच्चारण से कुछ का कुछ परिणाम हो सकता है। अतः वेदों की पाठ-शुद्धि पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया।

या मूल पाठ निर्धारित किया जाता है।¹

यहाँ से वैज्ञानिक पाठालोचन का आरम्भ माना जा सकता है। आज पाठालोचन एक अलग विज्ञान का रूप ग्रहण कर रहा है। यह भी हुआ है कि पाठालोचन को भाषा-विज्ञान या भाषिकी का एक अंग माना जाने लगा है, साहित्य का नहीं, जैसा कि इससे पहले माना जाता था।

पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान की प्रक्रिया

(क) ग्रन्थ संग्रह :

किसी एक ग्रन्थ का पाठालोचन करने के लिए यह अपेक्षित है कि पहले उस ग्रन्थ की प्रकाशित तथा हस्तलेख में प्राप्त प्रतियाँ एकत्र करली जायें। इसके लिए पहले तो उनके प्राप्त-स्थलों का ज्ञान करना होगा। कहीं-कहीं इस ग्रन्थ की प्रतियाँ उपलब्ध हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए लिखा-पढ़ी से, मित्रों के द्वारा, यात्रा करके, सरकारी माध्यम से एक जाल-सा बिछा लेना होगा। पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'सूरसागर' विषयक सामग्री का जो लेखा-जोखा दिया है, उसे पढ़कर इसकी गरिमा को समझा जा सकता है।²

ऐसी सूचना के साथ-साथ ही उन ग्रन्थों को प्राप्त करने के भी यत्न करने होंगे। कहीं से ये ग्रन्थ आपकी उधार मिल जायेंगे, जिनसे काम लेकर माप लौटा सकेंगे। कहीं से इन ग्रन्थों की किसी सुलभक से प्रतिनिधि करानी पड़ेगी, कहीं से उनके फोटो-निचानियाँ माइक्रोफिल्म भेगानी होंगी। इस प्रकार ग्रन्थों का संग्रह किया जायगा।

(ख) तुलना

अब इन ग्रन्थों के पाठ की पारस्परिक तुलना करनी होगी। इसके लिए—

(1) पहले इन्हे कालक्रमानुसार रखा लेना होगा, तथा (2) प्रत्येक ग्रन्थ को एक सकेत नाम देना होगा।

1. The chief task in dealing with several MSS of the same work is to investigate their mutual relations, especially in the matter of mistakes in which they agree and to construct a genealogical table, to establish the text of the archetype, or original, from which they are derived

—The New Universal Encyclopaedia (Vol 10), p 5499

किन्तु यह बलवत्त (geneological table) प्रस्तुत करना बहुत कठिन कार्य है और कभी-कभी तो असम्भव हो जाता है। इसके लिए टेसीटिंग महोदय का यह कथन पठनीय है। वे 'बचनिका' का पाठ-निर्धारण करते समय लिखते हैं—

"I have tried hard to trace the pedigree of each of these thirteen MSS and ascertain the degree of their depending on the archetype and one another and have been unsuccessful. The reason of the failure is to be sought partly in the great number of MSS in existence and partly in the peculiar conditions under which bardic works are handed down, subject to every sort of alterations by the copyists who generally are bards themselves and often think themselves authorized to modify or, as they would say, improve any text they copy, to suit their tastes or ignorance as the case may be".

—टेसीटरी—बचनिका (भूमिका), पृ० 9

यह एक दृष्टि से अत्यन्त विशिष्ट स्थिति है, जिसमें इतनी अधिक प्रतियों के अस्तित्व होने के कारण भी बलवत्त बनाने में सफलता नहीं मिल सकी।

३. चतुर्वेदी, जवाहर लाल — पौदार अचिन्तन ग्रन्थ, पृ० 119-132।

संकेत नाम देने से ग्रन्थ के पाठ-संकेत देने में सुविधा होती है, स्थान कम घिरता है और समय की बचत भी होती है ।

‘संकेत प्रणाली’—संकेत देने की कई प्रणालियाँ हो सकती हैं, जैसे- (क) क्रमांक-सभी प्राधार-ग्रन्थों को सूची-बद्ध करके उन्हें जो क्रमांक दिये गये हों उन्हें ही ‘ग्रन्थ’ संकेत मान लिया जाय-यथा (1) महावनवाली प्रति, (2) प्रागरवाली प्रति, आदि । अब इनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं रही केवल ‘संकेत’ संख्या लिख देने से काम चल जायगा । प्रति संख्या (2) सदा प्रागरवाली प्रति समझी जायगी । यह आवश्यक है कि सूची-बद्ध करते समय प्रत्येक ‘संकेत’ के साथ ग्रन्थ का विवरण भी दिया जाय । जिससे उस संख्या के ग्रन्थ के स्वरूप का पथार्थ ज्ञान हो सके । उदाहरणार्थ—हम ‘पृथ्वीराज रासो’ की एक प्रति का परिचय उद्धृत करते हैं :—

क्रमांक-1—यह प्रति प्रसिद्ध जैन विद्वान् मुनि जिनविजय के संग्रह की है । यह ‘रासो’ के सबसे छोटे पाठ की एकमात्र ग्रन्थ प्राप्त प्रति है, और उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी ‘घा०’ है । इस प्रति के लिए मुनि जी को जब मैंने लिखा, वह श्री अग्रबन्धजी नाहटा के पास थी । कदाचित् प्रति की जीर्णना के ध्यान से नाहटा जी ने मूल प्रति न भेजकर उसकी एक फोटोस्टेट कापी मुझे भेज दी । इस बहुमूल्य प्रति के उपयोग के लिए मैं मुनिजी का अत्यन्त आभारी हूँ । प्रस्तुत कार्य के लिए इसी फोटोस्टेट कापी का उपयोग किया गया है । मूल प्रति मैंने 1956 के जून में डॉ० दशरथ शर्मा के पास दिल्ली में देखी थी । फोटोस्टेट होने के कारण यह कापी प्रति की एक वास्तविक प्रतिकृति है ।

इस प्रति के प्रारम्भ के दो पन्ने नहीं हैं, शेष सभी हैं । इसमें भी खण्ड-विभाजन और छन्दों की क्रम-संख्या नहीं है । इसमें वार्ताओं के रूप में इस प्रकार के संकेत भी प्रायः नहीं दिये हुए हैं जैसे ‘घा०’ में हैं । प्रारम्भ के दो पन्ने न होने के कारण इसकी निश्चित छन्द संख्या कितनी थी, यह नहीं कहा जा सकता है, किन्तु इन त्रुटित दो पन्नों में से प्रथम पृष्ठ-रचना के नाम का रहा होगा, जैसा अनिवार्य रूप से मिलता है, और शेष तीन पृष्ठ ही रचना के पाठ के रहे होंगे । तीसरे पत्र के प्रारम्भ में जो छन्द आता है वह ‘घा०’ में 17 है, जिसका कुछ अंश पूर्ववर्ती द्वितीय पत्र पर रहा होगा और ‘घा०’ की तुलना में इसमें 30-31 प्रतिशत रूपक अधिक है । इसलिए ‘घा०’ के 16 रूपकों के स्थान पर इसके प्रथम दो पत्रों में 20-21 रूपक रहे होने चाहिये । फलतः इन निकले हुए दो पत्रों में 20 छन्द मान लेने पर प्रति की कुल छन्द संख्या 552 ठहरती है । यह प्रति अत्यन्त सुनिश्चित है और उपयुक्त दो पत्रों के अतिरिक्त पूर्णतः सुरक्षित भी है । इसका आकार 6 25" × 3" और इसकी पुष्पिका इस प्रकार है ।

‘इति श्री कविचन्द्र विरचिते प्रथीराज रासु सम्पूर्णं । पण्डित श्री दान कुशल गणि । गणि श्री राजकुशल । गणि श्री देव कुशल । गणि धर्म कुशल । मुनि भाव कुशल लपित । मुनि उदय कुशल । मुनि मान कुशल । स० 1697 वर्ष पौष सुदि अष्टम्यां तिथौ गुरु वासरे मोहनपुरे ।’

यह एक काफ़ी सुरक्षित पाठ-परम्परा की प्रति लगती है, क्योंकि इसमें पाठ-त्रुटियाँ बहुत कम हैं, और अनेक स्थानों पर एकमात्र इसी में ऐसा पाठ मिलता है जो बहिरंग और अन्तरंग सभी सम्भावनाओं की दृष्टि से मान्य हो सकता है । फिर भी श्री नरोत्तमदास स्वामी ने कहा है कि इनका ‘पाठ बढ़ान ही अशुद्ध और भ्रष्ट है ।’ उन्होंने यह धारणा इस

प्रति के सम्बन्ध में कंसे बनाई है, यह उन्होंने नहीं लिखा है। किन्तु इस प्रकार की धारणा के दो कारण सम्भव प्रतीत होते हैं, एक तो यह कि इसमें वर्तनी-विषयक कुछ ऐसी विशिष्ट प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिनके कारण शब्दावली और भाषा का रूप विकृत हुआ लगता है, दूसरे यह कि इसका पाठ अनेक स्थलों पर अपनी सुरक्षित प्राचीनता के कारण पुबोध हो गया है, और उन स्थलों पर अन्य प्रतियों में बाद का प्रक्षिप्त किन्तु सुबोध पाठ मिलता है। कहीं-कहीं पर ये दोनों कारण एकसाथ एकट्ठा होकर पाठक को और भी अधिक उलझा देते हैं।

वर्तनी सम्बन्धी इसकी सबसे अधिक उलझन में डालने वाली प्रवृत्तियाँ प्रावश्यक उदाहरणों के साथ निम्नलिखित हैं :—

(1) इसमें 'इ' की मात्रा का अपना सामान्य प्रयोग तो है ही, 'अइ' के लिए भी उसका प्रयोग प्रायः हुआ है, यथा :

गुन तेज प्रताप ति वर्णि 'कहि' । दिन पंच प्रजंत न अन्त लहइ ।

(मो० 95 51-52)

ब्रह्म वेद नहि चपि अल्प युधिष्ठिर 'बोलि' ।

जु शायर (सायर) जल 'तजि' मेर मरजादह डोलइ । (मो० 224 3-4)

रहि गय उर भषेव उरह मि (मइ) अवर न बुभइ ।

मुउ न जीवइ कोइ मोहि परमपर 'सूनि' । (मो० 545 3-4)

किरणाटी राणी 'कि' (कइ) आवासि राजा विदा मागन गयु । (मो० 122 अ)

'पछि' (पछइ) राजा परमारि आवासि विदा मागन गयु । (मो० 123 अ)

'पछि' (पछइ) राजा परमारि सुधुली विदा मागन गयु । (मो० 124अ)

'पछि' (पछइ) राजा वाधेली के आवास विदा मागन गयु । (मो० 125अ)

तुलना कीजिये—

'पछइ' राजा कछवाही 'कइ' आवासि विदा मागन गयु । (मो० 125अ)

मनु अकाल टडीअ शधन 'पवि' (पवइ) छूट प्रवाह । (मो० 234-2)

तिन 'मि' (मइ) दसि 'सि' (सइ) अरि दलन 'उप्परि' (उप्परइ) गज दत ।

(मो० 438 2)

तिन 'मि' (मइ) कवि गन पज सिहि (सइहि) भाष भाष दिठउ काज ।

बिन 'मि' (मइ) दिवर्गात देवन समह तिन महि पुहु प्रवीराज । (मो० 439)

जे कछू साथ मन 'मि' (मइ) भइ सब ईछा रस दीन्ह । (मो० 513-2)

'असमि' (असमइ) सोइ मग्यु सुकवि नृपति 'विचार' (विचारइ) सब ।

(मो० 530-2)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कहीं-कहीं 'इ' की मात्रा को 'अइ' के रूप में पढ़ा गया है—

तम 'सरबगइ' (सरबगि) सू केवि राज गुरू राज सम । (मो० 402-3)

(2) 'इ' की मात्रा का प्रयोग पुनः 'ऐ' के लिए भी हुआ मिलता है, यथा : ऊपर मो० 122अ, 123अ, 124अ तथा 125अ के उद्धरणों में आए हुए 'कि' की तुलना कीजिए—

पछइ राजा अटिधानी के आवासि विदा मागन गयु ।

(मो० 127अ)

भरी भोज 'भाजि' (भाजइ) नहीं सारि भायि ।

भरि मल मानै नहीं लौह लागै ।

(मो० 327 19-20)

मुनि त पंग चहूँधान कु मुष जंपि इह 'बिन' (बैन) ।

बोल सूर सामत सब कहु एकटु शेन (सैन) ।

(मो० 229)

जल बिन भट सुभट भो करि अग्रहि मुज 'बिन' (बैन) ।

परमतत्त्व सूम्कि (सूम्इ) नृपति मगि मगि फग्मानन (फरमानेन) : (मो० 547)

'ति' (तै) राषुं हींदुअन गंज गौरी गाहतु ।

'ते' राषु जालोर चंपि चालूक बाहतु ।

'तै' राषु पगुरु भीम भटी 'दि' (दै) मयु ।

'नै' राषु रणघम राग जादव 'सि' (सइ) हियु ।

(मो० 308:1-4)

भये तोमर मतिहीन कराय किली 'ति' (तै) ढिली ।

(मो० 33:4)

'ति' (तै) जीतु गंजनुं गजि अपार हमीरह ।

'ति' (तै) जीतु चालुक बिहरि संनाह सरीरह ।

'ति' (तै) पहुपग सू गहूँ इदु जिम गहि सू रहह ।

'ति' (तै) गोरीय दल दहु बारि कट जिन बन दहह ।

तुब नु ग तेग तब उचमत ति (तै) तो पाशन मिलयु ।

(मो० 424:1-5)

भरे देव दानव जिम 'बिर' (बैर) चीतु ।

(मो० 454, 45)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी इस प्रकार होती है कि कही-कही पर 'इ' की मात्रा को

'ऐ' के रूप में पढा गया है, यथा--

विदूजन 'बौलै' (बोलि) दिन धरहु आज ।

(मो० 40:54)

(3) कही-कहीं 'इ' की मात्रा का प्रयोग 'अय' के लिए भी हुआ मिलता है,

यथा--

'किमास' (मो० 73:4)

वही (मो० 77:1)

वही (मो० 82:2)

वही (मो० 99:2)

वही (मो० 101:2)

वही (मो० 105:1)

वही (मो० 108:3)

वही (मो० 116:1)

वही (मो० 121:1)

वही (मो० 548:3)

तुलना कीजिए--

मा मन्त्री 'कयमास' काम अघा देवी विद्वा गति ।

(मो० 74:4)

हि (हइ) 'कयमास' कहुँ कोइ जानहुँ ।

(मो० 98:4)

(4) 'इ' की मात्रा का प्रयोग 'ए' की मात्रा के लिए भी हुआ है, यथा—

दुह राय रपत ति रत 'उठिं' ।

बिहुरे जन पावस श्रम उठे ।

(मो० 314 5-6)

नीयं देह दिधि बिरधि ससाने ।

जिते मोह मज्जा लगेये 'घासमानि' ।

(मो० 498:35-36)

शकुं ने मरने जन्मे विहाने ।

वजे दहु दुभिदे विभू 'मनि' ।

(मो० 498:39-40)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी कहीं-कहीं इ की मात्रा के 'ए' की मात्रा के रूप में पठे गए होने से होती है, यथा—

विनि गंडु नृप अघनिसा सम दासो 'सूरिघात' (सुरिघाति) ।

देव घरह जल घन घनिल कहिग चंद कवि प्रात ॥

(मो० 87)

पहिचानु जयचंद इहत डिलीसुर पेघे ।

नहिन चंदु उनुहारि दुसह दारुण तब दिषे ।

(मो० 223:1-2)

गहीय चदु रह गजने जाहाँ सजन जु 'नरेंद' ।

कबहूँ नयन निरघहूँ मनहु रवि अरविद ।

(मो० 474)

(5) 'इयड' या 'इयै' के स्थान पर प्रायः 'ईह' लिखा गया है, यथा—

सोइ एको बान संभरि घनी बीउ बान नहु 'संघीह' ।

भारिधार गक लग मोगरीप्र एक बार नृप दुकीर्ये ।

(मो० 544 5-6)

हम बोन रिहि कलि प्रतिर देहि स्वामि 'पारधीइ' (पारथयइ) ।

अरि असीइ लय को अगमि परणि राय 'सारधीइ' (सारथियइ) ।

(मो० 305:5-6)

मगल वार हि मरन की ते पति सघि तन 'बडीइ' (बडियइ) ।

जेन चडि युय कमघज सू मरन सब मुप 'मडीह' (मंडियइ) ।

(मो० 309:5-6)

अनु इक दरहि 'विलांबिइ' (विलांबियइ) कवि न करि मनु महु ।

(मो० 488:2)

महु सहाव दर 'दिधीह' (दिधियइ) सु कछू भूमि पर मिछ ।

(मो० 479:2)

सीरताज साहि 'सोभीइ' (सोभियइ) सुदेसि ।

(मो० 492 17)

'मुनीइ' (सुनियइ) पुग्य सम मरु राज ।

(मो० 52:5)

(6) 'इयड' के स्थान पर प्रायः 'ईऊ' लिखा मिलता है—

इम जंपिचद 'बिरदीउ' (बिरदियउ) सु प्रधीराज उनिहारि एहि ।

(मो० 189-6, 190:6)

इम जंपि चद 'बिरदीउ' (बिरदियउ) पट त कोस चहुवान गयु ।

(मो० 335:6)

इम अपि चं व 'बिरदीउ' (बिरदियउ) दन्न कोस चहुधान गउ ।

(मो० 343-7)

जिम सेत वज 'साजीउ' (साजियउ) पय ।

(मो० 492-24)

(7) 'उ' की मात्रा का प्रयोग प्रायः 'अउ' के लिए हुआ है, यथा—

तव ही दास कर हय सुबंय सुनायपूउ ।

बानाबलि वि दहु बान रोस रिस 'दाहयु' ।

मनहू नागपति पतिन अय 'जगाइयु' । (मो० 80-2-4)

पायक धनू धर कोटि गनि असी सहस हयमत जहू ।

पंगुर किहि सामत सुध जु जीवत अहि प्रथीराज 'कु' । (मो० 230-5-6)

निकट सुनि सुरतांग वाम दिसि उच हय 'सु' (सउ)

जस अरबर सतु सचि अछि लुटीय न करीय 'भू' (भउ) । (मो० 533-3-4)

'सु' (सउ) बरस राज तप अत किन । (मो० 21 की अन्तिम अर्द्धांकी)

'सु' (सउ) उपरि 'सु' (सउ) सहस दीह अगनित लष दह । (मो० 283-2)

कन (उ) ज राडि पहिनि दिवसि 'णु' (णउ) मि सात निबटिया । (मो० 298-6)

(8) कभी-कभी 'उ' की मात्रा से 'घो' की मात्रा का भी काम लिया गया है—

निशपल पच घटीए दोई 'घायु' ।

आखेटकन्नले नृप घायो । (मो० 92-3-4)

(9) और कभी-कभी 'उ' की मात्रा से 'घी' की मात्रा का काम लिया गया है—

कवि देषत कवि कु मन 'रत्तु' ।

न्याय नयन कन (उ) जि पहूत्तो । (मो० 176-1-2)

इसकी पुष्टि एकाध स्थान पर 'उ' के स्थान पर 'घो' की मात्रा मिलने से भी होती है—

प्रात राउ सप्रापतिग जाहा दर दव 'अनोप' ।

मयन करि दरबाज जिहि सात सहस अस भूप' ।। (मो० 214)

(10) इसी प्रकार कहीं कहीं 'उ' वर्ण का प्रयोग 'घो' के लिए हुआ मिलता है—

तुलत जू तुज तराजूह गाप ।

मनु धन मभि तडितह 'उप' । (मो० 161-27-28)

गय जल जिमन घर हनि 'उजे' ।

पंगरे राय राठुर फोज । (मो० 284-15-16)

प्रति की बर्सनी-सम्बन्धी ऐसी ही प्रवृत्तियों का यहाँ उल्लेख किया गया है जो हिन्दी की प्रतिभों में प्रायः नहीं मिलती हैं, और इसीलिए हिन्दी पाठक को ऐसा लग सकता है कि ये प्रतिज्ञापिकार की अयोग्यता के कारण हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। नारायणदास तथा रत्नरंग रचित 'छिटाई वात्ता' की भी एक प्रति में, जो इस प्रति के कुछ पूर्व की है, बर्सनी-सम्बन्धी ये सारी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, यद्यपि य परिमाण में कम हैं, पश्चिमी

राजस्थानी तथा गुजराती की इस समय की प्रतिभों में तो वे प्रवृत्तियाँ प्रचुरता से पाई जाती हैं। फलतः वर्तनी-सम्बन्धी इन प्रवृत्तियों का परिहार करके ही प्रति के पाठ पर विचार करना उचित होगा और इस प्रकार के परिहार के अनन्तर मो० का पाठ किसी भी प्रति से सुरा नहीं रहता है, बरन् वह प्रायः प्राचीनतर और इसलिए कभी-कभी दुर्बोध भी प्रमाणित होता है, यह सम्पादित पाठ और पाठांतरों पर दृष्टि डालने पर स्वतः स्पष्ट हो जायगा।¹

“अतः इस प्रति को हम ‘1’ मानेंगे और जहाँ-जहाँ इस प्रति का उल्लेख करेंगे— ‘1’ का ही उल्लेख करेंगे।”

यदि इस समस्त कथन का विश्लेषण किया जाय तो बिदित होगा कि इसके परिचय में निम्न बातें वी गई हैं—

(क) प्रति के प्राप्त स्थान एवं उसके स्वामी का परिचय—

(ख) प्रति की दशा (1) पूरी है या अधूरी है या कुछ पृष्ठ नहीं हैं, या फटे हैं या कीट-भक्षित हैं? (2) पृष्ठ में पंक्तियों की और शब्दों की संख्या, (3) स्याही कंसी, एक रंग की या दो की, (4) कागज कंसा, (5) सचित्र या सादा? किसने चित्र?

(ग) छन्द संख्या-पृष्ठगत तथा कुल ग्रन्थ में कुछ त्रुटित पत्र हो तो उनके सम्बन्ध में भी अनुमान।

(घ) लेख की प्रवृत्ति—सुलेख, कुलेख, स्पष्ट आदि।

(ङ) आकार—फुट तथा इंच में।

(च) प्राप्ति के उपाय।

(छ) पुष्पिका।

(ज) ग्रन्थ आदि का इतिहास।

(झ) पाठ-परम्परा तथा पाठ-विषयक उल्लेखनीय बातें। वर्तनी भेद के उदाहरणों के साथ।

(न) इस शोध की दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व।

ग्रन्थों का यह क्रम ‘कालक्रमानुसार’ भी रखा जा सकता है, पर नाम उसका ‘क्रमांक’ ही बनायेगा। हाँ, यदि एक ही सन् या सवत् में एक ही प्रति मिलती है, और पूरी सूची-भर में ऐसी ही स्थिति हो तो सन् या सवत् को भी ‘संकेत’ माना जा सकता है : यथा, सन् 1762 वाली प्रति आदि।

प्रतिलिपिकार-प्रणाली

ग्रन्थों के नाम-संकेत ‘घको’ में न रखकर ग्रन्थ के प्रतिलिपिकार के नाम के पहले अक्षर के आघार पर रखे जा सकते हैं जैसे ‘बीसलदेव रास’ की एक प्रति का संकेत ‘घ’ उसके प्रतिलिपिकार ‘पण्डित सीहा’ के प्रथम अक्षर के आघार पर रखा गया है।

स्थान संकेत प्रणाली

ग्रन्थ की प्रतिलिपि ग्रन्थवा रचना के स्थान का उल्लेख ग्रन्थ की पुष्पिका में हो तो

1. पुष्प, माताप्रसाद (शं०)—पुष्पीपत्र रास, पृ० 5-9।

उसके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी 'संकेत' बनाया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की एक प्रति को 'मो०' संकेत इसलिए दिया गया है कि उसकी पुष्पिका में स्थान का उल्लेख है कि सं० 1697 वर्ष पोष सुदि अष्टमी तिथि गुहवासरे मोहनपुरे।

पाठ-साम्य के समूह की प्रणाली

समस्त प्रतियों का वर्गीकरण पाठ-साम्य के आधार पर किया जा सकता है। इस वर्गीकरण का नाम भी उक्त प्रणालियों से दिया जा सकता है, फिर प्रत्यांक भी। जैसे 'पद्मावत' के सभी आधार ग्रन्थों को पाँच पाठ-साम्य-समूहों में बाँट दिया गया और नाम रखा—'प्र०' प्रथम समूह का, 'द्वि' द्वितीय समूह का, 'पंचम' पाँचवें समूह का। अब प्रथम समूह में दो ग्रन्थ हैं तो उनके संकेत होंगे 'प्र० 1' तथा 'प्र० 2'।

पत्र-संख्या प्रणाली

जब ग्रन्थ से और कोई सूचना नहीं मिलती जिसके आधार पर संकेत निर्धारित किया जा सकें तो पत्रों की संख्या को ही आधार बनाया जा सकता है।

एक प्रति आठ पत्रों में ही पूरी हुई है, केवल इसी आधार पर इसे 'आ०' कहा गया है।

अन्य प्रणाली

(क) डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने एक अन्य प्रणाली का उपयोग किया है जिसे उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

"इस प्रति की पुष्पिका भी स्पष्टतः अपर्याप्त थी। किन्तु इसको देखने पर ज्ञात हुआ कि इसके कुछ पत्रे एक प्रति के थे और शेष पत्रे दूसरी प्रति के थे : दोनों प्रतियाँ खंडित थी और उन्हें मिलाकर एक पुस्तक पूरी कर दी गई थी—यही कारण है कि 19वीं सन्धा के इसमें दो पत्रे हैं। इसी पुनरुद्धार के आधार पर इस प्रति का संकेत 'पु०' रखा लिया गया है।¹

(ख) मूल पुष्पिका नष्ट हो गयी, पर ग्रन्थ-स्वामी ने किसी अन्य ग्रन्थ से वह पुष्पिका लिखकर जोड़ दी, तो स्वामी के नाम से ही ग्रन्थ का संकेत दे दिया है।

(ग) ऊपर की प्रणालियों का बिना अनुगमन किये अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी कल्पना से या याचना से कोई भी संकेत ग्रन्थ को दे सकता है।

पाठ-प्रतियाँ

ग्रन्थों के 'संकेत-नाम' निर्धारित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक के एक-एक छन्द को क्रमशः एक-एक कागज पर लिख लिया जाना चाहिये। प्रत्येक छन्द की प्रत्येक पंक्ति को भी क्रमांक देना चाहिये, तथा छन्द का भी क्रमांक (बहु भ्रक जो उसके लिए ग्रन्थ में दिया हो) देना चाहिये। यथा—

101

पंडियत पठतत सातमई मास (1)

देव कह धान करी भरदास (2)

तपीय सन्धासीय तप करह (3)

1. गुप्त, महाप्रसाद (डॉ०)—वीरलक्ष्य एत, पृ० 5

प्रत्येक पत्र इतना बड़ा होना चाहिये कि पूरा छंद लिखने के बाद उसमें आवश्यक टिप्पणियाँ देने के लिए स्थान रहे ।

इन प्रतिलेखों को सावधानी से उस ग्रन्थ-मूल से फिर मिला लेना चाहिए ।

पाठ-तुलना

इसके उपरांत प्रत्येक छंद की समस्त प्रतियों के रूपों से तुलना की जानी चाहिए । इसमें ये बातें देखनी होंगी ।

(क) इस छंद के चरण सभी प्रतियों में एकसे हैं अर्थात् यदि एक में पूरा छंद चार चरणों में है तो शेष सभी में भी वह चार चरण वाला ही है ।

अथवा

एक में चरण संख्या कुछ, दूसरे में कुछ आदि ।

(ख) यदि किसी-किसी प्रति में कम चरण हैं तो किस प्रति में कौनसा चरण नहीं है ।

(ग) यदि किसी में अधिक चरण हैं तो कौनसा चरण अधिक है ।

(घ) फिर क्रमशः प्रत्येक चरण की तुलना—

क्या चरण के सभी शब्द प्रत्येक प्रति में समान हैं अथवा शब्दों में क्रम-भेद है ?

किस प्रति में किस चरण में कहाँ-कहाँ वर्तनी-भेद है ?

किस-किस प्रति में इस चरण में कहाँ-कहाँ अलग-अलग शब्द हैं ?

जैसे बीसलदेव की एक प्रति में 102 छंद का 6ठा चरण है—“ऊँचा तो धरि-धरि चार” । यह चरण एक अन्य प्रति में है—

‘धरि धरि तोरण मगल ध्यारि’ ।

इसी प्रकार चरण प्रति चरण, शब्द प्रति शब्द तुलना करके प्रत्येक शब्द के पाठों के अन्तरो की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए । प्रत्येक परिवर्तित चरण की सूची, प्रत्येक लोप की सूची, प्रत्येक अधिक चरण (आगम) की सूची बनायी जानी चाहिए ।

साथ ही प्रत्येक प्रति में चरण की छन्द-शास्त्रीय सगति भी देखी जानी चाहिए ।

इसके अनन्तर उक्त आधारों पर तीन ‘सम्बन्धों’ की दृष्टि से तुलना करनी होगी—प्रतिलिपि सम्बन्ध से, प्रक्षेप सम्बन्ध से, पाठान्तर सम्बन्ध से ।

प्रामाणिक पाठ के निर्धारण में प्रतियों के प्रतिलिपि सम्बन्ध की महत्ता स्वयंसिद्ध है, क्योंकि इसीसे हमें उन सीढ़ियों का पता लग सकता है जिनके आधार पर मूल प्रामाणिक पाठ का अनुसन्धान किया जा सकता है । प्रतिलिपि सम्बन्धों की तुलना से ही हमें विदित होता है कि किस प्रति की पूर्वंज कौनसी प्रति है । इस प्रकार समस्त प्रतिलिपित ग्रन्थों का एक वंश-वृक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । वंश-वृक्ष बनाने के लिए समस्त प्रतियों के पाठों का गहन अध्ययन अपेक्षित होता है तभी हम उन प्रतियों के पूर्वंजों की कल्पना भी कर सकते हैं जो हमें शोध में प्राप्त हुई हैं । ऐसे कल्पित पूर्वंजों को वंश-वृक्ष में (X) गुणन के बिह्व से बताया जा सकता है । इसमें प्रतियों के परस्पर सम्बन्ध ही नहीं विदित होते बरन् प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार प्रक्षेपों की तुलना की जा सकती है । इनके भी परस्पर सम्बन्धों का वंश-वृक्ष दिया जा सकता है ।

पाठान्तर सम्बन्ध की तुलना सभी ग्रन्थों में नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ग्रन्थ तो ऐसे मिलते हैं जिनमें लिपिकार-हान्तियों में किसी शब्द का पाठान्तर लिख देता है। परम्परा की प्रतियों में ऐसे पाठान्तर मिले थे। पर-ग्रन्थ बहुत-से ग्रन्थों में-पाठान्तर नहीं लिखे होते। यदि प्रतिलिपियों में पाठान्तर मिलते हैं तो उनकी तुलना से भी मूल पाठ के अनुसंधान में सहायता ली जा सकती है।

इन तीन सम्बन्धों के द्वारा-तुलनापूर्वक जब सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ वाली प्रति निर्धारित कर ली जाय तो उसके पाठ को आधार मान सकते हैं, या मूल पाठ मान सकते हैं, किन्तु उसे अभी प्रामाणिक पाठ नहीं कह सकते।

प्रामाणिक पाठ पाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त पाठ-सम्बन्धों को विवेचना करके पाठसम्पादन के सिद्धान्त निर्धारित कर लिये जायें। इसमें हमें यह देखना होगा कि जिन प्रतियों के पाठ मिश्रण से बने हैं वे प्रामाणिक पाठ नहीं दे सकते, जिन प्रतियों की परम्परा पर दूसरों का प्रभाव कम से कम पड़ा है, वे ही प्रामाणिक मानी जानी चाहिये।

प्रामाणिकता के लिए विविध पाठान्तरों की तुलना अपेक्षित है। तुलनापूर्वक विवेचना करके 'शब्द' और 'चरण' के रूप को निर्धारित करना होगा।

इसमें यह देखना होगा कि यदि कम विकृत पाठ किसी प्राचीन पीढ़ी का है तो वह अतिविकृत बाद की पीढ़ी से अधिक प्रामाणिक होगा।


इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि यदि कोई एक पाठ कुछ स्वतन्त्र पाठ-परम्पराओं में समान मिलता है तो वह निस्संदेह प्रामाणिक होगा। इसी प्रकार ग्रन्थ स्वतन्त्र परम्पराओं या कम प्रमाणित परम्पराओं के पाठों का सापेक्षिक महत्त्व स्थापित किया जा सकता है।

क्योंकि कुछ ग्रन्थ तो ऐसा हो सकता है जो सभी स्वतन्त्र और कम प्रभावित परम्पराओं में समान मिले, कुछ ऐसा ग्रन्थ होगा जो सबसे समान रूप से प्राप्त नहीं, तब तुलना से जिनको दूसरी कोटि का प्रमाण माना है उन पर निर्भर करना होगा। हमें दूसरी कोटि के पाठ को पूर्णतः प्रामाणिक बनाने के लिए "शेष समस्त बाह्य और अन्तर्ग सम्भावनाओं के साध्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिए।"

इसे डॉ० माताप्रसाद गुप्त¹ के 'बीसलदेव रास' की भूमिका में दी गयी प्रक्रिया के एक ग्रन्थ के उद्धरण से समझाया जा सकता है। डॉ० गुप्त ने विविध प्रतिलिपि-सम्बन्धों का भली प्रकार विवेचन करके उन प्रतियों के पाठ-सम्बन्धों को एक 'वश-वृक्ष' से प्रस्तुत किया है जो प्रागे के पृष्ठ पर दिखाया गया है।

इस वृक्ष से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक मूल ग्रन्थ से प्रतियों की तीन स्वतन्त्र परम्परारें चली। इसमें पं० समूह की प्रतियाँ बहुत पहली पीढ़ी की हैं, तीसरी-चौथी पीढ़ी की ही हैं और इस पर 'म' के किसी पूर्वज का, सम्भवतः पाँचवी पीढ़ी पूर्व की प्रति का प्रभाव 'पं' समूह के पूर्व की दूसरी पीढ़ी के पूर्व की प्रति पर पड़ा है, और कोई नहीं पड़ा है। 'म' समूह पर 'स' समूह की दूसरी-तीसरी पीढ़ी पूर्व के प्रभाव पड़े हैं, अन्यथा वह दूसरी स्वतन्त्र धारा है। 'स' तीसरी स्वतन्त्र धारा है। अतः निष्कर्ष निकाले गये कि—

1. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०) तथा नाहटा, अवर श्वेद—बीसलदेव रास, (भूमिका), पृ० 47।



एक चिह्न में X गुणा का चिह्न यह बताता है कि यह प्रति प्राप्त नहीं हुई है किन्तु उपरोक्त प्रतियों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसी प्रति होनी चाहिए।

← तीर का यह चिह्न यह बताता है कि तीर शीर्ष जिस प्रति की ओर है उस पर उस प्रति का प्रभाव है, जिससे तीर प्रारम्भ होता है।

(1) पं. समूह का पाठ 'स' समूह का अथवा उसके किसी पूर्वज का ऋणी नहीं है। इसलिए इन दोनों समूहों का जिनमें पं० घा० बा० की० पु० तथा 'या' प्रतियाँ आती हैं, पाठ-साम्य मात्र पाठ की प्रामाणिकता के लिए साधारणतः प्रामाणिक माना जाना चाहिये।

(2) जिन विषयों में म० प० तथा स० तीनों समूहों में पाठ-साम्य है, उनकी प्रामाणिकता स्वतःसिद्ध मानी जानी चाहिये।

(3) जिन विषयों में म० तथा प० समूह एकमत हो और स० भिन्न हो, अथवा म० तथा स० समूह एकमत हों, और प० समूह भिन्न हो, उन विषयों में शेष समस्त बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाओं के साम्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिये।

बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाएं

पाठ की प्रामाणिकता की कसौटी बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाएँ हैं। संदिग्ध स्थलों के सम्बन्धों या चरणों की प्रामाणिकता के लिए अन्तरंग साध्य तो मिलता है वैसे ही शब्द अथवा चरणों की श्रृंखला के अन्तर घातुति के द्वारा "अन्वय कहाँ," किस-किस स्थान

धीर रूप में प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग की प्रावृत्ति की सांख्यिकी (Statistics) प्रामाणिकता को पुष्ट करती है।

‘अर्थ’ की समीचीनता की उद्भावना भी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। इसे हम डॉ० बाबुदेवशरण भद्रवाल के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट करेंगे। डॉ० बाबुदेवशरण भद्रवाल जी ने पद्मावत की टीका की भूमिका में प्रचुर तुलनात्मक विवेचना से यह सिद्ध किया है कि डॉ० माताप्रसाद गुप्त का वैज्ञानिक विधि से सशोधित पाठ शुक्ल जी के पाठ से समीचीन है। उसमें एक स्थान पर एक उदाहरण यों दिया हुआ है—

(34) शुक्लजी—जेबा खोलि राग सौ मढ़े । लेजिम धालि एराकन्हि खड़े ।

शिरफ ने कुछ सवेह के साथ पहली घड्ढाली का अर्थ किया है—तोपो ने कुछ सयति के साथ अपना मुँह खोला। वस्तुतः यह जायसी की प्रतिबलिष्ट पंक्ति थी जिसका मूल पाठ इस प्रकार था—

गुप्तजी—जेबा खोलि राग सौ मढ़े ।

इसमें जेबा, खोलि, राग तीनों पारिभाषिक शब्द हैं। शाह की सेना के सरदारों के लिए कहा गया है कि वे जिरहबख्तर (जेबा), फिलमिल टोप (खोलि) और टाँगों के कबच (राग) से ढके थे। 512/4 में भी ‘राग’ मूलपाठ को बदलकर ‘सजे’ कर दिया गया।¹

इसमें ‘जेबा,’ खोलि’ ‘राग’ ये पारिभाषिक शब्द हैं। अतः इस विषय’के बाह्य प्रमाण ने इसकी पुष्टि होती है, और ‘शुक्ल’ जी के पाठ की अपेक्षा इस वैज्ञानिक-विधि से प्राप्त पाठ की समीचीनता सिद्ध होती है।

पाठानुसन्धान में भ्रम से अथवा संशोधन-शास्त्र के नियमों के पालन में असावधानी से अशुद्ध पाठ और अर्थ नहीं मिल सकता। इसे समझाने के लिए डॉ० भद्रवाल ने अपनी ही एक भ्रान्ति का उल्लेख यों किया है

“इस प्रकार की एक भ्रान्ति का मैं सविशेष उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि वह हम बात का अच्छा नमूना है कि कवि के मूल पाठ के निश्चय करने में संशोधन शास्त्र के नियमों के पालन की कितनी आवश्यकता है और उसकी बोधी अवहेलना से भी कवि के अशुद्ध अर्थ को हम किम नरह खो बैठते हैं। 152/4 का शुक्ल जी का पाठ इस प्रकार है—

सास डाडि मन मयनी गाढ़ी । हिये चोट बिनु फूट न साढ़ी ॥

माताप्रसाद जी को डाडि के स्थान पर वेध, वोठ, बँठ, बोइठा, दूध, दहि, दधि, दवाल, डीठ इतने पाठान्तर मिले। सम्भव है और प्रतियों में अशुद्ध और भी भिन्न पाठ मिलें। मनेर शरीफ की प्रति में ओठ पाठ है। गुप्त जी को इनमें से किसी पाठ से सन्तोष नहीं हुआ। अतएव उन्होंने अर्थ की आवश्यकता के अनुसार अपने मन से ‘बहेँडि’ इस पाठ का सुभाव दिया, पर उसके प्राये प्रश्न चिह्न लगा दिया—स्वांस दहेँडि (?) मन मयनी गाढ़ी । हिये चोट बिनु फूट न साढ़ी । मैंने इस प्रश्न चिह्न पर उचित ध्यान न ठहरा कर सांस दही की हाँडी है, मन हठ मयानी है’ ऐसा अर्थ कर डाला। प्रसंगवश श्री अम्बाप्रसाद सुमन के साथ इस पंक्ति पर पुनः विचार करते हुए इसके प्रत्येक पाठान्तर को जब मैं देखने लगा तो ‘दबाले’ शब्द पर ध्यान गया। ‘श्री सुमन’ जी ने सुनते ही कहा कि

1. भद्रवाल, बाबुदेव शरण (डॉ०) -पद्मावत (प्राक्कथन), पृ० 19।

प्रसीगढ़ की बोली में टापी चमड़े की डोरी या तस्में को कहते हैं। कौश देखने से ज्ञात हुआ कि फारसी में दवाल या दुवाल रकाब के तस्में को कहते हैं (स्टाइनगास फारसी कौश पृ. 539)। ऋक ने दुष्पालि, दुष्पाल का अर्थ चमड़े की बन्धी, हल धीदि बांधने का तस्मा किया है (ए करल एण्ड एपीकल्बरल ग्लासरी, पृ. 91)। जिवाउहीन बरनी ने तारीखे फिरोजशाही में अलाउद्दीनकालीन बस्त्रों के विवरण में बुरदा नामक बस्त्र को 'दवाले लाम' अर्थात् लाल डोरियों का घारीघार कपड़ा लिखा है (सैयद अलहर अम्बास रिजवी, खिलजी कालीन भारत, पृ. 82, तारीखे फिरोजशाही का हिन्दी अनुवाद)। इन अर्थों पर विचार करने से मुझे निश्चय हो गया कि प्रस्तुत प्रसंग में डोरी का वाचक दुष्पाल शब्द नितांत क्लिष्ट पाठ था, और वही कविकृत मूल पाठ था। पद्मावत की एक ही हस्तलिखित प्रति में अभी तक यह शुद्ध पाठ प्राप्त हुआ है (गोपालचन्द्र जी को फारसी लिपि की प्रति जो बहुत सुलिखित है—यही गुप्त जी की 'च. 1' प्रति है)। सम्भव है भविष्य में किसी और अच्छी प्रति में भी यह पाठ मिल जावे। रामपुर की प्रति का पाठ इस समय विदित नहीं है। इस प्रकार इस पंक्ति का कविकृत पाठ यह हुआ—

सास दुष्पालि मन मथनी गाड़ी। हिए चोट बिनु फूट न साठी ॥

सास दुष्पाली या डोरी है। शुक्लजी ने 'डांडि' पाठान्तर को प्रसंगवश डोरी अर्थ में ही लिया है पर डांडि पाठ किसी प्रति में नहीं मिला। मूल पाठ दुष्पालि होने में सन्देह नहीं। सास का ठीक उपमान डोरी ही हो सकती है दहेडि नहीं।¹

इसमें डॉ अग्रवाल ने एक 'बाह्य' सम्भावना से 'दुष्पालि' पाठ को प्रामाणिक सिद्ध किया है। डॉ. गुप्त ने अन्धों में प्राप्त किसी पाठान्तर को ठीक नहीं माना, और 'दहेडि' की कल्पना 'अर्थ-न्यास' के आधार पर की। यह प्रयत्न पाठालोचन के सिद्धान्त के अग्रिक अनुकूल नहीं।

पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से 'शब्दों' को तत्कालीन 'रूप' और 'अर्थों' से भी पृष्ठ करने की आवश्यकता है। जैसे 'पद्मावत' के अनेक शब्दों के अर्थ 'भाईने प्रकबरी' के द्वारा पृष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से अन्य समकालीन कवियों की शब्दावली अथवा तत्कालीन नाममालाओं से 'शब्दों' की पुष्टि की जा सकती है।

पाठ-सिद्धान्त निर्धारित हो जाने के बाद, जिसका पूर्ण विवेचन ऊपर लिखे अंग से आरम्भ में किया जाना चाहिये, एक पृष्ठ पर एक छन्द रहना चाहिये और उसके नीचे जितने भी पाठान्तर मिलते हैं वे सभी दे दिये जाने चाहिये। पाठान्तर किस-किस प्रति के क्या-क्या हैं, इसका भी संकेत रहना चाहिये। डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित 'पृथ्वीराज रासठ' से एक उदाहरण लेकर इस बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है।

साटिका—¹छन्त या²भद गंध घ्राण * लुब्बा³ घालि धूरि⁴ घाच्छादिता⁵ । (1)

गु जाहार अघार¹ सार गुन या² रुंजा पया³ भासिता । (2)

अपे या¹ सुति कुंडला² करि नथ³ तुंबीर⁴ × उद्धारया⁵ × । (3)

मोंय पातु गणस सेस सफल¹ प्रिथिराज काव्ये हित² । (4)

पाठान्तर × चिह्नित शब्द था. में नहीं है।

* चिह्नित शब्द ना. में नहीं है।

¹ अग्रवाल, वाचस्पेय शरथ (डॉ.)—पद्मावत (प्रकचन), पृ० 26 ।

(1) 1. मो. में यहाँ 'पुन' है, जो अन्य किसी प्रति में नहीं है। 2. घा. या, मो. जां. शेष में 'जा'। 3. मो. रागुरु बाण, घा. गंधरसिका, स. राग हचय म. घ. झान (झान-म.) लुब्धा, ना-लुब्धा। 4. मो. भार, ना. घ. घोर स. भूर. म. भौर। 5. म. प्राच्छादितं।

(2) 1. मो. आघार, स. आघार, ना. म. घ. बिहार (तुल० भगले छन्द का चरण।)। 2. मो. गुनीजा, घा. गुनीजा, म. गुनया, ना. घ. गुणजा। 3. मो. भंञ. पया, घा. हंजा पिया, घ. हंजा पया, ना. रंजा पया भंञा पया।

(3) 1 घा म. या, शेष में 'जा'। 2 मो. सुत कुंडलं। 3. मो. नवुं घा. नवं, ना. णव, घ. फ करा, म. करि, म कर। 4 मो. युंडीर, घ. तुडीर, म जुदीर, ना. युंडीर 15 मा. उदारव।

(4) 1. मो. स. सेस सफल (शेष सफल-मो.) घा सतत फल, घं. ना. सेवित फलं। 2. मो. कार्याहित, मं स, काव्यं कृतं।¹

इसमें ऊपर प्रामाणिक पाठ दिया हुआ है। नीचे 'पाठान्तर' शीर्षक से मूल प्रामाणिक पाठ के शब्दों से भिन्न शब्द रूपों का उल्लेख किया गया है, और साथ में प्रति संकेत दिया गया है 'घा' 'ना' 'यो' 'स' 'व.' 'घ' 'फ'—ये अक्षर प्रतियों के संकेताक्षर हैं।

प्रामाणिक पाठ निर्धारित करने में बहुत-सी सामग्री 'प्रक्षेप' के रूप में अलग निकल जायगी। उस सामग्री का ग्रन्थ में 'परिशिष्ट' रूप में, उसके पाठ को भी यथासम्भव प्रामाणिक बनाकर देना चाहिये। इस प्रकार इस समस्त सामग्री को सजा देने में सिद्धान्त यह है कि 'पाठालोचक' की वैज्ञानिक कसौटी में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो विद्वान् पाठक अपनी कसौटी से समस्त सामग्री की स्वयं जांच कर सके। अनुसंधानकर्ता का और कोई आग्रह नहीं होता, अतएव भूलचूक के लिए वह स्वयं सगस्त सामग्री और समस्त प्रक्रिया को विज्ञ पाठक के समक्ष रखा जाता है।

पाठानुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि 'अर्थ-न्यास' का पाठालोचन में क्या महत्त्व है ?

यों तो यह सत्य है कि किसी भी कृति का पाठ उसका अर्थ प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है विकृत पाठ में प्रपक्षित अर्थ नहीं पाया जा सकता, ऐसे अर्थ को प्रामाणिक भी नहीं माना जा सकता। पाठालोचन का महत्त्व ही इसी अर्थ के लिए है पर यथार्थ यह है कि पाठालोचन प्रक्रिया में 'अर्थ' का विशेष महत्त्व नहीं हो सकता। वह सहायक अद्यय है। 'शब्द' के अर्थ का ज्ञान अध्ययन परिमाण-सापेक्ष है। यदि 'क' का ज्ञान बहुत सीमित है तो कभी-कभी वह एक क्षेत्र के बहुप्रचलित शब्द का अर्थ भी नहीं जानेगा और अर्थ को दृष्टि में रखेगा तो अपने सीमित ज्ञान से त्रुटिपूर्ण समीक्षण कर देगा। जैसे यदि कोई ब्रज में प्रचलित 'हटरी' से परिचित नहीं है तो वह मूरसागर में इस शब्द को 'हटरी' (हटरी) कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में 'हटरी' कोई शब्द ही नहीं। पाठालोचनकार भी शब्दों के समस्त अर्थों से परिचित होगा, विशेषतः कृतिकालीन अर्थ से यह सम्भव नहीं। अतः पाठ विज्ञान से जो रूप निर्धारित हो उसे ही रखना चाहिये, क्योंकि कोई ऐसा शब्द हो सकता

1. दुप्ल, नाताप्रसाद (बां)—दुब्बोयव रावड, पृ० 3।

है, जिसका अर्थ भाग्ये ज्ञान-बर्द्धन के साथ प्राप्त हो। जैसे साँस दुधालि के उदाहरण से सिद्ध है।

एक प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी ग्रन्थ की अन्वय प्रतियाँ न मिलती हो, केवल एक ही प्रति उपलब्ध हो, और वह लेखक के हाथ की प्रति न हो तो क्या उसका भी सम्पादन हो सकता है? सामान्य पाठालोचक कहेगा कि नहीं हो सकता।

किन्तु मैं समझता हूँ कि उसका भी सम्पादन या पाठालोचन हो सकता है। ऐसे ग्रन्थ के सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि आन्तरिक बाह्य साक्ष्य से यह जाना जाय कि ग्रन्थ का रचना-काल क्या था, ग्रन्थ कहाँ लिखा गया? क्या एक ही स्थान पर लिखा गया? या, कवि घूमता-फिरता रहा, अतः ग्रन्थ का कुछ अंश कहीं लिखा गया, कुछ कहीं फलतः कागज बदला, स्याही बदली। जिस स्थान पर कवि रहता था, वहाँ का वातावरण कैसा था? किस प्रकार की भाषा उस क्षेत्र में बोली जाती थी। ऐसे कवि कौनसे हैं जिनसे उसके रचयिता का परिचय था। उसके क्षेत्र में और काल में कौनसे ग्रन्थ लिखे गये और उनकी भाषा तथा शब्दावली कैसी थी? आदि बातों का सम्यक पता लगाये। ये बाह्य साक्ष्य इस पाठालोचन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

किन्तु ऐसे पाठालोचन के लिए बाह्य साक्ष्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है अन्तरंग का ज्ञान कुछ ऐसी ही प्रक्रियाओं से पाठ के उद्घाटन में काम लेना होता है जिनका उपयोग इतिहास-पुरातत्त्वानुसंधेवी शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के पाठ के उद्घाटन के लिए करते हैं।

इसमें 'अर्थ-न्यास' को अवश्य महत्त्व देना होगा क्योंकि उसी का अनुमान सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन के उपरान्त लगाया जा सकता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ का सम्यक् अध्ययन करने से शब्दावली और वाक्य-पद्धति का भी संशोधक को इतना परिचय हो जाता है कि वह संदिग्ध अथवा त्रुटित स्थलों की पूर्ति प्रायः उपयुक्त शब्द या वाक्य से कर सकता है। ऐसे अनुमान को सदा कोष्ठको () में बन्द करके रखना चाहिये। इन कोष्ठको से यह पता चल सकेगा कि ये स्थल संपादक के सुझाव हैं।

ऐसे पाठ निर्धारण में सांख्यिकी (Statistics) का भी उपयोग हो सकता है। शब्दों के कई रूप मिलते हो उनमें कौनसा रूप लेखक का अपना प्रामाणिक हो सकता है इसकी कसौटी सांख्यिकी द्वारा आवृत्ति निर्धारित करके की जा सकती है। सांख्यिकी से ऐसे शब्दों के विविध रूपों की आवृत्तियाँ (Frequencies) देखी जा सकती हैं।

जिस ग्रन्थ का सम्पादन किया जा रहा है, उसकी भाषा का व्याकरण भी बना लेना चाहिये। इसके द्वारा वाक्य रचना के प्रामाणिक धादश स्वरूप की परिकल्पना हो सकती है। यदि इसके रचयिता की कोई ग्रन्थ कृति मिलती हो तो उससे तुलनापूर्वक इस ग्रन्थ के पाठ के कितने ही संदिग्ध स्थलों को प्रामाणिक बनाया जा सकता है।

ऐसे ग्रन्थों में शब्दानुक्रमिका देना उपयोगी रहता है।

पाठानुसंधान (Textual Criticism) भाषा-विज्ञान (Linguistics) का महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः इसके सिद्धान्त वैज्ञानिक हो गये हैं। अगर उसी वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ प्रकाश डाला गया है।

इस वैज्ञानिक पद्धति के प्रचलन से पूर्व हमें पाठ-सम्पादन के कई प्रकार मिलते हैं।

एक पद्धति तो सामान्य पद्धति थी—किसी ग्रन्थ को एक प्रति मिली, उसके ही आधार पर 'प्रेस-कापी' तैयार कर दी गई। हस्तलिखित ग्रन्थों में शब्द-शब्द में अन्तर नहीं

किया जाता था। एक शीर्ष-रेखा से शब्द-शब्द को जोड़कर लिखा जाता था, यथा--

भाषेभलेबहुरिरघुराई
ऋष्यभूकपर्वतनियराई

इस पद्धति का सम्पादक जो अधिक से अधिक कर सकता है वह यह है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके चरण-बन्ध को तोड़कर 'शब्द-बन्ध' से पाञ्चलिपि प्रस्तुत कर दे। यह शब्द 'बन्ध' वह अपने शब्दार्थ ज्ञान के आधार पर ही करता था। स्पष्ट है कि ऐसे सम्पादन का कोई वैज्ञानिक महत्त्व नहीं। पर किसी अच्छी प्रति का ऐसा पाठ भी प्रकाशित हो जाय तो यह महत्त्व तो उसका है ही कि एक अच्छा ग्रन्थ प्रकाश में आया।

दूसरी पद्धति को पाठान्तर पद्धति कह सकते हैं। पाठ सशेषक एकाधिक ग्रन्थ एकत्र कर लेता है। उन ग्रन्थों में से सरसरे अध्ययन के उपरान्त जो ग्रन्थ आदि की कसौटी पर ठोक प्रतीत हुआ, उसे मूल पाठ मान लिया और नीचे पाद टिप्पणियों में ग्रन्थ ग्रन्थों से पाठान्तर दे दिये। वैज्ञानिक पाठालोचन पाठान्तर देने का भी क्रम रहता, इस पद्धति में वैसा नहीं होता।

तीसरी पद्धति को भाषा-भादशं पद्धति कह सकते हैं। इस पद्धति में जिस ग्रन्थ का संपादन करना है उसकी वर्तनी के रूपों का निर्धारण और व्याकरण विषयक नियमों का निर्धारण उस ग्रन्थ का अध्ययन करके और उस कृति की और उस काल की ग्रन्थ रचनाओं से तुलनापूर्वक कर लिया जाता है। इस प्रकार उस ग्रन्थ की भाषा का भादशं रूप खड़ा कर लिया जाता है और उसी के आधार पर पाठ का संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है।

इन पद्धतियों का वैज्ञानिक पद्धति के समक्ष क्या मूल्य हो सकता है, सहज ही समझा जा सकता है।

पाठ-निर्माण

पाठ का पुनर्निर्माण, वह भी प्रामाणिक निर्माण, भी पाठालोचन का ही एक पक्ष है। एजरटन महोदय ने पंचतन्त्र के पाठ का पुनर्निर्माण किया था। पाठ-निर्माण में उनका कार्य भादशं कार्य माना गया है।


एजरटन महोदय ने 'पंचतन्त्र पुनर्निर्मिति' नामक ग्रन्थ में विविध क्षेत्रों से प्राप्त पंचतन्त्र के विविध रूपों को लेकर उनमें पाये जाने वाले अन्तरो और भेदों को दृष्टि में रख कर उसके 'मूलरूप' का निर्माण करने का प्रयत्न किया। पंचतन्त्र के विविध रूपान्तरों में कहानियों में आगम, लोप और विषयक मिलते हैं। प्रथम, प्रश्न यही उपस्थित होता है कि तब पंचतन्त्र का मूलरूप क्या रहा होगा और उसमें कौन-कौनसी कहानियाँ थी और वे किस क्रम में रही होंगी। यह माना जाता है कि विश्व में लोकप्रियता की दृष्टि से बाइबिल के बाद पंचतन्त्र का स्थान है। इसी कारण पंचतन्त्र के कितने ही संस्करण मिलते हैं। उनमें अन्तर है--अतः पंचतन्त्र के मूलरूप का निर्माण करने की समस्या भी 'पाठालोचन' के अन्दर ही आती है।

इसके लिए एजरटन¹ महोदय ने वंशवृक्ष बनाया। वह इस प्रकार है -

वंशवृक्ष

प्राचीनतर पंचतन्त्र के संस्करणों के आन्तरिक संबंध दिखाने के लिए।

1. Edgerton, Fraeklin--The Panchatantra Reconstructed. Vol. II, p. 48.



Indicated hypothetical versions. Arrows indicate translations into other languages than Sanskrit

एज़रटन महोदय ने 'पंचतंत्र' के पुनर्निर्माण में जिस प्रक्रिया का पालन किया है, उसकी चर्चा उन्होंने खण्ड 2 के तृतीय अध्याय में की है।

उनकी एक स्थापना यह है कि मूल (पंचतंत्र) के सम्बन्ध में उस समय तक कुछ

भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह निर्धारित न हो जाय कि कौनसे संस्करण द्वितीय स्थानीय रूप में परस्पर अन्तरतः सम्बन्धित हैं ।

दो संस्करणों में द्वितीय स्थानीय अन्तरिक सम्बन्ध (Secondary interrelationship) से यह अभिप्राय है कि मूल पत्र से बाद के और उससे तुलना के द्वितीय स्थानीय (Secondary) प्रति की सर्वमान्य (Common) मूलाधार (Archetype) ग्रन्थ की प्रति से पूर्णतः या अंशतः उनकी उद्भावना (Descent) या अवतीर्णता की स्थिति इस उद्भावना या अवतीर्णता को सिद्ध करने के तीन ही मार्ग हैं :

एक—यह प्रमाण (सबूत) कि उन संस्करणों में ऐसी सामग्री और बात प्रचुर मात्रा में है, जो मूल ग्रन्थ में हो सकती है । दो या अधिक संस्करणों में वह महत्वपूर्ण सामग्री और वे विशिष्ट बातें ऐसे रूप में और इतनी मात्रा में मिलती हैं कि यह सम्भावना की जा सकती है कि वह सामग्री मूल से ही अवतीर्ण की गयी है, और उन सभी संस्करणों में वे ऐसे स्थानों पर नियोजित हैं, जिन पर स्वतन्त्र रूप से उनके नियोजन की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि प्रत्येक संस्करण स्वतन्त्र रूप से तैयार किया गया है, और वह किसी अन्य ग्रन्थ से अवतीर्ण नहीं हुआ है तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें दी गई कहानियाँ एक ही क्रम में और एक जैसे स्थानों पर ही नियोजित होगी, ऐसा हो नहीं सकता । अतः यदि कुछ प्रतियों या संस्करणों में कहानियों का समावेश एक जैसे क्रम और स्थानों पर मिले तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनका सम्बन्ध किसी मूल स्रोत से है ।

दूसरे—यह प्रमाण कि कितने ही संस्करणों या प्रतियों या रूपों में परस्पर बहुत छोटी-छोटी महत्वपूर्ण बातों में साम्य नियमितता भाषागत रूप-विधान में मिलता है । साथ ही यह साध्य भी कि साम्य प्रचुर मात्रा में है और ऐसा है जिसे संयोग मात्र नहीं माना जा सकता । ऐसे अवतरणों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित होता है ।

तीसरा—प्रमाण (सबूत) कुछ दुर्बल बैठता है । वह प्रमाण यह है कि जो रूप या संस्करण हमारे समक्ष है वे एक वृहद् पूर्ण संस्करण के अंग हैं, और वह संस्करण सर्व-सामान्य मूल का ही है ।

एजरटन महोदय इन तीन कसौटियों में से पहली दो को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, यदि इन तीनों से विविध प्रतियों का अन्तर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो यह मानना होगा कि वे मूल पत्र की स्वतन्त्र शाखाएँ हैं, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं ।

तब उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि यह कैसे माना जाय कि मूल में कोई 'पत्र' था भी, क्योंकि कहानियाँ लोक प्रचलित हो सकती हैं, जिन्हें सकलित करके संग्रहकर्ताओं ने यह रूप दे दिया । उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पत्र की जितने भी हस्तलिखित ग्रन्थ मिलते हैं उनमें (1) वे सभी कहानियाँ समान रूप से विन्यस्त हैं, जिन्हें मूल माना जा सकता है । (2) और यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी संस्करणों में एक ही क्रम में हैं तथा (3) अधिकांशतः कथा (Frame Story) समान हैं । (4) अतिरिक्त कथाएँ अधिकांश संस्करणों में समान-स्थानों पर ही गुथी हुई मिलती हैं । इन चारों बातों से सिद्ध होता है कि पत्र में वे कहानियों के संग्रह का यह विशिष्ट विन्यास एक दैवीय मात्र या संयोग-मात्र नहीं हो सकता । इस कसौटी से वे कहानियाँ अलग छूट जाती हैं जो इन विशिष्ट संस्करणों के संग्रहकर्ताओं ने अपनी दृष्टि से कहीं अन्यत्र से लेकर सम्मिलित करदी हैं ।

इन समस्त कसौटियों से अधिक प्रामाणिक कसौटी है सभी मूल कहानियों की भाषा और मुहाबरे का साम्य । स्पष्ट है कि तब तक इतने संस्करणों में भाषा-साम्य बही हो सकता, जब तक कि वे किसी एक मूल से प्रतिलिपि मूल संस्करण से प्रतिलिपि रूप में प्रस्तुत न किये गये हों ।

इन कसौटियों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि एक मूल ग्रन्थ अवश्य था ।

यह भी है कि—(1) जो बाते सभी संस्करणों या ग्रन्थों में समान हैं, वे मूल में होनी चाहिये ।

(2) यदि कुछ बातें किसी एक दो पुस्तकों में छूट भी हो तो, उनका कोई महत्त्व नहीं ।

(3) कुछ ग्रन्थस्त सुधम बाते यदि स्वतन्त्र संस्करणों की प्रवेक्षाकृत कम संख्या में समान रूप से मिलती हो, तब भी उन्हें अनिर्वाह्यतः मूल का नहीं माना जा सकता ।

(4) कुछ स्वतन्त्र संस्करणों में यदि प्रवेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण बाते समान रूप से मिलती हैं तो यह अधिक सम्भावना है कि वे मूल से ही प्रायी हैं । इनके सम्बन्ध में यह धारणा समीचीन नहीं मानी जा सकती कि इनका समावेश यो ही स्वतन्त्र रूप से हो गया है, क्योंकि ये ग्रन्थ स्वतन्त्र संस्करणों में नहीं मिलती । वरन् यह मानना अधिक सगत होगा कि ऐसी विशिष्ट महत्त्वपूर्ण बाते ग्रन्थों में छोड़ दी गई है ।

(5) यदि पूरी की पूरी कहानियाँ कितनी ही स्वतन्त्र प्रतियों में समानरूपेण समाविष्ट मिलती हैं, और वे भी प्राय सभी में एक ही जैसे स्थलों पर, तो वे भी मूल से प्रायी माननी हांगी । यदि एसी बडी कहानियाँ स्वतन्त्र रूप से कही किसी कहानी में जोडी गयी होंगी तो उसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न हांगी । प्रथम स्थिति में कहानी जहाँ स्वाभाविक रूप से प्रपने स्थान पर जुडी समीचीन प्रतीत हांगी, वहाँ दूसरी स्थिति में वह देशरी (Patch) जैसी लगैगी । एजरटन से ये कुछ प्रमुख बाते हमने यहाँ दी है । जो बाते पंचतंत्र के पाठ के पुनर्निर्माण के लिए दी गयी है, वे किसी भी ग्रन्थ के पुनर्निर्माण में, उस ग्रन्थ के रूप और विषय के अनुसार उचित संशोधन-पूर्वक उपयोग में लायी जा सकती है । पूर्व में दी गई पाठालोचन-प्रक्रिया भी ऐसे पाठालोचन में उपयोग में लानी हो पड़ेगी, क्योंकि एजरटन ने भी भाषा (Verbal) पक्ष को पूरा महत्त्व दिया है ।

पाठालोचन या पाठ की पुनर्रचना या पुनर्निर्माण में कुछ धीर पक्ष भी है, उन पक्षों के लिए ठोस-बैज्ञानिक-पद्धति स्थापित हो चुकी है । इनमें से कुछ का उल्लेख संक्षेप में डॉ॰ छोटे लाल शर्मा ने अपने निबन्ध 'हिन्दी-पाठ-शोधन विज्ञान' में संक्षेप में यो किया है :
'कवि विशेष की व्यक्तिगत भाषा (Ideobet) को समझने-परखने के धीर भी तरीके हैं—

(1) हड्डन की सांख्यिकीय पद्धति—हड्डन प्रयोगावृत्ति को शैली का प्रधान लक्षण स्वीकार करता है । उसका कहना है कि जब दो शैलियों में एक ही प्रकार की प्रयोगावृत्ति शैल पड़ती है तो उसकी शक्ति और क्षमता की पुष्टि की सम्भावना बड़ जाती है । उसकी यह सहज स्वीकृति है कि भाषा में नियम और आकस्मिकता-दोनों ही तत्त्व काम करते हैं, यहाँ तक कि शब्दों के चुनाव में भी आकस्मिकता का आग्रह रहता है । यह आकस्मिकता समसामयिक शैलियों की तुलना के धमन्तर ग्रन्थ-विशेष की आकस्मिक प्रयोगावृत्ति से स्पष्ट होती है जो पाठ-शोध में ही नहीं रचनाओं के काव्यकमिक निर्माण एवं

पाठ-प्रामाणिकता आदि में विशेष सफल एवं उपादेय सिद्ध होती है।

(2) सुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक पद्धति—उक्त पद्धति में छन्द पर विशेष विचार किया जाता है। परिणामतः भाषाओं के पारिवारिक संबंधों का निर्धारण होता है और सुप्तप्रायः भाषाओं के उच्चार का आनुमानिक पुनरुद्धार प्रयोगवादी स्वन-वैज्ञानिकों ने छन्द-निर्माण की व्याख्या अनुनासिक ध्वनिरचना के आधार पर की है जो उस भाषा के बोलने वाले प्रयोग में लाते हैं। छंदों का अध्ययन तीन रूपों में किया जाता है (1) लेख वैज्ञानिक, (2) संगीतात्मक, और (3) ध्वनिक। लेख-विज्ञान में ठीक-ठीक ध्वनियों एवं अनुनासिकों का प्रयोग संगीतात्मक रूप में होता है। संगीतात्मक-अध्ययन में छंद संगीत की लय के सहस्र होता है जिसका ज्ञापन संगीत-चिह्नक के द्वारा हो सकता है। यह पद्य के आत्म-परकतालोकन के भुकाव को समृद्ध करता है। ध्वनिक अध्ययन स्वराघात, प्रबलता तथा संधि को विभक्त करता है और अर्थ पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह पद्य की ध्वनि का अनुक्रम स्वीकार करता है और अर्थ तथा शब्द एवं वाक्यांश सीमा (Boundary) के लिए परेशान नहीं होता है। इस प्रकार भाषा के खण्डितर पुनः निर्माण के अनन्तर खण्डीय पुनर्निर्माण सरल हो जाते हैं क्योंकि खण्डितर ध्वनि विस्तार खण्डीय ध्वनियों के संयोग के नियामक होते हैं। श्रुतियाँ प्रायः विपरीत दिशा से पुनर्निर्माण के कारण होती हैं।

(3) सकल्पनात्मक पद्धति—उक्त पद्धति में अभिव्यंजना की इकाइयों को पार्यतिक रूप में संक्षिप्त किया जाता है और तब तर्क-संगत प्रमेयों का सरलीकरण प्रारम्भ होता है जो कहानी के अभिप्राय-परिगणन में सहायक होते हैं, जिसके सहारे कथ्य की तुलना की जाती है। काव्य में ये परिवेश के ग्रहण के तरीके को बताते हैं जिससे कविता का निर्माण होता है। इस प्रकार पाठ के संक्षिप्तीकरण से अलकरण-कोटि, निर्माण कला एवं रचनाकार की व्यक्तिक शैली स्पष्ट हो जाती है। यह पद्धति सूक्ष्म सरचनात्मक सक्राम्य पद्धति से अनेक रूपों में भिन्न है। सूक्ष्म सरचना एक धारणा मात्र है जो भाषा-विशेष के वाक्यों की प्रजनक होती है। व्याकरण की सरलता से इसकी प्रकृति एवं अवयवों का निर्धारण होता है। सकल्पनात्मक प्रतिमान भावानयन है जो एक ही विषय से सम्बद्ध एक या अनेक वाक्यों के संक्षिप्तीकरण से उत्पन्न होता है। सूक्ष्म सरचना में हर शब्द की कैफियत तलाश करनी होती है लेकिन सकल्पनात्मक प्रतिमान परिवर्त्य संबंधों के संक्षिप्तीकरण का उद्धार मात्र है। फिर सूक्ष्म सरचना में भावानयन क्रमशः नहीं होता है, जबकि सकल्पनात्मक में क्रमशः होता है।

इन तीनों पद्धतियों के योग से कथ्य एवं भाषा दोनों का पुनः निर्माण प्रामाणिक रूप से संभव है और विकृतियों का निराकरण अस्यन्त सरल एवं सफल।¹



काल निर्धारण

पाण्डुलिपि प्राप्त होने पर पहली समस्या तो उसे पढ़ने की होती है। इसका अर्थ है लिपि का उद्घाटन। इस पर पहले 'लिपि समस्या' वाले अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

दूसरी समस्या उम पाण्डुलिपि के काल निर्धारण की होती है। प्रश्न यह है कि काल-निर्धारण की समस्या खड़ी क्यों और कस हाती है?

हमें जो पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हाती हैं उन्हें काल का दृष्टि से दो वर्गों में रखा जा सकता है

एक वर्ग उन पाण्डुलिपियों का है जिनमें काल-सकेत दिया हुआ है।

दूसरा वर्ग उनका है जिनमें काल-सकेत का पूर्णतः अभाव है।

काल-सकेत से समस्या

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जिस पाण्डुलिपि में काल-सकेत है उसके सम्बन्ध में तो कोई समस्या उठनी ही नहीं चाहिये। किन्तु वास्तव में काल-सकेत के कारण अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं और कोई-कोई समस्या तो ऐसी हाता है कि सुलभने का नाम ही नहीं लेती। उदाहरणार्थ—पृथ्वीराज रासो में सबतो का उल्लेख है। उनको लेकर विवाद आज तक चला है।

काल-सकेत' के प्रकार

वस्तुतः समस्या स्वयं काल-सकेत में ही अन्तर्भूत होती है क्योंकि काल-सकेत के प्रकार भिन्न-भिन्न पाण्डुलिपियों में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसीलिए काल-सकेत के प्रकारों से परिचित होना आवश्यक हो जाता है।

काल-सकेत का पहला प्रकार हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है। वह इस रूप में है

द्वादसवसामि सितेन मया इदं राज्यापितं

इसमें अशोक ने बताया है कि मैंने यह लेख अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में प्रकाशित कराया।

अन्य लेखों में मया, मेरे द्वारा या 'मैंने' के स्थान पर देवना प्रिय या 'प्रियदर्शी' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर प्रायः सभी काल-सकेतों का प्रकार यही है कि काल-गणना अपने अभिषेक वर्ष से बतायी गयी है यथा—राज्याभिषेक के आठवें/दसवीं/सत्रहवें वर्ष में लिखाया आदि।

अतः काल-सकेत का पहला प्रकार यह हुआ कि अभिलेख लिखाने वाला राजा

काल-गणना के लिए अपने राज्याभिषेक के वर्ष का उल्लेख कर देता है।¹ इस प्रकार को 'राज्यवर्ष' नाम दे सकते हैं।

अशोक के लेखों में केवल राज्याभिषेक के 'वर्ष' का घ्राठवाँ, बारहवाँ, बीसवाँ वर्ष आदि दिया हुआ है। शु'गों के शिलालेखों में भी 'राज्यवर्ष' ही दिया गया है।

आशोकों के शिलालेखों में 'काल-संकेत' में कुछ विस्तार आया है। उदाहरणार्थ : गौतमी पुत्र सातकर्णिक के एक लेख में काल-संकेत यों है —

“सबछरे, १० + ८ कस परवे २ दिवसे”

इसका अर्थ हुआ कि 18वें वर्ष में वर्षा ऋतु के दूसरे पाख का पहला दिन।

यहाँ 18वाँ वर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णिक के राजत्व-काल का है।

इसमें केवल राज्याभिषेक से वर्ष-गणना का ही उल्लेख नहीं वरन् ऋतु पक्ष तथा दिन या तिथि का भी उल्लेख है।

'सबच्छरे' / सबत्सरे शब्द वर्ष के लिए आया है। इस समय भी राज्य वर्ष का ही उल्लेख मिलता है यों तिथि-विषयक अन्य व्योरे इसमें है। ऋतुप्रभो का उल्लेख है, मास का नहीं।

पाख (पक्ष) का उल्लेख है, प्रथम या द्वितीय पाख का। दिवस का भी उल्लेख है। तब महाराष्ट्र के क्षह्रात और उज्जयिनी के महाक्षत्रपों के शिलालेख आते हैं। इन्होंने ही पहले ऋतु के स्थान पर मास का उल्लेख किया “बसे 40 + 2 बंशाख मासे”

इन्होंने ही पहले मास के बहुल (कृष्ण) या शुद्ध (शुक्ल) पक्ष का सन्दर्भ देते हुए तिथि दी “वर्षे द्विपचाशे 50 + 2 फगुण बहुलस द्वितीय वारे।” इस उद्धरण में 'वार' शब्द का भी पहले-पहल प्रयोग हुआ है, दिवस आदि के लिए, 'मासं शीर्षं बहुल प्रतिपदा' में 'प्रतिपदा' या 'पडवा' तिथि है, कृष्ण अथवा बहुल पक्ष की। इनके किसी-किसी शिलालेख में तो नक्षत्र का मुहूर्त तक दे दिया गया है, यथा —

“बंशाख शुद्धे पचम-धन्य तिथी रोहिणी नक्षत्र मुहूर्ते”

पहले इन्हीं के शिलालेखों में नियमित सबत् वर्ष का उल्लेख हुआ, और उसके साथ राज्यवर्ष का उल्लेख भी कभी-कभी किया गया, यथा :

श्री-धरवर्मणास्वराज्याभि वृद्धि करे वंजयिके संवत्सरे त्रयोदशमे।

श्रावण बहुलस्य दशमी दिवस पूर्वक मेत....20 + 1 अर्थात् श्रीधरवर्मा के विजयी एव समृद्धिशाली तेरहवें राज्य वर्ष में और 201 वें (सबत्) में श्रावण मास के कृष्णपक्ष की दशमी के दिन....' विद्वानों का मत है कि राज्यवर्ष के अतिरिक्त जो वर्ष 201 दिया गया है वह शक सबत् ही है। यह द्रष्टव्य है कि 'शक' या 'शाके' शब्द का उपयोग नहीं किया गया, केवल 'वर्ष' या 'संवत्सरे' से काम चलाया गया है।

1. अशोक के अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख हैं। बस एक शिलालेख ही ऐसा प्राप्त हुआ है जो अशोक से पूर्व का माना जाता है। यह लेख अजमेर के अजायवधर में रखा हुआ है और बदली से प्राप्त हुआ था। इसमें भी दो पक्तियों में काल संकेत है। एक पक्ति में 'शौराय भगवत' और दूसरी में 'बभ्रुपसीति बस'। निष्कर्षतः यह शौर या महाशौर के निर्वाण के शौरासीव वर्ष में लिखा गया। अशोक पूर्ण का लेख औसानी द्वारा विभिन्न ठाटों पर लिखा गया है क्योंकि यह शौर-निर्वाण से काल-गणना देता है।

संवत् के लेख के साथ 'शक' शब्द संवत् 500 के शिलालेखों से जुड़ा हुआ मिलता है। शक संवत् जिस घटना से आरम्भ हुआ वह 78 ई० में घटी। वह भी चष्टण द्वारा अश्विन्ति की विजय। इसी विजय के उपलक्ष्य में अश्विन्ति में 78 ई० में यह संवत् आरम्भ हुआ जिसे आरम्भ में बिना नाम के काम में लिया गया। इसके बाद 500 वें वर्ष से शक या शाके शब्द का प्रयोग नियमित रूप से होने लगा। शक स० 500 से 1263 तक के शिलालेखों में वर्ष के साथ नीचे लिखी मन्दावली का प्रयोग किया गया :

- (1) शकनृपति राज्याभिषेक सवत्सर
- (2) शकनृपति सवत्सर
- (3) शकनृप सवत्सर
- (4) शकनृपकाल
- (5) शक-संवत्
- (6) शक
- (7) शाक¹

स्पष्ट है कि आरम्भ में 'राज्य वर्ष' के रूप में इसे शकनृपति के राज्याभिषेक का संवत् माना गया। उस राज्याभिषेक का अभिप्राय शको की विजय के उपरान्त हुए अभिषेक से था। इसी शक संवत् के साथ जालिवाहन शब्द भी जुड़ गया और यह 'शाके जालिवाहन' कहलाने लगा। इस प्रकार यह दक्षिण तथा उत्तर में लोक-प्रिय हो गया। शिलालेखों में सबसे पहले हमें नियमित संवत् के रूप में शक संवत् का ही उल्लेख मिलता है। अतः 'काल सकेत' की एक प्रणाली तो राजा के शिलालेख यानी राजा द्वारा लिखाये गये शिलालेख के लिखे जाने के समय का उल्लेख उसी के राज्य के वर्ष के उल्लेख की प्रणाली में मिलता है। तब, नियमित संवत् देने की परिपाटी में दूसरे प्रकार का 'काल-सकेत' हमें मिलता है।

इन काल सकेतों से भी कुछ समस्याएँ प्रस्तुत होती हैं जिनमें से पहली समस्या राजा के अपने राज्य वर्ष के निर्धारण की है। अशोक के 8वें वर्ष में कोई शिलालेख लिखा गया तो अशोक के सन्दर्भ में तो उसके राज्यकाल के 8 वें वर्ष का ज्ञान इस शिलालेख से हमें उपलब्ध हो जाता है किन्तु इतिहास के कालक्रम में किसी राजा का राज्य वर्ष किस प्रकार से अपने स्थान पर बिठाया जायेगा, यह समस्या खड़ी होती है। यह समस्या तब कुछ कठिन हो सकती है जब वह राजा कोई ऐसा राजा हो जिसके राज्यारोहण का वर्ष कहीं से भी उपलब्ध न होता हो। यथार्थ में ऐसे काल-सकेत से ठीक-ठीक काल निर्धारण ऐसी स्थिति में तभी हो सकता है कि जब राजा के राज्यारोहण-काल का ज्ञान हमें सन् संवत् की उस प्रणाली में उपलब्ध हो सके जिसे हम अपने सामान्य इतिहास में काम में लाते हैं। जैसे, भ्राधुनिक इतिहास में हम ई० सन् का उपयोग करते हैं और उसी के आधार पर ई० सन् के पूर्व की घटनाओं को भी (ई० पू० द्वारा) द्योतित करते हैं।

जब 'काल-सकेत' दूसरी प्रणाली से दिया गया हो जिसमें किसी नियमित संवत् का निर्देश हो तो समस्या यह उपस्थित होती है कि उसे उस कालक्रम में किस प्रकार यथा-स्थान बिठाया जाय जिसका उपयोग हम वर्तमान समय में इतिहास में करते हैं। जैसे—

घशोक के काल से पूर्व का लिखा जो एक हिलालेख अजमेर के बडकी घाम में मिला उसमें 'वीराय भगवत्' पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति 'चतुराणि बसे' है, जिसका अर्थ हुआ कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 84वें वर्ष में। अब 84वें वर्ष का उल्लेख तो ऐसी घटना की ओर संकेत करता है जो एक प्रसिद्ध महापुरुष से जुड़ी हुई है, जिसके सम्बन्ध में उनके अर्थ के अनुयायी जैन धर्मावलम्बियों ने निर्र्नात रूप से 'महावीर संबत्' या 'वीर निर्वाण संबत्' की गणना सुरक्षित रखी है। जैन लेखक अपने ग्रन्थों में निर्वाण संबत् का उल्लेख करते रहे हैं। श्वेताम्बर जैन मेरुतुङ्ग सूरि ने 'बिचार श्रेणी' में बताया है कि 'महावीर संबत्' और विक्रम सं० में 470 वर्षों का अन्तर आता है। इस गणना से महावीर संबत् का आरम्भ 527 ई० पू० में हुआ, क्योंकि विक्रम संबत् का आरम्भ 57 ई० पू० में होता है और 470 वर्षों का अन्तर होने से $57 + 470 = 527$ ई० पू० महावीर का निर्वाण संबत् हुआ। इस विधि से 3 संबत्तों का पारस्परिक समन्वय हमें प्राप्त हो जाता है। विक्रम संबत् का 'वीर निर्वाण संबत्' से और दोनों का परस्पर 'ई० सन्' से। यदि 'वीर निर्वाण' के वर्ष का ज्ञान संदिग्ध हो तो इस प्रकार का 'काल-संकेत' किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकेगा। यह स्थिति किसी छोटे और अज्ञात राजा के राज्यारोहण काल की हो सकती है क्योंकि उसे जानने के कोई पक्के प्रमाण हमारे पास नहीं हैं, वही स्थिति कुछ ऐसे कम प्रचलित ग्रन्थ संबत्तों के सम्बन्ध में भी हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी एक राजा के राज्यारोहण के सन्दर्भ से काल के संकेत से अधिक उपयोगी काल-निर्धारण की दृष्टि से नियमित संबत् का उल्लेख होता है। यों मूलतः यह नियमित संबत् भी किसी घटना से सम्बद्ध रहता है, हम देख चुके हैं कि 'शक संबत्' शक नृपति के राज्यारोहण के काल का संकेत करता है, 'वीर संबत्' का सम्बन्ध महावीर निर्वाण से है किन्तु 'शक संबत्' नियमित हो गया क्योंकि यह सर्वजन मान्य हो गया है।

ऊपर काल-निर्धारण विषयक दो पद्धतियों का उल्लेख किया गया है—(1) राज्यारोहण के काल के आधार पर, तथा (2) नियमित संबत् के उल्लेख से। किन्तु ऐसे लेख भी हो सकते हैं जिनमें न राज्यारोहण से वर्षों की गणना दी गई हो, न नियमित संबत् का ही उल्लेख हो। ऐसी दशा में लेखों में सर्वांगीण समकालीन राजाओं का व्यक्तियों के आधार पर काल-निर्धारण किया जाता है, यथा—अशोक के तेरहवें गिलालेख में अनेक समकालीन विदेशी शासकों के नाम आये हैं। यदि उनकी तिथियाँ प्राप्त हो तो अशोक की तिथि पाई जा सकती है। यूनानी राजा अतियोकास द्वितीय का उल्लेख है। इनकी तिथि ज्ञात है। ये ई० पू० 261-46 तक पश्चिमी एशिया के शासक थे। द्वितीय टॉलेमी का भी उल्लेख है जो उत्तरी अफ्रीका में ई० पू० 282-40 तक शासक था। इन समकालीन शासकों की तिथियों के आधार पर अशोक के राज्यारोहण का वर्ष ई० पू० 270 निकाला गया है।

1. नियमित संबत् का उल्लेख कुषाण नरेशों के समय से मिलता है। आरम्भ के संबत् वर्षों के संबत् का नाम नहीं दिया गया, पर यह निर्धारित हो चुका है कि वह शक-संबत् है जो 78 ई० से आरम्भ हुआ। इससे आगे द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय से गुप्तों के लेखों में जो वर्षों का निर्देश है वह भी राज्य-वर्ष का न होकर गुप्त-संबत् के वर्षों का है। यथा—भानुगुप्त का एरण स्तम्भ का लेख, इसमें 191वाँ वर्ष का उल्लेख किया गया है, यह 191वाँ गुप्त संबत् है।

वर्ष-वर्षों की तिथियाँ 'शक-संबत्' की सूचक हैं। नेपाल के लेखों में भी वर्ष-संबत् है।

इस प्रकार से तिथि निर्धारण करने में भी कठिनाईयाँ आती हैं : एक तो यह कठिनाई ठीक पाठ न पढ़े जाने से लड़ी होती है। गलत पाठ से गलत निष्कर्ष निकलेगा। 'हाथी गु'फा' के लेख में एक वाक्य यो पढ़ा गया—“पनतरिय सन बस सते राज मुरिय काले।” स्तेन कोनो ने इसका अर्थ दिया 'मौर्य काल के 165वें वर्ष में।' इसी के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक संबत् चलाया था जो मौर्य-संबत् (मुरिय काले) कहा गया। अब कुछ विद्वान् इस पाठ को ही स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में ठीक पाठ है—“पानतरीय सत सहसेहि, मुखिय कल बोच्छिन।” इसमें वर्ष या संबत् या काल का कोई संकेत नहीं। अब यह सिद्ध-सा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने कोई मौर्य-संबत् नहीं चलाया था।

किन्तु किसी न किसी 'काल-संकेत' से कुछ न कुछ सहायता तो मिलती ही है, और समकालिता एवं ज्ञात संबत् की पद्धति में सन्तोषजनक रूप में नियमित संबत् में काल-निर्धारित किया जा सकता है।

पर काल निर्धारित करने में यथार्थ कठिनाई तब आती है, जब कोई काल संकेत रचना में न दिया गया हो। अधिकांश प्राचीन साहित्य में काल-संकेत नहीं रहते। वैदिक साहित्य का काल-निर्धारण कैसे किया जाय। इतिहास के लिए यह करना तो होगा ही। इस प्रकार की समस्या के लिए वर्ष-विषय में मिलने वाले उन संकेतो या उल्लेखों का सहारा लिया जाता है, जिनमें काल की ओर किसी भी प्रकार में इंगित करने की क्षमता होती है। अब इस प्रकार से काल निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम पाणिनि के उदाहरण से समझ सकते हैं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ से उसकी रचना का 'काल-संकेत' नहीं मिलता। अतः अष्टाध्यायी में जो सामग्री उपलब्ध है उसी के आधार पर समय का अनुमान विद्वानों ने किया है। ये अनुमान कितने भिन्न हैं, यह इसी में जाना जा सकता है कि एक विद्वान ने उसे 400 ई० पू० माना। गोलडस्टुकर ने अष्टाध्यायी के अध्ययन के उपरान्त यह निर्धारित किया कि पाणिनि यास्क के बाद हुआ और बुद्ध से पूर्व था, क्योंकि अष्टाध्यायी से विदित होता है कि वह बुद्ध से परिचित नहीं था। प्रार० जी० भांडारकर यह मानते हैं कि पाणिनि दक्षिण भारत से अपरिचित थे, अतः इनकी दृष्टि में पाणिनि 7-8वीं शताब्दी ई० पू० में ही थे। 'पाठक' महोदय पाणिनि को महावीर स्वामी से कुछ पूर्व 'सातवीं' शताब्दी ई० पू० के अन्तिम चरण में मानते हैं। डी० प्रार० भांडारकर ने पहले सातवीं शताब्दी में माना, बाद में छठी शताब्दी ई० पू० के मध्य सिद्ध किया। चार पेंटियर पाणिनि को 550 ई० पू० में विद्यमान मानते हैं, बाद में इन्होंने 500 ई० पू० को अधिक समीचीन माना। ह्योर्षालिक ने 350 ई० पू० का ही माना है। वेबर ने अष्टाध्यायी के एक सूत्र के अन्तर्गत अर्थ के आधार पर पाणिनि को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त का बताया।

ये सभी अनुमान अष्टाध्यायी को सामग्री पर ही खड़े किये गए हैं। ऐसे अध्ययन का एक पक्ष तो यह होता है कि पाणिनि किन बातों से अपरिचित था, जैसे—गोलडस्टुकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पाणिनि आर्य्यक, उपनिषद्, प्रातिशास्त्र, वाजसनेयी संहिता, ऋतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद तथा षड्दर्शनो से परिचित नहीं थे। अतः निष्कर्ष निकला कि

किन बातों से वह परिचित नहीं वह उन बातों से पूर्व हुआ। तो वह उपनिषद् युग से पूर्व रहे होंगे।

इसका दूसरा पक्ष है कि वह किनसे परिचित था, यथा—ऋग्वेद; सामवेद और ऋण्यजुर्वेद से परिचित थे। फलतः जिनसे परिचित थे उनकी समयावधि के बाद और जिनसे अपरिचित उनके लोक प्रचलित होने के काल से पूर्व पाणिनि विद्यमान रहे अर्थात् 400 ई० पू०।

अब गोल्डस्टुकर के इस निष्कर्ष को भ्रमान्य करने के लिए डॉ० बासुदेव शरण प्रप्रवाल ने अष्टाध्यायी से ही यह बताया है कि (1) पाणिनि, 'उपनिषद्' शब्द से परिचित थे, पाणिनि महाभारत से भी परिचित थे, वे श्लोक और श्लोककारों का उल्लेख करते हैं, 'नटसूत्र, शिशु ऋदीय, यमसभीय, इन्द्रतन्वीय जैसे संस्कृत के महानकाव्यों का भी ज्ञान रखते थे।

डॉ० बासुदेवशरण प्रप्रवाल ने अष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से इस तर्क को भी भ्रमान्य कर दिया है कि पाणिनि 'दक्षिण' से अपरिचित थे। अन्तरयन देश, अरमक, एव कलिंग अष्टाध्यायी में आये हैं।

मस्करी परिव्राजकों के उल्लेख में मल्ली गोसाल से परिचित थे। (पाणिनि) मल्ली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। अतः इस सन्दर्भ से और कुमारभ्रमण और निर्वाण जैसे शब्दों के अष्टाध्यायी में आने से बौद्ध-धर्म से उन्हें अपरिचित नहीं माना जा सकता।

अविष्ठा (या धनिष्ठा) को नक्षत्र-व्यूह में प्रथम स्थान देकर पाणिनि ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी कालावधि की निम्नस्थ तिथि 400 ई० पू० हो सकती है।

पाणिनि ने लिपि, लिपिकार, यवनानी लिपि तथा 'ग्रन्थ' शब्द का उपयोग किया है। यवनानी लिपि से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में यवनों से परिचय सिकन्दर के आक्रमण से हुआ, अतः अष्टाध्यायी में 'यवनानी लिपि' का आना यह सिद्ध करता है कि पाणिनि सिकन्दर के बाद हुए। पर यह 'यवनानी' शब्द धायोनियन (Ionian) ग्रीस निवासियों के लिए आया है, जिनसे भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से बहुत पहले था।

यहाँ काल-निर्धारण में अन्तरंग साक्ष्य का मूल्य बताने के लिए पाणिनि के सम्बन्ध में यह स्थूल चर्चा डॉ० बासुदेवशरण प्रप्रवाल के ग्रंथ India as Known to Panini (पाणिनि कालीन भारत) के आधार पर की गई है। विस्तार के लिए यही ग्रंथ देखें।

यहाँ हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस ग्रंथ या ग्रंथकार के समय निर्धारण में उसके ग्रंथ में आयी सामग्री के आधार पर भी निर्भर किया जा सकता है। उसके ग्रन्थ के अध्ययन से एक ओर तो यह ज्ञात होता है कि वह किन बातों से परिचित नहीं था।¹ तथा दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि वह किन बातों से परिचित था।²

1. जैसे चरट का समय निर्धारित करते हुए काने महोदय ने बताया कि "वह अविनि-सिद्धान्त से पूर्णतः अपरिचित है।" अतः अविनि-कार का समसामयिक था या उसके कुछ पूर्व
2. काने महोदय ने बताया है कि चरट की धामह और उद्घट से बहुत निकटता है। चरट ने धामह, दही एवं उद्घट से अधिक अलकारी की चर्चा की है और इतकी प्रयात्नी भी वैज्ञानिक है। किसी बात के विकास के चरणों के अनुमान को भी एक प्रमाण माना जा सकता है।

किर यह आवश्यक होता है कि इन दोनों की सम्प्रमाण¹ व्याख्या करके ग्रीर उनके ऐतिहासिक काल के सन्दर्भ से उम कवि की समयावधि की ऊपरी काल-सीमा ग्रीर निचलो काल-सीमा साबधानीपूर्वक निर्धारित की जाय। इस सम्बन्ध मे प्रचलित अनुभूतियों की भी परीक्षा की जानी चाहिये। प्राचीन साहित्य, ग्रंथ, हस्तलेख आदि के सम्बन्ध मे इस 'अन्तरंग-साध्य' की काल-गत परिणति की प्रक्रिया का बहुत सहारा लेना पड़ा है।

यह बात ध्यान मे रखने की है कि अन्तरंग साध्य या अन्तरंग सगत कथनों की कालगत परिणति प्रामाणिक ग्रीर निश्चिन्त रूप से स्थापित की जाय, जैसे—'श्राविष्ठा' का आदि नक्षत्र के रूप मे उल्लेख सिद्ध करता है। अतः तर्क ग्रीर प्रमाण प्रबल होने चाहिए, उदाहरणार्थ—यवनानी लिपि विषयक तर्क की आयोनियों से भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से पूर्व से था, प्रबल ग्रीर पुष्ट तर्क माना जा सकता है।

दुर्बल ग्रीर असंगत तर्क आगे के विद्वानों द्वारा काट दिये जाते हैं। दूसरे प्रबल तर्क देकर काल-निर्धारण करने का प्रयत्न निरन्तर होता रहता है। जैसे—साहित्यदर्पण की भूमिका मे काणे² महोदय ने लिखा है कि—Attempts are made to fix the age of both भामहू and दण्डी by reference to parallel passages from early writers and it is argued that they are later than these poets. Unless the very words are quoted I am not at all disposed to attach the slightest weight to parallelism of thought. There is no monopoly in the realm of thought as was observed by the ध्वनिकार (iv. II सवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसामा)। काणे महोदय ने यहाँ यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवल विचार-साम्य काल निर्धारण मे सहायक नहीं, समान वाक्यावली अवश्य प्रमाण बन सकती है पर केवल शब्दावली साम्य ही पर्याप्त नहीं, सन्दर्भगत अभिप्राय-साम्य भी हो तो प्रमाण अच्छा माना जा सकता है।

काल-संकेतो के रूप

काल निर्धारण मे ऐसे लेखकों ग्रीर ग्रन्थों के सम्बन्ध मे तो कठिनाई आती ही है, जिनके काल के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, किन्तु जहाँ काल-संकेत दिया गया है वहाँ भी यथार्थ काल निर्धारण मे जटिल कठिनाइयाँ उपस्थित हो आती हैं। ऊपर 'शिलालेखों' के काल-सन्दर्भ मे हमने यह देखा था कि एक लेख मे 'मुरिय' पढ़ा गया ग्रीर उसका अर्थ लगाया गया 'मौर्य सवत्' जबकि कुछ विद्वान यह मानते थे कि यह पाठ गलत है, गलत पढ़ कर गलत अर्थ किया गया, अतः मौर्य सवत् की धारणा निराधार है। किन्तु शिलालेखों में 'अक' भी कभी-कभी ठीक नहीं पढ़े जाते, इससे काल निर्धारण सदोष हो

1 प्रमाण के लिए याह साध्य का उपयोग किया जाता है। काणे ने दण्ड के सम्बन्ध मे बताया है कि दसवीं शताब्दी के आगे के कितने ही लेखकों ने दण्ड का उल्लेख किया है : "राजनेखर ने 'काव्य-सोमासा' में काकु बकोक्तिनाम शब्दावलीकारो मिति दण्ड'।" दण्ड के एक छन्द को भी उद्धृत किया है। प्रती हरिधुराज ने मिमा नामोल्लेख किये उसके छन्द उद्धृत किए हैं। धनिक की 'वक्ष स्थावलांकन टीका मे उद्धृत है। बोधन मे भी उल्लेख है। मम्मट ने दण्ड का नाम लेकर आलोचना की है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दण्ड 800-850 ई. के बीच हुए।

2. Kane, P. V.—Sahityadarpan (Introduction), p. 37.

जाता है ।¹

हम यहाँ यह देखेंगे कि ग्रन्थादि में 'काल-संकेत' किस-किस प्रकार से दिये गए हैं ? और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या समस्याएँ खड़ी हुई हैं ?

इतिहास से हमें विदित होता है कि सबसे पहले शिलालेख में जो अक्षरों के पास बड़ली ग्राम में मिला था,

1. अशोक से पूर्व में बीर सबत् (महाबीर निर्वाण सबत्) का उल्लेख दिया ।
2. अशोक के अभिलेखों में राज्य-वर्ष का उल्लेख है ।
3. प्रागे अशोक के समय में राज्य-वर्ष के साथ 'अशोक सबत्' का वर्ष दिया गया, हाँ, वर्ष संख्या के साथ 'अशोक' का नाम सबत् के साथ नहीं लगाया गया । बाद में 'अशोक' नाम दिया गया ।
4. वर्ष या सबत्सर के साथ पहले ऋतुओं का उल्लेख, जब उनके पालों का उल्लेख होने लगा । इसके साथ ही तिथि, मुहूर्त को भी स्थान मिलने लगा ।
5. बाद में ऋतुओं के स्थान पर महीनों का उल्लेख होने लगा । महीनों का उल्लेख करते हुए दोनों पालों को भी बताया गया है । शुक्ल या शुद्ध और बहुल या कृष्णपक्ष भी दिया गया ।
6. इसी समय नक्षत्र (यथा—रोहिणी) का समावेश भी कहीं-कहीं किया गया ।
7. वर्ष संख्या अक्षरों में ही दी जाती थी पर किसी-किसी शिलालेख में शब्दों के अक्षर बताये गए हैं ।
8. हिन्दी के एक कवि 'सबलश्याम' ने अपने ग्रन्थ का रचना-काल यों दिया है :

सवत् सत्रह सौ सोरह दस, कवि दिन तिथि रजनीस वेद रम ।

माघ पुनीत मकर गत भाद्र

असित पक्ष ऋतु शिशिर समान् ।

कवि ने इसमें सबत् दिया है : सत्रह सौ सोरह दस

$$1716 + 10 = 1726$$

यह विक्रम सबत् है, क्योंकि हिन्दी में सामान्यतः इसी सबत् का उल्लेख हुआ है । सबत् का नामोलेख न होने पर भी हम इसे विक्रम सबत् कह सकते हैं ।

कवि ने तब दिन का उल्लेख किया है : 'कवि दिन' का उल्लेख भी अद्भुत है । कवि दिन = शुक्रवार ।

तिथि अंको में न लिखकर शब्दों में बताया गया है ।


रजनीस : चन्द्रमा 1 +

वेद ३ ३ + ३

रस : 6 + = 11

अर्थात् एकादशी ।

1. देखिए—गुरु गुणा के पूर्वज का शिलालेख, सोध पत्रिका (वर्ष 22, अंक 1), मत् 1971 में श्री मोहनचन्द्र अक्षराज का विवरण—'बोसा (बीकानेर) इतिहास के कुछ अविद्य स्थल ।'



'ददरेवा' ग्राम में प्राप्त विद्यमान 'जंतमी' का शिलालेख

(जान कवि ने 'क्यामला रामो' [सम्बन् 1273] में क्यामलानी चौहानो की बशाबली प्रस्तुत की है, उसमें गोगाजी व जंतमी का भी उल्लेख है। अतः इसके आधार पर जंतमी गोगाजी के वंशज हैं।)

—माघ सुदि १४ चद्रवार, (सम्बत् ११७१)

माघ महीने के अक्षित पक्ष अर्थात् कृष्णपक्ष में ऋतु शिशिर, तथा—

मानु मकर के - यह पवित्र संयोग

इसमें कवि ने ऋतु का भी उल्लेख किया है और महीने का भी ।

स्पष्ट है कि यह कवि सामान्य परिपाटी से अपने को भिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में है ।

काल संकेत की सामान्य पद्धति यह है कि यदि कवि शब्दों में काल-संकेत देता है तो वह सब्त् को शब्दाको में रखता है, तिथि को नहीं । इस कवि ने तिथि को शब्दोंको में रखा है जो क्रमशः 1,4,6 होता है । प्रत. तीनों को जोड़कर (11) तिथि निकाली गयी । पर संवत् को अंको में दिया है, उसे भी वैशिष्ट्य के साथ सत्रह सँ सोरह + दस । यहाँ भी संवत् जोड़ के प्राप्त होता है—संवत् सत्रह सँ छब्बीस = 1726 ।

इस बात में भी यह अनोखा है कि इसमें महीना भी दिया गया है और ऋतु भी साथ है । यह पद्धति किसी-किसी अभिलेख में भी मिलती है ।

काल-संकेत की यह एक जटिल पद्धति मानी जा सकती है ।

सामान्य पद्धति

अब हम देखेंगे कि सामान्य पद्धति क्या होती है सामान्य पद्धति में सब्त् अंको में किन्तु अक्षरों में दिया जायेगा । 1726 को अक्षरों में 'सत्रह सँ छब्बीस' लिखा जायेगा । कहीं-कहीं पादुलिपियों में सब्त् को अक्षरों में देकर उसी के साथ अंकों में भी लिख दिया गया है, यथा 'सत्रह सँ छब्बीस १७२६', तिथि भी अंकों में अक्षरों के द्वारा अर्थात् ग्यारस (११) ।

सामान्य रूप से संवत् और तिथि के साथ दिन का, महीने का और पक्ष का उल्लेख भी किया जाता है ।

इस रूप के अतिरिक्त जो कुछ भी वैशिष्ट्य लाया जाता है, वह कवि-कौशल माना जायेगा ।

यह सन्-सब्त् रचना के काल के लिये ही नहीं दिया जाता, इससे लिपि-काल भी द्योतित किया जाता है, लिपिकर्त्ता भी अपना वैशिष्ट्य दिखा सकता है ।

कठिनाइयाँ

अब कुछ यथाथं कठिनाइयों के उदाहरणों से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि कठिनाई का मूल कारण क्या है ?

पुष्पिका

1. बीसल देव रासो की एक प्रति में रचना-तिथि यो दी गई है :
बारह सँ बहोत्तराहाँ मेंभारि,
जेठ बदी नवमी बुधवारि ।
नाल्ह रखाइण भारम्भइ ।
भारदा तुठी बहू कुमारि ।
कासमीरौ मुख मंडनी ।

संवत् पर विषयनिर्वा

1. प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'बारह सँ बहोत्तराहाँ' का अर्थ 1212 किया है । बहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपान्तर है ।
2. बहोत्तर को बहत्तर (72) का रूपान्तर क्यों न माना जाय । साला सीताराम ऐसा ही मानते हैं ।

- रास प्रगासों बीसल दे राइ ।
2. एक ग्रन्थ प्रति में यों है—
 सबत सहस सतिहत्तरई जाणि । 3. इस पाठ से सबत् सतहत्तर अर्थात्
 नल्ह कबीसरि कही भ्रमृतवाणि । 1077 निकलता है ।
 गुण गुप्यउ चउहाण का ।
 सुकुलपक्ष पचमी श्रावणमास ।
 रोहिणी नक्षत्र सीहामणउ ।
 सौ दिन गिणि जोइसी जोउइ रास ।
3. एक ग्रन्थ प्रति मे—
 सबत तेर सतोत्तरइ जाणि 4. इसमे 1377 संबत् घाता है ।
 सुक पंचमी नइ श्रावण मास, 5. इसका एक अर्थ हो सकता है :
 हस्त नक्षत्र रविवार सु सतोत्तरह=शत उत्तर एकसौ तेर=
 13 : अर्थात् 1013
4. एक ग्रन्थ मे—
 सबत सहस तिहत्तर जाणि 6. इससे सबत् 1073 निकलता है ।
 नाल्ह कबीसरि सरसिय वाणि
5. डॉ० गुप्त ने एक ग्रन्थ प्रति के आधार
 पर एक संबत् 1309 और बताया
 है । उन्होंने इस प्रति को 'अ० सं०'
 नाम दिया है ।

'बीसलदेव रास' के रचना काल के सम्बन्ध में कठिनाइयों का एक कारण तो यह है कि विविध उपलब्ध पांडुलिपियों में सबत् विषयक पक्तियों में पाठ-भेद है। पांच प्रकार के पाठ-भेद ऊपर बताये गये हैं। इतने संवत्तो में से वास्तविक संबत कौन-सा है, इसे पाठालोचन के सिद्धान्त से भी निर्धारित नहीं किया जा सका। बहुत बड़े विद्वान पाठालोचक डॉ० गुप्त ने टिप्पणी में दिये पूर्व संबत् को नहीं लिया शेष छः को लेकर किसी निर्णय पर न पहुँच सकने के कारण व्यंग्यात्मक टिप्पणी दी है जो पठनीय है : "बैशादि और कार्तिकादि, दो प्रकार के वर्षों के अनुसार इन छ की बारह तिथियाँ बन जाती हैं और यदि 'गत' और 'वर्तमान' सबत् लिये जायें तो उपर्युक्त से कुल चौबीस तिथियाँ होती हैं"। डॉ० गुप्त ने पाठ-भेद की कठिनाई का समाधान निकालने की बजाय तद्विषयक कठिनाइयाँ और बढ़ा के प्रस्तुत कर दी हैं। स्पष्ट है कि पाठालोचन के सिद्धान्त से किसी एक पाठ को वे प्रामाणिक नहीं मान सके। किन्तु यह भी सच है कि काल-निर्धारण में धाने वाली कठिनाइयों की ओर भी ठीक संकेत किया है। संबत् का आरम्भ कही शैत्रादि से माना जाता है तो कही कार्तिकादि से—अतः ठीक-ठीक तिथि निर्धारण के समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरे संबत् का उल्लेख 'गत' के लिये भी होता है, और 'वर्तमान' के लिये भी होता है यथार्थ तिथि निर्धारण में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होता है। अतः काल-निर्धारण में ये भी यथार्थ कठिनाइयाँ मानी जा सकती हैं।

पाठ-भेदों से उत्पन्न कठिनाई के बाद एक कठिनाई उचित अर्थ विषयक भी दिखाई पड़ती है। मान लीजिये कि एक ही पाठ 'बारह सँ बहोत्तराहां मभारि' ही मिलता तो

भी कठिनाई थी कि 'बहोत्तराहा' का अर्थ आचार्य शुक्ल की भाँति 1212 किया जाय या 12 सँ 72 (1272) किया जाय। आचार्य शुक्ल ने 1212 के साथ तिथि को पंचांग से पुष्ट कर लिया है, क्योंकि कवि ने केवल संवत् ही नहीं दिया बरन् महीना-जेठ, पक्ष बदी (कृष्ण पक्ष), तिथि नवमी और दिन बुधवार भी दिया है। 1212 को प्रामाणिक मानने के लिये यह विस्तृत विवरण पंचांग सिद्ध हो तो संवत् भी सिद्ध माना जा सकता था। पर पाठ-भेदों के कारण यह सिद्ध संवत् भी अप्रामाणिक कोटि में पहुँच गया।

अतः अर्थान्तर की कठिनाई पचाग के प्रमाण से दूर होते-होते, पाठान्तर के भ्रमेसे से निरर्थक हो गई।

पाठ दोष की कठिनाई हस्तलेखों में बहुत मिलती है, यथा—

“संवत् श्रुति शुभ नागशशि, कृष्णा कार्तिक मास

रामरसा तिथि भूमि सुत वासर कीन्ह प्रकाश¹

यहाँ टिप्पणी यह दी गई है कि “शुभ के स्थान पर जुग किये बिना कोई अर्थ नहीं बँठता।” अतः ‘शुभ’ पाठ-दोष का परिणाम है। ‘पाठ-दोष’ को दूर करने का वैज्ञानिक साधन, पाठालोचन ही है, पर जहाँ मात्र ग्रन्थ-विवरण लिये गये हो वहाँ दोष की ओर इंगित कर देना भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा, ‘शुभ’ के स्थान पर ‘जुग’ रखने का परामर्श पाठालोचन के अभाव में अच्छा परामर्श माना जा सकता है। इस कवि की प्रकृति भी ‘अंको’ की शब्दों में देने की है : इसीलिये तिथि तक भी राम = 3 एवं रसा = 1 (= 13 = त्रयोदशी) अंकाना वामनो गतिः से बताया है।

पाठ-दोष का यह रूप उस स्थिति का छोटक है जिसमें मूल पाठ से प्रति प्रस्तुत करने में दोष आ जाता है।

‘पाठ-दोष’ के लिये ‘भ्रान्त-पठन’ मूल कारण होता है। एक और उदाहरण तेरहवें खोज विवरण² से दिया जाता है—

किन्तु लिपिकारों ने प्रतिलिपि में ऐसी भयकर भूले की हैं कि ग्रन्थारम्भ का समय ‘एकादश संवत् समय और पाठ निराधार’ हों गया है, जिसका अर्थ होगा $11 + 60 = 71$ जो निरर्थक है। पहला शब्द ‘एकादश’ नहीं है, यह ‘सत्रहसँ’ होना चाहिये अर्थात् $1700 + 60 = 1760$, जो समाप्त काल के पद्य से सिद्ध हो जाता है।

“गये जो विक्रम बीर विताय। सत्रह सँ अरू साठि गिनाय”

ऐसे ही एक लिपिकार ने ‘साठि’ का ‘आठि’ करके ५२ वर्ष का अन्तर कर दिया है। फिर भी यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दो भिन्न-भिन्न लिपिकारों ने ‘सत्रह सँ’ को ‘एकादश’ कैसे पढ़ लिया? अवश्य ही यह दोष उस प्रति में रहा होगा, जिससे इन दोनों ने प्रतिलिपि की है।

अथवा, यह विदित होता है कि इस प्रकार ‘सत्रह सँ’ को ‘एक दश’ लिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक ने दूसरे से प्रतिलिपि की तभी एक के भ्रान्त पाठ को दूसरे ने भी

1. त्रयोदश वैशाखिक विवरण, पृ० 28।

2. वही, पृ० 86।

दे दिया। एक कारण यह भी हो सकता है कि मूल की लेखन-पद्धति कुछ ऐसी हो कि 'सत्रह सैं', 'एकादश' पढ़ा गया। 'साठ का घाठ' भी भ्रान्त वाचना पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार एक पाठ में है :

सौलह सैं बालीस में संवत प्रबधारू
चैतमास शुभ पछ पुष्य नवमी भृगुबारू ।

इसमें चालीस का ही 'बालीस' हो गया है। एक अन्य पाठ से 'चालीस' की पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि यह 'बालीस' बयालीस (42) नहीं है।¹

यह 'पाठ-दोष' या भ्रान्त वाचना कभी-कभी इतनी विकृत हो सकती है कि उसका मूल कल्पित कर सकना इतना सरल नहीं हो सकता जितना कि बालीस को चालीस रूप में शुद्ध बना लेना।

ऐसा एक उदाहरण यह है—

री भव बक्र सोनाणइ नदु जुत
करी समय (समय) जानी,
भसाइ सी सीत मुम पंचमी
सनी को वासर मानी।

इस काल घोटक पद्य का प्रथम चरण इतना भ्रष्ट है कि इसका मूल रूप निर्धारित करना कठिन ही प्रतीत होता है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो कल्पना से रूप प्रस्तुत किया है वह उनकी विद्वता और पांडित्य से ही सिद्ध हो सका है। उन्होंने मुझाव दिया है कि इसका मूल पाठ यह हो सकता है—

"विधि भव वक्र सुनाग इन्दुजुत करी समय जानी" और इसका अर्थ किया है :

विधि वक्र	:	4
भव वक्र	:	5
नाग	:	8
इंदु	:	1

अतः सवत् ह्रमा 1854

हमने यह देखा कि पुष्पिकाओं में सवत् का उल्लेख होता था और यह सवत् विक्रम सवत् था। ऊपर के सभी उदाहरण विक्रम सवत् के घोटक हैं, किन्तु ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे ये हैं :

संमत सत्रह से ऐकानवे होई
एगारह सैं सन पैतालिस सोई
भगहन मास पछ भजीधारा
तीरथ तीरोदसी सुकर सँवारा ।

इसमें 'भजीधारा' का रूप तो 'उजियारा' अर्थात् शुक्ल : उज्वल पक्ष है 'तीरथ'

1. हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का अकारण्य वंशाधिक विवरण, पृ० 18 ।

गलत छया है यह 'तिथि' है। 'तीरोदसी' त्रयोदशी का विकृत रूप है। किन्तु-को विशेष रूप से दृष्टव्य है वह यह है कि इसमें सवत् 1791 दिया गया है और सन् 1145 दिया गया है। एक पुष्पिका इस प्रकार है

सन बारह सँ धसी है सबत बँहु बताय
बोनइस सँ बोनतीस में तो लिखि कहे उ बुझाय ।¹

यहाँ कवि ने सन् बताया 1280 और उसका सवत् भी बताया है 1929। सवत् तो विक्रमी है सन् है फसली। ऊपर भी सन् से फसली सन् ही अभिप्रेत है।

प्रब जायसी के उल्लेखों का लीजिये। वे खालिरी कलाम में लिखते हैं—

‘मा प्रबतार मार नब सदी
तीस बरिल कवि ऊपर बदी।

× × ×

सन् नब सँ संतालिस प्रहे।
कथा प्रारम्भ बँन कवि कहे

जायसा² ने सन् वा उल्लेख किया है। यह सन् है हिजरी ता स्पष्ट है कि हिम्री रचनाओं में हिजरी सन् वा भी उल्लेख है और 'फसली सन् का भी।

भारत के अभिलेखा और ग्रन्थों में दा या नान सवत् या सन् ही नहीं प्राय, कितने ही सबतों का उल्लेख हुआ है। इसलिए उ हे अपने प्रचलित ईस्वी सन् और विक्रमी नियमित सवतों में उन्हें बिठाने में कठिनाई होती है।

विविध सन् सवत्

हम यहाँ पहले उन सवतों का विवरण दे रहे हैं जो हमें भारत में शिलालेखों और अभिलेखों में मिली हैं। यह हम देख चुके हैं कि पहले बडली के शिलालेख में वीर सवत् का उपयोग हुआ। यह शिलालेख महावीर क निर्वाण से 84 वे वर्ष में लिखा गया था। इस एक प्रपवाद को छोड़ कर बाद में शिलालेखों और ग्रन्थों में वीर सवत् का उपयोग नहीं हुआ है। उन ग्रन्थों में इसका उपयोग प्रायः चलकर हुआ है।

फिर ग्रन्थों के शिलालेखों में और प्रायः राज्य-व्यय का उल्लेख हुआ है।

नियमित सवत्

सबसे पहले जो नियमित सवत् अभिलेखों में उपयोग में प्राया वह बस्तुतः शक सवत् था।

शक-सवत्

शक-सवत् अपने 500 वें वर्ष तक प्रायः बिना 'शक' शब्द के मात्र 'वर्ष' या कभी-कभी मात्र सबत्सरे शब्द से अभिहित किया जाता रहा।

1 कलरहलीं लैबाणिक विवरण, पृ० 124।

2 जायसी लिखित पद्यात्मक के रचनाकाल के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं, पाठ-भेद से कोई इतने सन् वर्ष से सताइस वर्ष मानते हैं विद्वानों में इसका अच्छा विवाद रहा है।

शकः 500 वें वर्ष से 1262 वें वर्ष के बीच इसके साथ 'शक' शब्द लक्ष्मी-शका, जिसका अर्थिमाय यह था कि 'शकनृपति के राज्यारोहण के समय से' ।

शाके शालिवाहने

फिर चौदहवीं शताब्दी में शक के साथ शालिवाहन धीरे-धीरे जोड़ा जाने लगा । 'शाके-शालिवाहन-संवत्' वही शक-संवत् था, पर नाम उसे शालिवाहन का धीरे-धीरे दे दिया गया ।

शक-संवत् विक्रम संवत् से 135 वर्ष उपरान्त अर्थात् 78 ई० में स्थापित हुआ । इस प्रकार विक्रम सं० से 135 वर्ष का अन्तर शक-संवत् में है और ईस्वी सन् में 78 वर्ष का ।

पूर्वकालीन शक-संवत्

यह विदित होता है कि शको ने अपने प्रथम भारत-विजय के उपलक्ष्य में 71 या 61 ई० पू० में एक संवत् चलाया था । इसे पूर्वकालीन शक-संवत् कह सकते हैं । विम कदफित का राज्य-काल इसी संवत् के 191 वें वर्ष में समाप्त हुआ था । यह संवत् उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र में उपयोग में आया था । बाद का शक-संवत् पहले दक्षिण में धारम्भ हुआ फिर समस्त भारत में प्रचलित हुआ । जैसा ऊपर बताया जा चुका है यह 78 वे ईस्वी संवत् में धारम्भ हुआ था ।

कुषाण-संवत्

(यही कनिष्क संवत् भी कहलाता है)

इसकी स्थापना सम्राट् कनिष्क ने ही की थी । वह संवत् कुछ इस तरह लिखा जाता था + 'महाराजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य संवत्सरे 10 अत्र 2दि9 ।' इसका अर्थ था कि महाराजा देव पुत्र कनिष्क के संवत्सरे 10 की ग्रीष्म ऋतु के दूसरे पाख के नवमे दिन या नवमी तिथि को ।

कनिष्क ने यह संवत् ई० 120 में चलाया था । इसका प्रचलन प्रायः कनिष्क के वंशजों में ही रहा । 100 वर्ष के लगभग ही यह प्रचलित रहा होगा । इसके बाद उसी क्षेत्र में पूर्वकालीन शक-संवत् का प्रचार हो गया ।

कृत, मालव तथा विक्रम संवत्

कृत, मालव तथा विक्रम संवत् नाम में जो संवत् चलता है वह राजस्थान धीरे-धीरे मध्य-प्रदेश में संवत् 282 से उपयोग में आना मिलता है ।

ये नाम तो तीन हैं : पहले 'कृत-संवत्' का उपयोग मिलता है, बाद में इसे मालव कहा जाने लगा और उसके भी बाद इसी को 'विक्रम-संवत्' भी कहा गया । आज विद्वान इस तथ्य को कि कृत, मालव तथा विक्रम-संवत् एक संवत् के ही नाम हैं निश्चिन्त रूप से स्वीकार करते हैं । इन नामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

1. "कृतयोद्धं योर्षव शतयोद्धं य शीतयोः 200 + 80 + 2 चंद्र पूर्णमास्याम्" ।¹
2. श्री मालवगणान्नाते प्रशस्ते कृतसजिते । कष्टयन्त्रिके प्राप्ते समागत चतुष्टये । दिने

¹ Pandey, R.B.--Indian Palaeography, P. 199.

शाम्बोज शुक्लस्य पंचमयात्रय सस्कृते ।¹ इसमें कृत को मालवगण का संवत् बताया गया है ।

3. मालवकालाब्धरदां षटत्रिंशत्-सयुते ध्वतीतेषु । नवमु शतेषु मघाबिह ।²
इसमें केवल मालव-काल का उल्लेख हुआ है ।
4. विक्रम संवत्सर 1103 फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया ।

इसमें केवल 'विक्रम-संवत्' का उल्लेख है । 1103 के बाद विक्रम नाम का ही विशेष प्रचार रहा और प्रायः समस्त उत्तरी भारत में यह संवत् प्रचलित हो गया (बंगाल को छोड़ कर) ।

यह संवत् 57 ई० पू० में प्रारम्भ हुआ था । इसमें 135 जोड़ देने से शक-संवत् मिल जाता है ।

विक्रम-संवत् के सम्बन्ध में ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं :

1. उत्तर में इस संवत् का प्रारम्भ चैत्रादि है । चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह चलता है ।
2. यह उत्तर में पूर्णिमान्त है—पूर्णिमा को समाप्त माना जाता है ।
3. दक्षिण में यह कार्तिकादि है । कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है और 'प्रमान्त' है, प्रमावस्था को समाप्त हुआ माना जाता है ।

गुप्त संवत् तथा वलभी संवत्

विद्वानों का निष्कर्ष है कि गुप्त-संवत् चन्द्रगुप्त-प्रथम द्वारा चलाया गया होगा । इसका प्रारम्भ 319 ई० में हुआ । यह चैत्रादि संवत् है और चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है । इसका उल्लेख 'गतवर्ष' के रूप में होता है, जहाँ 'वर्तमान' वर्ष का उल्लेख है, वहाँ एक वर्ष अधिक गिनना होगा ।

वलभी (गोगाष्ट्र) के राजाओं ने गुप्त-संवत् को ही अपना लिया था पर उन्होंने अपनी राजधानी 'वलभी' के नाम पर इस संवत् का नाम 'गुप्त' से बदल कर 'वलभी' संवत् कर दिया था, क्योंकि वलभी संवत् भी 319 ई० में प्रारम्भ हुआ, अतः गुप्त और वलभी में कोई अन्तर नहीं ।

हर्ष-संवत्

यह संवत् श्री हर्ष ने चलाया था । श्री हर्ष भारत का अन्तिम सम्राट माना जाता है । हल्लेफ़ेनी ने बताया कि एक काश्मीरी पचाय के साधारण पर हर्ष विक्रमादित्य से 664 वर्ष बाद हुआ । इस दृष्टि से हर्ष-संवत् 599 ई० में प्रारम्भ हुआ । हर्ष-संवत् उत्तरी भारत में ही नहीं नेपाल में भी चला और लगभग 300 वर्ष तक चलता रहा ।

य कुरु संवत् अभिलेखो और शिलालेखो, ताम्रपत्रो प्रादि के साधारण पर प्रामाणिक है । इन्हे पश्य संवत् कथा जा सकता है । इनकी ऐतिहासिक हस्तलेखो के काल-निर्धारण में सहायक माना जा सकता है ।

एतः भारत में और कितने ही संवत् प्रचलित है जिनका ज्ञान होना इसलिये भी

1. वही. पृ० 200 ।
2. वही. पृ० 201 ।

आवश्यक है कि पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को न जाने कब किस सन् संवत् से साक्षात्कार हो जाय ।

सप्तषि संवत्

लौकिक-काल, लौकिक-संवत्, शास्त्र-संवत्, पहाड़ी-संवत् या कच्चा-संवत् । ये सप्तषि-संवत् के ही विविध नाम हैं ।

सप्तषि-संवत् काश्मीर में प्रचलित रहा है । पहले पंजाब में भी था । इसे सप्तषि-संवत् सप्तषि (सातों तारों के विख्यात मङ्गल) की चाल के आधार पर कहा गया है । ये सप्तषि 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक पर 100 वर्ष रुकते हैं । इस प्रकार 2700 वर्षों में ये एक चक्र पूरा करते हैं । यह चक्र काल्पनिक ही बताया गया है । फिर नया चक्र प्रारम्भ करते हैं । इस संवत् को लिखते समय 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी का अंक छोड़ देते हैं, फिर 1 से प्रारम्भ कर देते हैं । इस संवत् का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और इसके महीने पूर्णिमांत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तरी भारत में विक्रम-संवत् के होते हैं ।

इसका अन्य संवत्तों से सम्बन्ध इस प्रकार है :

शक से—शताब्दी के शक रहित सप्तषि-संवत् में 46 जोड़ने से शताब्दी के शक-रहित शक (गत) संवत् मिलता है । 81 जोड़ने से चैत्रादि विक्रम (गत), 25 जोड़ने से कलियुग (गत), और 24 या 25 जोड़ने से ई०स० प्राता है ।

कलियुग-संवत्

भारत-बुद्ध-संवत् एव बुधिष्ठिर-संवत् भी यही है :

यह सामान्यतः ज्योतिष ग्रन्थों में लिखा जाता है, पर कभी-कभी शिलालेखों पर भी मिलता है ।

इसका प्रारम्भ ई०पू० 3102 से माना जाता है ।

चैत्रादि गत विक्रम-संवत् में 3044 जोड़ने से,

गत शक-संवत् में 3179 जोड़ने से,

और ईसवी सन् में 3101 जोड़ने से

गत कलियुग-संवत् प्राता है ।

बुद्ध-निर्वाण-संवत्

बुद्ध-निर्वाण के वर्ष पर बहुत मत-भेद हैं । प० गौरीशंकर हीराचन्द भोभाजी 487 ई०पू० में अधिक सम्भव मानते हैं । अतः बुद्ध-निर्वाण-संवत् का प्रारम्भ 487 ई०पू० से माना जा सकता है । बुद्ध-निर्वाण-संवत् का उल्लेख करने वाले शिलालेखादि संख्या में बहुत कम मिले हैं ।

बार्हस्पत्य-संवत्सर

ये दो प्रकार के मिलते हैं : एक 12 वर्ष का दूसरा 60 वर्ष का ।

1 कलियुग संवत् भारत-बुद्ध की समाप्ति का घटक है और बुधिष्ठिर के राव्यारोहण का भी । अतः इसे भारत-बुद्ध-संवत् एव बुधिष्ठिर-संवत् कहते हैं । कलियुग नाम से यह न समझना चाहिये कि इसी संवत् से कलि आरम्भ हुआ । कलियुग कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ हो चुका था ।

बारह वर्ष का

ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी से पूर्व इस संबत् का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति की गति के आधार पर इसका 12 वर्ष का चक्र चलता है। इसके वर्ष महीनों के नाम चैत्र, वैशाखादि पर ही होते हैं पर बहुधा उनके पहले 'महा' शब्द लगा दिया जाता है, जैसे—महाचैत्र, महाफाल्गुन आदि। घस्त होने के उपरान्त जिस राशि पर बृहस्पति का उद्भव होता है, उस राशि या नक्षत्र पर ही उस वर्ष का नाम 'महा' लगा कर बताया जाता है।

साठ (60) वर्ष का

दूसरा सवत्सर 60 वर्ष के चक्र का है। बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष के 361 दिन, 2 घड़ी और 5 पल ठहरता है। इसके 60 वर्षों में से प्रत्येक को एक विशेष नाम दिया जाता है। इन साठ वर्षों के ये नाम हैं

1. पूषव, 2. विभव, 3. शुक्ल, 4. प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अगिरा, 7. श्रीमुख, 8. भाव, 9. युवा, 10 घाता, 11 ईश्वर, 12. बहुधाय, 13 प्रभावी, 14 विक्रम, 15. वृष, 16 चित्रभानु, 17. मुभानु, 18. तारण, 19. पाषिव, 20 व्यय, 21. सर्व-जित, 22 सर्वधारी, 23. विरोधी, 24. विकृति, 25 स्वर, 26 नन्दन, 27. विजय, 28 जय, 29 मन्मथ 30, दुर्मुख, 31 हेमलव, 32 विलम्बी, 33. विकारी, 34. शाबंरो, 35 प्लव, 36. शुभकृत, 37 शोभन. 38 क्रोधी, 39. विश्वावसु, 40. परामव, 41. प्लवन, 42 कीलक, 43 सोम्य, 44 साधारण. 45 विरोधकृत, 46 परिघावी, 47. प्रभावी, 48. भ्रान्त, 49 राक्षस. 50. अनल, 51. पिगल, 52 कालयुक्त, 53. सिद्धार्थी, 54 रौद्र, 55. दुर्मति, 56 तु दुभी, 57 रुधरोद्गात्री, 58. रक्ताक्ष, 59 क्रोधन और 60. क्षय।

इस सवत्सर का उपयोग दक्षिण में ही अधिक हुआ है उत्तरी भारत में बहुत कम। बाहंस्पत्य-सवत् का नाम निकालन की विधि बाराहमिहिर ने यो बताया है—

जिस शक सवत् का बाहंस्पत्य वर्ष नाम मालूम करना इष्ट हो उसका गत शक सवत् लेकर उसको 11 से गुणित करो, गुणनफल को चौगुना करो, उसमें 8589 जोड़ दो जो जोड़ घाये उसमें 3750 से भाग दो, भजनफल को इष्ट गत शक सवत् में जोड़ दो जो जोड़ मिले उसमें 60 का भाग दो, भाग देने के बाद जो शेष रहे उस सख्या को यह उक्त प्रश्नवादि सूची में जो नाम क्रमात् घाये वही उस इष्ट गत शक सवत् का बाहंस्पत्य-वर्ष का नाम होगा।

दक्षिण बाहंस्पत्य-सवत्सर का नाम यो निकाला जा सकता है कि 38 गत शक सवत् में 12 जोड़ो और योगफल में 60 का भाग दो—जो शेष बचे उस सख्या का वर्ष नाम अभीष्ट वर्ष नाम है या इष्ट गत कलिगुण-सवत् में उक्त नियमानुसार पहले 12 जोड़ो, फिर 60 का भाग दो—जो शेष बचे उसी सख्या का प्रश्नवादि क्रम से नाम बाहंस्पत्य-वर्ष का अभीष्ट नाम होगा।

ग्रह परिवृत्ति-संवत्सर

यह भी 'चक्र आश्रित' संबत् है। इसमें 90 वर्ष का चक्र रहता है। 90 वर्ष पूरे होने पर पुनः 1 से आरम्भ होता है। इसमें भी शताब्दियों की सख्या नहीं दी जाती, केवल वर्ष सख्या ही रहती है, इसका आरम्भ ई० पूर्ब 24 से हुआ माना जाता है।

इस संवत् को निकालने की विधि—

1. वर्तमान कलियुग संवत् मे 72 जोड़ कर 90 का भाग देने पर जो शेष रहे वह संख्या ही इस संवत्सर का वर्तमान वर्ष होगा।

2. वर्तमान शक संवत् मे 11 जोड़ कर 90 का भाग दीजिये। जो शेष बचे उसी संख्या वाला इस संवत्सर का वर्तमान वर्ष होगा।

हिजरी सन्

यह सन् मुसलमानों में चलने वाला सन् है। मुसलमानों के भारत में आने पर यह भारत में भी चलने लगा।

इसका आरम्भ 15 जुलाई 622 ई० तथा संवत् 679 श्रावण शुक्ला 2, विक्रमी की शाम से माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पैगम्बर मुहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा था, इस छोड़ने को ही अरबी में 'हिजरह' कहा जाता है। इसकी स्मृति का सन् हुषा हिजरी सन्। इस सन् की प्रत्येक तारीख सायकाल से आरम्भ होकर दूसरे दिन सायकाल तक चलती है। प्रत्येक महीने के 'चन्द्र दर्शन' से महीने का आरम्भ माना जाता है, अतः यह चन्द्र वर्ष है।

इसके 12 महीने के नाम ये हैं - 1-मुहर्रम, 2-सफर, 3-रबी उल् अब्बल, 4-रबी उल आखिर या रबी उस्सानी, 5-जमादि उल् अब्बल, 6-जमादिउल आखिर या जमादि उस्सानी, 7-रजब, 8-शाबान, 9-रमजान, 10-शबवाल, 11-रज्जिदाद और 12-जिलाहिज्ज। म० भ० प्रोफ़ा जी ने बताया है कि 100 सौर वर्षों में 3 चन्द्र वर्ष 24 दिन और 9 घड़ी बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में इसवी सन् (या विक्रम संवत्) और हिजरी सन् का परस्पर कोई निश्चित अंतर नहीं रहना, वह बदलता रहना है। उसका निश्चय गणित से ही होता है¹।

'शाहूर' सन् या 'सूर' सन् या 'अरबो' सन्

इसका आरम्भ 15 मई, 1344 ई० तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 2, 1401 विक्रमी मे जबकि सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर आया था, 1 मुहर्रम हिजरी सन् 745 मे हुआ था। इसके महीनों के नाम हिजरी सन् के महीनों के नाम पर ही हैं। पर, इसका वर्ष गौर वर्ष होता है, हिजरी की तरह चन्द्र नहीं। जिस दिन सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर आता है, 'मृगेरवि'; उसी दिन से इसका नया वर्ष आरम्भ होता है, अतः इसे 'मृग-साल' भी कहा जाता है।

इम सन् मे 599-600 मिलाने से ईसवी सन् मिलता है, और 656-657 जोड़ने से विक्रम संवत् मिलता है। इस सन् के वर्ष अको की बजाय अक द्योतक अरबी शब्दों मे लिखे जाते हैं। यह सन् मराठी मे काम में लाया जाता था। मराठी मे अको के द्योतक अरबी शब्दों मे कुछ विकार प्रथम्य आ गया है, जो भाषा-वैज्ञानिक-प्रक्रिया मे स्वाभाविक है। नीचे अंको मे लिये अरबी शब्द दिये जा रहे हैं और कोष्ठक मे मराठी रूप। यह मराठी रूप प्रोफ़ाजी ने मोलेसेवर्थ के मराठी अंग्रेजी कोश से दिये हैं :

1-अहद् (अहद, इहदे)

2-अन्ना (इमन्ने)

3-सलालह (सल्लोस)

4-अक्का

- 5-सम्मा (सम्मस)
 6-सित्त (सिन ऽ=सित्त)
 7-सवा (सब्बा)
 8-समानिष्ठा (सम्मान)
 9-तसप्पा (तिस्सा)
 10-अशर
 11-अहद् अशर
 12-अस्सा (इसने) अशर
 13 सलासह् (सल्लास) अशर
 14-अरवा अशर
 20-अशरीन्
 30-सलासीन (सल्लासीन)
 40-अरवईन्
 50-सम्मीन्
 60-सिसीन (सित्तैन)
 70-सवीन् (सब्बैन)
 80-समानीन (सम्मानीन)
 90-तिमईन् (तिस्सेन)
 100-माया (मया)
 200-अशतीन (अशतैन)
 300-सलास माया (सल्लास माया)
 400-अरवा माया
 1000-अलक् (अलफ)
 10000-अशर अलक्

इन अक-सूचक शब्दों में सन् लिखने से पहिले शब्द से इकाई, दूमरे से दहाई, तीसरे से सैकड़ा और चौथे से हजार बतलाये जाते हैं जैसे कि 1313 के लिए 'सलासी अश्रो सलास माया व अलफ'¹ लिखा जायेगा।

फसली सन्

यह सन् अकबर ने चलाया। फसली शब्द से ही विदित होता है कि इसका 'फसल' से सम्बन्ध है। 'रवी' और 'खरोफ' फसलों का हासिल निर्धारित महीनों में मिल सकने इसके लिये इसे हिजरी सन् 971 में अकबर ने आरम्भ किया। हिजरी 971 वि० सं० 1620 में और ईस्वी 1563 में पड़ा। इन फसली सन् में वर्ष तो हिजरी के रक्के गये पर वर्ष सौर (चाद्रसौर) वर्ष के बराबर कर दिया गया। महीने भी सौर (या चन्द्रसौर) मान के माने गये।

यह सन् अब तक भी कुछ न कुछ प्रचलित है, पर अलग-अलग क्षेत्र में इसका आरम्भ अलग-अलग माना जाता है, यथा :

1. भारतीय प्राचीन लिपिशास्त्र, पृ० 191।

पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में इसका प्रारम्भ भाषित, कुष्णा 1 (पूर्णिमान्त) से, अतः इस सन् मे 592-93 जोड़ने से ईसवी सन् 649-50 जोड़ने से विक्रम सं० मिल जाता है ।

दक्षिण में यह संबन्ध कुछ बाद मे प्रचलित हुआ । इससे उत्तरी और दक्षिणी फसली 'मनो' मे सवा दो वर्ष का अन्तर हो गया—दक्षिण के फसली सन् से विक्रम-संबन्ध जानने के लिये उसमें 647-48 जोड़ने होते और ईसवी सन् के लिये 590-91 जोड़ने होंगे :

सवतो का सम्बन्ध

सन्	प्रचलित	प्रारम्भ	भाग और वर्ष नौर	विक्रम सं० विकासना	ईसवी सन् विकासना
1	2	3	4	5	6
विलासती सन्	उड़ीसा तथा बंगाल के कुछ भागों मे	सौर भाषित अर्थात् कस्या सक्रान्ति । मासक्रम चैत्रदि जिस दिन संक्रान्ति का प्रवेश उमी दिन पहुँचा दिन		649-50 जोड़ने से	592-93 जोड़ने से
भमली सन्	उड़ीसा के अथापारियों मे एवं कव-हरियों मे	भाद्रपद शुक्ला 12 मे			
बगाली सन् या बंगालाब्द बंगीबद	बंगाल मे चिटगाँव मे	सौर बंगाब, मेव सक्रान्तिसे संक्रान्ति प्रवेश के दूसरे दिन से बगाली सन् से 45 वर्ष पीछे	महीने मीर (अतः पाव. एव लिपि नहीं)	650-51 जोड़ने से	593-94 जोड़ने से
इलाही सन्	अकबर ने हिजरी सन् के स्थान पर प्रचलित किया	अकबर के रज्यारोहण की तिथि 2 रबी उसमाती हिजरी 963 मे दिन पीछे ईरानी वर्ष के पहिले महीने	ईरानी ईरानी महीनो के अनुसार इस मन् के महीनो के नाम 1-फरवर-2-उन्वदहिन, 3-खुदाद, 4-तीर,	695-96 जोड़ने से	638-39 जोड़ने से
				1912 जोड़ने से	1555-56 जोड़ने से

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

फरवरीन के पहले दिन से, तदनुसार
 11 मार्च 1556 ई० / वैश कृष्ण
 समावस सं० 1612 से ।

5-अमरदाद, 6-शहरेबर, 7-मेहर
 8-आवा (आवाय), 9-आजर (आजर),
 10-दे, 11-बहमन, 12-अस्फादियारमद्
 ईरानी सन् के अनुसार दिनों के अक नही
 होते शब्दों से उनके नाम दिये जाते है ।
 सहाय क्रम से नाम ये है 1-अहमद,
 2-बहमन, 3-उदितब्रह्मिण, 4-शहरेबर
 5-सफारमद्, 6-खुदाद, 7-मुरदाद
 (अमरदाद), 8-देपाहर, 9-आजर
 (आजर), 10-आवा (आवाय), 11-
 खुरखेद्, 12-माह (मोर), 13-नीर,
 14-गोज, 15-देपमेहर, 16-मेहर,
 17-मरोश, 18-रखनह, 19-फरवरदीन,
 20-बेहराम, 21-राम, 22-गोबाद,
 23-देपदीन, 24-दीन, 25-अर्द
 (आशीरव्य): आस्ताद्, 27-आस्मान्, 28-
 जमिआद, 29-मेहरेसंद, 30-अनेरा,
 31-रोज, 32-शब । इनसे से 30 ती
 इरानियों के दिनों (तारीखों) के ही है और
 अन्तिम दो नये रखे गये है ।¹

1. फरवरी आशीव तदियावा, पृ० 193 ।

1	2	3	4	5	6
कलचुरी सब्द या भीरसब्द श्रृङ्खलक	1 किन्ते चलाया अनाल । 2 दक्षिण गुजरात कोकण मध्य प्रदेश के किला लेखी मे । 3 चालुक्य गुजर सद्रक कलचुरी श्रृङ्खलक वया के राजाओं के है । ई सन् 1207 के बाद इसका प्रचलन बन्द । जसलमेर ।	26 अगस्त 249 ई० तदनुसार आश्विन शुक्ल 1 सं० 306 से आरम्भ		305-6 जोडने से गत चैत्रादि विक्रम सं०	248-49 जोडने से
आटिक (भट्टिक) सब्द कोल्लम (कोलम्ब) या परशुराम सब्द		भाटी राजाओं के प्रवज भट्टिक द्वारा । उत्तरी मलाबार मे कया सक्राति सौर आश्विन से प्रारम्भ । दक्षिणी मलाबार मे सिंह-सक्रान्ति सौर भाद्रपद से । 20 अक्टूबर 879 ई तदनुसार कालिक शु 1 936 वि स (चैत्रादि) मे		680-81 जोडने से	623-24 जोडने से 824-25 जोडने से
बेवार (नेपाल) सब्द		मलाबार स क-या कुमारी एव पित्रे वैल्लि नेपाल मे प्रचलित	वय मोर महिनो के नाम सक्राति नाम मे या चैत्रादि नाम से वतमान सबद		गत नेपाल स मे 935-36 जोडने से

संवत्सों और सनों का यह विवरण सजेप मे दिया गया है। इस्तलेखों मे विविध सबतों और सनों का उपयोग मिलता है। उन संवत्सों के परिज्ञान से ऐतिहासिक कालक्रम मे उन्हें बिठाने में सहायता मिलती है, इससे काल-निर्णय की समस्या का समाधान भी एक सीमा तक होता है। इस परिज्ञान की इतिहासकार को तो आवश्यकता है ही, पांडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये भी है, और कुछ उससे अधिक ही है, क्योंकि यह परिज्ञान पांडुलिपि-विज्ञानार्थी की प्रारम्भिक आवश्यकता है, जबकि इतिहासकार के लिये भी सामग्री प्रदान करने वाला यह विज्ञानार्थी ही है।

सन्-संवत् को निरपेक्ष कालक्रम (Absolute chronology) माना जाता है, फिर प्रत्येक सन् या संवत् अपने प्राप में एक अलग इकाई की तरह राज्य-काल-गणना की ही तरह काल-क्रम को ठीक बिठाने में अपने प्राप में सक्षम नहीं है। अशोक के राज्यारोहण के प्राठवें या बारहवें वर्ष का ऐतिहासिक कालक्रम में क्या महत्त्व या अर्थ है। मान लीजिये अशोक कोई राजा 'क' है, जिसके सम्बन्ध मे हमें यह ज्ञात ही नहीं कि वह कब गद्दी पर बैठा। इस 'क' के राज्य वर्ष का ठीक ऐतिहासिक काल-निर्धारण तभी सम्भव है जब हमे किसी प्रकार की अपनी परिचित काल-क्रम की शृंखला, जैसे ई० सन् या वि० स० मे 'क' के राज्यारोहण का वर्ष चिदित हो, अतः किसी अन्य साधन से अशोक का ऐतिहासिक काल-निर्धारण करना होगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अशोक ने तेरहवें शिलालेख में समसामयिक कुछ विदेशी राजाओं के नाम लिये हैं जैसे-यूनानी राजा आतिशोकस द्वितीय का उल्लेख है और उत्तरी अफ्रीका के शासक द्वितीय टालेमी का भी है। टालेमी का शासन-काल ई० पू० 288-47 था। डॉ० वासुदेव उपाध्याय¹ ने बताया है कि 'इस तिथि 282 में से 12 वर्ष (अभिषेक के 8वें वर्ष में तेरहवां लेख खोदा गया तथा अशोक अपने अभिषेक से चार वर्ष पूर्व सिंहासनाब्द हुआ था) घटा देने में ई० पू० 270 वर्ष अशोक के शासक होने की तिथि निश्चित हो जाती है।² अतः अशोक 'क' के समकालीन 'ख', 'ग' की निर्धारित तिथि के आधार पर 'क' के राज्यारोहण की तिथि निर्धारित की जा सकी।

इसी प्रकार विविध संवत्सों में भी परस्पर के सम्बन्ध का मून जहाँ उपलब्ध हो जायगा वहाँ एक को दूसरे में परिणत करके परिचित या स्यात कालक्रम-शृंखला बँटाकर सार्थक काल-निर्णय किया जा सकता है।

यथा 'लक्ष्मणसेन संवत्' के निर्धारण में ऐसे उल्लेखों से सहायता मिलती है जैसे 'स्मृति तत्त्वामृत' तथा 'नरपतिजय च्या टीका' नामक हस्तलिखित ग्रन्थों मे मिले हैं। पहली में पुष्पिका में अ० सं० 505 शाके 1546' और दूसरी में 'शाके 1536 ल'

1. उपाध्याय, वासुदेव (डॉ०) प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 210

2. सी. एम. ब्रुक ने 'द कोनोस्तानी ऑफ इंडियन हिस्ट्री' में इस सम्बन्ध मे यो लिखा है "Among his Contemporaries were Antiochos II of Syria (B. C. 260-247), Ptolemy Philadelphos (285-247), Antigonos gonatos of Makedomia (278-242), Magas of kyrene (d. 258), and Alexander of eperios (between 262 and 258), who have been identified with the kings mentioned in his thirteenth edict. Senart has come to somewhat different conclusions regarding Asoka's initial date 'Faking the synchronism of the greek kings as the basis of his calculation, he fixes. Asoka's accession in B. C. 273 and his coronation in 269.

सं० 494 लिखा है। लक्ष्मणसेन के एक संवत् के समकालीन समकक्ष दूसरे एक-संवत् का उल्लेख है। इससे दोनों का अन्तर विदित हो जाता है और हम जान जाते हैं कि यदि लक्ष्मणसेन संवत् में 1041 जोड़ दिये जायें तो शक संवत् मिस जायेगा। शक संवत् से अन्य सबतो और सन् के वर्ष ज्ञात हो सकेंगे। फलतः किसी अन्य संवत् से सम्बन्ध होता है, तो काल-चक्र में यथास्थान बिठाने में सहायता मिलती है।

कुछ ऐसे सन् या संवत् भी हैं, जिनसे किसी अज्ञात संवत् का सम्बन्ध ज्ञात हो जाय तब भी काल-क्रम में ठीक स्थान जानना कठिन रहता है और इसके लिये विशेष गणित का सहारा लेना पड़ना है। जैसे हिजरी सन् से संवत् विदित भी हो जाय तब भी गणित की विशेष सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि इसक महीना और वर्षों का मान बदलता रहता है क्योंकि यह शुद्ध चान्द्र-वर्ष है। पचासो में यदि हम संवत् का भी उल्लेख हों तो उसकी सहायता से भी इसको काल-क्रम में ठीक स्थान या काल जाना जा सकता है।

संवत्-काल जानना

भारत में काल-संकेत विषयक कुछ बातें ऊपर बतायी जा चुकी हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि पहले राज्यवर्ष का उल्लेख और उम वर्ष का विवरण अक्षरों में दिया गया, बाद में अक्षरों और अंकों दोनों में, और फिर अंकों में ही। बाद में ऋतुओं के भी उल्लेख हुए—शीघ्र, वर्षा और हेमन्त, ये तीन ऋतुएँ बतायी गईं, उनके पाख (पक्ष) और उनके दिन भी दिये गये। साथे महीनों का उल्लेख भी हुआ। राज्य-वर्ष से भिन्न एक संवत् का और उल्लेख किया जाने लगा। नियमित संवत् के प्रचार से राज्य-वर्ष के उल्लेख की प्रथा धीरे-धीरे उठ गई, संवत् के साथ महीने, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, तिथि और बार या दिन को भी बताया जाने लगा।

इतने विस्तृत विवरण के साथ और भी बातें दी जाने लगी—जैसे-शाशि, सक्रान्ति, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, मुहूर्त आदि।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि भारत में दो प्रकार के वर्ष चलते हैं सौर या चान्द्र।

वर्ष का आरम्भ कार्तिकादि, चैत्रादि ही नहीं होता आषाढादि और श्रावणादि भी होता है।

सौर वर्ष राशियों के अनुसार बारह महीनों में विभाजित होता है, क्योंकि एक राशि पर सूर्य एक महीने रहता है, तब दूसरी राशि में सक्रमण करता है, इसलिये वह दिन सक्रान्ति कहलाता है, जिस राशि में प्रवेश करता है उसी की सक्रान्ति मानी जाती है, उसी दिन से सूर्य का नया महीना आरम्भ होता है।

बारह राशियाँ इस प्रकार हैं।

1. मेष [मेष राशि से सौर वर्ष आरम्भ होता है, यह मेष राशि का महीना बगल में बंशाख और तमिलभाषी क्षेत्र में चैत्र (या चित्तिरह) कहलाता है]। 2. वृष, 3. मिथुन, 4. कर्क, 5. सिंह, 6. कन्या, 7. तुला, 8. वृश्चिक, 9. धनुष, 10. मकर, 11. कुम्भ तथा 12 मीन। मेष से मीन तक सूर्य की राशि-यात्रा भी आरम्भ से अन्त तक एक वर्ष में होती है। पञ्जाब तथा तमिलभाषी क्षेत्रों में सौर मगह का आरम्भ उसी दिन से माना जाता है जिस दिन सक्रान्ति होती है, पर बंगाल में सक्रान्ति के दुसरे दिन से महीने

का आरम्भ होता है। सौर माह राशियों के नाम से होता है। सौर माह में तिथियाँ 1 से चलकर महीने के अन्तिम दिन तक की गिनती में व्यक्त की जाती हैं। सौर माह, 29, 30, 31 या 32 दिन का होता है, अतः इसकी तिथियाँ एक से चलकर 29, 30, 31, 32 तक चली जाती हैं। चान्द्र वर्ष में ऐसा नहीं होता। उसमें महीना पहले दो पालों में बाँटा जाता है। कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष बंदी या सुदी ये दो पाल प्रायः 15 + 15 तिथियों के होते हैं। ये प्रतिपदा से अमावस्य होकर द्वितीया (दोब), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), पंचमी (पाँचे), षष्ठी (छठ), सप्तमी (सातें), अष्टमी (आठे), नवमी (नीमी), दशमी (दसमी), एकादशी (ग्यारस), द्वादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस) चतुर्दशी (चौदस), पूर्णिमा (15) और अमावस्या (30) तक चलती है। ये सभी तिथियाँ कहलाती हैं और 15 तक की गिनती में होती हैं। उत्तरी भारत में चान्द्रवर्ष का मास पूर्णिमान्त माना जाता है क्योंकि पूर्णिमा को समाप्त होता है और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है। नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र में चान्द्रवर्ष का महीना अमान्त होता है और शुक्ल पक्ष (सुदी) की प्रतिपदा से आरम्भ होता है।

चान्द्रवर्ष के महीने उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर चन्द्रमा पूर्णकलाप्राप्त म युक्त होता है, यानी पूर्णिमा के दिन से नक्षत्र और महीनों के नाम इस प्रकार हैं :

1. चित्रा-चैत्र (चैत)
2. विशाखा-वैशाख (वैसाख)
3. ज्येष्ठा-ज्येष्ठ (जेठ)
4. अषाढ़ा-आषाढ़ (असाढ़)
5. श्रवण-श्रावण (सावन)
6. भद्रा-भाद्रपद (भादों)
7. अश्विनी-आश्विन (या आश्वयुज) = (श्वार)
8. कृतिका-कार्तिक (कातिक)
9. मृगशिरा-मार्गशीर्ष (आश्रहायन-अश्वहन)

(‘अश्रहायन’ सबसे आगे का ‘अयन’—यह नाम सभ्यतः इसलिये पड़ा कि बहुत प्राचीन काल में वर्ष का आरम्भ चैत्र से न होकर ‘मार्गशीर्ष’ से होता था—अतः यह सबसे पहला या अगला महीना था)।

10. पुष्य-पौष (पूस या फूस)
11. मघा-माघ
12. फाल्गु-फाल्गुण

काल-संकेतों में कभी-कभी ‘योगों’ का उल्लेख भी मिलता है। ‘योग’ सूर्य और चन्द्रमा की गति की ज्योतिषकीय सगति को कहा जाता है। ऐसे योग ज्योतिष के अनुसार 27 होते हैं। इन्हें भी नाम दिया गया है। अतः नाम से 27 योग ये हैं—1. विष्कम्भ, 2. मीति, 3. धायुष्मत, 4. सीभाग्य, 5. शोभन, 6. अतिगंड, 7. सुकर्मन, 8. घृति, 9. शूल, 10. गण्ड, 11. वृद्धि, 12. ध्रुव, 13. व्याघात, 14. हर्षण, 15. बच्च, 16. सिद्धि या अक्षय, 17. व्यतीपात, 18. वरीयस, 19. परिधि, 20. शिव, 21. सिद्ध, 22. साध्य, 23. शून्य, 24. शुभन, 25. अशुभ, 26. ऐन्द्र तथा 27. वैधति।

'योग' की भाँति ही 'करण' का भी उल्लेख होता है। करण तिथि के बर्षाँश को कहते हैं, और इनके भी विशिष्ट नाम रखे गये हैं। पहले मात करण होते हैं जिनके नाम हैं - 1. वय, 2. बालव, 3. कोलव, 4 तंतिल, 5. गद, 6. वणिज एव 7. विष्टि (भांद्र या कल्याण)। ये सात चक्र के रूप में घ्राठ बार प्रयोग में आते हैं और इस प्रकार 56 अर्द्ध तिथियों का काम देते हैं। ये 56 अर्द्ध तिथियाँ सुदी प्रतिपदा से लेकर बदी 14 (चौदस) तक पूरी होती हैं। अब चार अर्द्ध तिथियाँ शेष रहनी हैं, बदी का चौदस से सुदी प्रतिपदा तक की—इन करणों के नाम हैं : 8 णकुनि, 9 चतुष्पद, 10 किन्तुषन और 11. नाग। काल सकेतो म कर्मा-कर्मो करण का नाम भी आ जाता है, जैसे 1210 विक्रमी के अजमेर के शिलालेख में।

भारतीय कालगणना के आधार सीधे और सपाट न होकर जटिल है। इससे काल-निर्णय में अनेक अड़चने पड़ती हैं।

पहले, तो यह जानना ही कठिन होता है कि वह सबव् कालिकादि, चैत्रादि,

प्राषाढादि या श्रावणादि है,

दूसरे—ग्रामान्त है या पूर्णिमान्त है। फिर,

तीसरे—ये वर्ष कभी वर्तमान (या प्रवर्तमान) रूप में कभी गत विगत या अतीत रूप में लिखे जाते हैं। इनकी और पहले 'वीगन्देव रामा' के काल-निर्णय के सम्बन्ध में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का उद्धरण देकर ध्यान आकर्षित कर दिया जा चुका है।

इन सबसे बढ़ कर कठिनाई होती है इस तथ्य से कि तिथि लिखते समय लेखक से गणना में भी भूल हो जाती है।

यह नुई उम गणक या ज्योतिषी के द्वारा की जा सकती है जा लेख लिखने वाले को बताता है। उसका गणक का ज्ञान या ज्योतिष का ज्ञान सदाय हो सकता है। पत्रों या पत्रागों में भी दोष पाये जाते हैं। आज भी कभी-कभी वाराणसी और उज्जैन पत्रागों में तिथि के आरम्भ में ही अन्तर मिलना है, जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं और यह विवाद पत्रों (पत्रागों) में भी प्रकट हो उठता है। जब आज भी यह मौलिक नुई हो सकती है, तब पूर्व-काल में तो और भी अधिक सम्भव भी। गावा, नगरों की बात छोड़िये कभी-कभी तो राजदरबारों में भी अग्रग्य ज्योतिषियों के हाने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। कालचुरि 'रत्नदेव द्वितीय' के मन् 1128 ई० के सश्लो लेख में यह सूचना मिलती है कि दरबार में ज्योतिषियों से ठीक गणित ही नहीं हाती थी और वे 'ग्रहण' का समय ठीक निर्धारित नहीं कर पाते थे। तब पद्मनाभ नाम के ज्योतिषी ने बीज-संस्कार किया जिससे तिथियों का ठीक निर्धारण हो सका। राजा ने पद्मनाभ को पुरस्कृत किया, अतः ज्योतिषियों में भी भूल हा सकती है। ऐसी दशा में काल सकेत सदाय हो जायेंगे।

इससे किमी लेख या अभिलेख का काल-निर्धारण कठिन हो जाता है और यह आवश्यक हो जाता है कि दिये हुए काल-सकेत को परीक्षा के उपरान्त ही सही माना जाय। जैसा ऊपर बताया जा चुका है विविध ज्योतिष केन्द्रों के बने पत्रागों और पत्रों में अलग-अलग प्रकार में गणना होने के कारण तिथियों का मान अलग-अलग हो जाता है। इससे दो हुई तिथि की परीक्षा से भी संतोष नहीं हा पाता, वह तिथि एक पत्राग में ठीक और दूसरे से, गलत सिद्ध होती है। इससे परीक्षक को विविध पत्रागों की भिन्नता में

संवत् तिथि के अनुसन्धान के आधार का निर्णय करने या कराने की योग्यता भी होनी चाहिये। वैसे प्राधुनिक उद्योगिणी एल० डी० स्वामीकन्नुपिल्ले की 'इण्डियन ऐफिमेट्रीज' से भी सहायता ली जा सकती है।

शब्द में काल-संख्या

यह भी हम पहले देख चुके हैं कि भारत में शब्दों में अक्षरों को लिखने की प्रणाली रही है। इस प्रणाली से भी काल-निर्णय में कठिनाइयाँ लड़ी हो जाती हैं। यह कठिनाई तब पैदा होती है जब जो शब्द अक्षरों के लिए दिया गया है, उससे दो-दो संख्याएँ प्राप्त होती हैं : जैसे सागर या समुद्र से दो संख्याएँ मिलती हैं, 4 भी और 7 भी। एक तो कठिनाई यही है कि सागर शब्द से 4 का अक्षर लिया जाय या 7 का। पर कभी कबि दोनों को ग्रहण करता है, जैसे—

'अष्ट-सागर-पयोनिधि-चन्द्र' यह जगदुर्लभ की कृति उड्डव चमत्कार का रचना-काल है। इसमें 'सागर' भी है और इसी का पर्याय 'पयोनिधि' है। क्या दोनों स्थानों के अक्षर 4-4 समझे जायें, या 7-7 माने जायें या किसी एक का 4 और दूसरे का 7, इस प्रकार इतने संवत् बन सकते हैं :

1448

1778

1748

1478

'नेत्र सम युग चन्द्र' से होगा $1 + 2 =$ युग, $= 3$, पुनः 3 (नेत्र)। इसमें युग को '4' भी माना जा सकता है और नेत्र को '2' भी।

बस्तुतः ऐसे दो या तीन अक्षर बतलाने वाले शब्दों में व्यक्त संवत् को ठीक-ठीक निकालने में अलक्ष्य कठिनाई भी हो सकती है। तभी उक्त सदर्भ से डी० सी० सरकार¹ ने यह टिप्पणी की है :

"Indeed it would have been difficult to determine the date of the composition of the work, inspite of the years in both the eras being quoted".

उक्त पुस्तक में ये संवत् अक्षरों को भी साथ-साथ दिये गये हैं, अतः कठिनाई हल हो जाती है। किन्तु यदि अक्षरों में संवत् न होता तो उसे तिथि और दिन और पक्ष (शुक्ल या कृष्ण) तथा महीने के साथ पंचांगों में या 'इण्डियन ऐफिमेट्रीज' से निकाला जा सकता था।

अक्षरों में दिये जाते हैं, या अन्यथा भी, भारतीय लेखन में, 'अक्षराना वामतो गतिः' की प्रणाली अपनायी जाती रही है अर्थात् अक्षर उलटे लिखे जाते हैं, मानो लिखना है '1233' तो '3 3 2 1' लिखा जायगा और शब्दों में 'नेत्र राम पक्ष चन्द्र'—(नेत्र) 3, (राम) 3, (पक्ष) 2, (चन्द्र) 1, जैसे रूप में लिखा जायगा किन्तु यह देखा गया है कि इस पद्धति का अनुकरण भी बहुधा नहीं किया गया है। कितनी ही पुष्पिकाओं (Calophones)

में सन् संबत् सीधी गति से ही दे दिया गया है । इससे भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है ।

यथा-संबत् 13 संतालीसं समै माहा तीज सुद ताम ॥

सखहीयो पोहता सरग हांयांपुरं हाम ।¹

या

सतरं संपचानवे कोतुक उत्तम वास ।

वद पच घाठमवार रवि कोनौ ग्रन्थ प्रगास ॥²

या

संबत् सत्रह सं वरथ ता ऊपरि चौबीस ॥

मुकल पुष्य कातिक विषं दसमी मुन रजनीस ॥³

या

संवत् सत्रहसं गये वर्ष दशोत्तर और ।

भादव सुदि एकादशी गुरुवार सिर भौर ॥⁴

या

सवत् सोलह सोमोतरं आपतीज दीवस मनषरं ॥

जोडी जंसलभेर मभार बांन्धा सूख पामे ससार ॥⁵

या

अष्टादस बत्तीस मे । बदि दसमी मघुमास ।

करी दीन बिरदावली । या अनुरागी दास ॥⁶

या

संमत पनरे सं पीचोतरं पुनम फागुण मास ॥

पच सहेली वरणवी कवि छीहल परगास ॥⁷

या

बदि चंतह साठं बरस तिथि चौदिसिगुहवार ।

बंघे कथित्त सुवित्त परि कुंभल भेर मभारि ॥⁸

या

समत उगणी और बतोसा ॥

चौदह भादू दीत को बासा ॥

1. बेनारिया, मोतीलाल—राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग) पृ० 2 ।
2. वही, पृ० 10 ।
3. वही, पृ० 22 ।
4. वही, पृ० 36 ।
5. वही, पृ० 37 ।
6. वही, पृ० 45 ।
7. वही, पृ० 50 ।
8. वही, पृ० 53 ।

उत्तम पुला रो पल बुद हीई ।
लिख्यौ प्रतीति कर धानो सोई ।¹

प्रथवा

माघ सुदी तिथि पूरना पग पुष्प धरू गुरुवार
गिनि भठारह सै बरस पुनि तीस सबत सार ॥²

अब हम यहाँ डी० सी० सरकार की 'इण्डियन ऐपीग्राफी' से एक राजवंश के लेखों में दिये गये उनके राज्यारोहण (Regnal) संवत् का ऐतिहासिक कार्यक्रम में संगत स्थान निर्धारण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए पूरी गवेषणा को संक्षेप में दे रहे हैं, साथ ही प्रक्रिया को समझाने के लिए टिप्पणियाँ भी दी जा रही हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि इस एक उदाहरण से सीधी और जटिल तथा परिवर्तितपरक साक्षियों का एक-साथ ज्ञान हो सकेगा।

प्रश्न 'भौमकार-संवत्' से सम्बन्धित है। भौमकार वंश ने 200 वर्षों के लगभग उड़ीसा में राज्य किया। इनके लेखों तथा इनके अधीनस्थ राज्यों के लेखों में इस संवत् का उल्लेख मिलता है।

डी.सी. सरकार का विवरण	टिप्पणियाँ
<p>1. भौमकार राजाओं का संवत् इस वंश के प्रथम राजा के राज्यारोहण काल से ही आरम्भ हुआ होगा। इस वंश के भठारह राजाओं में लगभग दो शताब्दी उड़ीसा पर राज्य किया। प्रथम महादेवी सम्भवतः इस वंश का अन्तिम शासिका थी जिसका राज्य भौमकार संवत् के 200वें वर्ष के लगभग समाप्त हो गया।</p>	<p>1. यह पहली स्थापनाएँ हैं जो इस वंश के शिलालेखों एवं अन्य लेखों से मिले संवत्सों के आधार पर विद्वान इतिहासकार ने की हैं। इसी राजवंश के मिले संवत्सों के नारतम्य को मिलाकर इतनी स्थापना तो की ही जा सकती थी। प्रश्न अब यह है कि दो-सी वर्ष यह संवत् चला। ये 200 वर्ष हमारे प्राधुनिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के मानक में ई० सन् में कहाँ रखे जा सकते हैं ?</p>
<p>2. एकमात्र अभिलेख-विज्ञान (पैलियो-ग्राफी) ही की सहायता से काल-निर्णय किया जा सकता था जो कीलहार्न ने दण्डी महादेवी की गजम प्लेटों का काल अभिलेख लिपि-विज्ञान के आधार पर तेरहवीं शताब्दी ई० के लगभग माना है। इन प्लेटों में एक में भौमकार संवत् 180 वर्ष पढ़ा है।</p>	<p>2. कीलहार्न का अनुमान लिपि की विशेषता के आधार पर था, पर सरकार ने ऐतिहासिक घटनाक्रम देकर उसे असम्भव सिद्ध कर दिया है—फलतः ऐतिहासिक घटनाक्रम यदि निश्चित है तो उसके विरुद्ध कोई अनुमान नहीं माना जा सकता।</p>

4. वही, पृ० 79।

5. वही, पृ० 108।

डी. सी. सरकार का विवरण

टिप्पणियाँ

सरकार कीलहार्न के इस अनुमान को काट करते हैं—इसके लिए वे गंगवश के अनन्तवर्धन कोडगवा की पुरी-कटक क्षेत्र की विजय का उल्लेख करते हैं। इस गंग राजा का समय 1078-1147 (47) ई० निश्चित है, अतः उडीसा के पुरी कटक क्षेत्र पर गंगवश का अधिकार 12 वीं शती के प्रथम चरण में हो गया था। तब भीमकार इस क्षेत्र में 13वीं शती तक कैसे विद्यमान रह सकते हैं? दूसरे, उक्त गंगराजा ने पुरी-कटक को सोमवंशियों से छीना था या जीता था। अतः भीमकारों का शासन इस क्षेत्र पर उन सोमवंशियों ने भी पूर्व रहा होगा, जो गंगवश से पूर्व पुरी-कटक क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। अतः कीलहार्न का अनुमान इन ऐतिहासिक घटनाओं से कट जाता है। फलतः भीमकारों का समय 1100 ई० से पूर्व होगा।

2. बी—इसी प्रसंग में सरकार यह भी कहते हैं कि भीमकारों ने अपने लेखों में सदा अंक प्रतीको (numeral symbols) का उपयोग किया है, सख्या (Figure) का नहीं। इस तथ्य से यही निष्कर्ष होता है कि उनका 1000 ई० के बाद राज्य नहीं चला।

सरकार ने इन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है —

1. गंग राजा की विजय 1078
2. इस राजा ने सोमवंशियों 1147 से जीता ई. के बीच

इससे यह निष्कर्ष भी निकाला कि गंगवश की विजय से पूर्व तो भीमकार वश का राज्य होगा ही, वरन् वह सोमवश के शासन से भी पूर्व होगा।

कीलहार्न के अनुमान के आधार को सरकार ने अभिलेख-लिपि-विज्ञान से भी काटा है—अंक प्रतीको का प्रयोग 1000 ई० तक रहा। बाद में सख्या का प्रयोग होने लगा। अतः सिद्ध है कि नेलो में 'सख्या' का प्रयोग प्रचलित होने से पूर्व, यानी 1000 ई० से पूर्व के भीमकारों के लेख हैं, क्योंकि उनमें अंक-प्रतीक हैं। अतः भीमकार भी 1000 ई० से पूर्व हुए।

इस प्रकार सरकार ने भीमकारों के काल की निम्नली सीमा भी निर्धारित कर दी।

अभिलेख-लिपि-विज्ञान अक्षरों के

3 फिर सरकार ने सिल्वियन लेवी का सुझाव दिया है कि चीनी स्त्रोतो मे जिस महायानी बौद्ध राजा का नाम मिलता है, जो बु-चघ्र (घोड़-उडीसा) का राजा था और जिसने स्व-हस्ताक्षरयुक्त एक पांडुलिपि चीनी सन्नाट को 795 ई० मे भिजवाई थी, वह भौमकार वश का राजा शुभाकर प्रथम था। चीनी मे इस राजा के नाम का अनुवाद यो दिया है : भाग्यशाली सन्नाट, जो वही करता है जो सुकृत्य है, मित्र. इस चीनी विवरण के आधार पर लेवी ने शुभाकर प्रथम को वह राजा माना है और इसका मूल नाम शुमकरासह (या केसरिन) होगा, यह कल्पना की है।

भार० सी० मजूमदार ने चीनी विवरण के आधार पर उक्त शुभाकर प्रथम के पिता को वह राजा माना है जिसने 795 ई० मे पुस्तक भेजी थी—इसका नाम था 'शिवकर प्रथम उन्मत्त सिंह'।

इन आधारों पर भौमकार-वश के राज्य की दो शताब्दियाँ, 750-950 ई० या 775-975 ई० के बीच स्थिर होती हैं।

4. भांडारकर ने भी इनका काल-निर्णय किया—इस आधार पर कि भौमकार-संवत् और 606 ई० वाले 'हर्ष संवत्' को एक माना जाय। इस गणना से भौमकार 606-806 ई० मे हुए। सरकार की धारणा है कि भविष्य

रूपों तथा लेखन-वैशिष्ट्यों के आधार पर काल-निर्धारण में सहायक होता है—जब कोई अन्य साधन न हो तो इसे आधार माना जा सकता है।

3. उसमे सरकार ने उन साक्षियों का उल्लेख किया है, जो विदेश से मिली हैं, और समसामयिक हैं।

चीनी मे भारतीय भौमकारों के किसी राजा के नाम का जो ग्रंथ दिया है, उससे एक विद्वान् ने एक राजा के, दूसरे ने दूसरे के नाम को तद्वत् स्वीकार किया है।

चीनी मे इस घटना का सन् दिया हुआ है, जिससे ई० सन् हमे बिदित हो जाता है और उक्त रूप के काल-निर्णय सम्भव हो जाता है।

4. सरकार ने भांडारकर की लिपि-पठन की धूस बताकर लिपि-विज्ञान के उस महत्त्व को और सिद्ध किया है, जिससे वह काल-निर्णय मे सहायक होता है।

डी.सी. सरकार का विवरण

टिप्पणियाँ

लिपि-विज्ञान से भीमकारो का समय बाद का बँठता है। सरकार ने यह भी दिखाया है कि भांडारकर ने 100 और 200 के जो प्रतीक इन लेखों में प्राये हैं उन्हे पढ़ने में भूल कर दी है— लु-100 और लू-200। ये 'लु' को 'लू' पड़ गये हैं।

5. अब सरकार महोदय एक ग्रन्थ ज्ञात काल से इस प्रजात की गुरथी सुलभाना चाहते हैं।

इसके लिए इन्होंने घृति-पुर और बंजुलवक के भज राजाभो का आधार लिया है, उनमें से रणभज को सोमवंशी सम्राट् महाशिव गुप्त ययाति प्रथम (970-1000 ई०) का समकालीन सिद्ध किया है और उधर पृथ्वी महादेवी उपनाम त्रिभुवन महादेवी द्वितीय को उक्त सोमवंशी सम्राट् की पुत्री बताया है। इस भीमकर शती के लेखों का एक सवत् 158 है। यह भीमकर सवत् है।

पृथ्वी महादेवी के बौड (Baud) प्लेट का संवत् 158 और उसके पिता सोमवंशी महाशिवगुप्त ययाति प्रथम का अपने राज्य के नवम् वर्ष का दान—लेख सरकार ने प्रायः एक ही समय के माने हैं। यह नवम् राज्य-वर्ष सन् 978 ई० में पड़ता है। अतः भीमकार सवत् का प्रारम्भ इसमें से 158 पृथ्वी महादेवी के लेख का वर्ष घटा देने से 820 ई० आता है। यही सन् अनुमानतः भीमकार संवत् के प्रारम्भ का सन् हो सकता है, इसके बाद नहीं।

6. अन्त में, सरकार ने शशु भज के लेख में प्राये बिस्तृत तिथि-विवरण को

ये समस्त तर्क और युक्तियाँ ज्ञात सन्-संवत्तो के समसामयिक सवत्तों की स्थापना कर उनसे भीमकारो के संवत् का सम्बन्ध बिठाकर इस प्रजात सवत् के प्रारम्भ को ज्ञात करने के लिए दिये गये हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई मात्र सम्बन्धों की सन्धि बिठाकर प्रजात की समस्या हल करने की पद्धति महत्त्वपूर्ण है।

- 6 उक्त ऐतिहासिक घटना और राज्य-कालों के साम्यों से जो वर्ष निकलता है

डॉ. सी. सरकार का विवरण	टिप्पणियाँ
<p>दिया है। इसमें भौमकार वंश सवत् 198 के साथ यह विवरण भी दिया है : विपुल-संक्रान्ति, रविवार, पंचमी, मृगशिरा नक्षत्र। अब इस सबकी पचास में खोज करने पर उस काल में 23 मार्च, 1029 ई० को ही उक्त तिथि बैठती है। इस गणना से भौमकार-सवत् 831 ई० से आरम्भ हुआ।</p>	<p>उसमें और इसमें 11 वर्ष का अन्तर है। यह अन्तिम ज्योतिषीय प्रमाण अधिक भ्रष्टत्व लगता है, क्योंकि जो विवरण तिथि का लेख में है उस विवरण की तिथि एक-एक शताब्दी में दो-चार ही हो सकती है, अतः यह निष्कर्ष प्रामाणिक माना जा सकता है।</p>

इस एक उदाहरण से विस्तारपूर्वक हमने उस पद्धति का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है, जिसे अज्ञात तक पहुँचने के प्रयत्न किये जाते हैं। ये समस्त प्रयत्न अन्तिम को छोड़ कर बाह्य साक्ष्य और प्रमाणों पर ही निर्भर करते हैं।

अब हमें यह देलना है कि जहाँ किसी भी प्रकार के सन्-सवत् का उल्लेख न हो वहाँ काल-निर्णय या निर्धारण की पद्धति क्या अपनायी जाती है।

साक्ष्य . बाह्य अन्तरंग

ऐसे लेखपत्र या ग्रन्थ का काल-निर्णय करने में जिन बातों का आश्रय लेना पड़ता है उनमें से कुछ ये हैं :

1 बाह्य साक्ष्य :

- क-बाह्य उल्लेख—अन्य कवियों द्वारा उल्लेख
- ख-अनुश्रुतियों—कवि-विषयक लोक-प्रचलित अनुश्रुतियाँ
- ग-ऐतिहासिक घटनाएँ
- घ-सामाजिक परिस्थितियाँ
- ङ-सांस्कृतिक-उपादान

2. अन्तरंग साक्ष्य :

क-अन्तरंग साक्ष्य का स्थूल पक्ष

1. लिपि
2. कागज-लिप्यासन
3. स्याही
4. लेखन-पद्धति
5. अलंकरण
6. ग्रन्थ

ख-अन्तरंग साक्ष्य : सूक्ष्म पक्ष

1. विषयमस्तु से
2. ग्रन्थ में आये उल्लेखों से

- (क) ऐतिहासिक उल्लेख
- (ख) कवियों-ग्रन्थकारों के उल्लेख
- (ग) समय-वर्णन
- (घ) सांस्कृतिक बातें
- (ङ) सामाजिक परिवेश
- 3 भाषा वैशिष्ट्य से
- (क) व्याकरणगत
- (ख) शब्दगत
- (ग) मुहावरागत

3. वैज्ञानिक

- क-प्राप्ति-स्थान की भूमि का परीक्षण
- ख-वृक्ष परीक्षण
- ग-कोयले से
- घादि

बाह्य साक्ष्य

जब किसी ग्रंथ में रचना-काल न दिया गया हो तो इसके निर्णय के लिए बाह्य साक्ष्य महत्त्वपूर्ण रहता है।

इसका एक रूप तो यह होता है कि सन्दर्भ ग्रन्थ में देखा जाय। ऐसी पुस्तकें और सन्दर्भ ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें कवि और इनके ग्रन्थों का विवरण दिया होता है, उदाहरणार्थ, 'भक्तमाल और उसकी टीकाओं' में कितने ही भक्त कवियों के उल्लेख हैं। उनकी सामग्री में ध्राये सकेतों से कवि या उसकी कृति के काल-निर्धारण में सहायता मिल सकती है। ग्रन्थ साक्षियों और प्रमाणों के अभाव में कम से कम 'भक्तमाल' में ध्राये उल्लेख से काल-निर्धारण की दृष्टि से निचली सीमा तो मिल ही जाती है, क्योंकि जिन कवियों का उल्लेख उसमें हुआ है, वे सभी 'भक्तमाल' के रचना-काल से पूर्व ही हो चुके होंगे। दूसरे शब्दों में उनका समय 'भक्तमाल' के रचना-काल के बाद नहीं जा सकता।

किन्तु इस सम्बन्ध में भी एक बात ध्यान में रखनी होगी कि 'भक्तमाल' जैसी कृतियों में, जैसे सभी कृतियों में सम्भव है प्रक्षिप्तार्थ या श्लेषक हो, ऐसे ग्रंथ हों जो बाद में जोड़े गये हों। प्रक्षेपों की विशेष चर्चा पाठालोचन वाले अध्याय में की गयी है, अतः ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थ के उसी ग्रंथ के ऊपर निर्भर किया जा सकता है जो मूल है, श्लेषक नहीं। इन सन्दर्भ ग्रन्थों में ऐसे ग्रन्थ भी हो सकते हैं जो पूरी तरह किसी कवि पर ही लिखे गये हों—जैसे 'तुलसी-चरित' और 'गोसाई-चरित'।

तुलसी चरित महात्मा रघुवरदास रचित है। ये तुलसी के शिष्य थे। यह ग्रन्थ प्राकार में महाभारत के समान कहा गया है और 'गोसाई चरित' के लेखक बेणी माधवदास हैं। यह बृहद् ग्रन्थ था जो आज उपलब्ध नहीं। बेणीमाधवदास ने इस 'गोसाई चरित' से दैनिक पाठ के लिए एक छोटा संस्करण तैयार किया—यह 'मूल गोसाई चरित' कहलाया, यह उपलब्ध है। बेणीमाधवदास गोस्वामी तुलसीदास के अन्तेवासी थे। इसमें दृष्टि

तुलसीदास की क्रमबद्ध विस्तृत जीवन-कथा दी है और जहाँ-तहाँ सबकुछ भी यानी काल-संकेत भी दिये हैं। अतः तुलसी की जीवन घटनाओं और उनकी विविध कृतियों की तिथियाँ हमें इन ग्रन्थ से प्राप्त हो जाती हैं—इससे बड़ी भारी काल-निर्णय सम्बन्धी समस्या हल होती प्रतीत होती है।

इसमें तुलसी विषयक सबकुछ निम्न रूप में दिये गये हैं :

- | | | |
|-----|--------------------------------------------|--------------|
| 1. | जन्म—सं० 1554 (रजिया राजापुर) | |
| 2. | माता की मृत्यु तुलसी जन्म से चौथे दिन । | |
| 3. | विवाह—सं० 1583 में । | |
| 4. | पत्नी का शरीर त्याग एवं तुलसी को विरक्ति | सं० 1589 में |
| 5. | सूरदास तुलसी से मिले और अपना 'सागर' दिलाया | „ 1616 में |
| 6. | रामगीतावली कृष्णगीतावली का सग्रह | „ 1628 में |
| 7. | रामचरितमानस का धारम्भ | „ 1631 में |
| 8. | दोहावली सग्रह | „ 1640 में |
| 9. | बाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि | „ 1641 में |
| 10. | सतसई रची | „ 1642 में |
| 11. | मित्र टोडर की मृत्यु | „ 1669 में |
| 12. | जहाँगीर मिलने आया | „ 1670 में |
| 13. | मृत्यु | „ 1680 में |
- आवण श्यामा
तीज

किन्तु स्वयं ऐसे सभी बहिःसाक्ष्यों की प्रामाणिकता भी सबसे पहले परीक्षणयोग्य होती है। 'मूल गोसाईं चरित' की प्रामाणिकता की जब ऐसी ही परीक्षा की गई तो विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह 'मूल गोसाईं चरित' अप्रामाणिक है। यह कथो अप्रामाणिक है, इसके लिए डॉ० उदयभानुसिंह¹ ने 14 कारण और तर्क साकलित किये हैं जो इस प्रकार हैं :

'मूल गोसाईं चरित' सं० 1687 की कार्तिक शुक्ला नवमी को रचा गया।

'मूल गोसाईं चरित' अविश्वसनीय पुस्तक है। इसकी अविश्वसनीयता के मुख्य कारण हैं :

1. यह पुस्तक ऐसे भ्रूलौकिक चमत्कारों से भरी पड़ी है जिन पर विश्वास करना किसी विवेकशील के लिए असम्भव है।

2. इसमें कहा गया है कि तुलसी के बाल्यकाल में उनके भरणपोषण की चिन्ता चुनिया, पार्वती, शिव और नरहर्यानिद ने की। स्पष्ट है कि तुलसी जीविका के विषय में निर्बिम्ब रहे। इसके विपरीत, कवि के स्वर में स्वर मिलाकर यह भी कह दिया गया है कि उस बालक का द्वार-द्वार डोलना हृदय-विदारक था। ये परस्पर विरोधी उक्तियाँ असांगत हैं।

3. इसके अनुसार एक प्रेत ने तुलसी को हनुमान का दर्शन करा कर राम दर्शन

1: सिंह, उदयभानु (डॉ०)—तुलसी काव्य की माता, पृ० 23-25।

का मार्ग प्रशस्त किया। किन्तु अन्तस्साक्ष्य से सिद्ध है कि तुलसी भूतप्रेत पूजा के विरोधी हैं।¹

4. इसमें 'विनय पत्रिका' को 'रामविनयावली' नाम दिया गया है। कोई ऐसी प्रति नहीं मिलती जिसमें यह नाम उपलब्ध हो। हाँ, रामगीतावली नाम प्रबन्ध पाया जाता है।

5 इसके अनुसार गीतावली' (सं० 1616-18) कवि की सर्वप्रथम कृति है। 'कृष्णगीतावली' (सं० 1628), 'कवितावली' (सं० 1628-42), 'रामचरित मानस' (1631-33), 'विनय पत्रिका' (1639), 'रामललानहूछू' (1639), 'जानकी मंगल' (1639), 'पावती मंगल' (1639) और दोहावली (1640) बारह वर्षों के आयाम में लिखी गयी। सं० 1670 में चार पुस्तकों की रचना हुई 'बरबं रामायण', 'हनुमान बाहुक', 'वैराग्य सदीपनी' तथा 'रामाज्ञा प्रश्न'। इसमें अनेक असंगतियाँ अवलक्षणीय हैं। 'गीतावली'-जैसी प्रौढ कृति प्रारम्भिक बतलायी गयी है और 'वैराग्य सदीपनी' एक 'रामाज्ञा-प्रश्न' के सहज अप्रौढ कृतियाँ अन्तिम। तीस वर्षों (1640-70) तक कवि ने कोई रचना नहीं की। क्या उसकी प्रतिभा मूर्च्छित हो गई थी ?

6. इसमें 'रजियापुर' (राजापुर) को तुलसी का जन्म स्थान कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों में सिद्ध है कि सं० 1813 तक उस स्थान का नाम 'विक्रमपुर' रहा है।

7. इसके अनुसार सं० 1616 में सूरदास ने चित्रकूट पहुँचकर तुलसी को 'सागर' दिखाया और आशीर्ष माँगा। सं० 1616 तक तो तुलसी ने एक भी रचना नहीं की थी। और उनकी कीर्ति 'रामचरित मानस' की रचना (सं० 1631) के बाद फैली। उन्हें 'सागर' दिखाने की क्या तृष्णा थी ? यह भी हास्यास्पद लगता है कि वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित और अग्र्य सूरदास ने चित्रकूट जाकर उन्हें 'सागर' दिखाया।

8. इसमें वर्णित है कि सं० 1616 में मीराबाई ने तुलसी को पत्र लिखा था। मीरा सं० 1603 तक दिवंगत हो चुकी थी, 1616 में उन्होंने पत्र कैसे लिखा ?

9. यद्यपि लेखक ने केशवदास-सम्बन्धी घटनाओं के निश्चित समय का स्पष्ट निर्देश नहीं किया है तथापि सन्दर्भ से अवगत है कि वे 1643 के लगभग तुलसी से मिले और सं० 1650 के लगभग केशव के प्रेत ने तुलसी को घेरा। स्वयं केशवदास के अनुसार 'रामचन्द्रिका' का रचना काल सं० 1658 है,² न कि सं० 1643। और, यह गण्य की हृदय है कि केशव ने रात भर में 'रामचन्द्रिका' का निर्माण कर डाला-घरने को अप्राकृत कवि सिद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त सं० 1651 के लगभग केशव का प्रेत तुलसी से कैसे मिला ? यह तथ्य निर्विवाद है कि उनका देहान्त सं० 1670 के बाद हुआ। उन्होंने अपनी 'जहागीर-जस-चन्द्रिका' का रचना काल सं० 1669 बतलाया है।³

1. शोभावली, 65, रामचरितमानस, 2/167।
2. सोरहूँ सँ अट्टावना कातक सुदि बुधवार।
रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लानी धवतार। रामचन्द्रिका, 1/6
3. सोरहूँ सँ उनहूँतरा मासव मास विचार। जहागीर सक साहि की करी चन्द्रिका बाद ॥
जहागीर जब चन्द्रिका, 2.

10. दिल्लीपति (अकबर) और जहागीर वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास में कोई संकेत नहीं मिलता। अतः ये तथ्य-विरुद्ध हैं।

11. 'चरित' के अनुसार टोडर की सम्पत्ति का बँटवारा उनके उत्तराधिकारी पुत्रों के बीच किया गया। परन्तु बँटवारे का पंचायतनामा उपलब्ध है। इस 'पंचायतनामे' से प्रमाणित है कि यह बँटवारा उनके पुत्र और पोत्रों के बीच हुआ था।¹

12. इसमें कहा गया है कि तुलसी के शाप के फलस्वरूप हाथी ने गंग की कुचल डाला। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिस गंग का हाथी से कुचलवाया गया था वह औरंगजेब का समकालीन था। औरंगजेब स० 1715 में बादशाह हुआ था। इसलिये स० 1639 में गंग की कथित दुर्घटना सम्भव नहीं हो सकती।

13. इसके अनुसार नाभादास 'विप्रसत' थे। इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं है। परम्परा में उनको 'हनुमानवशी' अथवा डोम माना गया है।

14. 'चरित' में उल्लिखित तिथियों में से तुलसी के जन्म (सं० 1554, श्रावण शुक्ला 7, कर्क के बृहस्पति-चन्द्रमा, वृश्चिक के शनि), यज्ञोपवीत (सं० 1651,² भाद्र-शुक्ला 5, शुक्रवार), विवाह (सं० 1583, ज्येष्ठ शुक्ला 13, शुक्रवार), पत्नी निघन (सं० 1589, आषाढ कृष्णा 10, बुधवार), मानस-समाप्ति (सं० 1633, मार्गशीर्ष शुक्ला 5, मंगलवार) और स्वर्गवास (सं० 1680, श्रावण कृष्ण 3, शनिवार), की तिथियाँ गणना योग्य हैं। पुरानत्व-विभाग से जाँच करवा कर डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने बतलाया है³ कि इनमें से केवल यज्ञोपवीत और विवाह की तिथियाँ ही सत्यापित हैं। डॉ० माता-प्रसाद गुप्त ने पत्नी-वेहान्त की तिथि को भी शुद्ध माना है। शेष चार तिथियाँ किसी भी गणना-प्रणाली में शुद्ध नहीं उतरती।⁴ तुलसी के अतेवासी की यह अनभिज्ञता 'चरित' की प्रामाणिकता को खंडित करती है।⁵

सख्या 5 में डॉ० सिंह ने तुलसी की विविध कृतियों के काल को अप्रामाणिक बनाने के लिये उनकी प्रौढ़ता को आघात बनाया है। यह साहित्यिक तर्क महत्वपूर्ण है। 'गोतायली' कवि की प्रारम्भिक कृति नहीं हो सकती, वह प्रौढ़ कृति है। डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने अपने शोध प्रबन्ध 'तुलसीदास' में इन ग्रन्थों के रचनाकाल का निर्धारण वैज्ञानिक विधि से किया है। यह दृष्टव्य है।

सख्या 7 में दिया सवत् इसलिये अमान्य बताया गया है कि वह असंगत है : सूर तो 'सागर' पूरा कर चुके थे, और तुलसी 1616 तक एक भी रचना नहीं कर पाये थे—तब सूर जैसे अग्र्य और वृद्ध व्यक्ति का 1616 में तुलसी जैसे अविश्यात व्यक्ति से आशीष लेने जाने में सगति नहीं बैठती।

सख्या 8 में घटना को असम्भवता के आघात पर अप्रामाणिक बताया गया है। मीरा की मृत्यु 1603 तक हो चुकी थी, 1616 में पत्र लिखना असम्भव बात है।

सख्या 9 में अप्रामाणिकता का आघात 'तथ्य-विरोध' है। तथ्य यह है केशव ने

1. पंचायतनामे के शब्द हैं—अनंदराम बिन टोडर बिन देवराय व कंधई बिन रामचंद्र बिन टोडर मङ्गलूष।
2. यह संवत् 1561 होना चाहिए।
3. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० 48।
4. तुलसीदास, पृ० 47।

राजधन्विका 1658 में रची। मूल मुसॉई चरित में 1643 अंकित होती है। फिर, तथ्य है कि केशव की मृत्यु 1670 के बाद हुई, तब 1651 में केशवका प्रेत तुलसी से कौसे मिला, यह तथ्य-विरोधी बात है—अतः अमान्य है।

संख्या 14 में जो सबत् दिये गये हैं उनमें तिथियाँ तथा अन्य विस्तार भी हैं जिनसे उनकी परीक्षा 'गणना' द्वारा की जा सकती है। 'पुरातत्त्व विभाग' की गणना से तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त की गणना से कई तिथियाँ अमान्य हैं, क्योंकि वे सत्यापित नहीं होती। 'गणना' का आधार सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक होता है।

इस प्रकार हमने इस एक उदाहरण से देखा है कि 'प्रीढ़ता-द्योतक क्रम की अद्य-हेलना, असंगति, असम्भावना, तथ्य विरोध एवं 'गणना' से असिद्ध होना कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे प्रामाणिकता अमान्य हो जाती है।

ऐसा 'बहि साध्य' यदि प्रामाणिक हो तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि बहि साध्य को महत्त्व देते समय उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा हो जानी चाहिये। जो प्रामाणिक है, वही महत्त्व का हो सकता है। कितने ही ऐसे कवि या व्यक्ति हो सकते हैं जिनका पता ही बहि साध्य से लगता है। जैसे—उपर्युक्त 'तुलसी चरित' और उसके लेखक का पहला उल्लेख 'शिवसिंह सेगर' के 'शिवसिंह सरोज' में मिलता है। पर वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ। जो उपलब्ध हुआ वह बनावटी ग्रन्थ है।

इसी प्रकार संस्कृत आचार्य भामह न दो स्थानों पर एक मेधाविन् का उल्लेख किया है। 'त एत उपमादोषा सप्त मेधाविनोदिताः' (II-40) तथा 'यथासख्यमयोत्प्रेक्षामलकार बिन्दु'। सख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिहिता न्वचित',¹ इनसे विदित होता है कि किसी मेधावी या मेधाविन् ने उपमा के मात दोष बनाये हैं, तथा वह 'यथासख्य' अलकार को 'सख्यान' नाम देता है, और उसको अलकार नहीं कहता। इस उल्लेख से 'मेधाविन्' का नाम सामने आता है जिससे पहले विद्वान् परिचित नहीं थे। तब, भामह के बाद इसकी पुष्टि नेमिसाधु से भी हो जाती है, मेधाविन् या मेधाविद्ध नाम का आचार्य हुआ है—यह भी अलकारशास्त्र का आचार्य था। भामह के उल्लेख से 'मेधाविन्' की निचली काल सीमा भी निर्धारित हो जाती है। भामह की कालावधि काणे ने 500 और 600 ई० के बीच दी है। 500 भामह के काल की ऊपरी सीमा और 600 निचली अवधि। 'मेधाविन्' भामह से पूर्व हुए थे।

इस प्रकार बाह्य उल्लेखों से अज्ञात कवि का पता भी चलता है, और उसकी निचली कालावधि भी ज्ञात हो जाती है।

ऐसे प्रसंग पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये चुनौती का काम करते हैं कि वह प्रयत्न करे और ऐसे कवि की किसी कृति का उद्घाटन करे।

अनुश्रुति या अनश्रुति

लोक में प्रचलित प्रवादों को एकत्र कर परीक्षापूर्वक प्रामाणिक मान कर उनके आधार पर काल विषयक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे—यह अनुश्रुति कि मीरा ने तुलसी को पत्र लिखा था, और तुलसी ने भी उत्तर दिया था। यदि यह सत्यापित हो

सकता तो दोनों समकालीन हो जाते और कालक्रम में तुलसी पहले रहे जाते क्योंकि वे इतनी ख्याति पा चुके थे कि भीराँ उनसे परामर्श माँग सकी। भीराँ उनसे उन्न में छोटी सिद्ध होती, पर जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि यह जनश्रुति सत्यापित नहीं होती। भीराँ तुलसी से पहले ही दिवंगत हो चुकी थी। अतः जनश्रुति का मूल्य उस समय तक नगण्य है जब तक कि अन्य ठोस आधारों से वह प्रामाणिक न सिद्ध हो जाय। फिर भी, जनश्रुति का संकलन और अध्ययन अपेक्षित तो है ही। उसमें से कभी-कभी महत्वपूर्ण खोजें कड़ी मिल सकती हैं।

इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाएँ

ऐतिहासिक घटनाएँ बाह्य साक्ष्य हैं। इनकी सहायता प्रायः किसी अन्तःसाक्ष्य के सहारे से ली जा सकती है। स्वतन्त्र रूप से भी इतिहास सहायक हो सकता है। जैसे—वामन के सम्बन्ध में राजतरंगिणी में उल्लेख है कि वह जयापीड़ का मन्त्री था और ब्यूहलर ने बताया है कि काश्मीरी पंडितों में यह जनश्रुति है कि यह जयापीड़ का मन्त्री वामन ही 'काव्यालंकार-मूत्र' का रचयिता और 'रीति' सम्प्रदाय का प्रवर्तक है। इस ऐतिहासिक आधार पर 'वामन' का काल 800 ई० के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध का कोई सन्दर्भ हमें वामन की कृति में नहीं मिलता। इतिहास का उल्लेख और अनुश्रुति से पुष्टि-ये दो बातें ही इसका आधार हैं। हाँ, अन्य बहिःसाक्ष्यों से पुष्टि अवश्य होनी है। अतः किसी भी ऐसे स्वतन्त्र ऐतिहासिक उल्लेख की ग्रन्थ विधि से भी पुष्टि की जानी चाहिये।

कवि के अन्तःसाक्ष्य के सहारे इतिहास या ऐतिहासिक घटना के आधार पर काल-निर्णय करने की दृष्टि से 'भट्टि' को ले सकते हैं।

भट्टि ने 'भट्टि काव्य' में लिखा है कि 'काव्यमिदं विहितं मया बलाभ्या श्रीधरसेन-नरेन्द्रपालितायाम्'।

इससे प्रकट होता है कि भट्टि ने राजा श्रीधरसेन के आश्रय में बलभी में 'भट्टि काव्य' की रचना की, किन्तु रचने का काल नहीं दिया। अब इनका काल-निर्धारण करने के लिए बलभी के श्रीधरसेन का काल निश्चित करना होगा, और इसके लिये इतिहास से सहायता लेनी होगी। इतिहास से विदित होता है कि 'श्रीधरसेन प्रथम' का कोई लेख नहीं मिलता। श्रीधरसेन द्वितीय का सबसे पहला लेख बलभी स० 252 का है जो 571 ई० का हुआ। श्रीधरसेन चतुर्थ का अन्तिम लेख बलभी संवत् 332 का मिला है, जो ६०० सन् 651 का हुआ। इसी प्रकार श्रीधरसेन के उत्तराधिकारी द्रोणसिंह का लेख बलभी संवत् 183 अर्थात् 502 ई० का मिला है। अतः भट्टि का समय 500 से 650 ई० के बीच होना चाहिये। मन्दसौर के सूर्य मन्दिर के शिलालेख का सन् 473 ई० है। इसके लेखक बत्सभट्टि को बा० सी० मजूमदार ने 'भट्टि काव्य' से साम्य के आधार पर भट्टि माना है। तब भट्टि श्रीधरसेन प्रथम के समय में हुए जो 500 ई० से पहले था।

स्पष्ट है कि श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए, अतः समस्या रही कि किस श्रीधरसेन के समय भट्टि हुए, तब 'काव्य साम्य' के आधार पर बत्सभट्टि और 'भट्टि काव्य' रचयिता भट्टि को एक मान कर बत्सभट्टि के 413 ई० के लेख से भट्टि को प्रथम श्रीधरसेन के समय 500 ई० से पहले का मान दिया गया।

'कृति' में काल का संकेत न होने पर अन्तःसाध्य के किसी सूत्र को पकड़ कर इतिहास की सहायता से काल-निर्धारण के रोचक उदाहरण मिलते हैं। एक ही नाट्य-शास्त्र के काल-निर्णय की समस्या। अनेक विद्वानों ने अपनी तरह से 'नाट्य-शास्त्र' का रचना-काल निर्धारित करने के प्रयत्न किये हैं, पर काणे महोदय ने प्रो० सिल्वियन लेवी का एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने 'नाट्य-शास्त्र' में सम्बोधन सम्बन्धी शब्दों में 'स्वामी' का आधार लेकर और चष्टन जैसे भारतीय शक शासक के लेख में चष्टन के लिये 'स्वामी' का उपयोग देखकर, यह सिद्ध किया कि भारतीय 'नाट्य-कला' का आरम्भ भारतीय शकों के आक्रमणों के दरबारों में हुआ—अर्थात् विदेशी शक-राज्यों की स्थापना से पूर्व भारतवासी नाटक से अनभिज्ञ थे। नाट्य-शास्त्र में 'स्वामी' शब्द का सम्बोधन भी शक शासकों के दरबारों में प्रचलित शिष्ट प्रयोगों से लिया गया है। इन आक्रमणों के राज्यकाल में ही प्राकृत भाषाओं का स्थान संस्कृत लेने लगी—या, भाषा विषयक प्रवृत्ति का परिवर्तन विदेशी शासन का प्रभाव था जो नाट्य-शास्त्र से बिदित होता है। काणे महोदय की यह टिप्पणी इस विषय पर दृष्टव्य है।

"In spite of the brilliant manner in which the arguments are advanced, and the vigour and confidence with which they are set forth, the theory that the Sanskrit theatre came into existence at the court of the **Kshatrapas** and that the supplanting of the Prakrits by classical Sanskrit was led by the foreign **Kshatrapas** appears, to say the least, to be an imposing structure built upon very slender foundations"¹

इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास की सहायता लेते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। यह भी परीक्षा कर लेनी चाहिये कि कहीं प्रक्रिया उलटी तो नहीं। चष्टन के लेख में 'स्वामी' का प्रयोग कहाँ से कैसे आ गया? क्या यह शक शब्द है? जब ऐसा नहीं तो स्पष्ट है कि लेखक या सूत्रधार या शिल्पकार, जिसने चष्टन का लेख तैयार किया या उत्कीर्ण किया वह, भारतीय नाट्य-शास्त्र से परिचित था, वही से सम्बोधन के लिये सस्तुत शब्दों में से 'स्वामी' शब्द को लेकर उसने चष्टन के लिये उसका प्रयोग किया। यह स्थिति अधिक सगत है।

अतः यह भी देखना होगा कि किसी स्थापना के लिये क्या कोई अन्य विकल्प भी है, यदि कोई अन्य विकल्प भी हो तो उसका समाधान भी कर दिया जाना चाहिये।

इतिहास के कारण कवि द्वारा दिये काल संकेत को लेकर संकट या भ्रमेले भी लड़ें हो सकते हैं, इसे भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिये 'जायसी' के पद्मावत का उदाहरण महत्त्वपूर्ण है। इसको डॉ० वासुदेवशरण भद्रवाल के शब्दों में उनके ग्रन्थ 'पद्मावत' के मूल और संजीवनी भाष्य की भूमिका से उद्धृत किया जा रहा है :

"जायसी कृत दूसरा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख पद्मावत में है। उसमें सूरवंशी सम्राट शेरशाह का शाह बरक के रूप में वर्णन किया गया है :

शेरशाहि दिल्ली मुलतानू । चारिउ खंड तपइ जस भानू । 13।1

जायसी के वर्णन से विदित होता है कि शेरशाह उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था और उसका भाग्योदय चरम सीमा पर पहुँच गया था। हुमायूँ के ऊपर शेरशाह की विजय चौसा युद्ध में 26 जून, 1539 को और कन्नौज के युद्ध में 17 मई, 1540 को हुई। दिल्ली के सुलतान पद पर उसका अभिषेक 26 जनवरी, 1542 को हुआ। जायसी ने पद्मावत के प्रारम्भ में तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया है :

सन नौ सँ सैतासिस ग्रहै । कथा प्रारंभ बँन कवि कहै ॥24॥

इसका 947 हिजरी 1540 ई० होता है। उस समय शेरशाह हुमायूँ को परास्त करके हिन्दुस्तान का सम्राट बन चुका था, यद्यपि उसका अभिषेक तब तक नहीं हुआ था। 947 के कई नीचे लिखे पाठान्तर मिलते हैं —

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. गोपाल चन्द्र जी की तथा माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ | 927 हि०=1521 ई० |
| पद्मावत का झलाउल कृत बगला अनुवाद ¹ | 927 हि०=1521 ई० |
| 2. भारत कलाभवन काशी की कँधी प्रति ² | 936 हि०=1530 ई० |
| 3. 1109 हि० (1697 ई०) में लिखित माता-प्रसाद की प्रति द्वि० 3 | 945 हि०=1539 ई० |
| 4. माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ, तथा रामपुर की प्रति | 947 हि०=1540 ई० |
| 5. बिहार शरीफ की प्रति | 948 हि०=1542 ई० |

927, 936, 945, 947, 948 इन पाँच तिथियों में हस्तलिखित प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर 927 पाठ सबसे अधिक प्रामाणिक जान पड़ता है। पद्मावत की सन् 1801 की लिखी एक ग्रन्थ प्रति में भी ग्रन्थ रचना-काल 927 मिला था (लॉज रिपोर्ट, 14 वाँ त्रैवार्षिक विवरण, 1929-31, पृ० 62)। 927 पाठ के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि यह अपेक्षाकृत क्लिष्ट पाठ है। विपक्ष में यही युक्ति है कि शेरशाह के राज्यकाल से इसका मेल नहीं बैठता। गुल्ल जी ने प्रथम संस्करण में 947 पाठ रखा था, पर द्वितीय संस्करण में 927 को ही मान्य समझा क्योंकि झलाउल के अनुवाद में उन्हें यही सन् प्राप्त हुआ था। शक्य ही यह एक ऐसी साक्षी है जो उस पाठ के पक्ष में विशेष ध्यान देने के लिये विवक्षित करती है। 927 या 947 की सख्या ऐसी नहीं जिसके पढ़ने या ग्रन्थ समझने में रुकावट होती। अतएव उसके भी जब पाठ-भेद हुए तो उसका कुछ सर्वशेष कारण ऐसा होना चाहिये जो सामान्यतः दूसरे प्रकार के पाठान्तरों में लागू नहीं होता। मैंने ग्रन्थ करते समय शेरशाह वाली युक्ति पर ध्यान देकर 947 पाठ को समीचीन लिखा था, किन्तु

1. यह अनुवाद 1645-1652 के बीच सुहर अराकान राज्य के मन्त्री मयन ठाकुर ने झलाउल नामक कवि से कराया था—
सेख मुहम्मद अली । जहने रचिले पुर्बी ।
संख्या सप्तविंश नव शत ।
2. सन नौ सँ छत्तीस चब रहा ।
कथा उदेहि कएन कवि कवि कहा ।
(भारत कला भवन, काशी की कँधी प्रति)

प्रब प्रतियों की बहुल सम्पत्ति एवं विस्पष्ट पाठ की युक्ति पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 927 मूल पाठ या प्रौर जायसी ने पद्मावत का प्रारम्भ इसी तिथि में अर्थात् 1521 में कर दिया था। ग्रन्थ की समाप्ति कब हुई, कहना कठिन है, किन्तु कवि ने उस काल के इतिहास की कई प्रमुख घटनाओं को स्वयं देखा था। बाबर के राज्य काल का तो स्पष्ट उल्लेख है ही (प्रासिरी कलाम 811)। उसके बाद हुमायूँ का राज्यारोहण (836 हि०), चौसा में शेरशाह द्वारा उसकी हार (945 हि०), कन्नौज में शेरशाह की उस पर पूर्ण विजय (947 हि०), फिर शेरशाह का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक (948 हि०), ये घटनाएँ उनके जीवन काल में घटीं। मेरे मित्र श्री शम्भुप्रसाद जी बहुगुणा ने मुझे एक बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिया है कि पद्मावत के विविध हस्तलेखों की तिथियाँ इन घटनाओं से मेल खाती हैं। हि० 927 में प्रारम्भ करके अपना काव्य कवि ने कुछ वर्षों में समाप्त कर लिया होगा। उसके बाद उनकी हस्तलिखित प्रतियाँ समय-समय पर बनती रहीं। भिन्न तिथियों वाले सब संस्करण समय की आवश्यकता के अनुकूल चालू किये गये। 927 वाली कवि लिखित प्रति मूल प्रति थी। 936 वाली प्रति की मूल प्रति हुमायूँ के राज्यारोहण की स्मृति रूप में चालू की गई। हि० 945 वाली प्रति जिसका माताप्रसाद जी गुप्त ने पाठान्तर में उल्लेख किया है, शेरशाह की चौसा युद्ध में हुमायूँ पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चालू की गई। 947 वाली चौथी प्रति शेरशाह की हुमायूँ पर कन्नौज विजय की स्मृति का संकेत देती है। पाँचवीं या अन्तिम प्रति 948 हि० की है, जब शेरशाह दिल्ली के तख्त पर बैठ कर राज्य करने लगा था। मूल ग्रन्थ जैसे का रत्ना रहा, केवल शाहे बक्त वाला अक्ष उस समय जोड़ा गया। पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना के लिये चार वर्षों का समय लगा होगा। सम्भावना है कि उसके बाद कवि कुछ वर्षों तक जीवित रहा हो। पद्मावत के कारण उसके महान् व्यक्तित्व की कीर्ति फैल गई होगी। शेरशाह के प्रभुदय काल में कवि का बादशाह से साक्षात् मिलन भी बहुत सम्भव है। इस सम्बन्ध में पद्मावत का यह दोहा ध्यान आकृष्ट करता है :

दीन्ह असीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज ।

पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥13१8-9

दोहे के शब्दों में जो प्रात्मीयता है प्रौर प्रत्यक्ष घटना जैसा चित्र है, वह इंगित करता है कि जैसे वृद्ध कवि ने स्वयं मुलतान के सामने हाथ उठा कर आशीर्वाद दिया हो। इस घटना के बाद ही शाहे बक्त की प्रणसा वाला अक्ष शुरू में जोड़ा गया होगा। रामपुर की प्रति में इस अक्ष का स्थान भी बदला हुआ है। उसमें माताप्रसाद जो के दोहों की संख्या का पूर्वापर क्रम यह है—दो 12, 20 (गुरू महवी...), 18 (सेयद अरसरफ...), 19 (उन्ह घर रतन...), 13, 14, 15, 16, 17, 21 अर्थात् शेरशाह वाले पाँच दोहों को गुरू-परम्परा के वर्णन के बाद रखा गया है। इससे अनुमान होता है कि बाद में बढ़ाए हुए इस अक्ष का ठीक स्थान कहाँ हो, इस बारे में प्रतियों की कम से कम एक परम्परा में विकल्प आवश्यक था।¹

इस उद्धरण से काल-निर्णय में भ्रमेले के लिये तीन कारण सामने आते हैं, पहला पाठ-भेद—5 पाठ-भेद मिले। पाठालोचन से भी इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रकाश्य निर्णय

नहीं किया जा सका। यों 927 हिजरी का पक्ष डॉ० अग्रवाल को भी भारी लगता है। कारण यही है कि यह कई प्रतियों में है।

दूसरा—काल-संकेत में केवल सन् का उल्लेख है, बिस्तृत तिथि-विवरण—तिथि, दिन, महीना, पक्ष नहीं दिया गया, अतः गणना और पचांग से शुद्ध 'काल' की परीक्षा नहीं हो सकती।

तीसरा कारण है, ऐतिहासिक उल्लेख :

‘सेरसाहि दिल्ली मुलतानू
चारिउ खड तपइ जस भानू ॥’

यह शेरशाह का दिल्ली का मुलतान होना ऐतिहासिक काल-क्रम में 927, 936, 945 हिजरी में मेल नहीं खाता। 947 कुछ ठीक बैठता है। पर ‘तपे जस भानू’ तो 948 हि० में ही सम्भव था। इस ऐतिहासिक घटना ने 927 से अलग होकर यथार्थ भ्रमला खडा कर दिया है।

इसके समाधान में ही यह अनुमान प्रस्तुत करना पडा कि जायसी ने पद्मावत की रचना आरम्भ तो 927 हिजरी में की, केवल ‘गाहेवक्त’ विषयक पक्तियाँ सन् 948 हि० में लिखीं।

सन् के विविध पाठ-भेदों को विविध ऐतिहासिक घटनाओं का स्मारक मानने की कल्पना भी इतिहास की पृष्ठभूमि में समीचीनता की दृष्टि से रोचक है। प्रामाणिक कितनी हैं, यह कहना कठिन है।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सांस्कृतिक उल्लेख

यह पक्ष भी उभयाश्रित है। अंतरंग से उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री की संगति बाह्य साक्ष्य से बिठाकर काल-निर्णय में सहायता ली जाती है। बाह्य साक्ष्य काल-निर्धारण में प्रमुख रहता है अतः इसे बाह्य साक्ष्य में रखा जा सकता है।

यह भी तथ्य है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को काल-क्रम निर्धारण में उपयोगी बनाने के लिए उनका स्वयं का काल-क्रम किसी अन्य आधार से, वह अधिकांशतः ऐतिहासिक हो सकता है, सुनिश्चित करना होगा।

यह भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री को बिल्कुल अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों का इतना अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है कि दोनों को एक मान कर चलना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक साक्ष्य से काल-निर्धारण का उदाहरण डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित ‘वसन्त विलास और उसकी भाषा’ शीर्षक पुस्तक से मिलता है।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व ‘वसन्त विलास’ के काल-निर्णय का प्रयत्न प्रो० डब्ल्यू० नारमन ब्राउन और उनसे पूर्व श्री कान्तिबाल बी० व्यास कर चुके थे। इन दोनों ने भाषा को आधार मान कर ऊपरली और निचली काल सीमाएँ निर्धारित की थीं—वे यों 1400-1424 के बीच।

इसका खंडन और अपने मत का संकेत उक्त पुस्तक की भूमिका में रचना-काल शीर्षक में संक्षेप में यों दिया है।

‘‘कृति के रचना-काल का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उसकी प्राचीनतम प्राप्त

प्रति सं० 1508 की है¹, इसलिये यह उसकी रचना-तिथि की एक सीमा है। सं० 1508 की प्रति का पाठ शक्य ही कुछ-न-कुछ प्रक्षेप-पूर्ण हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, और पाठान्तरो की दृष्टि से अनेक स्थलो पर उससे भिन्न प्रतियों के पाठ अधिक प्राचीन जात होते हैं, इसलिये, रचना का समय सामान्यतः उससे काफी पहले का होना चाहिये। यह स्पष्ट है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रायः विद्वानों ने रचना की उक्त प्राचीनतम प्राप्त प्रति की तिथि से उसे एक शताब्दी पूर्व माना है। किन्तु मेरी समझ में यहाँ उन्होंने अटकल से ही काम लिया है। पूरी रचना आनंद-प्रमोद और क्रीडापूर्ण नागरिक जीवन का ऐसा चित्र उपस्थित करती है जो मुख्य हिन्दी प्रदेश में 1250 वि० की जयचन्द पर मुहम्मद गौरी की विजय के अनंतर और गुजरात में 1356 वि० के अलाउद्दीन के सेनापति उलुगखा की विजय के अनंतर इस्लामी शासन के स्थापित होने पर समाप्त हो गया था। इसलिये रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं शती के मध्य, ईस्वी 13वीं शती—की होनी चाहिये।²

फिर डॉ० गुप्त ने विस्तारपूर्वक 'बसन्त विलास' के उद्धरणों से उस जन-जीवन का विवरण दिया है और तब निष्कर्षतः लिखा है कि :

“इस व्याख्या में यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि तेरहवीं शती ईस्वी की मुसलमानों की उत्तर-भारत-विजय से पूर्व का ही नागरिक जीवन रचना में चित्रित है। मुसलमानों के शासन के अन्तर्गत इस प्रकार की स्वच्छन्दता से नगर के युवक-युवतियों को नगर के क्रीडा-वनों में मिलने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है जैसी वह इस काव्य में वर्णित हुई है। कवि किसी पूर्ववर्ती ऐतिहासिक युग का इसमें वर्णन भी नहीं करता है, वह अपने ही समय के बसन्त के उल्लास-विलास का वर्णन करता है, इसलिये मेरा अनुमान है कि 'बसन्त-विलास' का रचना-काल सं० 1356 के पूर्व का तो होना ही चाहिये और यदि वह सं० 1250 से भी पूर्व की रचना प्रमाणित हो तो मुझे आश्चर्य न होगा। सम्भव है उसकी भाषा का प्राप्त रूप हम परिणाम को स्वीकार करने में बाधक हो। किन्तु भाषा प्रतिलिपि-परम्परा में घिसकर धीरे-धीरे अधिकाधिक आधुनिक होती जाती है। इसलिये भाषा का स्वरूप प्राप्त परिणाम को स्वीकार करने में बाधक नहीं होना चाहिये।”³

इस उद्धरण से उस प्रणाली का उद्घाटन होता है जिससे सांस्कृतिक-सामाजिक सामग्री को काल-निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है।

इसमें सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का, बसन्त के अक्षर का आनंद-प्रमोद वर्णित है। डॉ० गुप्त ने इस आधार को लेकर एक ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न किया है। वह घटना है उत्तरी भारत और गुजरात पर इस्लामी विजय और शासन-इनका काल विदित है 1250 तथा 1356। कल्पना यह है कि इस समय के बाद ऐसा जीवन जिया नहीं जा सकता था; न कवि उसका ऐसा सजीव वर्णन ही कर सकता था।

1. (अ) यह साध्य की दृष्टि से काल सकेत युक्त प्रतिलिपि भी महत्वपूर्ण होती है, यह इत्ते सिद्ध होता है।
(आ) यथा—श्री मजुलस मजुमदार—गुजराती साहित्य ना स्वरूपो पद्य विभाग पृ० 225।
2. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—बसन्त विलास और उसकी भाषा, पृ० 4-5।
3. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—दृष्टं विधात, और उसकी भाषा, पृ० 8।

वैसा वर्णन उम काल में रहने वाला कवि ही कर सकता है। 'बसन्त बिलास' से उसकी वर्तमानकालिकता प्रकट है। स्पष्ट है कि एक प्रकरण का मेल इतिहास काल-क्रम वाली एक घटना से स्थिर किया गया, तब काल-विषयक निष्कर्ष पर पहुँचा गया।

इस काल-निर्धारण में भाषा का साक्ष्य बाधक प्रतीत होता था क्योंकि गुप्त से पूर्व दो विद्वानों ने भाषा के साक्ष्य पर ही 1400-1425 के बीच काल-निर्धारित किया था, अतः इस तर्क को इस निदान्त से काट दिया कि 'प्रतिलिपि परम्परा' में भाषा अशुद्धिक-शुद्धिक आधुनिक होती जाती है।

स्पष्ट है कि सांस्कृतिक बाह्य साक्ष्य + इतिहास-सिद्ध कालक्रमयुक्त घटना से यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है।

जिस प्रकार समाज और संस्कृति को उक्त रूप में काल-निर्धारण के लिये साक्ष्य बनाया जा सकता है, उसी प्रकार धर्म, राजनीति, शिक्षा, आर्थिक तत्त्व, ज्योतिष आदि भी अपनी-आपनी तरह से काल सापेक्ष होते हैं, अतः काल-निर्धारण में मात्र किसी एक आधार से काम नहीं चल पाता, जितनी भी बातों में काल-सूचक बीज होने की सम्भावना हो सकती है, उनकी परीक्षा की जाती है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि का काल-निर्णय करने में साहित्यिक तर्क (Literary argument),¹ मस्करी परिव्राजक एक विशेष शब्द,² बुद्ध धर्म³, आविष्टा प्रथम नक्षत्र⁴, नन्द से सम्बन्ध⁵, राजनीतिक सामग्री (data), यवनानों लिपि का उल्लेख, पण्ड विषयक⁶ कथागत स्थान नाम, क्षुद्रक-मालय⁷ पाणिनि और कौटिल्य⁸, सिबका का साक्ष्य, व्यक्ति-नाम (गोत्रनाम एवं नक्षत्र-नाम के आधार पर), पाणिनि और जातक, पाणिनि तथा मध्यम पथ आदि की परीक्षा की। स्पष्ट है कि काल-निर्धारण में एक नहीं अनेक प्रकार के साक्ष्यों की परीक्षा करनी होती है। पहले के तर्कों और प्रमाणों की समीचीनता सिद्ध या अस्िद्ध करनी होती है। बाह्य साक्ष्य में से बहुत से अंतरंग साक्ष्य से गुँथे हुए हैं। अंतरंग साक्ष्य

अंतरंग साक्ष्य को दो पक्षों में बाँट सकते हैं, एक है स्थूल पक्ष, दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल पक्ष का सम्बन्ध उन भौतिक वस्तुओं से होता है जिनसे शय निर्मित हुआ है। इसे वस्तुगत पक्ष कह सकते हैं, जैसे-ग्रन्थ का कागज, ताडपत्र आदि। उसका आकार-प्रकार भी कुछ अर्थ रखते ही हैं। स्याही भी इसमें सहायक हो सकती है। इसी स्थूल पक्ष का एक और पहलू है लेखन। लेखन व्यक्तिगत पहलू माना जा सकता है। व्यक्ति अर्थात् लेखक

1. वस्तुतः यह तर्क गोल्टस्टुकर के इस तर्क को काटने के लिये दिया है कि पाणिनि आरण्यक, उपनिषद्, प्रातिशाध्य, राजसूतेयी संहिता, णतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और षड्-दर्शन से परिचित नहीं थे, अतः पाण् के बाद पाणिनि हुए थे।
2. यह सिद्ध करने के लिये कि इन व्यक्ति से पाणिनि परिचित थे, अतः इनके बाद ही हुए।
3. गोल्टस्टुकर के इस तर्क का खंडन करने के लिये कि पाणिनि बुद्ध में पूर्व हुए।
4. ज्योतिष पर आधारित साक्ष्य।
5. ऐतिहासिक आधार।
6. एक विशेष जाति सम्बन्धी।
7. यको का संबंध एवं सैष्य संगठन तथा युद्ध-विद्या सम्बन्धी।
8. कुछ शिल्पित शब्दों से दोनों परिचित थे, इस आधार पर काल निर्धारण में सहायता।

या लिपिकार का लिखने का अपना ढंग होता है। इसमें लिपि का पहला स्थान है : इसमें देखना होता है कि कौनसी लिपि में लेखक ने लिखा है ? यही नहीं, वरन् यह भी देखना होता है कि जिस लिपि में उसने लिखा है, उसके किस रूप में और प्रक्षर के किस प्रकार में लिखा है। लिपि का भी इतिहास होता है, और उसकी वर्णमाला के प्रक्षरों का भी होता है। प्रत्येक लेखक कालगत स्थिति में अपनी पद्धति में लिखता है। इसे भी क्या काल-निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है, यह देखना होता है। लेखन में अलकरणों का भी स्थान होता है। लिपि को भी विविध प्रकार से अलंकृत किया जाता है, तथा लेख में जहाँ-तहाँ मंगल उपकरणों से तथा अन्य प्रकार से सजाया जाता है। क्या इनसे भी काल-निर्णय में कोई सहायता मिल सकती है, यह भी देखना होगा। पृष्ठांकन प्रणाली का अन्तर भी इसी वर्ग में आयेगा। सचित्र ग्रन्थ हों तो चित्र-योजना पर भी काल-निर्धारण की दृष्टि से विचार करना होगा। इनके बाद हमें यह अनुसंधान भी करना होगा कि क्या कोई और ऐसा तत्व हो सकता है जो व्यक्तिगत पक्ष में आता हो और उक्त वस्तुओं में न पा पाया हो। अब हम पहले वस्तुगत पक्ष में कागज को लेते हैं।

कागज = लिप्यासन

यहाँ कागज का व्यापक अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसे 'लिप्यासन' नाम दिया गया है। यह हम पहले देख चुके हैं कि लिप्यासन में पत्थर, ईंट, घास, जमड़ा, पत्र आल, कागज आदि सभी आते हैं।

हम यह देख चुके हैं कि लिप्यासनों के प्रकारों से लेखन के विभिन्न युगों से सम्बन्ध है। ईंटों पर लेखन ईसा के 3000 वर्ष पूर्व तक हुआ, यह माना जा सकता है। इसी प्रकार 3000 ई०पू० से पेपिरस के रोलों (Rolls) का युग चलता है। ई०पू० 1000 से 800 के बीच कोडेक्स या चर्म-पुस्तकों का युग आरम्भ हुआ माना जा सकता है। तब कागज का आरम्भ चीन से होकर यूरोप पहुँचा। सन् 105 ई० से कागज का प्रचार ऐसा हुआ कि ग्रन्थ लिप्यासनों का उपयोग समाप्त हो गया। भारत में कागज सिकन्दर के समय में भी बनता था किन्तु ईंटों के बाद पत्थर, और उसके बाद ताड़-पत्र एवं भूर्ज-पत्रों का उपयोग विशेष होता रहा। भूर्ज-पत्र से भी अधिक ताड़-पत्र का उपयोग भारत में हुआ है।

कागज का प्रचार सबसे अधिक हुआ है।

ये लिप्यासन काल-निर्धारण में केवल इसीलिए महायुक्त माने जा सकते हैं कि इन पर भी काल का प्रभाव पड़ता है। काल का प्रभाव अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग-अलग पड़ता है। नेपाल में ताड़-पत्रीय संस्कृत ग्रन्थों के अनुसन्धान के विवरण में यह उल्लेख है कि ताड़पत्र-ग्रन्थों के लिये नेपाल का वातावरण, जलवायु अनुकूल है। वहाँ कालगत प्रभाव जलवायु से कुछ परिमित हो जाता है। फिर भी, प्रभाव पड़ता तो है ही। इसी काल-प्रभाव को अभी तक केवल अनुमान से ही बताया जाता रहा है। यह अनुमान पांडुलिपि-विज्ञानवेत्ता या पांडुलिपियों से सम्बन्धित व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। अनुभवी व्यक्ति ग्रन्थ के कागज का रूप देख कर यह बात बता सकता है कि अनुमानतः यह पुस्तक कितनी पुरानी हो सकती है। यह अनुभवान्वित अनुमान ग्रन्थ अक्षय से पुष्ट भी होना चाहिये। यदि प्रमाण से पुष्ट नहीं होता तो वह तभी तक कुंक्ष

प्राधार के रूप में बना रहेगा जब तक कि या तो इसे खंडित नहीं कर दिया जाता या पुष्ट नहीं कर दिया जाता ।

हाँ, एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिससे अनुभवाश्रित अनुमान अधिक महत्व का हो सकता है । दो हस्तलेखों की तुलना में एक पुरानी प्रति अपनी जीर्णता-शीर्णता प्रादि के कारण निश्चय ही कुछ वर्ष दूसरे से पहले की मानी जा सकता है । अनुसंधान विवरणों और हस्तलेखों के काल-निर्णयक तर्कों में प्रति की प्राचीनता भी एक प्राधार होती है ।

वास्तविक बात यह है कि काल-क्रम की दृष्टि से कागजों के सम्बन्ध में दो बातों पर अनुसंधानपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिये । एक तो कागजों के कई प्रकार मिलते हैं । हाथ के बने कागज भी स्थान भेदों से कितने ही प्रकार के हैं, और इसी प्रकार मिल के बने कागजों के भी कितने ही भेद हैं । इनमें परस्पर काल-क्रम निर्धारित किया जाना चाहिये ।

हमारे यहाँ 20 वीं शताब्दी से पूर्व हाथ का बना कागज ही काम में आता था । प्रायः सभी षण्डुलिपियाँ उन्हीं कागजों पर लिखी मिलती हैं ।

अब यह प्रावश्यक है कि कोई वैज्ञानिक विधि रासायनिक या राशिक प्राधार पर ऐसी प्राविष्कृत की जाय कि ग्रन्थ के कागज की परीक्षा करके उनके काल का वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा सके ।

जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अनुभवाश्रित अनुमान से जो सहायता ली जा सकती है, ली जानी चाहिये ।

स्याही

स्याही को भी काल-निर्णय में कागज की तरह ही सहायक माना जा सकता है । काल का प्रभाव स्याही पर भी पड़ता ही है, पर उसको जानने के लिए और उस प्रभाव में समय को धरकने के लिए कोई निश्चित साधन नहीं है ।

इन दोनों के सम्बन्ध में एक विद्वान¹ का कथन है कि "जब किसी संग्रह के ग्रन्थों को देखते हैं तो उसकी विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशाओं में मिलती हैं । कोई-कोई ग्रन्थ तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताजी अवस्था में मिलता है । उसका कागज भी अच्छी हालत में होता है, और स्याही भी जैसी की तैसी चमकती हुई मिलती है, परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों के लिखे होने पर भी उनके पत्र तड़कने से और पक्षर रगड़ से विकृत पाये जाते हैं ।"

इस कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि कागज और स्याही को काल-निर्णय का साधन बनाते समय बहुत सावधानी अपेक्षित है, और उन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखना होगा जिनसे कागज और स्याही पर कालगत प्रभाव या तो पड़ा ही नहीं, या बहुत कम पड़ा, या कम पड़ा, या सामान्य पड़ा, या अधिक पड़ा ।

षण्डुलिपि-विदों ने काल-निर्णय में जहाँ इन दोनों का उपयोग किया है वहाँ तुलना के प्राधार पर ही किया है ।

लिपि

लिपि काल-निर्धारण में सहायक हो सकती है, क्योंकि उसका विकास होता प्राया

1. श्री दीनानाथ माधव षण्ड की लिपि-विदा ।

हैं, उस विकास में अक्षरों के लिपि-रूपों में परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें काल-सीमाओं में बाँधा गया है। अक्षर का एक लिपि-रूप एक विशेष काल-सीमा में चला, फिर उसमें विकास या परिवर्तन हुआ और नया रूप एक विशेष काल-सीमा में प्रचलित रहा। प्राये भी इसी प्रकार होता गया और विविध अक्षर-रूप विविध काल-सीमाओं में प्रचलित मिले। इस कारण एक विशेष अक्षर-रूप वाली लिपि को उस विशेष काल-अवधि का माना जा सकता है, जिसमें लिपि-वैज्ञानिकों ने उसे प्रचलित सिद्ध किया है।

शिलालेखों एवं अभिलेखों में लिपि के विकास की इन कालावधियों को सुविधा के लिये नाम भी दे दिये गये हैं।

प्रशांश-कालीन ब्राह्मी लिपि की कालावधि ई०पू० 500 से 300 ई० तक मानी गई। इस बीच में इसके अक्षर-रूपों में कुछ परिवर्तन हुए मिलते हैं। इन परिवर्तनों से एक नया रूप चौथी शती ई० में उभर उठना है।

इस गुप्तलिपि का नाम दिया गया, क्योंकि गुप्त सम्राटों के काल में इसका अशोक कालीन ब्राह्मी से पृथक् रूप उभर आया। गुप्तलिपि का यह रूप छठी शती ई० तक चला। अन्य परिवर्तनों के साथ इसमें एक वैशिष्ट्य यह मिलता है कि सभी अक्षरों में कोण तथा मिररे या रेखा का समावेश हुआ। इसी को 'सिद्ध मातृका' का नाम दिया गया है।

इस लिपि में छठी से नवमी शताब्दी के बीच फिर ऐसा वैशिष्ट्य उभरा जो इसे गुप्तलिपि से पृथक् कर देता है। ये वैशिष्ट्य है (1) गुप्तलिपि के अक्षरों की खड़ी रेखाएँ नीचे की ओर बायीं दिशा में मुड़ी मिलती हैं तथा (2) मात्राएँ टेढ़ी और लम्बी हो गई हैं, इसलिये इन्हें 'कुटिलाक्षर' या 'कुटिल लिपि' कहा गया। कही-कही 'विकटाक्षर' भी नाम है।

'सिद्ध मातृका' से 'नागरी लिपि' का विकास हुआ। इसका आभास तो सातवीं शती से ही मिलता है, पर नवमी शताब्दी से अभिलेख और अन्य इस लिपि में लिखे जाने लगे। 11 वीं शती में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा।

यह स्थूल काल-विधान दिया गया है, यह बताने के लिए कि विशेष युग में लिपि का विशेष रूप मिलता है, अतः किसी विशेष लिपि-रूप से उसके काल का भी अनुमान लगाया जा सकता है, और लगाया भी गया है।

ग्रन्थों में उपयोग में आने पर भी लिपि-विकास रुकता नहीं, मन्द हो सकता है। यही कारण है कि ग्रन्थों की लिपियों में भी काल-भेद से ह्वास्त मिलता है, अतः उसके आधार को काल-निर्णय का आधार किसी सीमा तक बनाया जा सकता है :

इसके लिये 'राउलबेलि' के सम्बन्ध में यह उद्धरण उदाहरणार्थ दिया जा सकता है। 'राउलबेलि' एक कृति या ग्रन्थ ही है, जो शिलालेख के रूप में धार से प्राप्त हुआ है। यह ग्रिम ग्रॉव वेल्स म्यूजियम, बम्बई में सुरक्षित है।

इस शिवाकित कृति में रचना-काल नहीं दिया गया। इसकी घतरग सामग्री से किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना का भी संबंध नहीं मिलता। इस कारण इतिहास से भी काल-निर्धारण में सहायता नहीं मिलती। अतः इस कृति के सम्पादक डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा :

‘रचना का नाम ‘राउल बेल’—राजकुल-विलास है. इसलिये शिलालेख के व्यक्ति राजकुल के प्रतीत होते हैं। किन्तु प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से इन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। लेख के अन्त में दोनों छोरों पर दो प्राकृतियाँ हैं, जिनमें से एक भग्न है, जो शेष है वह कमल-वन की है, और जो भग्न है निश्चय ही वह भी उसी की रही होगी। इस प्रकार की प्राकृतियाँ लेखों के अन्त में उनकी समाप्ति सूचित करने के लिये दी जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में लेख का समय निर्धारण केवल लिपि-विन्यास के आधार पर सम्भव है। इसकी लिपि सम्पूर्ण रूप से भोज देव के ‘कूर्मशतक’ वाले धार के शिलालेख से मिलती है (दे० इण्डियाफिया इंडिका, जिल्द 8, पृ० 241)। दोनों में किसी भी मात्रा में अन्तर नहीं है, और उसके कुछ बाद के लिखे हुए अर्जुनवर्म देव के समय के ‘पारजात मंजरी’ के धार के शिलालेख की लिपि किञ्चित् बदली हुई है (दे० इण्डियाफिया इंडिका, जिल्द 8, पृ० 96) इसलिये इस लेख का समय ‘कूर्मशतक’ के उक्त शिलालेख के प्राप्त-पास ही अर्थात् 11वीं शती ईस्वी होना चाहिये।”¹

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लिपि भी काल-निर्धारण में सहायक हो सकती है। लिपि का विशेष रूप काल से सम्बद्ध है, और ज्ञात कालीन रचना की लिपि से तुलना पर साम्य देखकर वात-निर्णय किया जा सकता है। ‘कूर्मशतक’ भोजदेव की कृति है, उसका काल भोजदेव के काल के आधार पर ज्ञात माना जा सकता है। जिस काल में ‘कूर्मशतक’ की रचना हुई, उसके कुछ समय बाद की शिलालिखित ‘पारजात मंजरी’ की लिपि भिन्न है, अतः ‘राउलबेल’ की लिपि उससे पूर्व की और ‘कूर्मशतक’ के समकालीन ठहरती है तो रचनाकाल 11 वीं शती माना जा सकता है।

इसमें 1 लिपि साम्य, और 2 लिपि-भेद के दो साक्ष्य लिये गये हैं। वास्तव में लिपि के अक्षरों और मात्राओं के रूप ही नहीं अक्षररूपों के रूप को भी काल-निर्धारण में साक्ष्य मानना होगा।

ऐतिहासिक दृष्टि से तो ‘भारतीय लिपि और भारतीय अभिलेख’ विषयक रचनाओं में लिपियों के कालगत भेदों और उनके अक्षरों और मात्राओं के रूपों में अन्तर का उल्लेख सोदाहरण और सचित्र हुआ है। किन्तु ग्रन्थों की लिपियों का इतना गहन और विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ। लिपि के आधार पर ग्रन्थों के काल-निर्धारण की दृष्टि से शताब्दी क्रम में ग्रन्थों में मिलने वाले लिपि-अन्तरों और वैशिष्ट्यों का अध्ययन होना चाहिये। इसका कुछ प्रयत्न ‘लिपि-समस्या’ वाले अध्याय में किया भी गया है।² पर, वह अपर्याप्त ही है।

इस सम्बन्ध में पहला महत्वपूर्ण कार्य क०मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान-विद्यापीठ के अनुसन्धानाधिकारी विद्वद्भर प० उदयशंकर शास्त्री का है। इन्होंने परिश्रमपूर्वक काल-क्रम से मिलने वाले अक्षर, मात्रा और अंकों के रूप शिलालेख आदि के साथ ग्रन्थों के आधार पर भी दिये हैं। इस अध्ययन को पाठुलिपि-विज्ञानार्थी को और ध्याते बढ़ाना चाहिये। इनका यह फलक हमने ‘लिपि समस्या’ शीर्षक अध्याय में दिया है। उसमें कुछ और रूप भी हमने जोड़े हैं।

1. गुप्त, माताप्रसाद, (दे०)—राउल बेल और उसकी भाषा, पृ० 19।

2. अध्याय-बन्धाय-5।

लिपि रचना-काल-निर्धारण में तभी यथार्थ सहायता कर सकती है जब काल-क्रम से प्राप्त प्रायः सभी या अधिकांश हस्तलेखों में अक्षर, मात्रा और अंक के रूप तुलनापूर्वक कालक्रमानुसार दिये जायें और कालक्रमानुसार उनके वैशिष्ट्य भी प्रस्तुत किये जायें।

लेखन-पद्धति, अलंकरण आदि

वैसे तो लेखन-पद्धति, अलंकरण आदि का भी सम्बन्ध कालावधि से होता ही है, क्योंकि लिखने की पद्धति, उसे अलंकृत करने के चिह्न और उपादान, इनसे सम्बन्धित संकेताक्षरों और चिह्नों का प्रयोग, मांगलिक तत्त्वों का अंकन, सभी का काल-सापेक्ष प्रयोग होता है। इनसे प्रयोग को काल-क्रम में बाँध कर अध्ययन किया जा सकता है, और तब काल-निर्धारण में इनकी सहायता ली जा सकती है। यथा—

संकेताक्षरों की कालावधि :

पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व	1. म, समु, सव, सम्ब या सबत्—	सबत्सर के लिए
	2. प	पक्ष के लिए
	3. दि या दिव	दिवस के लिए
	4. गि, यु०, अ०	ग्रीष्म के लिए
	5. व या वा	वर्ष (प्रा० वासी) के लिए
	6. हे या हेम आदि	हेमन्त के लिए
पाँचवीं शती से और आगे	1. दू०	दूतक के लिए
	2. रू०	रूपक के लिए
	3. द्वि०	द्वितीया के लिए
	4. नि०	'निरीक्षित' के लिए, निबद्ध के लिए
	5. महाक्षनि (सयुक्त शब्द)	महाक्षपटलिक-निरीक्षित के लिए
	6. श्रीनि	श्रीहस्त श्रीचरण निरीक्षित के लिए
	7. श्री नि महासाम	श्री हस्तनिरीक्षित एवं महा-सधिविग्रहिक निरीक्षित के लिए।

वस्तुतः काल-निर्णय में सहायक होने की दृष्टि से अभी संकेताक्षरों को काल-क्रम और कालावधि में बाँध कर प्रस्तुत करने के प्रयत्न नहीं हुए।

लेखन-पद्धति में ही सम्बोधन और उपाधिबोधक शब्द भी स्थान रखेंगे। हम देख चुके हैं कि शब्दों के लेख में 'स्वामी' सम्बोधन को देख कर और नाट्यशास्त्र में राजा के लिये उसे प्रयुक्त बताया देख कर कुछ विद्वान नाट्य कला का आरम्भ भी विदेशी शासकों से मानने लगे थे।

सम्बोधन और उपाधिबोधक शब्दों को काल-क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता

272-232 ई०पू०

द्वितीय शती ई०पू०

प्रथम शताब्दी

द्वितीय शती ई०पू०

प्रथम शती ई०पू०

चौथी शती ईसवी
(गुप्त काल)

6 औ शती ईसवी

9वीं, 10वीं शती ई०

1. राजन् (अशोक जैसे सम्राट के लिए)
देवी (राज्ञी-रानी)
2. महाराजा (भारतीय यूनानी शासकों के लिए)
3. महाराज्ञी (महादेवी) कृतर
(संस्कृत शब्द: रक्षक राजा के लिए)
4. अपकरण (स. अपरप्रथम, अपरतिद्वन्द्वी रक्षित)
5. राजन् (यह शब्द भी प्रयोग में था)
6. महारजस रजरजस (या रजरिरजस) महारजस
(सं० महाराजस्य राजराजस्य महतः
या राजाधिराजस्य महतः)
7. महाराजाधिराज या भट्टारक महाराज
राजाधिराज । महाराजाधिराज परमभट्टारक
8. महाराज (7. के प्राचीन राजा)
9. राजाधिराज परमेश्वर
10. पंच महाशब्द - 'प्राप्त पञ्चमहा शब्द' या
'समाधिगत पंच महाशब्द :

पञ्चमहाशब्द—1. महाप्रतिहार

या 2. महासंघिषिप्रहिक

प्रशेष महाशब्द—3. महाभरबशासाधिकृत

4. महामाषागारिक

5. महासाधनिक

अथवा

1. महाराज

2. महासामन्त

3. महाकार्ताकृतिक

4. महादण्डनायक

5. महाप्रतिहार

अथवा

पञ्चमहाशब्दपञ्च महाशब्द प्रादि

ऐसे उपाधिबोध और नामों की एक लम्बी सूची बनायी जा सकती है और प्रत्येक को कालाधि ऐतिहासिक काल-क्रमणिका में स्थिर की जा सकती है, तब ये काल-निर्धारण में अधिक सहायक हो सकते हैं ।

इसी प्रकार से अन्य वैशिष्ट्य भी लेखन-पद्धति में काल-भेद से मिलते हैं, जिन्हें काल-तालिका में यथा-स्थान निबद्ध करना चाहिये और पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को स्वयं ऐसी कालक्रम तालिकाएँ बना लेनी चाहिये ।

इसी प्रकार अलंकरण-विधान भी काल-क्रमानुसार मिलते हैं, अतः इनकी भी सूची प्रस्तुत की जा सकती है और काल-क्रम निर्धारित किया जा सकता है।

अन्तरंग पक्ष : सूक्ष्म साक्ष्य

ऊपर स्थूल-पक्ष पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। अब सूक्ष्म साक्ष्य पर भी संक्षेप में दिशा-निर्देश उचित प्रतीत होता है। सूक्ष्म साक्ष्य में वह सबकुछ समाहित किया जाता है जो स्थूल पक्ष में नहीं आ पाता। इसमें पहला साक्ष्य भाषा का है।

भाषा

भाषा का विकास और रूप-परिवर्तन भी काल-विकास के साथ होता है, अतः भाषा का गम्भीर अध्ययन उसकी रूप-रचना और शब्द-सम्पत्ति तथा व्याकरणगत स्थिति के आधार पर विकास के विविध चरणों को कालावधियों में बाँट कर, काल-निर्धारण में सहायक के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। इसका एक उदाहरण 'बसन्त विलास' के काल-निर्धारण का दिया जा सकता है। यह हम देख चुके हैं कि 'बसन्त-विलास' में काल विषयक पुष्पिका नहीं है। तब डॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व जिन विद्वानों ने 'बसन्त विलास' का सम्पादन किया था उन्होंने भाषा के साक्ष्य को ही महत्त्व दिया था। उनके तर्कों को डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने संक्षेप में यों दिया है :

“श्री व्याम (श्री कान्तिनाथ वी० व्याम) ने 1942 में प्रकाशित अपने पूर्वोक्त संस्करण में कृति की रचना-तिथि पर बड़े विस्तार से विचार किया है (भूमिका पृ० 29-37)। उन्होंने बताया है कि स० 1517 के लगभग लिखते हुए रत्नमन्दिर गणि ने अपनी 'उपदेशतरंगिणी' में 'बसन्त-विलास' का एक दोहा उद्धृत किया है, और रचना की सबसे प्राचीन प्रति, जो कि चित्रित भी है, स० 1508 की है, इससे स्पष्ट है कि रचना विक्रमीय 16वीं शती के प्रारम्भ में ही पर्याप्त ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी थी।” (यहाँ तक बाह्य साक्ष्यों का उपयोग किया गया है) “साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाषा की दृष्टि से विचार करने पर कृति की तिथि की दूसरी सीमा स० 1350 वि० मानी जा सकती है। भाषा-सम्बन्धी इस साक्ष्य पर विचार करने के लिए उन्होंने स० 1330 में लिपिवद्ध 'पाराशना', स० 1369 में लिपिवद्ध 'प्रतिचार' स० 1411 में लिखित 'सम्पत्कव कथानक' स० 1415 में लिखित 'गौतम रास' स० 1450 में लिखित 'मुग्धावबोध प्रीतिक', स० 1466 में लिखित 'श्रावक प्रतिचार', स० 1478 में लिखित 'पृथ्वी चन्द्र चरित्र' तथा स० 1500 में लिखित 'नमस्कार बालावबोध' से उद्धरण देते हुए उनकी भाषाओं से 'बसन्त-विलास' की भाषा की तुलना की है और लिखा है कि 'बसन्त-विलास' की भाषा 'श्रावक प्रतिचार' (स० 1466) तथा 'मुग्धावबोधप्रीतिक', (स० 1450) से पूर्व की और 'सम्पत्कव कथानक' (स० 1411) तथा 'गौतम रास' (स० 1412) के निकट की शायद होती है। इस भाषा सम्बन्धी साक्ष्य से तथा इस तथ्य से कि रत्नमन्दिर गणि के समय (स० 1517) तक कृति ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 'बसन्त-विलास' की रचना स० 1400 के आस-पास हुई थी। इसलिए मेरी राय में विक्रमीय 15 वीं शती का प्रथम चतुर्थांश ही (स० 1400-1425) 'बसन्त विलास' का सम्भव रचनाकाल होना चाहिये (भूमिका पृ० 37)।”¹

1. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—बसन्त-विलास और उसकी भाषा, (भूमिका), पृ० 4।

डॉ० गुप्त के इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि 'बसन्त-विलास' के काल-निर्धारण में भाषा-साक्ष्य के लिए 1330 से लेकर 1500 संवत् तक के काल-युक्त प्रामाणिक ग्रन्थों को लेकर उनसे तुलनापूर्वक बसन्त-विलास के काल का निर्धारण किया गया है। इसमें मुख्य साक्ष्य भाषा का ही है।

भाषा का साक्ष्य सहायक के रूप में अन्य साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ घा सकता है।

वस्तुविषयक साक्ष्य

वस्तु-विषयक साक्ष्य में वस्तु सम्बन्धी बातें घाती हैं, उदाहरणार्थ, भारत के नाट्य-शास्त्र के काल निर्धारण में एक तर्क यह दिया जाता है कि नाट्यशास्त्र में केवल चार अलंकारों का उल्लेख है : काणो महोदय ने लिखा है :

"(h) All ancient writers on alankara, Bhatti (between 509-650 A.C.), Bhamaha, दण्डी, उद्भट, define more than thirty figures of speech, भरत defines only four, which are the simplest viz. उपमा, दीपक, रूपक and यमक. भरत gives a long disquisition on metres and on the prakrits and would not have scrupled to define more figures of speech if he had known them. Therefore he preceded these writers by some centuries atleast. The foregoing discussion has made it clear that the नाट्यशास्त्र can not be assigned to a later date than about 300 A.C."¹

इसमें काल-निर्धारण का आधार है :

1. अलंकारों की संख्या
2. अलंकारों की सरल प्रकृति
3. ज्ञात प्राचीनतम अलंकार-शास्त्रियों द्वारा बताये गये संख्या में 35 अलंकार।
4. यदि भरत को चार से अधिक अलंकार विदित होते या उस काल में प्रचलित होते तो वह उनका वर्णन अवश्य करते, जैसे छन्द-शास्त्र और प्राकृत भाषाओं का किया है : निष्कर्ष—उन के समय चार अलंकार ही शास्त्र में स्वीकृत थे।
5. चार की संख्या से 35-36 अलंकारों तक पहुँचने में 200-300 वर्ष तो अपेक्षित ही हैं। यह कारण महोदय का अपना अनुमान है—जिसके पीछे हैं नये अलंकारों की उद्भावना में लगने वाला सम्भावित समय।

स्पष्ट है कि यहाँ 'वस्तु के अंश' को आधार मान कर काल-निर्णय में सहायता ली गई है।

इसी प्रकार 'वस्तु' का उपयोग काल-निर्धारण के लिए किया जा सकता है। पाणिनि के काल-निर्धारण में डॉ० अग्रवाल ने वस्तुगत सन्दर्भों से ही काल-निर्धारण किया है, उपनिषद्, श्लोक श्लोककार मस्कत नट सूत्र, शिशुक्रन्दीय, यमसंभय, इन्द्रजननीय, अन्तरयन देश, दिष्ट मति, निर्वाण, कुमारी श्रमणा चीवरयते, औत्तराचर्य, अविष्ठा यवनानी लिपि तथा अन्य भी पाणिनि के सूत्रों में आने वाले शब्दों से काल-निर्धारण में

1. Kase, P. V., Sahitya darpan—(Introduction), p. XI.

सहायता की गई है। ये सभी वर्ण्य वस्तु के घंश हैं। ये सभी ग्रथ मत साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ज्योतिष आदि के उल्लेख हैं, घतः उनकी सहायता से इन शब्दों से काल-सन्दर्भ ठेँडा जा सका है।

तात्पर्य यह है कि काल-निर्धारण एक समस्या है, जिसे घंत.साक्ष्य के आधर पर अनेक विधियों से सुलभने का प्रयत्न किया जा सकता है। पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकने के लिए विविध विषयगत काल-क्रमानुसार तालिकाएँ प्रस्तुत करनी चाहिये।

वैज्ञानिक प्रविधि

काल-निर्धारण विषयक हमारा क्षेत्र 'पांडुलिपि' का ही है, किन्तु जब पांडुलिपि भूमि-गर्भ में दबी मिले और सन्-सवत् या तिथि आदि के जानने का कोई साधन न हो तो कुछ ग्रन्थ वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है जैसे— भौतमण्डलों से मिलने वाली समयी। इसके काल-निर्धारण के लिए एक प्रणाली तो पहले से प्रचलित थी, पृथ्वी पर जमे पत्तों के आधर पर

"As the result of excavations carried out at the statue of Ramses II, at Memphis in 1850, Horner ascertained that 1 feet 4 inches of mud accumulated since that monument had been erected, i.e. at the rate of $3\frac{1}{2}$ inches in the century"

इसी प्रकार भूमि के मिट्टी के पत्तों के अनुसार जिस गहराई पर वस्तु मिली है, उसका अनुमानिक काल निर्धारित किया जा सकता है, प्रायः किया भी जाता रहा है। यदि उस भूमि पर वृक्ष उगे हुए हैं तो वृक्षों के तने को काट कर देखने पर उसमें एक के ऊपर एक कितने ही पर्त दिखाई पड़ते हैं, उनके आधर पर उस वृक्ष का भी समय निर्धारित किया जा सकता है। भूमि और वृक्ष दोनों के पत्तों से उस वस्तु का काल प्राप्त हो सकता है। ये दोनों ही प्रणालियाँ वैज्ञानिक हैं। ज्योतिष की गणना की पद्धति भी वैज्ञानिक ही है। पर अभी हाल ही में समुक्त राज्य के प्रो० एम० सी० लिब्वी ने रेडियोऐक्टिव कार्बन से काल-निर्धारण की वैज्ञानिक विधि का उद्घाटन किया। टाटा इस्टीट्यूट ऑव फडामेण्टल रिसर्च नामक बम्बई स्थित संस्थान ने 1951 से 'रेडियो-कार्बन काल-निर्धारण विभाग' स्थापित कर रखा है, इसकी प्रयोगशाला में 'कार्बन' रेडियोधर्मिता के आधर पर काल-निर्धारण की विज्ञापद्धति विकसित करली है। इससे वस्तुओं के काल-निर्धारण का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इसके परिणामों में 100 वर्षों का ही हेर-फेर रहता है, ग्रन्थया बहुत ही ठीक काल जात हो जाता है।

इस अध्याय में हमने काल-निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं, कठिनाइयों और उनके समाधान के प्रयत्नों का साक्ष्य में उल्लेख किया है—यह उल्लेख भी संकेतरूप में ही है, केवल दिशा-निर्देशन के लिए। वस्तुतः व्यक्तियों की प्रतिभा अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए अपनी रास्ता स्वयं निकालती है।

कवि निर्धारण समस्या

कवि-निर्धारण की समस्या तो बहुत ही जटिल है। कितनी ही उलझनें उसमें आती हैं, कितने ही सुष युंघे रहते हैं, वे सुष भी अनिश्चित प्रकृति वाले होते हैं।

इनसे कभी-कभी जटिल समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। कभी-कभी यह जानना कठिन हो जाता है कि कृति का कवि कौन है।

इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं :

1. कवि ने नाम ही न दिया हो जैसे ध्वन्यालोक में।
2. कवि ने नाम ऐसा दिया हो कि वह सन्देहास्पद लगे।
3. कवि ने कुछ इस प्रकार अपने नाम दिये हो कि प्रतीत हो कि वे अलग-अलग कवि हैं—एक कवि नहीं—सूरदास, सूर, सूरज आदि या ममारिक और मुबारक या नारायणदास और नाभा।
4. कवि का नाम ऐसा हो कि उसके ऐतिहासिक अस्तित्व का सिद्ध न किया जा सके, यथा, चन्द्रबरदायी।
5. ग्रन्थ सम्मिलित कृतिस्व हो, कही एक कवि का तो कही दूसरे का नाम दिया गया हो। जैसे—'प्रवीण सागर' का।
6. ग्रन्थ अप्रामाणिक हो और कवि का जो नाम दिया गया हो, वह भूठा हो यथा—'मूल गुसाईं चरित', बाबा बेणीमाधवदास कृत।
7. कवि में पूरक कृतिस्व हो इससे यथार्थ के सम्बन्ध में भ्रान्ति होती हो, जैसे—चतुर्भुज का मधुमालती और पूरक कृतिस्व उसमें भोयम का।
8. विद्वानों में किसी ग्रन्थ के कृतिकार कवि के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद हो।
9. ग्रन्थ के कई पक्ष हों, यथा—मूल ग्रन्थ, उसकी वृत्ति और उसकी टीका। हो सकता है मूल ग्रन्थ और वृत्ति का लेखक एक ही हो या अलग-अलग हों—जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ ध्वन्यालोक की कारिका एक वृत्ति।
10. लिपिकार को ही कवि समझ लेने का भ्रम, आदि। ऐसे ही और भी कुछ कारण दे सकते हैं।

एक उदाहरण ले—संस्कृत में 'ध्वन्यालोक' के लेखक के सम्बन्ध में समस्या खड़ी हुई। 'ध्वन्यालोक' का अलंकार-शास्त्र या साहित्य शास्त्र के इतिहास में वही महत्व है जो पाणिनि की षष्ठाध्यायी का भावा-शास्त्र में और वेदान्तसूत्र का वेदान्त में। ध्वन्यालोक से ही साहित्य-शास्त्र का ध्वनि-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ। ध्वन्यालोक के तीन भाग हैं : पहले में हैं 'कारिकाएँ', दूसरे में हैं वृत्ति, यह गद्य में कारिकाओं की व्याख्या करती है, तीसरा है उदाहरण।—इन उदाहरणों में से अधिकांश पूर्वकालीन कवियों के हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि ये तीनों अथवा एक लेखक के लिखे हुए हैं या दो के। दो इसलिए कि वृत्ति और उदाहरण वाले अथवा तो निःसंदेह एक ही लेखक के हैं, अतः मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं? यह प्रश्न इसलिए जटिल हो जाता है कि 'ध्वन्यालोक' के 150 वर्ष बाद अभिनवगुप्त पादाचार्य ने इस पर लोचन नामक टीका लिखी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें उन्होंने ध्यानन्दवर्धन को वृत्तिकार माना है, कारिकाकार नहीं।

इस 'ध्वन्यालोक' की पुष्पिका में इसका नाम 'सहृदयालोक' भी दिया गया है और काश्यालोक भी। 'सहृदयालोक' के आधार पर एक विद्वान¹ ने यह सुझाव दिया कि 'सहृदय' कवि का या लेखक का नाम है, इसी ने कारिकाएँ लिखीं। 'सहृदय' को कवि मानने में प्रो० सोबानी ने लोचन के इन शब्दों का सहारा लिया है : 'सरस्वत्यास्तएव कविसहृदयाख्य विजयतात्।' यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सहृदय का अर्थ सहृदय अर्थात् साहित्य का आलोचक या वह जो हृदय के गुणों से युक्त है, हो सकता है। 'कवि सहृदय' का अर्थ 'सहृदय' नाम का कवि नहीं बरत् कवि एवं सहृदय व्यक्ति है। 'सहृदय' के द्वयर्थक होने से किसी निर्णय पर निश्चयपूर्वक नहीं पहुँचा जा सकता।

किन्तु सहृदय नामक व्यक्ति ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादक था इसका ज्ञान हमें 'अभिधावृत्ति-भातृका' नामक ग्रंथ से, मुकुल और उसके शिष्य प्रतिहारेन्दुराज के उल्लेखों से विदित होता है। तो क्या 'कारिका' का लेखक 'सहृदय' था।

राजशेखर के उल्लेखों से यह लगता है कि भ्रानन्दवर्धन ही कारिकाकार है और वृत्तिकार भी—अर्थात् कारिका और वृत्ति के लेखक एक ही व्यक्ति है।

उधर प्रतिहारेन्दुराज यह मानते हुए कि कारिकाकार 'सहृदय' है, आगे इगित करते हैं कि वृत्तिकार भी 'सहृदय' ही है ?

प्रतिहारेन्दुराज ने भ्रानन्दवर्धन के एक पद्य को 'सहृदय' का बताया है। उधर 'वक्रोक्ति जीवितकार' ने भ्रानन्दवर्धन को ही ध्वनिकार माना है। समस्या जटिल हो गई—क्या सहृदय कोई व्यक्ति है ? लगता है, यह व्यक्ति का नाम है। तब क्या यही कारिकाकार है और वृत्तिकार भी। या वृत्तिकार भ्रानन्दवर्धन है, और क्या वे ही कारिकाकार भी है ? क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति है या दो अलग-अलग व्यक्ति हैं ?

इस बिबरण से यह विदित होता है कि समस्या खड़ी होने का कारण है -

1. कवि ने ध्वन्यालोक में कही अपना नाम नहीं दिया।
2. एक शब्द 'सहृदय' द्वयर्थक है—व्यक्ति या कवि का नाम भी हो सकता है और सामान्य अर्थ भी इससे मिलता है।
3. किसी ने यह माना कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक है और वह सहृदय है, नहीं वह भ्रानन्दवर्धन है, एक अन्य मत है।
4. किसी ने माना कारिकाकार भिन्न है और वृत्तिकार भिन्न है।

इन सबका उल्लेख करते हुए और खण्डन-मण्डन करते हुए काणे महोदय ने निष्कर्षतः लिखा है कि :

"At present I feel inclined to hold (though with hesitation) that the लोचन is right and that प्रतीहारेन्दुराज, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र and others had not the correct tradition before them. It seems that सहृदय was either the name or title of the कारिकाकार and that भ्रानन्दवर्धन was his pupil and was very closely associated with him. This would serve to explain the confusion of authorship that arose within a short time. Faint indications of this relationship may be traced in the ध्वन्यालोक. The word "सहृदय" अर्थात्

प्रीतये' in the first कारिका is explained in the वृत्ति as 'रामायणमहामारत प्रभू-
तिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाभिति
प्रकाश्यते'. It will be noticed that the word प्रीति is purposely rendered by
the double meaning word आनन्द (pleasure and the author आनन्द). The
whole sentence may have two meanings 'may pleasure find room in the
heart of the men of taste etc.' and 'may आनन्द (the author) secure
regard in the heart of the (respected) सहृदय who defined (the nature of
ध्वनि) to be found in the रामायण &c.' Similary the words सहृदयोदयलाम
हेतोः in the last verse of the वृत्ति may be explained as 'for the sake of
the benefit viz. the appearance of man of correct literary taste' or 'for
the sake of securing the rise (of the fame) of सहृदय (the author).¹

काणे महोदय के उक्त अवतरण से स्पष्ट है कि विविध साक्ष्यों, प्रमाणों से उन्हें
यही समीचीन प्रतीत हुआ कि 'सहृदय' और 'आनन्दवर्धन' को अलग-अलग मानें, सहृदय
और आनन्द में गुरु-शिष्य जैसा निकट-सम्बन्ध परिकल्पित करें, और 'सहृदय' एवं 'प्रीति'
जैसे शब्दों को श्लेष मानकर एक अर्थ को 'सहृदय' नाम के व्यक्ति तथा दूसरे को 'आनन्द'
नाम के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त माने। कवि ने 'सहृदय' को ध्वनिकार का नाम नहीं माना,
'उपाधि' माना है, क्योंकि 'ध्वनि' में 'सहृदय' शब्द का बहुल प्रयोग हुआ है, इसलिए उन्हे
यह उपाधि दी गई। उपाधि दी गई या 'सहृदय' उपाधि है इसका कोई अन्य बाह्य या
अन्तरंग प्रमाण नहीं मिलता।

जो भी हो, इस उदाहरण से कवि-निर्धारण विषयक समस्या और समाधान की
प्रक्रिया का कुछ ज्ञान हमें होता है।

कभी दो कवियों के नाम-साम्य के कारण यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अमुक कृति
किस कवि की है।

'काल-निर्धारण' के सम्बन्ध में 'बीसलदेव रासो' का उल्लेख हो चुका है। कुछ
विद्वानों ने यह स्थापना की कि बीसलदेव रासो का रचयिता 'नरपति' वही 'नरपति' है जो
गुजरात का एक कवि है जिसने स० 1548 ई० तथा 1503 ई० में दो अन्व ग्रन्थों की
रचना की। इन विद्वानों ने दोनों को एक मानने के लिए दो आधार लिये—

- 1—भाषा का आधार, और
- 2—कुछ पक्तियों का साम्य

इस स्थापना को अन्व विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उनके आधार ये रहे—

- 1—नाम— गुजराती नरपति ने कहीं भी 'नाल्ल' शब्द अपने नाम के साथ नहीं
जोड़ा, जैसा कि बीसलदेव रासो के कवि ने किया है।
- 2—भाषा— भाषा 'बीसलदेव' रास की 16 वीं शती की नहीं, 14 वीं शती की
है।

3—साम्य- (क) कुछ पंक्तियों में ऐसा साम्य है जो उस युग के कितने ही कवियों में मिल सकता है ।

(ख) जो सात पंक्तियाँ तुलनार्थ दी गई हैं, उनमें से चार वस्तुतः प्रक्षिप्त भ्रम की हैं, शेष तीन का साम्य बहुत साधारण है, जिसे यथार्थ में धाधार नहीं बनाया जा सकता ।

4-विषय-भेद-गुजगती नरपति की दोनों रचनाएँ जैन धर्म गम्बन्धी हैं । ये जैन थे, अतः वस्तु की प्रकृति और कवि के विश्वास-ओत्र में स्पष्ट अंतर होने से दोनों एक नहीं हो सकते ।

यत्र विवाद यह स्पष्ट करता है कि एक नाम के कई कवि हो सकते हैं और उससे कौनसी रचना किस कवि की है, यह निर्धारण करना कठिन हो जाता है । नाम साम्य के कारण कई भ्रान्तियाँ लड़ी हो सकती हैं, यथा-एक 'भूषण' विषयक समस्या को उदाहरणार्थ ले सकते हैं. 'भूषण' कवि का नाम नहीं उपाधि है । अतः खोजकर्त्ताओं ने 'भूषण' का असली नाम क्या था, इस पर अटकलें भी लगायीं । जब एक विद्वान को 'मुरलीधर कवि भूषण' की कृतियाँ मिलीं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने घोषित किया कि 'भूषण' का मूल नाम 'मुरलीधर' था । इस प्रकार यह भ्रम प्रस्तुत हुआ कि 'भूषण' और 'मुरलीधर कवि भूषण' दोनों एक हैं । तब अन्तरग और बाह्य साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों कवि भिन्न हैं । क्यों भिन्न है, उसके कारण तुलनापूर्वक निम्नलिखित बताये गये हैं :

महाकवि भूषण	मुरलीधर कवि भूषण
1. इनके पिता का नाम रत्नाकर है ।	1. इनके पिता का नाम रामेश्वर है ।
2. इनका स्थान त्रिविक्रमपुर (तिकवाँपुर) है तथा गुरु का नाम धरनीधर था ।	2. इन्होंने स्थान का नाम नहीं दिया ।
3. इनके आश्रयदाता हृदयराम सुत रुद्र ने इन्हें 'भूषण' की उपाधि दी । "कुल सुलक चित्रकूट पति साहस शील समुद्र । कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ।" (शिवराज भूषण) ।	3. इनके आश्रयदाता देवी सिंह देव ने इन्हें 'कवि भूषण' की उपाधि दी ।
4. इनके एक आश्रयदाता शिवाजी थे ।	4. इनके एक आश्रयदाता हृदयशाह गढ़ाधिपति थे ।
5. इन्होंने केवल अलंकार ग्रन्थ लिखा जिसका वर्ण्य इतना अलंकार नहीं जितना शिवराज का यशवर्णन था ।	5. इन्होंने रस, अलंकार और विंगल तीनों पर रचना की । विंगल को इन्होंने कृष्ण-चरित बना दिया है ।
6. इनका रचना-काल 1730 के लगभग है ।	6. इनका रचना-काल 1700-1723 है ।
7. इनकी भनिता है 'भूषण भगत' और अत्रिकाश इन्होंने इसी रूप में या केवल भूषण नाम से छाप दी है ।	7. इन्होंने 'कविभूषण' छाप बहुधा दी हैं । कभी-कभी केवल 'भूषण' छाप भी है, 'भगत' शब्द का प्रयोग संभवतः नहीं किया ।
8. इन्होंने अपने ग्रन्थों को 'भूषण' नाम दिया ।	8. इन्होंने अपने समस्त ग्रन्थों को 'प्रकाश' नाम दिया ।

महाकवि भूषण

मुरलीधर कवि भूषण

9. इनकी प्राप्त सभी रचना चौरस की है। 9. इनकी रचना में भृंगार और कृष्ण-चरित का प्राधान्य है।
10. रचना के प्रधाय के अन्त की कथा या ग्रन्थ के अन्त की पुष्पिका बहुत सामान्य है, अतः 'कविभूषण' की पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। 10 इनकी पुष्पिकाओं में आश्रयदाता का विशद वर्णन तथा अपने पूरे नाम मुरलीधर कवि भूषण के साथ पिता के नाम का भी उल्लेख है।
- 11 ये शिवाजी के भक्त थे, शिवाजी को अवतार मानने वाले। 11. ये कृष्ण-भक्त थे।¹

कोई-कोई कृति किसी कवि विशेष के नाम से रची गई होती है पर उस कवि का ऐतिहासिक अस्तित्व कहीं न मिलने पर यह कह दिया जाता है कि यह नाम ही बनावटी है। पृथ्वीराज रामो को अप्रामाणिक, 16वीं-17वीं शती का और प्रसिद्ध मानने के लिए जब विद्वान चल पड़े तो, यह भी किसी ने कह दिया कि इतिहास से किसी ऐसे चन्द का पता नहीं चलता जो पृथ्वीराज जैसे सम्राट का लंगोटिया यार रहा हो और पृथ्वीराज पर ऐसा प्रभाव रखता हो, जैसा रासो से विदित होता है और जो सिद्ध कवि है। अतः यह नाम मात्र किसी चतुर की कल्पना का ही फल है, किन्तु एक जैन ग्रंथ में चन्दबरदायी के कुछ छन्द मिल गये तो मुनि जिनविजय जी ने यह मिथ्या धारणा खण्डित कर दी। तो अब चन्द-बरदायी का अस्तित्व दो बाह्य साध्य से सिद्ध हो गया। रासो फिर भी खटाई में पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार की समस्या तब खड़ी होती है जब एक कवि के कई नाम मिलते हैं— जैसे महाकवि मूरदास के सूरसागर के पदों में 'सूरदास', 'सूरधाम', 'सूरज', 'सूरस्वामी' आदि कई छापे मिलती हैं। क्या ये छापे एक ही कवि की हैं, या अलग-अलग छापे वाले पद अलग-अलग कवियों के हैं। यद्यपि प्रायः विद्वान प्रायः यही मानते हैं कि ये सभी छापे 'सूरदास' की हैं, फिर भी, यह समस्या तो है ही और इन्हे एक कवि की ही छापें मानने के लिये प्रमाण और तर्क तो देने ही पड़ते हैं।

'नलदमन' नामक एक काव्य को भी सूरदास का लिखा बहुत समय तक माना गया, किन्तु बाद में जब यह ग्रन्थ प्राप्त हो गया तब विदित हुआ कि इसके लेखक सूरदास सूफी हैं, और महाकवि सूरदास से कुछ शताब्दी बाद में हुए। अब यह ग्रन्थ क० मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से प्रकाशित भी हो गया है।

अतः हमने देखा कि कितने ही प्रकार से 'कवि' कौन है या कौनसा है की समस्या भी पांडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये महत्वपूर्ण है।

एक और प्रकार से यह समस्या सामने आती है : कवि राज्याश्रय में या किसी अन्य व्यक्ति के आश्रय में है। ग्रन्थ-रचना कवि स्वयं करता है, पर उस कृति पर नाम-छाप अपने आश्रयदाता की देता है। इसके कारण यह निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है कि वस्तुतः उसका रचनाकार कौन है ?

उदाहरण के लिये 'भृंगारमंजरी' ग्रन्थ है, कुछ लोग इसे 'चिन्तामणि' कवि की रचना मानते हैं, कुछ उनके आश्रयदाता 'बड़े साहिब' अकबर साहि की। इस सम्बन्ध में

ब्रज साहित्य के इतिहास से ये पंक्तियाँ उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है।¹

“कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि यह भृंगारमंजरी बड़े साहिब प्रकबर साहि की लिखी हुई है, क्योंकि पुस्तक के बीच-बीच में बड़े साहिब का उल्लेख है, परन्तु ध्यान से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ चिन्तामणि ने बड़े साहिब प्रकबर साहि के लिये लिखा। इसके ग्रन्थ का उदाहरण है :

‘इति श्रीमान् महाराजधिराज मुकुटतटघटित मनि प्रभाराजिनी राजित चरणराजीव-साहिगज गुरुराज तनुज बड़े साहिब के प्रकबर साहि विरचिता भृंगार मंजरी समाप्ता ।’

निश्चय है कि लेखक स्वयं अपने लिए इस प्रकार से विशेषण नहीं लिख सकता था। ये विशेषण बड़े साहिब के लिए ‘चिन्तामणि’ ने ही प्रयुक्त किये होंगे। ‘भृंगार मंजरी’ के प्रारम्भिक छंदों में ‘चिन्तामणि’ का नाम भी प्राया है, यथा :

मोहत है मन्तन विबुधन सो मंडित कहे कवि चिन्तामनि सब सिद्धिन को घर ।
पूरन के लाख प्रभिनाप सब लोगनि के जाके पंचमान्ध सदा लानत कनक भरु ॥
मुन्दर सरूप सदा गुमन मनोहर है जाके दरसन जग नैननि को तापहर ॥
पीर पातसाहि साहिराज रन्नाकर ते प्रकटित भये हैं बड़े साहिब कल्पतरु ।

इन्हीं बड़े साहिब को ‘भृंगार मंजरी’ के रचयिता के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए चिन्तामणि ने लिखा है—

“गुरुपद कमल भगति मोद मगन हूँ सुवरन जुगल जवाहिर लचत है”

“निज मत ऐसी”

“भक्ति थापित करत जाते धीरनि के मत लघु लागत लचत है” ।

“सकल प्रवीन ग्रन्थ लपनि विचारि कहे चिन्तामणि रस के समूहन सचत है” ।

“साहिराज नन्द बड़े साहिब रतिकाराज भृंगार मंजरी’ ग्रन्थ रचिर रचत है” ।

इससे प्रकट होता है कि यह ग्रन्थ बड़े साहिब के लिये उनके नाम पर चिन्तामणि ने ही लिखा। अपने आश्रयदाता के नाम से ग्रन्थ प्रारम्भ और समाप्त करने की परिपाटी उम्र समय प्रचलित थी। डॉ० नगेन्द्र की मान्यता है कि “यह ग्रन्थ बड़े साहिब ने मूलतः ब्राह्मण की भाषा में रचा, फिर संस्कृत में अनुदित हुआ। उसकी छाया पर चिन्तामणि ने रचा।” यह भी सम्भव है।

ऐसे ही यह प्रश्न उठा है कि ‘ममारिख’ और ‘मुबारक’ छाप वाले कवि दो है या एक ही हैं। एक ही पद्य में एक सग्रह में ‘मुमारिख’ का प्रयोग हुआ है और दूसरे सग्रह में एक छाप है ‘मुबारक’ तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नाम एक ही के हैं। ‘मुबारक’ ही उच्चारण-भेद से ‘मुमारिख’, या ‘ममारिख’ हो गया है, किन्तु उक्त प्रमाण अपने आपमें प्रबल नहीं है। कुछ और भी प्रमाण ढूँढ़ने होंगे कि तर्क प्रकाट्य हो जाय। पूरक कृतित्व में भी कवि विषयक भ्रान्ति हो सकती है।

चनुमुंजदास कृन् ‘मधुमालती’ में दो पूरक कृतित्व हुए हैं : 1—माघव नाम के कवि द्वारा, 2—गोयम (गीतम) कवि द्वारा।

पूरक कृतित्व में किसी पूर्व के या प्राचीन ग्रन्थ में किसी कवि को कोई कमी दिखाई

पढ़ती है तो वह उसकी पूर्ति करने के लिये अपनी धीर से कुछ प्रसंग बढ़ा देता है, धीर इसका उल्लेख भी वह कही या पुष्पिका में कर देता है। गीयम कवि ने उस प्रसंग का उल्लेख कर दिया है, जो उसने जोड़े है, अतः उसके कृतित्व को 'चतुर्भुजदास' के कृतित्व से भ्रमण किया जा सकता है, धीर यह निर्देश किया जा सकता है कि किस ग्रंथ का कवि कौन है।

पर 'प्रक्षेपों' के सम्बन्ध में यह बताना सम्भव नहीं। प्रक्षेप वे ग्रंथ होते हैं जो कोई ग्रन्थ कृतिकार किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ में किसी प्रयोजन से बढ़ा देता है धीर भ्रमना नाम नहीं देता। ध्राज पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रक्षेपों को भ्रमण तो किया जा सकता है, पर यह बताना असम्भव ही लगता है वह ग्रंथ किस कवि ने जोड़े हैं।

कभी-कभी एक धीर प्रकार से कवि-निर्धारण सम्बन्धी समस्या उठ खड़ी होती है। वह स्थिति यह है कि रचनाकार का नाम तो मिलता नहीं पर लिपिकार ने भ्रमना नाम आदि पुष्पिका में विस्तार से दिया है। कभी-कभी लिपिकार को ही कृतिकार समझने का भ्रम हो जाता है, अतः लिपिकार कौन है धीर कृतिकार कौन है, इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए ग्रन्थ की सभी पुष्पिकाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा तथा ग्रन्थ प्रमाणों की भी सहायता लेनी होगी।

कभी मूल पाठ में ध्राये कवि नाम का ग्रंथ संदिग्ध रहता है। यद्यपि एक परम्परा उसका ऐसा ग्रंथ स्वीकार कर लेती है, जो शब्द से सिद्ध नहीं होता, यथा-'सन्देश रासक' में कवि का नाम 'भद्रहमाण' दिया हुआ है, 'सन्देशरासक' की दो संस्कृत टीकाओं में भद्रहमाण का 'अब्दुलरहमान' मूल रूप स्वीकार किया है। उनके पास कवि को 'अब्दुलरहमान' मानने का क्या आधार था, यह विदित नहीं। शब्द स्वयं इस नाम को संकेतित करने में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ असमर्थ है। अब्दुल का 'भद्र' धीर रहमान का 'हमाण' कंसे हुआ होगा। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह टिप्पणी देनी पड़ी है—'किन्तु यहाँ भी कवि ने शब्द गठन में कुछ स्वतन्त्रता का परिचय दिया है। अब्दुल रहमान में रहमान मुख्य पद है। इसमें से धारम्भ के अक्षर को छोड़ना उचित नहीं था।' डॉ० द्विवेदी ने यह टिप्पणी यही मान कर की है कि संस्कृत टीकाकारों ने जो नाम सुझाया है 'अब्दुल रहमान' वह ठीक है। कवि अपने नाम के साथ भी श्लेष के मोह से खिलवाड़ कर सकता है धीर उसको कोई विकृत रूप दे सकता है, यह कुछ अधिक जचने वाली बात नहीं लगती। ह्रां सकता है 'भद्रहमाण' 'अब्दुलरहमान' न होकर कुछ धीर नाम हो। समस्या तो यह है ही। कुछ ने इसे समस्या ही माना है, पर क्योंकि कोई धीर उपयुक्त समाधान सप्रमाण नहीं है, अतः लकीर पीटी जा रही है ?

तो पाठ का रूप ही ऐसा हो सकता है कि या तो कवि का नाम ठीक प्रकार से निकाला ही न जा सके, या जो निकाला जाय वह पूर्णतः सतोषप्रद न हो तो ध्राये धनु-संधान की अपेक्षा रहती है।

इसी प्रकार किसी काव्य की कवि ने स्पष्ट रूप से कोई पुष्पिका न दी हो, जिसमें कवि-परिचय हो या कवि का नाम ही हो, तो भी कवि का नाम उसकी छाप से जाना जा सकता है, पर ऐसी भी कृतियाँ हो सकती हैं, जिनमें कुछ शब्द इस रूप में प्रयुक्त हुए हों कि वे नाम-छाप से लगे; उदाहरणार्थ 'बसन्त विलास' में कवि ने धारम्भ किया है कि मैं

पहले सस्कृती की रचना करता हूँ फिर 'बसन्त विलास' की रचना करता हूँ, पर कही धपना नाम या धपनी नाम-छाप नहीं दी। किन्तु दो शब्द कुछ इस रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें नाम-छाप भी मान लिया जा सकता है। एक है 'त्रिभुवन', दूसरा 'गुणवन्त'। डॉ० गुप्त द्वारा सम्पादित ग्रन्थ में सख्या 3 के छंद में—

बसन्त तथा गुण महमह्या सवि सहकार ।

त्रिभुवनि जय जयकार पिकारव करइं धपार ॥¹

छंद—17

बनि बिलसई श्रीध्र नन्दनु चन्दन चन्द चु भीत ।

रति धनइ प्रीतिसिउं सोहए मोहए त्रिभुवन चीतु ॥²

इन दोनों छंदों में 'त्रिभुवन' कवि की नाम-छाप जैसा लगता है, क्योंकि इसकी यह धन्य सार्थकता विशेष नहीं। 'त्रिभुवन' शब्द यहाँ भी न हो तो भी अर्थ पूरा मिलता है। पहले में 'कोकिल जयजयकार' कर रहा है से अर्थ पूरा हो जाता है। त्रिभुवन या तीनों लोकों में जय-जयकार कर रहा है, से कोई विशेष अभिप्राय प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार दूसरे छंद में 'चित्त को मोहना' है से अर्थ पूर्ण है। 'त्रिभुवन' का 'चित्त मोहता' है में 'त्रिभुवन' कवि छाप से सार्थकता रखना प्रतीत हाता है, 'तीनों लोको का चित्त मोहित करता है' या मोहित होता है में कोई वैगिष्ट्य नहीं लगता।

इसी प्रकार अन्तिम 84वे छंद में 'गुणवन्त' शब्द आया है :

इणि परि साह ति रीभवी सीभवी ध्राणईं ठांइ

धन-धन ते गुणवन्त बसन्त विलासु जे गाइ ॥³

इसमें अन्तिम पंक्ति का यह अर्थ अधिक सार्थक लगता है कि गुणवन्त नामक कवि कहता है कि वे धन्य हैं जो बसन्त विलास गायेंगे। इसका यह अर्थ करना कि 'वे गुणवन्त जो बसन्त विलास गायेंगे धन्य होंगे' उतना समीचीन नहीं लगता क्योंकि 'गुणवन्त' शब्द के इस अर्थ में कोई वैगिष्ट्य नहीं प्रतीत होता है। यदि यह बसन्त-विलास का अन्तिम छंद माना जाय, जैसा डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने माना है, तो काव्यान्त में गुणवन्त कवि की छाप हो, यह सम्भावना और बढ़ जाती है। यह प्रस्ताविक उक्ति (Hypothesis) ही है : क्योंकि—

1. किसी अन्य विद्वान ने इन्हे नाम-छाप के लिये स्वीकार नहीं किया। इसके रचनाकार कवि का नाम सोचने का प्रयास नहीं किया।
2. 'नाम' के प्रतिरिक्त जो इस शब्द का अर्थ होता है वह अर्थ उतना सार्थक भले ही न हो, पर अर्थ देता है ही।
3. ऊपर जो तर्क दिये गये हैं उनकी पुष्टि में कुछ और ठोस तर्क तथा प्रमाण होने चाहिये। 'त्रिभुवन' या 'गुणवन्त' नाम के कवियों की विशेष खोज करनी होगी।

1. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०) बसन्त विलास और उसकी धपना, पृ० 19

2. कही पृ० 21

3. कही पृ० 29

इस प्रकार केवल काल-निर्णय के सम्बन्ध में ही समस्याएँ नहीं खड़ी होती 'कवि-निर्धारण' के सम्बन्ध में भी उठती हैं। इस समस्या के भी कितने ही पक्ष होते हैं। उनमें से कुछ पर हमने उदाहरणसहित कुछ प्रकाश डाला है। सभी उदाहरण इस क्षेत्र के कार्य-कर्त्ताओं और विद्वानों से ही लिये गये हैं।

पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को अपनी प्रतिभा से इस विद्या में उपयोगी कार्य करना होगा, और उसको काल-निर्णय और कवि-निर्णय की समस्या के लिये और अधिक ठोस वैज्ञानिक आधार निमित्त करने होंगे। इस अध्याय में जितना इस समस्या पर उदाहरणार्थ कुछ ग्रन्थों के मंथन का सहारा लिया गया है, ठोस सिद्धान्तों तक पहुँचने के लिये उसे और भी अधिक ग्रन्थों का मंथन करना होगा।

□ □ □

शब्द और अर्थ की समस्या

पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से अब तक जो चर्चाएँ हुई हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं, इसमें सन्देह नहीं। पर, ये सभी प्रयत्न पाण्डुलिपि की मूल-समस्या प्रथवा उसके मूल-रूप तक पहुँचने के लिए सोपानों की भाँति थे। पाण्डुलिपि का लेखन, लिप्यासन, लिपि, काल या कवि मात्र से सम्बन्ध नहीं, उसका मूल तो ग्रन्थ के शब्दार्थों में है, अतः 'शब्द और अर्थ' पाण्डुलिपि में यथार्थतः सबसे अधिक महत्त्व रखते हैं।

शब्द और अर्थ में शब्द भी एक सोपान ही है। यह सोपान ही हमें कृतकार के अर्थ तक पहुँचाता है। शब्द के कई प्रकार के भेद किये गये हैं।

शब्द भेद

एक भेद है : रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। यह भेद शब्द के द्वारा अर्थ-प्रदान की प्रक्रिया को प्रकट करता है। ये प्रक्रियाएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं।

रूढ़-शब्द का एक मूल रूप मानना होगा, यह मूल शब्द कुछ अर्थ रखता है, और उस शब्द के मूल रूप के साथ यह अर्थ 'रूढ़' हो गया है। सामान्यतः इन शब्द-रूप से मिलने वाले रूढ़ अर्थ के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठता कि 'घोड़ा' जो अर्थ देता है, क्यों देता है? 'घोड़ा' शब्द-रूप का जो अर्थ हमें मिलता है, वह रूढ़ है क्योंकि इन दोनों का अभिन्न सम्बन्ध न जाने कब से इसी प्रकार का रहा है, अतः शब्द के साथ उसका अर्थ परस्पर या रूढ़ि से सर्वमान्य हो गया है। इसी प्रकार 'विद्या' भी रूढ़ शब्द है और 'बल' भी वैसा ही किन्तु 'विद्याबल', 'विद्यार्थी', 'विद्यालय' आदि शब्दों के अर्थ में प्रक्रिया कुछ भिन्न है। यहाँ रूढ़ शब्द तो है ही पर एक से अधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल गये हैं, इनका योग हो गया है, अतः ये यौगिक हो गये हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द अपने रूढ़ अर्थ के साथ परस्पर मिला है, और ये परस्पर मिलकर यानी 'यौगिक' होकर अर्थाभिव्यक्ति को वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं। 'विद्या-बल' से उस शक्ति का अर्थ हमें मिलता है जो विद्या में अर्न्तनिहित है, और विद्या में से विद्या के द्वारा प्रकट हो रहा है।

तीसरी प्रक्रिया में दो या अधिक शब्द परस्पर इस प्रकार का योग करते हैं कि उनके द्वारा जो अर्थ मिलता है, वह निर्यायक शब्दों के रूढ़ार्थों से भिन्न होता हुआ भी, रूप में यौगिक उस शब्द को, एक अलग रूढ़ार्थ प्रदान करता है, यथा जलजे शब्द जल+ज (= उत्पन्न) दो शब्दों का 'यौगिक' है, यौगिक अर्थ में जल से उत्पन्न सभी बस्तुएँ, मछली, सीप, मृगा, मोती, इससे सांकेतिक होंगी, किन्तु इसका अर्थ 'कमल' नाम का पुष्प विशेष होता है। उसका यह अर्थ इस शब्द के रूप के साथ रूढ़ हो गया है। जल+ज का अर्थ जल से उत्पन्न मोती, सीप, घोषे, सेवार आदि सभी प्राण्य हो तो शब्द यौगिक रहेगा पर केवल पुष्प विशेष से इसका अर्थ रूढ़ि ने बाँध दिया है, अतः इसे 'योगरूढ़' कहा जाता है।

शब्द के ये भेद अर्थ-प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकते हैं, पर ये भेद

पांडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए सीधे-सीधे उपयोगी नहीं हैं, और पांडुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से सीधे-सीधे ये भेद कोई समस्या नहीं उठाते। प्राथुनिक भाषा-वैज्ञानिकों के लिए प्रत्येक भेद समस्याओं से युक्त है। 'शब्द' का रूप धीर उसके साथ अर्थ की रूढ़ता स्वयं एक समस्या है।

फिर व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के भेद भी हमें यहाँ इष्ट नहीं, क्योंकि इनका क्षेत्र भाषा और उसका शास्त्र है।

शब्दों के भेद विविध शास्त्रों के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार किये जाते हैं। यहाँ संक्षेप में इन विविध भेदों की सकेत रूप में एक तालिका दे देना उपयोगी होगा। ये इस प्रकार हैं :—

शास्त्र एवं विषय	शब्द-भेद
1. व्याकरण, रचना एवं गठन	1. रूढ़, 2. यौगिक, (अतःकेन्द्रित) एवं 3 योगरूढ़ (बहिःकेन्द्रित)
2. व्याकरण : भाषा-विज्ञान बनावट	1. समास शब्द, 2. पुनरुक्त शब्द, 3. अनुकरण मूलक, 4. अनर्गल शब्द, 5. अनुवाद युग्म शब्द, 6. प्रतिध्वन्यात्मक शब्द।
3. व्याकरण + भाषा-विज्ञान : शब्द विकास	1. तत्सम, 2. अर्द्ध-तत्सम, 3. तद्भव, 4. देशज, 5. विदेशी।
4. व्याकरण . कोटिगत	(क) 1. नाम, 2. आख्यात, 3. उपसर्ग, 4. निपात।
कोटिगत (शब्दभेद)	(ख) 1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया, 5. क्रिया विश्लेषण, 6. समुच्चय बोधक, 7. सम्बन्ध सूचक, 8. विस्मयादि-बोधक।
5. प्रयोग सीमा के आधार पर (विशेषतः पारिभाषिक)	1. काव्य शास्त्रीय, 2. संगीतशास्त्रीय, 3. सौन्दर्यशास्त्रीय, 4. ज्योतिषशास्त्रीय आदि विषय सम्बन्धी।
6. अर्थ-विज्ञान	1. समानार्थी (पर्यायवाची), 2. एकार्थवाची, 3. नानार्थवाची (अनेकार्थी), 4. समानरूपी भिन्नार्थवाची (श्लेषार्थी) आदि।
7. काव्य-शास्त्र	वाचक, लक्षक और व्यञ्जक

हमारा क्षेत्र है पांडुलिपि में आये या लिखे गये शब्द, जो लिखे गये वाक्य के अंग हैं, और जिनसे मिसकर ही विविध वाक्य बनते हैं, जिनकी एक वृहद् शृंखला ही ग्रन्थ बना देती है। ग्रन्थ रचना में प्रयुक्त शब्दावली निश्चय ही सार्थक होती है। अर्थ-ग्रहण शब्द-रूप पर निर्भर करता है, जैसे-शब्द हो, 'मानुस हों तो' तो इनका अर्थ होगा कि 'यदि मैं मनुष्य

झोकेँ और बदि शब्द-रूप हों, मानु सहीं तो' तो अर्थ होगा कि 'यदि मैं मान (खठने को
1 2 3 4 5

सहन कर' तो' इससे स्पष्ट है कि अक्षरावली दोनों में बिल्कुल एक-सी है : 'मा नु स हों तो' ।
केवल शब्द रूप खड़े करने से भिन्नता आई है । पहले पाठ में 1, 2, 3 अक्षरों को एक शब्द
माना गया है और '3' भी स्वतन्त्र शब्द है और 4 भी, दूसरे पाठ में शब्द-रूप बनाने में
1 + 2 को एक शब्द, 3 + 4 को दूसरा, 5 को स्वतन्त्र शब्द पूर्ववत् ।

फलतः पहले पाठ में जो शब्द-रूप बनाए गए, उनसे एक अर्थ मिला । उन्हीं अक्षरों
से दूसरे पाठ में अन्य शब्द-रूप खड़े किये गये जिससे उस अक्षरावली का अर्थ बदल गया ।

इस उदाहरण से अत्यन्त स्पष्ट है कि अर्थ का आधार 'शब्द-रूप' है । 'शब्द-रूप'
में मूल आधार 'अक्षरयोग' है, ये अक्षर-योग हमें लिपिकार या लेखक द्वारा लिखे गये पृष्ठों
से मिलते हैं ।

पाण्डुलिपि में शब्द-भेद हम निम्न प्रकार कर सकते हैं :

1. मिलित शब्द

इसमें शब्द अपना रूप भ्रमण नहीं रखते । एक-दूसरे से मिलते हुए पूरी पंक्ति को
एक ही शब्द बना देते हैं, ऐसा प्रायः पाण्डुलिपि-लेखन की प्राचीन प्रणाली के फलस्वरूप
होता है, यथा "मानुसहोतोवहींसखा नवसोमिलिगोकुलगोपगुवारनि"

इसमें से शब्द-रूप खड़े करना पाठक का काम रहता है और वह अपनी तरह से
शब्द खड़े कर सकता है : यथा-मानु' सहीं' तोव' हीर' सखान'.....आदि शब्द होंगे या
'मानुस' हो' तो' वही रसखान.....आदि शब्द होंगे । मिलित शब्दों से पाठक उन्हें अपने
धर्म से 'भंग' करके मुक्त शब्दों का रूप दे सकता है और अपनी तरह से अर्थ निकाल
सकता है ।

2. विकृत शब्द

- (अ) मात्रा विकृत
- (ब) अक्षर विकृत
- (स) विभक्त अक्षर विकृति युक्त
- (द) युक्ताक्षर विकृति युक्त
- (त) बसीटाक्षर विकृति युक्त
- (य) अक्षरार्थ निर्बर विकृति युक्त

3. नव रूपाक्षरयुक्त शब्द
4. लुप्ताक्षरी शब्द
5. प्रागभाक्षरी
6. विपर्याक्षरी शब्द
7. संकेताक्षरी शब्द (Abbreviated Words)
8. विशिष्टार्थी शब्द (Technical Expression)¹

1. Sircar, D. C. Indian Epigraphy P. 327.

9. संख्यावाचक शब्द
10. वर्तनीष्युत शब्द
11. भ्रयात् स्थानापन्न शब्द
12. अपरिचित शब्द

पांडुलिपि को दृष्टि में रखकर हमने जो शब्द-भेद निर्धारित किये हैं वे ऊपर दिए गए हैं। किसी ग्रन्थ के अर्थ तक पहुँचने के लिए हमने शब्द को इकाई माना है। इनमें से बहुत-से शब्द विकृति के परिणाम हो सकते हैं। पाठालोचक इनका विचार अपनी तरह से करता है। उस पर पाठालोचन वाले ग्रन्थाय में लिखा जा चुका है। पर डॉ० चन्द्रभान रावत¹ ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसे इन शब्द भेदों के अन्तरंग को समझने के लिए, यहाँ दे देना समीचीन प्रतीत होता है।

“मुद्रण-पूर्व-युग में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं। मूल प्रति की कालान्तर में प्रतिलिपियाँ होती थीं। प्रतिलिपिकार आदर्श या मूल-पाठ की यथावत् प्रतिलिपि वहीं कर सकता। अनेक कारणों से प्रतिलिपि में कुछ पाठ सम्बन्धी विकृतियाँ आ जाना स्वाभाविक है। इन अशुद्धियों के स्तरो को चीरते हुए मूल आदर्श-पाठ तक पहुँचना ही पाठानुसन्धान का लक्ष्य होता है। विकृतियों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है : उन समस्त पाठों को विकृत-पाठ की संज्ञा दी जायेगी जिनके मूल लेखक द्वारा लिखे होने की किसी प्रकार की सम्भावना नहीं की जा सकती और जो लेखक की भाषा, शैली और विचारधारा से पूर्णतया विपरीत पढ़ते हैं।² इन अशुद्धियों के कारण ही पाठानुसन्धान की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के ये सोपान हो सकते हैं :

1. मूल लेखक की भाषा, शैली और विचारधारा से परिचय,
2. इस ज्ञान के प्रकाश में अशुद्धियों का आकलन,
3. इन सम्भावित अशुद्धियों का परीक्षण,
4. पाठ-निर्माण,
5. पाठ-सुधार तथा
6. आदर्श-पाठ की स्थापना

पाठ-विकृतियों के मूल कारणों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है³ :

- (स्रोतगत : मूल पाठ विकृत हो।
- (सामग्रीगत : पन्ने फटे हों, अक्षर अस्पष्ट हों।
- 1. बाह्य विकृतियाँ (क्रमगत : पन्नों का क्रमनियोजन दोषपूर्ण हो या छन्दकर्म
(दूषित हो।
(एक से अधिक स्रोत हों।

1. अनुसंधान—पृ० 269-271
2. कर्ना, विप्लव काण्ठि-पाठ विकृतियाँ और पाठ सम्बन्धी निर्धारण में उनका महत्त्व—परिचय पत्रिका (वर्ष 3, अंक 4) पृ० 48
3. Encyclopaedia Britannica-Postgate Essay.

- (प्रतिलिपिकार की प्रसाधधानी ।
 2. अंतरंग विकृतियाँ (प्रतिलिपिकार का भ्रम . प्रक्षेप, वर्णभ्रम, प्रक्षुब्धभ्रम ।
 (प्रतिलिपिकार का अपना धादर्श और सही करने की इच्छा ।

कुछ प्रशुद्धियाँ दृष्टि-प्रसाद के कारण हो सकती हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक । दृष्टि-प्रसाद में पाठ्य-ह्रास, पाठ्यवृद्धि और पाठ-परिवर्तन आते हैं । मनोवैज्ञानिक में धादर्श के अनुसार मूल पाठ की प्रशुद्धियों को सम्भरकर उनको सुधारने की प्रवृत्ति आती है । हाण ने इन पर एक और प्रकार से विचार किया है ।¹ इन्होंने पाठ विकृतियों के तीन भेद किये हैं : भ्रम तथा निवारण के उपाय, पाठ-ह्रास और पाठ-वृद्धि ।

भ्रम 13 प्रकार के माने गये हैं : समान-प्रकार सम्बन्धी भ्रम, सादृश्य के कारण शब्दों का गलत लिखा जाना, सकोचों की प्रशुद्धि व्याख्या, गलत एकीकरण, अथवा गलत पृथक्करण, शब्द-रूपों का समीकरण और समीपवर्ती रचना को आश्रय देना, प्रसर या वाक्य-अन्त्यय, संस्कृत का प्राकृत में या प्राकृत का संस्कृत में गलत ढंग से प्रतिलिपित होना, उच्चारण-परिवर्तन के कारण प्रशुद्धि, अक-भ्रम, व्यक्तिवाचक सत्ताधो में भ्रम, अपरिचित शब्दों के स्थान पर परिचित शब्दों का प्रयोग, प्राचीन शब्दों के स्थान पर नवीन शब्दों का प्रयोग तथा प्रक्षेप अथवा अज्ञात भाव से की गई भ्रूलों का सुधार ।

पाठ-ह्रास में शब्दों का लोप आता है । यह लोप साधारण भी हो सकता है और धादि-प्रान्त के साम्य के कारण भी हो सकता है । पाठवृद्धि में (1) परिवर्ती अथवा पार्श्ववर्ती सन्दर्भ के कारण पुनरावृत्ति, (2) पंक्तिबो के बीच अथवा हाशिये पर लिखे पाठ का समावेश, (3) मिश्रित पाठान्तर अथवा (4) सट्टण लेख के प्रभाव के कारण वृद्धि ।

अनुसन्धान के इस क्षेत्र में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का स्थान धाधिकारिक है । उन्होंने विकृतियों के आठ प्रकार माने हैं (1) सचेष्ट पाठ विकृति, (2) लिपि-जनित, (3) भाषा-जनित, (4) छन्द-जनित, (5) प्रतिलिपि-जनित, (6) लेखन-सामग्री-जनित, (7) प्रक्षेप-जनित और (8) पाठान्तर-जनित ।² लिपिकार के द्वारा सचेष्ट पाठ-विकृति में अपने ज्ञान और तर्क से सशोधन करने की प्रवृत्ति ही है । अन्य सभी कथित प्रकार स्वयं स्पष्ट है । भाषा जनित भ्रमों में शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग, तद्भव शब्दों को संस्कार-शोध के उद्देश्य से तत्सम रूप देना और आवश्यकतानुसार भाषा को परिनिष्ठित बनाने का उद्योग करना आते हैं ।

ऊपर हमने जो शब्द भेद दिये हैं, उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाण्डुलिपि के सम्पर्क में आने पर अन्य बातों के साथ लिपि की सबस्य हल हो जाने पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को पाण्डुलिपि की भाषा से परिचित होना होता है, और उसके लिए पहली 'इकाई' शब्द है, पाण्डुलिपि में शब्द वृत्ते किन रूपों में मिल सकते हैं, उन्ही को इन भेदों में प्रस्तुत किया गया है । ये शब्द-भेद पाण्डुलिपि को समझने के लिए आवश्यक हैं, अतः धावश्यक है कि इन भेदों को कुछ विस्तार से समझ लिया जाय ।

1. Hall, F. W. — Companion to Classical Text की विभिन्न कम्प्लेक्स, परिष्कृत पत्रिका (वर्ष 3, अङ्क 4), पृ. 50 पर उद्धृत ।
2. अनुसन्धान की प्रथमा ।

मिलित शब्दों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से प्रारम्भ में ही दिया गया है। मिलित शब्दों में पहली समस्या शब्द के यथायं रूप को निदिष्ट करना है अर्थात् ऊपर दिये गये उदाहरण में यह निदिष्ट करना होगा कि 'मानु सहो' या 'मानुस हों' में से कवि को अभिप्रेत शब्दावली कौनसी हो सकती है। इसके लिए पूरे चरण को ही नहीं, पूरे पद को शब्दों में स्थापित करना होगा, और तब पूरे सन्दर्भ में शब्द-रूप का निर्धारण करना होगा।

इस प्रक्रिया में भग-पद और अग्र-पद-श्लेष को भी दृष्टि में रखना होगा।

मिलित शब्दावली में से ठीक शब्दरूपों को न पकड़ने के कारण अर्थ में कठिनाई पड़ेगी ही। यहाँ इसके कुछ उदाहरण और देना समीचीन होगा। 'नवीन' कवि कृत 'प्रबोध सुधासर' के छन्द 901 के एक चरण में 'शब्द-रूप' यों ग्रहण किये गये हैं : 'तू तौ पूजै प्रांस तले वह तौ नखत ले' 'शब्द-रूप देने वाले को पूरे सन्दर्भ का ध्यान न रहा। मिलित शब्दावली से ये शब्द-रूप यों ग्रहण किये जाने चाहिये थे 'तू तौ पूजै आखत ले' आदि। आख तले से अर्थ नहीं मिलता। आखत = अक्षत = चाबल से अर्थ ठीक बनता है।

साथ ही, किसी शब्द का रूप भौतिक कारणों से क्षत-विक्षत हुआ है तो उसकी पूर्ति करनी होती है। शिला पर होने से कोई चिप्पट उखड़ जाने से अथवा किसी स्थल के घिस जाने से कागज फट जाने से, दीमक द्वारा खा लिये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से शब्द-रूप क्षत-विक्षत हो सकता है। इस स्थिति में पूरे पाठ की परिकल्पना कर शब्द के क्षतांश की पूर्ति करनी होगी। ऐसे प्रस्तावित या अनुमानित शब्दांश को कोष्ठकों में () रख दिया जाता है : उदाहरण के लिए 'राउलबेल' की पंक्तियाँ दी जा सकती हैं :

पहली पंक्ति

(1) नथः सिध (2)
.....

रोडे राउल बेल बखाना

जइ (3) इ धायणु ज (4)
.....

जा जेम्ब जाणइ सो तेम्ब बखानाइ ।

हासे तो से राजइ राणइ

(5) (6) (7)
.....

दूसरी पंक्ति

भा (8) उ भाब इ

इतने से अंश में अर्थात् पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के प्रारम्भ में 8 स्थल ऐसे हैं जो क्षत हैं। अत्र पाठ-निर्माण की दृष्टि से (1) पर (ऊ) की कल्पना की जा सकती है। (2) के स्थान पर (म्भः 11) रखा जा सकता है। संख्या 3 के क्षत स्थान की पूर्ति में कल्पना सहायक नहीं हो पाती है, अतः इसे बिन्दु..... लगाकर ही छोड़ दिया जायेगा। 4 के खाली स्थान पर ज के साथ (अणु) ठीक बैठता है। 5 का अंश पूरे उपवाक्य का होगा, इसी प्रकार संख्या 6 का भी इनकी पूर्ति के लिए। शब्दों तक भी कल्पना से नहीं

पठ्ठा जा सकता, अतः इन्हे बिन्दुओं से रिक्त ही दिखाना होगा। 6 सख्या पर छन्द ममाप्ति की (1) हो सकती है। 7 वे पर (ल) ठीक रहेगा, किन्तु ऐसे पाठोद्धार में जो शब्द अक्षत उपलब्ध हैं अर्थात् तक पठ्ठने के लिए उनमें भी किसी सशोधन का सुझाव देना प्रावश्यक हो सकता है जिससे कि वाक्य का रूप व्याकरणिक की दृष्टि से ठीक अर्थ देने में सक्षम हो जाय। ऐसे सुझावों को छोटे कोष्ठको () में रखा जा सकता है।

दूसरे प्रकार के शब्दों को विकृत शब्द कह सकते हैं। विकारों के कारणों को दृष्टि में रखकर 'विकृत शब्दों' के 6 भेद किये गये हैं :

पहला विकार मात्रा-विषयक हो सकता है, जो विकार मात्रा की दृष्टि से मात्रा हने सामान्य लेखन में मिलता है, वह इन पाण्डुलिपियों में भी मिल जाता है। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति 'रात्रि' को 'रात्री' लिख देते हैं। किसी-किसी क्षेत्र विशेष में तो यह एक प्रवृत्ति ही हो गई है कि लघु मात्रा के लिए दीर्घ और दीर्घ के लिए लघु लिखी जाती है। अत्रात् किसी अन्य मात्रा के लिए अन्य मात्रा लिख दी जा सकती है। इसका एक उदाहरण डॉ० माहेश्वरी ने यह दिया है :

139 घीर > घोरं । ई > घो

(अ) यहाँ लिपिक ने 'ी' की मात्रा को कुछ इस रूप में लिखा कि वह 'घो' पढ़ी गयी।¹ इसी प्रकार 'घो' की मात्रा को ऐसे लिखा जा सकता है कि वह 'ई' पढ़ी जाय। 1846 में अनुरूप द्वारा लिखित मोहन विजय-कृत 'चन्द्र-चरित्र' के प्रथम पृष्ठ की 13 वीं पक्ति में दांभी और से सातवे अक्षर से पूर्व का शब्द 'अनुप' में मात्रा विकृति है, यह यथाार्थ में 'अनुप' है। इसी के पृ० 3 पर ऊपर से सातवीं पक्ति में 16 वे अक्षर से पूर्व शब्द लिखा है, 'अनुप' जो मात्रा-विकृति का ही उदाहरण है। इसकी पुष्टि दूसरे चरण की तुक के शब्द 'दिगमूढ' से हो जाती है। 'दिगमूढ' में लिपिक ने दीर्घ 'ऊ' की मात्रा ठीक लगाई है। 'मात्रा-विकृति' के रूप कई कारणों से बनते हैं। 1—मात्रा लगाना ही भूल गये। यथा डॉ० माता प्रसाद गुप्त को 'सन्देश रामक' के 24 में छन्द में द्वितीय चरण में 'णिहई' शब्द मिला है, डॉ० गुप्त मानते हैं कि यहाँ 'भा' मात्रा भूल से छूट गई है। शब्द होगा 'णिहाई'। डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने बताया है कि 'उ' बाद में 'उ' तथा 'घो' दोनों ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होने लगा था। यथा—सन्देश रामक छंद 72 घोसहे > उसहे। 2—यह विकृति दो मात्राओं में अभेद स्थापित हो जाने से हुई है। ऐसे ही 'दिव' का 'दय'। 3—यह अनवधानता से हुआ है। 4—स्मृति-भ्रम से भी विकृति होती है, जैसे—'फरिसउ' लिखा गया 'फरुसउ' के लिए। 5वा कारण वह अनवधानता है जिसमें मात्रा कहीं की कहीं लग जाती है। यह 'मात्रा-व्यत्यय' इस शब्द में देखा जा सकता है—'बिसुठल्यं' लिखा मिला है 'विसठुलय' के लिए।²

(आ) अक्षर-विकृत शब्द उन्हें कहेगे जिनमें 'अक्षर' ऐसे लिखे गये हों कि उन्हें कुछ का कुछ पढ़ लिया जाय। डॉ० माहेश्वरी ने ऐसे अक्षरों की एक सूची प्रस्तुत की है,

1. 'सन्देश रामक' में 100वें छन्द में दूसरे चरण में 'पात्रिलो' शब्द मिला है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का मत है कि यह 'पत्रिली' होगा यहाँ 'ई' का मात्रा-लेखन या पाठ प्रभाव से 'घो' की मात्रा हो गयी। (भारतीय साहित्य—जनवरी, 1960, पृ० 103)। इससे भी डॉ० माहेश्वरी के उदाहरण की पुष्टि होती है। ऐसी मात्रा विकृति का कारण 'स्मृति-भ्रम' भी हो सकता है।

2. भारतीय साहित्य (जनवरी 1960), पृ० 101, 104, 108 ।

जिसे प्रसारकृति को समझने के लिए उदाहरणार्थ यहाँ दिया जाता है। उन्हें वर्णों के अनुसार दिया जा रहा है—

क वर्ण	भांगरी लिपि जन्य धूलें	ब वर्ण
क=फ। क, फ, क, क		भ=ल। भरी > लारी
प=प। प=प		ज > ज > ऊ > ल > ल
ग=ग। ग, ग, ग		भ=ऊ। भल > ऊल
ग=ग। " "		ज > ऊ।
घ=घ		इ=ख। घ=ब
घ=ब		=घ (घ)
कु=उ। कु		च=व
ख=स्व		(च=च, व)
		ज=त। ज ज=ज
		त त त=त
		च=ब।
		ख.ख.ख
		भ=भु, मु। (बंगला लिपि के कारण)

ट वर्ण	त वर्ण
ड=म, भ। डेरा > मेरा	थ=थ
म, ऊ, ऊ=म	घ. ख=थ। थाप > छाप
उ=क। उड > उक। ड=ट	ख. घ=ख
न, न, न = ड	थ=ब। ब > ब। थोबड़ी > बोबड़ा
त=ठ।	त=ट। त त त= त ट
पय=ण। पा, पा=ण्य	घ=घ
ट=ठ। ट, ट, ट	न=त। न, न, न=न, त
ड=उ। ड, ड, ड	द=व। द, द, द, द
ट=द	न=ब (नचाई > बचाई)
ट=द	न=र (कैथी में)
	न=म। म, न

१ वर्ग

अस्यत्वं वर्ग

भ = म

प = म् । प्र, प्र, प्र = प, म्प्र

फ = क् । फ, फ, फ = फ, क

न = स । मममम = म, स

श्या = ज्या

न = य, भ, ग

र = द ।

र र द = र, द

प्र = म

ल = ल

व = न् । ज ज ज न

र = म् । धा-या > धान्या

र = ट । र ट

(-) र का हलन्त रूप

(रबाब्ब = रबाब्ब)

मयुक्ताक्षर वर्ग

उष्मवर्ण वर्ग

त्र = प्र । त, त

त्र = च । त्र, त्र

स = म

ज, म = स, म

ह = ड

ह, ह, ह

ह = द

ॠ = ण । का, का = का, की

ॠ ॠ ॠ = आ हूँ

ऊ = झ । अ = उ, अ

उ = ख ध = घ

कमोदरी = कामादरी

> कामादरी

ए = ऐ । २ ३ (गुरुमुक्ती)

उ = डु । (कबीर P110)

२ = ३ मेंमाती > मैमाती

इ > ओ । धीरे ।

व्यञ्जन मात्रा

‘लुबधो’ मिलेगा, लुब्धो के लिए । ‘चन्दचरित्र’ (पन्ना 79 पूर्व)

— (ई) युक्ताक्षर-विकृति-युक्त शब्द-शब्द परस्पर विभक्त न होकर युक्त हों और तब उनमें से किसी में भी यदि कोई विकार आ जाता है तो वे ऐसे ही वर्ग में आयेगे, यथा— ‘कीर्तिलता’ द्वितीय पल्लव छं० 7 में ‘महाजन्हि’ का एक पाठ ‘महजन्हि’ मिलता है । यह विकृति हमारे इसी वर्ग के शब्दों में आयेगी ।

इसी सम्बन्ध में प्रावट्टवट्ट विवट्टवट्ट पर ‘कीर्तिलता’ के सजीवनी भाष्य में डॉ० वासुदेवशरण प्रसन्नवाल¹ ने जो टिप्पणी दी है वह इस प्रकार है

— प्रावट्ट वट्ट विवट्ट— श्री बाबूरामजी के सस्करण में ‘अति बहुत भाति विवट्ट वट्टहि’ पाठ है और पाद टिप्पणी में वट्ट पाठान्तर दिया है । वस्तुतः यहाँ पाठ-संशोधन की समस्या इन प्रकार है । मूल सस्कृत शब्द प्रावर्त्त-विवर्त्त के प्राकृत में प्रावत्त-विवत्त और प्रावट्ट विवट्ट ये दो रूप होते हैं । (पासट्ट 152, 998, 999) । सयोग से विद्यापति ने ‘कीर्तिलता’ में तीनों शब्द-रूपों का प्रयोग किया है :

1—प्रावर्त्त विवर्त्त रोलहो, नअर नहि नर समुद्रधो (2 | 112)

2—प्रावत्त विवत्ते पध परिवत्ते जुग परिवत्तन माना (4 | 114)

इस प्रकार यह लगभग निश्चित जात होता है कि यहाँ प्रति बहुत वट्ट का मूल पाठ प्रावट्ट वट्ट ही था । विवट्ट वट्ट तो स्पष्ट ही हैं ।

प्रावट्ट वट्ट विवट्ट वट्ट में युक्ताक्षरों की विकृति की सीला स्पष्ट है । कीर्तिलता में ही एक स्थान पर यह चरण है :

‘पादग्ग पध भरे भउ पल्लानिञ्ज उ तुरग’ यहाँ ‘पादग्ग’ शब्द ‘पादग्गाट्ट का युक्ताक्षर विकृत शब्द है ‘गा’ का ‘ग्गा’ कर दिया गया है ।

इसी प्रकार ‘डोला मारू रा दूहा’ 16 में ‘ऊलबे सिर ह्ध्वड़ा’ इस दोहे के ‘ऊलंबी’ शब्द का एक पाठ ‘उककबी’² भी है । इसमें ‘ल’ को क ‘युक्ताक्षर’ मानकर लिखा गया है, अतः यह भी इस वर्ग का शब्द रूप है ।

‘चन्दचरित्र’ की पाण्डुलिपि में 83 वे पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पक्ति में ‘सञ्जन उद्वरज्यो जी’ को इस रूप में लिखा गया है ।

सञ्जन उद्वरज्यजी

इसमें युक्ताक्षर ‘ज्य’ को जिस रूप में लिखा गया है उस रूप की विकृति माना जा सकता है ।

कवि हरचरणदास की ‘कवि-प्रिया मरण’ टीका है केशव की कवि प्रिया पर है उसकी एक पाण्डुलिपि 1902 की प्रतिलिपि है । उसमें 149वें पृष्ठ पर कवि ने अपना जन्म सवत् दिया है । प्रतिलिपिकार ने उसे यों लिखा है :

7 सत्रहसो सटि मही कवि को जन्म बिचारि ।

1. अग्रवाल, वासुदेवशरण (डॉ०)—कीर्तिलता, पृ० 60-61 ।
2. बर्वाहद, कान्हुसिंह—डोला मारू रा दूहा, पृ० 156 ।

युक्त अक्षर-विकृत-रूप' शब्द रेखांकित है। यह है छपासठ = 66 ।

इस पृष्ठ से आगे के पन्ने में कृष्ण से अपना सम्बन्ध बताने के लिये लिखा है कि

“पूरोहित श्रीनन्द के मुनि सांडिल्ल महान ।

हैं तिनके हम गोत मैं मोहन मो अजमान ॥16॥”

यहाँ 'सांडिल्ल' में 'युक्ताक्षर विकृति' स्पष्ट है, शांडिल्य 'सांडिल्ल' हो गये हैं। यहाँ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इसकी व्याख्या की जा सकती है, यह और बात है। अग्रसमोकरण सं ल्य का 'य' 'ल' में समीकृत हो गया है, पर युक्ताक्षर की दृष्टि से विकृति भी विद्यमान है, इसीलिए इसे हम इस वर्ग में रखते हैं।

(उ) घसीटाक्षर विकृति युक्त शब्द

कभी-कभी कोई पाटुलिपि 'घसीट' में लिखी जाती है। त्वरा में लिखने से लेख घसीट में लिख जाता है। घसीट में अक्षर विकृत होते ही हैं। चिट्ठी-पत्रियों में, सरकारी दस्तावेजों में, दफतरी टीपो में, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में घसीट में लिखना नियम ही समझना चाहिये। अधिकारी व्यक्ति त्वरा में लिखता है और उसे अभ्यास ही ऐसा हो गया होता है कि उसका लेखन घसीट में ही हो जाता है। इसी कारण कितने ही विभागों में घसीट पढ़ने का भी अभ्यास कराया जाता है और इस विषय में परीक्षाएँ भी ली जाती हैं। स्पष्ट है कि घसीटाक्षरों को अभ्यास के द्वारा ही पढा जा सकता है। अभ्यास में यह आश्चर्यक होता है कि घसीट-लेखक की लेखन-प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ लिया जाय। उससे घसीट पढ़ने में सुविधा होती है।

(ऊ) घसीट की भाँति ही व्यक्ति-वर्गशुद्ध की दृष्टि से अलंकरण-निर्भर-विकृति-युक्त शब्द भी कभी-कभी किन्हीं पाटुलिपियों में मिल जाते हैं। अलंकरण युक्त अक्षरों को पहले समझने पढ़ने में कठिनाई होती है।

'अलंकरण' का अर्थ है किसी भी 'अक्षर' को उसके स्वाभाविक रूप में सन्तुलित प्रकार से न लिखकर कुछ कलामय या अनोखा रूप देकर लिखना, उदाहरणार्थ : 'प'। यह 'प' का सन्तुलित रूप है अब इसको निषिकार कितने ही रूपों में लिख सकता है, अलंकरण की प्रवृत्ति से अक्षररूपों के साथ शब्द-रूप भी बदलते हैं। हम अलंकरण की प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अक्षर के आधार पर देख सकते हैं। इसके लिए 'प्र' अक्षर को ले सकते हैं। देवनागरी में 'अलंकरण' की प्रवृत्ति ई० पू० की पहली शताब्दी से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। इसे शताब्दी-क्रम से नीचे के फलक से समझा जा सकता है :

अशोक कालीन

ई० पू० पहली
पञ्चम
शताब्दी
तक

ई० पहली
मयुरा
दूसरी श०
नासिक

म.प्र.म

उ

प्र

प्रथ

प्र

दूसरी से चौथी कूड़ा	तीसरी जगायपेट	477-78 ई० पाली	571-72
४	५	५	६

छठी शताब्दी ज्जणीय विजय धारणी पुस्तक की होर्युजी (जापान) मठ की प्रति के अन्त में दी गई वर्ण माला से	7 वीं शताब्दी मामलपुर	661 ई० कु डेगवर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

689 ई० भालरापाटन	8वीं शती मावलीपुर	837 ई० जोधपुर	861 पट्टिभाला	861 घट्टिभाला
११	१२	१३	१४	१५

11वीं शती उज्जैन	1122 ई० नरपंडिधी	1185 ई० असम
१६	१७	१८

12 वीं

हस्ताकाल (पूरी वर्णमाला से)

१९

इसी प्रकार अन्य अक्षरों में भी अक्षरालकरण मिलते हैं। ग्रन्थों में भी इनका विविध रूप में प्रयोग मिलता है, अतः अलकरण के प्रभाव को समझकर ही 'शब्द-रूप' का निर्णय करना होगा। हस्तलेखों में से पाण्डुलिपियों में मिलने वाले अलकरणों का कम सकलन हुआ है, किन्तु भारतीय शिलालेखों के अलकरणों पर चर्चा अवश्य हुई है। डॉ० अहमद हसन दानी ने 'इंडियन पैलियोग्राफी' में इस पर व्यवस्थित ढंग से प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में उनकी पुस्तक से एक चित्रफलक अलकरण के स्वरूप को भारतीय लिपि में दिखाने के लिए यहाँ देने का हम अपने लोभ का सवरण नहीं कर सकते (चित्र पृ. 323 पर)

(ए) नवरूपाक्षर युक्त-शब्द

कभी-कभी पाण्डुलिपि में हमें ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें कोई-कोई अक्षर अगोत्र रूप में लिखा मिलता है। यह अगोत्रा रूप एक तो उस युग में उस अक्षर का प्रचलित रूप ही था, दूसरे लिपिकार की लेखनी से विकृत होने के कारण और अगोत्रा हो गया। इन दोनों प्रकारों पर 'लिपि समस्या' वाले अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

असंबद्ध वर्णमाला

BILSAO	MENRAULI	YASODHARMAN	MAHANAMAN	BANSRHERA	MADHURAM
INS	INS	INS	INS	PL	PL
BHĀ	RĀ	PĀ RĀ	KĀ BHĀ	MĀ	MĀ
DHI	DHI	VI	RI	VI	DHI
HĪ	KĪ	DHĪ	DHĪ	HĪ	SHĪ
PU	MU BHU	YU KU	SU	GU	GU
PŪ	TRŪ	BHŪ MŪ	BHŪ SŪ	GU	DŪ
ME	VE	SRE	YE	RE	YE
YAI	NĪCHAI	DAI	CHCHAI	DAI	YAI
LO	TO	YO	TO PTO	SO	CHCHO
KAU	RAU	LAU	NAU	NAU SAU	SAU
MRI	SRI	NRI	KRI	GRI	

(ए) लुप्ताक्षरी शब्द

पांडुलिपि में ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं, जिनमें कोई अक्षर ही छूट गया है। ऐसे शब्दों का उद्धार 'प्रसंग' को देखकर प्रयुक्त शब्द को जानकर लुप्ताक्षर की पूर्ति से होता है। कीर्तिलता में एक चरण है, 'बादशाह जे वीराहिमसाही'। इसमें इबराहिम शाह का 'ब'राहिम साह' हो गया है। सदेश रासक में 'सभासिय' में 'सज्भासिय' का 'ज' लुप्त है। लंक है 'सबक'।

(भो) आगमाक्षरी

पांडुलिपियों में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमें एक या दो अक्षरों का आगम होता है।

(भौ) विपर्यय स्ताक्षरी शब्द

मात्रा का विपर्यय तो बेश चुके हैं, वर्ण-विपर्यय भी होता है। कभी-कभी भाषा-वैज्ञानिक नियमों से और कभी-कभी लेखक प्रमाद से भी अक्षर-विपर्यय हो जाता है।

(अ) संकेताक्षरी शब्द

संकेताक्षरी शब्दों की चर्चा ऊपर हो चुकी है। पूरे शब्द को जब उसके एक छोटे अंश के द्वारा ही अभिहित कराया जाता है तो यह निरर्थक-सा छोटा अक्षर-संकेत पूरे शब्द के रूप में ही ग्राह्य होता है। 'स०' का प्रयोग 'सम्बन्ध' के लिए हुआ मिलता है। ऐसे ही प्रयुक्त संकेतों की सूची एक पूर्व के अध्याय में दी जा चुकी है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी अपने लिए ऐसी सूचियाँ स्वयं प्रस्तुत कर सकता है। नाम-संकेत की दृष्टि से 'ग्रहहमाणा' हम देख चुके हैं कि इसमें 'ग्रन्दुल' का संकेत 'ग्रद्' और 'रहमाण' का संकेत 'हमान' है। ऐसे शब्द जिनमें संख्या से उस संख्या की वस्तुओं का ज्ञान होता है, संकेताक्षरी ही माने जायेंगे। कीर्तिलता में आया 'दान पंचम' भी ऐसा ही शब्द है।

(अः) विशिष्टार्थी शब्द

पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए विशिष्टार्थी शब्दों का भेद महत्त्वपूर्ण है। यह रूप-गत नहीं है। कुछ शब्दों के कुछ विशिष्ट अर्थ होते हैं, और जब तक उन विशिष्ट अर्थों तक पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी नहीं पहुँचेंगे उम स्वयं का ठीक अर्थ नहीं हो सकेगा। ऐसे शब्दों के विशिष्ट क्षेत्रों का पता न होने के कारण सामान्य अर्थ किये जाते हैं, जिससे अर्थाभास मिलता है; यथार्थ अर्थ नहीं। ऐसे शब्दों से सामान्य अर्थ तक पहुँचने में भी शब्दों और वाक्यों के साथ खीचातानी करनी पड़ती है,

यथा—

“कही कोटि गदा, कही वादि बदा
कही दूर रिक्काविण हिन्दु गन्दा ॥”¹

अब इसका एक अर्थ हुआ—‘कराडो गु’डे’, कही ‘वादी बदे’ आदि। दूसरा अर्थ हुआ ‘बहुत से गदे लोग और वादि बदे’ आदि। डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है कि ‘गदा’ और ‘वादि’ विशिष्टार्थी शब्द हैं गन्दा फा० गोयन्द . अर्थात्-गुप्तचर, वादी भी विशिष्टार्थक है : वादी = फरियादी

इसी प्रकार कीर्तिलता 2/190 का चरण है
मखदूम नरावइ दोम ज्यो हाथ ददस दस गारप्रो ।²

इसमें प्रायः सभी शब्द विशिष्टार्थ देने वाले हैं। उन अर्थों से अपरिचित व्यक्ति इस पंक्ति का अर्थ खींचतान कर ऐसे करेंगे .

“मखदूम डोम की तरह दसो दिशाओं से हाथ में भोजन ले आता है” (?) या

“मखदूम (मालिक) दशो तरफ डोम की तरह हाथ फैलाता है ।”

डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि “इस एक पंक्ति में सात शब्द पारिभाषिक प्राकृत और फारसी के हैं ।” ये शब्द विशिष्ट या पारिभाषिक शब्द हैं यह न जानने से ठीक-ठीक अर्थ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इनके विशिष्ट अर्थ ये बताये गये हैं :

1. अग्रवाल. पाण्डुलिपि-विज्ञान, (बं०)—कीर्तिलता, पृ० 93

2. वही, पृ० 108

1. लखसुन : भूत प्रेत साधक मुसलमानी अर्थ-गुरु
2. नरावह : प्रोतबिया—अर्थात् जो नरक के जीवो या प्रेतात्माओं का अधिपति हो।
3. दोष : यातना देना
4. हाथ : शीघ्र, जल्दी
5. ददस : हृदस (भरबी)—प्रेतात्माओं को अगूठी के नग में दिखाने की प्रक्रिया।
6. दस : दिखाता है।
7. पारघो : नरक के जीव, प्रेतात्माएँ

कीतिलता¹ में एक पंक्ति है :

“सराफे सराहे भरे बे बि बाजू ॥”

“तोलन्ति हेरा लसूला पेग्राजू”। अर्थ करने वालो ने इसमें विशिष्टार्थक शब्दो को न पहचान सकने के कारण सराफे में लहसुन व प्याज और हल्दी तुलबा दी है। ठीक है, लसूला का अर्थ लहसुन स्पष्ट है। प्याज का अर्थ भी स्पष्ट है। एक ने ‘हेरा’ को हलदी मान लिया। किंचित् ध्यान देने से यह विदित हो जाता है कि एक तो इन अर्थों में ‘प्रसंग’ पर ध्यान नहीं रखा गया। वर्णन सराफे का है। सराफे में जौहरी बैठते हैं। वहाँ हलदी, लहसुन, प्याज जैसे खाने में काम आने वाले पदार्थ कहीं? तो ‘प्रसंग’ पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे, इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ पर भी ध्यान नहीं गया। लसूला का अर्थ लहसुनिया नाम का रत्न, ‘पेग्राजू’ का अर्थ ‘फीरोजा’ नाम का रत्न, और हेरा ‘हीरा’ हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं गया, जो जाना चाहिये था। इसी प्रकार ‘कीतिलता’² में ही एक अन्य चरण है :

“चतुस्सम पल्थल करो परमार्य पुच्छहि तिघान”।

इसमें ‘चतुस्सम’ शब्द है। किसी विद्वान के द्वारा इसमें आये ‘चतुस्सम’ का सामान्य अर्थ ‘चौकोन’ या ‘चौकोर’ कर लिया गया। वस्तुतः यह विशिष्टार्थक शब्द है। इसे लेकर हस्तलेखों के पाठो में भी गड़बड़भाला हुई है। वह गड़बड़भाला क्या है और इसका यथार्थ रूप और अर्थ क्या है, यह डॉ० किशोरीलास के शब्दों में पढ़िये

“डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार जायसी-कृत पद्मावत में प्राप्त ‘चतुरसम’ पाठ को न समझने के कारण इसका पाठ ‘चित्रसम’ किया गया। फारसी में चित्रमम और ‘चतुरसम’ एक-सा पढ़ा जा सकता है, अतः ‘चतुरसम’ पाठ सम्पादक को क्लिष्ट लगा और ‘चित्रसम’ सरल। जायसी के माग्य विद्वान प्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने ‘चित्रसम’ पाठ ही माना। यही नहीं कही-कही उन्होंने ‘चित्रसम’ पाठ भी किया है—

करिस्तान चित्र सब सारहुँ—जायसी ग्रन्थावली पृ० 121 ॥ शुद्ध पाठ ‘चतुरसम’ ही है। इसे डॉ० अग्रवाल ने पूर्ववर्ती रचनाओं से प्रमाणित भी किया है, यथा-जायसी से दो शताब्दी पूर्व के ‘वर्ण रत्नकार’ में भी चतु.सम का प्रयोग मिला है—‘चतुःसम ह्य लिये

1. पृ० 95

2. पृ० 145

मण्डु—(बर्णरत्नाकर पृ० 13) बर्णरत्नाकर से भी दो शती पूर्व हेमचन्द्र के 'प्रमिधान चिन्तामणि' से भी उन्होंने इसे प्रमाणित किया है—

कूर्वागुरुकवकोल कस्तूरी चन्दनद्रवै । 31302
स्पाद यक्षकर्दमो मिश्रं रतिगात्रानुलेपकी ।
चंदनागुरु कस्तूरी कुंकुमस्तु चतुःसमम् ।
चन्दनादि चत्वारि समान्यत्र चतुः समम्
प्रमिधान चिन्तामणि 31303

सबसे पुष्ट प्रमाण रामचरित मानस में मिला है—

बीयी सीची चतुरसम चौकें चार पुराई

बालकांड 296:10, काशिराज संस्करण

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी 'चित्रसम' पाठ ही अपनी जायसी ग्रन्थावली-काशिराज संस्करण में माना था लेकिन मानस के ऐसे प्रयोग को देख लेने पर उन्होंने अपने पूर्व पाठ को त्याग दिया । 'चतुरसम 'संस्कृत' के 'चतु सम' शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ-चंदन, अरगु, कस्तूरी और केसर का समान अंश लेकर निर्मित सुगंध है ।"¹

शिलालेखों और अभिलेखों में आने वाले पारिभाषिक और विशिष्टार्थक शब्दों पर विस्तार से विचार किया गया है, डी० सी० सरकार कृत 'इंडियन एपीग्राफी' में अध्याय में जिसका शीर्षक है 'टेकनीकल ऐक्सप्रेशन' ।

(क) संख्या-वाचक शब्द

शिलालेखों, अभिलेखों और पाञ्चलिपियों में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अपना प्रमिचार्य नहीं लिया जाता । उनसे जो संख्या-बोध होता है, वही ग्रहण किया जाता है मानो वह शब्द नहीं संख्या ही हो । हम पर ऊपर के अध्याय में विचार किया जा चुका है । यहाँ तो इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे शब्द-भेद माना है कि पाञ्चलिपि में प्राये शब्दों का एक वर्ग संख्या का काम भी देता है, अतः ऐसे शब्द-रूपों को संख्या-रूप में ही मान्यता दी जानी चाहिये ।

(ख) वर्तनी च्युत शब्द

ये ऐसे शब्द होंगे जिनमें वर्तनी की भूल हो गई हो, जैसे- 'चदचरित्र' में पहले पन्ने में दूसरी पंक्ति में 'सिधु शलिल प्रवाह' आया है । यहाँ 'शलिल' वर्तनी च्युति है । 'मात्रा विकृति' कही-कही छंद की तुक या अन्य कारणों से जान-बूझ कर कवि को करनी पड़ती है, उसे विकृति या वर्तनी-च्युति नहीं माना जायगा, किन्तु ऊपर के उदाहरण में 'स' के स्थान पर 'श' वर्तनी च्युति ही है । इसी प्रकार उसी पन्ने पर 11वीं पंक्ति में है : 'जब बार सार'

इसमें भी 'जबूतरूसार' में 'तर' को 'तरू' लिखने में वर्तनी च्युति है ।

(ग) स्थानापन्न शब्द (अमात् अथवा अन्यथा)

किसी चरण में एक शब्द ऐसा आया है कि अध्येता को समझ में नहीं आ रहा,

1. कौटिलीय-सन्धेयन-पत्रिका (भाग 56, अंक 2-3), पृ० 179-180

अतः वह यह मान लेता है कि यह कोई शब्द नहीं है तब, उसके स्थान पर कोई अन्य सार्थक शब्द रखकर अपना अर्थ निकाल लेता है। इस प्रकार रखे गये शब्द ही स्थानापन्न कहे जायेंगे। पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को ऐसे शब्दों को पहचानने का अभ्यास अवश्य होना चाहिये।

इसका एक उदाहरण डॉ० अग्रवाल द्वारा सम्पादित 'कीर्तिलता' से ही और लेते हैं। 'कीर्तिलता' 21190 के चरण पर पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विचार किया जा चुका है। उसी में 'णारप्रो' पर डॉ० अग्रवाल ने जो टिप्पणी दी है उससे 'स्थानापन्नता' पर प्रकाश पड़ता है। उनकी टिप्पणी इस प्रकार है ¹।

'णारप्रो—नरक के जीव, प्रेतात्मा। सं० नारक > प्रा० णारय-नरक का जीव (पासद० 478)। यहाँ श्री बाबूराम सक्सेना जी की प्रति में 'ख' प्रति का पाठ 'नारप्रो' पाठ-टिप्पणी में दिया हुआ है, वही वस्तुतः मूल-पाठ था। जब इस पंक्ति का शुद्ध अर्थ भ्रमल हो गया तब अर्थ को सरल बनाने के लिए द्वारप्रो यह अण-पाठ प्रचलित हुआ। स्पष्ट है कि मूल 'नारप्रो' के स्थान पर 'द्वारप्रो' शब्द किसी लिपिकार ने स्थानापन्न कर दिया। 'णरप्रो' से वह परिचिन नहीं था, अतः उसे अपनी सूझ-बूझ से 'द्वारप्रो' शब्द ठीक लगा।'

फलत पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को हस्तलेखों में स्थानापन्नता की बात भी ध्यान में रखनी होगी।

(घ) अपरिचित शब्द

हस्तलेख या पांडुलिपियाँ सहस्रों वर्ष पूर्व तक की मिलती हैं। वह युग हमारे युग से अनेक रूपों में भिन्न होता है। लिपि भिन्न होती है, शब्द-कोष भी भिन्न होता है, शब्दों के अर्थ भी भिन्न होते हैं। लिपि की समस्या हल हो जाने पर शब्दों की समस्या सामने आती है। ऊपर जो शब्द-रूप बताये गये हैं, उनके साथ ही ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, जिनसे हम अपरिचित हैं। एक लिपिकार ने अपरिचित शब्द के साथ जो व्यवहार किया उसे हम अभी ऊपर देख चुके हैं। उसने अपरिचित शब्द को हटा ही दिया। उसका तर्क रहा होगा कि "वह स्वयं जब 'णारप्रो' शब्द को नहीं जानता तो ऐसा कोई शब्द ही हो नहीं सकता।" उमने अपनी सूझ-बूझ से उससे मिलता-जुलता परिचित शब्द वहाँ रख दिया पर उसका उस तरह सोचना समीचीन नहीं था, अतः अपरिचित शब्द को अपरिचित मान कर उसके अनुसंधान में प्रवृत्त होना चाहिये और उस युग की शब्दावली को देखना चाहिए, जिस युग का वह ग्रन्थ है, जिसमें वह अपरिचित शब्द मिला है।

अपरिचित शब्दरूप में ऐसे शब्द भी आयेगे जिनके सामान्य अर्थ से हम भले ही परिचित हों पर उसका विशिष्ट अर्थ भी होता है। वे किसी ऐसे क्षेत्र के शब्द हो सकते हैं, जिनसे हमारा परिचय नहीं, और विशेषतः उस युग के विशिष्ट क्षेत्र की शब्दावली से जिस युग में वह पांडुलिपि प्रस्तुत की गयी थी। प्राचीन काव्यों में ऐसे विशिष्ट शब्द पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं।

प्रथमतः परिचित लगने वाले किन्तु मूलतः विशिष्टार्थक ऐसे शब्द-रूपों की चर्चा

ऊपर हो चुकी है। यहाँ 'अपरिचित रूप' की दृष्टि से 'कीतिलता' से एक और उदाहरण दे रहे हैं।

कीतिलता के 2।33 वे दोहे का पाठ डॉ० अग्रवाल¹ ने यो दिया है :

“हृद्दि हृद् भमन्तप्रो दूप्रप्रो राज कुमार ॥214

विट्टि कुतूहल कज्ज रस तो इट्ट दरबार ॥215 ॥”

इस दोहे में 'कज्ज रस' दो शब्द हैं। इन शब्दों के रूपों से प्रयत्न हम अपरिचित नहीं प्रतीत होते, किन्तु युगीन शब्दावली की दृष्टि से वे विणिष्टार्थक हैं अतः इन्हें अपरिचित माना जा सकता है। प्रसंग दरबार का है अतः उस सन्दर्भ में इसका अर्थ ग्रहण करना होगा। डॉ० अग्रवाल की 'कज्ज' और 'रस' पर टिप्पणी पठनीय है। वे लिखते हैं :

“215. कज्ज = प्रावेदन, न्यायालय या राजा के सामने फरियाद। स० कार्य > प्रा. कज्ज का यह एक पारिभाषिक अर्थ भी था। कार्य = अदालती फरियाद। (स्वैरालापे स्त्री वयस्यावचारे कार्यारम्भे लोकवादाश्रये च। क श्लेष कष्टशब्दाक्षराणा पुण्यापीडे कण्टकान्ता यथैव ॥ पदमप्राभनकम् श्लोक 18 ॥ कार्यारम्भ का अर्थ यहाँ लिखित फरियाद या अदालती अर्जी दावा है। 'पादताडितकम्' में अर्जी देने वाले वादी या फरियादी लोगों का कार्यक कटा गया है, 'अधिकरणगताऽपि क्रोशता कार्यकाणाम्'। कालिदास ने भी कार्य शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त किया है। वर्हनिष्क्रम्य जायता क क कार्यार्थोति (मालविकाग्नि-मित्र, आष्टे, मोनिपर विालियम्भ स० कोश)। रस-स० रस√ > प्रा० रस = चित्ताकर कहना।

कज्ज रस = अर्पनी फरियाद कहने के लिए।

स्पष्ट है कि कज्ज या कार्य और रस दोनों अपरिचित शब्द हैं पर प्रसंग विशेष में अर्थ पर पहुँचने के लिए मूलतः अपरिचित हैं। ऐसे शब्दों को विणिष्टार्थक कोटि में रखा जा सकता है, पर क्योंकि ये रूपतः विणिष्टार्थक नहीं सामान्य ही लगते हैं, अतः इन्हें 'अपरिचित' कोटि में रखा जा सकता है।

अब एक उदाहरण अपरिचित शब्द की लीला का 'काव्य निर्णय' के दोहे में देखिये।

'चन्दमुखिन के कुचन पर जिनको सदा विहार।

'अहह करे ताही करन चरबन फेरबदार ॥' 'चरबन फेरबदार' पर टिप्पणी करते हुए डॉ० किशोरीलाल² ने जो लिखा है उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है। इसमें अपरिचित शब्दों की लीला स्पष्ट हो सकेगी। डॉ० किशोरीलाल ने सम्मेलन पत्रिका में लिखा है :

“इम (चरबन फेरबदार) का पाठ विभिन्न प्रतियों में किस प्रकार मिलता है उसे देखे—

- (1) भारत जीवन प्रेस काशीवाली प्रति का पाठ-‘चखन फेरबदार’
- (2) बेलबेडियर प्रेस प्रयाग वाली प्रति का पाठ-‘चिरियन फेरबदार’
- (3) वैकटेश्वर प्रेस बम्बई की प्रति का पाठ-‘चखदन फेरबदार’
- (4) कल्याण दास ज्ञानवापी वाराणसी का पाठ-‘चखन फेरबदार’

1. वही, पृ० 120-121

2. किशोरीलाल, (डॉ०)—सम्मेलन पत्रिका (भाग 56, संख्या 2-3) पृ० 181-182

वास्तव में केरवदार¹ का अर्थ भृगालिनी है, उसे न समझने के कारण 'फैलदार' आदि पाठ स्वीकार किया गया और चवण के अर्थ से अनभिज्ञ रहने के कारण 'चखन' आदि मन-नद्वन्त पाठों की कल्पना करनी पड़ी। इस प्रकार के पाठ-नद्वन्त के नमूने अन्यत्र भी मिलते हैं। ब्रजभाषा के पुराने टीकाकार सरदार कवि ने 'रसिक-प्रिया' की टीका में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख किया है कि किस तरह लोच (रिखत) शब्द से परिचित न रहने के कारण लोगो ने किसी-किसी प्रति में लोच कर दिया है। 'लोच' शब्द वाली पंक्तियाँ हैं :

“जालिगि लोच लुगाइन दे दिन नानन चावत साँभ पहाऊँ”

'रसिक प्रिया', केशवदास 5/12 प्र० स० पृ० 75 नवल किशोर प्रेस, लखनऊ।

पापाण-मुद्रणालय, मथुरा से प्रकाशित ग्वालकवि कृत 'कवि-हृदय-विनोद' में एक शब्द 'बाधनीपोरि' मिला है। इस शब्द से परिचित न रहने के कारण 'ग्वाल रत्नावली' के सम्पादक ने 'बाधनी' और 'पोरि' दो भिन्न शब्दों का कल्पना करली और 'पोरि' की टिप्पणी दी है 'घर में' जो अर्थ की दृष्टि से नितान्त अशुद्ध है। 'संक्षिप्त शब्द-सागर' में भी इस शब्द के शुद्ध अर्थ को देखा जा सकता था। वहाँ इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है : 'बाधनीपोरि'-पशुओं के बाधने का स्थान (संक्षिप्त शब्द सागर, पृ० 803)। बाधनीपोरि वाली पंक्ति है—'फिर बाधनी-पोरि सुहावनि है (कविहृदयविनोद, पृ० 89)। इसी प्रकार 'कविहृदयविनोद' के अन्य छन्द के पाठ की दुर्गति ही नहीं की गई बरन् उसका बड़ा विचित्र रूप देखने को मिला है।

“खासो है तमासो चलि देख सुखमा सो बीर,
कुंज में भवासी है मयूर मंजु लाल की।
चाह चादनी की वर विमल विछावन पं,
चदवा तन्यौ है, रबिनाती रगलाल की।”

अंतिम अंश होना तो चाहिये-री बनाती रगलाल की।' किन्तु सम्पादक जी ने उसे 'रबिनाती' (सूर्य का नाती) समझा।²

इस उद्धरण से और इसमें दिये उदाहरणों से अपरिचित शब्दों की पाहुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से लीला सिद्ध हो जाती है।

कुपठित

इन रूपों के अतिरिक्त शब्द की दृष्टि से 'कुपठित' शब्द को और भी ध्यान जाना चाहिये। 'कुपठित' शब्द उन शब्दों को कहते हैं, जो निपिकार ने तो ठीक लिखे हैं किन्तु पाठक द्वारा ठीक नहीं पढ़े जा सके। एक शब्द था त्रसरेणु। 'त्रसरेणु' ही लिखा गया था किन्तु 'त्र' के चिमटे की दोनो रेखाएँ परस्पर मिल-सी रही थीं, अत 'ब' पढ़ी गई। 'ब' पढ़ने से अर्थ ठीक नहीं बँट रहा था, तब सम्पादक ने आतिशी शीशे (Magnifying glass) की सहायता ली तो समझ में आया कि वह 'ब' नहीं त्र है, और 'कुपठित' शब्द सुपठित हो

1. यह शब्द 'केर-दार' होगा। केर=भृगाल, धरः केरव=मगल और दार=दार, स्त्री=भृगालिनी
2. किशोरीदास, चम्पेसव-पत्रिका (भाग 56, संख्या 2-3), पृ० 181-82

गया, तथा अर्थ ठीक बँठ गया, अतः ऐसे कुपठित शब्दों के जाल से भी बचने के उपाय पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को करने होंगे।

यहाँ तक हमने शब्दरूपों की चर्चा की। लिपि के उपरान्त शब्द ही इकाई के रूप में उभरते हैं—और ये शब्द ही मिलकर चरण या वाक्य का निर्माण करते हैं। ये चरण या वाक्य ही किसी भाषा की यथार्थ इकाई होते हैं। शब्द तो इस इकाई को तोड़कर विश्लेषित कर अर्थ तक पाठक द्वारा पहुँचाने की सोपानें हैं। यथार्थ अर्थ शब्द में नहीं सार्थक शब्दावली की सार्थक वाक्य-योजना में रहता है। वस्तुतः किसी भी पाण्डुलिपि का निर्माण या रचना किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ही होती है। यह विश्लेषित शब्द यदि अपने ठीक रूप में ग्रहण नहीं किया गया तो अर्थ भी ठीक नहीं मिल सकता। भर्तृहरि ने 'वाक्य-पदीय' में बताया है :

“आत्मरूप यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपच दृश्यते

अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपश्च प्रकाशते।”

अर्थात् ज्ञान जैसे अपने को और अपने ज्ञेय को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द भी अपने स्वरूप को तथा अपने अर्थ को प्रकाशित करता है।¹

शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। अर्थ से ही शब्द सार्थक बनता है। यह सार्थकता शब्द में यथार्थतः पदरूप से आती है। वह वाक्य में जो स्थान रखता है, उसके कारण ही उसे वह अर्थ मिलता है जो कवि या कृतिकार को अभिप्रेत होता है।

अर्थ समस्या

पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए अर्थ की समस्या भी महत्त्व रखती है। अर्थ ही तो अर्थ की आत्मा होती है। 'शब्द-रूप' की समस्या तो हम देख चुके हैं कि मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द-रूप पर पहुँचने के लिए भी अर्थ समझना आवश्यक है और ठीक अर्थ पाने के लिए ठीक शब्द-रूप। यहाँ एक और उदाहरण 'कीतिलता' से लेने हैं। डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने यह भूमिका देते हुए कि “इन पूर्व टीकाओं में कीतिलता के अर्थों की जो स्थिति थी उसकी तुलना वर्तमान सजीवनी टीका के अर्थों से करने पर यह समझा जा सकेगा कि कीतिलता के अर्थों की समस्या कितनी महत्वपूर्ण थी और उसे किस प्रकार उलझा हुआ छोड़ दिया गया था।” अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत-से स्थलों की चर्चा की है। इसी सन्दर्भ में पहली चर्चा है इस पंक्ति की .

(1) भेष करन्ता मम उवह दुज्जन वैरिण होइ । 1/22

डॉ० अग्रवाल ने इस पर लिखा है कि—

“बाबूरामजी ने 'भेष करन्ता मुज्जुज' पाठ रखा है जो 'क' (प्रति) का है। अक्षरों को गलत जोड़ देने से यहाँ उन्होंने अर्थ किया है—यदि दुर्जन मुझे काट डाले अथवा मार डाले तो भी वैरी नहीं। उन्होंने टिप्पणी में 'भेष करन्ता' देते हुए अर्थ दिया है—'यदि दुर्जन मेरा भेद कहे दे।' शिवप्रसाद सिंह ने इसे ही अपनाया है। वास्तव में 'अ' प्रति से इसके मूल पाठ का उद्धार होता है। मूल का अर्थ है—मर्म का भेद करता हुआ दुर्जन पास

1. डॉ० किशोरीदास के निबन्ध 'प्राचीन हिन्दी काव्य पाठ एवं अर्थ विवेचन' के पृष्ठ 4। सम्बन्धन पत्रिका (भाग 56, सं० 2-3), पृ० 187।

भावे तो भी शत्रु नहीं होगा । 'उबर्ह' < प्राकृत-अबहट्ट चातु है, जिसका अर्थ पास भ्राना है ।¹

इस विवेचन से एक और तो यह स्पष्ट होता है कि 'मिलित शब्दावली' में से शब्द-रूप बनाते समय प्रक्षरों को गलत जोड़ देने से गलत शब्द बन जाता है । भेप्रकहन्ता । करन्ता, में से 'भेप्रक' बनाने में 'कहन्ता' या 'करन्ता' के 'क' को भेप्र से जोड़कर 'भेप्रक' बना दिया है, यह गलत शब्द बन गया । इससे अर्थ गलत हो गया, उलझ गया और समस्या बना रह गया ।

दूसरी यह बात विदित होती है कि एक अपरिचित शब्द 'उबह' पूर्व टीकाकारों ने ग्रहण नहीं किया । यह प्राकृत-अबहट्ट का रूपान्तर था ।

अतः अर्थ-समस्या के दो कारण ये प्रकट हुए .

1. मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द-रूप का न बनना, और
2. किसी अपरिचित शब्द को परिचित शब्दों की कोटि में लाने की असमर्थता ।

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सन्देश-रासक' के समस्यार्थक स्थलों पर प्रकाश डालते हुए 'भारद्' शब्द के सम्बन्ध में बताया है कि 'भारद्' शब्द का यह अर्थ (अर्थात् जुलाहा) प्रजातपूर्व अवश्य है । देशीनाममाला कोश में उन्हे यह शब्द नहीं मिला, हाँ, 'भारद्' मिला और 'भारद्' अग्र समीकरण से 'भारद्' हो सकता है । 'भारद्' के अर्थ कोश में दिये हैं : प्रबद्ध, सतृष्ण और गृह में भाया हुआ । तन्तुवाय या जुलाहा अर्थ नहीं हैं । उधर टीकाकारों ने इसका अर्थ 'जुलाहा' किया है—भागे कवि ने अपने को कोरिय या कोरिया लिखा भी है, अतः जुलाहा तो वह था । इसलिए डॉ० द्विवेदी ने यह निर्देश भी दिया है कि "किसी शब्द के अन्य अर्थों में न मिलने मात्र से उसके अर्थ के विषय में शका उठाना उचित नहीं है । सम्भव है किसी अधिक जानकार को वह शब्द अन्यत्र मिल भी जाय ।"²

इस कथन से यह तो सिद्ध हो गया कि 'भारद्' शब्द पक्की तरह से अपरिचित शब्द है, रूप में भी और अर्थ में भी, बरन् उसके अर्थ का स्रोत केवल टीकार्हे है । इन टीकाकारों ने यह अर्थ 'भारद्' का किस आधार पर किया, किस प्रमाण से इसे सिद्ध किया, यह भी हमें विदित नहीं ।

अतः कहीं-कहीं अर्थ-समस्या उक्त प्रकार से एक नया रूप ले लेती है । शब्द अपरिचित अर्थ परिचित किन्तु अप्रामाणिक आधार पर जिसका स्रोत तक ज्ञात नहीं । अर्थ परिचित हैं क्योंकि अर्थ की टीका में मिल जाता है । टीका का स्रोत क्या है यह अविदित है ।

इसी पक्ष में एक और प्रकार से अर्थसमस्या पर विचार किया गया है । वह है 'मी र से ण (नं) स्स' पर व्याकरण की दृष्टि से विचार । पद्य में 'मी र से ण स्स' शब्द है, टीकाकारों ने 'मी र से नाख्य' रूप में इसकी व्याख्या की है । अर्थ की यह समस्या डॉ० द्विवेदी ने यों प्रस्तुत की है ।

'भारद्दो मीरसेणस्स' का अर्थ 'भारद्दो मीरसेनाख्यः' नहीं हो सकता । 'मीरसेणस्स' वक्तव्यन्त पद है, उसकी व्याख्या 'मीर सेनाख्यः' प्रथमांत पद के रूप में नहीं होनी चाहिये ।

1. अन्वय, वाचस्पत्ययन (डॉ०)—कीर्तिमता, पृ० 19-20 ।

2. द्विवेदी, हजारीप्रसाद—अर्थ उलझ, पृ० 11 ।

स्पष्ट है कि टीकाकारों ने व्याकरण रूप पर (मीरसेन का प्रयोग वक्ष्यन्त में है इस पर) ध्यान नहीं दिया, अतः अर्थ की समस्या जटिल हो गयी। अर्थ की दृष्टि से व्याकरण के प्रयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।

इसे भी स्पष्ट करते हुए डॉ० द्विवेदी लिखते हैं कि 'कम से कम भारद्' की 'शुद्ध भारद्' करने में 'मीरसेणस्स' की संगति बँठ जाती है। 'भारद्' शब्द का अर्थ 'तन्तुवाय' न भी होता हो तो यह अर्थ ठीक बँठ जाता है। "मीरसेन के घर आया हुआ, (विशेषण बिच्छित्ति वश जुलाहा भी) उसी का पुत्र कुल-कमल प्रसिद्ध अद्भुतमान हुआ।" यह अर्थ ठीक जमता है।¹

व्याकरण पर ध्यान न देने से भी अर्थ-समस्या जटिल हो जाती है, यह इस उदाहरण से सिद्ध है।

सन्देश रासक के ही एक शब्द के सम्बन्ध में डॉ० द्विवेदी ने यह स्थापना की है कि शब्द के जिस रूपान्तर को अर्थ के लिए ग्रहण किया गया है वह न केवल व्याकरण-मूलत ही होना चाहिये, भाषा-शास्त्र द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिये, तभी ठीक अर्थ प्राप्त हो सकता है। यह स्थापना उन्होंने 'अध्वजोण' शब्द पर विचार करते हुए की है। इस शब्द का अर्थ टिप्पणकार ने बताया है 'अध्वोद्विग्न' (= आधा उद्विग्न) और अवचूरिका-कार ने 'अध्वोद्विग्न' (= राम्ना चलने से उद्विग्न या थका हुआ-मा)। यह अर्थ इसलिए किया गया कि दोनों ने उद्विग्न को उद्विग्न का रूपान्तर मान लिया। द्विवेदी जी ने बताया है कि सं० रा० में उद्विग्न का रूपान्तर 'उद्विन्न' हुआ है, और कई स्थलों पर आया है फिर यहाँ उद्विग्न का रूप उद्विन्न ही होना चाहिये था 'उद्विग्न' नहीं। 'उद्विग्न' भाषा शास्त्र से उद्विग्न का रूपान्तर नहीं ठहर सकता, अतः इसका अर्थ उद्विग्न भी नहीं किया जा सकता। 'उद्विग्न' का अर्थ 'उडता हुआ' और पूरे शब्द का अर्थ होगा 'आधा उडता हुआ-सा'।²

अर्थ की समस्या का एक कारण होता है—किसी शब्द-रूप के बाह्य-साम्य से अर्थ कर बँठना। सं० रा० में एक शब्द है 'कोसिल्लि' इसका बाह्यसाम्य 'कुशल' से मिलता है, अतः टिप्पणक और अवचूरिका में (श० 22) इसका अर्थ 'कुशलेन अर्थात् कुशलतापूर्वक' कर दिया गया। पर 'वेशीनाममाला' में इस शब्द का अर्थ दिया गया है 'प्राभूतम्'। स्पष्ट है कि टिप्पणक और अवचूरिका में लेखकों ने इस शब्द के यथार्थ अर्थ को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया। प्राभूतम् अर्थ ठीक है, यह डॉ० द्विवेदी का अभिमत है।³

शब्द-रूप को अर्थ की दृष्टि से समीचीन मानने में छन्द की अनुकूलता भी देखनी होती है। डॉ० द्विवेदी ने सं० रा० में 'उरुहवदण केणइ विरहज्जल पुणावि अयं परिहिसर्याह' में बताया है कि छन्द की दृष्टि से इसमें दो मात्राएँ अधिक होती हैं। उनका सुझाव है कि 'सी' तथा 'ज' प्रति के पाठ में 'विरहहव' शब्द है, 'विरहज्जल' के स्थान पर यही ठीक है। 'हव' का अर्थ अग्नि है। इसी अर्थ में सं० रा० में अन्यत्र भी आया है। इसी प्रकार छन्द-दोष भी दूर हो जाता है, इसीलिए डॉ० द्विवेदी इसे कविसम्मत भी मानते हैं।

1. द्विवेदी, ह्यारीप्रसाद—संदेश-रासक, पृ० 12।

2. वही, पृ० 21।

3. वही, पृ० 53।

इस प्रकार हमने पांडुलिपि की दृष्टि से अर्थ की समस्या को विविध पहलुओं से देखा है। इसमें हमने पांडुलिपियों के अर्थ-विशेषज्ञों के ताक्यों का सीधे उपयोग किया है।

किन्तु इसी के साथ सामान्यतः अर्थ-ग्रहण के उपायों का शास्त्र में (काव्य-शास्त्र में) जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उसका भी विवरण अत्यन्त संक्षेप में दे देना उचित होगा।

काव्य शास्त्र द्वारा प्रतिपद्यित्व कर्म शब्द सक्रियों से सभी परिचित हैं, वे हैं अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना।

एक शब्द के कोष में कई अर्थ होते हैं। स्पष्ट है कि कितने ही शब्द अनेकार्थी होते हैं, किन्तु एक रचना में एक समय में एक ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी 14 बातें काव्य-शास्त्रियों ने बतायी हैं जिनके कारण अनेकार्थी शब्दों का एक ही अर्थ माना जाता है, ये 14 बातें हैं 1 सयोग, 2 वियोग, 3 साहचर्य, 4 विरोध, 5 अर्थ, 6 प्रकरण, 7 लिंग, 8 अर्थ साभिधि, 9 सामर्थ्य, 10 औचित्य, 11 देश, 12 काल, 13. व्यक्तित्व, एव 14 स्वर।

किसी भी शब्द का एक अर्थ पाने के लिए इन बातों की सहायता ली जाती है। इनका विस्तृत ज्ञान किसी भी काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ (जैसे—काव्य प्रकाश)से किया जा सकता है। वस्तुतः इतना तो किसी भी अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक ज्ञान ही माना जा सकता है।

इम सम्बन्ध में प्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चेतावनी दी है, वह ध्यान में रखन योग्य है। वे कहते हैं, 'आचीन कवियों के प्रयुक्त शब्दों का अर्थ करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। एक ही शब्द विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है।' इस वाक्य में प्राचार्य महोदय ने देशभेद से शब्दार्थ-भेद की ओर संकेत किया है, अतः अर्थ-ग्रहण के लिए ग्रन्थ और लेखक के देश का भी ध्यान रखना हाता है। यही बात काल के सम्बन्ध में भी है। कालभेद से भी शब्दार्थ-भेद हो जाता है।

विशिष्ट ज्ञान जो पांडुलिपि-विज्ञानार्थों में अपेक्षित है, उसकी ओर कुछ संकेत ऊपर किये गये हैं। विविध विद्वानों के अर्थानुसंधान के प्रयत्न भी उनके उद्धरणों और उदाहरणों सहित बताये गये हैं। इनसे अर्थ तक पहुँचने की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। उससे मार्ग का निर्देश मात्र होता है।

रख - रखाव

पांडुलिपियों के रख-रखाव की समस्या

पांडुलिपियों के रख-रखाव की समस्या भी अन्य समस्याओं की भाँति ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह देख चुके हैं कि पांडुलिपियाँ ताड़पत्र, भूजपत्र, कागज, कपड़ा, लकड़ी, रेशम, चमड़े, पत्थर, मिट्टी, चाँदी, सोने, तबि, पीतल, कसि, लोहे, संगमरमर, हाथीदाँत, सीप, शंख आदि पर लिखी गई है, अतः रख-रखाव की दृष्टि से प्रत्येक की भ्रलग-भ्रलग देख-रेख आवश्यक होती है।

डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द घोभा ने बताया है कि "दक्षिण की अधिक ऊष्ण हवा में ताड़पत्र की पुस्तकें उतने अधिक समय तक रह नहीं सकती जितनी कि नेपाल आदि शीत देशों में रह सकती हैं।"¹

यही कारण है कि उत्तर में नेपाल में ताड़पत्र पुस्तकों की खोज की गई तो ताड़पत्र की पुस्तकें अर्धशती दशा में मिलीं। इसी कारण से 11वीं शताब्दी से पूर्व के ग्रन्थ कम मिलते हैं। 11वीं शती से पूर्व के ताड़पत्र के ग्रन्थ इस प्रकार मिले हैं—

दूसरी ईस्वी शताब्दी	एक नाटक की पांडुलिपि का घंश जो नुटित है।	
चौथी ईस्वी शताब्दी	ताड़पत्र के कुछ टुकड़े।	काशगर से मैकटिन द्वारा भेजे हुए।
छठी ईस्वी शताब्दी	1. प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र ।) 2. ऊष्णीष-विजय-धारणी (बौद्ध ग्रन्थ)।)	जापान के ह्योरियूजी मठ में।
सातवीं ईस्वी शताब्दी	स्कन्द-पुराण।	नेपाल ताड़पत्र संग्रह।
नवीं (859 ई०) शताब्दी	परमेश्वर-उत्पन्न।	कॉन्जि संग्रह में।
दसवीं (906 ई०) शताब्दी	लकावतार।	नेपाल के ताड़पत्र संग्रह में।

और बस।

घड़ी स्थिति भोजपत्र पर लिखी पुस्तकों की है। ये पूर्वपत्र या भोजपत्र पर लिखी पुस्तकें अधिकतर काश्मीर से मिली हैं —

1. काशीन काशीन विधि-शास्त्र, पृ० 143।

दूसरी-तीसरी शताब्दी ई०	धम्मपद) भावा—प्राकृत,) लिपि—खरोष्ठी ।)	खोतान (मध्य एशिया) से प्राप्त ।
चौथी शताब्दी ई०	संयुक्तागम सूत्र (संस्कृत)	खोतान से प्राप्त ।
छठी ,, ,,	मि० बेबर को प्राप्त ग्रन्थ	
आठवी ,, ,,	अक्षरगणित	बल्खाली से प्राप्त ।

इन पर महामहोपाध्याय श्रीभाजी की टिप्पणी है कि "ये पुस्तकें स्तूपों के भीतर रहने या पत्थरों के बीच गढ़े रहने से ही उतने दीर्घकाल तक बच पायी हैं, परन्तु खुले वातावरण में रहने वाले भूर्जपत्र के ग्रन्थ ई०स० की 15वीं शताब्दी से पूर्व के नहीं मिलते, जिसका कारण यही है कि भूर्जपत्र, ताड़पत्र या कागज अधिक टिकाऊ नहीं होता।"¹

इन उल्लेखों से विदित होता है कि—

1. ताड़पत्र-भूर्जपत्र आदि यदि कहीं स्तूप आदि में या पत्थरों के बीच बहुत भीतर दबा कर रखे जाएँ तो कुछ अधिक काल तक सुरक्षित रह सकते हैं ।
2. ऐसे खुले ग्रन्थ 4-5 शताब्दी से पूर्व के नहीं मिलते अर्थात् 4-5 शताब्दी तो चल सकते हैं, अधिक नहीं ।

इसी प्रकार की कागज के ग्रन्थों की भी स्थिति है ।

पाचवीं शताब्दी ई०	4 ग्रन्थ (मि० बेबर को मिले) भारतीय गुप्त-लिपि में लिखे	कुशभर (म०ए०) में यारकद से 60 मील दक्षिण, जमीन में गढ़े मिले ।
"	संस्कृत ग्रन्थ	काशगर (म०ए०) में

कागज के सम्बन्ध में भी श्रीभाजी² ने यही टिप्पणी दी है कि "भारतवर्ष के जल-वायु में कागज बहुत अधिक काल तक नहीं रह सकता।"

ऊपर उदाहरणार्थ जो तथ्य दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ताड़पत्र, भूर्ज-पत्र, या कागज या ऐसे ही अन्य लिप्यासन यदि बहुत नीचे या बहुत भीतर दबा कर रखे जायें तो दीर्घजीवी हो सकते हैं । पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे दबे हुए ग्रन्थ भी ई० सन् की पहली-दूसरी शताब्दी से पूर्व के प्राप्त नहीं होते ।

इसका एक कारण तो भारत पर विदेशी आक्रमणों का चक्र हो सकता है । ऐसे कितने ही आक्रमणकारी भारत में आये जिन्होंने मन्दिरों, मठों, बिहारों, पुस्तकालयों, नगरों, बाजारों को नष्ट और ध्वस्त कर दिया, जला दिया ।

अपने यहाँ भी कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने ऐसे ही कृत्य किये । अजयपाल के सम्बन्ध में टॉड ने लिखा है कि—

1. भारतीय प्राचीन लिपि-शास्त्र, पृ० 144 ।
2. वही, पृ० 145 ।

“इसके शासन में सबसे पहला कार्य यह हुआ कि उसने अपने राज्य के सब मन्दिरों को, वे प्रास्तिकों के हो प्रथवा नास्तिकों के, जैनों के हों प्रथवा ब्राह्मणों के, नष्ट करवा दिया ।¹ इसी में आगे यह भी बताया गया है कि समधर्मानुयायियों के मतभेदों और वैमनस्यों के कारण भी लाखों को क्षति पहुँची है । उदाहरणार्थ—नपागच्छ और खरतरगच्छ नामक मुख्य (जैन धर्म के) भेदों के आपसी कलह के कारण ही पुराने लेखों का नाश अधिक हुआ है और मुसलमानों द्वारा कम ।”² टॉड को यह तथ्य स्वयं विद्वान् जैनों के मुख से सुनने को मिला ।

अतः ग्रन्थों और लेखों के नाश में साम्प्रदायिक विद्वेष का भी बहुत हाथ रहा है, सम्भवतः बाहरी आक्रमणों से भी अधिक । यद्यपि अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख करते हुए टॉड ने लिखा है कि “सब जानते हैं कि खून के प्यासे अल्ला (अभिप्राय अलाउद्दीन से है) ने दीवारों का तोड़कर ही दम नहीं ले लिया था वरन् मन्दिरों का बहुत-सा माल नीचों में गड़वा दिया, महल खड़े किये और अपनी विजय के अन्तिम चिह्नस्वरूप उन स्थलों पर गर्धों से हल चलवा दिया, जहाँ वे मन्दिर खड़े थे ।”³

अतः इन स्थितियों के कारण ग्रन्थों के रख-रखाव के साथ ग्रन्थागारों या पोथी-भण्डारों को भी ऐसे रूप में बनाने की समस्या थी कि किसी आक्रमणकारी को आक्रमण करने का लालच ही न हो पाये । इसीलिये ये भण्डार तहखानों में रखे गये । टॉड ने बताया है कि “यह भण्डार नये नगर के उम्र भाग में तहखानों में स्थित है जिसको सही रूप में अण्हीलवाडा का नाम प्राप्त हुआ है । इसकी स्थिति का कारण ही यह अल्ला (उद्दीन) की गिद्ध-दृष्टि से बचकर रह गया अन्यथा उमने तो इस प्राचीन आवास में सभी कुछ नष्ट कर दिया था ।”⁴

टॉड महोदय का यही विचार है कि भू-गर्भ स्थित होने के कारण यह भण्डार बच गया, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई चिह्न भी नहीं था जिससे आक्रमणकर्त्ता यह समझ कर आक्रान्त होता कि यहाँ भी कोई नष्ट करने योग्य सामग्री है ।

‘जैन ग्रन्थ भण्डार’ इन ‘राजस्थान’ में डॉ० कासलीवाल जी ने भी बताया है कि अत्यधिक असुरक्षा के कारण यह भण्डारों को सामान्य पहुँच से बाहर के स्थानों पर स्थापित किया गया । जैसलमेर में प्रसिद्ध जैन-भण्डार इसीलिए बनाया गया कि उधर रेगिस्तान में आक्रमण की कम सम्भावना थी । साथ ही मन्दिर में भूगर्भस्थ कक्ष बनाये जाते थे और आक्रमण के समय ग्रन्थों को इन तहखानों में पहुँचा दिया जाता था । सागानेर, आमेर, नागौर, भोजमाबाद, भजमेर, जैसलमेर, फतेहपुर, दूनी, मालपुरा तथा कितने ही ग्रन्थ (जैन) मन्दिरों में आज भी भूगर्भित कक्ष हैं, जिनमें ग्रन्थ ही नहीं मूर्तियाँ भी रखी जाती हैं । आमेर में एक वृहद् भण्डार था, जो भू-गर्भ कक्ष में ही था और अभी केवल तीस वर्ष पहले ही ऊपर लाया गया । जैसलमेर के प्रसिद्ध भण्डार का सम्पूर्ण भण्डार तहखाने में ही सुरक्षित था । ऐसे तहखानों में ही ताड़पत्र की पुस्तकें तथा कागज की बहुमूल्य पुस्तकें रखी

1. टॉड, जैन—पश्चिमी भारत की यात्रा, पृ० 202 ।
2. वही, पृ० 298 ।
3. वही, पृ० 237 ।
4. वही, पृ० 246 ।


जाती थी। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे भी बड़ा भण्डार जैसलमेर में अब भी भूगर्भस्थ-कक्ष में है।¹

सामान्य पहुँच से दूर स्थानों पर ग्रन्थ-भण्डारों के रखने के कई उदाहरण मिलते हैं। डॉ० रघुवीर ने मध्य एशिया में नुबुल्लॉड स्थान की यात्रा की थी। यह स्थान बहुत दूर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ी में खोदी हुई 476 से ऊपर गुफाएँ हैं जिनमें अजन्ता जैसी चित्रकारी है, और मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर एक बन्द कमरे में, जिसमें द्वार तक नहीं था, हजारों पादुलियाँ बन्द थीं, आकस्मिक रूप से उनका पता चला। एक बार नदी में बाढ़ आ गई, पानी ऊपर चढ़ आया और उसने उस कक्ष की दीवार में सघ कर दी जिसमें कितने बन्द थी। पुजारी ने ईंटों को खिमका कर पुस्तकों का ढेर देखा। कुछ पुस्तकें उसने निकालीं। उनसे विश्व के पुराशास्त्रियों में हलचल मच गई। सर प्रीरील स्टाइन दौड़े गये और 7000 खरड़े (Rolls) या कुंडली ग्रन्थ वहाँ के पुजारी से खरीद कर उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम को भेज दिये। 'ट्रेजर्स ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम' में इसका विवरण यों दिया गया है :

"Perhaps his (Stein's) most exciting discovery, however, was in a walled-up chamber adjoining the caves of the thousand Buddhas at Tunhuang on the edge of the Gobi Desert. Here he found a vast library of Chinese Manuscript rolls and block prints, many of them were Buddhist texts translated from the Sanskrit. The climate which had driven away the traders by depriving them of essential water supplies had favoured the documents they had left behind. The paper rolls seemed hardly damaged by age. Stein's negotiations with the priest in charge of the sanctuary proved fruitful. He purchased more than 7,000 paper rolls² and sent them back to the British Museum. Among them are 380 pieces bearing dates between A. D. 406 and 995. The most celebrated single item is a well-preserved copy of the **Diamond Sutra**, printed from wooden blocks, with a date corresponding to 11 May, A. D. 868. This scroll has been acclaimed as 'the world's oldest printed book', and it is indeed the earliest printed text complete with date known to exist."³

सभी ग्रन्थ अष्टौ दशा में मिले। कहीं सातवीं-आठवीं ईस्वी शताब्दी से पूर्व के ग्रन्थ कहीं बीसवीं शताब्दी ई०, इतने दीर्घकाल तक अष्टौ दशा में अष्टौ तरह सुरक्षित (Well Preserved) ग्रन्थों के रहने का कारण एक तो दूर-दराज का रेगिस्तानी पहाड़ी

1. Kasliwal, K. C. (Dr.)—Jain Grantha Bhandars in Rajasthan, p. 23-24.
2. आचार्य रघुवीर की यात्री के आधार पर उक्त लेख में डॉ० लोकेशचन्द ने बताया है कि यह 17 न० की गुफा थी। इसमें 30,000 बलवितार् (Paper rolls) थी। उन्होंने यह भी बताया है कि स्टाइन के बाद वेरिस के प्राध्यापक पेलिगो आये, वहाँ 6 महीने रहे और बहुत-सी बलवितार् भेजे। केवल 8000 केन्द्रित में बची गई।
— सर्वानु, 23 दिसम्बर, 1973
3. Francis, Frank (Ed.)—Treasures of the British Museum, p. 251.



गुजरात की 476 गुफाओं का शं० सोमेश्वरम द्वारा प्रस्तुत किया गया रेखाचित्र--विशाल रैमिस्तानी क्षेत्र में ये कौनो हुई हैं । इनमें क्षेत्र के समय कहीं
 जीनी सीलियों की प्रकल्प क्षेत्र की रक्षा करती थीं । इन्होंने भगवतों के कारण इसका नाम गुज (सभकाली) देना (केज) पड़ा ।
 रैमिस्तान, पहाड़, नदी के कारण यह सुरक्षित स्थान माना गया ।

स्थान दूसरे, रखने की व्यवस्था—जिस कक्ष में उन्हें रखा गया था वह अच्छी तरह बन्द कर दिया गया था, यहाँ तक कि बौद्ध पुजारी को भी उनका पता ही नहीं था कि वहाँ कोई ग्रन्थ-भण्डार भी है। उसका आकस्मिक रूा से ही पता लगा।¹

इसी प्रकार हम बचपन में यह अनुभूति सुनते प्राये थे कि सिद्ध लोग हिमालय की गुफाओं में चले गये हैं। वहाँ वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। डॉ० बशीलाल शर्मा ने 'किन्नोरी लोक-माहित्य' पर अनुसंधान करते हुए एक स्थान पर लिखा है :

'निडपा-लामा भी कन्दराओं में प्राचीन ग्रन्थों व लामाओं की खोज करने लगे और उनके शिष्यों ने इन स्थानों में साधना प्रारम्भ की। उन लोगों का कथन था कि इन गुप्त स्थानों पर पद्मसम्भव द्वारा रचित ग्रन्थ है तथा इस धर्म में विश्वास करने वाले कुछ महात्मा भी कन्दराओं में छिपे बैठे हैं।'²

इन्होंने मौखिक रूप से मुझे बताया था कि वे एक बौद्ध लामा के साथ एक कन्दरा में हज़ार एक विशाल बिहारों में पहुँचे, जहाँ सबकुछ सोने से युक्त जगमगा रहा था। इन्होंने वहाँ एक ग्रन्थ देखना और समझना था, अतः हिमालय की कन्दराओं और गुफाओं में ग्रन्थ-भण्डारों की बात केवल कपोल-कल्पना ही नहीं है।

तात्पर्य यह है कि सुरक्षित और स्वस्थता की दृष्टि से हिमालय की गुफाओं में भी ग्रन्थ रख गये। बिहारों में तो पुस्तकों का संग्रह रहता ही था, उसकी पूजा भी की जाती थी। श्री राम-कृष्ण कौशल ने 'कमनीय किन्नोर'³ में बताया है कि "15 आवाड़ की कानम् में 'कजुरजनो' उत्सव मनाया जाता है। उस अवसर पर सब शिक्षित अथवा प्रशिक्षित जन श्रद्धाभाव से कानम् बिहार के वृहद् पुस्तकालय के दर्शनों के लिए जाते हैं। कानम् का यह पुस्तकालय ज्ञान-मन्दिर के रूप में प्रतिष्ठित है।"

इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि ग्रन्थों की रक्षा की दृष्टि से ही पुस्तकालयों के स्थान चुन जाते थे और उन स्थानों में सुरक्षित कक्ष भी उनके लिए बनाये जाते थे। साथ ही उनका ऊपर का रूप भी ऐसा बनाया जाने लगा कि आक्रमणकारी का ध्यान उस पर न आय।

'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला' के लेखक मुनि श्री पुण्यविजय जी⁴ ने 'पुस्तक अने ज्ञान भण्डारोंनु रक्षण' शीर्षक में बताया है कि पुस्तकों और ज्ञान-भण्डारों के रक्षण की आवश्यकता चार कारणों से खड़ी होती है :

- (1) राजकीय उथल-पुथल
- (2) बाचक की लापरवाही

1. आचार्य रघुवीर के सुपुत्र डॉ० लोकेशचन्द्र ने अपने लेख 'मध्य-एशिया की छद्मकरी गुफाओं में आचार्य रघुवीर' शीर्षक लेख (धर्मयुग 23 दिसम्बर, 1973) में बताया है कि "यह शिलालेख भोगाओफू गुफा में है जो तुन्हुआ की सबसे पहली गुफा है। चाङ्कालीन शिलालेख के अनुसार सन् 366 में भारतीय भिक्षु लोचुन ने इसका मंगलारम्भ किया था।" (पृ० 28)। वे स्पष्ट हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में इन गुफाओं का आरम्भ हो गया था।
2. शर्मा, बशीलाल (डॉ०) - किन्नोरी लोक-माहित्य (अप्रकाशित शोध-प्रबंध), पृ० 501।
3. कौशल, रामकृष्ण—कमनीय किन्नोर, पृ० 22।
4. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 109।

- (3) चूहे, कंसाारी आदि जीव-जन्तुओं के प्राक्रमण, घोर
(4) बाहर का प्राकृतिक वातावरण ।

राजकीय उथल-पुथल की दृष्टि से रक्षा के लिए उन्होंने लिखा है, "आ तेमज भाना जेवा बीजा उथल-पाथलना जमानामा ज्ञान भण्डारोनी रक्षा माटे बहारथी सादां विखातां मकानों मां तेने राखवान्तं भ्रावता ।" यद्यपि मुनि पुण्यविजय जी यह मानते हैं कि कितने ही बड़े मन्दिरों में जो भूगर्भस्थ गुप्त स्थान हैं वे बड़ी भूतियों को सुरक्षित रखने के लिए हैं क्योंकि उनको भनायास ही स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था । इससे भी यह बात सिद्ध है कि मन्दिरों में गुप्त स्थान थे और हैं और, उनमें ग्रन्थ-भण्डारों को भी सुरक्षित किया गया । कुछ ग्रंथ-भण्डारों के तहखानों में होने के प्रमाण कर्नल टॉड की साक्षी से ही मिल जाते हैं, तो ये दोनों उपाय राजकीय उथल-पुथल से रक्षा करने के लिए काम में लाये जाते थे ।

वाचकों और पाठकों की लापरवाही से बचाने के लिए जो बातें की जाती थी उनमें से एक तो यह कि वाचकों के ऐसे संस्कार बनाये जाते थे कि जिससे वे पुस्तकों के साथ प्रमाद न कर सके । दूसरे, उसी सांस्कृतिक शिक्षण की व्याप्ति भारत के घर-घर में देखी जा सकती है, यथा जहाँ लिखने-पढ़ने की कोई वस्तु, पुस्तक हो, दवात हो, लेखनी हो, कागज का टुकड़ा ही क्यों न हो, नीचे जमीन पर कहीं गिर जाय, अशुद्ध स्थल पर गिर जाय अशुद्ध हाथों से छू जाय तो उसे पश्चात्ताप के भाव से सिर पर लगा कर तब यथा-स्थान रखने की सांस्कृतिक परम्परा आज भी मिलती है । इससे ग्रन्थों और तद्वाच्यक सामग्री की रक्षा की भावना सिद्ध होती है ।

पुस्तकों को पढ़ने के लिए या तो चौकी का उपयोग होता था या सम्पुटिका (टिखटी) का उपयोग किया जाता था । इससे पुस्तक का जमीन से स्पर्श नहीं होता था । यह भी नियम था कि स्वच्छ होकर, हाथ-पैर धोकर पुस्तक पढ़ी जानी चाहिये । वैसे यह नियम यद्यपि हमारे समय में धीरे-धीरे केवल धार्मिक पुस्तकों के लिए लागू होने लगा था । फिर भी, इसकी प्रकृति से भी पता चलता है कि पुस्तकों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके प्रति अत्यधिक आदर-भाव पैदा किया जाता था, वे पुस्तकें किसी भी विषय की क्यों न हों । इसी को मुनिजी ने इन शब्दों में बताया है 'पुस्तकन् अयमान् वाड नही, ते बगड़े नही, तेने चानु बने के उडे नही, पुस्तक ने शर्दी गर्मी बगेरेनी असर न लागे ये माटे पुस्तक ने पाठानि बचमा राखी तेने ऊपर कबुल्टी अने बंधन बीटानि तेने सांपडा ऊपर राखता । जे पाना वाचनमा चालू होय तेमने एक पाटी ऊपर भू हकी, तेने हाथनो पासेबो ना लागे ये माटे पानु अने अंगुठानो बचमा काम्बी के छेवटे कागज ना टुकडो जे बुंकाई राखी ने वाचता । चौमासानो ऋतुमा शर्दी भरमा वातावरणो समयानां पुस्तक ने भेज न लागे अने ते चोटीन जाय ये माटे खास वाचननो उपयोगी पानाने बहारराखी वाकीना पुस्तक ने कबली कपडु बगरे लपेटी ने राखता ।'¹ इन विवरणों से स्पष्ट है कि वाचन-पठन के लिए टिखटी पर पुस्तक रखी जाती थी । सब प्रकार से स्वच्छ होकर पढ़ने बैठते थे । पम्बे न खराब हो इसलिए काम्बी या पटरी जैसी वस्तु पंक्तियों के सहारे रखकर पढ़ते थे, इस प्रकार से उंगलियाँ नहीं लग पाती थीं । गर्मी-सर्दी से बचाने के लिए ग्रन्थों को कपड़ों के थैले,

बस्ते में बन्द करके रखते थे या उन्हें संभूक या पेटी में । उनके ऊपर ग्रन्थ-विषयक आवश्यक सूचना भी रहती थी ।

बूहे तथा कंसारी एवं ग्रन्थ जीव-जन्तुओं से रक्षा के लिए मुनिजी ने प्राचीन-जैन-परम्परा में घोड़ा बद्ध या सं० उपमहा पुस्तकों की संग्रह-पेटियों में डाली जाती थी । कपूर का उपयोग भी इसीलिए किया जाता था । इसी के लिए यह विधान था कि पुस्तकें दोनो धोर से दाबड़ों से दाब कर पुट्टों को पाशवों में रख कर खूब कस कर बाँध दे । फिर इन्हें बस्ते में बाँध कर पेटी में रख दें ।

बाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा

इस सम्बन्ध में मुनिजी ने बताया है कि धूप में ग्रन्थ नहीं रखे जाने चाहिये । यदि घरों में चौमासे या बरसात की नमी बैठ गई हो तो धूप से बचा कर ऐसे गर्म स्थान में रख कर सुखाना चाहिये, जहाँ छाया हो ।

पुस्तकों में नमी के प्रभाव से पन्ने कभी-कभी चिपक जाते हैं । ऐसा स्याही के बनाने में गोद मात्रा से अधिक पड़ जाने से होता है । नमी से बचाने के लिए एक उपाय तो यही बताया गया है कि पुस्तक को बहुत कस कर बाँधना चाहिये, इससे कीड़े-मकोड़े में ही रक्षा नहीं होती, वातावरण के प्रभाव से भी बच जाते हैं ।

दूसरा उपाय यह बताया गया है कि चिपकने वाली स्याही वाले पन्नों पर गुलाल छिड़क देना चाहिये, इससे पन्ने चिपकेंगे नहीं ।

चिपके हुए पन्नों को एक-दूसरे से भ्रलग करने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक नमी वाली हवा उसे दी जाय और तब धीरे-धीरे सम्भाल कर पन्नों को एक-दूसरे से भ्रलग किया जाय या चौमासे की भारी बरसात की नमी का लाभ उठा कर पन्ने सम्भाल कर धीरे-धीरे भ्रलग किये जायें, और बाद में उन पर गुलाल छिड़क दिया जाय, अर्थात् भूरक दिया जाय ।

ताड़-पत्र की पुस्तकों के चिपके पन्नों को भ्रलग-भ्रलग करने के लिए भीगे कपड़े को पुस्तक के चारो ओर लपेट कर अपेक्षित नमी पहुँचायी जाय, और पन्ने जैसे-जैसे नम होते जायें, उन्हें भ्रलग-भ्रलग किया जाय ।

इस प्रकार जैन-शास्त्रीय परम्परा में ग्रन्थ-सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं ।

और, इसी दृष्टि से हम 1822 ई० में लिखे ब्रह्मिवाड़े के ग्रन्थ-भण्डार (पोथी-भण्डार) के टाँड के वर्णन से कुछ उद्धरण पुनः देते हैं ।

क—“अब हम दूसरे उल्लेखनीय विषय पर आते हैं वह है, पोथी-भण्डार अथवा पुस्तकालय जिसकी स्थिति जिस समय मैंने उसका निरीक्षण किया उस समय तक बिल्कुल अज्ञात थी ।”

ख—“तहखानों में स्थित है ।”

ग—“ये गुरु जी वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वे भण्डार की पूजा करने के लिए जा पहुँचे । यद्यपि उनकी सम्मानपूर्ण उपस्थिति ही कुलुफ (मोहर) तोड़ने के लिए पर्याप्त थी परन्तु नगर-सेठ के आज्ञा-पत्र बिना कुछ नहीं हो सकता था । पंचायत बुलाई गई और उनके समक्ष ये यति ने अपनी पत्रावली अथवा हेमाचार्य की प्राध्यात्मिक शिष्य-परम्परा में होने का बंध-बृक उपस्थित किया, जिसको देखते ही उन लोगों पर जादू का-सा असर हुआ और उन्होंने मुन्वी को तहखाने में उतर कर कुर्सी पुराने भण्डार की पूजा करने के

लिए धामन्त्रित किया ।

घ-नहलाने के तग अत्यन्त घुटनपूर्ण वातावरण के कारण उनको इस (ग्रन्थ) अन्वेषण से विरत होना पड़ा ।

ङ सूची की एक बड़ी पोथी है और इसको देख कर इन कमरों में भरे हुए ग्रन्थों की सख्या का जो अनुमान मुझे उन्होंने बताया उसे प्रकट करने में मुझे अपनी एव मेरे गुरु की सत्य शीलता को मन्दह म डालन का भय लगता है ।'

च वे ग्रन्थ (I) मावधानी से मन्दूको में रखे हुए थे जो

(II) मृग प्रथवा कगार की लकड़ी (Caggar wood) के बुरादे से भरे हुए थे । यह मृग का बुरादा कीटाणुनाश में रक्षा करने का प्रचुर उपाय है ।

छ-सूची में और मन्दूका की सामग्री में बहुत अन्तर था ।

ज इस संग्रह की रखवाली बड़ सन्दहपूर्ण ढंग से की जाती है और जिनका इसमें प्रवेश है वे ही इसके बारे में कुछ जानते हैं ।'

इन विवरणों से विदित होता है कि भारत में प्राचीन काल में ग्रन्थों की रक्षा के प्रति बहुत सचेतन दृष्टि थी इसके लिए स्थान के चुनाव उसकी प्राक्रमणकारी की दृष्टि से बचाने के उपाय उनके रख रखाव में अत्यन्त सावधानी तथा अत्यन्त पूज्यभाव में उनके उपयोग की सांस्कृतिक प्राचारिकता पैदा करने के प्रयत्न निरन्तर रहे हैं ।

रख रखाव की जिस व्यवस्था का कुछ संकेत ऊपर किया गया है, उमो की पुष्टि ब्यूह्लर¹ के इस कथन से भी होती है

(93) Wooden covers, cut according to the size of the sheets were placed on the *Bhurja* and palm leaves which had been drawn on strings and this is still the custom even with the paper MSS.² In Southern India the covers are mostly pierced by holes through which the long strings are passed. The latter are wound round the covers and knotted. This procedure was usual already in early times⁵⁵⁴ and was observed in the case of the old palm leaf MSS from Western and Northern India. But in Nepal the covers of particularly valuable MSS (Pustaka) which have been prepared in this manner are usually wrapped-up in dyed or even embroidered cloth. Only in the Jaina libraries the palm leaf MSS sometimes are kept in small sacks of white cotton cloth, which again are fitted into small boxes of white metal. The collections of MSS which frequently are catalogued and occasionally in monasteries and in royal courts are placed under librarians, generally are preserved in boxes of wood or cardboard. Only in Kashmir, where in accordance with Muhammadan usage the MSS are bound in leather, they are put on shelves, like our books.

1 Buhler, G — *Indian Palaeography*, p 147-48.

553 Berni, India I 171 (Sachs u)

554 Cf Harsacarta, 95 where the sutra-vestanam of a MS is mentioned

डॉ. ब्यूह्लर के उक्त कथन से उन सभी बातों की पुष्टि हो जाती है, जो हमने ग्रन्थ खातो से दी हैं। कर्नल टॉड ने कुमि, कीटो से रक्षा के लिए जिस बुरादे का उल्लेख किया है, उसकी चर्चा ब्यूह्लर महोदय ने नहीं की। अच्छे बड़े भण्डारों में सूची-पत्र (कैटेलाॅग) भी रहते थे, यह सूचना भी हमें टॉड महोदय से मिल गयी थी। यह भ्रवश्य प्रतीत हुआ कि लम्बे उपयोग के कारण जो ग्रंथ इधर-उधर हो गये उनसे सूचीपत्र का ताल-मेल नहीं बिठाया जाता रहा; इसीलिए सूचीपत्र और सन्दूको के ग्रन्थों में भ्रन्तर पाया गया। सिले थैली-नुमा बस्तों में ग्रन्थों की रखने की प्रथा भी केवल जैन ग्रंथागारों में ही नहीं, ग्रन्थ ग्रंथागारों में भी मिलती है। ग्रंथागारों में ग्रंथों के वेष्टनों के ऊपर ग्रंथनाम, ग्रंथकर्त्तानाम, लिपिकर्त्तानाम, रचनाकाल, लिपिकाल, ग्रंथप्रदाता का नाम, श्लोक संख्या आदि सूचनाएँ दावों पर, पाटों या पुट्टों पर लिखी जाती थी। इससे बस्ते या पेटी के ग्रंथों का विवरण मिल जाता था।

बर्नेल महोदय ने जाने कैसे यह आरोप लगा दिया था कि ब्राह्मण पांडुलिपियों को बुरी तरह रखते हैं। इसका ब्यूह्लर ने ठीक ही प्रतिवाद किया है कि यह समस्त भारत के सम्बन्ध में सही नहीं है, समस्त दक्षिण भारत के लिए भी ठीक नहीं। ब्यूह्लर ने बताया है कि गुजरात, राजपूताना, मराठा प्रदेश तथा उत्तरी एवं मध्य भारत में कुछ अव्यवस्थित संग्रहों के साथ, ब्राह्मणों तथा जैनों के ग्रन्थिकार में विद्यमान अत्यन्त ही सावधानी से सुरक्षित पुस्तकालयों को देखा है।

इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि भारत में ग्रन्थों की सुरक्षा पर सामान्यतः अच्छा ध्यान दिया जाता था।

प्राचीन काल में पाश्चात्य देशों में पेपीरस के खरीतों (Scrolls) को सुरक्षित रखने के लिए पार्चमेण्ट के खोखे बनाये जाते थे और उनमें खरीतों को रखा जाता था।¹ बहुत महत्त्व के कागज-पत्रों को रखने के लिए भारत में भी लोहे या टीन के डककन वाले खोखों का उपयोग कुछ समय पूर्व तक होता रहा है।

कागज में विकृतियाँ कुछ ग्रन्थ कारणों से भी होती हैं, उनमें से एक स्याही भी है। श्री गोपाल नारायण बहुरा ने इस सम्बन्ध में जो टिप्पणी प्रस्तुत की है उसमें उन बातों का उल्लेख किया है जिनसे पांडुलिपियाँ रुग्ण हो जाती हैं। इन बातों में ही स्याही के विकार से भी पुस्तकें रुग्ण हो जाती हैं यह भी बताया है।² साथ ही इन विकारों से सुरक्षित रखने के उपायों का भी उल्लेख किया है।³

यहाँ तक हमने प्राचीनकालीन प्रयत्नों का उल्लेख किया है किन्तु आधुनिक युग तो वैज्ञानिक युग है। इस युग के वैज्ञानिक प्रयत्नों से पांडुलिपियों की सुरक्षा के बहुत उपयोगी साधन उपलब्ध हुए हैं। अभिलेखागारों (आर्काइव्स), पांडुलिपि संग्रहालयों (मैनुस्क्रिप्ट

1. The Encyclopedia Americana (Vol. IV), p. 224.

2. देखें द्वितीय अध्याय, पृ० 52-61।

3. "The ink used in making records is also important in determining the longevity of the record, certain kinds of ink tend to fade, the writing disappearing completely after a length of time. Other inks due to their acid qualities eat into the paper and destroy it. An ink in an alkaline medium containing a permanent pigment is what is required."

लाइब्रेरी) आदि में अब इन नये वैज्ञानिक ज्ञान और उपादानों और साधनों के कारण हस्तलेखागारों की उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ़ गया है।

क्षेत्र को बढ़ाने वाले साधनों में दो प्रमुख हैं : एक है, माइक्रोफिल्म तथा दूसरा है, फोटोस्टैट। माइक्रोफिल्म के एक फीते पर कई हजार पृष्ठ उतारे जा सकते हैं, इस पर एक फीते पर कितने ही ग्रन्थ अंकित हो जाते हैं। ऐसा एक फीता छोटे-से डिब्बे में बन्द कर रखा जा सकता है। इस प्रकार ग्रन्थ अपने लेखन-वैशिष्ट्य के साथ पृष्ठ या पन्ने के यथार्थ चित्र के साथ माइक्रोफिल्म पर उतार कर सुरक्षित हो जाता है। इसे वे मनु नहीं स्पर्श कर पाते जिनके कारण मूल ग्रन्थ की वस्तु को हानि पहुँचती है। हाँ, माइक्रोफिल्म की सुरक्षा की वैज्ञानिक विधियाँ भी हैं, जिनसे कभी किसी प्रकार की क्षति की आशंका होती ही उसे सुरक्षित किया जा सकता है।

किन्तु माइक्रोफिल्मांकित ग्रन्थ को आसानी से किसी भी व्यक्ति को माइक्रोफिल्म की प्रति करके दिया जा सकता है। इस पर व्यय भी अधिक नहीं होता। हाँ, माइक्रो-फिल्मांकित ग्रन्थ को पढ़ने के लिए 'रीडर' (पठन-यन्त्र) की आवश्यकता होती है। बड़े सग्रहालयों में ये बहुत बड़े आकार के यन्त्र भी मिलते हैं। साथ ही 'मिजी-यन्त्र'¹ भी होता है। ऐसे पठन-यन्त्र भी हैं, जिनके साथ ही फिल्म-कैमरा भी लगा रहता है। क. मुं. हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा में माइक्रोफिल्म कैमरा के साथ रीडर भी है। इस रीडर से पुस्तक का यथार्थ आकार ही दर्शाता होता है।

इसी प्रकार फोटो-स्टैट (Photo-stat) यन्त्र से ग्रन्थ की फोटो-प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं। ये ग्रन्थ-प्रतियाँ यथार्थ ग्रन्थ की भाँति ही उपयोगी मानी जा सकती हैं। ऐसी प्रतियाँ कोई भी पाठक प्राप्त कर सकता है, अतः सुरक्षा भी बढ़ती है, साथ ही उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ़ जाता है।

आज पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों आदि के रख-रखाव ने स्वयं एक विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया है। इस पर अंग्रेजी में कितने ही ग्रंथ मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) में अभिलेखागार के रख-रखाव (Archives-keeping) में एक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को यह प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए।

हम यहाँ संक्षेप में कुछ सकेतात्मक और काम-चलाऊ बातों का उल्लेख किये देते हैं जिससे इसके स्वरूप का कुछ आभास मिल सके और पाण्डुलिपि-विज्ञान का एक पक्ष अछूता न रह जाय।

हम यह संकेत ऊपर कर चुके हैं कि जलवायु और वातावरण का प्रभाव सभी पर पड़ता है, तो वह लेखों और तस्सम्बन्धी सामग्री पर भी पड़ता है। किसका, कैसा, क्या प्रभाव पड़ता है, वह नीचे की तालिका में बताया गया है :

जलवायु	वस्तु	प्रभाव
1 गर्म और शुष्क जलवायु	कागज चमड़ा तथा पुस्तक	तड़कने लगता (Brittle) है सूख जाता है

1. केष पर कुछ कर उपयोग में लाना करने लाना कक्ष।

जलवायु	वस्तु	प्रभाव
2. अधिक नमी (humidity)	कागज	सिकुड़ जाता है एवं सील जाता है।
3. तापमान में अत्यधिक वैविध्य [जाड़ों में 10 ⁰ से. (50 ⁰ फा०) तथा गर्मी में 45 ⁰ (113 ⁰ फा०) तक]।	कागज, चमड़े एवं पुठ्टे	लोच पर प्रभाव पड़ता है।
4. तापमान 32 ⁰ से० (90 ⁰ फा०) एवं नमी 70 प्रतिशत		कीड़े-मकोड़ों, पुस्तक-कीट, सिल्वर-फिग, कौकोच, दीमक और फफूँद या चैपा उत्पन्न हो जाता है।
5. वातावरण में अम्ल-गैसों का होना — विशेषतः सल्फर हाइड्रोजन से विकृत वातावरण।	कागज आदि	बुरा प्रभाव। जल्दी नष्ट हो जाते हैं।
6. धूल कण	कागज, चमड़ा, पुठ्टा आदि	इनसे अम्ल-गैसों की घनता घाती है और फफूँदाणु पनपते हैं।
7. सीधी धूप	कागज आदि	कागज आदि पर पड़ने वाली सीधी धूप को पुस्तकों का शत्रु बताया गया है। इससे कागज आदि बिबरण हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं तथा स्याही का रंग भी उड़ने लगता है।

उपाय :

भंडारण-भवन को 22⁰ और 25⁰ से० (72⁰ - 78⁰ फा०) के बीच तापमान और नमी (humidity) 45⁰ और 55 प्रतिशत के बीच रखा जाय।

साधन :

वातानुकूलन-यन्त्र द्वारा वातानुकूलित भवन में उक्त स्थिति रह सकती है।

बहुत व्यय-साध्य होने से यदि यह सम्भव न हो तो अत्यधिक नमी को नियन्त्रित करने के लिए जल-निष्कासक रासायनिकों का उपयोग कर सकते हैं। ये हैं : ऐल हाइड्रस कैलमियम क्लोराइड और मिनिका गैल (Silica gel)।

20-25 घन मीटर क्षमता के कक्ष के लिए 2-3 किलोग्राम सिलिका गैल पर्याप्त है। इसे कई तस्तरियों में भर कर कमरे में कई स्थानों पर रख देना चाहिये। 3-4 घंटे

के बाद यह सिलिका गेल और नमी नहीं सोख सकेगा क्योंकि वह स्वयं उस नमी से परिपूरित हो चुका होगा, अतः सिलिका गेल की दूसरी मात्रा उन तत्परियों में रखनी होगी। पहले काम में घ्राये सिलिका गेल को खुले पात्रों में रख कर गरम कर लेना चाहिये, इस प्रकार वह पुनः काम में घ्राणे योग्य हो जाता है।

उक्त साधनों से वातावरण की नमी तो कम की जा सकती है, पर यह नमी कभी-कभी कमरों में सीलन (Dampness) होने से भी बढ़ती है। इस कारण यह आवश्यक है कि भंडारण के कमरों को पहले ही देख लिया जाय कि उनमें सीलन तो नहीं है। भवन बनाने के स्थान या बनाने की सामग्री या विधि में कोई कमी रह गई है, इससे सीलन है, अतः मकान बनाते समय ही यह ध्यान रखना होगा कि भंडार-भवन सीलन-मुक्त विधि से बनाया जाय। यही इसका एकमात्र उपाय है। नमी और सीलन को कम करने में खुली स्वच्छ वायु का उपयोग भी लाभप्रद होता है। अतः भंडारण में लिडकियाँ आदि इस प्रकार बनायी जानी चाहिये कि भंडार की वस्तुओं को खुली हवा का स्पर्श लग सके। कभी-कभी बिजली के पत्थों से भी हवा की जा सकती है।

किन्तु साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि भंडार-कक्ष में वस्तुओं पर, कागज-पत्रों पर मीची धूप न पड़े। इससे होने वाली हानि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि ऐसी लिडकियाँ हों जिनमें से धूप सीधे ग्रन्थों पर पड़ती है, तो उन लिडकियों में शीशे लगवा कर पदों डाल देने चाहिये, और इस प्रकार धूप के स्पर्श से रक्षा करनी चाहिये।

पांडुलिपियाँ रखने की प्रलमारियों का भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। एक तो प्रलमारियाँ खुली होनी चाहिये जिससे उन्हें खुली हवा लगती रहे और सीलन न भरे। दूसरे, ये प्रलमारियाँ लोहे की या किसी धातु की हो, और इन्हें दीवाल से सटा कर न रखा जाय, और परम्पर प्रलमारियों में भी कुछ फासला रहना चाहिये इससे सील नहीं चढ़ेगी। ये प्रलमारियाँ ही आदर्श मानी जाती हैं। दीवारों में बनायी हुई सीमेन्ट की प्रलमारियाँ भी ठीक नहीं बतायी गई हैं। धातु की प्रलमारियों में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इन पर मौसम और कीटों (दीमक आदि) का प्रभाव नहीं पड़ता, जो लकड़ी पर पड़ता है, फिर इन्हें अपनी आवश्यकता, सुरक्षा और उपयोगिता के अनुसार व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

पांडुलिपियों के शत्रु :

मुकड़ी (Mould) और फफूंद नामक दो शत्रु हैं जो पांडुलिपियों में ही पनपते हैं। फफूंद तो पुस्तकों में पनपने वाला बनस्पतीय-फस (Fungus) होता है जबकि मोल्ड में शेष सभी ग्रन्थ सूक्ष्म भ्रव्यवाणु आते हैं जो पांडुलिपियों में हो जाते हैं। यह पाया गया है कि ये 45° से० (40° फा०) पर धीरे-धीरे बढ़ते हैं, पर 27-35° से० (80-95° फा०) पर इनकी बहुत बढ़वार होती है। 38° से० (100° फा०) से अधिक तापमान में इनमें से बहुत-से नष्ट हो जाते हैं, अतः इन्हें रोकने के लिए भंडारण भवन का तापमान 22-24° से० (72-75° फा०) तक रखा जाना चाहिये। साथ ही नमी (रूमीनिटी) 45-55 प्र० श० के बीच रहनी चाहिये।

यदि भंडारण-कक्ष को उक्त मात्रा में तापमान और नमी का अनुकूलन सम्भव न हो तो एक दूसरा उपाय चाईमल रसायन से वाष्प-धिक्रिस्ता (Fumigation) है।

थाईमल चिकित्सा की विधि :

एक वायु विरहित (एयरटाइट) बाक्स या बिना खाने की धलमारी लें। इसमें नीचे के तल से 15 सें० मी० की ऊँचाई पर तार के जालों का एक बस्ता लगाये, उस पर ग्रन्थों को बीच से खोल इस प्रकार रखें कि उसकी पीठ ऊपर रहे और वह रूप में रहे। थाईमल वाष्प-चिकित्सा के लिए जो ग्रन्थ इस यन्त्र में रखे जाये उनमें उक्त अबयबाणुओं में जहाँ घर बनाये हो पहले उन्हें साफ कर दिया जाय। इम सफाई द्वारा फफूँदादि एक पात्र में इकट्ठी कर जला दी जाय। उसे भंडार में न बिखरने दिया जाये। इसके बाद ग्रन्थ को यन्त्र में रखें। इसके नीचे तल पर 40-60 वाट का बिद्युत लैप रखें और उस पर एक तपतीरी में थाइमल रब दें जिससे लैप का गर्मी स गर्म होकर वह थाइमल पांडुलिपियों को बाष्पित कर सके। एक ब्यूंबक मीटर के लिये 100-150 ग्राम थाइमल ठीक रहता है। 6-10 दिन तक पांडुलिपियों को बाष्पित करना होगा और प्रतिदिन दो से चार घण्टे बिद्युत लैप जला कर बाष्पित करना अपेक्षित है।

इससे ये सूक्ष्म अबयबाणु मर जायेंगे, पर जो क्षत और घब्वे इनके कारण उन पर पड चुके हैं, वे दूर नहीं होंगे।

जहाँ नमी को 75 प्रतिशत से नीचे करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हो वहाँ मिथिलेटेड स्पिरिट में 10 प्रतिशत थाईमल का घोल बनाकर, ग्रन्थागार में कार्य के समय के बाद संध्या को कमरे में उसको फुहार कर दिया जाय और त्रिडिकिया तथा दरवाजे रात-भर के लिये बन्द कर दिये जायें। इन अणुओं के कमरे में ठहरे हुए सूक्ष्म तंतु, जो पुस्तकों पर बैठ कर फफूँद आदि पैदा करते हैं, नष्ट हो जायेंगे। इस प्रकार ग्रन्थागार की फफूँद आदि से रक्षा हो सकेगी।

कीड़े-मकोड़े :

कई प्रकार के कीड़े-मकोड़े भी पांडुलिपियों और ग्रन्थों को हानि पहुँचाते हैं। ये दो प्रकार के मिलते हैं : एक प्रकार के कीट तो ग्रन्थ के ऊपरी भाग को, जिल्द आदि को, जिल्दबन्दी के ताने-बान को, चमड़े को पुट्टे आदि को, हानि पहुँचाते हैं। इनमें एक तो सबके सुपरिचित हैं कोक्रांच, दूसरे हैं, रजत कीट (सिल्वर फिश)। यह कीट बहुत छोटा, पतला चाँदी जैसा चमकना होता है।

इनके सम्बन्ध में पहला प्रयत्न तो यह किया जाना चाहिये कि इनकी सख्या-वृद्धि न हो। इसके लिए एक बात तो यह ध्यान में रखनी होगी कि भंडार-गृह में खाने-पीने की चीजे नहीं आनी चाहिये। इनसे ये आकर्षित होते हैं, फिर फलते-फूलते हैं। दूसरे, दीवाली में कहीं दरारे और सँघे हो तो उन्हें सीमेंट से भरवा दिया जाय, इससे कीड़ों के छिपने और फलने-फूलने के स्थान नहीं रहेंगे, और उनकी वृद्धि रुकेगी। साथ ही नेपथलीन की गोतियाँ धलमारियों में हर छः फीट पर रख दी जायें, इससे ये कीट भागते हैं। किन्तु इन कीटों से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए तो जहरीली दवाओं का छिड़काव करना होगा, ये हैं—डी० डी० टी०, पाट्रोथ्यम, सोडियम फ्लोराइड आदि, इन्हे पुस्तकों पर नहीं छिड़कना चाहिये। अंधेर कोनों, दरारों, छिद्रों और दीवाली आदि पर छिड़कना ठीक रहता है। इन जहरीले छिड़कावों का जहर ग्रन्थों पर छिड़का गया तो ग्रन्थ भी दाग-धब्बों से युक्त हो जायेंगे।

ये कीट तो ऊपरी सतह को ही हानि पहुँचाते हैं, पर दो ऐसे कीट हैं जो ग्रन्थ के

भीतर भाग को भी नष्ट करते हैं। इनमें से एक हैं, पुस्तक कीट (Book-worm), तथा दूसरा सोसिड (Psocid) है।

ये दोनों कीट ग्रन्थ के भीतर घुसपैठ कर भीतर के भाग को नष्ट कर देते हैं। बुक-वॉर्म या पुस्तक-कीट के लारवे तो ग्रन्थ के पन्नों में ऊपर से लेकर दूसरे छोर तक छेद कर देता है, और गुफाएँ खोद देता है। लारवा जब उड़ने लगता है तो दूसरे स्थानों पर पुस्तक-कीटों को जन्म देता है। इस प्रकार यह रोग बढ़ता है। सोसिड को पुस्तक का जूँ भी कहा जाता है। ये भीतर ही भीतर हानि पहुँचाते हैं, अतः इनकी हानि का पता पुस्तक खोलने पर ही विदित होता है।

इनको दूर करने का इलाज वाष्प चिकित्सा है, पर यह वाष्प-चिकित्सा घातक गैसों से की जाती है—ये गैसें हैं, एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) एवं कार्बन डाई ऑक्साइड मिला कर वातशून्य (Vacuum) वाष्पन करना चाहिये। इसके लिए विशेष यन्त्र लगाना पड़ता है। यह यन्त्र व्यय-साध्य है, अतः बड़े ग्रन्थागारों की सामर्थ्य में तो हो सकता है, पर छोटे ग्रन्थागारों के लिए यह असाध्य ही है, अतः एक दूसरी विधि भी है पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन (Para-dichloro benzene) या तरल क्ल्लोप्टेरा (Liquid Kelloptero) जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और एथेनीन ट्राइक्लोराइड का मर्मिश्रण होता है, लिया जा सकता है। इसमें वाष्प-चिकित्सा के लिये एक रटील की ऐसी झलमारी लेनी होगी, जिसमें हवा न घुम सके। इसमें खानों के लोड़ तख्तों में छेद कर दिये जान चाहिये। इन तख्तों पर सम्पूर्ण लेखों को बिछा दिया जाता है और नख्तियों तथा ग्रन्थों को उस रूप में बीच खोल कर रख दिया जाता है।

यदि पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन से वाष्पित करना है तो शीशे के एक जार (Jar) में एक घन मीटर के लिए 1.5 किलोग्राम उक्त रासायनिक धोल भर कर उक्त तख्तों के सबसे नीचे के तल में रख देना चाहिये और झलमारी बन्द कर देनी चाहिये। इसकी गैस हलकी होती है, अतः ऊपर की ओर उठती है। यह रसायन स्वयंमेव सामान्य तापमान में ही वाष्पित हो उठती है। सात-आठ दिन तक रण ग्रन्थों को वाष्पित होने देना चाहिये।

यदि क्ल्लोप्टेरा में वाष्पित करना है तो यह रसायन प्रति एक घन-मीटर के लिए 225 ग्राम के हिसाब में लेकर इसका पात्र सबसे ऊपर के तन्त्र में या खाने में रखना चाहिये। इसकी गैस या वाष्प भारी होती है अतः यह नीचे की ओर गिरती है। सात-आठ दिन इससे भी रण सामग्री को वाष्पित करना चाहिये। इससे ये कीट, इनके लारवे आदि सब नष्ट हो जायेंगे।

पर संघियों में या जिल्द बंधने के स्थान पर बनी नाखियों में इनके जो अंडे होंगे वे नष्ट नहीं हो पायेंगे, और ये अंडे 20-21 दिनों में लारवों के रूप में परिणत होते हैं, अतः पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उक्त विधि से 21-22 दिन बाद फिर वाष्पित करने की आवश्यकता होगी।

दीमक :

सभी जानते हैं कि दीमक का आक्रमण अत्यन्त हानिकर होता है। ऊपर जिन जन्तुओं का उल्लेख किया गया है वे दीमक की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। दीमक का शर भ्रूण में होता है। वहाँ से चल कर ये मकानों में, लकड़ी, कागज आदि पर आक्रमण करती

हैं। ये अपना मार्ग दीवारों पर बनाती हैं जो मिट्टी से ढकी छोटी पतली सुरंगों के रूप में यह मार्ग दिखायी पड़ता है। पुस्तकों को भीतर से, बाहर से सब ओर से, खाती हैं, पहले भीतर ही भीतर खाती हैं।

इनको जीवन मारने का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि दीमकों की रानी घासतन 30 हजार घड़े प्रतिदिन देती है। कुछ को मार भी डाला गया तो इनके आक्रमण में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। इससे रक्षा का एक उपाय तो यह है कि नीचे की दीवार के किनारे-किनारे खाई खोदी जाय और उसे कोलतार तथा क्रियोसोट (Creosote) तेल से भर दिया जाय। इन रासायनिक पदार्थों के कारण दीमक मकान में प्रवेश नहीं कर सकेगी।

यदि दीमक मकान में दिखायी पड़ जाय तो पहला काम तो यह किया जाना चाहिये कि वे समस्त स्थान, जहाँ से इनका प्रवेश हो सकता है, जैसे-दरारे, दीवारों के जोड़ या सभी फर्श में तउके हुए स्थान और छिद्र तथा दीवारों में उभरे हुए स्थान, इन सभी को तुरन्त सीमेन्ट और कंकरीट से भर कर पक्का कर दिया जाय। यदि ऐसा लगे कि फर्श कहीं-कहीं से पोला हो गया है या फूल आया है या अन्तर जमीन खोलनी है, तो ऊपर का फर्श हटा कर इन सभी पोले स्थानों और खोलनों को सफेद संजिया (White arsenic), 30 0 टी० टी० चूर्ण, पानी में सोडियम आर्सेनिक। प्रतिशत का घोल या 5 प्रतिशत 30 0 टी० टी० का घोल, 1 60 (4-5 लीटर प्रति मीटर) के हिसाब से उनमें भर दे। जब ये स्थान मूल जाये तब इन्हे कंकरीट सीमेन्ट से भर कर फर्श पक्का कर दिया जाय। ऐसी दीवारें भी कहीं से पोली या खोलनी दिखायी पड़े तो इनकी चिकित्सा भी इसी विधि से करदी जानी चाहिये। यदि लकड़ी की बर्नी चीजे, किबाड़े आदि दीवारों से जुड़ी हुई हो तो ऐसे समस्त जोड़ों पर क्रियोसोट तेल चुपड़ देना होगा, यदि दीमक का प्रकोप अधिक है तो प्रति छठे महीने जोड़ों पर यह तेल लगाना होगा।

दीमक वाले मकान में दीवारों में बनी अलमारियों का उपयोग निषिद्ध है। यदि लकड़ी की अलमारियाँ या रैंक हैं तो इन्हे दीवारों से कम से कम 15 से० मी० दूर रखे और इनकी टांगे कोलतार, क्रियोसोट तेल या डीलडाइन ऐमलसन से हर छठे महीने पोत देना चाहिये। जमीन में दीमक हों तो आवश्यक है कि इन अलमारियों की टांगों को धातु के पात्रों में रखे और इन पात्रों में कोलतार या क्रियोसोट तेल भर दे। इससे भी पहले लकड़ी की जितनी भी चीजे हैं सभी को 20 प्रतिशत जिंक क्लोराइड को पानी में घोल बनाकर उससे पोत दे।

सबसे अच्छा तो यह है कि लकड़ी की वस्तुओं का उपयोग किया ही न जाय और स्टील के रैंकों और अलमारियों का उपयोग किया जाय।

इस प्रकार इस भयानक शत्रु से रक्षा हो सकती है।

इन सभी बातों के साथ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भंडारण के स्थान पर धूल से, मकड़ी के जालों से और ऐसी ही अन्य गन्दगियों से स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है।

भंडारण के स्थान पर खाने-पीने की चीजें नहीं आनी चाहिये, उसमें रासायनिक पदार्थ भी नहीं रखे जाने चाहिये। सिगरेट आदि पीना पूर्णतः वर्जित होना चाहिये।

...शाम बुझाने का यन्त्र भी पास ही होना चाहिये।

रख-रखाव में केवल शत्रुओं से रक्षा ही नहीं करनी होती है, परन्तु पाण्डुलिपियों को ठीक रूप में और स्वस्थ दशा में रखना भी इसी का एक अंग है। जब पाण्डुलिपियाँ कहीं से प्राप्त होती हैं तो अनेक की दशा विकृत होती है।

इसमें नीचे लिखी बातें या विकृतियाँ सम्मिलित हैं

1. सिकुड़ने, सिलबट, गुड़ी-मुड़ी हुए पत्र।
2. किनारे गुड़ी-मुड़ी हुए कागज (पत्र)।
3. कटे-फटे स्थल या किनारे।
4. तडकने वाले या कुरकुरे कागज।
5. पानी से भीगे हुए कागज।
6. चिपके कागज।
7. धुंधले या धुले लेख।
8. जले कागज।
9. कागजों पर मुहुरों की विकृतियाँ।

इन विकृतियों को दूर करने के अनेक उपाय हैं, पर सबसे पहले एक कक्ष चिकित्सा के लिए अलग कर देना चाहिये। इसमें निम्नलिखित सामग्री इस कार्य के लिए अपेक्षित है :

1. मेज जिस पर ऊपर शीशा जुड़ा हो।
2. छोटा हाथ प्रेस (दाब देने के लिए)।
3. पेपर ट्रिमर (Paper Trimmer)
4. कैंची (लम्बी)
5. चाकू
6. Poring Knives
7. प्याले (पीतल के या इनामिल किये हुए)।
8. तश्तरियाँ (पीतल की या इनामिल की हुई)।
9. ब्रूश (ऊँट के बाल के 205-1.25 से० मी० चौड़ा)।
10. Paper Cutting Slices (सींग के बने हो तो अच्छा है)।
11. फुटा
12. सुइयाँ (बड़ी और छोटी)।
13. बोदकिन (छेद करने के लिए)।
14. तख्त इनामिल किए हुए।
15. शीशे की प्लेटें।
16. देगची लेई बनाने के लिए।
17. बिजली की इस्तरी।

मरम्मत या चिकित्सा की विधि

क-अपेक्षित सामग्री

वॉ० के० डी० आर्नोल्ड ने ये सामग्रियाँ बतायी हैं :

1. हाथ का घना कागज :—यह कागज केवल चिपकों का बना होना चाहिये। ये

बिचड़े सूती बस्त्रों के या ज़ोम (linen) का या दोनों से मिलकर, इसका बना हो, यह सफेद या क्रीम के रंग का हो। इसकी तोल 9-10 कि० ग्रा० (घाकार 51×71 सें० मी० फ० 500 कागज) होनी चाहिये। इसका पी० एच० 5.5 से कम न हो। ग्रन्थ बंधिष्टियों के लिए मूल पुस्तक देखें।¹

2. ऊलि (टिपू) पत्र :— पांडुलिपियों की विकित्सा के लिये निम्न विशेषताओं वाला पत्र होना चाहिये

- (1) इसमें एलका सैल्यूलोज 88 प्रतिशत से कम न हो,
- (2) तोल और घाकार 25-35 कि० ग्रा० (63.5×127 सें० मी० 500 पत्रों)।
- (3) राख 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
- (4) पी० एच० 5.5 से कम नहीं।

इसमें तैल या मोम के तत्त्व न हों।

3. शिफन (Chiffon) नालिबसन :— जिसमें जालरंघ्र की संख्या 33×32 प्रति वर्ग सें० मी० (83×82 प्रति इंच) हो। इसकी मोटाई 0.085 मि० मी० (श्रीसतन) हो। पी० एच० 6.0-6.5।

4. तैल कागज या मोमी कागज — यह ऐसा हो कि पानी न छने और डेक्सट्राइन या लेई (Starch Paste) की चिपकन को न पकड़े। साथ ही, इसके तैल और मोम के अंश कागज पर धम्बे न डाले।

इसकी तोल निम्न प्रकार की हो तो अच्छा है,

तैल कागज : 22.7 कि० ग्रा० (61×46 सें० मी० 500 पत्र)

मोमी कागज " " "

5. मलमल : यह चित्रों और चार्टों पर चढ़ाई जाती है। यह मध्यम घाकार की यानी फुलस्कैप के दुगने घाकार से भी बड़ी हो। बड़िया किस्म की श्रीसतन से 0.1 मि. मी. मोटाई की। इसके सूत में कोई गांठ नहीं होनी चाहिये।

6. लंकलाट :— (Long cloth)

7. सैल्यूलोज एसीटेड कायल :— यह पर्ण पांडुलिपि का परतोपचार (सिमीनेशन) करने के काम आता है, यह पर्ण 107 सें. मी. (42 इंच) चौड़े बेलनों के रूप में मिलता है। परतोपचार के लिए यह पर्ण 0.223 मि. मी. मोटाई का अच्छी लोच वाला, अर्द्ध-आद्रता कवचित (Semi-moisture proof), इसमें नाइट्रेट अंश न हो।

चिकित्सा :

1. चौरस करना

पांडुलिपि-पत्र के किनारे बुड़े-मुड़े हों तो उन्हें चौरस कर देना चाहिये। इसके लिए पहले भीने ब्लॉटिंग कागज की पन्नों के किनारों पर कुछ देर रख कर उन्हें नम किया जाय

1. Bhargava, K. D.-Repair and Preservation of Records.

फिर रसे ब्लॉटिंग कागज उस पर रखकर घ्राइरन को कुछ गरम करके उसको स्तरित कर दिया जाय और हाथ के कागज की कतरन चिपका कर किनारे ठीक कर दिये जायें । यदि लिखावट दोनों धोर हो तो टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय । यदि पत्र बीच में जहाँ-तहाँ कटा-फटा हो तो उन स्थानों पर पत्र की पीठ पर हाथ के कागज की चिपियाँ चिपका दे । यदि दोनों धोर लिखावट हो तो टिश्यू-कागज चिपका दें ।

चिपकाने में गोद और पेस्ट का उपयोग नहीं होना चाहिये क्योंकि ये भिगने पर फूलने हैं और गरमी में सूखते हैं और सिकुड़ते हैं । इसके लिए मैदा की लेई जिसमें थोड़ा नीला योधा हो तो अच्छा रहता है, किन्तु दो-तीन दिन बाद फिर नई लेई बनानी चाहिये । टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय तो यह लेई नहीं, डेक्स्ट्राइन (dextrine) या स्टार्च की पतली लेई काम में लानी चाहिये ।

2. अन्य चिकित्साएँ :

पूरा पृष्ठ पर्णन, टिश्यू चिकित्सा, जिफन् चिकित्सा तथा परतोपचार । तड़कने वाले (Brittle) कागजों का सैल्यूलाइज एसीटेट पर्ण से परतोपचार करना प्राधुनिक पद्धति है । इसके लिए समीचीन परतोपचारक प्रेस (दाब-यन्त्र) की आवश्यकता होती है, उसके अन्य उपकरण भी होते हैं । सब मिलाकर बहुत व्यय पडता है, एक लाख रुपये तो आसानी से लग सकता है, किन्तु इसके लिये बिकल्प भी हैं, जहाँ इतना कीमती यन्त्रादि नहीं लिए जा सकते वहाँ बिकल्प वाली पद्धति से परतोपचार (Lamination) किया जा सकता है ।

(क) पूर्ण पृष्ठ पर्णन

पाण्डुलिपि का कागज तिरकना हो गया हो, उसका पूर्ण पृष्ठ पर्णन द्वारा चिकित्सा कर दी जाती है । पाण्डुलिपि एक ओर लिखी हो तो पीठ पर पूरे पृष्ठ पर वर्णन किया जाता है । हाँ, ऐसी पाण्डुलिपि के पन्ने की पीठ को पहले साफ कर लेना होगा । यदि पीठ पर पहले की चिपियाँ चिपी की हो तो उन्हें छुटा देना चाहिये । इसकी प्रयोग-विधि का वर्णन इस प्रकार है ।

पाण्डुलिपि के पन्ने को मोमी कागजों या तैली कागजों के बीच में रख कर पानी में घाघे से एक घंटे तक डुबा कर रखें, फिर निकाल लें । अब चिपियाँ आसानी से छुटाई जा सकती हैं । यदि पाण्डुलिपि की स्याही पामी में डालने से फँलती हो तो इसे पानी में न डुबाएँ, अन्य बिधि का उपयोग करें । चिपियों के आकार की ब्लॉटिंग पेपर की चिपियाँ काट कर पानी में भिगो कर चिपियों के ऊपर रख दें । जब गोद कुछ ठीला होने लगे तो छुटा लें ।

जब पाण्डुलिपि की पीठ साफ हो जाय तो पाण्डुलिपि के पन्ने के आकार से कुछ बड़ा हाथ का बना कागज (पूरा कागज चिबडो से बना) लिया जाय । यह कागज पानी में डुबा कर शीघे से मुक्त मेज पर फँला दिया जाय, यदि मेज लकड़ी की हो और ऊपर शीशा न हो तो मोमी या तैली कागज उस पर फँला कर, इस कागज पर वह भीगा कागज फँलाया जाय और एक मुलायम कोमल कपड़े को फेर कर उसकी सिलबटें निकाल कर उसकी कुंडलित रूप में घड़ी कर लें, इस प्रकार वह बेलन के आकार का हो जायगा । तब पाण्डुलिपि के पन्ने को तैली कागज पर छोड़ा बिछा कर उस पर लेई (Starch Paste) ब्रश से कर दीजिये । कुंडलित हाथ बने कागज को एक छोर पर ठीक बिछा कर इस

कागज को ऊपर फैला दें। साथ ही एक कपड़े से या रुई के swale से उसे पांडुलिपि पर दाब-दाब कर भली प्रकार जमा दें। तब पांडुलिपि को तैल-कागज पर से उठा लें और दाब में रख कर सूखने दें। इस समय पांडुलिपि की पीठ नीचे होगी। सूख जाने पर 2-3 मि मी पांडुलिपि मूल-पत्र के चारों ओर इस कागज की गोठ छोड़कर मोष को कँची से कतर दीजिये। 2-3 मि मी चारों ओर इसलिये कागज छोड़ा जाता है कि पांडुलिपि के किनारे गुड़-मुड़ न हों।

शिफन-चिकित्सा

शिफन या उच्च कोटि की पारदर्शी सिल्क का बॉज इन पाण्डुलिपियों पर लगाया जाता है जो बहुत जबर, स्याही से खाई हुई या कीड़ों ने खाली हो।

पांडुलिपि के पत्र को साफ कर लें। उस पर लगी चिपियों को हटा दें, और उसे मोमी या तैल कागज पर भली प्रकार बिछा दें। उस पर शिफन का टुकड़ा, जो पांडुलिपि से चारों ओर से कुछ बड़ा हो, फैला दें। अब ब्रुश से लेई (स्टार्च पेस्ट) लगा दें—लेई लगाना बीचोंबीच केन्द्र से शुरू करें और चारों ओर फैलाते हुए पूरे शिफन पर लगा दें। इस पांडुलिपि को मोमी या तैल कागज सहित दूसरे मोमी या तैल कागज पर सावधानी से उलट दें जिससे सिलवटे न पड़ें। पहले वाला तैली कागज, जो अब ऊपर आ गया है, उसे धीरे-धीरे पांडुलिपि से अलग कर लें। अब पांडुलिपि के इस ओर भी पहले की तरह शिफन का टुकड़ा बिछा कर बीच से लेई लगाना शुरू करें और पूरे शिफन पर लेई बिछा दें। अब उसे सूखने दें। आधा सूख जाने पर दूसरा तैली या मोमी कागज ऊपर से रख कर दाब-यन्त्र में या दो तस्तीं के बीच रखकर ऊपर से दाब के लिए बोझ रख दें। पूरी तरह सूख जाने पर पांडुलिपि को सम्भाल कर निकाल लें और किनारों से बाहर निकलें शिफन को कँची से कतर दें।

यदि पांडुलिपि की स्याही पानी से धुलती हो या फँसती हो तो इस प्रक्रिया में कुछ अन्तर करना पड़ेगा। तैली या मोमी कागज पर पांडुलिपि से कुछ बड़ा शिफन का टुकड़ा बिछा दें और लेई (स्टार्च पेस्ट) बीच से आरम्भ कर चारों ओर बिछा दें। उस पर पांडुलिपि जमा दें। उसके ऊपर मोमी या तैली कागज फैला कर दाब दें। तब शिफन का दूसरा टुकड़ा लेकर तैली या मोमी कागज पर रख कर उपर्युक्त प्रकार से लेई लगा दें और उस पर पांडुलिपि उस पीठ की ओर से बिछा दें जिस पर शिफन नहीं लगा। उस पर मोमी या तैली कागज रख कर दाब में यथापूर्व सुखा लें। सूख जाने पर किनारों से बाहर निकले शिफन को कँची से कतर दें।

टिश्यू-चिकित्सा

जिन पांडुलिपियों की स्याही फीकी नहीं पड़ी और जो अधिक जीर्ण नहीं हुए उनकी चिकित्सा टिश्यू-कागज से की जाती है। इसमें सरेसरहित इमिटेशन जापानी टिश्यू-कागज ही, जिसमें तैली या मोमी प्रशान हो, काम में आता है। तैली या मोमी कागज पर पांडुलिपि साफ करके फैला दें। उस पर पतला सेप डेक्सट्राइन (Dextrine) का कर दें। पांडुलिपि से कुछ बड़ा उक्त प्रकार का टिश्यू कागज लेकर अब पांडुलिपि पर, ऊपर से और नीचे कपड़े या रुई के काहे से इस कागज को पांडुलिपि पर दाब दें। इस प्रकार पांडुलिपि की दूसरी ओर ही टिश्यू कागज लगा दें।

यदि डेक्सट्राइन पेस्ट न मिल सके तो स्टार्च या ग्लूकोस की बतली लेई से काम चलाया जा सकता है। घाणकल सरस या लेई का उपयोग किया जाने लगा है।

परतोपचार (लेमिनेशन)

परतोपचार के लिए एक यन्त्र अर्पणित होता है। ऐसा यन्त्र भारतीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्स) में लगा है। यह बहुत व्यय-साध्य है। जो बहुत समय ग्रन्थागार में नेशनल आर्काइव्स से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अपने अण्डार में यह दाब-यन्त्र (प्रेस) लगवा सकते हैं। इस यन्त्र से सैल्यूलोज ऐसीटेट फाइल के परत पाण्डुलिपि-पत्र के दोनों ओर जड़ दिये जाते हैं। पाण्डुलिपि के पत्रों को धीरे धीरे पुष्ट करने के लिए टिश्यू कागज भी फॉइल के साथ-साथ जड़ दिया जाता है। यह यन्त्र तो स्टीम से काम करता है। डब्ल्यू० जे० बरो (W. J. Barrow) ने एक विद्युत्-चालित-यन्त्र भी इसी कार्य के लिए निर्मित किया है। ये दोनों यन्त्र ही व्यय-साध्य हैं।

हाथ से परतोपचार

किन्तु 1952 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रयोगशाला के श्री घो० पो० गोयल ने एक नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था जिसे हाथ से परतोपचार की प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली अब किसी भी ग्रन्थागार में काम में लायी जा सकती है। इसमें न दाब की आवश्यकता है न गरमी पहुँचाने की आवश्यकता है।

एक पॉलिश किये हुए शीशे के तख्त पर उपचार-योग्य पाण्डुलिपि का पत्र फँला दिया जाता है। उसे साफ करके ही बिछाना होता है। इसके ऊपर सैल्यूलोज ऐसीटोन फॉइल, जो मूल पाण्डुलिपि के पन्ने से चारों ओर से कुछ बड़ा हो, फँला देते हैं। इसी के आकार का एक टिश्यू कागज इस फॉइल पर भली प्रकार बिछा दे। अब रुई का एक फाहा लेकर उसे ऐसीटोन में डुबो कर पोले-पोले टिश्यू कागज पर मले। इस प्रकार ऐसीटोन का हलका लेप टिश्यू पर हो जाता है, जिसमें से ऐसीटोन छन कर सैल्यूलोज फॉइल तक पहुँचता है और उसे अर्द्ध-प्लास्टिक बना देता है। इस प्रकार टिश्यू कागज को पाण्डुलिपि पर भली प्रकार चिपका लेता है। सूख जाने पर दूसरी ओर भी इसी प्रकार उपचार करना चाहिए।

इस विधि के कई लाभ स्वीकार किये गये हैं। एक तो व्यय अधिक नहीं, दूसरे, बिधि सरल है, तीसरे, इसमें स्याही नहीं फँलती, कागजों पर लगी मुहरे भी जैसी की तैसी बनी रहती हैं।

पानी से भीगी पाण्डुलिपियों का उपचार

यदि पाण्डुलिपियाँ पानी में भीग गई हैं तो उन्हें तुरन्त बाहर निकाल लें और उनका उपचार करे, अन्यथा फर्फूँद आदि का भय रहता है।

तुरन्त बाहर निकाल कर पहले जितना पानी उनमें से निचोड़ा जा सके, निचोड़ ले। फिर उन्हें खोल-खोल कर कमरे के अन्दर रखे और बिजली के पंखे से हवा दे। साथ ही प्रत्येक पन्ने को एक-दूसरे से अलग कर दें, यदि कुछ पन्ने चिपके दिखायी दें, तो उनको हलके से भीषर (बिना धार के) चाकू से हलके से एक-दूसरे से अलग कर दें। अब प्रत्येक दो पन्नों के बीच में मोमी कागज या प्लास्टिक (सोफ्टा) का पत्रा लगा दें। अब उन्हें

भली प्रकार दाब कर बचा पानी भी निकाल दे। इन्हें फिर बिजली के पखे के नीचे कमरे के अन्दर सूखने के लिए फैला दें। ये या टों मेजों पर फैलाये जाय या फिर धरमणियों की डोरियों पर लटकाये जाय। यदि कहीं बिजली का पंखा न हो तो भण्डार-कक्ष के सभी दरवाजे धीरे खिड़कियाँ खोल दे, ताकि स्वच्छ वायु इन पांडुलिपियों को सुखा दे। इन्हें जब-तब लोटते-पलटते रहने की आवश्यकता है, जिसे इनमें सभी धीरे हवा लग सके। ऐसी पांडुलिपियों को बिजली के हीटरोँ या धूप में नहीं सुखाना चाहिये।

इनके सूख जाने पर या तो इन पर बिजली का आइरन (इस्त्री) किया जाय या फिर अच्छी दाब में दाबा जाय।

जो कागज ढेर के ढेर एकसाथ सूखे है, उनके कागज परस्पर बिपके मिलेंगे, अतः बहुत सावधानी से उपचार करना होगा। पहले इन्हें भीगे ब्लॉटिंगो (सोख्तो) के बीच में रख कर या अन्य विधि से कुछ नम किया जाय, तब मोथरे चाकू से एक-दूसरे से हलके हाथ से अलग कर दिया जाय।

प० उदयशंकर शास्त्री जी ने इसके लिए विधि बताते हुए लिखा है, "इसकी उत्तम विधि यह है कि एक मटके में पानी भर कर रख दिया जाय, जब वह मटका पानी से बिल्कुल सीम जाय तब उसका पानी निकाल कर फेंक दे और ग्रन्थ को उसी में लकड़ी के एक गुटके के ऊपर रख दे और उस मटके का मुँह बन्द कर दे। कम से कम चार दिन के बाद ग्रन्थ को निकाल लेना चाहिये। इस पद्धति से ग्रन्थ के चिपके हुए पन्ने अपने-आप खुल जाते हैं।"¹

रख-रखाव सम्बन्धी इन समस्याओं का स्थूल विवरण यहाँ दिया गया है जिससे मात्र दिशा-निर्देश होता है। फिर भी, इन समस्याओं के लिए तथा इनके प्रतिरिक्त धीरे भी समस्वाएँ सामने आ सकती हैं। उनके लिए इन विषयों के विशेषज्ञों से सहायता लेनी चाहिये। नेशनल आर्काइव्स से हर प्रकार की सहायता मिल सकती है। आर्काइव्स ने रख-रखाव का एक डिप्लोमा पाठ्य-क्रम भी चलाया है।

कागज को अम्ल (Acid) रहित करना

कागज के जीर्ण होने के कारणों की भी खोज करने के प्रयत्न हुए हैं। बाह्य कारणों का उल्लेख हो चुका है। उनका पता तो लगा ही लिया गया है, पर कागज के अन्दर कुछ ऐसे तत्त्व अवश्य हैं, जो उसके ह्रास के या उसकी जीर्णता के कारण बनते हैं, इस सम्बन्ध में बहुत अनुसन्धान, विशेषत 18 वीं और 19 वीं शताब्दी के कागज पर किये गये हैं। निष्कर्ष यह निकला कि कागज में अम्ल की अधिकता ही प्रांतरिक रूप से उसकी जीर्णता का कारण है, भले ही उसे धावर्ण भण्डारों में रखा जाय, जहाँ तापमान 22-25° से० और अपेक्षित नमी या आर्द्रता 45-55 प्रतिशत हो, कागज आन्तरिक अम्लता के कारण जीर्ण होगा। यह अम्लत्व कुछ तो उसमें बनाये जाने की प्रक्रिया में ही मिलता है, कुछ स्वाही से तथा कुछ उन वस्तुओं से धीरे वातावरण से जिनमें कागज रहता है।

अम्ल-निवारण

अतः यह आवश्यक हो गया कि कागज को निरोग करने के लिए उसे अम्ल-रहित

1. शास्त्री, उदयशंकर—भारतीय साहित्य (जुलाई, 1959)—पृ० 121।

किया जाय। डब्ल्यू. जे. बॅरो (W. J. Barrow) ने इसके लिए बहुत कारगर चिकित्सा निकाली है। इस चिकित्सा में कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्सियम कार्बोनेट के घोल से कागज को स्नान कराते हैं। इससे कागज की भ्रमलता दूर हो जाती है तथा प्राये भी भ्रमल के प्रभाव से कागज की रक्षा हो जाती है, अतः अन्य बाह्य चिकित्साओं से पहले यह भ्रमल-निवारण-चिकित्सा करनी चाहिये। राष्ट्रीय-भण्डारण-कार (National Archives) में भ्रमल-निवारण की जो पद्धति अपनायी जाती है, वह कुछ इस प्रकार है :

पहले दो घोल तैयार किये जाय :

1. कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का घोल (घोल-1)

5-8 लीटर की क्षमता का शीशे का जार (Jar) लेकर उसमें प्रायः किलो अच्छी किस्म का खूब पिसा हुआ कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड ले और 2-3 लीटर पानी लें और थोड़ा-थोड़ा चूर्ण जार में डालते जाय और तदनुसार पानी भी डाले और उसे हलके-हलके चलाते जायें। यो हिलाते-हिलाते समस्त चूर्ण और पानी मिल कर दूधिया श्रीम-सी बन जायगी। यह क्रिया बहुत हलके-हलके करनी है। यह घोल बन जाये, 10-15 मिनट बाद इस घोल को 25-30 लीटर की क्षमता के इनामिल्ड (Enamelled) या पोर्सलिन के जार में भर देना चाहिये। अब फिर हलके-हलके चलाते हुए इसमें पानी डालना चाहिये, इस प्रकार घोल का प्रायतन 25 लीटर हो जाना चाहिये, अब इसे निथरन के लिए कुछ देर छोड़ देना चाहिये। इससे चूना नीचे बैठ जायगा। अब पानी को हलके से निथार कर अलग कर दिया जायगा और अब फिर धीरे-धीरे चलाते-चलाते उसमें पानी मिलाइए, यहाँ तक कि प्रायतन में फिर 25 लीटर पानी हो जाय। इस घोल को बराबर और खूब चलाते जाना चाहिये। 25 लीटर पानी हो जाने पर पुनः चूने को तल में बैठने दे। इस प्रकार अपेक्षा से अधिक चूना तल में बैठ जायगा। अब दूधिया रंग का पानी उसके ऊपर रहेगा। इसे निथार कर अलग रख ले। यही अपेक्षित घोल है, जो हमारे काम में प्रायेगा। बँटे हुए चूने में 25 लीटर पानी फिर मिलाइए और खूब अच्छी तरह चलाइए। फिर चूने को तल में बैठने दीजिये और ऊपर का दूधिया पानी निथार कर काम के लिये रख लीजिये। इस प्रकार वही मात्रा कैल्सियम की 15-20 बार कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का काम का घोल दे सकेगी।

अब दूसरा घोल तैयार करें :

2. कैल्सियम कार्बोनेट घोल (घोल-2)

25-30 लीटर की क्षमता का इनामिल्ड या पोर्सलिन के जार में 1/2 किलो बहुत महीन चूर्ण कैल्सियम कार्बोनेट का घोल बनाये और उसे खूब चलाते-चलाते उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस 15-20 मिनट तक प्रवाहित करें। इससे कैल्सियम कार्बोनेट का अपेक्षित घोल मिल जाता है। इसे बनाने की एक वैकल्पिक विधि भी है। पहले स्वच्छ (2) घोल को लेकर उसमें दुगुना पानी मिलाइये, अब इस घोल को हिलाते-हिलाते चलाते-चलाते इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिये, पहले इसका रंग सफ़ेद हो

जायगा, तब भी चलाते-चलाते धीर गैस प्रवाहित करें, जब यह स्वच्छ जल जैसा धोल हो जायगा। 30 लीटर के धोल को 30-48 मिनट तक गैसोपचार देना होता है। प्रपेक्षित धोल कैल्शियम बाईकार्बोनेट का पाने के लिए।

जब ये दोनों धोल तैयार हो जाय तो निम्न विधि से पांडुलिपियों का निरम्लीकरण किया जाना चाहिये :

विधि

तीन इनामिल्ड तश्तरियाँ इतनी बड़ी कि उनमें अपने भण्डार से बड़ी पांडुलिपि समा सके, लें। एक तश्तरी में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का धोल (0.15 प्रतिशत का) दूसरी में ताजा स्वच्छ जल, तीसरी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का धोल (0.15 प्र०श० का) भर कर रखे। अब मोमी कागज (मोमी कागज की बजाय स्टेनलेस स्टील के तारों की बुनी पेटिका में रख कर भी डुबाया जा सकता है) पांडुलिपि के आकार से बड़ा लेकर उस पर पांडुलिपियों के इतने कागज रखें कि वे तश्तरियों के धोल में डूब सकें—उन्हें मोमी कागज नीचे रख कर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के धोल में डूबा दें। 20 मिनट डूबे रहने दें, फिर निकाल कर पहले पांडुलिपियों में से धोल निचोड़ दें, तब दो मिनट के लिए इस पांडुलिपि को स्वच्छ जल में डुबो लें। अन्त में कैल्शियम बाईकार्बोनेट के धोल में 20 मिनट तक रखे। उसमें से निकाल कर धोल निचोड़ देने के बाद फिर स्वच्छ जल में 2 मिनट के लगभग रखे। धोलो में धीर पानी में डुबाने पर तश्तरियों के धोलों धीर पानी को हलके-हलके तश्तरियों को एक धोर से कुछ उठा कर फिर दूसरी धोर से कुछ उठा कर हिलाते रहना चाहिये।

यह उपचार हो जाने के बाद पानी निचोड़ दें धीर कागजों के ऊपर दोनों धोर मोखे रख कर दाब से पानी मुखा दें, फिर उन्हें रंको पर सूखने के लिए रख दें—यह ध्यान रखना होगा कि जब तक ये पूरी तरह न सूख जाय तब तक इनको उलटा-पलटा न जाय।

अमोनिया गैस से उपचार

उक्त उपचार उन्ही पांडुलिपियों का ही सकता है, जिनकी स्याही पक्की है, धीर जो पानी में न तो फँसती है, न घुलती है, घतः उपचार से पहले स्याही की परीक्षा करनी होगी। यदि स्याही पर पानी का प्रभाव पड़ता है, तो उसके कागज के निरम्लीकरण करने के लिए एक अन्य विकल्प से काम लेना होगा। यह विकल्प है अमोनिया गैस से उपचार। इसके लिए खानो वाली ऐसी अलमारी की आवश्यकता होती है जिसके खानों के तस्ते चलनी की भाँति छेदों से युक्त होते हैं। इन पर पांडुलिपियाँ खोल कर फँसा दी जाती हैं। अब 1 : 10 अनुपात में पानी में अमोनिया का धोल बना कर एक तश्तरी में सबसे नीचे के खाने के तल में रख दें। इस प्रकार अमोनिया गैस कागजों का निरम्लीकरण कर देगी। चार-पाँच घण्टों के लिए अलमारी बिल्कुल बंद करके रखनी होगी। इसके बाद, इन पांडुलिपियों को 10-12 घण्टे स्वच्छ वायु में रखना होता है।

ताड़पत्र एवं भोजपत्र का उपचार

कीड़े-मकोड़ों से रक्षा के लिए तो पंड़ी धीर छोड़ा बेच कपड़ों में बाँध कर कसड़ों

में या झलमारियो में रखने से कीड़े-मकोड़े नहीं घाते। घाजकल नेफथलीन की गोलियाँ या कपूर से भी यह काम लिया जा सकता है।

तिरकने वाले (Brittle) ताड़ एवं भोजपत्रों का उपचार पहले कागज के लिए बताए शिफन-उपचार की विधि से किया जाना चाहिये। शिफन ताड़पत्र के घाकार से चारों ओर से कुछ बड़ी होनी चाहिये, ताकि पत्रों के किनारे क्षतिग्रस्त न हो सकें। कुछ विशेष सुरक्षा के लिए शिफन-उपचारित पाण्डुलिपियों को पाण्डुलिपि के योग्य पुट्टे के खोलो या बक्सों में रख देना चाहिये।

ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर धूल जम जाती है, जो उन्हें क्षति पहुँचाती है। इनमें से जिनकी स्याही पानी से प्रभावित न होती हो उनकी सफाई पानी में ग्लिसरीन (1:1) का घोल बना कर उससे रूई के फाड़े से करनी चाहिये। जिनकी स्याही पानी से प्रभावित होती हो, उनकी सफाई कार्बन टेट्राक्लोराइड या एपीटोन से की जानी चाहिये।

ताड़पत्र या भोजपत्र, जो काजल की स्याही से लिखे गये हैं, यदि उनकी स्याही फीकी पड़ जाय या उड़ जाय तो उनका उपचार नहीं हो सकता है, किन्तु यदि ताड़पत्र पर शलाका से कौर कर लिखा गया है तो उनकी स्याही उड़ जाने पर उपचार सम्भव है। तब प्रेफाइट का चूर्ण रूई के पंड से उस ताड़पत्र पर मला जाता है और बाद में रूई के फाड़े से उसे पोछ दिया जाता है, जिससे ताड़पत्र में प्रक्षर स्याही से जगमगाने लगते हैं और ताड़पत्र स्वच्छ भी हो जाता है।

यदि ताड़पत्र या भोजपत्र चिपक जाये तो इन्हें तरल, गर्म पैराफीन में डुबोया जाता है और तब बहुत अधिक माध्यानी में एक-एक पत्र झलगा किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए बहुत धम्यास अपेक्षित है। बिना धम्यास के पत्रों को झलग करने से ग्रन्थ की हानि हो सकती है, अतः दक्ष और धम्यस्त हाथों से ही यह काम करना चाहिये।

ऊपर ग्रन्थों के रख-रखाव और सुरक्षा और संरम्मत के लिए जो उपचार दिये गये हैं, उनमें डेक्सट्राइन तथा स्टार्च की लेई का उपयोग बताया गया है। इनके बनाने की विधि निम्न प्रकार है।

डेक्सट्राइन की लेई

डेक्सट्राइन	2.5 किलो
पानी	5.0 किलो
लौंग का तेल	40 ग्राम
सफरोल	40 ग्राम
बेरियम कार्बोनेट	80 ग्राम

विधि

एक पीतल की देगची में पानी उबालने रखें। 90° से० का तापमान हो जाने पर डेक्सट्राइन का चूर्ण पानी में मिलाइये, धीरे-धीरे पानी को खूब चलाते जाइये ताकि डेक्सट्राइन समान रूप से मिले और गुठले न पड़ने पायें। 2.5 किलो डेक्सट्राइन इस विधि से मिलाने में 30-40 मिनट तक लग सकते हैं। अब इस घोल को बराबर चलाते जाइये और इसमें बेरियम कार्बोनेट और मिला दीजिये। तब लौंग का तेल और सफरोल भी

डाल दीजिये, धीर सबको एकमेल कर दीजिये। सबके भनी-भाँति मिल जाने पर 6-8 मिनट तक पकाइये, तब भाग से उतार लीजिये। डेक्स्ट्राइन की लेई तैयार है।

मैदे (स्टार्च) की लेई

मैदा	250 ग्राम
पानी	5.00 किलो
लीग का तेल	40 ग्राम
सफ़फरील	40 ग्राम
वेरियम कार्बोनेट	80 ग्राम

बनाने की विधि ऊपर जैसी है, कबल डेक्स्ट्राइन का स्थान मैदा ले लेती है।

चमड़े की जिल्दों की सुरक्षा

कुछ पाइलुलिपियाँ चमड़े की जिल्दों में मिलती हैं। चमड़ा मजबूत वस्तु है और पाइलुलिपि की अच्छी रक्षा करता है। फिर भी वातावरण के प्रभाव से कभी-कभी यह भी प्रभावित होता है जिससे चमड़ा भी तडकने लगता है, अतः चमड़े की सुरक्षा भी आवश्यक है।

इसके लिए पहले तो चमड़े को निरम्बल करना होगा। एक मुलायम कपड़े की गदेली से पहले जिल्द के चमड़े से धूल के कण बिल्कुल हटा दें। फिर 1-2 प्रतिशत सोडियम बेंनजोएट (Sodium Benzoate) के घोल से भीगे फाड़े से जिल्द पर वह घोल पोत दें और जिल्द को सूख जाने दें।

इसके बाद नीचे दी गई वस्तुओं से बने मिश्रण से उसे उपचारित करें :

1. लेनोलिन एन्हीड्रस	300 ग्राम
2. शहद के छत्ते का मोम	15 ग्राम
3. सीडर वुड तेल	30 मि०घ्रा०
4. बेनजीन (Benzene)	350 मि०घ्रा०

पहले बेनजीन को कुछ गरम करके उसमें मोम मिला दिया जाता है। तब सीडर-वुड तेल मिलाते हैं और बाद में लेनोलिन इस मिश्रण को खूब हिला कर काम में लेना चाहिये। इसे एक ब्रश से चमड़े पर भली प्रकार चुपड़ देना चाहिये। उसके सूख जाने पर भण्डार में यथास्थान रख दिया जाना चाहिये। इससे चमड़े की प्रायः पहले जैसी हो जाती है, और यह भली प्रकार पुष्ट भी हो जाता है।

यह मिश्रण अत्यन्त ज्वलनशील है, अतः भाग से दूर रखना चाहिये। यह सावधानी बहुत आवश्यक है।

वस्तुतः रख-रखाव का पूरा ध्यान 'प्रबन्ध-प्रशासन' के अन्तर्गत आता है। प्रबन्ध-प्रशासन एक अलग ही धंग है, जिस पर अलग से ही विचार किया जा सकता है। इसके लिए कितने ही प्रकार के प्रशिक्षण भी दिये जाने लगे हैं, यह सीधे हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, पर रख-रखाव का पाइलुलिपि पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए कुछ अर्थों में इस विषय भी वहाँ भारतीय प्रशिक्षणार्थी (नेशनल ग्रार्कडिन्ग) से प्रकाशित दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के आधारे पर कर दी गई है।

इस विषय के अच्छे ज्ञान के लिए इन्हीं पुस्तकों में कुछ चुनी हुई उपयोगी सामग्री का विवरण भी दिया गया है, उस विवरण में से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है :

- Back, E. A.** Book-worms.
पुस्तक-कीटों के सम्बन्ध में यह लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' नामक पत्रिका के खंड सख्या 2, 1947 में निकला। यह पत्रिका 'नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया', नई दिल्ली का प्रकाशन है।
- Barrow, W. J.** Manuscripts and Documents, Their Deterioration and Restoration
यह पाण्डुलिपियों और अभिलेखों के ह्रास और चिकित्सा पर, 'यूनीवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, प्रेस', शारलोट्स बिले, वर्जीनिया का प्रकाशन है।
- Barrow, W. J.** Procedure and Equipment in the Barrow Method of Restoring Manuscripts and Documents.
बरो प्रणाली से पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की चिकित्सा की प्रविधि और उसके लिए अपेक्षित यन्त्र-साधनादि पर यह कृति 'यूनीवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया प्रेस' से प्रकाशित है।
- Basu Purnendu** Common Enemies of Records.
अभिलेखों के सामान्य शत्रुओं पर यह लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' के खंड-5, अंक 1, 1951 में प्रकाशित।
- Chakravorti, S.** Vaccum Fumigation : A New technique for Preservation of Records.
वाष्पीकरण से अभिलेखों की सुरक्षा पर यह कृति 'साइन्स एंड कल्चर' : अंक II (1943-44) में प्रकाशित।
A Review of Lamination Process.
परतपचार चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियन आर्काइव्स' के खंड 1, अंक 4, 1947 में प्रकाशित।
- Goel, O.P.** Repair of Documents with Cellulose Acetate on small scale.
यह सेल्यूलोज ऐसीटेट चिकित्सा पर लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' खंड 7, अंक 2, 1953 में प्रकाशित।
- Gupta, R. C.** How to Fight White Ants.
धीमक से रक्षा पर यह कृति 'द इंडियन आर्काइव्स' खंड 8, अंक 2, 1954 में प्रकाशित।
- Kathpadia, Y. P.** Hand Lamination with Cellulose Acetate.
हथ से सेल्यूलोज ऐसीटेट से परतपचार चिकित्सा पर कृति 'अमेरिकन आर्किविस्ट', जुलाई, 1959 में प्रकाशित।

- Majumdar, P. C. Birch-bark and Clay-coated Manuscripts.
भोजपत्र तथा मृदलोपित पांडुलिपियों पर यह कृति 'द इंडियन आरकाइव्स' के खंड-11, अंक-1-2, 1956 में प्रकाशित ।
- Ranbir Kishore The Preservation of Rare Books and Manuscripts.
दुर्लभ ग्रन्थों और पांडुलिपियों की सुरक्षा पर यह कृति 'द सनडे स्टेट्समेन' मार्च 1, 1955 में प्रकाशित ।
- " " Preservation and Repair of Palm-leaf Manuscripts.
ताडपत्र की पांडुलिपियों की सुरक्षा और चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियन आरकाइव्स' खंड-14 (जनवरी 1961-दिसम्बर 1962) में प्रकाशित ।
- Talwar, V. V. Record Materials Their Deterioration and Preservation
अभिलेख सामग्री के रूग्ण होने और सुरक्षा पर यह कृति 'जरनल ऑव द मध्य-प्रदेश इतिहास परिषद', भोपाल, अंक-11 (1962) में प्रकाशित ।

उक्त साहित्य से प्रस्तुत विषय पर कुछ और अधिक जानकारी मिल सकती है ।

यहाँ हमने ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन और उसके साथ नवीन वैज्ञानिक रक्षा-प्रणालियों पर प्रकाश डाला है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पांडुलिपि-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए रख-रखाव के विषय में इतना ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है ।

उपसंहार

अब इस ग्रन्थ का समापन करते हुए इतना ही कहना और शेष है कि 'पांडुलिपि-विज्ञान' की वस्तुतः यह प्रथम पुस्तक है । इसमें विविध क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री लेकर एक सूत्र में गूँथ कर एक नये विज्ञान की आधार-शिला प्रस्तुत की गई है, भरोसा यह है कि इसमें प्रेरणा लेकर यह विज्ञान और अधिक पल्लविन, पुष्टित एवं फलित होगा ।



परिशिष्ट-एक

(प्रथम अध्याय के पृष्ठ 17 के लिए यह परिशिष्ट है)
कुछ और प्रसिद्ध पुस्तकालय

क्रम संख्या	समय	स्थान/नाम	विवरण
1.	2300 ई० पू० से पूर्व	ऐब्ले [आधुनिक नैन्समारडिख (Tel'mardich) के निकट]	सीरिया में मिट्टी की ईंटों पर लेख मिले हैं। इनकी लिपि ब्यूनीफार्म रूप की है। इन ईंटों के लेखों को पढ़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐब्ले में प्राचीन सस्कृति का केन्द्र था। वही मह पुस्तकालय था।
2	324 ई० पू० से पूर्व	तक्षशिला (सिकन्दर ने इसे बहुत समृद्ध और विशाल नगर बना)	'मिट्टी के मनम' में श्री कृष्ण चन्द्र ने लिखा है — "पजा साहब ने लौटकर टेकनला आए, जहाँ पुराने जमाने की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक तक्षशिला यूनीवर्सिटी के खण्डहर खोदे जा रहे थे। तक्षशिला के एस्कीपिटेर, तक्षशिला के होस्टल, तक्षशिला के तहाने के बालाब, यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रबन्ध देख कर क्षण दग्ध रह जाती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस पुगनी यूनिवर्सिटी में शिक्षा-दीक्षा की किसनी उत्तम और उच्च व्यवस्था थी।" (धर्मयुग, 27 फरवरी, 1966, पृष्ठ 31)। यहीं पाणिनि जैसे वैयाकरण ने, जीनक जैसे वैद्य ने, और चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ और धर्मशास्त्री ने यही शिक्षा पायी थी। ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसा ही महान पुस्तकालय रहा होगा। इसमें क्या संदेह किया जा सकता है? इसके गधू नामक स्तूप से खरोष्ठी लिपि में लिखा सोने का एक पत्तर जनरल कनिंघम को मिला था। इसमें एक

1	2	3	4
			<p>ग्राचार्य के पास 500 छात्र अध्ययन करते थे। इसमें विश्व ख्याति के कई ग्राचार्य थे।</p> <p>"Takshila contained the celebrated University of Northern India (Rajovad-Jataka) up to the first century A D. like Balabhi of Western, Nalanda of Eastern, Kanchipura of Southern and Dhanakataka of Central India."</p>
3.	246 ई० पू० में पूर्व	पाटलिपुत्र/पटना	<p>246 ई० पू० में तृतीय बौद्ध परिषद् हुई थी। इसमें बौद्ध-सिद्धान्त ग्रन्थों पर चर्चा हुई थी। पाटलिपुत्र भजातशत्रु के दो मन्त्रियों ने बसाया था। मौर्यकाल में यह विशिष्ट विद्या का केन्द्र था।</p>
4.	140 ई० पू०	काश्मीर	पतंजलि काश्मीर में रहे थे।
5		काश्मीर सरस्वती मंदिर, काश्मीर	यहाँ से घ्राठ व्याकरण ग्रंथ हेमचन्द्राचार्य के लिए मगाये गए थे।
6	80 ई० पू०	लका	बौद्ध ग्रन्थ लिपिबद्ध किये गए थे।
7		लका—हगुरनकेत, बिहार (कडि जिले में)	इसके चैत्य में हजारों रुपये के बहुमूल्य ग्रन्थ गड़वा दिये गए थे। चाँदी के पत्रों पर 'विनय पिटक' के दो प्रकरण, अभिधम्म के सात प्रकरण तथा 'दीर्घ-निकाय' गढ़वाये गए थे।
8.		पेइचिङ्	चीन का यह पुस्तकालय भी प्राचीन होना चाहिए। सुनहाङ् की शेष 8000 बलिताएँ इसी पुस्तकालय में भेज दी गयी थी। (डॉ० लोकेशचन्द्र जी ने बताया है कि उनके पिताजी डॉ० रघु-वीर इन 8000 बलिताओं की माइक्रो-फिल्म करा लाये थे। ये उनके संग्रह में हैं)।
9.	126 ई०	उज्जैन	उज्जैन बहुत पुराना नगर है। भारतीय संस्कृति का यहाँ स्रोत था। सम्राट

1	2	3	4
			अशोक यहाँ रहे थे। विक्रमादित्य की राजधानी थी। यह नव-रत्नों की नगरी है। यहाँ ग्रन्थागार थे। भगवान् कृष्ण के गुरु सांवीपनि का आश्रम अंकपाद उज्जैन से कुछ ही दूर है। महाभारत युग में यहाँ प्रसिद्ध विद्यापीठ था, भर्तृ-हरि की गुफा भी उज्जैन में है। भर्तृ-हरि विद्वान् और योगी थे। उनके पास भी अच्छा ग्रन्थागार था।
10.	160 ई०	आडिवीसां (उडीसा)	नागार्जुन ने विहार स्थापित कराये। इनमें पुस्तकालय होगे ही।
11.	160 ई०	धान्यकूट	नागार्जुन ने यहाँ के मन्दिरों की परिख (rauling) बनवायी। नागार्जुन ने बौद्ध विषयविद्यालय भी स्थापित किया था, पुस्तकालय होगा ही।
12.	222 ई०	मध्य भारत	यहाँ से धर्मपाल इस वर्ष चीन गया। चीन में उसने पाति मोक्षण का अनुवाद 250 ई० में किया था।
13	241 ई०	बु का राज्य	Sang-huru श्रमण ने विहार बनवाया। 251 ई० में अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया।
14	252 ई०	लोपांग (चीन)	अनुवाद पीठ। 313 से 317 तक 'तुनह्वाङ' के श्रमण धर्मरक्ष ने अनुवाद कार्य किया।
15.	366 ई०	तुनह्वाङ (मध्य एशिया) [गोबी रेगिस्तान के किनारे]	इसमें 30,000 बलिताएँ थीं। 1957 वि० में अनायास ही इनका पता चला था। महान् बुद्ध गुफा के चैत्य की कुछ पाण्डुलिपियाँ भारत में मध्य एशियाई संग्रहालय में हैं। (266 ई० में 'जु-फान्हू' अर्थात् 'धर्मरक्ष' श्रमण तुनह्वाङ लोपांग गया था। 366 से 100 वर्ष पूर्व ही 'तुनह्वाङ' में अच्छा पुस्तकालय स्थापित हो चुका होगा।)

1	2	3	4
16.	381 ई०	कुभा	यहाँ क श्रमण सघभूति ने चीनी भाषा में अनुवाद किया ।
17.	383 ई०	चंग-घन(चीन)	गौतम सघ देव का अनुवाद पीठ था ।
18.	383 ई०	लिघग-पाउ(चीन)	कुमार जीव श्रमण ने यहाँ बहुत से बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद सन् 402 से 412 के बीच किया ।
19.	500 ई० से पूर्व	धानेश्वर विश्वविद्यालय	इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया है । हर्ष के गुरु 'गुणप्रभ' का इस विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा होगा ।
20.	568 ड० से पूर्व	दुहुवा बौद्ध विहार (वलभी)	वलभी सौराष्ट्र की राजधानी था । यहाँ 84 जैन मन्दिर थे । यह बौद्ध विद्या-केन्द्र हो गया था । विश्वविद्यालय और पुस्तकालय यहाँ थे । Balabhi....It became the capital of Saurashtra of Gujrat. It contained 84 Jain temples (SRAS XIII, 159) and afterwards became the seat of Buddhist learning in Western India in the seventh century A. D., as Nalanda in Eastern India (Ancient Geographical Dictionary).
21	630 ई० से पूर्व	नालदा	ह्वेनसांग के भारत यागमन के समय यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । उस समय इसमें घर्मपाल के शिष्य और उत्तराधिकारी शीलभद्र, भावार्थिवेक, जयसेन, चन्द्रगोमिन, गुणमति, वसुमित्र, ज्ञानचन्द्र एवं रत्नसिंह आदि प्रसिद्ध विद्वान् यहाँ प्राध्यापक थे । इनका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है । ज्ञानचन्द्र एवं रत्नसिंह इत्सिंग के भी प्राध्यापक थे, ऐसा इत्सिंग ने लिखा है । ह्वेनसांग के समय में 10000 भिक्षु इसमें रहते थे ।

1	2	3	4
22.	8वीं शती ई०	बिक्रम शिला (बिहार)	इसे धर्मपाल ने स्थापित किया था, ऐसा विश्वास है। इनके समय में इसके प्रमुख थे — श्रविद्ध ज्ञान पाद। इसके छह द्वार, जिन पर एक-एक विद्वान पण्डित नियुक्त था। इस विश्वविद्यालय में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता था, जो शास्त्रार्थ में इन द्वार-पण्डितों को हरा देता था। 12वीं शती में इसे बरह्यार खिलजी ने नष्ट कर दिया था।
23.	10वीं शती से पूर्व	सरस्वती महान तंजौर	इसे मद्राराजा सरफोजी ने सन् 1798-1832 के बीच विशेष समृद्ध किया था।
24.	1010 ई०	घार, भोज भाण्डागार	राजा भोज की नगरी थी। यहाँ भोज द्वारा स्थापित विद्यालय एवं पुस्तकालय थे। सिद्धराज जयसिंह इसे भन्हिलवाडा ले गए थे।
25.	11वीं शती से पूर्व	जैन भण्डार, जैसलमेर	श्री भण्डारकर ने बनाया है कि यहाँ एक नहीं दस पुस्तक संग्रह है। (प्रकाशन मदेश, पृष्ठ 7, अगस्त-प्रकटंबर, 65)।
26.	1140 ई०	भोज भण्डारगार उदयपुर बीकानेर हनुमानगढ़ नागौर धलवर किशनगढ़	सिद्धराज जयसिंह की मालव विजय पर भन्हिलवाडा गया। 11 पुस्तकालय) 19 पुस्तकालय) 1 पुस्तकालय) श्री भण्डारकर न थे 2 पुस्तकालय) पुस्तकालय देखे थे। 6 पुस्तकालय) 1 पुस्तकालय)
27.	1242-1262 ई०	चालुक्य-भाण्डागार, भन्हिलवाडा	चानुक्य बीसलदेव या विश्वमल का।
28.	प्रादिम युग (1520 ई० से कुछ पूर्व इसका उद्घाटन स्पेनवासी लोगो ने किया था)	तक्षकोको (प्राचीन मैक्सिको)	स्पेन के हरनडी कार्टेज ने दिसम्बर, 1520 में तक्षकोको नगर पर विजय प्राप्त की। इस आक्रमण में यहाँ का एक विशाल पुस्तकालय जला दिया गया। इसमें अनगिनत प्रमुख हस्त-लिखित ग्रन्थ थे।

1	2	3	4
29.	युकातान (प्राचीन मैक्सिको)		युकातान प्रात मे मय जाति की हजारों हस्तलिखित पुस्तकों के भण्डार थे। डीगो द लदा नाम के स्पेनी पादरी ने उन सबकी होली जलवा दी। यह सब 16वीं शताब्दी में हुआ। (कावम्बिनी, मार्च, 1975)
30	1540 ई० के लगभग	मुस्ला अब्दुल कादिर (अकबरी दरबार) के पिता, मलूकणाह का पुस्तकालय, बदायूँ	हेमू ने नष्ट किया।
31	1556 ई० के लगभग	आगरा	अकबर का शाही पोखीलाना। 30,000 ग्रन्थ थे।
32.		पद्मसम्भव द्वारा स्थापित तिब्बत का साम्बेविहार पुस्तकालय	सस्कृत-तिब्बती भाषा के ग्रन्थों का भण्डार था।
33.	1592 ई० के लगभग	आमेर-जयपुर पोखीलाना	राजा मारमन्त के समय से आरम्भ। 16000 दुर्लभ ग्रन्थ। 8000 महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का सूची पत्र 1977 में श्री गोपाल नारायण बोहरा द्वारा सम्पादित, प्रकाशित। आमेर-जयपुर राजघराने ने अपने 400 वर्षों के राज्यकाल में इस संग्रह को समृद्ध बनाया।
34.	19वीं शती से पूर्व	अस्त्रालान (रूस)	पाण्डुलिपि भण्डार है। अग्रदास कृत छदान मञ्जरी की प्रतिलिपि अस्त्रालान में 1808-9 ई० में की गयी। यहाँ हिन्दी और पञ्जाबी की भी पुस्तकें मिली हैं। यहाँ बुखारा में प्रतिलिपि की गयी अनेक हिन्दी पुस्तकें मिली हैं। गुरु बिलास तो सचित्र है। (धर्मयुग, 21 अक्टूबर, 1973)
35.	1871 ई० से पूर्व	बुखारा	यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अनेक ग्रन्थ प्रतिलिपि होने के बाद अस्त्रालान गए। (धर्मयुग, 8 मार्च, 1970, पृ० 23)

1	2	3	4
36.		खुसुन	वही ।
37.		काशगर	वही ।
38.		दंदा उइलिक	यहाँ ग्रन्थ भण्डार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही एक असली ब्राह्मी ग्रन्थ नकली ग्रन्थ तैयार करने वाले इस नाम अखुन के पास मिला था । यहाँ के खंभहरों में दवे अन्य ग्रन्थ भी मिले थे ।
39.		प्राच्य विद्या मन्दिर, बड़ोदा	यहाँ अनेक पाण्डुलिपियों से वाल्मीकि रामायण का पाठ संशोधन हो रहा है ।
40.		लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद	इसमें अच्छे हस्तलेख उपलब्ध है । एक 676 पृष्ठों की सचित्र तुलसी कृत रामचरितमानस है जिसमें एक पंक्ति नागरी में और एक पंक्ति फारसी लिपि में है, (सम्भव है यह कृति 18वीं शती की होगी) ।
41.	11 मार्च, 1891 को स्थापित	राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली	1. स्थापना के समय इसका नाम था — 'इपीरियल रेकार्ड डिपार्टमेंट' । 2. नई दिल्ली के भवन में आने पर उसे 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' का नाम दिया गया । इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख तो सुरक्षित हैं ही, 1 लाख के लगभग ग्रन्थ भी हैं । माइक्रोफिल्म के रूप में भी लाखों पृष्ठों की सामग्री संग्रहित है ।
42.	1891	पटना खुदाबख्श ओरियंटल पुस्तकालय	इसमें 12000 पाण्डुलिपियाँ हैं और 50,000 मुद्रित पुस्तकें । यह पहले खुदाबख्श का निजी पुस्तकालय था । खुदाबख्श को अपने पिता मुहम्मदबख्श (1815-1876) में उत्तराधिकार में मिला था । खुदाबख्श ने उसमें बहुत वृद्धि की और 1891 में उसे सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप दे दिया । इसमें कुरान का एक पन्ना 1300 वर्ष पुराना सुरक्षित है । हाफिज का दीवान अत्यन्त मूल्यवान माना जाता

1	2	3	4
			<p>है। इस पर हुमायूँ, जहाँगीर और शाहजहाँ के हस्ताक्षरों में कुछ टीपे हैं। 400 वर्ष पुरानी अरबी की पुस्तकों में कुछ वे पुस्तके भी हैं जो सुन्दर हस्त-लिपि में स्पेन की पुरानी राजधानी कोसेडोला में लिखी गयी थी। हिन्दी की भी कुछ ऐसी पुस्तकें जो ज्ञात नहीं थी, इस पुस्तकालय में मिली हैं।</p> <p>अब तक इसकी तीस सूची पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें वेर्पाटस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता ने छपा है। उनमें केवल पुस्तकालय की आधी पुस्तक का ही विवरण है। इन सूची-पत्रों का आदर्श माना जाता है।</p>
43.	1904 ई० के आसपास (ब्यूहलर के अनुसार)	भारती भाण्डारगार, या सरस्वती भाण्डारगार या शास्त्र भाण्डार	
44.		उज्जैन . सिधिया पुस्तकालय	<p>इसमें 10000 के लगभग पुस्तकें हैं। इनमें ढाई हजार के लगभग दुर्लभ ग्रन्थ हैं। इसमें एक ग्रन्थ गुप्तकालीन लिपि में लिखा हुआ है। यह चालीस पृष्ठों का है। इस पुस्तकालय ने यह ग्रन्थ काश्मीर के गिल्गिट क्षेत्र से बीस वर्ष पूर्व प्राप्त किया था। पाँच सौ वर्ष पूर्व के भोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ भी इसमें हैं। इसी प्रकार ताड़पत्र पर सुन्दर हस्तलिपि में लिखे 25 ग्रन्थ भी हैं। मुगलकालीन अदालत और काश्मीर के शासक के बीच हुए पत्राचार के मौलिक दस्तावेज यहाँ सुरक्षित हैं, ये फारसी में हैं।</p>
45.	1912	भरतपुरा । श्रीगोपालनारायण सिंह ने इसे निजी पुस्तकालय के रूप में विकसित किया	<p>इसमें लगभग चार हजार पाण्डुलिपियाँ हैं। इसमें सबसे पुरानी लिखी पुस्तकें ताड़पत्र वाली हैं। उसके बाद क्रम में भोजपत्र की पुस्तकें आती हैं, तब पुराने</p>

1	2	3	4
			कागज की पुस्तकें। इस ग्रन्थागार की ये पुस्तकें बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं : 'शाहनामा', यह फिरदौसी की कृति है। यह 500 पृष्ठों का ग्रन्थ है। इसमें 52 चित्र हैं। पृष्ठों के बीच में जो चित्र हैं वे सोने और नीलम के रंगों से बनाये गए हैं। यह कृति काबुल-कंधार के सूबेदार अली मर्दानखा ने अकबर को भेंट में दी थी।
			सिकन्दरनामा 17वीं शती से पूर्व की कृति है। लेखक हैं—निजामी। इसमें भी चित्र हैं। सोने और नीलम के रंगों का प्रयोग इनमें भी है।
			मुताउल हिन्द' अकबर के हकाम सलामत अली की कृति है। यह विश्व कोष है। इसमें दर्शन, गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन और संगीत पर भी अच्छी सामग्री है।
46.	नेपाल . दरबार पुस्तकालय		यह ताडपत्र की पाण्डुलिपियाँ के लिए प्रसिद्ध है। 448 पाण्डुलिपियाँ महामहो-पाठ्याय ह० प्र०, शास्त्री जी ने बतायी थी, सन् 1898-99 ई० में।
47.	नेपाल : यूनीवर्सिटी पुस्तकालय		इसमें 5000 पाण्डुलिपियाँ शास्त्री जी ने बतायी हैं।
48.	पूना : भंडारकर रिसर्च		
49.	1320 ई०	इंस्टीट्यूट विजयनगर	तुंगभद्र के तट पर। यादव वंश के राज्य-काल में विद्या का केन्द्र। प्रसिद्ध वैदिक भाष्यकार सायणाचार्य यहीं के राजा के मन्त्री थे।
50.	14वीं शती ई०	मिथिला = तिरहुत	यह हिन्दू विद्या का केन्द्र था। यहाँ के ब्राह्मण राजाओं के समय में महाकवि मिथिल कोकिल विद्यापति हुए थे। राजा का नाम था शिवसिंह।
51.	14वीं-15वीं शती	नदिया / नबद्वीप	यह चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव स्थल है। यह भी हिन्दू-विद्या केन्द्र के रूप में अतिशक्तिशाली हुआ।

1	2	3	4
52	7वीं शती ई० से पूर्व	दुर्वासा ब्राह्मण विक्रमशिला सघाराम	यहाँ गुफाएँ हैं जो पहाडा में खुदी हुई हैं। चपा की यात्रा में ह्वेनसांग यहाँ आया था। बौद्ध तीर्थ है।
53.	443 ई०पूर्व 377 ई०पूर्व से पूर्व	वंशाली	यह वृज्जिवी/लिच्छवियों की राजधानी थी। यहाँ बौद्ध धर्म का द्वितीय सभ सम्मेलन हुआ था। इससे यहाँ धार्मिक प्रस्थापार था, यह अनुमान किया जा सकता है।
54	प्रावैदिक/वैदिक	काशी	यहाँ भी तक्षशिला जैसा विद्या कन्द्र था। 500 विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्षमता वाले प्राचार्य यहाँ थे। तक्षशिला की भाँति ही यह वैदिक शिक्षा और विद्या के लिए प्रसिद्ध था।
55	वैदिक काल	नेमिपारग्व	भृगु वंश। शौवक ऋषि का ऋषिकुल नेमिषा राज्य में था। इसमें दस सहस्र ग्रन्थेवासी रहते थे।
56	रामायणकाल	प्रयाग भारद्वाज ब्राह्मण	इस काल का यह विशालतम ब्राह्मण था यह भारद्वाज ऋषि का ब्राह्मण था।
57.		अयोध्या	अयोध्या नगर के पास ब्रह्मचारियों के ब्राह्मण और छात्रावासों का रामायण में उल्लेख है।
58	7वीं 8वीं शती से पूर्व	भोदन्तपुरी (बिहार शरीफ)	पाल वंश का स्थापित करने वाले गोपाल ने यहाँ एक बौद्ध विहार बनवाया था।
59	1801 ई० में स्थापित	इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन	इसमें 2,00,000 मुद्रित पुस्तकें 175,000 पूर्वी भाषाओं में शेष यूरोपीय भाषाओं में। पूर्वी में 20,000 हिन्दी की, 20,000 संस्कृत-प्राकृत की, 24,000 बंगला की, 10,000 गुजराती की 9,000 मराठी की, 5,000 पंजाबी की, 15,000 तमिल की, 6,000 तेलुगु की, 5,500 अरबी की, 5,500 फारसी की हैं।

1	2	3	4
			<p>“भारतीय विषयों पर यूरोपीय भाषाओं में लिखे 2000 हस्तलेख हैं। पूर्वी भाषाओं के हस्तलेख 20,000 हैं। यहाँ 8300 संस्कृत के 3200 अरबी के, 4800 फारसी के, 1900 तिब्बती के, 160 हिन्दी के, 30 बंगला के, 140 गुजराती के, 250 मराठी के, 50 उडिया के, 60 पस्तो के, 270 उर्दू के, 250 बर्मी के, 110 इंडोनेशिया के, 111 मो-सां के, 21 स्वामी के, 70 सिचली के, 23 तुर्की के, हस्त-लिखित ग्रन्थ है। और भी बहुत से अभिलेख हैं। (21 दिसम्बर, 1969 क धर्मयुग में प्रकाशित श्री जितन्द्र कुमार मिश्र, प्राध्यापक, प्रयाग विश्व-विद्यालय के लेख, अंग्लैण्ड में भारतीय अनुसंधान की विरासत के आधार पर।)</p>

भारतीय संग्रहालय जिनमें पाण्डुलिपिया सुरक्षित हैं

क्रमांक	नाम	स्थापित	विवरण
1	मद्रास संग्रहालय	1851 ई०	400 ताम्र पत्र ऐतिहासिक महत्व के हैं।
2.	नागपुर संग्रहालय	1863 ई०	नागपुर में भासले राजवण की पाण्डु-लिपियाँ हैं।
3	लखनऊ संग्रहालय	1863 ई०	सचित्र पोथियाँ, कुण्डली प्रकार की पोथी आदि हैं।
4.	सूरत विचेस्टर संग्रहालय	1890 ई०	जैनधर्म के कल्पसूत्रों की पाण्डुलिपियाँ, ताम्रलेख ताडपत्रीय पोथियाँ, चित्रित जन्मपत्रियाँ आदि हैं।
5.	अजमेर संग्रहालय	1908 ई०	इसमें शिला लेखांकित नाटक सुरक्षित हैं।
6.	भारत कला भवन, वाराणसी	1920 ई०	रामचरितमानस की सचित्र प्रति।

1	2	3	4
7.	मध्य एशियाई संग्रहालय	1929 ई०	आरचेस्टीन द्वारा लायी गयी तुनहाड की 'सहस्र बुद्ध गुफा' से प्राप्त अगणित पाण्डुलिपियाँ, रेशमी पड़ मुरक्षित ।
8	आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता	1937 ई०	कामज पर लिखी प्राचीन पाण्डुलिपियाँ नेपाल मे प्राप्त, 1105 ई० की यहाँ है ।
9.	गंगा राण जयन्ती संग्रहालय, बीकानेर	1937 ई०	सचित्र तथा अन्य दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ ।
10	अलवर संग्रहालय	1940 ई०	इसके पाण्डुलिपि विभाग मे 7000 पोथियाँ सुरक्षित हैं जो संस्कृत, फारसी, हिन्दी आदि की है । हाथी दाँत पर लिखित पुस्तक 'हृषत वद काशी' भी इसमें है । यह अस्थि या दाँत के लिप्यासन वाली पाण्डुलिपियो का उदाहरण है ।
11.	कोटा संग्रहालय		अनेक महत्वपूर्ण पोथियाँ हैं, कुंडली प्रकार की भी है, और एक डब्बे परिमाण की मुष्टा भी है ।
12.	प्रयाग संग्रहालय		विभिन्न युगों और नैलियो की मूल्यवान सचित्र पाण्डुलिपियाँ हैं ।
13.	राष्ट्रीय संग्रहालय		सचित्र पोथियाँ ।
14	शिमला संग्रहालय		मुन्ला दाऊद का 'नोरचन्दा' की पाण्डुलिपि का कुछ अंश यहाँ उपलब्ध है ।
15.	सालार जग संग्रहालय, हैदराबाद		अठारहवें कक्ष मे दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ है ।
16.	कुतुबखाना-ए-सैयादिया, टोक		

इस परिशिष्ट मे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालयो या ग्रन्थागारो का उल्लेख दिया गया है । इनमे से बढ़ती का ऐतिहासिक महत्त्व रहा है । वे ग्रन्थागार, वे विश्वविद्यालय, वे विहार और सघाराम आज अतीत के गर्भ मे खो चुके है । इनमे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि समय मे किम समय ग्रन्थागारों का किनना महत्त्व था । इस सूची में कितने ही स्थानो पर, ग्रन्थागार होने की सम्भावना अनुमान के आधार पर मानी गयी है । जहाँ विशाल विश्वविद्यालय होंगे, जहाँ सघाराम एवं विहार होंगे, जहाँ अनुवाद करने कराने के केन्द्र होंगे, जहाँ परिवर्द्ध हुई होगी, वहाँ पर यह अनुमान किया जा सकता है कि ग्रन्थागार होंगे ही ।

उक्त सूची में इन ग्रन्थागारों के विद्यमान होने का वर्ष भी दिया गया है। ये भी अधिकांशतः अनुमानाश्रित ही हैं। पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से इन ग्रन्थागारों के संकेत से, उनमें स्थान और स्थूल विशेषताओं से कुछ आवश्यक सामान्य ज्ञान मिल जाता है।

परिशिष्ट-दो

काल-निर्धारण : तिथि विषयक समस्या

काल-निर्धारण में 'तिथि' विषयक एक समस्या तब सामने आती है जब तिथि का उल्लेख उस तिथि के स्वामी के नाम से किया जाता है। उदाहरणार्थ—'वीरसतसई' का यह दोहा है—

“वीकम बरसां वतियो, गणचौचद गुणीस ।

बिसहर तिथि गुरु जेठ बदि, समय पलट्टी सीस ।”

डॉ० शम्भूसिंह मनोहर ने बताया है कि—

‘विषहर तिथि का यहाँ भीघा सादा एव स्पष्ट अर्थ है—‘पञ्चमी’ (विषहर की तिथि)।’ आगे बताते हैं कि “वंश भास्कर” ने सूर्यमस्त्र ने तिथि निर्देश में प्रायः एक विशिष्ट पद्धति का अनुसरण किया है। वह यह कि उन्होंने कही-कही तिथियों का ज्योतिष शास्त्र में निर्दिष्ट उनके स्वामियों के आधार पर नामोल्लेख किया है। उदाहरणार्थ—त्रयोदशी को कवि ने वंशभास्कर में ‘मनसिज तिथि’ कह कर ज्ञापित किया है, क्योंकि त्रयोदशी का स्वामी कामदेव है, यथा—

सक खट बसु सत्रह १७८६ समय,

उज्ज मास भवदात ।

कूरम मालव कुंच किय,

मनसिज तिथि भवदात ॥

इसी भाँति चतुर्दशी को उन्होंने ‘शिव की तिथि’ कह कर सूचित किया है, चतुर्दशी के स्वामी शिव होने के कारण—

“संवत् मान अक बसु सत्रह १७८६ ।

अरु सित बाहुल भालचन्द अह ॥”

इस विवेचन में स्पष्ट है कि तिथि का उल्लेख उस तिथि के स्वामी या देवता के नाम से भी किया गया। “ज्योतिष तत्त्व सुधारणक” नामक ज्योतिष ग्रन्थ में तिथियों के स्वामियों / देवताओं के नाम इस श्लोक द्वारा बताये गए हैं

अथ तिथ्यधिदेवनामाह—

अग्नि प्रजापति शैरी गणेशोऽहि गुरु रवि ।

शिवो दुर्गान्तको विश्वाहरि कामो हरः शशी ।

पितरः प्रति पदादीना तिथीनामधियाः क्रमात् ॥इति॥

—वीरसतसई का एक दोहा एक प्रत्यालोचना, ले. डॉ. शम्भूसिंह मनोहर,
‘विश्वभ्रंरा’, वर्ष 7, अंक 4, 1972 ।

परिशिष्ट-तीन

ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण (डॉ०) : कीर्तिमना साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी (1962)
2. " " " : पद्मावत, सजीवनी भाष्य—बही ।
3. " " " : हर्षचरित, सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना, 1964 ।
4. अग्रवाल, वासुदेवशरण (डॉ०) : पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ, ब्रज साहित्य मण्डल, तथा सत्येन्द्र (डॉ०) मथुरा, 1952 ।
5. आर्य मजु श्री कला : त्रिवेन्द्रम सीरीज ।
6. उपाध्याय, वासुदेव (डॉ०) : प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, मोतीलाल बनारसीदास, पटना (61)।
7. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द : भारतीय प्राचीन लिपि भाषा, मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली (59)।
8. कौशल, रामकृष्ण : कमनीय किन्नोर ।
9. गरुड पुराण
10. गुप्त, किशोरीलाल (डॉ०) : सरोज सर्वेक्षण, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद (67) ।
11. गुप्त, जगदीश (डॉ०) : प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1967)।
12. गुप्त, मानाप्रसाद (डॉ०) : तुलसीदास, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्व-विद्यालय, 1953 ।
13. " " " : पृथ्वीराज रामो, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी ।
14. " " " : वसंत विनास और उसकी भावा, क. मुं. हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा ।
15. " " " : राउर बेल और उसकी भावा, मित्र प्रकाशन प्राइवेट लि०, इलाहाबाद, 1962 ।
16. गुप्ता मानाप्रसाद (डॉ०), नाहुटा, अग्रचन्द : बीमलदेव रास ।
17. गौरीला, वाचस्पति : अक्षर अमर रहे ।
18. जैन समवायोग सूत्र
19. टॉड, जेम्स : पश्चिमी भारत की यात्रा, मंगल प्रकाशन, जयपुर ।

20. तिवारी, भोलानाथ (डॉ०) : भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, (1977)।
21. तुलसीदास : दोहावली, गीताप्रेस, गोरखपुर (1960)।
22. " : रामचरितमानस, साहित्य कुटीर, प्रयाग (1949)।
23. दलान, निमनलाल द० : लेख पद्धति, बडौदा केन्द्रीय पुस्तकालय, (1925)।
24. दशकुमार चरित
25. दश वैकालिक सूत्र हरिभद्री टीका
26. दैवी पुराण
27. द्विवेदी, हजारीप्रसाद (डॉ०) : सदेश रासक, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (ग्राइवेट) लि०, बम्बई, 1965।
28. द्विवेदी, हरिहरनाथ : महाभारत (पाठवचरित) विद्या मन्दिर प्रकाशन, ग्वालियर, 1973।
29. नाथ, राम (डॉ०) : मध्यकालीन भारतीय कलाएँ और उनका विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी, जयपुर (1973)।
30. पत्र कौमुदी
31. पद्म पुराण
32. पद्मवर्णा सूत्र
33. प्रवीण सागर (हस्तालिखित - प० कृपाशंकर तिवारी का व्यक्तिगत संग्रह, जयपुर)।
34. भारद्वाज, रामदत्त (डॉ०) : गोम्बामाँ तुलसीदास, भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली (1962)।
35. मजूमदार, मंजुलाल : गुजराती साहित्य ना स्वल्प।
36. मत्स्यपुराण
37. मनोहर, शम्भुसिंह (डॉ०) : होला माग रा दूहा, स्टूडेंट बुक कम्पनी, जयपुर, 1966।
38. मातेश्वरी, हीरालाल (डॉ०) : जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, बी० एर० पब्लिकेशन्स, कलकत्ता, 1970।
39. मिश्र, गिरिजाशंकर प्रसाद : भारतीय अभिलेख संग्रह, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ प्रकाशनी, जयपुर।
40. मिश्रबन्धु : मिश्रबन्धु विनोद, गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ (1972)।
41. मुनि जिनविजयजी : विज्ञप्ति त्रिवेणी।
42. मुनि पुण्यविजयजी : भारतीय जैन धर्मण संस्कृति अने लेखन कला।
43. राज, जोन : राज तरंगिणी।
44. लेफ्टनन्ट, एस० : ललित बिस्तर हाले—(1902)।
45. बर्णक समुच्चय

46. वृहद् कल्प-सूत्र
47. शर्मा, नमिन बिक्रोत्रन : साहित्य का इतिहास दर्शन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना (1960)।
48. शर्मा, बंशीलाल (डॉ०) : किन्नोरी लोक साहित्य, ललित प्रकाशन, सैहरी सटेल, बिलासपुर (1976)।
49. शर्मा हनुमानप्रसाद : जयपुर का इतिहास।
50. शाङ्कर पद्धति
51. शुक्ल, जयदेव (सं०) : शासवदसा कथा।
52. सत्येन्द्र (डॉ०) : अनुसंधान, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, बाराणसी।
53. " " : ब्रज साहित्य का इतिहास, भारती सण्डार, इलाहाबाद (1967)।
54. सिंह, उदयभानु (डॉ०) : तुलसी काव्य मीमांसा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली (67)।
55. निन्हा, सावित्री (डॉ०) : अनुसंधान प्रक्रिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
56. सेंगर, शिवसिंह : शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर, लखनऊ, 1966।
57. Agarwal, V S. (Dr.) : India as known to Panini, University of Lucknow, Lucknow (1953).
58. Agarwalla, N. D. : On Common Script, Bharat Art Press, Calcutta (68).
59. Basu, Parendu : Archives & Records : What are they?
60. Bhargava, K. D. : Repair and Preservation of Records.
61. Bhattacharyya, Harendra : The Language of Scripts of Ancient India.
62. Bordin, R. B. and Warner, R. M. : The Modern Manuscript Library, The Scarecrow Press Inc., New York-66.
63. Brown, W. Norman (Dr.) : The Mahimnastava.
64. Buhler, G. : Indian Palaeography, Firme K. L. Mukhopsdhyaya, Calcutta-62.
65. " " : Inscriptions Report.
66. Burgess, James : The Chronology of Indian History, Cosmo Publications, Delhi-72.
67. Clodd, E. : The Story of the Alphabet.
68. Dani, Ahmad Hasan : Indian Palaeography, Clarendon Press Oxford-63.

69. Diringer, David : The Alphabet.
70. " " : Writing, Thomas & Hudson, London-62.
71. Duff, C. Mabel : The Chronology of Indian History, Cosmo Publications, Delhi-72.
72. Edgerton, Franklin : The Panchatantra Reconstructed. American Oriental Society, U. S. A. 1929.
73. Francis, Frank : Treasures of the British Museum.
74. Hall, F. W. : Companion to Classical Text.
75. Hunter, G. R. : The Script of Hadappa & Mohanjodero and its connection with other Scripts
76. Kane, P. V. : Sahityadarpan.
77. Kashiwa', K. C (Dr) : Jain Granth Bhandars in Rajasthan.
78. Kielhorn, F. : Examination of questions connected with the Vikram Era
79. Manuscripts from Indian Collection
80. Martin, H. J. : The Origin of Writing
81. Masper, : The Dawn of Civilization
82. Masson, W. A. : The History of the Art of Writing
83. Moorhouse, A. C. : Writing the Alphabet
84. Pandey, Rajbali (Dr.) : Indian Palaeography, Motilal Banarsidas, Varanasi-57.
85. Pargeter, F. E. : Ancient Indo-Historical Traditions.
86. Princep : Indian Antiquities
87. Reed, Herbert : The Meaning of Art.
88. Sircar, D. C. : Indian Epigraphy, Motilal Banarsidas Delhi-65
89. Sircar, D. C. : Selected Inscriptions
90. Siccar, J. : Topography of the Mughal Empire.
91. Tassetoric, L. P. : Vachanika, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1919.
92. Tod, James : Annals & Antiquities of Rajasthan, K. M. N. Publishers, New Delhi, (1971).
93. Ulmann, B. L. : The Origin and Development of Alphabet

94. Waddell, L. A. : Indo-Sumerian Seals Deciphered,
Indological Book House, Delhi-72.
95. Wolley, C. L. : The Sumerian.

कोश तथा विश्व-कोश

1. बसु नागेन्द्रनाथ : हिन्द विश्व-कोष ।
2. अमर कोष ।
3. वाचस्पत्यम् ।
4. English Persian Dictionary.
5. Epigraphic Indica.
 6. The Oxford English Dictionary.
 7. A Dictionary of Sanskrit and English.
 8. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.
 9. Chambers's Encyclopedia.
 10. Encyclopedia Americana
 11. Encyclopedia Britannica.
 12. Encyclopedia of Religion and Ethics.
 13. Newnes Popular, Encyclopedia.
 14. The American Peoples Encyclopedia.
 15. The Columbia Encyclopedia.
 16. The New Universal Encyclopedia.
 17. The World Book Encyclopedia.

खोज रिपोर्टें

1. गाँधी, लालचन्द भगवानदास : जैसलमेर भाण्डागारीय ग्रंथानां सूची ।
2. भानावत, नरेन्द्र (डॉ०) : आचार्य श्री विनयचंद ज्ञान भण्डार ग्रन्थसूची ।
3. भेनारिया, मोतीलाल (डॉ०) : राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, (साहित्य संस्थान, उदयपुर)।
4. सूरि, विजय कुमुद : श्री लख्मभात, शान्तिनाथ, प्राचीन ताड़पत्रीय जैन ज्ञान भण्डार नूँ सूची पत्र ।
5. हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का त्रैवार्षिक विवरण (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)।
6. Sastri, H. P. : A Catalogue of Palm leaf and Selected Paper M.S.S. Belonging to the Durbar Library, Nepal.

पत्रिकाएं

- (1) धर्मयुग, (2) परम्परा (3) परिषद् पत्रिका,
 (4) भारतीय साहित्य, (5) राजस्थान भारती, (6) विश्व भारती,
 (7) बीणा, (8) बोध पत्रिका, (9) स्वाहा,
 (10) सम्मेलन पत्रिका, (11) सप्त सिन्धु,
 (12) Journal of the Asiatic Society of Bengal
 (13) Journal of the United Provinces Historical Society
 (14) Orientalia Loveniensia Periodica
 (15) Hindustan Times Weekly

□ □ □

